ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

सुरेन्द्र मोहन प्रसाद एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 2255 of 2001. Decided on 6th August, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 147, 148, 149, 323, 379, 451, 452 एवं 504—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—गृह अतिचार, चोरी एवं उपहति–संज्ञान–याचीगण के विरुद्ध किए गए अभिकथन स्पष्टतः बैर से उद्भूत होते हैं जो दोनों पक्ष के बीच विद्यमान थे जो वैवाहिक कटुता की ओर ले गए–परिवादी ने अंतरस्थ हेतु से अभियोजन आरंभ किया था–याचीगण के विरुद्ध इसे जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा–दांडिक कार्यवाही अभिखंडित। (पैराएँ 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.–1992 Supp. (1) SCC 335; (1977)2 SCC 699; (2007)12 SCC 1—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Abhay Kumar Chaturvedi, For the Petitioners; Mr. Pankaj Kumar, For the State; None, For O.P. No. 2.

आर॰ मुखोपाध्याय.–याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अभय कुमार चतुर्वेदी और राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार सुने गए। ओ॰ पी॰ सं॰ 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

2. इस आवेदन में, याचीगण ने परिवाद मामला सं॰ सी॰ 210/2000 के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चतरा श्री महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा पारित दिनांक 3.10.2000 के आदेश जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 323, 379, 451, 452 एवं 504 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया गया है सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

3. परिवादी–वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा संस्थित परिवाद याचिका से सामने आने वाला अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 11.5.1999 को परिवादी का विवाह अनिता कुमारी (याची सं॰ 3) के साथ हुआ था। यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 23.5.1999 को अभियुक्त सं॰ 1 एवं 3 कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ अभियुक्त सं॰ 4 को परिवादी की अनुमति के बिना जबरन ले गए और वे 40,000/- रुपए मूल्य के गहने, वस्त्र एवं अन्य वस्तुएँ भी ले गए थे। यह अभिकथित किया गया है कि परिवादी ने अनेक अवसरों पर अपनी पत्नी की विदाई करवाने का प्रयास किया किंतु वह असहमत थी और चूँकि अभियुक्तों ने परिवादी को धमकी दिया था, परिवादी द्वारा सनहा दर्ज किया गया था। यह भी अभिकथित किया गया है कि दिनांक 2.9.2000 को अभियुक्तगण कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ परिवादी के घर आए और उसको सनहा वापस लेने का निर्देश दिया और जब उसने इनकार किया, परिवादी और उसके पिता पर प्रहार किया गया था और पिस्तौल की नोंक पर धमकी दी गयी थी।

4. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 202 के अधीन जाँच करने के बाद और सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर परिवादी और उसके गवाहों का परीक्षण करने के बाद दिनांक 3.10.2000 के आदेश के तहत भारतीय दंड संहिता धाराओं 147, 148, 149, 323, 379, 451, 452 एवं 504 के अधीन अपराध के लिए संज्ञान लिया गया था।

5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची सं॰ 1 परिवादी का ससुर है, याची सं॰ 2 परिवादी का साला है, याची सं॰ 3 परिवादी की पत्नी है और याची सं॰ 4 परिवादी की सास है और केवल अपने ससुराल वालों को परेशान करने की दृष्टि से अपने ससुराल वालों के विरुद्ध बेबुनियाद अभिकथन करते हुए परिवादी ने परिवाद मामला दाखिल किया था। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि परिवाद याचिका याचीगण के विरुद्ध कोई दांडिक अपराध प्रकट नहीं करती है। उन्होंने यह निवेदन भी किया है कि याची सं॰ 3 जो परिवादी की पत्नी है ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498A, 323/34 एवं 452 के अधीन और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन मामला दर्ज किया था और कि परिवादी–वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को दोषसिद्ध किया गया था जिसे अपील में अभिपुष्ट भी किया गया था। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन मामले में बचाव सृजित करने के लिए विरोधी पक्षकार सं॰ 2 ने याची सं॰ 3 का पति होने के नाते वर्तमान मामला दर्ज किया था।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा संस्थित परिवाद परिवादी एवं उसके ससुराल वालों के विरुद्ध याची सं॰ 3 द्वारा संस्थित मामले के पहले किया गया था, अत: इसे अभियुक्तों से प्रतिशोध लेने के लिए संस्थित मामला नहीं कहा जा सकता है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, मैं पाता हूँ कि दिनांक 11.5.1999 को विवाह संपन्न होने के तुरन्त बाद वर्तमान परिवाद मामला डेढ़ वर्ष के भीतर अर्थात् दिनांक 4.9.2000 को संस्थित किया गया है। परिवाद याचिका की विषय वस्तु प्रकट करती है कि उसकी पत्नी सहित परिवादी के समस्त ससुरालवालों को अभियुक्त बनाया गया है और परिवादी एवं याची सं॰ 3 के बीच कटु संबंध इस तथ्य से स्पष्ट है कि याची सं॰ 3 ने भी भारतीय दंड संहिता की धारा 498A सहित और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनेक प्रावधानों के अधीन दांडिक मामला दर्ज किया था जिसमें परिवादी–ओ॰ पी॰ सं॰ 2 को दोषसिद्ध किया गया था जिसे बाद में अपील में अभिपुष्ट किया गया था। दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी एवं कटु संबंध दोनों पक्षों द्वारा दर्ज मामले एवं प्रति मामले से स्पष्ट है। **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 Supp (1) SCC 335,** में मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक, जिसने प्रतिपादित किया कि कब दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का अवलंब लिया जा सकता है, नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *^^tc çkboV ,o futh n'euh d dkj.k mldk viekfur dju dh nf"V l vkj vfHk;Dr l çfr'kkèk yu d vrjLFk gr d lkFk dk;okgh }"kiod lfLFkr dh tkrh g vkj@vFkok nkfMd dk;okgh Li"Vr% vlnHkkoi.k gA***

8. कर्नाटक राज्य बनाम एल॰ मुनिस्वामी एवं अन्य, (1977)2 SCC 699, मामले में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में संप्रेक्षण किए गए थे जो निम्नलिखित है:–

> *"7. Jh e[kth dk nljk rd ;g g fd fdlh Hkh fLFkfr e mPp U;k;ky; ;g irk yxku d fy, fd D;k çR;fFk;k d fo#) dkb vkjki oèk :i l fojfpr fd;k tk ldrk Fkk] vfHky[k ij miyCèk lkexh dk otu fuèkkfjr vFkok vfèkefY;r dju dk dke Lo;a ij y ugh ldrk FkkA tc rd vfHk;Dr dk vijkèk d lkFk tkMu d fy, vfHky[k ij dN lkexh ekt n g] ekeyk tkjh j[kuk gkxk vkj*

mPp U;k;ky; dk bl fo'okl ij fd vfHk;ktu lQy gku dh lHkkouk ugh g] dk;okgh vof{kIr dju vFkok le;io lekIr dju dh vfèkdkfjrk ugh gA gekj er e] ;g Lohdkj fd, tku d fy, vR;Ur 0;kid çfriknuk gA nM çfØ;k lfgrk] 2 o"k 1974 dh èkkjk 227 çkoèkkfur djrh g fd%&

^^;fn ekey d vfHky[k vkj mld lkFk nh xb nLrkotk ij fopkj dj yu ij] vkj bl fufeÙk vkj vfHk;ktu d fuonu dh luokb dj yu d i'pkr U;k;kèkh'k ;g le>rk g fd vfHk;Dr d fo:) dk;okgh dju d fy, i;kIr vkèkkj ugh g rk og vfHk;Dr dk mUekfpr dj nxk vkj ,lk dju d viu dkj.kk dk y[kc) djxkA**

;g èkkjk ^^l= U;k;ky; d le{k fopkj.k** 'kh"kd oky vè;k; 18 e vrfo"V gA bl çkoèkku l ;g Li"V g fd l= U;k;ky; dk vfHk;Dr dk mUekfpr dju dh 'kfDr g ;fn vfHky[k dk ifj'khyu dju ,o i{kk dk luu d ckn ;g bl fu"d"k ij vkrk g fd nt fd, x, dkj.kk l vfHk;Dr d fo#) vxlj gku dk i;kIr vkèkkj ugh gA çkoèkku dk mí';] tk l= U;k;kèkh'k d fy, viuk dkj.k nt djuk vko';d cukrk g] mPprj U;k;ky; dk dkj.kk dh 'k) rk dk ijh{k.k dju d fy, l{ke cukuk g ft ld fy, l= U;k;kèkh'k u vfHkfuèkkfjr fd;k g fd vfHk;Dr d fo#) dk;okgh d fy, i;kIr vkèkkj g ;k ugh gA vr% mPp U;k;ky; l= U;k;kèkh'k }kjk viu vkn'k d leFku e fn, x, dkj.kk ij fopkj dju vkj Lo; d fy, fofuf'pr dju dk gdnkj g fd D;k ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e vkn'k U;k;kfpr gA u;h lfgrk dh èkkjk 482 tk lfgrk o"k 1898 dh èkkjk 561A d rRle g] çkoèkkfur djrk g fd%&

^^bl lfgrk dh dkb ckr mPp U;k;ky; dh ,l vkn'k nu dh vUrfufgr 'kfDr dk lhfer ;k iHkkfor dju okyh u le>h tk,xh tl bl lfgrk d vèkhu fdlh vkn'k dk iHkkoh dju d fy, ;k fdlh U;k;ky; dh vknf'kdk dk n:i;kx fuokfjr dju d fy, ;k vU;Fkk U;k; d mí';k dh ikfIr lfuf'pr dju d fy, vko';d gkA**

bl lex 'kfDr d ç;kx e] mPp U;k;ky; dk;okgh vfHk[kfMr dju dk gdnkj g ;fn ;g bl fu"d"k ij vkrk g fd dk;okgh tkjh j[ku dh vuefr nuk U;k;ky; dh çfØ;k dk n#i;kx gkxk vFkok fd U;k; dk mí'; vko';d cukrk g fd dk;okgh vfHk[kfMr dj nh tkuh pkfg,A mPp U;k;ky; dh vrfufgr 'kfDr;k dh 0;kofr] nkfMd ,o flfoy nkuk ekeyk e] ç'kluh; ykd ç;ktu çkIr dju d fy, jfpr dh x;h g fd U;k;ky; dh dk;okgh dk ij'kku vFkok mRihfMr dju d gfFk;kj d :i e ifjofrr gku ugh nh tkuh pkfg,A nkfMd ekey e] ix vfHk;ktu d ihN dk fNik mí';] lkexh ftl ij vfHk;ktu dh ljpuk vkèkkfjr g dh çÑfr U;k; d fgr e dk;okgh vfHk[kfMr dju e mPp U;k;ky; dk U;k;kfpr Bgjk,xA U;k; dk mí'; fofèk ek= d mí'; dh ryuk e mPprj g ;|fi foèkkueMy }kjk cuk;h x;h fofèk;k d vulkj U;k; çnku djuk gkxkA ;| lç{k.k dju dh ckè;dkjh vko';drk ;g g fd çkoèkku tk jkT; ,o bldh çtk d chp U;k; dju d fy, mPp U;k;ky; dh vrfufgr 'kfDr;k dk 0;koÙk djuk bfIlr djrk g d mí'; ,o ç;ktu d lefpr dk;kUo;u d fcuk bl fof'k"V vfèkdkfjrk dh 0;kidrk ,o j[kdu dk vfèkeY;u djuk vlHko gkxkA**

9. इंदर मोहन गोस्वामी बनाम उत्तरांचल राज्य, (2007)12 SCC 1, में यह संप्रेक्षित किया गया था कि न्यायालय को सुनिश्चित करना होगा कि दांडिक अभियोजन का उपयोग परेशानी के उपकरण के

रूप में अथवा निजी प्रतिशोध इप्सित करने के लिए अथवा अभियुक्त पर दबाव डालने के अंतरस्थ हेतु के साथ नहीं किया जाता है।

10. याचीगण के विरुद्ध किए गए अभिकथन स्पष्टत: दुश्मनी से उद्भूत होते हैं जो दोनों पक्षों के बीच विद्यमान थी, और प्रकटत: परिवादी-विरोधी पक्षकार सं॰ 2 ने अंतरस्थ हेतु के साथ अभियोजन आरंभ किया था जो वैवाहिक कटुता की ओर ले गया जिसे मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपने ससुरालवालों से प्रतिशोध लेने की दृष्टि से द्वेषपूर्ण अभियोजन माना जा सकता है। अन्यथा भी, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन परिवादी-विरोधी पक्षकार सं॰ 2 की दोषसिद्धि एवं अपील में इसकी पश्चातवर्ती संपुष्टि इस तथ्य को विश्वसनीयता प्रदान करता है कि परिवादी-विरोधी पक्षकार सं॰ 2 ने दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण अपनी पत्नी (याची सं॰ 3) को यातना दिया था और इस परिदृश्य पर विचार करते हुए, जैसा परिवादी-विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा अपनी दोषसिद्धि की पृष्ठभूमि में अपनी परिवाद याचिका में संगणित किया गया है, यह न्यायालय को यह निष्कर्षित करने की ओर ले जाएगा कि यह प्रकटत: याचीगण को परेशान एवं अभियोजित करने के लिए द्वेषपूर्ण अभियोजन का मामला है और याचीगण के विरुद्ध इसे जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

11. यहाँ ऊपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, मैं इस आवेदन में गुणागुण पाता हूँ। तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है। परिवाद मामला सं॰ C-210/2000 के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चतरा श्री महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा पारित आदेश जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 323, 379, 451, 452 एवं 504 के अधीन अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद् द्वारा अभिखंडित की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

श्रीमती भगवती देवी तुलसयान एवं अन्य

cuke

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं एक अन्य

W.P. (C) No. 1158 of 2015. Decided on 14th May, 2015.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 29 नियम 1 एवं 2—व्यादेश–संपत्ति के लिए अभिधान वाद–दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज वादीगण-अपीलार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामले का समवर्ती निष्कर्ष है–यथास्थिति का आदेश प्रश्नगत संपत्ति संरक्षित करने के लिए आशयित था और यह दोनों पक्षों के हित में था–पक्षों को वाद के अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। (पैरा 5)

अधिवक्तागण.–M/s Atanu Banerjee, Janak Kumar Mishra, For the Petitioners; M/s Rajesh Lala, Arpit Kumar, For the Respondents.

आदेश

विविध अपील सं॰ 107 वर्ष 2012 में पारित दिनांक 18.12.2014 के आदेश से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. याचीगण अभिधान वाद सं॰ 8 वर्ष 2012 में वादीगण हैं जिसे दिनांक 19.1.2012 को संस्थित किया गया था। प्रत्यर्थीगण उपस्थित हुए और दिनांक 3.7.2012 को अपना लिखित कथन दाखिल किया। विवाद मौजा राजापुरा, धनबाद में, भूखंड सं॰ 772 खाता सं॰ 77 से गठित भूमि के 79 डिसमिल से संबंधित है। वादीगण ने अनिल बौरी, ज्योति बौरी एवं मोती बौरी द्वारा निष्पादित दिनांक 20.2.1973 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के फलस्वरूप अनुसूची संपत्ति पर दावा किया है। अनिल बौरी अभिलिखित अभिधारियों की संतति से खरीदार था और ज्योति बौरी एवं मोती बौरी अभिलिखित अभिधारियों की संततियाँ हैं। प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 13.9.1976 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के फलस्वरुप किसी अजित कुमार दत्ता से वाद संपत्ति खरीदने का दावा किया है। अभिधान वाद सं॰ 8 वर्ष 2012 दाखिल करने का आसन्न वाद हेतुक चारदीवारी भंजित करने और स्वयं अपनी संपत्ति के साथ वाद अनुसूची संपत्ति को मिलाने की प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई बतायी गयी है। लंबित अभिधान वाद सं॰ 8 वर्ष 2012 में व्यादेश के लिए आवेदन दाखिल किया गया था, जिसमें प्रतिवाद पर विचारण न्यायालय ने पक्षों को ''यथास्थिति'' बनाए रखने का निर्देश देते हुए दिनांक 5.4.2012 का आदेश पारित किया। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए प्रत्यर्थीगण ने विविध अपील सं॰ 107 वर्ष 2012 दाखिल किया जिसे अनुज्ञात किया गया है। व्यथित होकर, याचीगण इस न्यायालय के पास आए हैं।

3. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अतानु बनर्जी निवेदन करते हैं कि विचारण न्यायालय ने वादीगण के पक्ष में ''प्रथम दृष्टया'' मामला पाया है, फिर भी इसने वादीगण के कब्जा में हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण को अवरुद्ध करते हुए व्यादेश पारित करने से इनकार कर दिया। अपीलीय आदेश का विरोध करते हुए यह निवेदन किया गया है कि अपीलीय न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया था कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज वादीगण के पक्ष में ''प्रथम दृष्टया'' मामले का निष्कर्ष विकृत अथवा अभिलेख पर मौजूद अभिवचनों के विपरीत था और इसलिए, अपीलीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) II, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 5.4.2012 के आदेश में हस्तक्षेप करने में न्यायोचित नहीं था। आगे यह निवेदन किया गया है कि अपीलीय न्यायालय ने प्रकटत: गलत निष्कर्ष दर्ज किया है और दिनांक 5.4.2012 के आदेश में हस्तक्षेप किया है क्योंकि वाद पत्र के पैराग्राफ सं॰ 18 एवं 24 में अभिकथित स्वीकरण का अपीलीय न्यायालय द्वारा गलत अर्थ लगाया गया है।

4. उक्त के विरुद्ध, प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश लाला निवेदन करते हैं कि सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXIX नियम 1 एवं 2 के अधीन आवेदन प्रथम दृष्टया मामले, सुविधा का संतुलन एवं वादीगण को अपूरणीय क्षति के सिद्धांत पर विनिश्चित करना होगा। विचारण न्यायालय दिनांक 5.4.2012 के आदेश में दर्ज निष्कर्षों के लिए कारण देने में विफल रहा। अपीलीय न्यायालय ने विस्तृत कारणों से दिनांक 5.4.2012 के आदेश में हस्तक्षेप किया। यह निवेदन किया गया है कि चूँकि वादीगण ने स्वयं स्वीकार किया है कि वे वाद संपत्ति पर काबिज नहीं हैं, सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXIX नियम एवं 2 के अधीन आवेदन सही प्रकार से अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। इन आधारों पर, यह निवेदन किया गया है कि विविध अपील सं॰ 107 वर्ष 2012 में दिनांक 18.12.2014 के आदेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. जहाँ तक अपने पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर पक्षों के दावा का संबंध है, वह अभिधान वाद सं॰ 8 वर्ष 2012 में विचारण न्यायालय के समक्ष विवाद्यक होगा। यह स्वीकार किया गया है कि पक्षों के बीच दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन कार्यवाही शुरू की गयी थी जिसे बाद में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही में सम्परिवर्तित किया गया था। वादीगण ने प्रतिवाद किया है कि दिनांक 20.2.1973 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के फलस्वरुप वाद अनुसूची संपत्ति पर उनके

काबिज होने के बाद उनके नाम में नामान्तरण किया गया है। वे वाद अनुसूची संपत्ति के लिए लगान का भुगतान कर रहे हैं और तद्नुसार, उनका नाम रजिस्टर II में आता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 5.4.2012 के आदेश में निष्कर्ष दर्ज किया है कि वादीगण के पक्ष में ''प्रथम दृष्टया'' मामला बनता है किंतु, जहाँ तक सुविधा के संतुलन का संबंध है, यह दोनों पक्षों के पक्ष में है। ऐसा निष्कर्ष दर्ज करने के बाद, विचारण न्यायालय ने आदेश दिया कि पक्षगण वाद के निपटान तक ''यथास्थिति'' बनाए रखेंगे। मैं पाता हूँ कि अपीलीय न्यायालय ने भी निष्कर्ष दर्ज किया है कि वादीगण के पक्ष में ''प्रथम दृष्टया'' मामला बनता है। इस प्रकार, दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज वादीगण के पक्ष में ''प्रथम दृष्टया'' मामले का समवर्ती निष्कर्ष है। अत:, अपीलीय न्यायालय ने पक्षों को ''यथा स्थिति'' बनाए रखने का निर्देश देते हुए दिनांक 5.4.2012 के आदेश में हस्तक्षेप करने में विधि की गंभीर गलती किया है। पक्षों के स्वीकृत मामले की दृष्टि में, इस चरण पर ''यथास्थिति'' का आदेश प्रश्नगत संपत्ति को संरक्षित करने के लिए आशयित था, अत:, यह दोनों पक्षों के हित में था। उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, दिनांक 18.12.2014 का अपीलीय आदेश अपास्त किया जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 5.4.2012 का आदेश वाद के अंतिम निपटान तक ''यथास्थिति'' बनाए रखने के पक्षों को निर्देश की सीमा तक अभिपुष्ट किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

कार्तिक महतो

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Cr.M.P. No. 1401 of 2005. Decided on 29th April, 2015

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 144 एवं 145—धारा 144 कार्यवाही का धारा 145 की कार्यवाही में संपरिवर्तन–चूँकि दोनों पक्ष विवादित भूमि पर कब्जा का दावा कर रहे हैं, कब्जा के तथ्य को विनिश्चित करने के लिए धारा 145 के अधीन कार्यवाही संपरिवर्तित करना वांछनीय है–पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उलटे जाने का आदेश अपास्त किया गया–यदि कब्जा ले लिया गया है, तब कब्जा की वापसी का निर्णय सिविल वाद में किया जा सकता है।

(पैराएँ 7 से 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Arvind Kumar Choudhary, For the Petitioner; Mr. Asif Khan, For the State; Mr. N. Kumar, For O.P. Nos. 2 to 5.

आदेश

यह याचिका दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 106 वर्ष 2003 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, देवघर द्वारा पारित दिनांक 22.9.2005 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा दांडिक विविध सं॰ 19 वर्ष 1996 में विद्वान कार्यपालक दंडाधिकारी, मधुपुर द्वारा पारित दिनांक 16.8.2003 का निर्देश अपास्त किया गया है।

2. दांडिक विविध सं॰ 19 वर्ष 1996 में कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष याची प्रथम पक्ष था जबकि ओ॰ पी॰ सं॰ 2 से 5 द्वितीय पक्ष था। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर देवघर जिला के अंतर्गत मौजा धनपलाशी में दाग सं॰ 130 जमाबंदी सं॰ 11 के अधीन 12 डिसमिल क्षेत्रफल वाले भूमि के टुकड़ा पर दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी थी।

3. दोनों पक्ष नोटिस के तामीले के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए और अपना परस्पर कारण बताओ दाखिल किया। चूँकि दोनों पक्ष विवादित भूमि पर अपने कब्जा का दावा कर रहे हैं, दिनांक 4.9.1992 के आदेश के तहत कार्यवाही दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन संपरिवर्तित की गयी थी। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही के संपरिवर्तन के बाद पक्ष उपस्थित हुए थे और अपना परस्पर लिखित कथन दाखिल किया था और साक्ष्य दिया था। पक्षों को सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्य पर विचार करने के बाद विद्वान कार्यपालक दंडाधिकारी ने याची प्रथम पक्ष के पक्ष में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन दिनांक 16.8.2003 का आदेश पारित किया है।

4. दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 106 वर्ष 2003 के तहत विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष विरोधी/द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्वोक्त आदेश को चुनौती दिया गया था। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 106 वर्ष 2003 में पारित दिनांक 22.9.2005 के आदेश द्वारा दांडिक विविध सं॰ 19 वर्ष 1996 में पारित दिनांक 16.8.2003 के आदेश को अपास्त किया है, अतः यह दांडिक विविध याचिका दाखिल की गयी है।

5. यह प्रतिवाद किया गया है कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले के गुणागुण पर पुनरीक्षण विनिश्चित नहीं किया है, बल्कि केवल इस आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया है कि दिनांक 4.9.1992 के आदेश द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही का संपरिवर्तन अवैध था, अतः, आगे की कार्यवाही एवं आदेश भी अवैध है। यह इंगित किया गया है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही के संपरिवर्तन के बाद द्वितीय पक्ष ने दिनांक 4.9.1992 के आदेश को चुनौती नहीं दिया है बल्कि कार्यवाही में भाग लिया है। यह निवेदन करना अनावश्यक है कि दिनांक 4.9.1992 का आदेश पुनरीक्षण योग्य था और उस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण दाखिल किया जाना चाहिए था किंतु ऐसा नहीं किया गया था। चूँकि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने गुणागुण पर विवाद्यक विनिश्चित नहीं किया है, आक्षेपित आदेश बिल्कुल गलत एवं अपास्त किए जाने का दायी है।

6. द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि पुनरीक्षण न्यायालय को मामले के जड़ तक जाने की प्रत्येक अधिकारिता है। यदि अवैधता थी, न्यायालय मामले पर विचार करने के लिए सशक्त है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन आरंभ की गयी कार्यवाही में द्वितीय पक्ष की भागीदारी अवैध उपधारित नहीं की जाएगी और न ही इसे त्यजन का कृत्य माना जा सकता था। ऐसी परिस्थिति में, इस याचिका में गुणागुण नहीं है और यह खारिज किए जाने की दायी है।

7. मैंने मामला अभिलेख एवं संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया है। विद्वान कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा पारित दिनांक 16.8.2003 के आदेश से प्रतीत होता है कि दिनांक 23.6.1992 की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर 12 डिसमिल माप वाली दाग सं॰ 130, जमाबंदी सं॰ 11 के अधीन विवादित भूमि के संबंध में दिनांक 7.7.1992 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी थी। पक्षों को नोटिस तामील किया गया था, वे उपस्थित हुए और विवादित भूमि पर अपना अधिकार, अभिधान एवं कब्जा दर्शाते हुए अपना परस्पर कारण बताओ दाखिल किया। दिनांक 4.9.1992 को विद्वान दंडाधिकारी द्वारा मामला सुना गया था। चूँकि दोनों पक्ष विवादित भूमि पर अपने कब्जा का दावा कर रहे थे, कब्जा के तथ्य को विनिश्चित करने के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही संपरिवर्तित करना वांछनीय था।

8. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने इन समस्त पहलूओं पर विचार नहीं किया है कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी थी जो स्वयं विवादित भूमि से संबंधित पक्षों के बीच शांति का भंग उपदर्शित कर रही थी। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने कब्जा का तथ्य विनिश्चित करने के लिए इसका ध्यान नहीं लिया है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही आवश्यक है। चूँकि पक्षगण विवादित भूमि पर अपने कब्जा का दावा कर रहे थे, विद्वान दंडाधिकारी ने

दिनांक 4.9.1992 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही संपरिवर्तित किया है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही के संपरिवर्तन के बाद पक्षगण उपस्थित हुए थे और अपने लिखित कथनों को दाखिल किया था। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य पर विचार करने के बाद विद्वान कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 (4) के अधीन दिनांक 16.8.2003 का आदेश पारित किया गया था।

विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले के गुणागुण पर विचार किए बिना पुनरीक्षण आवेदन इस आधार पर विनिश्चित किया है कि शांति भंग होने की आशंका नहीं थी, अतः, दिनांक 4.9.1992 के आदेश के तहत दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही संपरिवर्तित करने का अवसर विद्वान दंडाधिकारी के पास नहीं था। विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्य एवं दस्तावेज पर चर्चा नहीं किया था और मामला गुणागुण पर विनिश्चित नहीं किया गया है। उस दृष्टिकोण में, आक्षेपित आदेश विधि में दोषपूर्ण है जिसे संपोषित नहीं किया जा सकता है।

9. मामले के इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए मैं इस याचिका को अनुज्ञात करने का इच्छुक हूँ और तद्नुसार, दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 106 वर्ष 2003 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 22.9.2005 का आदेश इस संप्रेक्षण के साथ अपास्त किया जाता है कि व्यथित पक्ष में से कोई भी विवादित भूमि के संबंध में अपने दावा/शिकायत को दूर करने के लिए सिविल वाद दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि व्यथित पक्ष को अपने अधिकार, अभिधान, हित एवं कब्जा का दावा करना चाहिए। यदि कब्जा गवाँ दिया जाता है, तब कब्जा की वापसी इस याचिका में इस न्यायालय द्वारा किए गए किसी संप्रेक्षण से पूर्वाग्रहग्रस्त हुए बिना सिविल वाद में विनिश्चित की जा सकती है।

11. तद्नुसार, यह दांडिक विविध याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

सौतन बाला देवी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 604 of 2006. Decided on 15th April, 2015.

छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908—धाराएँ 46 एवं 46 (4A)—भूमि से अभिकथित बेदखली–याची मूल आवेदक की संतति है–आवेदन 12 वर्ष की अवधि के परे दाखिल किया गया था और पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा खारिज किया गया था–मूल आवेदक ने विक्रय विलेखों का रद्दकरण इप्सित करते हुए मामला कभी नहीं दाखिल किया–जब मूल आवेदक ने स्वयं बेदखली का दावा किया था, मूल आवेदक अथवा उसकी संततियों को लगान रसीद जारी करने का प्रश्न ही नहीं है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 5, 6 एवं 8)

अधिवक्तागण.–M/s. A.K. Rashidi, R.R. Ravidas, For the Petitioners; Mr. A.K. Verma, For the Resp.-State; Mr. Nehru Mahto, For the Resp. Nos. 3 to 9.

आदेश

भूमि व्यवस्थापन पुनरीक्षण सं॰ 69 वर्ष 1999 में पारित दिनांक 20.1.2004 के आदेश से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि दिनांक 16.12.1993 को सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 46 के अधीन भूखंड सं॰ 597 में गठित भूमि से अवैध बेदखली का दावा करते हुए आवेदन दाखिल किया गया था। मूल याची ने दावा किया कि राजस्व अभिलेख में रैयतों के रूप में उसके पूर्वजों का नाम दर्ज किया गया था और वे प्रश्नगत भूमि पर काबिज बने रहे किंतु, आवेदन दाखिल किए जाने के लगभग 10 वर्ष पहले उसे प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर दिया गया था। सब-डिविजनल अधिकारी के समक्ष, दिनांक 29.6.1981 एवं दिनांक 13.5.1985 के विक्रय विलेखों, जिसके माध्यम से 0.10 1/2 एवं 0.20 एकड़ भूमि विरोधी पक्षकारों द्वारा अर्जित की गयी थी, को विरोधी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आवेदन अनुज्ञात किया गया था और प्रत्यर्थियों द्वारा आर॰ ए॰ एन॰ केस सं॰ 12/1998 के तहत दाखिल अपील दिनांक 6.11.1999 को खारिज की गयी थी। इसे चुनौती देते हुए, विरोधी पक्षकारों/प्रत्यर्थियों ने भूमि पुनर्स्थापन पुनरीक्षण मामला सं॰ 69 वर्ष 1999 दाखिल किया। पुनरीक्षण मामले की कार्यवाही के दौरान सब-डिविजनल अधिकारी से अभिलेख मंगाया गया था और अंचलाधिकारी को स्थल का निरीक्षण करने एवं रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची एवं उसके पूर्वज प्रश्नगत भूमि पर काबिज बने रहे जो वर्ष 2012 तक जारी लगान रसीदों से स्पष्ट है। विरोधी पक्षकार/प्रत्यर्थीगण यह दावा करने के लिए कि वे प्रश्नगत भूमि पर काबिज थे, लगान रसीदों के सिवाए किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने में विफल रहे और इस प्रकार, दोनों पक्ष लगान रसीदों के आधार पर कब्जा का दावा कर रहे हैं। विधिक कब्जा एवं रजिस्टर II जिसमें याची के पूर्वजों का नाम आता है के अभिलेख की दृष्टि में याची का दावा सही प्रकार से दोनों प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया गया था किंतु पुनरीक्षण प्राधिकारी ने गलत रूप से तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि चूँकि विरोधी पक्षकारों ने विक्रय विलेखों के आधार पर दावा किया है जिन्हें याची की बेदखली के 12 वर्ष के भीतर निष्पादित किया गया था, सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 46 के अधीन आवेदन सही प्रकार से अनुज्ञात किया गया था।

5. उक्त के विरुद्ध, प्रत्यर्थी सं॰ 3 से 9 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 46 (4A) के परन्तुक की दृष्टि में, चूँकि दिनांक 16.12.1993 को दाखिल आवेदन 12 वर्ष की अवधि के परे था, पुनरीक्षण प्राधिकारी ने सही प्रकार से याची का दावा खारिज किया है, जहाँ तक दिनांक 29.6.1981 के विक्रय विलेख से गठित भूमि का संबंध है।

6. अभिलेख पर लायी गयी सामग्रियों से यह प्रकट है कि याची मूल आवेदक की संतति है। सब-डिविजनल अधिकारी ने यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए कि दिनांक 29.6.1981 एवं दिनांक 13.5.1985 के विक्रय विलेख कूटरचित एवं मनगढ़ंत थे, मूल आवेदक का आवेदन अनुज्ञात किया। यह स्वीकृत अवस्था है कि वे विक्रय विलेख रजिस्टर्ड विक्रय विलेख हैं और मूल आवेदक ने दिनांक 29.6.1981 एवं दिनांक 13.5.1985 के विक्रय विलेखों का रद्दकरण इप्सित करते हुए मामला कभी नहीं दाखिल किया और इस प्रकार, सब-डिविजनल अधिकारी ने विरोधी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेखों पर अविश्वास करने में विधि की गंभीर गलती किया। आगे यह प्रतीत होता है कि अंचलाधिकारी ने दिनांक 20.10.2003 का रिपोर्ट प्रस्तुत किया और कथन किया कि दिनांक 29.6.1981 के विक्रय विलेख से गठित भूमि पर किसी बुधन महतो ने चार कमरों वाला घर निर्मित किया है और पानी का बोरवेल भी वहाँ पाया गया है। मामला सं॰ 5 वर्ष 1993 की कार्यवाही में राजस्व कर्मचारी ने रिपोर्ट भी किया है कि विवादित भूमि

पर बुधन महतो ने घर निर्मित किया है और वह वहाँ रह रहा है। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने पाया है कि आवेदन समय वर्जित था, जहाँ तक दिनांक 29.6.1981 के विक्रय विलेख का संबंध है।

7. सी० एन० टी० अधिनियम की धारा 46 (4A) नीचे उद्धृत की जाती है:–

"(4A) (a) mik;Dr Lo; viu çLrko ij vFkok bl vkèkkj ij fd mièkkjk (1) d f}rh; ijUrd d [kM (a) d mYy?ku e vrj.k fd;k x;k Fkk] vrj.k ckfry dju d fy, viu le{k vfèkHkkxh j;r tk vulfpr tkfr dk lnL; g }kjk nkf[ky vkonu ij ;g fofuf'pr dju d fy, fofgr rjhd l tkp dj ldrk g fd D;k vrj.k mièkkjk (1) d f}rh; ijUrd d [kM (a) d mYy?ku e fd;k x;k g%

ijUr ;g fd mik;Dr }kjk ,lk vkonu xg.k ugh fd;k tk, tcrd bl viuh èkfr vFkok mld fdlh v'k d vrj.k dh frfFk l 12 o"kk dh vofèk d Hkhrj vfèkHkkxh&j;r }kjk nkf[ky ugh fd;k tkrk gA

ijUr vkx ;g fd bl mièkkjk d [kM (b) vFkok [kM (c) d vèkhu dkb vkn'k ikfjr dju d igy mik;Dr lcfèkr i{kk dk ekey e lu tku dk ;fDr;Dr volj nxkA

(b) bl mièkkjk d [kM (a) e fufn"V tkp dju d ckn ;fn mik;Dr ikrk g fd ,lk vrj.k dju e mièkkjk (1) d f}rh; ijUrd d [kM (a) dk mYy?ku ugh gvk Fkk] og vkonu vLohdkj djxk vkj vrjd }kjk vrfjrh dk Hkxrku fd;k tku okyk ,lk 0;; vfèkfu.khr djxk tlk og ekey dh ifjfLFkfr;k e l;kX; le>rk gA

(c) bl mièkkjk d [kM (a) e fufn"V tkp dju d ckn ;fn mik;Dr ikrk g fd ,lk vrj.k mièkkjk (1) d f}rh; ijUrd d [kM (a) d mYy?ku e fd;k x;k Fkk] og vrj.k ckfry djxk vkj vrfjrh dk ,lh èkfr vFkok mld v'k] ;FkkfLFkfr l cn[ky djxk vkj vrjd dk bldk dCtk nxkA

ijUr ;g fd ;fn vrfjrh u ,lh èkfr vFkok mld v'k ij dkb Hkou vFkok ljpuk dk fuek.k fd;k g] mik;Dr] ;fn vrjd bld eY; dk Hkxrku dju dk bPNd ugh g] vrfjrh dk vkn'k dh frfFk l Ng ekg dh vofèk d Hkhrj] vFkok vkn'k dh frfFk l nk o"k d ij ugh ,l c<k, x, le; d Hkhrj] tlk mik;Dr vuefr n ldrk g] bl gVku dk vkn'k n ldrk g ftle foQy gku ij mik;Dr ,lk Hkou ;k ljpuk gVk ldrk g%&

ijUr vkx ;g fd tgk mik;Dr lrq"V g fd vrfjrh u NkVkukxij] vfHkèkfr (l'kkèku) vfèkfu;e] 1969 (jk"Vifr dk vfèkfu;e 4 o"k 1969) d vkjHk gku d igy ,lh èkfr vFkok mld v'k ij lkjoku lj puk vFkok Hkou dk fuek.k fd;k g] og bl vfèkfu;e d fdlh vU; çkoèkku d ckotn mièkkjk (1) e f}rh; ijUrd d [kM (a) d mYy?ku e fd, x, ,l vrj.k dk oèk cuk ldrk g ;fn vrfjrh vrjd dk fudV e lerY; eY; dh odfYid èkfr vFkok mldk v'k] ;FkkfLFkfr] miyCèk djkrk g vFkok vrjd d iuokl d fy, mik;Dr }kjk fofuf'pr fd;k tku okyk i;klr evkotk dk Hkxrku djrk gA

> ***Li"Vhdj.k**&bl èkkjk e ^^lkjoku ljpuk vFkok Hkou** l vfHkçr g tkp dju dh frfFk ij ikp gtkj #i;k l vfèkd eY; dh ljpuk vFkok Hkou] fdr ;g fdlh eY; dh ,lh ljpuk vFkok Hkou lfEefyr ugh djrk g ftldh lkexh bld eY; e lkjoku voeY;u mixr fd, fcuk gVk;h ugh tk ldrh gA***

8. पुनरीक्षण प्राधिकारी ने तिथि अर्थात् दिनांक 16.12.1993 जिस पर आवेदन दाखिल किया गया था और 0.20 एकड़ भूमि के संबंध में विक्रय विलेख की तिथि अर्थात् दिनांक 29.6.1981 को ध्यान में लेते हुए सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया है कि आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित है और परिणामस्वरुप दिनांक 13.5.1985 के विक्रय विलेख में गठित भूमि के सिवाए प्रत्यर्थियों का दावा अनुज्ञात किया। न्यायालय पर यह प्रभाव डालने के लिए कि याची काबिज बनी रही है, दिनांक 7.2.2008 के पूरक शपथ पत्र में दिए गए बयान पर याची के अधिवक्ता द्वारा किया गया विश्वास सारहीन है। दिनांक 16.6.1993 के आवेदन में मूल आवेदक ने स्वयं बेदखली का दावा किया है और, इसलिए, मूल आवेदक अथवा उसकी संततियों को तत्पश्चात् लगान रसीद जारी किए जाने का प्रश्न ही नहीं है। मैं दिनांक 20.1.2004 के आदेश में दुर्बलता नहीं पाता हूँ और तद्नुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn] U;k;efr

सत्यानंद भोक्ता उर्फ सत्यानंद

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No. 1497 of 2014. Decided on 17th April, 2015.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988—धारा 19—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 197—लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी–जब अभिकथित कृत्य किए गए थे, याची कृषि मंत्री था किंतु परिवाद दाखिल किए जाने अथवा संज्ञान लिए जाने के समय पर वह मंत्री पद कभी नहीं धारण कर रहा था–तद्द्वारा पी॰ सी॰ अधिनियम की धारा 19 के निबंधनानुसार कोई मंजूरी प्राप्त करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है–याची के विरुद्ध अभिकथन दुर्विनियोग, छल, कूटरचना और षडयन्त्र का है जिन कृत्यों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया कभी नहीं कहा जा सकता है और धारा 197 के अधीन मंजूरी आवश्यक नहीं थी–आवेदन खारिज। (पैराएँ 24, 26 एवं 27)

निर्णयज विधि.–(2007)1 SCC 1—Relied; AIR 1996 SC 901; (2013)10 SCC 705; (2008)5 SCC 668—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s. Anil Kumar Sinha, Lukesh Kumar, For the Petitioners; Mr. Shailesh, For the Vigilance.

आदेश

यह आवेदन विशेष केस सं॰ 15 (B) वर्ष 2009 में विशेष न्यायाधीश, निगरानी, राँची द्वारा पारित दिनांक 30.1.2014 के आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 11, 12, 13, 15 के अधीन और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 409, 423, 424, 465,

467, 469, 471, 477A, 109, 201 एवं 120B के अधीन भी दंडनीय अपराधों के लिए याची के विरुद्ध संज्ञान लिया गया है सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है।

2. आरंभ में परिवादी द्वारा कृषि मंत्री नलिन सोरेन तथा निस्तर मिंज, तत्कालीन कृषि निदेशक के विरुद्ध उसमें यह अभिकथित करते हुए परिवाद दर्ज किया गया था कि जब झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, सरकार ने कृषि की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएँ आरंभ किया किंतु अभियुक्तों ने अपने पदों का दुरुपयोग करके अनेक कृत्य किया जिसके द्वारा बीज की आपूर्ति के मामले में कतिपय फर्मों पर कृपा की गयी थी जिससे अभियुक्तों ने राशि का दुरुपयोग एवं दुर्विनियोजन करके राज्य सरकार को हानि कारित किया।

3. यह भी अभिकथित किया गया है कि वर्ष 2006 में जब 'संकर धान बीज क्रय योजना' को लाया गया था, अभियुक्तों ने सरकार के मानकों के उल्लंघन में बीज की आपूर्ति के लिए मेसर्स नाफेद एवं मेसर्स नेरामेक को आपूर्ति आदेश दिया जो बीज का उत्पादन करने वाली कंपनियाँ नहीं थे।

4. पूर्वोक्त परिवाद इसके संस्थापन एवं अन्वेषण के लिए निगरानी पुलिस थाना भेजा गया था जिस पर निगरानी मामला सं॰ 11 वर्ष 2009 दर्ज किया गया था। जब इसका अन्वेषण शुरू किया गया था, बीज की खरीद के मामले में इस याची की सह-अपराधिता भी पायी गयी थी, जो कृषि एवं गन्ना मंत्री के पद पद श्री नलिन सोरेन के बाद आसीन हुआ जिसमें यह पाया गया था कि याची ने खुली निविदा की प्रक्रिया का सहारा लिए बिना सरकारी नीति के उल्लंघन में मेसर्स नाफेद एवं मेसर्स नेरामेक से बीज खरीदने की अनुशंसा किया था। इसके पहले जब उनको आपूर्ति आदेश जारी किया गया था, इसे इस अनुबंधन के साथ जारी किया गया था कि यदि आपूर्ति किए गए बीजों को विधिक स्रोतों से प्राप्त किया गया नहीं पाया जाएगा, उन्हें धन वापस करना होगा। जब बीजों की आपूर्ति की गयी थी, यह पाया गया था कि इन्हें बीज उत्पादित करने वाले फर्म से प्राप्त नहीं किया गया था। जब याची ने मंत्री पद धारण किया, उनको आपूर्ति आदेश देने का प्रस्ताव परिचर्या के लिए प्रस्तुत किया गया था, कृषि निदेशक द्वारा फाइल में नोटिंग के माध्यम से याची के ध्यान में यह लाया गया था कि इन दो कंपनियों का आचरण बिल्कुल संदेहास्पद था, फिर भी याची उनको आपूर्ति आदेश देने का आशय रखता था। अत:, कृषि निदेशक ने याची की इच्छा के मुताबिक बाद में अनुकूल नोट तैयार किया जिस पर पुन: इन दो कंपनियों को आपूर्ति आदेश देने की अनुशंसा की गयी थी यद्यपि खरीद कमिटी ने एस॰ एफ॰ सी॰ आई॰ को न्यूनतम दर उद्धृत करता पाया और तद्द्वारा कीमत कम करने के लिए उसके साथ बातचीत करने का प्रस्ताव दिया गया था ताकि बीजों की आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों को आदेश दिया जा सके किंतु इस नोट को अनदेखा करते हुए उन दो कंपनियों को आपूर्ति आदेश देने के लिए याची द्वारा अनुशंसा की गयी थी और उस कारण सरकार को भारी हानि कारित की गयी थी।

5. आगे यह पाया गया था कि मेसर्स नाफेद एवं मेसर्स नेरामेक को आपूर्ति आदेश देने के लिए याची द्वारा अनुशंसा किए जाने के पहले उन दो फर्मों को पक्षों के बीच निष्पादित एम॰ ओ॰ यू॰ के आधार पर आपूर्ति आदेश दिया गया था जो उस वर्ष विशेष के लिए प्रयोज्य था। बाद में, विभाग के ध्यान में आया कि वे दो कंपनियाँ बीज उत्पादित करने वाली कंपनियाँ कभी नहीं थी बल्कि उन्होंने अन्य स्रोत से बीज प्राप्त करने के बाद आपूर्ति किया था जो सरकारी नीति के विरुद्ध थी। उसके बावजूद, विभाग खुली निविदा की प्रक्रिया अपनाये बिना याची की प्रेरणा पर उन्हीं कंपनियों को आपूर्ति आदेश दिया और तद्द्वारा याची

ने सरकारी खजाने की कीमत पर उन कंपनियों को लाभ देने के लिए अपने आधिकारिक हैसियत का दुरुपयोग किया।

6. आगे यह पाया गया था कि आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि जो किसानों के खातों में जमा किए जाने के लिए आशयित थी अपयोजित की गयी थी और आपदा प्रबंधन विभाग से सहमति प्राप्त किए बिना उन कंपनियों को धनीय लाभ पहुँचाने के लिए बीज खरीदने के लिए उपयोगित की गयी थी।

7. उन अभिकथनों के कारण यह अभिकथित किया गया था कि याची ने भारतीय दंड संहिता के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन भी अनेक अपराध किया था और तद्द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, जिस पर दिनांक 30.1.2014 के आदेश के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया था जो चुनौती के अधीन है।

8. याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा निवेदन करते हैं कि याची को वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है यद्यपि याची ने कृषि मंत्री के रूप में कार्य करते हुए राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय को निबंधनानुसार एवं आम जनता के हित में उन सरकारी कंपनियों को आपूर्ति आदेश देने की अनुशंसा की थी।

9. इस संबंध में, यह निवेदन किया गया था कि सद्विश्वास में लिए गए नीतिगत निर्णय को भले ही अनुचित पाया जाता है, फिर भी ऐसे किसी अभिकथन की अनुपस्थिति में कि ऐसी नीति स्वयं को धनीय लाभ पहुँचाने के लिए अथवा अन्य को धनीय लाभ देने के लिए अपनायी गयी थी जो अभिकथन इस मामले में अनुपस्थिति है, किसी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अभियोजित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मेसर्स नाफेद एवं मेसर्स नेरामेक सहित सरकारी उपक्रमों से बीज खरीदने के लिए लिया गया नीतिगत निर्णय इस न्यायालय द्वारा पूर्णत: न्यायोचित पाया गया था जब उक्त नीतिगत निर्णय को जनहित याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 2928 वर्ष 2009 में चुनौती दी गयी थी। यदि उसे इस न्यायालय द्वारा पूर्णत: समुचित पाया गया था, निगरानी को इस अभिवचन पर कि नीतिगत निर्णय वित्तीय नियमों एवं सरकारी नीति के विरुद्ध था, याची को अभियोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

10. इस संबंध में, यह कथन भी किया गया था कि वित्तीय नियमों का गैर-पालन अवयवों जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराध गठित करते हैं की अनुपस्थिति में किसी के लिए दांडिक दायित्व आवश्यक नहीं बनाएगा और कि बीजों की खरीद के मामले में याची द्वारा जो कोई भी अनुशंसा की गयी थी, वह अत्यावश्यकता के कारण किया गया था क्योंकि उस समय पर राज्य सूखा ग्रस्त था।

11. आगे यह निवेदन किया गया था कि यह अभिकथन भी किया गया था कि आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि का उपयोग बीज खरीदने के लिए किया गया है किंतु ऐसा करके कोई अवैधता नहीं की गयी है क्योंकि भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के बीच कृषि आपात सहायिकी के विरुद्ध बीजों के वितरण के लिए अनुदेश जारी किया था। बाद में, आपदा प्रबंधन विभाग ने भी किसानों को अधिक से अधिक बीज देने के लिए वर्ष 2005 में अनुदेश दिया था और इस स्थिति के अधीन, अनुमोदित दर पर सरकारी संस्थानों से बीज खरीदने का निर्णय लिया गया था। वे उपक्रम मेसर्स नाफेद एवं मेसर्स नेरामेक भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन हैं जिनसे पहले भी बीज खरीदा गया था और

कि निगरानी की ओर से यह अभिकथन करना गलत है कि निविदा आमंत्रित नहीं की गयी थी क्योंकि हित की अभिव्यक्ति पर विभिन्न बीजों की आपूर्ति के लिए सरकारी एजेंसियों एवं अन्य रजिस्टर्ड सोसाइटियों को आमंत्रित करते हुए स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से हित पत्र आमंत्रित किया गया था।

12. इस प्रकार, यह निवेदन किया गया था कि आरोप-पत्र में जो भी अभिकथन हैं, उनमें से कुछ ताथ्यिक रूप से सही नहीं हैं और कुछ अभिकथन कोई भी अपराध गठित नहीं करते हैं और तद्द्वारा संज्ञान लेने वाला आदेश दोषपूर्ण है।

13. आगे यह निवेदन किया गया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के निबंधनानुसार अथवा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अधीन किसी मंजूरी की अनुपस्थिति में संज्ञान लेने वाला आदेश दोषपूर्ण है क्योंकि याची कृषि मंत्री होने के नाते लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए अभिकथित रूप से इन कृत्यों को किया था। इस संबंध में, **आर॰ बालाकृष्ण पिल्ले बनाम केरल राज्य, AIR 1996 SC 901,** को निर्दिष्ट किया गया था।

14. आगे विद्वान वरीय अधिवक्ता **अनिल कुमार बनाम एम॰ के॰ अय्यप्पा, (2013)10 SCC 705,** में दिए गए निर्णय पर विश्वास करके निवेदन करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के निबंधनानुसार अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अधीन मंजूरी की अनुपस्थिति में न्यायालय को परिवाद याचिका ग्रहण नहीं करना चाहिए था और तद्द्वारा इसने परिवाद को इसके संस्थापन एवं अन्वेषण के लिए निगरानी पुलिस थाना के पास भेजने में अवैधता किया और इसलिए, यदि मामले के संस्थापन का आधार ही दोषपूर्ण है, संज्ञान लेने वाले आदेश को निश्चय ही दोषपूर्ण कहा जा सकता है और तद्द्वारा यह अपास्त किए जाने योग्य है।

15. इसके विरुद्ध, निगरानी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेष निवेदन करते हैं कि याची कृषि एवं गन्ना विकास मंत्री हुआ करता था और उसने दिनांक 19.4.2005 से दिनांक 13.9.2005 तक ऐसा पद धारण किया था जिसके दौरान वह अपने पदपूर्वाधिकारी के अवैध कृत्यों को आगे ले गया और तद्द्वारा राज्य को करोड़ों रुपयों की हानि कारित किया जिसके द्वारा फर्मों/कंपनियों से जो बीज उत्पादित करने वाली कंपनी कभी नहीं थे से निम्नस्तरीय बीज खरीदा गया था।

16. आगे यह निवेदन किया गया था कि पहले भी मेसर्स नाफेद एवं मेसर्स नेरामेक से बीज खरीदे गए थे किंतु उनको आपूर्ति आदेश देते हुए उनसे वचन लिया गया था कि यदि यह पाया जाएगा कि आपूर्ति किए गए बीजों को वैध स्रोत से प्राप्त नहीं किया गया था, वे धन वापस करने के दायी होंगे। जब बीजों की आपूर्ति की गयी थी, यह पाया गया था कि बीजों को वैध स्रोत से प्राप्त कभी नहीं किया गया था और कि वे उपक्रम बीज उत्पादित करने वाली कंपनियाँ कभी नहीं थे और इसलिए, जब याची के समय पर उनको आपूर्ति आदेश देने के लिए मामला लाया गया था, बीज खरीदने के लिए उन दोनों उपक्रमों को प्राथमिकता नहीं देने के लिए फाइल में कृषि निदेशक द्वारा आपत्ति की गयी थी, किंतु याची की प्रेरणा पर कृषि निदेशक को उन उपक्रमों के अनुकूल एक अन्य नोट देने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा नोट दिए जाने पर, उन दोनों उपक्रमों से बीज खरीदने की अनुशंसा की गयी थी, यद्यपि पहले यह पाया गया था कि न तो वे उत्पादक थे और न ही उन्होंने वैध स्रोत से बीज प्राप्त किया था जो सरकारी नीति के विरुद्ध था, फिर भी उन दोनों उपक्रमों को प्राथमिकता दी गयी थी। पक्षों के बीच हुए एम॰ ओ॰ यू॰ के आधार पर उनको पहले भी आपूर्ति आदेश दिया गया था जो केवल एक वर्ष के लिए वैध था उनको पहले भी आपूर्ति आदेश दिया गया था जो केवल एक वर्ष के लिए वैध था और वह भी तब जब खरीद

कमिटी ने फाइल पर टिप्पणी किया था कि एस॰ एफ॰ सी॰ आई॰ सबसे कम की बोली लगाने वाला था जिसके साथ दर पर बातचीत की जा सकती है और यदि बातचीत पर दर कम किया जाता है, तब अन्य फर्मों को उस दर पर बीज की आपूर्ति के लिए कहा जा सकता था, किंतु इन सबों को अनदेखा करते हुए याची ने पहले निष्पादित किए गए एम॰ ओ॰ यू॰ के आधार पर उन दोनों फर्मों से बीज खरीदने के लिए अनुशंसा किया और तद्द्वारा सरकार को भारी हानि कारित किया।

17. आगे यह निवेदन किया गया था कि कृषि मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन विभाग से भारी राशि प्राप्त किया था ताकि किसानों के खातों में राशि जमा की जा सके किंतु याची की प्रेरणा पर उस राशि को उस वर्ष के लिए बीज खरीदने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की सहमति लिए बिना अपयोजित किया गया था, यद्यपि पूर्व अवसर पर निधि अपयोजित करने के लिए सहमति ली गयी थी और इसलिए, इन परिस्थितियों के अधीन, याची की सह अपराधिता दर्शाने के लिए न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सामग्री थी और तद्द्वारा न्यायालय ने याची के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेने में कोई अवैधता नहीं किया था।

18. आगे यह निवेदन किया गया था कि जब अपराध का संज्ञान लिया गया था, याची कृषि मंत्री का पद धारण कभी नहीं कर रहा था और तद्द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन की पूर्व मंजूरी लेने का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है।

19. इसी प्रकार, धारा 197 में अंतर्विष्ट प्रावधान अभियोजन की मंजूरी अनुध्यात नहीं करता है यदि कोई दांडिक षडयंत्र अथवा कूटरचना के अपराध के अधीन दुर्विनियोग का अपराध करता है क्योंकि वे कृत्य लोक सेवक के कर्तव्य का भाग कभी नहीं है और तद्द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के समय पर अभियोजन के लिए मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं थी और इस प्रकार, यह निवेदन किया गया था कि संज्ञान लेने वाला आदेश बिल्कुल विधि के अनुरुप हैं जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता कभी नहीं है।

20. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर मैं पाता हूँ कि जब परिवाद दाखिल किया गया था, इसे इस याची के पद पूर्वाधिकारी कृषि मंत्री नलिन सोरेन के विरुद्ध और तत्कालीन कृषि निदेशक के विरुद्ध भी दाखिल किया गया था। किंतु, अन्वेषण के दौरान, निगरानी ने पाया था कि कृषि मंत्री की हैसियत से याची द्वारा कतिपय कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा पूर्वोक्त दोनों कंपनियों मेंसर्स नाफेद एवं मेसर्स नेरामेक को आपूर्ति आदेश देने के लिए अनुशंसा की गयी थी जो कृत्य याची के अनुसार अवैध कभी नहीं था और न ही इसमें कुछ गलत था किंतु निगरानी के अनुसार वे कृत्य पूर्वोक्त कंपनियों के साथ षडयंत्र अथवा दुरभिसंधि में किए गए थे और तद्द्वारा सुनिश्चित मानकों से विपथित होकर और विभाग के अधिकारी द्वारा की गयी आपत्ति के विरुद्ध उन पर कृपा की गयी थी जिसके द्वारा सरकार को भारी हानि कारित की गयी थी।

21. इन परिस्थितियों के अधीन, इस न्यायालय से यह निष्कर्ष देने के लिए कि क्या याची का कृत्य सद्भावपूर्ण था अथवा अन्यथा यह अंतरस्थ कारणों से उन फर्मों पर कृपा करने के लिए था, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग करने की उम्मीद कभी नहीं की जाती है बल्कि विचारण के दौरान इस पर विचार किया जा सकता है।

22. याची की ओर से इस प्रभाव का निवेदन भी किया गया था कि न्यायालय ने **मकसूद सैय्यद बनाम गुजरात राज्य, (2008)5 SCC 668** एवं **अनिल कुमार बनाम एम॰ के॰ अयप्पा (ऊपर)** मामलों में उनमें यह अभिनिर्धारित करते हुए कि पूर्व मंजूरी की अनुपस्थिति में दंडाधिकारी दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 156 (3) के अधीन शक्ति का अवलंब लेते हुए लोक सेवक के विरुद्ध अन्वेषण का आदेश नहीं दे सकता है, इनमें दिए गए निर्णय की दृष्टि में किसी पूर्व मंजूरी की अनुपस्थिति में धारा 156 (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए अवैधता किया किंतु मेरे मत में उक्त निर्णय इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रयोज्य नहीं है जिसके द्वारा उस दिन जब परिवाद दर्ज किया गया था, याची कृषि एवं गन्ना मंत्री का उक्त पद कभी नहीं धारण कर रहा था।

23. इस संबंध में, मैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 को निर्दिष्ट कर सकता हूँ जिसका पठन निम्नलिखित है:–

*"19. **vfHk;ktu io LohÑfr dh vko';drk-**&(1) dkb U;k;ky; èkkjk 7, 10, 11, 13, vkj 15 d vèkhu nMuh; vijkèk dk lKku ftld lcèk e ;g vfèkdfFkr g fd og ykd lod }kjk fd;k x;k g] fuEufyf[kr dh io LohÑfr d fcuk ugh djxk&*

(a) , l 0;fDr dh n'kk e tk l?k d ekeyk d lcèk e fu;kftr g vkj tk viu in l dUnh; ljdkj }kjk ;k mldh etjh l gVk, tku d flok; ugh gVk;k tk ldrk g] dUnh; ljdkj]

(b) , l 0;fDr dh n'kk e] tk jkT; d ekeyk d lcèk e fu;kftr g vkj tk viu in l jkT; ljdkj }kjk ;k mldh etjh l gVk, tku d flok; ugh gVk;k tk ldrk g] jkT; ljdkj]

(c) fdlh vU; 0;fDr dh n'kk e ml mld in l gVku d fy, l{ke çkfèkdkjhA

*(2) tgk fdlh dkj.k l bl ckcr 'kdk mRiUu gk tk,] fd mièkkjk (1) d vèkhu vif{kr io etjh dUnh; ;k jkT; ljdkj ;k fdlh vU; çkfèkdkjh e l fdld }kjk nh tkuh pkfg, ogk , lh etjh ml ljdkj ;k çkfèkdkjh }kjk nh tk,xh tk ykd lod dk mld in l ml le; gVku d fy, l{ke Fkk ftl le; vijkèk fd;k tkuk vfHkdfFkr gA***

24. पूर्वोक्त प्रावधान के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि उपधारा (1) के मंजूरी खंड (a) एवं (b) विनिर्दिष्टत: प्रावधानित करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मामले में जो नियोजित है और केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, यथास्थिति, द्वारा अपने पद से हटाए जाने योग्य नहीं है, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार से अभियोजन की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता है। शब्दों संघ अथवा राज्य सरकार के क्रियाकलापों के संबंध में ''जो नियोजित है'' पर जोर दिया गया है। यदि वह नियोजित नहीं है, तब धारा 19 ऐसी मंजूरी प्राप्त करना प्रावधानित नहीं करती है। आगे, उपधारा (2) के अधीन मंजूरी प्राप्त करने का प्रश्न पद धारण करने के समय से संबंधित है जब अभिकथित रूप से अपराध किया गया था। यदि जहाँ व्यक्ति उक्त पद धारण नहीं कर रहा है क्योंकि वह सेवा निवृत्त, अधिवर्षित, उन्मोचित अथवा बर्खास्त हो गया है, हटाए जाने का प्रश्न उद्भूत नहीं होगा। स्वीकृत रूप से, जब अभिकथित कृत्य किए गए थे, याची कृषि मंत्री था, किंतु परिवाद दाखिल करने अथवा संज्ञान लिए जाने के समय पर वह कृषि मंत्री का पद धारण नहीं कर रहा था और तद्द्वारा धारा 19 के निबंधनानुसार कोई मंजूरी प्राप्त करने का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है।

25. उक्त प्रतिपादना **प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य, (2007)1 SCC 1,** मामले में अधिकथित की गयी है।

26. जहाँ तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के निबंधनानुसार मंजूरी का संबंध है, यह कथन किया जाए कि अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता होती है जब लोक सेवक कर्तव्य के निर्वहन में कृत्य करता है। किंतु यहाँ याची के विरुद्ध अभिकथन दुर्विनियोजन, छल, कूटरचना एवं षडयंत्र का है जिन कृत्यों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया कभी नहीं कहा जा सकता है, अत: मंजूरी लेने की आवश्यकता कभी नहीं थी।

27. इन परिस्थितियों के अधीन, मैं संज्ञान लेने वाले आदेश में कोई अवैधता नहीं पाता हूँ और इसलिए, इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अत: यह आवेदन खारिज किया जाता है।

28. इस आदेश से अलग होने के पहले यह दर्ज किया जाए कि इस मामले के निपटान के प्रयोजन से दिया गया कोई निष्कर्ष पक्षों के मामले के प्रति प्रतिकूलताकारी नहीं होगा।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o jRukdj Hkxjk] U;k;efrx.k

किरण कुमारी उर्फ गुड़िया देवी उर्फ पुनम कुमारी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. No. 371/14 with I.A. No. 2155 of 2015. Decided on 30th April, 2015.

झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं निर्वाचन याचिका संचालन नियमावली, 2012—नियम 18 (2)—नगरपालिका चुनाव लड़ने के लिए अनर्हता–अपनी पहचान के बारे में अपीलार्थी द्वारा गलत विवरण–राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उसे सही प्रकार से अनर्हित किया गया है–25,000/- रुपयों के व्यय के साथ एल॰ पी॰ ए॰ खारिज। (पैराएँ 5 एवं 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Nagmani Tiwari, For the Appellant Mr. Sumeet Gadodia, For the Resp. Nos. 2 and 3; None, For the Respondent.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–**यह लेटर्स पेटेन्ट अपील मूल याची द्वारा** डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3106 वर्ष 2014 **में दाखिल किया गया है** जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 1.9.2014 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया है और, इसलिए, मूल याची ने इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को दाखिल किया है।

2. दोनों पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए लिया जा रहा है।

3. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस अपीलार्थी को मेदिनीनगर, जिला पलामू में नगरपालिका का चुनाव लड़ने से गलत रूप से अनर्हित घोषित किया गया है। वह वार्ड सं॰ 26 की साधारण निवासी है और प्रत्यर्थियों ने गलत रूप से इस अपीलार्थी को वार्ड सं॰ 25 का साधारण निवासी घोषित किया है और गलत रूप से इस निष्कर्ष पर आए हैं कि इस अपीलार्थी ने किरण कुमार के रूप में स्वयं को प्रतिरुपित किया है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि जब इस अपीलार्थी ने वार्ड सं॰ 26 का चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरा जिसका प्रत्यर्थियों द्वारा संवीक्षण किया गया था, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया था और जब उसने वार्ड सं॰ 26 का चुनाव जीत लिया, असंतुष्ट व्यक्तियों द्वारा अनेक आपत्तियाँ की गयी है और प्रत्यर्थियों ने इन असंतुष्ट

व्यक्तियों के परिवादों को स्वीकार किया है और निर्वाचित अपीलार्थी को अनर्हित घोषित किया है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है और इसलिए डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3106 वर्ष 2014 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 1.9.2014 का आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि अब मेदिनीनगर, जिला पलामू के वार्ड सं॰ 26 का चुनाव रद्द कर दिया गया है और नया चुनाव किया जाना है और इस माह का दो मई नामांकन की अंतिम तिथि है और, इसलिए इस मामले को आज सुना एवं विनिश्चित किया जाए।

4. प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस अपीलार्थी द्वारा दाखिल रिट याचिका खारिज करने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कोई गलती नहीं की गयी है। वस्तुतः इस अपीलार्थी का सही नाम **''पूनम देवी''** है। उसने गलत रूप से अपने समस्त ''उर्फ नामों'' के साथ स्वयं का विवरण दिया है, अतः प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 अपीलार्थी को केवल **''पूनम देवी''** के रूप में संबोधित करेंगे। इस पूनम देवी ने गलत रूप से स्वयं का **''किरण कुमारी''** के रूप में विवरण दिया है, अन्यथा दोनों व्यक्ति भिन्न हैं। यह अपीलार्थी वार्ड सं॰ 25 में रह रही है, जबकि किरण कुमारी वार्ड सं॰ 26 में रह रही है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में अधिनियमित झारखंड नगरपालिका का निर्वाचन एवं निर्वाचन याचिका संचालन नियमावली, 2012 के नियम 18 (2) परिभाषित करता है कि कौन व्यक्ति नगरपालिका चुनाव लड़ सकता है और नियमावली, 2012 के नियम 18 (2) के मुताबिक कोई व्यक्ति जिसका नाम वार्ड विशेष से मतदाता सूची में सम्मिलित किया गया है, उसी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति वार्ड सं॰ 1 का साधारण निवासी है और उसका नाम वार्ड सं॰ 1 की मतदाता सूची में परिलक्षित है, वह केवल वार्ड सं॰ 1 में चुनाव लड़ सकता है और न कि किसी अन्य वार्ड में। वर्तमान अपीलार्थी वार्ड सं॰ 25 की साधारण निवासी है और उसने वार्ड सं॰ 26 का चुनाव लड़ा। यह प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 की मुख्य आपत्ति है। अनेक कारण है कि क्यों यह अपीलार्थी प्रत्यर्थियों को दिग्भ्रमित करने में कुछ समय के लिए सफल रही है, क्योंकि अनेक नाम एक ही हैं। इस अपीलार्थी के पति का नाम और किरण कुमारी के पति का नाम एक ही है। इन दोनों व्यक्तियों के बीच एक और समरुपता है। अपीलार्थी पूनम देवी के पिता का नाम **जगरनाथ राम** है और किरण कुमारी के पिता का नाम भी यही है जो एक और समरुपता है। इसने कुछ भ्रम सृजित किया है और यह अपीलार्थी पूनम देवी झूठा शपथ पत्र दाखिल करके कि वह वार्ड सं॰ 26 की आम निवासी है, कुछ समय के लिए अपनिदेशित करने में सफल रही है और इस अपीलार्थी पूनम देवी ने स्वयं को किरण कुमारी के रूप में प्रतिरुपित किया है, उसने चुनाव जीता किंतु बाद में परिवाद दाखिल किया गया था और सही तथ्यों को प्रत्यर्थियों एवं राज्य निर्वाचन आयोग के ध्यान में लाया गया था जो सदस्यों की अनर्हता में जाँच करने के लिए सशक्त है और जाँच करने के लिए उपायुक्त, पलामू को नियुक्त किया है। उन्होंने दिनांक 27.7.2013 का **रिपोर्ट I** दिया, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग को अग्रसारित किया गया था; कि यह अपीलार्थी पूनम देवी किरण कुमारी नहीं है, इसके अतिरिक्त, यह अपीलार्थी पूनम देवी वार्ड सं॰ 26 की निवासी नहीं है और उक्त रिपोर्ट में अनेक अन्य अवैधताओं को इंगित किया गया है जिसे इस अपीलार्थी पूनम देवी द्वारा किया गया है। तत्पश्चात, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस दिया गया था और इस अपीलार्थी पूनम देवी द्वारा उत्तर दाखिल किया गया था। अपीलार्थी पूनम देवी को एक और मौका देने की दृष्टि से इस अपीलार्थी पूनम देवी द्वारा काफी शोरगुल किया गया था। पुनः राज्य के उच्चतर श्रेणी के तीन अधिकारियों द्वारा जाँच करने का आदेश दिया गया था जिन्होंने भी मामले का जाँच किया और दिनांक 28.5.2014 का **रिपोर्ट II** दिया। **रिपोर्ट II** में इस अपीलार्थी पूनम देवी के विरुद्ध अनेक चीजें

इंगित की गयी हैं। इस अपीलार्थी के पक्ष में कुछ नहीं था। पुनः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपीलार्थी को नोटिस दिया गया था और अब यह अपीलार्थी पूनम देवी निराश होकर राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष सुनवाई जारी रखने के बजाए न्यायालय दौड़ी और डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3106 वर्ष 2014 दाखिल किया। इस निराश अपीलार्थी पूनम देवी ने राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष सुनवाई में उपस्थित होना छोड़ दिया और अंततः, अपीलार्थी पूनम देवी द्वारा दाखिल उत्तर के आधार पर और, **रिपोर्ट I एवं रिपोर्ट II** के आधार पर और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 21.7.2014 को आदेश पारित किया गया था और घोषित किया गया था कि यह अपीलार्थी पूनम देवी जो वार्ड सं॰ 25 की आम निवासी है ने गलत रूप से वार्ड सं॰ 26 के किरण कुमारी के रूप में स्वयं का विवरण दिया था और चुनाव लड़ा था और, इसलिए, वार्ड सं॰ 26 का उक्त चुनाव रद्द किया गया है और उसे नियमावली, 2012 के नियम 18 (2) के मुताबिक अनर्हित घोषित किया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित दिनांक 21.7.2014 के विस्तृत आदेश में दिए गए मामले के इन पहलुओं का समुचित रूप से अधिमूल्यन किया गया है, अतः इस न्यायालय द्वारा लेटर्स पेटेन्ट अपील ग्रहण नहीं किया जा सकता है और व्यय के साथ खारिज किया जा सकता है।

कारणः

5. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए **हम निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को ग्रहण करने का कारण नहीं पाते हैंः–**

(i) यह अपीलार्थी मूल याची है और डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3106 वर्ष 2014 दाखिल किया है क्योंकि उसे मेदिनीनगर, जिला पलामू में नगरपालिका चुनाव लड़ने से अनर्हित घोषित किया गया था। उक्त रिट याचिका में, अनेक प्रतिवाद किए गए हैं कि यह याची वार्ड सं॰ 26 की आम निवासी है, और यद्यपि उसका नाम पूनम देवी है, वह किरण कुमारी के रूप में भी जानी जाती है, इस अपीलार्थी पूनम देवी और किरण कुमारी के बीच अनेक नाम सामान्य हैं और, इसलिए, प्रत्यर्थीगण गलत निश्कर्ष पर आए हैं कि यह अपीलार्थी पूनम देवी किरण कुमारी नहीं है। यह मामला अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता के अनुरोध पर अंतिम सुनवाई के लिए लिया गया है।

(ii) यह प्रतीत होता है कि इस अपीलार्थी पूनम देवी ने मेदिनीनगर, जिला पलामू के वार्ड सं॰ 26 का चुनाव लड़ा था, उसने चुनाव जीता और इसलिए परिवाद किया गया था कि इस अपीलार्थी पूनम देवी ने गलत रूप से स्वयं का वार्ड सं॰ 26 के किरण कुमारी के रूप में विवरण दिया है। वस्तुतः, यह अपीलार्थी पूनम देवी वार्ड सं॰ 25 की आम निवासी है और, इसलिए, वार्ड सं॰ 26 के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस परिवाद की अंततः जाँच की गयी थी जिसने उपायुक्त, जिला पलामू को जाँच करने के लिए सशक्त बनाया और उन्होंने **रिपोर्ट I** दिया जिसे दिनांक 27.7.2013 को राज्य निर्वाचन आयोग को अग्रसारित किया गया था जिसमें उपायुक्त पलामू ने संपुष्ट किया कि यह अपीलार्थी पूनम देवी वार्ड सं॰ 25 की आम निवासी है। यह अपीलार्थी वार्ड सं॰ 26 की किरण कुमारी नहीं है और, इसलिए, उसने गलत रूप से आवश्यक शपथ पत्र आदि दाखिल किया है और गलत रूप से वार्ड सं॰ 26 की किरण कुमारी के रूप में चुनाव लड़ा था।

(iii) पूर्वोक्त **रिपोर्ट I** प्राप्त करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने इस अपीलार्थी को नोटिस दिया कि उसे क्यों नहीं झारखंड नगरपालिका निर्वाचन और निर्वाचन याचिका संचालन नियमावली, 2012 के

नियम 18 (2) सहपठित धारा 18 (1) (l) और सह–पठित झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 18 (1) (k) के अधीन अनर्हित घोषित किया जाए जिसका पठन निम्नलिखित है:–

*"18. **ik"knk dh vugZrk-&** (1) bl vfèkfu;e e vrfo"V fdlh pht d ckotn dkb 0;fDr ik"kn dk in èkkj.k dju d fy, fuokpu d fy, vFkok fuokpu d ckn vufgr gkxk ;fn ,lk 0;fDr*

(a) Hkkjr dk ukxfjd ugh g(

(b) jkT; d foèkkueMy d fy, fuokpu d ç;ktu l rRle; çoÙk fdlh fofèk }kjk vFkok bld vèkhu bl çdkj vufgr fd;k x;k g(

ijUr ;g fd dkb 0;fDr bl vkèkkj ij vufgr ugh fd;k tk,xk fd og 25 o"k l de vk; dk g tc mlu 21 o"k dh vk; çklr dj fy;k gA

(c) dn vFkok jkT; ljdkj vFkok fdlh LFkkuh; çkfèkdkj dh lok e g(

(d) dn vFkok jkT; ljdkj vFkok fdlh vU; çkfèkdkj l lgk;rk iklr fdlh lLFkku dh lok e g(

(e) fdlh l{ke U;k;ky; }kjk vfLFkj food dk ik;k x;k g(

(f) fnokfy;k d :i e U;k;fu.khr fd, tku d fy, vkonu nrk g vFkok U;k; fu.khr fd;k x;k g(

(g) vopkj d fy, dn vFkok jkT; ljdkj vFkok fdlh LFkkuh; çkfèkdkj dh lok l c[kkLr fd;k x;k g vkj ykd lok e fu;ktu d fy, vufgr ?kkf"kr fd;k x;k g(

(h) nkfMd U;k;ky; }kjk] Hkkjr d Hkhrj vFkok ckgj] jktuhfrd vijkèk l fHkUu fdlh vijkèk d fy, Ng ekg l vfèkd vofèk d fy, nMknf'kr fd;k x;k g vFkok nM çfØ;k lfgrk dh èkkjk 109 vFkok èkkjk 110 d vèkhu vPNk 0;ogkj dju d fy, çfrHkfr çLrr dju dk vkn'k fn;k x;k g vkj ,lk nMkn'k vFkok vkn'k ckn e myVk ugh x;k g vFkok fdlh nkfMd ekey e vfHk;Dr gku d dkj.k Ng ekg l vfèkd le; l Qjkj g(

*(i) **rRle; çoÙk fdlh fofèk d vèkhu fdlh LFkkuh; çkfèkdkj dk lnL; gku d vikÙk cu x;k g(***

(j) uxjikfydk d vèkhu fdlh oruoky in vFkok ykHk d in dk èkkj.k djrk g%

ijUr ;g fd dkb 0;fDr doy bl dkj.k l fd og uxjikfydk dk e;j vFkok vè;{k vFkok ik"kn g] uxjikfydk d vèkhu ykHk dk in èkkj.k djrk ugh le>k tk,xkA

*(k) **Hk"V vkpj.kk dk nk"kh ik;k x;k g%***

ijUr ;g fd Hk"V vkpj.k dk nk"kh ik, tku ij vgrk vke puko d Ng o"kk ckn lekIr gk tk,xh(

(l) ml o"k ftle puko fd;k x;k g d rjUr igy d foÙkh; o"k d vr rd uxjikfydk d çfr viu cdk;k leLr djk dk Hkxrku ugh fd;k g(

(m) tkuc>dj viu dr0;k ,o dk;k dk ikyu dju dk yki djrk g vFkok budkj djrk g vFkok mle fufgr 'kfDr dk n#i;kx djrk g vFkok viu dr0; d fuogu ij vopkj dk nk"kh ik;k x;k g vFkok viu dr0;k dk ikyu dju d fy, 'kkjhfjd vFkok ekufld :i l ix cu tkrk g(

(n) ;fn mlds nks ls vfèkd thfor lrku gS%

ijUrq ;g fd vfèkfu;e ds vkjHk ds ,d o"kZ ds volku ij vFkok volku rd nks ls vfèkd lrku okyk 0;fDr vufgZr ugha le>k tk,xk(

(o) cBd e ifj"kn ls igys vuefr çkIr fd, fcuk rhu yxkrkj cBdk ls vuifLFkr jgk g(

(2) ;fn dkbZ ç'u mnHkr gkrk g fd D;k uxjikfydk dk lnL; fdlh Lrj ij puko ds igys vFkok puko ds ckn mièkkjk (1) e mfYyf[kr fdlh vugrk ds vè;èkhu cu x;k g] ç'u fu.k; ds fy, jkT; fuokpu vk;kx dk fufn"V fd;k tk,xkA fdlh 0;fDr vFkok çkfèkdkjh }kjk ifjokn] vkonu vFkok lpuk ds :i e jkT; fuokpu vk;kx ds è;ku e ekeyk yk;k tk ldrk gA jkT; fuokpu vk;kx Loçj.kk ij ,l ekeyk dk lKku y ldrk g vkj çHkkfor i{kk dk luokbZ dk i;kIr volj çnku dju ds ckn 'kh?kkfr'kh?k ,lk ekeyk fofuf'pr dj ldrk gA

(3) ;fn 0;fDr ftl uxjikfydk ds lnL; ds :i e puk x;k g ykd lHkk] jkT; lHkk] foèkku lHkk dk lnL; g vFkok cu tkrk g] vFkok ipk;r dk lnL; vFkok ef[k;k vFkok ljip g vFkok cu tkrk g] rc ykdlHkk] jkT; lHkk vFkok foèkku eMy ds lnL; vFkok ipk;r ds lnL; vFkok ef[k;k vFkok ljip ds in dh vofèk vkjHk gku dh frfFk ls 15 fnuk ds Hkhrj uxjikfydk e mldk lhV fjDr gk tk,xk tc rd og igys gh ykd lHkk jkT; lHkk] foèkku lHkk vFkok ipk;r] ;FkkfLFkfr] e viu lhV ls R;kxi= ugh n pdk gA**

इस अपीलार्थी द्वारा इस नोटिस का उत्तर दिया गया था। उत्तर में उसने वही कथन किया है जैसा उसने इस एल॰ पी॰ ए॰ में तर्क किया है।

(iv) राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्यवाही के रूप में इस अपीलार्थी को एक और मौका दिया। इस अपीलार्थी पूनम देवी को संतुष्ट करने के लिए एक और जाँच करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जाँच का एक और आदेश पारित किया गया था। अब, राज्य के अधिकारियों की टीम द्वारा जाँच की गयी थी। राज्य के तीन उच्च श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारियों ने दूसरी जाँच की और दिनांक 28.5.2014 को रिपोर्ट दिया जो **रिपोर्ट II** है।

(v) इस **रिपोर्ट II** के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस अपीलार्थी को पुन: नोटिस दिया गया था और, तत्पश्चात्, यह अपीलार्थी इतनी निराश थी कि राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष उपस्थित होने के बजाए उसने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3106 वर्ष 2014 दाखिल किया और नोटिस चुनौती के अधीन थी। वस्तुत:, इस अपीलार्थी को राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष कार्यवाही के परिणाम तक प्रतीक्षा करना चाहिए था। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस अपीलार्थी को प्रत्येक प्रकार का अवसर दिया गया था। किंतु, उसने जल्दबाजी में रिट याचिका दाखिल किया जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 21.7.2014 का विस्तृत सकारण आदेश पारित किया गया है।

(vi) इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि **इस अपीलार्थी ने गलत रूप से राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष शपथ पत्र दाखिल किया है।** वस्तुत: यह अपीलार्थी किरण कुमारी बिल्कुल नहीं है और यह

अपीलार्थी केवल पूनम देवी है और उसके परे कुछ नहीं। जोड़े गए उर्फ नाम केवल झारखंड राज्य एवं राज्य निर्वाचन आयोग को दिग्भ्रमित करने के लिए और मेदिनीनगर, जिला पलामू के वार्ड सं॰ 26 का चुनाव लड़ने के लिए है अन्यथा यह अपीलार्थी जिसे आमतौर पर पूनम देवी के रूप में जाना जाता है और उसका नाम किरण कुमारी नहीं है और वह वार्ड सं॰ 26 की निवासी नहीं है। यह अपीलार्थी पूनम देवी वार्ड सं॰ 25 में रह रही है।

(vii) **इस अपीलार्थी ने सब कुछ पूर्व नियोजित रूप से किया है; कुछ भी अनभिज्ञता के कारण नहीं है।** इस अपीलार्थी के पति का नाम संतोष कुमार है और, उस किरण कुमारी के पति का नाम भी संतोष कुमार है। यह एक समरुपता है। इस अपीलार्थी और उस किरण कुमारी के बीच एक और समरुपता यह है कि इस अपीलार्थी पूनम देवी के पिता के पिता का नाम जगरनाथ ओरॉँव है और किरण कुमारी के पिता का नाम भी जगरनाथ ओरॉँव है। दिनांक 28.5.2014 के अत्यन्त विस्तृत रिपोर्ट II में दो तथ्यों का विवरण दिया गया है; पति का नाम संतोष कुमार भी एक ही है किंतु दोनों संतोष कुमार के पिता भिन्न हैं। अपीलार्थी पूनम देवी के पति का पिता कैलाश राम है, जबकि किरण कुमारी के पति के पिता का नाम यदुनंदन शर्मा है। **रिपोर्ट II** में मामले के इस पहलू का सही रूप से अधिमूल्यन किया गया है। **इसने प्रकट किया है कि अपीलार्थी पूनम देवी किरण कुमारी नहीं है। रिपोर्ट I और रिपोर्ट II** में अनेक अन्य चीजों को इंगित किया गया है। **अतः राज्य निर्वाचन आयोग सही प्रकार से निष्कर्ष पर आया है कि इस अपीलार्थी पूनम देवी ने गलत रूप से स्वयं का वार्ड सं॰ 26 की किरण कुमारी के रूप में विवरण दिया है और यह प्रतिरुपण के तुल्य है** और इसलिए **उसे चुनाव लड़ने से अनर्हित किया गया है।** दिनांक 21.7.2014 का आदेश पारित करने में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोई गलती नहीं की गयी है और दिनांक 1.9.2014 के आदेश के तहत डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3106 वर्ष 2014 खारिज करने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कोई गलती नहीं की गयी है। अपीलार्थी पूनम देवी और वार्ड सं॰ 26 की उस किरण कुमारी के बीच अनेक भिन्नता है। उनकी गृह संख्या भिन्न है। अपीलार्थी पूनम देवी वार्ड सं॰ 25 में गृह सं॰ 130B की साधारण निवासी है, जबकि वह किरण कुमारी वार्ड सं॰ 26 में गृह सं॰ 9B की सामान्य निवासी है। **रिपोर्ट II** में कथित कारणों में से यह भी एक है। इस न्यायालय की भाषा में इस प्रकार के अंतरों का विवरण देने के बजाए हम **रिपोर्ट I** के प्रासंगिक भाग को उद्धृत करना बेहतर पाते हैं जो निम्नलिखित है:–

> *^^ftyk fuokpu vfèkdkjh (,e0) &lg&mik;Dr iyke u fnukd 27.7.2013 d i= l0 449/fuokpu d rgr lfpr fd;k fd lc&fMfotuy vfèkdkjh] lnj efnuhuxj }kjk ekey dh tkp dh x;h Fkh vkj mudh fjikV d vulkj* ***Jherh iue noh*** *dk Jherh fdj.k dekjh] iRuh lrk"k dekj i= ;nunu 'kek] xg l0 9B, efnuhuxj] chO vkbO MhO l0 d0 thO ohO 1013739 d :i e çfr#fir djd fuokfpr fd;k x;k FkkA lc&fMfotuy vfèkdkjh] lnj] efnuhuxj }kjk çLrr fjikV d vulkj] iue noh mQ xfM;k mQ fdj.k dekjh] iRuh lrk"k dekj i= dyk'k jke dk uke] tk ekey e fojkèkh i{kdkj g] okM l0 26 dh ernkrk lph e lphc) ugh fd;k x;k Fkk vkj oLrr%] iue noh mQ xfM;k mQ fdj.k dekjh] iRuh lrk"k dekj u Jherh fdj.k dekjh] iRuh lrk"k dekj i= ;nunu 'kek] fuokLh xg l0 9B, okM l0 26, Øekd 94 ij lphc) (ernkrk lph d QkVk d fcuk) d :i e çfr#fir fd;k gA tkp u ;g Hkh çdV fd;k fd Jherh iue noh mQ xfM;k fojkèkh i{kdkj okM l0 26 d xg l0 9B e ugh jgrh Fkh ftldk Lokeh Jh jke pfjÙkj feL=h Fkk vkj u gh mldk uke ernkrk*

lpho lphc) fd;k x;k FkkA fojkèkh i{kdkj iue noh mQ xfM;k fdj.k dekjh] iRuh lrk"k dekj i= dyk'k jke okM la0 25 d edku la0 130 dk LFkk;h fuoklh Fkk rFkk lrk"k dekj dk uke okM la0 25 ernkrk lph Hkkx 25/1 d Øekd 282 ij lphc) fd;k x;k FkkA vkx] tkp u çdV fd;k fd lrk"k dekj] i= dyk'k jke okM la 25 d xg la0 130 dk LFkk;h fuoklh g tk ***fojkèkh i{kdkj dk ifr g vkj tkfr l dgkj g*** *vkj lrk"k dekj] i= ;nunu 'kek] okM la0 26 d xg la0 9B dk fuoklh g tk fdj.k dekjh dk ifr g vkj tkfr l Hkfegkj gA lc&fMfotuy vfèkdkjh dh fjikV d vuqlkj] fojkèkh i{kdkj d ifr dk uke vkj okM la0 26 dh iokfYyf[kr fdj.k dekjh mQ iue noh mQ xfM;k d ifr dk uke ,d gh gku d dkj.k vkj blfy, Hkh fd fdj.k dekjh dk QkVk okM la0 26 dh ernkrk lph d Øekd 94 ij ugh fpidk;k x;k Fkk] çfr#i.k fd;k x;k FkkA blu fojkèkh i{kdkj iue noh mQ xfM;k dk okM la0 26 dh fdj.k dekjh d :i e Lohdkj fd, tku e lgk;rk fd;kA** ¼tkj Mkyk x;k½*

यह **रिपोर्ट I** के प्रासंगिक भाग का उद्धरण है जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित दिनांक 21.7.2014 के आदेश में उल्लिखित किया गया है।

(viii) **इसी प्रकार से,** दिनांक 28.5.2014 के **रिपोर्ट II** के प्रासंगिक भाग का पठन निम्नलिखित है:–

^^fojkèkh i{kdkj dh vkj l fd, x, çfrokn dh nf"V e fd og oLrr% fdj.k dekjh mQ xfM;k mQ iue noh] iRuh lrk"k dekj] fuoklh xg la0 9, okM la0 26 ch0 vkb0 Mh0 la0 d0 th0 oh0 1013739 g] mik;Dr] MkyVuxt dk ***ekey dh xgjkb l tkp dju ,o*** *luokb dh vxyh frfFk ij fnukd 1.7.2014 dk* ***fjikV nu*** *dk fun'k fn;k x;k FkkA ftyk fuokpu vfèkdkjh (,e0) lg mik;Dr] MkyVuxt u lc&fMfotuy vfèkdkjh] lnj] enuhuxj] ftyk ipk;r jkt vfèkdkjh] MkyVuxt vkj mi fuokpu vfèkdkjh] iyke l xfBr vfHkdj.k }kjk xfBr f=&lnL;h; dfeVh dh l;Dr fjikV dk fnukd 29.5.2014 d vkn'k i= la0 773 d rgr vxlkfjr fd;kA l;Dr tkp fjikV dk vxlkfjr djr g,] fo}ku ftyk fuokpu vfèkdkjh (,e0) lg&mik;Dr] iyke u fnukd 29.5.2014 d vkn'k vxlkfjr i= e dgk fd* ***og vkn'k }kjk xfBr dfeVh dh tkp fjikV l lger gA*** *lc&fMfotuy vfèkdkjh] lnj] enuhuxj] ftyk ipk;rh jkt vfèkdkjh vkj mi fuokpu vfèkdkjh] iyke l xfBr dfeVh dh fnukd 28.5.2014 dh tkp fjikV u fuEufyf[kr mYy[k fd;k%*

(i) fd fojkèkh i{kdkj dk çfrokn fd iue noh mQ xfM;k mQ fdj.k dekjh ,d gh 0;fDr vFkkr fojkèkh i{kdkj d rhu fHkUu uke g] xyr gA iue noh vkj fdj.k dekjh ***iFkd 0;fDr*** *gA iue noh d firk dk uke v#.k jke i= txjukFk jke gA*

(ii) fdj.k dekjh u uxj ifj"kn enuhuxj l LFkk;h vkoklh; çek.ki= tkjh djoku d fy, lyXu 'kiFk i= e dFku fd;k g fd og ***fdlh txjukFk jke dh i=h*** *g vkj mlds ekrk dk uke vk'kk noh g* ***tcfd*** *Jherh fdj.k dekjh u fnukd 28.5.2014 d vkn'k fyf[kr c;ku e dFku fd;k g fd mlds firk dk uke v#.k jke g vkj ekrk dk uke :ik noh g vkj fd txukFk jke dh iRuh vk'kk noh mldh* ***HkkHkh@uun*** *gA 'kiFk i= d vkèkkj ij] dk;ikyd vfèkdkjh] uxjifj"kn] enuhuxj u LFkk;h vkoklh; çek.k i= tkjh fd;k gA*

(iii) vkx fd fojkèkh i{kdkj iue noh mQ xfM;k u viu ifr ,o llj d fo#) fo}ku e[; U;kf;d nMkfèkdkjh] iyke d le{k ifjokn ekeyk l0 798 o"k 2012 Hkh nkf[ky fd;k g ftle mlu viuk uke fdj.k dekjh d :i eugh n'kk;k gA vr%] ;g dl gk ldrk g fd 2013 puko d nkjku fojkèkh i{kdkj iue noh mQ xfM;k fdj.k dekjh cu x;hA bldk dkb Hkh çek.k ugh g fd mDr iue dekjh mQ xfM;k u fofèk d vulkj fdlh lE;d çfØ;k dk vulj.k djd ***fdj.k dekjh*** *dk uke viuk;k gA*

(iv) fd enuhuxj uxjifj"kn dh okM l0 26 dh ernkrk lph minf'kr djrh g fd dkb fdj.k dekjh] iRuh lrk"k dekj okM l0 26 d xg l0 9B dh fuoklh gA fojkèkh i{kdkj iue noh u bl rF; fd fdj.k dekjh dk QkVk Øekd 94 d lkeu fpidk;k ugh x;k g vkj blfy, Hkh fd nkuk d dfri;k dk uke ,d gh g] dk ykHk ydj Øekd 94 ij ernkrk lph e çfo"V okM l0 26 d xg l0 9B dh fuoklh iue noh miQ xfM;k mQ fdj.k dekjh] iRuh lrk"k dekj d :i e Lo; dk çfr#fir fd;k gA

*(v) vkx fd Jherh fdj.k dekjh u fnukd 28.5.2014 dk viu fyf[kr c;ku e jkT; fuokpu vk;kx d le{k fuonu fd;k g fd og ernkrk lph 26/1 okM l0 26 d Øekd 195 ij ernkrk lph e lphc) xg l0 15B e viuh HkkHkh@uun vk'kk noh] iRuh txjukFk jke d lkFk fuokl djrh gA ;fn ,lk g] ml minf'kr djuk pkfg, Fkk fd og ukekdu dkxtkrk e okM l0 26 dh ernkrk lph d Øekd 94 ij lphc) gA*** ¼tkj Mkyk x;k½

(ix) मामले के पूर्वोक्त ताथ्यिक पहलूओं की दृष्टि में हमारा स्पष्ट मत है कि यह अपीलार्थी, जो वार्ड सं॰ 25 की पूनम देवी, निवासी गृह सं॰ 130B, मेदनीनगर नगरपालिका, जिला पलामू के रूप में ज्ञात है, ने गलत रूप से स्वयं का वार्ड सं॰ 26 के गृह सं॰ 9B की किरण कुमारी के रूप में विवरण दिया है और इसलिए, उसे सही प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 21.7.2014 के आदेश के तहत अनर्हित घोषित किया गया है।

(x) हम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित दिनांक 21.7.2014 के आदेश को परिवर्तित करने का कारण नहीं पाते हैं और यह भी पाते हैं कि रिट याचिका खारिज करने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा गलती नहीं की गयी है।

6. पूर्वोक्त तथ्यों एवं कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण इस एल॰ पी॰ ए॰ में कोई सार नहीं है। अतः, इसे 25,000/- रुपयों के व्यय के साथ, जिसे इस अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता संघ कल्याण कोष, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के समक्ष आज के दिन से चार सप्ताह की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा, एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

7. यह राशि पूर्वोक्त समय सीमा के भीतर जमा की जाएगी।

8. इस आदेश की प्रति अधिवक्ता संघ, झारखंड, राँची के अध्यक्ष को दी जाएगी।

<u>आई॰ ए॰ सं॰ 2155 वर्ष 2015</u>

एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 371 वर्ष 2014 में पारित अंतिम आदेश की दृष्टि में इस अंतर्वर्ती आवेदन को एतद् द्वारा निपटाया जाता है।

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o ihñ ihñ HkVV] U;k;efr

मोजीब अंसारी एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. App. No.1089 of 2004 with Batch Cases. Decided on 13th August, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 84 वर्ष 2001 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बोकारो द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 20.5.2004 एवं दिनांक 22.5.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध और सत्र विचारण सं॰ 24 वर्ष 2005 में पारित क्रमशः दिनांक 6.9.2012 एवं दिनांक 10.9.2012 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 33—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 164—साक्ष्य की प्रासंगिकता–भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 लागू करने के लिए यह आज्ञापक है कि विरोधी के पास गवाहों का प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार एवं अवसर होना होगा, किंतु दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन बयान दर्ज करने के समय पर गवाहों का प्रति परीक्षण करने का अधिकार अथवा अवसर विरोधी में निहित नहीं है–भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 वर्तमान मामले पर प्रयोज्य नहीं है–न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 की ताकत पर दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज किए गए पीड़िता के बयान का पठन विधितः नहीं कर सकता है–किंतु, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज गवाहों के बयान का संपुष्टकारी मूल्य है। (पैरा 36)

(ख) भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 376 (2) (g), 366 एवं 120B—अपहरण एवं सामूहिक बलात्कार–दोषसिद्धि–मानसिक विक्षिप्तता एवं आघात के कारण अवयस्क पीड़िता के बाद में मृत्यु हो गयी–यद्यपि अभियुक्तों ने अपने इकबालिया बयान में पीड़िता का बलात्कार करने से इनकार किया है, एकांत एवं निर्जन स्थान पर अन्य सह-अभियुक्तों के साथ गहरी रात्रि में और वह भी अपने साथियों द्वारा बलात्कार की कारिता के समय पर अपनी उपस्थिति के संबंध में उनका प्रकटीकरण स्वयं अभिशंसी बयान के तुल्य है–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन उनके बयान पूरी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 की परिधि के अंतर्गत आने वाले इकबालिया बयान की परिधि के अंतर्गत आते हैं–महिला की शारीरिक अखंडता एवं मर्यादा को प्रभावित करने वाले अपराध पर कठोरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए–उपयुक्त दंडादेशों, जो विचाराधीन अपराध की गंभीरता के अनुरूप है, को अधिनिर्णीत करके समस्त प्रकार के आपराधिक रुझानों को समाप्त करने का भी दांडिक न्याय प्रणाली का प्रयास होना चाहिए ताकि निंदनीय आचरणों की सामाजिक भर्त्सना को पर्याप्त रूप से परिलक्षित किया जा सके–निर्दोष असहाय नवयुवती पर विभिन्न आयु समूह के अनेक अभियुक्तों द्वारा सामूहिक बलात्कार के ऐसे जघन्य अपराधों में न्यायालय को समाज द्वारा न्याय की ऊँची गुहार को अनदेखा नहीं करना चाहिए–अभिलेख पर कोई भी कम करने वाली परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं हैं जो अपीलार्थियों पर न्यूनतम दंडादेश के अधिरोपण को न्यायोचित ठहरा सकती है–विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दोषसिद्धि एवं दंडादेश अंशतः अभिपुष्ट। (पैराएँ 43, 46, 69 एवं 78)

(ग) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 357 एवं 357A—अपराध के पीड़ित को मुआवजा–अपराध के पीड़ित अथवा उसके रक्त संबंधियों की वैध प्रत्याशा है कि राज्य दोषी को दंडित करेगा एवं पीड़ित को मुआवजा देगा–समकालीन युग में जहाँ राज्य कल्याणकारी दायित्व ग्रहण करता है, इसके लिए पीड़ित को पर्याप्त मुआवजा देना अनिवार्य बन जाता है क्योंकि यह व्यक्ति एवं संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी आज्ञा का पालन करने में विफल रहा है–झारखंड राज्य मृतका के परिवार को मुआवजा का भुगतान करने का दायी है–पाँच लाख रुपयों का मुआवजा अधिनिर्णीत। (पैराएँ 86, 87, 91 एवं 92)

निर्णयज विधि.–AIR 1964 S.C 1184; 1999 (5) SCC 253; (2013) 6 SCC 770; (2000) 2 SCC 465, 2014 (4) SCC 786—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s. B.M.Tripathy, Nutan Sharma & Navin Kr. Jaiswal, (A-2, A-3, A-6-A-10, A-12-A-16); Mr. Mahesh Kumar Sinha(A-1); Mr. Bijay Kumar Sinha (A-4); Mr. N.K. Sahani(A-5); Mr. Sanjay Kumar (A-11); Mr. A.K.Sahani (A-17, A-18,A-19 & A-21); Mr. Sanjeev Thakur(A-20), For the Appellants; M/s. Shekhar Sinha, H.K. Shikarwar, Amaresh Kumar, Pankaj Kumar, Binod Singh, For the Respondents.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–**आई॰ आई॰ टी॰ प्रत्याशी** 19 वर्षीया पीड़िता युवती का निश्चय ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे श्रेष्ठ संस्थान से स्नातक होने पर उच्च श्रेणी अभियन्ता बनने के लिए अपने भावी जीवन का सपना था। किंतु वह अनभिज्ञ थी कि एक दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि को वह कतिपय व्यक्तियों जो उसके पिता एवं भाई की उम्र के थे के हाथों उनकी हवस का शिकार बन जाएगी। इसने न केवल उसका सपना मिटा डाला बल्कि उसकी अंतिम साँस तक उसके जीवन को पूरी तरह दु:खदायी बना दिया। पीड़िता युवती का बयान रात्रि 9 बजे से रात्रि 2 बजे तक लगातार समुदाय विशेष **'मुस्लिम'** बहुलता वाले 'भर्रा बस्ती' के रूप में ज्ञात स्थान पर खुले आसमान के नीचे विभिन्न आयु समूह के अनेक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार का दिल दहला देने वाला विवरण देता है। यद्यपि डॉक्टरों द्वारा उसे क्रिटिकल सेप्टीसेमिया से बचा लिया गया था जो उसमें भीषण संक्रमण के कारण विकसित हुआ था जो आरंभ में उसके गुप्तांगों में विकसित हुआ और तब आगे बढ़ता ही गया, उसने फ्लैश बैक, दु:स्वप्न, भारी चिंता, घटना जो हुई थी के बारे में अनियंत्रित सोच, दीर्घकालिक उदासी एवं असहायता का अहसास और सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्तमान मामले के अन्वेषण के दौरान, क्योंकि वह पुलिस के साथ सहयोग कर रही थी, कुछ व्यक्तियों द्वारा उसके विरुद्ध की गयी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के कारण अपना मानसिक संतुलन गवाँ दिया। इस निर्मम एवं पाशविक कृत्य ने न केवल पीड़िता को शारीरिक दर्द कारित किया, बल्कि लंबे समय तक असहनीय मानसिक वेदना भी कारित किया जिस कारण उसकी आत्मा सदा के लिए हमारे समक्ष अनेक प्रश्नों को पीछे छोड़ते हुए शरीर से विदा ले लिया, **(a) क्या लड़की वस्तुत: हमारे समाज के लिए अभिशाप है? (b) क्या उसके भाई एवं पिता के आयु समूह के निर्लज्ज पुरुषों, जिन्होंने खुले आसमान के नीचे रात्रि 9 बजे से अहली सुबह तक बारी-बारी से पीड़िता युवती का निर्मम सामूहिक बलात्कार किया था, का जमावड़ा अपनी अंतरात्मा गवाँ चुका था? (c) किस प्रकार बलात्कारियों ने बलात्कार की कठोर कानून के भय के बिना उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि को खुले स्थान में एक समुदाय के गाँव में लगातार 19 वर्षीया युवती का बलात्कार करके अपनी हवस पूरा किया था? (d) क्यों बलात्कारियों ने बलात्कार करने के बाद पीड़िता का वस्त्र फाड़कर उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि को नग्न छोड़ दिया था? (e) क्यों बलात्कारियों ने पीड़िता युवती को गंदे नाले का बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर किया जब उसने प्यासा महसूस किया? क्या वे परपीड़क हैं अथवा अनेक व्यक्तियों द्वारा निर्दोष नि:सहाय नवयुवती के निर्मम बलात्कार के पीछे का वास्तविक कारण क्या था? (f) क्यों बलात्कारी जो एक ही गाँव के और एक-दो के अलावा सब के सब**

एक ही समुदाय के थे अपने विरुद्ध विधि की किसी कार्रवाई से अपनी सुरक्षित अवस्था के बारे में भयहीन एवं आश्वस्त थे कि उन्होंने किसी अवरोध और प्रतिरोध के बिना घटनास्थल पर अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति में निर्मम यौन हिंसा का ऐसा कृत्य किया? (g) किसी भी ग्रामीण ने इस अपराध को रोकने अथवा पीड़ित युवती को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया था?

2. निर्दोष नवयुवती के सामूहिक बलात्कार के इस जघन्य अपराध में समाज द्वारा न्याय के चीत्कार के प्रति बहरा बने पुलिस की संवेदनाहीन भूमिका हमारे न्यायिक अंतरात्मा को व्यथित करती है। अन्वेषण एजेन्सी द्वारा तैयार की गयी केस डायरी बेमन से किए गए अन्वेषण के बारे काफी कुछ कहती है। अन्वेषण अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद तुरन्त घटनास्थल का निरीक्षण करने का कोई प्रयास नहीं किया था। यदि उसने सत्य जानने और अभियुक्तों की सह-अपराधिता अभिनिश्चित करने के आशय से अन्वेषण किया होता, उसने निश्चय ही तुरन्त घटनास्थल का निरीक्षण किया होता। घटनास्थल से पीड़िता के वस्त्रों की बरामदगी में विलंब उपदर्शित करता है कि पुलिस अत्यन्त विलंब के बाद घटनास्थल पर पहुँची थी। कार जिसका उपयोग इस अपराध में किया गया था का पता लगाने के लिए और 2-3 व्यक्तियों जो पीड़िता के अभिकथित अपहरण के समय पर कार में उपस्थित थे का पता लगाने के लिए अन्वेषण नहीं किया गया था। **अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य से पुलिस की सबसे गंदी भूमिका सामने आती है जो दर्शाते हैं कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही जब पीड़िता नवयुवती के विरुद्ध गंदी टिप्पणी की गयी थी जब वह टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टी॰ आई॰ पी॰) के लिए और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस के साथ जा रही थी।** लगातार व्यंग्य से पीड़ित की रक्षा करने में पुलिस के इस लोप ने अन्वेषण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया क्योंकि पीड़िता ने अन्य अभियुक्तों की टी॰ आई॰ पी॰ के लिए पुलिस के साथ जाने से इनकार कर दिया। पीड़िता के पिता ने भी अन्वेषण अधिकारी के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने अपनी पुत्री का सदमापूर्ण अनुभव महसूस किया था। निरंतर व्यंग्य ने पीड़िता का जीवन नरक बना दिया और अंततः उसने उस आघात से दम तोड़ दिया। पीड़िता के पिता ने भी दूसरे स्थान पर अपना स्थानांतरण करवा लिया और पूरे परिवार के साथ चला गया। पुलिस केस डायरी कतिपय अन्य तात्विक तथ्यों पर पूरी तरह मौन है जिसके विवरणों को हम कम से कम इस चरण पर बताना नहीं चाहते हैं।

3. केवल यही नहीं, विचारण न्यायाधीश ने भी विचारण के दौरान कतिपय अनियमितताएँ कारित की हैं, यद्यपि ये इतने नुकसान करने वाले नहीं हैं। उन्हें भी राज्य न्यायिक एकेडमी में कार्य सत्र में इस संबंध में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उक्त कथित स्थिति स्वयं व्यक्त करती है कि यह अभूतपूर्व मामला है जो कई चीजें परिलक्षित करता है।

4. यह संक्षेप में गुणागुणों पर गहनतापूर्वक विचार किए बिना मामले का दुखदायी फ्लैश बैक है जो मामले में न्यायोचित निष्कर्ष पर आने के लिए इसके सही परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य की पुनः छानबीन करना आवश्यक बनाता है। हम अब ऐसा करना प्रारंभ करते हैं ताकि अधिमूल्यन किया जा सके कि साक्ष्य के कौन से टुकड़े का विधि के अंतर्गत साक्ष्यिक मूल्य है और साक्ष्य का कौन सा टुकड़ा, जो यद्यपि अभिलेख पर उपलब्ध है, विधितः अस्वीकार करना होगा।

5. सत्र विचारण सं॰ 84 वर्ष 2001 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बोकारो द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 20.5.2004 एवं दिनांक 22.5.2004 के दोषसिद्धि के एक ही आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध कुल 17 सदृश अपीलें दाखिल की गयी थी और न्यायालय की सुविधा के लिए उन्हें साथ सुना जा रहा है। दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1150 वर्ष 2012 वाली 18वीं अपील उसी प्राथमिकी से उद्भूत

होने वाले एस॰ टी॰ सं॰ 24 वर्ष 2005 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बोकारो द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 6.9.2012 एवं दिनांक 10.9.2012 के दोषसिद्धि के पृथक निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध अपीलार्थी खादिम हुसैन (A21) द्वारा दाखिल की गयी है। यहाँ यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि एक अपीलार्थी–दोषसिद्ध अर्थात तालेब अंसारी जिसने दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1144/04 वाला पृथक अपील दाखिल किया था की मृत्यु कारा में हो गयी, इस दशा में उक्त अपील उपशमनित हो गयी। इस प्रकार, वर्तमान में विचारार्थ हमारे पास कुल 17 अपीलें हैं। दिनांक 20.5.2004 के आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्तगण अर्थात् **A4 काजी रिजवान, 19 सबीर साह, A1 मोजीब अंसारी, A18 इकबाल साह, A11 मनी स्वामी** एवं **A20 प्रमोद पिल्लई** (कुल छह अभियुक्तगण) को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 120B के अधीन दोषसिद्ध किया गया और कठोर आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक को 20,000/- रुपयों का जुर्माना एवं जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में तीन वर्ष का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया। आगे, अभियुक्तगण अर्थात् **A14 यनूस अंसारी, A17 मोमीन अख्तर, A10 अनवर अंसारी, A8 मो॰ ईस्लाम अंसारी, A16 सय्यूम अंसारी, A7 मो॰ सिराजुद्दीन अंसारी, A6 मो॰ हबीब अंसारी, A5 मो॰ अब्बास अंसारी, A9 फिरोज साह, A3 मो॰ मंसूर अंसारी, A2 अब्दुल सत्तार अंसारी उर्फ सिराजुद्दीन अंसारी, A15 बरजू साह, A13 नूर आलम उर्फ ललित और A12 गफ्फार अंसारी** (कुल 14 अभियुक्तगण) को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 366/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ प्रत्येक को 5000/- रुपयों का जुर्माना और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में एक वर्ष के सामान्य कारावास का दंडादेश दिया गया और आगे उन्हें भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 (2) (g)/34 के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया और कठोर आजीवन कारावास भुगतने और प्रत्येक को 20,000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में तीन वर्षों का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश इस उपरिका के साथ दिया गया कि दोनों दंडादेश समवर्ती रूप से चलेंगे। किंतु, दिनांक 6.9.2012 के आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त **A21 खादिम हुसैन** को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 120B, 366 एवं 376 (2) (g) के अधीन दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कठोर कारावास भुगतने तथा 20,000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने एवं जुर्माना के भुगतान में व्यतिक्रम में भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 120B के अधीन अपराध के लिए तीन वर्ष के सामान्य कारावास, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 366 के अधीन अपराध के लिए दस वर्षों का कठोर कारावास भुगतने तथा 5000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने एवं जुर्माना के भुगतान में व्यतिक्रम में एक वर्ष के सामान्य कारावास और धारा 376 (2) (g) के अधीन अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास भुगतने और 2,000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने एवं जुर्माना के भुगतान में व्यतिक्रम में तीन वर्ष का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश इस उपरिका के साथ दिया गया कि समस्त दंडादेश समवर्ती रूप से चलेंगे।

6. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 273 आज्ञा देती है कि विचारण के क्रम में लिए गए समस्त साक्ष्य को अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा, तद्द्वारा जिसका अर्थ है कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में दर्ज साक्ष्य को उसके विरुद्ध विचार में नहीं लिया जा सकता है। उक्त आज्ञापक प्रावधान के आलोक में, 21 अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए एस॰ टी॰ सं॰ 84/2001 में अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य का पठन **अनुपस्थित अभियुक्त खादिम हुसैन** जिसे उस समय पर दाखिल आरोप–पत्र में फरार घोषित किया गया था के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। एस॰ टी॰ सं॰ 124/05 में खादिम हुसैन के लिए आरंभ किया गया विचारण पृथक साक्ष्य पर आधारित है जिसे केवल दिनांक 6 सितंबर, 2012 को पारित पृथक निर्णय के विरुद्ध उसके द्वारा दाखिल अपील विनिश्चित करने के लिए विचार में लिया ज सकता है।

7. अनावश्यक विवरणों से रहित अभियोजन मामला, जैसा पीड़िता के पिता गया प्रसाद अ॰ सा॰ 4 के दिनांक 7.4.99 की लिखित रिपोर्ट (आरंभिक बयान) से पाते हैं, यह है कि उसकी 19 वर्षीया ज्येष्ठ पुत्री (पीड़िता) जो अपने दैनिक रुटीन के मुताबिक दिनांक 5.4.1999 को रात्रि 9 बजे अपने घर के सामने

टहलने गयी थी घर नहीं लौटी थी और अनेक स्थानों पर उसकी तलाश की गयी थी। दिनांक 6.4.00 को प्रात: लगभग 6 बजे भर्रा बस्ती के दो लड़के उसके घर आए और सूचित किया कि पिछली रात्रि लगभग 2 बजे पीड़िता नग्नदशा में उनके घर के सामने आयी थी, अत: उन्होंने उसे अपने घर में रखा था। इस सूचना पर, सूचक अपनी छोटी पुत्री सोनिका के साथ भर्रा बस्ती गया और नाजुक हालत में अपनी ज्येष्ठ पुत्री (पीड़िता) को वापस घर लाया। उसके चेहरे एवं हाथों पर पायी गयी उपहति से पीड़िता के पिता ने जाना कि उसकी पुत्री का बलात्कार किया गया था किंतु शर्म एवं दु:ख के कारण उसने पुलिस को सूचित नहीं किया था अैर केवल अपने घर में उसकी देखभाल करने का प्रयास किया ताकि उसकी दशा सुधर सके। किंतु, उसकी बिगड़ती मानसिक दशा को देखने पर उसे दिनांक 7.4.99 को चिकित्सीय इलाज के लिए बोकारो जेनरल अस्पताल ले जाया गया था। लिखित रिपोर्ट का अंतिम पैराग्राफ प्रकट करता है कि सूचक ने कुछ असामाजिक तत्वों की सहअपराधिता पर संदेह किया था जो उसके घर के सामने स्थित शापिंग सेंटर में एक गराज पर एकत्रित हुआ करते थे। पूर्वोक्त अभिकथनों के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 366, 376 (2), 307, 379/120B के अधीन औपचारिक प्राथमिकी दर्ज सं॰ 61/99 बोकारो सेक्टर IV पुलिस थाना में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गयी थी जिसका अन्वेषण पुलिस एस॰ आई॰ ब्रजकिशोर (अ॰ सा॰ 9) द्वारा और बाद में इंस्पेक्टर सुधीर चंद्र चौधरी (अ॰ सा॰ 10) द्वारा किया गया था। अन्वेषण के दौरान पुलिस ने 21 दिन बाद पीड़िता युवती का उसके हस्ताक्षर के अधीन एक अन्य **फर्दबयान दर्ज किया, (जो दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 162 (1) की रिष्टि द्वारा हिट होता है और इसलिए विचार में नहीं लिया जा सकता है।)**

8. अन्वेषण के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के निकट पीड़िता के वस्त्रों को बरामद किया जिसे टी॰ आई॰ पी॰ पर रखा गया था और सूचक एवं उसकी पत्नी ने उन्हें पीड़िता के वस्त्रों के रूप में पहचाना जिसे उसके द्वारा घटना की रात पहना गया था।

9. तत्पश्चात पुलिस ने एक अभियुक्त **युनूस अंसारी** (A14) को गिरफ्तार किया और उसे कारा भेजा। टी॰ आई॰ पी॰ में पीड़िता ने **युनुस अंसारी** को अपहरणकर्ताओं में से एक एवं बलात्कारी के रूप में पहचाना था। पीड़िता का बयान और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दो अभियुक्तों अर्थात् अब्बास अंसारी एवं अनवर अंसारी का इकबालिया बयान भी आई॰ ओ॰ द्वारा प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दर्ज किया गया था। जैविक एवं सेरोलॉजिकल परीक्षण के लिए बरामद वस्तुओं को एफ॰ एस॰ एल॰ भेजा गया था और इसकी रिपोर्ट प्राप्त की गयी थी। अंतत: अन्वेषण के समापन पर अभियुक्तों के विरुद्ध चालान दाखिल किया गया था जिनके विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 366, 379, 307, 376 (2) (g) एवं 120B के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए थे जिनके लिए उनका विचारण किया गया था और अब वे दोषसिद्ध किए गए हैं और दो आक्षेपित निर्णयों में पारित आदेशों के निबंधनानुसार उन्हें दंडादेशित किया गया है, जैसा उक्त पैराग्राफ 6 में उल्लिखित किया गया है।

10. अभियुक्तों का मामला, जैसा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन दर्ज उनके बयान से पाया जाता है, केवल इनकार का है। प्रति परीक्षण के दौरान, विद्वान बचाव अभिवक्ता द्वारा कुछ अभियोजन गवाहों को यह सुझाया गया है कि अभियुक्तों को झूठा आलिप्त किया गया है। किंतु अभियोजन गवाहों ने इससे इनकार किया है। किंतु, अभियुक्तों ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य देना नहीं चुना है।

11. वस्तुत: विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री बी॰ एम॰ त्रिपाठी ने समस्त अभियुक्तों की ओर से तर्क किया है और अन्य अधिवक्ता ने असल में उनका तर्क अपनाया है। श्री त्रिपाठी ने अभियोजन मामले में कतिपय त्रुटियों को इंगित किया अर्थात् **पीड़िता के गैर परीक्षण के कारण अभियोजन के विरुद्ध**

प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है; अभियुक्त युनूस अंसारी के सिवाए किसी भी अभियुक्तगण काटी॰ आई॰ पी॰ नहीं किया गया था, अतः अभियोजन शेष अभियुक्तों की सह-अपराधिता प्रमाणित करने में विफल रहा है, एवं जहाँ तक युनूस अंसारी का संबंध है, सूचक की स्वीकृत रूप से उसके विरुद्ध दुश्मनी थी, क्योंकि वह पिल्लई गराज के रूप में ज्ञात गराज में उसकी उपस्थिति का विरोध करता था; अभियोजन गवाहों के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास थे जो मामले की जड़ तक जाते हैं; आक्षेपित निर्णय पुलिस द्वारा लेखबद्ध किए गए एवं टेपरिकॉर्डर में रिकॉर्ड किए गए अभियुक्तों के इकबालिया बयान पर आधारित है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के निबंधनानुसार प्रासंगिक नहीं है; अधिकाधिक भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 120 कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार करने की योजना छुपाने के लिए प्रयोज्य है किंतु उस आधार पर भी विचारण न्यायालय ने अनियमितता किया है और चूँकि उन्होंने उस आरोप का सामना नहीं किया है, उस अपराध के प्रति भी दोषसिद्धि का आदेश नहीं दिया जा सकता है। इस दशा में, समस्त अपीलार्थियों को उन पर पहले से ही अधिरोपित दोषसिद्धि को अस्त-व्यस्त करने के लिए संदेह का लाभ दिया जा सकता है।

12. समानांतर स्तंभ में, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया कि समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध दोषसिद्ध करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है, अतः दर्ज की गयी उनकी दोषसिद्धि पोषित किए जाने योग्य है। उन्होंने आगे इंगित किया कि किसी अंतरस्थ हेतु के साथ अभियोजन द्वारा पीड़िता को वापस रोका नहीं गया है, बल्कि यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है कि **पीड़िता भयानक सामूहिक बलात्कार के कारण पागल हो गयी थी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के निबंधनानुसार वह अपना अभिसाक्ष्य देने के लिए सक्षम नहीं थी। विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने आगे जोर दिया कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन उसके बयान का पठन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के निबंधनानुसार किया जाए।** उसी साँस में उन्होंने कथन किया कि सूचक ने न्यायालय में समस्त अभियुक्तों को पहचाना है और विद्वान बचाव अधिवक्ता द्वारा प्रति परीक्षण के दौरान उनकी पहचान को चुनौती नहीं दी गयी है। उन्होंने आगे जोड़ा कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कम से कम अभियुक्तों के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 120 की प्रयोज्यता के बारे में स्वीकार किया है, अतः, न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दो अभियुक्तों, जो इस सामूहिक बलात्कार में अपने साथियों की सह अपराधिता से पर्दा उठाते हुए उस समूह में उपस्थित थे, का इकबालिया बयान अपीलार्थियों की सह-अपराधिता के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ता है। उन्होंने प्रतिवाद किया कि समस्त अपीलें गुणागुणरहित है, अतः वे खारिज किए जाने योग्य हैं।

13. प्रथमतः, हम यहाँ ऊपर कथित कारणों से खादिम हुसैन (A21) द्वारा दाखिल दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 1150 वर्ष 2012 के सिवाए समस्त अपीलों को विनिश्चित करने के लिए इसके अधिमूल्यन के लिए एस॰ टी॰ सं॰ 84/2001 में अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य पर विचार कर रहे हैं।

14. अभियोजन ने दोष सिद्ध करने के लिए इस मामले में कुल 15 गवाहों का परीक्षण किया। अभियोजन ने अनेक दस्तावेजों को सिद्ध एवं प्रदर्शित किया है अर्थात् **प्रदर्श 1**- घटनास्थल के निकट बरामद किए गए स्कर्ट, ब्लाउज, ब्रेसियर एवं समीज की पहचान के लिए टी॰ आई॰ पी॰ चार्ट; **प्रदर्श 2**- अस्पताल से पीड़िता की छुट्टी करने का प्रमाण पत्र **प्रदर्श 3**- पुलिस द्वारा दर्ज पीड़िता का बयान; **प्रदर्श 4**–सूचक गया प्रसाद की लिखित रिपोर्ट; **प्रदर्श 5**- अभिग्रहण सूची पर सूचक का हस्ताक्षर; **प्रदर्श 6**- सूचक द्वारा द्वितीय आई॰ ओ॰ को लिखा गया पत्र; **प्रदर्श 6/1**- दिनांक 12.7.99 एवं दिनांक 13.7.99 को टी॰ आई॰ पी॰ में उपस्थित होने के लिए पीड़िता युवती को जारी नोटिस; **प्रदर्श 6/2**- पीड़िता की माता चंद्र प्रभा प्रसाद द्वारा पुलिस इंस्पेक्टर को लिखा गया पत्र; **प्रदर्श 7**- डॉ॰ शैल वर्मा द्वारा जारी चिकित्सीय प्रमाण पत्र; **प्रदर्श 8**–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अभियुक्त अब्बास अंसारी का इकबालिया बयान;

प्रदर्श 8/1- दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अभियुक्त अनवर अंसारी का इकबालिया बयान; **प्रदर्श 9**- दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अभियुक्त अब्बास अंसारी के बयान पर दंडाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र; **प्रदर्श 10**–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन **पीड़िता युवती का बयान; प्रदर्श 11**- डॉ॰ गीता सिंह द्वारा तैयार किया गया पीड़िता युवती का मेडिकल केस शीट्स; **प्रदर्श 12**-पीड़िता युवती की उपहति रिपोर्ट; **प्रदर्श 13**- पीड़िता के योनी स्राव की पैथोलोजिकल रिपोर्ट, **प्रदश 14**–रेडियो लॉजिस्ट की रिपोर्ट; **प्रदर्श–15** दिनांक 7.4.99 को डॉक्टर द्वारा तैयार किया गया पीड़िता की उपहति रिपोर्ट; **प्रदर्श 16**– डॉ॰ ए॰ एन॰ बोस द्वारा तैयार किया गया पीड़िता युवती का क्लिनिकल हिस्ट्री शीट; **प्रदर्श 16/1–** डॉ॰ टी॰ सुधीर द्वारा तैयार किया गया क्लिनिकल हिस्ट्री शीट; **प्रदर्श 17**- एनेस्थेसिया के अधीन पीड़िता युवती की परीक्षण रिपोर्ट; **प्रदर्श 17/1**–एनेस्थेसिया नोट; **प्रदर्श 18**- पीड़िता युवती का प्रवेश फॉर्म; **प्रदर्श 19**- डॉ॰ डी॰ एन॰ तिवारी द्वारा तैयार किया गया एवं हस्ताक्षरित तथा क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, राँची के यू॰ के॰ सिन्हा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट; **प्रदर्श 20**- एफ॰ एस॰ एल॰ द्वारा दिया गया सेरोलॉजिकल रिपोर्ट; **प्रदर्श 21**-अभियुक्तों की पहचान के लिए तैयार किया गया टी॰ आई॰ पी॰ चार्ट; **प्रदर्श 22**- लिखित रिपोर्ट पर पुलिस अधिकारी का पृष्ठांकन; **प्रदर्श 22/1**- लिखित रिपोर्ट पर ओ॰/सी॰, सेक्टर IV पी॰ एस॰, बोकारों का पृष्ठांकन; **प्रदर्श 23**-ऑटो रिक्शा की बरामदगी की अभिग्रहण सूची, **प्रदर्श 23/1**-समीज एवं ब्रेसियर की अभिग्रहण सूची; **प्रदर्श 23/2**- गुलाबी रंग के ब्लाउज एवं स्कर्ट की बरामदगी के लिए तैयार की गयी अभिग्रहण सूची; **प्रदर्श 23/3**- क्रीम रंग के सूट के लिए तैयार की गयी प्रस्तुती–सह–अभिग्रहण सूची; **प्रदर्श 24**- अभियुक्त युनूस अंसारी का इकबालिया बयान; प्रदर्श 24/1 से 24/3 अभियुक्तगण **अनवर अंसारी, मोमिन अख्तर** एवं **फिरोज साह** का इकबालिया बयान; **प्रदर्श 24/4 से 24/6** अभियुक्तगण **मो॰ इसलाम अंसारी, सिराजुद्दीन अंसारी** एवं **हबीब अंसारी** का इकबालिया बयान; **प्रदर्श 24/7 से 24/9** अभियुक्तगण **मंसूर अंसारी, अब्दुल सत्तार** एवं **अब्बास अंसारी** का इकबालिया बयान; **प्रदर्श 24/10 से 24/12- बरजू साह, नूर आलम** एवं **सय्यूम अंसारी** का इकबालिया बयान; **प्रदर्श 25**- निदेशक, न्यायालयिक प्रयोगशाला. राँची को इसके परीक्षण के लिए तात्विक प्रदर्शों को भेजने के लिए सी॰ जे॰ एम॰, बोकारो की फॉरवार्डिंग रिपोर्ट; **प्रदर्श 26- डॉ॰ शैल वर्मा, कंसल्टैंट साइकियाट्रिस्ट** जे॰ एल॰ एन॰ अस्पताल एवं शोध केन्द्र, भिलाई (एम॰ पी॰) **द्वारा जारी चिकित्सीय प्रमाण पत्र, प्रदर्श 27**-समन की कार्बन कॉपी पर सूचक गया प्रसाद का हस्ताक्षर; **प्रदर्श 28–**सी॰ जे॰ एम॰, बोकारो को संबोधित सब जेल, चास के जेल डॉक्टर का पत्र; **प्रदर्श 29**–रक्त समूह एवं Rh टाइपिंग परीक्षण रिपोर्ट; **प्रदर्श 30**–औपचारिक प्राथमिकी; **प्रदर्श 31**- आरोप पत्र, **प्रदर्श 31/1**-पूरक आरोप पत्र; **प्रदर्श 32**- बी॰ एस॰ पी॰ अस्पताल, भिलाई (म॰ प्र॰) के डॉ॰ दास द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र; **प्रदर्श 33**- पीड़िता युवती के नाम में जारी समन के पीछे सूचक गया प्रसाद का हस्ताक्षर।

15. अभियोजन ने अन्वेषण के दौरान जब्त सामग्रियों को **तात्विक प्रदर्श एम॰ 1** के रूप में प्रस्तुत एवं प्रदर्शित किया है। इसने अभियुक्त नूर आलम का इकबालिया बयान अंतर्विष्ट करने वाले रिकॉर्डेड 'टेप कैसेट' को भी प्रस्तुत एवं प्रदर्शित किया है।

<u>अभियोजन गवाह:</u>

16. अ॰ सा॰ 1 डॉ॰ त्रिपीत प्रसाद सिंह वह व्यक्ति है जिसने जूनियर डॉक्टर ए॰ एन॰ बोस की उपस्थिति में पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया था और उसके शरीर पर यौन प्रहार के निशानों अर्थात् गालों, छाती एवं पैरों पर जख्मों को ध्यान में लिया था।

17. अ॰ सा॰ 2 राजीव शंकर अंचलाधिकारी है। उसके अनुसार, फटे हुए गुलाबी रंग के स्कर्ट एवं ब्लाउज, उजले रंज की समीज एवं ब्रेसियर का टी॰ आई॰ पी॰ स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में संचालित

किया गया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि पीड़िता के माता-पिता ने गवाह के रूप में टी॰ आई॰ पी॰ में भाग लिया था और अन्य वस्त्रों के बीच से उन पहने हुए वस्त्रों को पीड़िता के वस्त्रों के रूप में पहचाना था। तत्पश्चात, उसने टी॰ आई॰ पी॰ संचालित करने के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी होने के नाते अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में टी॰ आई॰ पी॰ चार्ट **(प्रदर्श 1)** तैयार किया था।

18. अ॰ सा॰ 3 डॉ॰ के॰ एन॰ ठाकुर ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने दिनांक 8.4.99 से दिनांक 21.4.99 तक बोकारो जेनरल अस्पताल में उसके मानसिक रोग के लिए पीड़िता का चिकित्सीय इलाज किया था। उन्होंने दिनांक 21.4.99 को डॉ॰ टी॰ सुधीर द्वारा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को दी गयी इस प्रभाव की लिखित सूचना (प्रदर्श 2) को सिद्ध किया है कि पीड़िता स्वस्थ हो गयी थी। तत्पश्चात, पुलिस इंस्पेक्टर (अ॰ सा॰ 10) द्वारा उसकी उपस्थिति में पीड़िता का बयान दर्ज किया गया था।

19. अ॰ सा॰ 4 गया प्रसाद (सूचक) ने अपने पूर्व बयान को अभिपुष्ट करते हुए शपथ पर कथन किया कि उसकी लगभग 19 वर्षीय बड़ी पुत्री (वर्तमान पीड़िता) अपने घर नहीं लौटी थी, जो अपने दैनिक रुटीन के मुताबिक दिनांक 5.4.99 को रात्रि 9 बजे क्वार्टर के सामने टहलने के लिए गयी थी जिस पर उसने पूरी रात अनेक स्थानों पर उसकी खोज की थी। दिनांक 6.4.99 को प्रातः लगभग 6 बजे भर्रा बस्ती के दो लड़के उसके घर आए और सूचित किया कि पिछली रात्रि लगभग 2 बजे पीड़िता नग्न दशा में उनके घर के सामने आयी थी। उन्होंने उसे पहनने के लिए वस्त्र और अपने घर में आश्रय दिया था। इस सूचना की प्राप्ति पर, सूचक अपनी छोटी पुत्री सोनिका के साथ भर्रा बस्ती गया और अपने साथ अपनी बड़ी पुत्री (पीड़िता) को नाजुक दशा में लाया। उसने आगे कथन किया कि जब उसकी मानसिक अवस्था बिगड़ने लगी, उसे अंततः उसके द्वारा बी॰ जी॰ अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ उसे भरती किया गया था। चिकित्सीय इलाज के बाद, अस्पताल से उसकी छुट्टी की गयी थी और तत्पश्चात उसने परिवाद किया कि जब वह अपने घर के बाहर टहल रही थी, किसी ने पीछे से उसकी नाम को रुमाल से बंद कर दिया और जबरन उसको एक वाहन में घसीट लिया और उसको निर्जन स्थान पर ले गए जहाँ 20-25 लोगों ने उसे घेर लिया और उसके वस्त्रों को फाड़ दिया और एक-एक करके उसका बलात्कार करने लगे। जब उसने प्यास महसूस किया और मूत्र त्याग करना चाहा, वे उसे निकट बहते गंदे नाले के पास लाए और वहाँ उसको मूत्र त्याग करने के लिए और इसका बदबूदार पानी पीने के लिए विवश किया। जब उसने उनकी अमानवीय मांगों का विरोध किया, उनके द्वारा उस पर प्रहार किया गया था। परिणामस्वरुप उसे अनेक उपहतियाँ आयी। अभियुक्तगण बलात्कार करने के बाद उसको नग्न दशा में छोड़ कर चले गए और उसकी एच॰ एम॰ टी॰ घड़ी भी ले गए। किंतु वह घटना स्थल के निकट स्थित घर आयी और मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। घर के सदस्य जाग गए, उसको घर के अंदर ले गए और उसको पहनने के लिए वस्त्र दिया। सूचक ने घर के सदस्यों द्वारा दी गयी समीज प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गयी प्रस्तुती-सह-अभिग्रहण सूची पर अपना हस्ताक्षर प्रदर्श 5 के रूप में सिद्ध किया है। पुलिस दिनांक 21.5.99 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन उसका बयान दर्ज करने के लिए उसकी पुत्री (पीड़िता) को न्यायालय ले गयी और दिनांक 10.6.99 को टी॰ आई॰ पी॰ संचालित करने के लिए एसे कारा ले गयी। पुलिस के अनुदेश के मुताबिक, सूचक और उसकी पत्नी ने टी॰ आई॰ पी॰ में भाग लिया, जिसका प्रबंध घटना स्थल से बरामद की गयी वस्तुओं के पहचान के लिए किया गया था। उन्होंने पीड़िता के फटे हुए गुलाबी रंग के स्कर्ट ब्लाउज (जिसे उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि पर पीड़िता द्वारा पहना गया था), समीज एवं ब्रेसियर को पहचाना दिनांक 11.6.99 को पुलिस पुनः उसके क्वार्टर आयी और उसकी पुत्री को टी॰ आई॰ पी॰ में भाग लेने के लिए कहा किंतु उसने इस कारण से जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने पुलिस की उपस्थिति में पूर्व अवसरों पर राहगीरों द्वारा उसके विरुद्ध की गयी भद्दी टिप्पणियों को सुनने पर शर्म

महसूस किया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसे भिलाई स्थानांतरित कर दिया गया था जहाँ पुलिस टी॰ आई॰ पी॰ के लिए उसकी पुत्री को बोकारो ले जाने के लिए आयी थी। किंतु, मानसिक रोग के कारण उसकी पुत्री ऐसी दशा में नहीं थी कि वह पुलिस के साथ जा सके। अत:, पुलिस द्वारा उससे इस प्रभाव के प्रमाण पत्र **(प्रदर्श 6/1 एवं 6/2)** लिए गए थे। उसने जे॰ एल॰ नेहरू अस्पताल, भिलाई के डॉ॰ शैल वर्मा जो पीड़िता के मानसिक रोग का इलाज कर रही थी द्वारा जारी इस प्रभाव के प्रमाण पत्र **(प्रदर्श 7)** कि पीड़िता ऐसी दशा में नहीं थी कि वह साक्ष्य देने के लिए बोकारो जा सकती थी, को भी सिद्ध एवं प्रदर्शित किया है। उसने कथन किया है कि उसके घर के ठीक सामने शापिंग सेन्टर में पिल्लई के स्वामित्व वाला एक गैराज है जहाँ असामाजिक तत्व जमा होते थे और उसके क्वार्टर की ओर मुँह करके मूत्र त्याग करते थे जिसका उसने विरोध किया था और टेलीफोन के माध्यम से पुलिस से शिकायत किया था। उसने न्यायालय में अभियुक्तों के कठघरे में समस्त अभियुक्तों को देखने पर उनको उन्हीं असामाजिक तत्वों के रूप में पहचाना था जो गराज में जमा होते थे और महिलाओं को देखकर भद्दी टिप्पणी करते थे।

20. प्रतिपरीक्षण के दौरान सूचक का परिसाक्ष्य कमजोर बनाने के लिए कुछ भी तर्कपूर्ण नहीं निकाला गया है और यह गौर करना भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्तों की पहचान को चुनौती नहीं दी गयी है।

21. अ॰ सा॰ 5 श्री अशोक कुमार पाठक जो न्यायिक अधिकारी है ने कथन किया है कि उसने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में अब्बास अंसारी और अनवर अंसारी के इकबालिया बयानों **(प्रदर्श 8** एवं **प्रदर्श 8/1)** और पीड़िता का बयान **(प्रदर्श 10)** दर्ज किया है। उसने यह कथन भी किया है कि उसने अभियुक्त के इकबालिया बयान दर्ज करने के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करके अभियुक्तों का इकबालिया बयान दर्ज किया और उसने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में उक्त बयान पर इस प्रभाव का प्रमाण पत्र दिया है।

22. अ॰ सा॰ 6 गीता सिंह ने पीड़िता का परीक्षण किया था। उन्होंने यह प्रकट करते हुए कि दिनांक 7.4.99 को पीड़िता को यौन प्रहार के कारण अनेक उपहतियों के साथ गंभीर दशा में बी॰ जी॰ अस्पताल, बोकारो में भरती किया गया था, भरती फॉर्म (प्रदर्श 18) सिद्ध किया है। प्रदर्श 15 के मुताबिक, उन्होंने निम्नलिखित रूप में बाह्य उपहतियों का वर्णन किया है–(i) नितंब के दोनों हिस्सों, दोनों छातियों, दोनों हाथों, दोनो पैरों एवं चेहरा पर **(खरोंच के अनेक निशान के साथ)** अनेक खरोंचें; (ii) दायीं छाती (पार्श्विक पहलू) के ऊपर तीन इंच ब्यास का हेमाटोमा; (iii) बायीं छाती के उपर दो इंच व्यास का हेमाटोमा। उपहतियों की प्रकृति सामान्य थी जो कड़े एवं भोथरे, नाखून जैसे धारदार वस्तु द्वारा कारित की गयी थी। परीक्षण के समय पर उपहतियों की आयु चौबीस घंटा से अधिक थी। **उन्होंने कथन किया है कि मरीज चिड़चिड़ी थी और एनेस्थेसिया के बिना आंतरिक परीक्षण करना संभव नहीं था। एनेस्थेसिया के अधीन की गयी पीड़िता के परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 17) को सिद्ध करने के लिए उन्होंने उपहतियों का निम्नलिखित वर्णन दिया है (1) लेबिया माइनोरा के ऊपर त्वचा एवं इनर आस्पेक्ट लेबिया मेजोरा छिली हुई थी; (2) मार्जिन रॉ के साथ पॉस्टीरियली फटा हाइमन; (3) थोड़ा रक्तरंजित डिस्चार्ज उपस्थि; (4) हरापन लिए मवाद (5 से 10 c.c) उपस्थित। स्पेकुलम परीक्षण पर योनि में मौजूद लगभग 4-5cc दूधिया द्रव्य सीरिंज से निकाला गया था और वीर्य का पता लगाने के लिए पैथोलॉजिकल लैब भेजा गया था। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट (प्रदर्श 13) के मुताबिक वेजाइनल स्वाब में ओकेजन मृत स्पर्मेटोजोआ पाया गया था। उन्होंने चिकित्सीय परीक्षणों एवं पीड़िता के शरीर पर उपहतियों के बारे में सबकुछ प्रकट करने के लिए केस शीट्स (प्रदर्श 11) उपहति रिपोर्ट (प्रदर्श 12), रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट (प्रदर्श 14), क्लिनिकल हिस्ट्री (प्रदर्श 16, 16/1) और एनेस्थेसिया रिपोर्ट (प्रदर्श 17) सिद्ध किया है।**

23. अ॰ सा॰ 7 शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, टेकनिशियन, एफ॰ एस॰ एल॰, राँची ने प्रदर्श 19 के रूप में तत्कालीन वरीय वैज्ञानिक श्री डी॰ एन॰ तिवारी के हस्ताक्षर में जैविक परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया है

जो प्रकट करता है कि दो भाग के वस्त्र में A से O तक चिन्हित वस्त्रों पर धब्बा निशान के परीक्षण पर दोनों प्रदर्शों पर धब्बा I/A से I/G, I/I, II/K, II/L एवं II/O में वीर्य का पता लगाया गया है। इस गवाह ने वरीय वैज्ञानिक श्री डी॰ एन॰ तिवारी के हस्ताक्षर के अधीन प्रदर्श 20 के रूप में सीरोलॉजिकल परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया है जो दोनों वस्त्रों पर पाए गए वीर्य के रक्त समूह को प्रकट करता है।

तात्विक प्रदर्श	स्कर्ट पर धब्बा	स्कर्ट पर धब्बा	स्कर्ट पर धब्बा	स्कर्ट पर धब्बा	स्कर्ट पर धब्बा	स्कर्ट पर धब्बा	स्कर्ट पर धब्बा	टॉप पर धब्बा	टॉप पर धब्बा	टॉप पर धब्बा
चिन्ह	I/A के रूप में चिन्हित	I/B के रूप में चिन्हित	I/C के रूप में चिन्हित	I/D के रूप में चिन्हित	I/E के रूप में चिन्हित	I/G के रूप में चिन्हित	I/I के रूप में चिन्हित	II/K के रूप में चिन्हित	II/L के रूप में चिन्हित	II/O के रूप में चिन्हित
निष्कर्ष	वीर्य	वीर्य	वीर्य	वीर्य	वीर्य	वीर्य	वीर्य	वीर्य	वीर्य	वीर्य
रक्त समूह	'B'	'A एवं 'B' एन्टीजन	'A'	'B'	'A'	'B'	'B'	'A' एवं 'B' एन्टीजन	'A' एवं ' B' एन्टीजन	'O'

24. अ॰ सा॰ 13 डॉ॰ चंद्रभूषण प्रसाद सिंह के अनुसार, विद्वान सी॰ जे॰ एम॰ के आदेश के अनुपालन में उनके निर्देश के मुताबिक अभियुक्तों के रक्त समूह का परीक्षण किया गया था। उन्होंने प्रदर्श 29 के रूप में अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में रिपोर्ट की कार्बन प्रति को सिद्ध किया है जो अभियुक्तों का रक्त समूह एवं Rh कारक प्रकट करता है:–

अभियुक्त	A-2	A-3	A-4	A-6	A-8	A-9	A-10	A-11	A-12	A-13	A-14	A-15	A-16	A-17	A-21
रक्त समूह	B+	A+	B+	O+	A+	O+	B+	B+	O+	A+	B+	O+	A+	A+	O+

25. अ॰ सा॰ 8 न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार द्विवेदी ने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में टी॰ आई॰ पी॰ चार्ट (प्रदर्श 21) सिद्ध किया है और कथन किया है कि विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करके टी॰ आई॰ पी॰ संचालित किया गया था जिसमें पीड़िता ने संदिग्ध को युनूस अंसारी के रूप में पहचाना जिसने उसके साथ बलात्कार किया था।

26. अ॰ सा॰ 9 ब्रज किशोर भारती, मामले का प्रथम आई॰ ओ॰ ने कुछ दस्तावेज सिद्ध किया है जैसा ऊपर कथन किया गया है और वर्णन किया है कि जब वह बी॰ जी॰ अस्पताल पहुँचा, पीड़िता बयान देने की दशा में नहीं थी। उसके अनुसार, उसने घटना स्थल का निरीक्षण किया जो गारा नदी के दक्षिण में बोकारो होटल के पीछे खुले एवं निर्जन स्थान में अवस्थित है और एक ब्रेसियर एवं पुरानी कमीज बरामद किया। तत्पश्चात, उसने अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 23/1) तैयार किया। उसने बरामदगी के प्रथम स्थान से कुछ दूरी पर दीवार के पीछे गुलाबी रंग के स्कर्ट ब्लाउज को भी बरामद किया और अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 23/2) तैयार किया। उसने बरामद किए गए वस्त्रों की मदद से ट्रेकिंग करने के लिए स्निफर कुत्ते का मदद भी लिया। कुत्ता सेवानिवृत्त बी॰ डी॰ ओ॰ के घर के पीछे मो॰ मोबिनुद्दीन के घर गया और तत्पश्चात कुत्ता युनूस अंसारी के घर पहुँचा। पुन: स्निफर कुत्ता घटनास्थल से युनूस अंसारी के घर गया। उसने पीड़िता जब वह निर्वस्त्र थी को दिए गए समीज की प्रस्तुती पर तैयार किए गए अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 23/3) को सिद्ध किया है। उसने अपने द्वारा दर्ज अभियुक्तों के इकबालिया बयान के बारे में कथन किया है किंतु वे साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक अप्रासंगिक हैं क्योंकि वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं।

27. प्रति परीक्षण के दौरान इस आई॰ ओ॰ के पूर्वोक्त परिसाक्ष्य कमजोर बनाने के लिए कुछ भी निकाला नहीं गया है।

28. अ॰ सा॰ 10 सुधीर चंद्र चौधरी, मामले का द्वितीय आई॰ ओ॰, ने विस्तार में घटनास्थल का वर्णन किया है और जोड़ा है कि उसने पीड़िता को दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जहाँ दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन उसका बयान दर्ज किया गया था। पीड़िता ने दिनांक 10.6.99 को संदिग्ध **युनूस अंसारी** की परीक्षा पहचान के लिए कारा में किए गए टी॰ आई॰ पी॰ में भी भाग लिया है और युनूस को अपराध के दोषी के रूप में पहचाना है। उसने सील किए गए तात्विक प्रदर्शों को इनके परीक्षण के लिए तलब मेमो (प्रदर्श 25) के साथ एफ॰ एस॰ एल॰ भेजा। उसने जब्त वस्त्रों (एम॰ प्रदर्श I) और अभियुक्त **नूर आलम** के इकबालिया बयान के टेपरिकॉर्डिंग के कैसेट को प्रस्तुत एवं प्रदर्शित किया है।

29. अ॰ सा॰ 11 प्रमोद कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर, जो पीड़िता पर समन तामील करने के लिए दिनांक 3.2.2003 को भिलाई गया था, ने कथन किया है कि उसे उसके मानसिक रोग और जे॰ एल॰ नेहरु अस्पताल, भिलाई की डॉ॰ शैल वर्मा द्वारा किए गए उसके मानसिक रोग के चिकित्सीय इलाज के बारे में पीड़िता के पिता से पता चला। उसने मानसिक रोग के कारण न्यायालय में आने में उसकी अक्षमता के संबंध में पीड़िता के पिता द्वारा समन (प्रदर्श 27) के पीछे किए गए नोटिंग और डॉ॰ शैल वर्मा द्वारा जारी इस प्रभाव के चिकित्सीय प्रमाण पत्र (प्रदर्श 26) को सिद्ध किया है।

30. अ॰ सा॰ 12 डॉ॰ रत्नेश्वर प्रसाद वर्मा ने अपने लेखन एवं हस्ताक्षर में सी॰ जे॰ एम॰, बोकारो को संबोधित पत्र (प्रदर्श 28) को सिद्ध किया है जिसके द्वारा उन्होंने न्यायालय को सूचित किया कि अभियुक्तगण जो जमानत पर थे सेरोलॉजिकल परीक्षण के लिए रक्त नमूना देने के लिए उसके समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे।

31. अ॰ सा॰ 14 अवधेश कुमार ने औपचारिक रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 के निबंधनानुसार प्रदर्श 30 के रूप में औपचारिक प्राथमिकी सिद्ध किया है।

32. अ॰ सा॰ 15 रत्नेश मोहन ठाकुर एक अन्य पुलिसकर्मी है जो दिनांक 27.1.04 को भिलाई गया था और पीड़िता को पागलपन की दशा में पाया था। उसके अनुसार, पीड़िता समन प्राप्त करने में अक्षम थी। अत: उसने पीड़िता के पिता पर समन तामील किया। उसने आगे जोड़ा है कि उसने उसकी विक्षिप्तता से संबंधित पीड़िता का चिकित्सीय अभिलेख देखा था। उसने समन की तामीला रिपोर्ट (प्रदर्श 33) एवं चिकित्सा अधिकारी श्री दास द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र (प्रदर्श 32) सिद्ध किया है जो इस तथ्य को प्रकट करता है कि पीड़िता सदमा पश्चात् तनाव रोग से पीड़ित है और निरंतर इलाज में है।

33. हमारे दृष्टिकोण में, तीन दस्तावेज अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इन पर यह अभिनिश्चित करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि इस अपराध में वास्तविक अपराधी कौन था। वे निम्नलिखित हैं: (i) दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज पीड़िता का बयान (ii) दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज अभियुक्त अब्बास अंसारी का इकबालिया बयान और (iii) दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज अभियुक्त अनवर अंसारी का इकबालिया बयान।

34. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज पीड़िता के बयान के विषय वस्तु पर चर्चा के पहले हमें देखना होगा कि क्या इसे विचार में लिया जा सकता है या नहीं?

35. साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 अन्य बातों के साथ कथन करती है, वह साक्ष्य, जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्यवाही में, या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, उन तथ्यों को सत्यता का, जो उस साक्ष्य में कथित है, किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत है, जब कि वह साक्षी मर गया है या मिल नहीं सकता है, या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ या प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुँच के बाहर कर दिया गया है अथवा यदि उसकी उपस्थिति इतने विलम्ब या व्यय के बिना, जितना कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है, अभिप्राप्त नहीं की जा सकती। **परन्तु**–वह तब जब कि–वह कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी; **प्रथम कार्यवाही**

में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर था; विवाद्यक प्रश्नगत कार्यवाही में सारत: वही थे जो प्रथम तथा द्वितीय कार्यवाही में हैं। **स्पष्टीकरण.–इस धारा के अर्थान्तर्गत अभियोजक एवं अभियुक्त के बीच की कार्यवाही को दांडिक विचारण या जाँच समझा जायेगा।''**

36. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 की प्रयोज्यता के लिए, यह आज्ञापक है कि विरोधी पक्ष को गवाह का प्रति परीक्षण करने के लिए अधिकार एवं अवसर देना ही होगा, किंतु **दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन बयान दर्ज किए जाने के समय पर गवाह का प्रति परीक्षण करने के लिए विरोधी में कोई अधिकार अथवा अवसर निहित नहीं है। अत: भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 वर्तमान मामले पर प्रयोज्य नहीं है।** तद्द्वारा जिसका अर्थ है कि हम कम से कम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के बल पर दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज किए गए पीड़िता के बयान का पठन विधित: नहीं कर सकते हैं। किंतु, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज गवाह के बयान का स्वयं संपुष्टिकारी मूल्य है।

37. प्रदर्श 10 दिनांक 21 मई, 1999 को दर्ज दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन पीड़िता का बयान है जिसमें उसने अपने भाग्य पर दु:ख जताया है। उसके अनुसार, दिनांक 5.4.1999 को रात्रि लगभग 8-8.30 बजे जब वह अपने घर के बाहर टहल रही थी और जब वह बोकारो इस्पात पुस्तकालय के निकट पहुँची, किसी ने पीछे से उसकी नाक पर रुमाल रख दिया और जबरन उसे कार में घसीट कर ले गए जिसमें 2-3 और लोग बैठे थे; तत्पश्चात वह रुमाल की गंध के कारण बेहोश हो गयी। कुछ समय बाद, जब उसे होश आया, उसने उसको मैदान में छोड़कर बोकारो होटल के पीछे कार लौटते देखा जहाँ अनेक व्यक्ति जमा थे जो उसे प्रपीड़ित करने के बाद एक-एक करके उसका बलात्कार करने लगे। जब उसने प्यास महसूस किया और मूत्र त्याग करना चाहा, वे उसे निकट से गुजरने वाले गंदे नाले के पास लाए और उसे वहाँ मूत्र त्याग करने के लिए मजबूर किया और उसे इसका बदबूदार पानी भी पीने के लिए विवश किया। उनके हाथों में कुल्हाड़ी एवं डंडा था। उन्होंने आग्नेयास्त्र और कारतूस दिखाकर धमकाया भी था। उसने उनको टॉर्च की रोशनी में देखा था जिसे वे बार-बार उसके चेहरे पर चमका रहे थे। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो संपूर्ण अवधि के दौरान वहाँ बना रहा ने भी उसके साथ बलात्कार किया। अपराधस्थल पर दुबले-पतले शरीर वाले दो-तीन लोग थे जिन्होंने अपनी कमर के इर्द-गिर्द लुंगी पहन रखा था जबकि अन्य सामान्य कद-काठी के थे। कुल मिलाकर, 10-12 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसको वहाँ अकेला छोड़ दिया। किंतु, वह निकट के घर पर आयी जहाँ उसे पहनने के लिए वस्त्र दिया गया था। उसके आवासीय पता के बारे में पूछताछ करने के बाद, उसके पिता को सूचना भेजी गयी थी जो तत्पश्चात वहाँ आया और उसको ले गया। उसने सत्यनिष्ठ विश्वास के साथ इस अपराध में तीन व्यक्तियों की सह-अपराधिता अभिकथित किया है अर्थात् उसके विद्यालय का **राहुल राज** नामक लड़का जो भद्दी भाषा में उसको पत्र लिखा करता था; **पिल्लई** नामक एक दक्षिण भारतीय जो उसके घर के सामने गराज के बगल में रहता था और जो उसको उसके घर के फाटक पर उसको भद्दी भाषा में लिखे गए पत्र छोड़ दिया करता था **और एक डोसा वाला।**

38. हमने उसकी मानसिक बीमारी के चिकित्सीय इलाज के दीर्घकालिक क्रम के दौरान दिनांक 20.4.2008 को पीड़िता की मृत्यु के तथ्य को ध्यान में लिया है। शपथ पर पीड़िता के पिता के परिसाक्ष्य और पीड़िता के मृत्यु प्रमाण पत्र (जिसे इसी मामले से उद्भूत होने वाले एस॰ टी॰ सं॰ 124/05) में दाखिल किया गया था जो इस अभिलेख के साथ संलग्न है क्योंकि एस॰ टी॰ सं॰ 124/05 में पारित निर्णय के विरुद्ध अपील भी दाखिल की गयी है), के परिशीलन पर यह प्रकट हो जाता है कि मृतका की मानसिक बीमारी जघन्य बलात्कार का त्रासदीपूर्ण परिणाम थी।

39. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) अभिव्यक्त रूप से कथन करती है कि ''जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में **या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरुप उसकी मृत्यु हुई,** तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो। ऐसे बयान प्रासंगिक होते हैं चाहे उस समय जब बयान दिया गया था, बयान देने वाला व्यक्ति मृत्यु की प्रत्याशा में हो अथवा नहीं, तथा कार्यवाहियों की प्रकृति चाहे जो भी रही हो जिसमें उसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है।''

40. यदि हमारे समक्ष लंबित विवादित मामला भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन मृतका की मृत्यु का कारण था, जिसकी मृत्यु सामूहिक बलात्कार और अन्वेषण के दौरान उसके विरुद्ध की गयी भद्दी टिप्पणियों के सदमापूर्ण प्रभाव के परिणामस्वरुप, उसके गहरे मानसिक रोग के कारण हो गयी, निश्चय ही दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन उसके बयान को **संव्यवहार, जिसका परिणाम उसकी मृत्यु में हुआ,** के रूप में माना जा सकता था ताकि अपराध के वास्तविक अपराधी के बारे में सत्य का पता लगाया जा सके। इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के निबंधनानुसार साक्ष्य के विश्वसनीय, सारवान टुकड़े के रूप में माना जा सकता था। **इस मामले में वह स्थिति नहीं है।** किंतु इसी समय पर, हमें कोई संकोच नहीं है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज पीड़िता के बयान में सत्यपूर्णता एवं सत्यता की गुणवत्ता है। अतः, हम इसे विश्वसनीय मानते हैं और सत्य का पता लगाने के लिए विचार में लेते हैं। **बी॰ पी॰ अचला आनन्द बनाम एस॰ अप्पी रेड्डी एवं एक अन्य, AIR 2005 SC 986, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि ''समाधान के लिए विवाद्यक सामने लाने वाली असामान्य तथ्य स्थिति नवीनता लाने का अवसर है। विधि, जैसा न्यायालयों द्वारा प्रदान किया जाता है। न्याय प्रदान करता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मामला विनिश्चित करते हुए न्यायालय को दिए गए मामले में विशेष तथ्यों, यदि वे विद्यमान हैं, को ध्यान में रखना होगा,''** में निर्णय के बल पर मृतका के बयान का उपयोग साक्ष्य के संपुष्टिकारी टुकड़े के रूप में करना चाहिए।

41. अब हम अभियुक्त **अब्बास अंसारी (A5)** के इकबालिया बयान (प्रदर्श 9) पर आते हैं जिसे दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन प्रावधानित प्रक्रिया के निबंधनानुसार सम्यक रूप से दर्ज किया गया है। यह प्रकट करता है कि अभियुक्त अब्बास अंसारी दिनांक 5/6.4.99 की मध्यक्षेपी रात्रि में 1.30 बजे घटनास्थल अर्थात् कव्वाली मैदान में सह-अभियुक्तों अर्थात् **सिराजुद्दीन अंसारी (A7) इस्लाम अंसारी (A8), यूनूस अंसारी (A14), हबीब अंसारी (A6), फिरोज साह (A9), सुगा हुसैन के पुत्र अर्थात् खादिम हुसैन (A21) (अभिलेख के मुताबिक फरार), मशाल साह का पुत्र अर्थात् बरजू साह (A15) (अभिलेख के मुताबिक), सय्यूम अंसारी (A16), मोमीन अख्तर (A17) के साथ उपस्थित था। समस्त भर्रा बस्ती के हैं।** यद्यपि, अब्बास अंसारी (A5) ने पीड़िता के साथ बलात्कार करने से इनकार किया है, उसने संस्वीकार किया कि वह घटना स्थल पर उपस्थित था जहाँ अन्य सह-अभियुक्तों ने नवयुवती को घेर रखा था और बारी-बारी से उसका बलात्कार किया था। वह यह कहने में अत्यन्त स्पष्ट था कि जब उसने घटनास्थल से जाना चाहा, कुछ अभियुक्तों ने अपनी देशी भाषा में उससे कहा 'तुम भी मजे ले लो'।

42. प्रदर्श 10 अभियुक्त **अनवर अंसारी (A10)** का इकबालिया बयान है। यह प्रकट करता है कि दिनांक 5.4.1999 को रात्रि लगभग 12-12.30 बजे **अभियुक्त अनवर** (बयान देनेवाला) **मोमिन अख्तर (A17)** के साथ गया था और घटनास्थल पर **भर्रा बस्ती के 10-12 व्यक्तियों** को देखा था जो नवयुवती को घेरे हुए थे। उनमें से उसने **सिराजुद्दीन (A7)** और कय्यूम को आवाज से पहचाना।

43. यद्यपि दोनों पूर्वोक्त अभियुक्तों ने अपने इकबालिया बयानों में पीड़िता के साथ बलात्कार करने से इनकार किया है, **अन्य सह-अभियुक्तों के साथ** गहरी रात्रि में निर्जन एकांत स्थान पर और वह भी

उनके साथियों द्वारा बलात्कार की कारिता के समय पर अपनी उपस्थिति के संबंध में प्रकटीकरण स्वयं अभिशंसी बयान के तुल्य है। **वर्तमान ताथ्यिक मैट्रिक्स से कोई भी युक्तियुक्त रूप से निष्कर्षित कर सकता है कि अन्य सह-अभियुक्तों के साथ गहरी रात्रि में अपराध स्थल पर उनकी उपस्थिति और कुछ नहीं बल्कि सामान्य आशय अर्थात् सामूहिक बलात्कार की कारिता को अग्रसर करने का कृत्य है। यह निष्कर्ष आगे अब्बास अंसारी (A5) के बयान द्वारा पुख्ता बनाया गया है जिसने संस्वीकार किया है कि उसके साथियों ने देशी भाषा में उससे कहा ''तुम भी मजे ले लो''।** इस प्रकार, **भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 (2) (g) के स्पष्टीकरण 1** के निबंधनानुसार, उनके बयान सामूहिक बलात्कार के अपराध की संस्वीकृति के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

44. हम इस तथ्य के प्रति जागरुक हैं कि अनवर अंसारी के एक इकबालिया बयान को दर्ज करते हुए विद्वान दंडाधिकारी ने अनियमितता किया क्योंकि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के निबंधनानुसार दंडाधिकारी का प्रमाण पत्र गायब है किंतु हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, जब इसे दंडाधिकारी पर संचालित प्रति परीक्षण के आलोक में देख जाता है, यह अपना प्रतिकूल प्रभाव खो देता है।

45. भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 का स्पष्टीकरण 1 अभिव्यक्त रूप से कथन करता है कि ''जहाँ सामान्य आशय अग्रसर करने में कृत्य करने वाले **व्यक्तियों के समूह में एक अथवा अधिक** द्वारा महिला का बलात्कार किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को इस उपधारा के अर्थ के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार करता हुआ समझा जाएगा।'' अत: इसका अर्थ है कि **घटना स्थल पर समूह का सदस्य होने के नाते और सामान्य आशय अग्रसर करने में कृत्य करना सामूहिक बलात्कार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है।**

46. इसके अतिरिक्त, यहाँ यह उल्लेख करना अनुपयुक्त नहीं है कि दोनों अभियुक्तों जो भर्रा बस्ती से आते है, को उन व्यक्तियों के रूप में पहचाना गया था जो पीड़िता (मृतका) के क्वार्टर के सामने अवस्थित गराज में जमा होते थे। वे पीड़िता को देखते हुए उसके घर की ओर मुख करके भद्दी टिप्पणी और मूत्र त्याग करते थे। ये घटनाएँ इस अपराध में उनकी सह-अपराधिता के बारे में लेशमात्र संदेह भी नहीं छोड़ती है। अत:, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन उनके बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 की परिधि के अंतर्गत आने वाले इकबालिया बयान की परिधि के अंतर्गत आते हैं।

47. साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 कहती है, ''जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा, अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसे संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा।''

48. अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध एक अभियुक्त द्वारा दिए गए इकबालिया बयान के साक्ष्यिक मूल्य पर **हरिचरण कुर्मी बनाम बिहार राज्य, AIR 1964 SC 1184,** में समग्र रूप से चर्चा की गयी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 को निर्दिष्ट किया एवं संप्रेक्षित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थ के अंतर्गत सह-अभियुक्त की संस्वीकृति साक्ष्य नहीं है। यह न तो मौखिक बयान है जिसे धारा 3 के मुताबिक अपने समक्ष दिए जाने की अनुमति न्यायालय देता है अथवा आवश्यक बनाता है और न ही यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 (2) में निर्दिष्ट साक्ष्य की कोटि में आता है जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को आच्छादित करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे संप्रेक्षित किया कि तब भी धारा 30 प्रावधानित करती है कि संस्वीकृति को न केवल इसको करने वाले के विरुद्ध बल्कि सह-अभियुक्तों के विरुद्ध भी विचार में लिया जा सकता

है। इस प्रकार, यद्यपि ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य नहीं हो सकती है जैसा साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 द्वारा कठोरतापूर्वक परिभाषित किया गया है, यह एक तत्व है जिसे विचार में लिया जा सकता है।

49. तमिलनाडु राज्य, आरक्षी अधीक्षक, सी॰ बी॰ आई॰/एस॰ आई॰ टी॰ के माध्यम से बनाम नलिनी एवं अन्य, 1999 (5) SCC 253, (बेहतर रूप से राजीव गांधी हत्या मामला के रूप में ज्ञात) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि:–

> ● *e[; U;k;kèkh'k ,e0 ekfuj jfpr lk{; fofèk d fl)kr ,o Mkbt LV] okY;e 1,u;k lLdj.k] e ijLij fojkèkh nf"Vdk.kk ij xkj dju vkj fofHkUu ikekf.kd fu.k;k ij ppk dju d ckn fo}ku y[kd u fuEufyf[kr :i e fl)kr dfFkr fd;k vr%] ;g fl)kr gkuk dfFkr fd;k tk ldrk g fd tcfd dh x;h lLohÑfr d çek.k e lk{; ij lno lng fd;k tkuk g] lLohÑfr tc ,d ckj bl LofPNd :i l fl) fd;k x;k g] fofèk e lokfèkd çHkkodkjh çek.kk e l ,d gA*
>
> ● *;g vfHkfuèkkfjr dju oky vud ekey g fd n0 ç0 l0 d vèkhu çkoèkkfur rjhd l nt vkj lk{; vfèkfu;e d çkoèkkuk d vèkhu xkg; vfHk;Dr dh lLohÑfr] Hky gh ckn e bl okil y fy;k tkrk g] bldk dju oky d fo#) lkjoku lk{; gA lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 30 tk ,d gh vijkèk d fy, fopkj.k d vèkhu bldk dju oky 0;fDr ,o vU; dk l;Dr :i l çHkkfor djr fl) lLohÑfr ij fopkj fd, tku ij fopkj djrh g uhp m)r dh x;h g%*
>
> ● *lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 30 dk lknk iBu çdV djrk g fd tc fuEufyf[kr 'kr fo|eku g vFkkr (i) ,d l vfèkd 0;fDr;k dk fopkj.k fd;k tk jgk g((ii) 0;fDr;k dk l;Dr fopkj.k ,d gh vijkèk d fy, g((iii) ,l 0;fDr;k e l ,d }kjk lLohÑfr dh x;h g ¼ft ldk mlh vijkèk d fy, l;Dr :i l fopkj.k fd;k tk jgk g)((iv) ,h lLohÑfr bl djuoky dk ,o ,l 0;fDr;k (ftudk mlh vijkèk d fy, fopkj.k fd;k tk jgk g) dk çHkkfor djrh g(vkj (v) ,h lLohÑfr U;k;ky; e fl) dh x;h g] U;k;ky; ,h lLohÑfr dk bld dju oky d fo#) vkj ,l 0;fDr;k (ftudk fopkj.k mlh vijkèk d fy, l;Dr :i l fd;k tk jgk g) d fo#) Hkh fopkj e y ldrk gA*

50. उक्त चर्चा की गयी विधि के आलोक में, हम अभियुक्तों अर्थात् अनवर अंसारी एवं अब्बास अंसारी के दोनों इकबालिया बयानों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के बल पर कुछ अभियुक्तों के लिए विचार में ले सकते हैं क्योंकि इसने समस्त आज्ञापक आवश्यकताओं को परिपूर्ण किया।

51. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक प्रासंगिकता की कसौटी पर अभिलेख पर लाए गए संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्स्मरण करना उपयुक्त होगा। अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य को यहाँ नीचे सूचीबद्ध किया जाता है:–

> *(i) fnukd 5.4.1999 dk tc ihfMrk tk viu DokVj d ckgj Vgy jgh Fkh viu ?kj okil ugh ykVh Fkh] mld firk u ijh jkr mldk ryk'k fd;kA (;g Hkkjrh; lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 60 d erkfcd çR;{k lk{; gA)(*
>
> *(ii) fnukd 6.4.1999 dk çkr% 6 ct Hkjk cLrh l nk yMd vk, vkj ihfMrk d firk dk ,d ?kj e] tgk og jkf= 2 ct fuoL= gkyr e vk;h Fkh] Hkjk cLrh e mldh mifLFkfr d ckj e lfpr fd;kA rRi'pkr] lpd (ihfMrk dk firk) viuh NkVh i=h d lkFk ihfMrk d iguu d diMk dk tkMk fy, ogk x;k vkj viuh i=h (ihfMrk) dk viu DokVj okil yk;kA*

(iii) viuh i=h d 'kjhj ij gb migfr;k dk n[ku ij lpd le> x;k fd mldk cykRdkj fd;k x;k Fkk fdr 'ke] n‰[k] vi;'k ,o lkekftd dyd dHk; d dkj.k mlu ifyl çkfèkdkfj;k dk lfpr ugh fd;k FkkA fdr] tc ihfMrk dh ekufld n'kk xHkhj :i l fcxM x;h vkj ukt d gk x;h] ml ch0 th0 vLirky y tk;k x;k Fkk tgk ml Hkjrh fd;k x;k FkkA

(iv) MkDVjk u nk, Nkrh ij rhu bp dk 0;kl dk gekVkek] ck, Nkrh d mij nk bp 0;kl dk gekVkek vkj nkuk furck] nkuk gkFkk vkj nkuk ijk ij t[e ik;kA MkDVj u er fn;k fd ;g ;ku çgkj dk ekeyk FkkA

(v) efgyk MkDVj u ,uLFkfl;k d vèkhu ihfMrk d xlrkxk dk ijh{k.k fd;k vkj ikLVhfj;yh QVk gkbeu ik;kA gjkiu fy;k eokn (5-10cc) ektn FkkA Lidye ijh{k.k ij ;kfu e yxHkx 4-5cc nfèk;k n0; ektn ik;k x;k Fkk ftl lhfjt l fudkyk x;k FkkA

(vi) ihfMrk d ;kfu lko d iFkkykftdy fjikV u lk;kfxd er LieVktkvk dh ektnxh li"V fd;kA

(vii) ifyl u ?kVukLFky l vkj fudV LFkku l QVk gvk xykch jx dk LdV] Cykmt] leht ,o cfl;j cjken fd;kA

(viii) VhO vkb0 ih0 e ihfMrk d ekrk&firk u cjken fd, x, oL=k dk ihfMrk d oL=k d :i e igpkuk ftl mlu ?kVuk dh jkf= e iguk FkkA

(ix) e[; ijh{k.k d Øe d nkjku ,o çfrijh{k.k d nkjku Hkh lpd u dFku fd;k g fd ihfMrk u viu ekufld jkx d bykt d ckn viu gk'k e vku ij cykRdkj dh dkfjrk d ckj e f'kdk;r fd;k Fkk] ***tk Hkkjrh; lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 8 d vèkhu çklfxd gA***

(x) cjken fd, x, ihfMrk d QV xykch jx d LdV ,o Cykmt d jkl k;fud ijh{k.k@ljkykftdy ijh{k.k u çdV fd;k fd jDr leg O+A+, B+ ,o AB+ (leLr jDr leg) d oh; d vud èkCc FkA

(xi) ihfMrk u n0 ç0 l0 dh èkkjk 164 d vèkhu nt viu c;ku e dFku fd;k g fd ml lkFk ***lkefgd cykRdkj*** *fd;k x;k FkkA*

52. अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने के बाद, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभियोजन ने सफलतापूर्वक प्रमाण के अपने साक्ष्यिक एवं प्रभावी भार का निर्वहन किया है और अनेक व्यक्तियों द्वारा पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार की कारिता सिद्ध करने में सक्षम रहा है क्योंकि उसके स्कर्ट पर समस्त चारों रक्त समूह के वीर्य का पता लगाया गया है।

53. पर्याप्त प्रत्यक्ष साक्ष्य (चिकित्सीय रिपोर्ट के रूप में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य दोनों) हैं कि पीड़िता विचारण के समय पर विक्षिप्त हो गयी थी और इसलिए न्यायालय में शपथ लेने के लिए सक्षम नहीं थी। इस प्रकार, उसके गैर परीक्षण को अभियोजन मामले के प्रति घातक कभी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि धारा 114 (g) के अधीन प्रावधानित उपधारणा खंड के अवयवों, **जो अन्य बातों के साथ कथन करते हैं कि ''यदि वह साक्ष्य जिसे पेश किया जा सकता था और पेश नहीं किया गया है, पेश किया जाता, तो उस व्यक्ति के अननुकूल होता जो उसे रोके'',** को वर्तमान मामले में परिपूर्ण नहीं किया गया है।

54. सिद्ध तथ्य कि पीड़िता, जो अपने घर के बाहर टहल रही थी, दिनांक 5.4.1999 को पूरी रात तक अपने घर नहीं लौटी थी, के साथ दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन उसका बयान, जो उस रात को उसके अपहरण के बाद सामूहिक बलात्कार प्रकट करता है, किसी गलती के बिना समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 366 के अधीन अपराध स्थापित करता है।

55. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि डॉक्टरों द्वारा पीड़िता को क्रिटिकल सेप्टीसेमिया से बचा लिया गया था, उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और सामूहिक बलात्कार के सदमापूर्ण अनुभव के कारण विक्षिप्त हो गयी और अंततः लंबे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। सामूहिक बलात्कार का खौफनाक विवरण, जैसा पीड़िता द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अपने बयान में प्रकट किया गया है, के साथ चिकित्सीय रिपोर्टों ने हमें पर्याप्त रूप से आश्वस्त किया है कि इस घटना ने निश्चय ही उसे इतनी बुरी तरह प्रभावित किया होगा कि वह पागल हो गयी। इस जघन्य खून जमा देने वाली घटना अंततः उसकी मृत्यु की ओर ले गयी।

56. यह सत्य है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पुलिस द्वारा दर्ज कुछ अभियुक्तों के इकबालिया बयान पर और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज पीड़िता के बयान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के निबंधनानुसार, इसके परन्तुक पर विचार किए बिना अनुचित रूप से विचार किया है और आक्षेपित निर्णय में अभियुक्तों के विरुद्ध दोषसिद्धि के अपने आदेश को आधारित करने के लिए अन्वेषण के दौरान लिए गए पीड़िता के हस्ताक्षरित बयान को सत्य के रूप में माना है जो दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 162 (1) द्वारा हिट होता है। किंतु उसके बाद भी यह देखा जाना है कि क्या अनुचित साक्ष्य की ऐसी ग्राह्यता से स्वतंत्र विद्वान अवर न्यायालय का निर्णय अस्तित्व में रहेगा या नहीं? साक्ष्य अधिनियम की धारा 167 ने अपीलीय न्यायाधीश में व्यापक शक्ति निहित किया है, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण अथवा साक्ष्य के अनुचित अस्वीकरण के बावजूद अवर न्यायालय के निर्णय को अस्त-व्यस्त करने के लिए नहीं; यदि यह पाया जाता है कि अनुचित साक्ष्य के ऐसे ग्रहण से स्वतंत्र अथवा अस्वीकृत साक्ष्य के ग्रहण द्वारा निर्णय अस्तित्व में रहेगा।

57. वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, हम समझते हैं कि किसी गवाह का न्यायालय में अपने सह ग्रामीणों के विरुद्ध अपना मुँह खोलने के लिए अपना साहस जुटाने के लिए शायद ही कोई मौका है, विशेषतः जब कोई भी पीड़िता को बचाने नहीं आया जबकि गाँव के बीच अवस्थित खुले मैदान में उस मध्यक्षेपी रात्रि को रात्रि 9 बजे से 2 बजे तक उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा था। अतः हमारा दृष्टिकोण है कि सह-अपराधिता के बिंदु पर दिया गया साक्ष्य का एकल संपुष्टिकारी टुकड़ा भी अभियुक्तों के विरुद्ध दोषसिद्धि का आदेश दर्ज करने अथवा मान्य ठहराने के लिए पर्याप्त होगा।

58. सर्वप्रथम, हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के आलोक में सामूहिक बलात्कार का अपराध करने के लिए षडयंत्र के आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य पर विचार करते हैं।

59. साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 अन्य बातों के साथ कथन करती है, **''सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बात–जहां कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोज्य दोष करने के लिये मिलकर षड्यंत्र किया है, वहां उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात् जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही, की, या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति के विरुद्ध, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया है, षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था।''**

60. जहाँ तक षडयंत्र रचने के बिंदु पर अभियुक्तों की सह–अपराधिता का संबंध है, सही निष्कर्ष पर आने के लिए साक्ष्य के निम्नलिखित टुकड़े महत्वपूर्ण हैं और इन्हें विचार में लिया जाना चाहिए।

(i) ;g n'kku d fy, çR;{k ,o lkjoku lk{; g fd vfHk;Drx.k ihfMrk (ftldh vc eR; gk pdh g) d DokVj d lkeu vofLFkr xjkt e tek g, FkA o ihfMrk d n[ku ij Hkíh fVIi.kh djr Fk vkj mld ?kj dh vkj eg djd e= R;kx Hkh djr FkA ekey d lpd u mudk ,lk dju l euk fd;k Fkk vkj rRi'pkr lcfèkr ifyl Fkkuk e f'kdk;r Hkh fd;k Fkk fdr ifyl fuf"Ø; cuh jghA

(ii) nO çO lO dh èkkjk 164 d vèkhu nt ihfMrk (ftldh vc eR; gk pdh g) dk c;ku fdlh ***fiYyb (A20),*** *jkgy jkt (ekey e vfHk;Dr ugh)(vkj* ***Mklkokyk*** *}kjk bl vijkèk dk dju d fy, "kM;= jpu d fy, mudh lg&vijkfèkrk d ckj e dgrk gA*

(iii) ihfMrk (ftldh vc eR; gk pdh g) dk mld DokVj@xjkt d fudV lMd l viâr fd;k x;k FkkA

(iv) nO çO lO dh èkkjk 164 d vèkhu ihfMrk dk c;ku Hkh çdV djrk g fd leLr cykRdkjh ***Hkjk cLrh*** *d gA*

(v) ihfMrk u bl vijkèk e Hkjk cLrh d fuoklh vfHk;Dr ***A-14 ;ul vlkjh*** *(nk<h okyk ;|fi mlu VhO vkbO ihO d igy nk<h cuk fy;k Fkk) dk viu vigj.kdrk ,o cykRdkjh d :i e igpkuk Fkk tk çekn fiYyb d xjkt e cBrk FkkA*

(vi) nO çO lO dh èkkjk 164 d vèkhu ihfMrk d c;ku d erkfcd vfHk;Dr ;ul vlkjh ?kVuk d vkjHk l vr rd mifLFkr FkkA

(vii) lpd u viuk lk{; nu d le; ij vfHk;Dr (A 11) efu Lokeh tk vfHk;Dr d dB?kj e mifLFkr Fkk dk mldk gkFk Ndj U;k;ky; e Mklkokyk d :i e igpkuk gA mlu ***A20 çekn fiYyb*** *dk mld uke ,o pgj l Hkh igpkuk g tk Hkh vfHk;Dr d dB?kj e mifLFkr FkkA*

(viii) ihfMrk dk vUo"k.k d nkjku ifyl dh mifLFkfr e vfHk;Drk d leFkdk ,o lcfèk;k }kjk fd, x, Hkíh fVIif.k;k d dkj.k vU; vfHk;Drk dh igpku dju d fy, VhO vkbO ihO e vkx Hkkx yu l jkdk x;k FkkA ifyl ml le; ij ed n'kd cuh jgh vkj vfHk;kD=h dk fujrj 0;xkfDr;k d çgkj l cpku e viu drO; e foQy jghA fdr] mUgh 0;fDr;k d :i e] tk xjkt e tek gkr Fk vkj Hkíh fVIi.kh djr Fk] leLr 21 vfHk;Drk dh lg vijkfèkrk d lcèk e vfHky[k ij ektn lpd dk ifjlk{; pukrhghu cuk jgkA

mDr LFkkfir rF; fdlh xyrh d fcuk de l de Hkjk xko d fuoklh nk vfHk;Drk vFkkr ***A20 çekn fiYyb ,o A11 efu Lokeh (Mklkokyk) d lkFk ;ul vlkjh*** *(VhO vkbO ihO e ihfMrk }kjk igpku x,) vkj vU; vijkfèk;k] tk fiYyb xjkt e tek gkr Fk] d "kM;= d dk.k ,o vkijkfèkd lcèk dk fl) djr gA vr%] Hkkjrh; lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 10 d vulkj ^^ml le; d ckn tc igyh ckj mud }kjk ,lk vk'k; xg.k fd;k x;k Fkk] viu lkekU; vk'k; d lnHk e bl vijkèk d vU; vijkfèk;k ,o* ***;ul vlkjh*** *}kjk* ***dgh ,o dh x;h*** *leLr phtsa* ***nkuk vfHk;Drk vFkkr A-20 çekn fiYyb ,o A11 efu Lokeh d fo#) çklfxd g vkj mud fo#) budk mi;kx fd;k tk ldrk gA**

61. किंतु यह विश्वास करना सुरक्षित नहीं है कि **A4 काजी रिजवान, A19 सबीर साह, A1 मोजिब अंसारी** और **A18 इकबाल साह,** जिनके विरुद्ध आक्षेपित आदेश में दोषसिद्धि का आदेश पारित किया गया है, का इस बिंदु पर सूचक के साक्ष्य की संपुष्टिकरण की कमी के चलते इस अपराध को करने वालों के साथ संबंध एवं सहमति थी।

62. एफ॰ एस॰ एल॰ द्वारा भेजे गए पीड़िता के पहनने के वस्त्रों पर पाए गए वीर्य का सेरोलॉजिकल रिपोर्ट +Ve Rh कारक के साथ समस्त प्रकार के रक्त समूहों (A, B, AB एवं O) प्रकट करता है। अत:, हमारा दृष्टिकोण है कि यह अभियुक्तों के पहचान के बिंदु पर संपुष्टि/विरोधाभास के लिए मदद नहीं करेगा क्योंकि मृतका पीड़िता के वस्त्रों पर पाए गए वीर्य के सेरोलॉजिकल रिपोर्ट में Rh+ कारक के साथ समस्त रक्त समूह का पता लगाया गया है।

63. यद्यपि सूचक ने समस्त 21 अभियुक्तों, जो उसका साक्ष्य दर्ज किए जाने के समय पर उपस्थित थे, को उन असामाजिक तत्वों के रूप में पहचाना है जो पिल्लई गराज में जमा होते थे और भद्दी टिप्पणी करते थे, किंतु हमारा दृष्टिकोण है कि कम से कम साक्ष्य के एक अन्य टुकड़े की आगे संपुष्टि के बिना अभियुक्तों के पहचान के बिंदु पर केवल उसके परिसाक्ष्य पर समस्त अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं होगा।

64. हमने पहले ही न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज दोनों अभियुक्तों के इकबालिया बयानों का परिशीलन किया है और पाया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के मुताबिक पूर्वोक्त दोनों आवश्यकताएँ परिपूर्ण की गयी है क्योंकि (i) सत्र विचारण सं॰ 84 वर्ष 2001 में 19 अभियुक्त-अपीलार्थियों के साथ दोनों अभियुक्तों का विचारण किया जा रहा था किंतु दोनों का विचारण खादिम हुसैन के साथ नहीं किया गया था जिसका विचारण चार वर्ष बाद एस॰ टी॰ सं॰ 24 वर्ष 2005 में आरंभ हुआ था और (ii) दोनों अभियुक्तों ने अपना दोष एवं इस अपराध में कुछ अभियुक्तों की उपस्थिति एवं भागीदारी संस्वीकार किया तद्नुसार दोनों अभियुक्तों का इकबालिया बयान इस मामले में विचार में लिया जा सकता है।

65. दोनों अभियुक्तों अर्थात् अब्बास अंसारी एवं अनवर अंसारी के इकबालिया बयान के अनुसार, अभियुक्तों जिन्होंने पीड़िता का सामूहिक बलात्कार किया था के नाम A5 अब्बास अंसारी, A7 सिराजुद्दीन अंसारी, A8 मो॰ इस्लाम अंसारी, A15 बरजू साह (मशाल साह का पुत्र), A14 युनूस अंसारी, A6 हबीब अंसारी, A9 फिरोज साह, सुगा हुसैन का पुत्र (आरोप पत्र के मुताबिक), A21 खादिम हुसैन (फरार), A16 सय्यूम अंसारी, A17 मोमिन अख्तर एवं A10 अनवर अंसारी है।

66. अब, हमारी सुविधा के लिए, सूचक के साक्ष्य के साथ अन्य साक्ष्य के संपुष्टिकरण के आधार पर अभियुक्तों की सह-अपराधिता अभिनिश्चित करने के लिए चार्ट तैयार किया जा रहा है:-

अभियुक्त का नाम	दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन बयान में प्रकट किया गया नाम एवं पहचान	टी॰ आई॰ पी॰ में मृतका पीड़िता द्वारा पहचान	सूचक द्वारा पहचान	सह-अभियुक्त A5 की संस्वीकृति में प्रकट की गयी सह-अपराधिता	सह-अभियुक्त A10 की संस्वीकृति में प्रकट की गयी सह-अपराधिता	स्निफर कुत्ते द्वारा ट्रैकिंग
A1 मोजिब अंसारी			हाँ			
A2 अब्दुल सत्तार अंसारी उर्फ सिराजुद्दीन			हाँ			

A3 मंसूर अंसारी			हाँ			
A4 काजी रिजवान			हाँ			
A5 अब्बास अंसारी			हाँ	हाँ		
A6 हबीब अंसारी			हाँ	हाँ		
A7 सिराजुद्दीन अंसारी			हाँ		हाँ	
A8 मो॰ इस्लाम अंसारी			हाँ	हाँ		
A9 फिरोज साह			हाँ	हाँ		
A10 अनवर अंसारी			हाँ		हाँ	
A11 मनि स्वामी	हाँ		हाँ			
A12 गफ्फार अंसारी			हाँ			
A13 नूर आलम उर्फ ललित			हाँ			
A14 युनूस अंसारी (दाढ़ी वाला)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ
A15 बरजू साह			हाँ	हाँ		
A16 सय्यूम अंसारी			हाँ	हाँ		
A17 मोमिन अख्तर			हाँ		हाँ	
A18 इकबाल साह			हाँ			
A19 सबीर साह			हाँ			
A20 प्रमोद पिल्लई	हाँ		हाँ			

<u>एस॰ टी॰ सं॰ 124/05 में A21 खादिम हुसैन के विरुद्ध लाया गया साक्ष्य</u>

67. अभियोजन ने अभियुक्त A21 खादिम हुसैन के विरुद्ध विरचित आरोप सिद्ध करने के लिए कुल सात गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 1 **डॉ॰ के॰ एन॰ ठाकुर**, अ॰ सा॰ 2 **डॉ॰ गीता सिंह**, अ॰ सा॰ 3 **डॉ॰ असीम नारायण बोस**, अ॰ सा॰ 4 **गया प्रसाद**, अ॰ सा॰ 5 **अशोक कुमार पाठक**, अ॰ सा॰ 6 **ब्रज किशोर भारती** एवं अ॰ सा॰ 7 **डॉ॰ त्रिपीत प्रसाद सिंह** का इस मामले में परीक्षण किया।

68. अभियोजन ने दस्तावेजों को भी सिद्ध एवं प्रदर्शित किया है अर्थात् **प्रदर्श 1**-पुलिस द्वारा दर्ज पीड़िता का बयान; **प्रदर्श 2**-पीड़िता की उपहति रिपोर्ट; **प्रदर्श 3**–डॉ॰ गीता सिंह द्वारा तैयार की गयी पीड़ित युवती का केस शीट; **प्रदर्श 4**- एनेस्थेसिया के अधीन पीड़िता युवती का परीक्षण रिपोर्ट; **प्रदर्श 5** पैथोलौजिकल रिपोर्टों, **प्रदर्श 6**-रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट; **प्रदर्श 7-**डॉ॰ ए॰ एन॰ बोस द्वारा तैयार किया गया पीड़िता युवती का क्लिनिकल हिस्ट्री शीट; **प्रदर्श 8**- पीड़िता युवती का एडमिशन फॉर्म; **प्रदर्श 9-** दिनांक 7.4.99 का पीड़िता का उपहति रिपोर्ट; **प्रदर्श 10**- सूचक गया प्रसाद का लिखित रिपोर्ट; **प्रदर्श 10/1** लिखित रिपोर्ट पर पुलिस अधिकारियों का पृष्ठांकन; **प्रदर्श 10/2**-लिखित रिपोर्ट पर ओ॰ सी॰, सेक्टर IV पी॰ एस॰ बोकारो का पृष्ठांकन; **प्रदर्श 11-**दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अभियुक्त अब्बास अंसारी का इकबालिया बयान; **प्रदर्श 11/1**-दंडाधिकारी द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज अभियुक्त अब्बास अंसारी के बयान पर दिया गया प्रमाण पत्र; **प्रदर्श 12**-दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के

अधीन अभियुक्त अनवर अंसारी का इकबालिया बयान; **प्रदर्श 13**-दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन **पीड़िता युवती का बयान; प्रदर्श 14**-औपचारिक प्राथमिकी पर आलोक कुमार का हस्ताक्षर; **प्रदर्श 15-** ऑटोरिक्शा की बरामदगी की अभिग्रहण सूची; **प्रदर्श 16**- समीज एवं ब्रेसियर की अभिग्रहण सूची; **प्रदर्श 17**–गुलाबी रंग के स्कर्ट ब्लाउज की बरामदगी की अभिग्रहण सूची; **प्रदर्श 18**-क्रीम रंग के सूट की प्रस्तुती–सह–अभिग्रहण सूची; **प्रदर्श 19**-अभियुक्त युनूस अंसारी का इकबालिया बयान; **प्रदर्श 20 से 22** – अभियुक्तगण अनवर अंसारी, मोमिन अख्तर एवं फिरोज साह का इकबालिया बयान।

69. अ॰ सा॰ 1 **डॉ॰ के॰ एन॰ ठाकुर,** अ॰ सा॰ 2 **डॉ॰ गीता सिंह,** अ॰ सा॰ 3 **डॉ॰ असीम नारायण बोस** एवं अ॰ सा॰ 7 **डॉ॰ त्रिपीत प्रसाद सिंह** के मौखिक साक्ष्य से और दस्तावेजी साक्ष्य, जिन पर हमने पहले ही चर्चा किया है। अर्थात् प्रदर्श 2-पीड़िता की उपहति रिपोर्ट; प्रदर्श 3-डॉ॰ गीता सिंह द्वारा तैयार किया गया पीड़िता युवती का केस शीट; प्रदर्श 4- एनेस्थेसिया के अधीन पीड़िता युवती का परीक्षण रिपोर्ट; प्रदर्श 5-पैथोलॉजिकल रिपोर्ट; प्रदर्श 6- रेडियोलॉजिस्ट का रिपोर्ट; प्रदर्श 7 डॉ॰ ए॰ एन॰ बोस द्वारा तैयार किया गया, पीड़िता युवती का क्लिनिकल हिस्ट्री रिपोर्ट; प्रदर्श 8-पीड़िता युवती का एडमिशन फॉर्म; प्रदर्श 9-पीड़िता का दिनांक 7.4.99 का उपहति रिपोर्ट; प्रदर्श 13- दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन **पीड़िता युवती का बयान;** प्रदर्श 16-समीज एवं ब्रेसियर की अभिग्रहण सूची; प्रदर्श 17-गुलाबी रंग के स्कर्ट ब्लाउज की बरामदगी की अभिग्रहण सूची, और प्रदर्श 18 क्रीम रंग के सूट की प्रस्तुती–सह–अभिग्रहण सूची से हम इसी निष्कर्ष पर आते हैं कि पीड़िता (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था।

70. अब, यह देखा जाना है कि क्या दो अभियुक्तों के इकबालिया बयान अर्थात् प्रदर्श 11-दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अभियुक्त अब्बास अंसारी का इकबालिया बयान और प्रदर्श 12 दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अभियुक्त अनवर अंसारी का इकबालिया बयान अभियुक्त खादिम हुसैन के विरुद्ध विचार में लिए जाने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन प्रावधानित न्यायिक कसौटी पर खरा उतरता है।

71. पीड़िता/मृतका के साथ सामूहिक बलात्कार की कारिता के लिए अभियुक्त A21 खादिम हुसैन के विरुद्ध आरोप दिनांक **29.3.06** को विरचित किया गया था, अतः सहअभियुक्तों के दोनों इकबालिया बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 की **प्रथम शर्त** को परिपूर्ण नहीं करते हैं जो इस आज्ञापक आवश्यकता को आवश्यक बनाती है कि इकबालिया बयान देने वाले एवं सह–अभियुक्त का विचारण संयुक्त रूप से करना होगा। चूँकि सह–अभियुक्तों (जिन्होंने अपना और अन्य सह–अभियुक्तों का दोष संस्वीकार किया था) का विचारण दिनांक 20.5.2004 को पूरा किया गया था और अभियुक्त A21 खादिम हुसैन का विचारण दिनांक 29.3.06 को आरंभ किया गया था, **अतः उसके विरुद्ध प्रदर्शों 11 एवं 12 का पठन नहीं किया जा सकता है।**

72. अभियुक्त खादिम को उसकी फरारी के कारण लाभ मिल रहा है। उसने दो अभियुक्तों, जिन्होंने अपना दोष संस्वीकार किया था और इस अपराध को करने वाले के रूप में उसका नाम भी प्रकट किया था, के साथ विचारण किए जाने से स्वयं को बचा लिया है। यदि उसका विचारण इन दो अभियुक्तों के साथ किया गया होता, साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 निश्चय ही उसके विरुद्ध प्रयोज्य होती। यह हमें काफी चिंतित करता है किंतु हम असहाय हैं क्योंकि हम विधि की परिधि के बाहर नहीं जा सकते हैं।

73. पूर्वोक्त दुर्बलता के अतिरिक्त, सूचक ने भी खादिम हुसैन के विरुद्ध कुछ नहीं कहा था और न ही उसने उसे अपराध में दोषी के रूप में पहचाना था। यह कमजोरी अभिलेख को देखते ही प्रकट है और अभियुक्त खादिम हुसैन को अपराध जिसके लिए उसे आरोपित किया गया है का दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

<u>निष्कर्ष</u>

74. इसके सही परिप्रेक्ष्य में अभियोजन मामले का विस्तारपूर्वक बारीकी से छानबीन करने के बाद हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभियोजन निःसंदेह मृतका पीड़िता का अपहरण करने और उसके

साथ सामूहिक बलात्कार करने का षडयंत्र रचने के लिए, जो भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 120B सह पठित धाराएँ 366 एवं 376 (2) (g) के अधीन दंडनीय अपराध है, दो अभियुक्तों अर्थात् **A11** मनि स्वामी और **A20** प्रमोद पिल्लई की सह अपराधिता और भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 366 एवं 376 (2) (g) के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए दस अभियुक्तों अर्थात् **A5** अब्बास अंसारी, **A6** हबीब अंसारी, **A7** सिराजुद्दीन अंसारी, **A8** मो॰ इस्लाम अंसारी, **A9** फिरोज साह, **A10** अनवर अंसारी, **A14** युनूस अंसारी, **A15** बरजू साह, **A16** सय्यूम अंसारी और **A17** मोमिन अख्तर की सह अपराधिता के मुकाबले अपना मामला किसी युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है।

75. इसी समय पर हम **A1** मोजिब अंसारी, **A2** अब्दुल सत्तार अंसारी **A3** मंसूर अंसारी, **A4** काजी रिजवान, **A12** गफ्फार अंसारी, **A13** नूर आलम उर्फ ललित, **A18** इकबाल साह, **A19** सबीर साह और **A21** खादिम हुसैन के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाते हैं। परिणामस्वरुप , हम उस सीमा तक दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश को अस्त-व्यस्त करते हुए उनको संदेह का लाभ देते हैं।

<u>दंडादेश</u>

76. अभियुक्त अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि समस्त दोषसिद्ध सारवान अवधि से अभिरक्षा में बने रहे हैं और दांडिक न्याय की दयालुता सुझाती है कि न्यूनतम दंडादेश पर्याप्त रूप से न्याय का उद्देश्य पूरा करेगा। अत:, उनकी दोषसिद्धि पोषित किए जाने की स्थिति में इस अपराध के लिए विहित न्यूनतम दंडादेश अधिनिर्णीत किया जा सकता है।

77. दूसरी ओर, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया कि दोषसिद्ध नरमी के योग्य नहीं है।

78. हमने दंडादेश के प्रश्न पर प्रभाव रखने वाले समस्त प्रासंगिक तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया है और तद्द्वारा अपराध की गंभीरता के अनुरुप दंडादेश अधिरोपित करने के लिए अग्रसर होते हैं। महिला की शारीरिक अखंडता के विरुद्ध अपराध उसकी छवि एवं प्रतिष्ठा को सदा के लिए धूमिल एवं अकृत करता है और इस प्रकार इसका उसके व्यक्तित्व पर दम घोंटने का प्रभाव है। भारत के सामाजिक परिवेश में यह प्रभाव आगे और भी गुरुत्तर होता है और अभियोक्त्री का व्यक्तित्व समय के साथ मुरझा जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को मान्यता दिया है जो बहुमूल्य संपत्ति है जिसे कोई भी दुनिया की सारी दौलत के लिए देना नहीं चाहेगा। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का महत्व अैर भी गहरा हो जाता है जब महिला की प्रतिष्ठा पर विचार किया जा रहा है। इस प्रकार, महिला की शारीरिक अखंडता एवं मर्यादा को प्रभावित करने वाले अपराध पर कठोरतापूर्वक विचार करना होगा। आगे, उपयुक्त दंडादेश जो विचाराधीन अपराध की गंभीरता के अनुरूप है अधिनिर्णीत करके समस्त प्रकार की आपराधिक प्रवृतियों को मिटाना दांडिक न्याय प्रणाली का प्रयास होना चाहिए ताकि यह निदंनीय आचरण की सामाजिक भर्त्सना को पर्याप्त रूप से परिलक्षित कर सके। हम निर्दोष नि:सहाय नवयुवती पर विभिन्न आयु समूह के अभियुक्तों की ऐसी विशाल संख्या द्वारा सामूहिक बलात्कार के ऐसे जघन्य अपराध में समाज का न्याय के लिए चीत्कार को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस मामले ने सचमुच समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा को आघात पहुँचाया है। अपराध के प्रति लोक घृणा को न्यायालय द्वारा समुचित दंडादेश के अधिरोपण के माध्यम से परिलक्षित करने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में, अभिलेख पर उपलब्ध कोई भी कम करने वाली परिस्थिति नहीं है जो प्रत्यर्थियों पर न्यूनतम दंडादेश के अधिरोपण को न्यायोचित ठहरा सके जैसा दावा बचाव अधिवक्ता द्वारा किया गया है। बल्कि, वर्तमान मामले

का ताथ्यिक मैट्रिक्स 19 वर्षीया युवती जो आई॰ आई॰ टी॰ में प्रवेश पाने एवं अभियन्ता बनने के लिए प्रतिबद्ध थी, का अपहरण करने के बाद सर्वाधिक निंदनीय एवं अमानवीय तरीके से किए गए सामूहिक बलात्कार के सर्वाधिक जघन्य अपराध की कारिता का दुःखदायी ढंग प्रकट करता है। इन अभियुक्तों के जघन्य कृत्य के कारण निर्दोष जीवन निर्ममतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है। ये तथ्य केवल दोषसिद्ध पर महत्तम दंडादेश का अधिरोपण न्यायोचित ठहराते हैं जैसी आज्ञा विधि के अंतर्गत दी गयी है। ऐसे मामले में दया दर्शाना न्याय की विडंबना होगी और नरमी का अभिवचन हमारे दृष्टिकोण में पूर्णतः कुस्थापित है। अतः, हमारा दृष्टिकोण है कि दंडादेश पोषित करना जैसा पहले ही विचारण न्यायालय द्वारा A5 अब्बास अंसारी, A6 हबीब अंसारी, A7 सिराजुद्दीन अंसारी, A8 मो॰ इस्लाम अंसारी, A9 फिरोज साह, A10 अनवर अंसारी, A11 मनि स्वामी, A14 युनूस अंसारी, A15 बरजू साह, A16 सय्यूम अंसारी, A17 मोमिन अख्तर एवं A20 प्रमोद पिल्लई के विरुद्ध दर्ज किया गया है, न्याय के उद्देश्य को पर्याप्त रूप से पूरा करेगा जिसे हम निर्देशित करते हैं।

79. समाप्त करते हुए, दांडिक अपील सं॰ 1157/04, 1172/04, 1173/04, 1175/04, 1177/04, 1199/04, 1218/04, 1421/04, 1422/04 और 431/06 **खारिज** की जाती है जबकि दांडिक अपील सं॰ 1089/04, 1146/04, 1156/04, 1178/04, 1182/04, 1743/04 और 1150/2012 **अनुज्ञात** की जाती है।

80. अभियुक्तों अर्थात् मंसूर अंसारी, सबीर साह, काजी रिजवान एवं मोजिब अंसारी को जमानत पर बताया गया है क्योंकि वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान उनका मुख्य दंडादेश निलंबित किया गया था। उन्हें उनके जमानत बंधपत्रों से उन्मोचित किया जाता है।

81. अभियुक्तों अर्थात् अब्दुल सत्तर अंसारी उर्फ सिराजुद्दीन अंसारी, नूर आलम उर्फ ललित, इकबाल साह, गफ्फार अंसारी और खादिम हुसैन अभिरक्षा में हैं। उन्हें कारा जहाँ वे वर्तमान में बंदी हैं से उनकी तुरन्त निर्मुक्ति के लिए संबंधित कारा प्राधिकारी को उनके प्रति निर्मुक्ति आदेश भेजा जाए यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है।

82. शेष 12 (बारह) अभियुक्तगण अर्थात् प्रमोद पिल्लई, मनि स्वामी, मो॰ इस्लाम अंसारी, फिरोज साह, बरजू साह, युनूस अंसारी, अनवर अंसारी, अब्बास अंसारी, मोमिन अख्तर, हबीब अंसारी, सिराजुद्दीन अंसारी और सय्यूम अंसारी अपने शेष मुख्य दंडादेश जिसे पहले ही दर्ज किया गया है भुगतेंगे।

83. विद्वान विचारण न्यायालय को वर्तमान अपील का परिणाम सूचित किया जाए। विचारण न्यायालय अभिलेख (मूल में) संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाता है।

84. अंत में, हमें मुआवजा अधिनिर्णीत करने के प्रश्न पर अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। **आकूष शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013)6 SCC 770,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है, **''यद्यपि मामला विशेष में मुआवजा का अधिनिर्णय अथवा इससे इनकार न्यायालय के स्वविवेक के अंतर्गत हो सकता है, प्रत्येक दांडिक मामले में प्रश्न के प्रति अपने विवेक का इस्तेमाल करने के लिए न्यायालय का आज्ञापक कर्तव्य विद्यमान है।''**

85. यह वस्तुतः दुर्भाग्यपूर्ण है कि विद्वान अपर न्यायाधीश दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 357 के अधीन पीड़िता को मुआवजा अधिनिर्णीत करने के प्रश्न पर अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करने में विफल रहे हैं। हमारे लिए यह देखना वेदनामय है कि पीड़िता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया था, तब भी जब वह चिकित्सीय इलाज करवा रही थी। जघन्य अपराध की मार पीड़िता के परिवार द्वारा झेली गयी थी। पीड़िता का परिवार आर्थिक रूप से कंगाल हो गया था।

86. इस मोड़ पर यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि अपराध की पीड़िता अथवा उसके परिवार की वैध प्रत्याशा होती है कि राज्य दोषी को दंडित करेगा और पीड़िता की क्षतिपूर्ति करेगा। अनेक मामलों

में, पीड़ितों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धनीय मुआवजा का भुगतान एवं पुनर्वास की व्यवस्था के लिए निर्देश दिया है जहाँ राज्य या अन्य प्राधिकारीगण पीड़िता के जीवन एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के अपने कर्त्तव्य में विफल रहे हैं। इस संबंध में (1) **अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड बनाम चंदिमा दास, (2000)2 SCC 465 (रेलवे स्टाफ द्वारा बंग्लादेशी नागरिक का बलात्कार),** (2) **स्वप्रेरित रिट याचिका (दांडिक) सं॰ 24 वर्ष 2014, 2014 (4) SCC 786** में प्रकाशित निर्णय को निर्दिष्ट किया जा सकता है जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने सामूहिक बलात्कार के मामले में अभिनिर्धारित किया कि कोई मुआवजा पर्याप्त नहीं हो सकता है और न ही पीड़ित के लिए कोई राहत हो सकता है किंतु चूँकि राज्य पीड़ित के अधिकारों के ऐसा गंभीर उल्लंघन को संरक्षित करने में विफल रहा है, राज्य मुआवजा प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध है जो पीड़िता के पुनर्वास में मदद कर सकता है। अपमान अथवा मिटा दिए गए प्रतिष्ठा की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है किंतु तब धनीय मुआवजा कम से कम सांत्वना प्रदान कर सकता है।

87. समकालीन युग में जहाँ राज्य कल्याणकारी आवरण धारण करता है, पीड़ित को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करना इसके लिए अनिवार्य बन जाता है क्योंकि यह व्यक्ति एवं संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करने की अपनी आज्ञा के पालन में विफल रहा है।

88. विडंबनात्मक रूप से हमारे निर्णय का दूसरा पैरा पुलिस मशीनरी की ओर से गंभीर प्रक्रियात्मक चूकों को सामने लाता है। पुलिस, जिसे सामान्यत: रक्षक की भूमिका निभाने वाला उपधारित किया जाता है, इस मामले में सुसुप्त एवं निष्क्रिय रही है। यह हमारी न्यायिक अंतरात्मा को अत्यन्त चिंतित करता है और हम पुलिस की ओर से ऐसे पथभ्रष्ट आचरण की निंदा करते हैं। निर्णय का द्वितीय पैराग्राफ वर्तमान मामले में पुलिस द्वारा निभायी गयी नकारात्मक, सुसुप्त एवं गंदी भूमिका को सामने लाती है जो हमारी अंतरात्मा को अत्यन्त चिंतित करता है। मूल अधिकार संरक्षित करने के लिए एवं दं॰ प्र॰ सं॰ के अधीन पीड़िता (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) के लिए प्रावधानित प्रक्रियात्मक सुरक्षाओं एवं निवारक उपायों को करने में राज्य की ओर से ज्वलंत स्पष्ट चूक हुए हैं।

89. तर्क के क्रम के दौरान विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा हमें यह भी सूचित किया गया था कि घटना ने घिनौना रूप ले लिया जब बोकारो डी॰ एस॰ पी॰ श्रीनिहाल ने एस॰ पी॰ को रिपोर्ट किया कि यह झूठा मामला है। हम उपधारित करते हैं कि विद्वान राज्य अधिवक्ता ने संपूर्ण पुलिस अभिलेख देखने के बाद यह बयान दिया है।

90. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को एक चकित करने वाली सूचना दी गयी है कि परिवार का एकमात्र अन्नदाता अर्थात् पीड़िता मृतका का पिता (प्रथम सूचक) भी अब जीवित नहीं है। **हम अच्छी तरह से पीड़िता के पिता की मानसिक दशा उपधारित कर सकते हैं जिसने त्रासदीमय भाग्य का सामना किया था जब सामाजिक कलंक का भय उसकी अंतरात्मा को खा रहा था। वह मानसिक रूप से प्रताड़ित एवं आर्थिक से कंगाल होते जाने के कारण रोज-रोज धीमी मृत्यु का शिकार हुआ।** अब पीड़िता-मृतका की माता एवं बहन पश्चातवर्ती परिस्थिति के शिकार के रूप में इस दुनिया में अकेली हैं। उन्हें अपनी देखभाल करने के लिए नि:सहाय छोड़ दिया गया है।

91. न्यायिक प्रणाली विश्वसनीयता केवल तब अर्जित करेगी जब लोग आश्वस्त हो कि न्याय सत्य की नींव पर आधारित है। पुलिस, विद्वान लोक अभियोजक, विद्वान बचाव अधिवक्ता एवं न्यायाधीश साथ-साथ दांडिक न्याय प्रणाली का स्वर्ण चतुर्भुज गठित करते हैं और यदि इनमें से कोई अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल होता है, न्याय प्रशासन अपनी चमक-दमक खो देता है। पुलिस की भूमिका सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध से संबंधित मामलों में अधिक निर्णायक बन जाती है जहाँ समाज द्वारा न्याय की गुहार अधिक ऊँची होती है। वर्तमान मामले में, वास्तविक सत्य का पता लगाने के लिए

हमने अन्वेषण में अनेक चूकों, जिन्होंने समाधान के लिए अनेक विवाद्यकों को सामने लाया था, के कारण सत्य की खोज करने की इस यात्रा में अतिरिक्त भागीरथ प्रयास किया है।

92. पीड़ित को मुआवजा का भुगतान करने के लिए राज्य को निर्देश देने में न्यायालय को सक्षम बनाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 357A सम्मिलित की गयी है। वर्तमान मामले में कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि पीड़िता की माता, जो सामूहिक बलात्कार के अभिशाप के कारण अपनी जवान प्रतिभावान पुत्री को और अपने पति को भी खो चुकी है और अब बिल्कुल असहाय महिला के रूप में छोड़ दी गयी है, को क्यों नहीं मुआवजा अधिनिर्णीत किया जाना चाहिए। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, झारखंड राज्य मृतका के परिवार को मुआवजा का भुगतान करने का दायी है। इस प्रकार, हम सामूहिक बलात्कार की पीड़िता की माता को 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपयों का मुआवजा विनिश्चित करते हैं। यह अन्य कार्यवाही में उनको उपलब्ध पीड़ित परिवार के किसी अन्य अधिकार अथवा उपायों पर प्रतिकूलता के बिना होगा। आज के दिन से छह सप्ताह के भीतर समुचित सत्यापन के बाद इस न्यायालय में पीड़िता की माता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद राज्य द्वारा पूर्वोक्त मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। केवल इस प्रयोजन से दिनांक 23 सितंबर, 2015 को न्यायालय के रजिस्ट्रार जेनरल द्वारा वर्तमान मामला लिया जाएगा। इस संबंध में पीड़िता की माता को उसके नए पता पर सूचना भेजी जाए।

93. अंततः इस प्रकार इन समस्त 17 अपीलों को निपटाया जाता है।

---

ekuuh; vkjî vkjî çlkn ,o çeFk iVuk;d] U;k;efrx.k

कलिन्द्र यादव एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (D.B.) No. 1275 of 2005. Decided on 23rd June, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 125 वर्ष 2001 में अपर सत्र न्यायाधीश, सिमडेगा द्वारा पारित दिनांक 16.9.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/149, 307/149 एवं 148—हत्या एवं हत्या का प्रयास—सामान्य उद्देश्य—दोषसिद्धि—अ॰ सा॰ का परिसाक्ष्य फर्दबयान से संपुष्टि नहीं पाता है—अ॰ सा॰ के साक्ष्य में आपसी संगतता नहीं है—अभियोजन यह स्थापित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थियों ने पीड़िता पर प्रहार किया था—चिकित्सीय साक्ष्य भी अभियोजन मामले के साथ संगत नहीं है—अपीलार्थीगण आंशिक रूप से दोषमुक्त। (पैराएँ 12 से 16)

अधिवक्तागण.—M/s A.K. Chaturvedi & Rajesh Kumar Singh, For the Appellants; Mrs. Laxmi Murmu, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.—यह अपील सत्र विचारण सं॰ 125 वर्ष 2001 में तत्कालीन विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, सिमडेगा द्वारा पारित दिनांक 16.9.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन न्यायालय ने समस्त दस अपीलार्थियों को विधि विरुद्ध जमाव निर्मित करने के बाद परशुराम यादव की हत्या करने और सूचक श्री राम यादव, परमेश्वर यादव एवं भूषण

यादव की हत्या का प्रयास करने का दोषी पाने पर उनको भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/149, 307/149 एवं 148 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/149 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया। किंतु, भारतीय दंड संहिता की धारा 307/149 के अधीन अथवा धारा 148 के अधीन पृथक दंडादेश पारित नहीं किया गया था।

2. अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 6.8.2001 को दोपहर लगभग 3 बजे सूचक अ॰ सा॰ 1 श्री राम यादव का पौत्र भूषण यादव, परशुराम यादव (मृतक) और परमेश्वर यादव (दोनों सूचक के पुत्र) मोटरसाइकिल पर बाजार गए थे। लौटने के क्रम में जब वे सायं 5.30 बजे मदन यादव के घर के निकट पहुँचे, समस्त अपीलार्थियों ने उनको घेर लिया और गाली देने लगे। सूचक अ॰ सा॰ 1 श्री राम यादव द्वारा इस पर आपत्ति की गयी थी। इस पर अपीलार्थी नंदू यादव ने अपने चारो पुत्रों (समस्त अपीलार्थीगण) को उनकी हत्या करने के लिए आज्ञा दिया। इस पर, अपीलार्थी मदन यादव ने परशुराम यादव की छाती पर गर्दन पर टांगी से वार किया जिसके परिणामस्वरुप वह घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। तत्पश्चात, अपीलार्थी गोसूल यादव ने परमेश्वर यादव पर छुरा से उपहति कारित किया। जब सूचक ने मामले में मध्यक्षेप करने का प्रयास किया, सुधन यादव द्वारा 'बलुआ' से उस पर प्रहार किया गया था। उक्त सुधन यादव ने भूषण यादव पर भी प्रहार किया। इस पर, अभियोजन मामले के मुताबिक, परशुराम यादव का मृत शरीर घर लाया गया था और तब सूचक अन्य के साथ पुलिस को सूचित करने कुरदग पुलिस थाना गया। सूचना पाने पर एस॰ आई॰ ए॰ के॰ सिंह दिनांक 7.8.2001 को रात्रि लगभग 1.30 बजे गाँव आया और सूचक का फर्दबयान दर्ज किया जिस पर औपचारिक प्राथमिकी लिखी गयी थी।

3. आई॰ ओ॰ (जिसका परीक्षण नहीं किया गया है) ने अन्वेषण शुरू किया। परशुराम यादव के मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 1) तैयार किया, तत्पश्चात, मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था जिसे डॉ॰ सुभाष तेतरवे (अ॰ सा॰ 12) द्वारा किया गया था। शव परीक्षण करने पर, डॉक्टर ने निम्नलिखित बाह्य उपहतियाँ पायी:–

(i) BMMh d 2" ihN l efMcy l gkdj vkD l hiV d nk, Hkkx d vkèkkj rd tkrh gb pgj d nk, Hkkx ij r t èkkjnkj gfFk;kj l dVu dk t[e n[kk x;k FkkA vkdkj 10" x 4" x vfLFk rd xgjk FkkA efMcy dk ,d Hkkx ÝDpj gk x;k Fkk vkj Ropk d fupy Ýyi d lkFk fudy x;k FkkA xnu d nk, Hkkx ij leLr e[; ufydk, dVh gb FkhA nk, dku d ykC;y dk VdMk Hkh dVk gvk Fkk vkj peMh d lkFk >y jgk FkkA t[e eR;io çÑfr dk FkkA

(ii) nk;h vkj f}rh; bVjdkLVy e LVue d ck, ekftu l prFk bVjdkLVy Li l d bn&fxn vr rd Nkrh ij r t èkkjnkj gfFk;kj l dVu dk t[e n[kk x;k Fkk ft l dk vkdkj 11" x 3" x vfLFk rd xgjk FkkA LVue ,o III, IV ,o V i l yh dk ÝDpj Hkh gvk FkkA

डॉक्टर ने इस मत के साथ कि तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित पूर्वोक्त उपहतियों के कारण आघात एवं हेमरेज के कारण मृत्यु कारित हुई थी, शव परीक्षण रिपोर्ट जारी किया।

4. इस बीच, अ॰ सा॰ 13 डॉ॰ जेसिका डीन, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने भूषण यादव का परीक्षण किया जिसके दौरान उसने पीठ एवं मस्तक पर दर्द का शिकायत किया था। उपहति की प्रकृति सामान्य पायी गयी थी। उन्होंने भी परमेश्वर यादव का परीक्षण किया और निम्नलिखित उपहतियाँ पायी:–

(i) f l j d ck, Hkkx i j 2" x 1/2" x 1/2" dk fonh.k t[e

(ii) èkM d ck, Hkkx i j 1" x 1/2" dk [kjkpA

डॉक्टर के अनुसार, उपहतियाँ कड़े एवं भोथरे हथियार द्वारा कारित की गयी थी। डॉक्टर ने उपहति रिपोर्टों को सिद्ध किया जिन्हें प्रदर्श 3 एवं 3/1 के रूप में चिन्हित किया गया है।

5. अन्वेषण पूरा करने के बाद, समस्त दस अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, जिस पर अपराध का संज्ञान लिया गया था और जब मामला न्यायालय को सुपुर्द किया गया था, अपीलार्थियों का विचारण किया गया था।

6. विचारण के दौरान अभियोजन ने कुल तेरह गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से, अ॰ सा॰ 1 सूचक अ॰ सा॰ 1 श्री राम यादव, अ॰ सा॰ 2 चिंतामणि महकूर, सूचक की पत्नी अ॰ सा॰ 3 परमेश्वर यादव की पत्नी कंतो देवी, अ॰ सा॰ 4 भूषण यादव, अ॰ सा॰ 5 सुलेखा कुमारी (परमेश्वर यादव की पुत्री), अ॰ सा॰ 6 परमेश्वर यादव का परीक्षण चश्मदीद गवाह के रूप में अभियोजन द्वारा किया गया है। उनके अनुसार, मृतक परमेश्वर यादव एवं भूषण यादव घटना के दिन पर बाजार गए थे। जब वे बाजार से लौट रहे थे और मदन यादव के घर के निकट पहुँचे, अपीलार्थियों ने उनको वहाँ रोक दिया। इस पर, वे उनको गाली देने लगे। इस बीच, अपीलार्थी नंदू यादव ने परशुराम यादव पर लाठी से दो वार किया और अपने पुत्र मदन यादव को 'बलुआ' लाने को कहा जिस पर मदन यादव ने अपने पुत्र गुड्डू को 'बलुआ' लाने को कहा। वह 'बलुआ' लाया और इसे मदन को दिया जिसने परशुराम की गर्दन पर 'बलुआ' से एक वार किया जिसके परिणामस्वरुप उसकी गर्दन शरीर से लगभग अलग हो गयी। वह गिर गया और इस पर लीलाधर यादव ने 'बलुआ' से परशुराम की छाती पर वार किया जिसके परिणामस्वरुप तुरन्त उसकी मृत्यु हो गयी। उस क्रम में, सुधन यादव ने सूचक श्री राम यादव के मस्तक एवं पीठ पर प्रहार किया जबकि गोसुल यादव ने परमेश्वर यादव पर चाकू से उपहति कारित किया। अ॰ सा॰ 1 ने यह परिसाक्ष्य भी दिया है कि नंदू यादव ने लाठी से अ॰ सा॰ 4 भूषण यादव पर प्रहार किया है जबकि अ॰ सा॰ 4 भूषण यादव ने परिसाक्ष्य दिया है कि सुधन यादव ने पत्थर से उस पर वार किया था। अ॰ सा॰ 7 केशव यादव मृत्यु समीक्षा का गवाह है। अ॰ सा॰ 8 जयधन यादव, अ॰ सा॰ 9 इलियास कुजूर एवं अ॰ सा॰ 10 राजेन्द्र यादव ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था और तद्द्वारा अभियोजन ने उनको पक्षद्रोही घोषित किया है। अ॰ सा॰ 11 को प्रतिपरीक्षण के लिए बुलाया गया है।

7. अभियोजन मामला बंद करने पर जब अपीलार्थियों से द॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन उनके विरुद्ध सामने आने वाले अपराध में फँसाने वाले सामग्री/साक्ष्य के बारे में पूछा गया था, उन्होंने साफ इनकार किया। इस पर, न्यायालय ने चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाने वाले चश्मदीद गवाहों के परिसाक्ष्य पर विश्वास करने पर समस्त अपीलार्थियों को अपने सामान्य उद्देश्य अग्रसर करने में मृतक की हत्या करने का दोषी पाया। साथ ही, उन्हें सूचक अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 4 एवं अ॰ सा॰ 6 की हत्या करने का प्रयास करने का दोषी पाया गया था और तद्नुसार दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अधीन है।

8. अपीलार्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ चतुर्वेदी निवेदन करते हैं कि यद्यपि अ॰ सा॰ 4 भूषण यादव, अ॰ सा॰ 6 परमेश्वर यादव एवं अ॰ सा॰ 1 सूचक ने चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है किंतु उनका परिसाक्ष्य एक-दूसरे के साथ संगत नहीं है जो सुझाता है कि उन्होंने घटना का सच्चा विवरण नहीं दिया है और इसके अतिरिक्त उन गवाहों का परिसाक्ष्य मामले के अनुरुप नहीं

है जैसा फर्दबयान (प्रदर्श 4) में बनाया गया है और तद्द्वारा, गवाहों के परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। इस संबंध में, यह प्रकाशमान किया गया था कि फर्दबयान में दिए गए बयान के अनुसार मदन यादव ने मृतक के शरीर पर दोनों उपहतियों को कारित किया था किंतु समस्त गवाहों जिन्होंने घटना देखने का दावा किया है ने परिसाक्ष्य दिया था कि अपीलार्थी मदन यादव ने मृतक की गर्दन पर उपहति कारित किया था जबकि अपीलार्थी लीलाधर यादव ने छाती पर उपहति कारित किया था और तद्द्वारा गवाहों के परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। आगे, यह निवेदन किया गया था कि जहाँ तक गवाहों अ॰ सा॰ 2 चिंतामणि महकूर, अ॰ सा॰ 3 कंतो देवी और अ॰ सा॰ 5 सुलेखा कुमारी का संबंध है, यद्यपि उन्होंने चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है, किंतु प्रतिपरीक्षण में दिए गए इस प्रभाव के परिसाक्ष्य कि जब वे घटनास्थल पर आए उन्होंने परशुराम को मृत पाया था, की दृष्टि में वे चश्मदीद गवाह नहीं हो सकते हैं और इसलिए, उनके परिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। किंतु, विचारण न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में मामले पर विचार नहीं किया था और तद्द्वारा दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य है।

9. इसके विरुद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि फर्दबयान एवं अ॰ सा॰ 1 के परिसाक्ष्य तथा अन्य गवाहों के परिसाक्ष्य के बीच असंगतता प्रतीत होती हैं किंतु ये असंगतियाँ तात्विक बिंदु पर नहीं हैं और इसलिए, अभियोजन मामले पर इनका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। इस संबंध में, यह निवेदन किया गया है कि समस्त गवाहों जैसे अ॰ सा॰ 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 ने परिसाक्ष्य दिया है कि जब मृतक अ॰ सा॰ 4 एवं 6 के साथ मोटरसाइकिल पर लौट रहा था और अपीलार्थी मदन यादव के घर के निकट पहुँचा, उन्हें अपीलार्थियों द्वारा घेर लिया गया था और गाली दी गयी थी। उस क्रम में, अपीलार्थी नंदू यादव द्वारा लाठी से परशुराम यादव पर प्रहार किया गया था जिसके परिणामस्वरुप वह मोटरसाइकिल से गिर गया और इस पर अपीलार्थी मदन यादव ने 'बलुआ', जिसे गुड्डू द्वारा घर से लाया गया था, से मृतक की गर्दन पर प्रहार किया, तब लीलाधर यादव ने छाती पर बलुआ का वार किया और उपहति कारित किया जो चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाता है और तद्द्वारा गवाहों के परिसाक्ष्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता है। उस स्थिति में, विचारण न्यायालय ने चश्मदीद गवाहों के परिसाक्ष्य पर विश्वास करने के बाद अपीलार्थी को दोषी पाया था और तद्द्वारा दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि अभियोजन का मामला यह है कि जब मृतक परशुराम यादव अ॰ सा॰ 4 भूषण यादव एवं अ॰ सा॰ 6 परमेश्वर यादव के साथ बाजार से घर लौट रहा था और मदन यादव के घर के निकट पहुँचा, उन्होंने अपीलार्थियों को वहाँ पाया। अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 4 भूषण यादव एवं अ॰ सा॰ 6 परमेश्वर यादव के अनुसार अपीलार्थीगण उनको घेर कर उनको गाली देने लगे और इस बीच नंदू यादव ने लाठी से परमेश्वर यादव पर प्रहार किया जिसके परिणामस्वरुप वह गिर गया। इस पर, नंदू यादव ने अपने पुत्र मदन यादव को 'बलुआ' लाने को कहा जिस पर मदन यादव ने अपने पुत्र गुड्डू को 'बलुआ' लाने को कहा जो इसे लाया और मदन को दिया जिस पर मदन यादव ने परशुराम की गर्दन पर प्रहार किया और तब लीलाधर यादव ने छाती पर 'बलुआ' का वार किया। तत्पश्चात, सुधन यादव ने सूचक अ॰ सा॰ 1 पर 'बलुआ' से प्रहार किया जबकि गोसुल यादव ने छुरा से परमेश्वर यादव पर प्रहार किया। अ॰ सा॰ 4 एवं 6 के अतिरिक्त, अ॰ सा॰ 2 चिंतामणि महकूर, अ॰ सा॰ 3 कंतो देवी और अ॰ सा॰ 5 सुलेखा कुमारी ने भी

चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है और उन्होंने भी उसी तरीके का परिसाक्ष्य दिया है जैसा परिसाक्ष्य अ॰ सा॰ 4 एवं 6 द्वारा दिया गया है। किंतु प्रति परीक्षण में अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 3 ने परिसाक्ष्य दिया कि जब वे घटनास्थल पर आए, उन्होंने परशुराम यादव को पहले से ही मृत पाया। साक्ष्य का यह टुकड़ा पर्याप्त रूप से उपदर्शित करता है कि वे घटना के चश्मदीद गवाह नहीं थे और, इसलिए, उनके नाम सूचक द्वारा दिए गए फर्दबयान में उल्लेख नहीं पाते हैं। इन परिस्थितियों के अधीन, उन्हें घटना का चश्मदीद गवाह नहीं माना जा सकता है, अत:, उनका परिसाक्ष्य विश्वास योग्य नहीं है। जहाँ तक अ॰ सा॰ 1 सूचक का संबंध है, उसने भी उसी तरीके का परिसाक्ष्य दिया है जैसा परिसाक्ष्य अ॰ सा॰ 4 एवं 6 ने दिया है। किंतु, अ॰ सा॰ 1 का परिसाक्ष्य फर्दबयान में दिए गए बयान से संपुष्टि नहीं पाता है। इस संबंध में, यह कथन किया गया है कि फर्दबयान में अ॰ सा॰ 1 ने कथन किया है कि मदन यादव ने मृतक पर दोनों उपहतियाँ कारित किया था जबकि अपने परिसाक्ष्य में उसने कथन किया है कि अपीलार्थी मदन यादव ने मृतक की गर्दन पर 'बलुआ' से वार किया जबकि अपीलार्थी लीलाधर यादव ने छाती पर 'बलुआ' से उपहति कारित किया था। न केवल अ॰ सा॰ 1 ने इस तरीके का परिसाक्ष्य दिया है बल्कि अ॰ सा॰ 4 एवं अ॰ सा॰ 6 जिनकी घटनास्थल पर उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है ने भी परिसाक्ष्य दिया है कि मदन यादव ने गर्दन पर 'बलुआ' से वार किया जबकि लीलाधर यादव ने 'बलुआ' से छाती पर वार किया। गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 1, 4 एवं 6 का परिसाक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाता है क्योंकि डॉ॰ सुभाष तेतरवे अ॰ सा॰ 12 ने शव परीक्षण के दौरान कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा गर्दन एवं छाती पर कारित उपहतियों को पाया था। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि अ॰ सा॰ 1 का परिसाक्ष्य केवल मदन यादव द्वारा किए गए प्रहार से संबंधित फर्दबयान में दिए गए बयान के अनुकूल नहीं है कि उक्त कथित तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह अभियोजन के लिए घातक नहीं हो सकता है क्योंकि सूचक अपने पुत्र की मृत्यु के कारण चिंतित होगा और तद्द्वारा वह फर्दबयान देते समय चीजों को स्मरण रखने की अवस्था में नहीं हो सकता है। अत: अ॰ सा॰ 1, 4 एवं 6 का परिसाक्ष्य स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि मदन यादव एवं लीलाधर यादव ने उसकी मृत्यु में परिणत होने वाले मृतक की शरीर पर उपहतियों को कारित किया।

11. अब प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या अन्य अपीलार्थीगण सामान्य उद्देश्य शेयर कर रहे थे या नहीं?

12. हमने पहले ही अभियोजन मामले पर गौर किया है कि जब मृतक अ॰ सा॰ 4 एवं 5 के साथ मोटरसाइकिल पर लौट रहा था, अपीलार्थियों द्वारा उन्हें घेरा गया था और गाली दी गयी थी। उस क्रम में, नंदू यादव ने मदन यादव को 'बलुआ' लाने को कहा जिस पर मदन यादव ने अपने पुत्र गुड्डू को बलुआ लाने को कहा जो इसे लाया और उस बलुआ से मृतक पर प्रहार किया गया था। अत:, उस समय पर जब यह कहा गया है कि अपीलार्थियों ने मृतक एवं अन्य को घेरा था, किसी अभियुक्त के पास खतरनाक हथियार नहीं था और इस समय पर उनका हत्या करने का सामान्य उद्देश्य नहीं था। केवल तत्पश्चात, जब 'बलुआ' लाया गया था, मदन यादव एवं लीलाधर यादव ने मृतक पर प्रहार किया जो उसकी मृत्यु में परिणत हुआ और तद्द्वारा मदन यादव एवं लीलाधर यादव से भिन्न अपीलार्थियों को मृतक की हत्या करने का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता था।

13. आगे जाते हुए, यह दर्ज किया जाए कि अभियोजन का मामला यह भी है, जैसा अ॰ सा॰ 1, 4 एवं 6 द्वारा परिसाक्ष्य दिया गया है कि उस क्रम में सुधन यादव ने बलुआ से सूचक पर प्रहार किया

जबकि गोसुल यादव ने छुरा से परमेश्वर पर उपहति कारित किया। आगे, अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य के मुताबिक, मदन यादव द्वारा लाठी से भूषण यादव पर प्रहार किया गया था किंतु अ॰ सा॰ 4 के परिसाक्ष्य के मुताबिक, सुधन यादव द्वारा उसका पीछा किया गया था जिसने पत्थर फेंके थे जो उसको लगी थी। इस प्रकार, अ॰ सा॰ 4 पर प्रहार किए जाने के संबंध में अ॰ सा॰ 1 एवं 4 के परिसाक्ष्य के बीच कोई असंगतता प्रतीत नहीं होता है। आगे यह दोहराया जाए कि गवाहों के अनुसार, परमेश्वर पर छुरा से उपहति कारित किया गया था किंतु अ॰ सा॰ 13 के परिसाक्ष्य के मुताबिक परमेश्वर के शरीर पर तेज धारदार हथियार से कटने की उपहति नहीं थी बल्कि उपहति कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित सामान्य प्रकृति की थी और तद्द्वारा अभियोजन का मामला कि गोसुल यादव ने परमेश्वर (अ॰ सा॰ 6) पर छुरा से उपहति कारित किया, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से, अभियोजन का मामला कि सुधन यादव द्वारा अ॰ सा॰ 1 पर प्रहार किया गया था, अभिलेख पर लाए गए अ॰ सा॰ 1 की उपहति रिपोर्ट की अनुपस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

14. इस प्रकार, परिस्थितियों के अधीन, यह कहा जा सकता है कि अभियोजन यह स्थापित करने में विफल रहा है कि पूर्वोक्त अपीलार्थियों ने उन व्यक्तियों पर प्रहार किया था। इसके अतिरिक्त, परमेश्वर अथवा भूषण यादव अ॰ सा॰ 4 के शरीर पर उपहति कभी नहीं थी जो जीवन को खतरा कारित कर सकता है और तद्द्वारा विचारण न्यायालय ने धारा 307/149 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने में गलती किया और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307/149 के अधीन और धारा 148 के अधीन भी समस्त अपीलार्थियों के विरुद्ध दर्ज दोषसिद्धि के आदेश एवं दंडादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थियों मदन यादव एवं लीलाधर यादव के सिवाए समस्त अपीलार्थियों के विरुद्ध धारा 302/149 के अधीन पारित दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश अपास्त किया जाता है।

15. इस प्रकार, इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि मदन यादव एवं लीलाधर यादव ने बलुआ से उसकी मृत्यु में परिणत होने वाली उपहतियों को कारित करते हुए मृतक परशुराम यादव पर प्रहार किया था और तद्द्वारा उन्हें धारा 302/149 के बजाए धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है। तद्नुसार, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/149 से धारा 302/34 में दोषसिद्धि का आदेश परिवर्तित किया जाता है। उनके विरुद्ध अधिनिर्णीत दंडादेश अक्षुण्ण बना रहेगा।

जहाँ तक अन्य अपीलार्थियों का संबंध है, उन सबों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149, 307/149 एवं 148 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. तद्नुसार, लीलाधर यादव जो जमानत पर है द्वारा प्रस्तुत जमानत बंधपत्र एतद् द्वारा रद्द किया जाता है और दंडादेश भुगतने के लिए अभिरक्षा में लिए जाने का आदेश दिया जाता है।

17. परिणामस्वरुप, यह अपील अंशतः अनुज्ञात की जाती है जैसा ऊपर उपदर्शित किया गया है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

रामलगन प्रसाद सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 1070 of 2009. Decided on 15th May, 2015.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन एक आवेदन।

झारखंड सेवा संहिता, 2000—नियम 74 (a) (b) (ii)—अनिवार्य सेवानिवृत्ति-प्रत्यर्थियों ने उसको तीन माह का नोटिस देकर तात्पर्यित रूप से लोकहित में उसको अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करके नियम 74 (a) (b) (ii) का अवलंब लेकर शार्टकर्ट तरीका अपनाया है–यदि आदेश दंड की प्रकृति एवं कलंक की प्रकृति का है, इसे इस आधार पर व्यावृत नहीं किया जा सकता है कि इसे नियम 74 (a) (b) (ii) के अधीन पारित किया गया है–आक्षेपित आदेश केवल नियम 74 (a)(b)(iii) के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रकृति का नहीं है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया–याची को पिछली मजदूरी के बिना सेवा में पुनर्बहाल किया जाना है।

(पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.–AIR 1990 SC 1368; (2001) 3 SCC 314—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Ritu Kumar, Samavesh Bhanj Deo, Binod Kumar, For the Petitioner; M/s Bhawesh Kumar, Ravi Kumar, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.–पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची को उसको तीन माह का नोटिस देकर लोकहित में नियम 74 (a) (b) (iii) के प्रावधानों के अधीन डिवीजनल वन अधिकारी, पूर्वी वन डिविजन, राँची द्वारा जारी पत्रांक-2308 वाले दिनांक 18 अगस्त, 2008 के आक्षेपित आदेश द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है। आक्षेपित आदेश में उद्धृत विधि के प्रावधानों को प्रत्यर्थियों के पूरक प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट A, दिनांक 30 मार्च 2009 के कार्यालय भूल सुधार/आदेश सं॰ 146 के रूप में यह कथन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि इसे नियम 74 (a) (b) (ii) पढ़ा जाना चाहिए। यद्यपि याची के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची पर उपांतरित आदेश कभी तामील नहीं किया गया था किंतु यह अधिक परिणाम वाला नहीं होगा क्योंकि, यदि विधि में प्राधिकारी पर शक्ति प्रदत्त किया गया है, प्रावधान का गैर-उल्लेख अथवा गलत उल्लेख मात्र आदेश को दूषित नहीं करेगा, यदि यह अन्यथा विधि के प्रावधान से समर्थित हैं। किंतु, यह वर्तमान रिट आवेदन में परीक्षण किया जाने वाला एकमात्र विवाद्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ इसमें अंतर्ग्रस्त मुख्य प्रश्न यह है कि क्या आक्षेपित आदेश 30 वर्ष की सेवा के बाद याची को अनुत्पादक के रूप में मानते हुए नियम 74 (a) (b) (ii) का अवलंब लेकर लोकहित में पारित अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश है अथवा क्या यह समुचित विभागीय जाँच में वस्तुतः ऐसा अभिनिर्धारित किए बिना कलंक वाला दंड की प्रकृति का है। इसका अधिमूल्यन करने के लिए स्वयं आक्षेपित आदेश के विषय वस्तु जो स्व स्पष्टकारी है को अनुदित करना बेहतर है। आक्षेपित आदेश प्रथम पैराग्राफ में स्पष्टतः कथन करता है कि याची ने दिनांक 10 अप्रिल, 2008 को मुख्य वन संरक्षक-सह-परियोजना निदेशक, झारखंड-सह-वन प्रबंधन परियोजना, राँची के कार्यालय में प्रवेश किया था और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था। पहले भी उसने वन संरक्षक स्टेट ट्रेडिंग सर्किल, राँची के आवासीय परिसर में उसकी अनुमति के बिना प्रवेश करके ऐसे ही कृत्यों को किया था और उसको गाली दी थी एवं धमकाया था। यह आगे कथन करता है कि अनेक अवसरों पर याची कार्य घंटों के दौरान सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करके और कर्तव्य के आधिकारिक निर्वहन में व्यवधान डाल कर वन विभाग के वरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ऐसे अशोभनीय व्यवहार में लिप्त हुआ है। यह आगे कथन करता है कि पूर्वोक्त अवचार के लिए याची को अनेक अवसरों पर कारण बताओ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था किंतु उसके आचरण में सुधार नहीं हुआ है। आक्षेपित आदेश आगे कथन करता है कि दिनांक 11 जून, 2008 को भी याची ने प्रमुख वन संरक्षक, झारखंड

के कार्यालय में उसकी अनुमति के बिना प्रवेश किया था और उसके साथ असंसदीय भाषा का प्रयोग करके अननुशासित तरीके से कृत्य किया था जो गंभीर प्रकृति का मामला है। याची के संबंध में इन समस्त गंभीर अभिकथनों को दर्ज करने के बाद उसे नियम 74 (a) (b) (iii) के प्रावधान के अधीन तीन माह का नोटिस देकर लोकहित में अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है क्योंकि यह बिल्कुल आवश्यक है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति को दिनांक 30 नवंबर, 2008 से प्रभाव लेना है। याची के अधिवक्ता कथन करते हैं कि याची की जन्मतिथि 5 जनवरी, 1956 है, इस दशा में वह जनवरी, 2016 में अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करेगा।

3. प्रत्यर्थियों ने अपने प्रतिशपथ पत्र में आक्षेपित आदेश का समर्थन करना इस आधार पर इप्सित किया है कि याची को उसके पूर्व अवचार के लिए अनेक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। वन विभाग के अनेक वरीय अधिकारियों द्वारा उसके व्यवहार के बारे में अनेक परिवाद किया गया है। परिशिष्ट B श्रृंखला वर्ष 1996 से शुरू होकर वर्ष 2008 में आक्षेपित आदेश पारित किए जाने तक दस्तावेजों की श्रृंखला है। परिशिष्ट B श्रृंखला पर संसूचना दर्शाता है कि अनेक ऐसे अधिकारियों जैसे वन संरक्षक क्षेत्रीय अंचल, राँची, रेंज पदाधिकारी, खूँटी, डिविजनल वन पदाधिकारी, पूर्वी राँची, वन डिविजन और वन संरक्षक, स्टेट ट्रेडिंग सर्किल, राँची तथा मुख्य वन संरक्षक–सह–परियोजना निदेशक, राँची, झारखंड ने विभिन्न अवसरों पर याची के आचरण के विरुद्ध परिवाद किया है। वर्ष 1999 में उसके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की गयी प्रतीत होती है। किंतु, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उस पर दंड अधिरोपित किया गया था या नहीं। प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उसे वर्ष 2004 में निलंबन के अधीन किया गया था। प्रत्यर्थियों ने अपने प्रतिवादों का समर्थन करने के लिए अपने प्रतिशपथ पत्र के साथ संलग्न दिनांक 26 मई, 2008 के पत्र सं॰ 1342 पर भी विश्वास किया है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 10 अप्रिल, 2008 को मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में प्रवेश करने के संबंध में याची को सम्यक कारण बताओ नोटिस देने के बाद पारित किया गया है।

4. किंतु याची के अधिवक्ता प्रत्युत्तर के पैरा 9 को निर्दिष्ट करके निवेदन करते हैं कि ऐसा कोई कारण बताओ नोटिस उस पर तामील नहीं किया गया था।

5. चाहे जो भी हो, यदि प्रतिशपथ पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर विश्वास किया जाना है, याची का आचरण सेवा में समय के अनेक बिंदुओं पर सनकी एवं अननुशासित प्रतीत होता है जिसने उसके उच्चतर अधिकारियों एवं अन्य को व्यथित किया। किंतु, यह भी प्रकट है कि याची को ऐसे गंभीर अवचार के लिए किसी मुख्य दंड से दंडित नहीं किया गया था।

6. वर्तमान अवसर पर, जैसा आक्षेपित आदेश दर्ज करता है कि याची दिनांक 10 अप्रिल, 2008 को मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में प्रवेश करके गंभीर अवचार के कृत्यों में लिप्त हुआ और पुनः दिनांक जून 11, 2008 को प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, झारखंड के साथ ऐसा कृत्य दोहराया। यदि याची का आचरण पर्याप्त रूप से गंभीर था, जाँच जहाँ ऐसे आरोपों को विधि के अनुरुप सिद्ध किए जाने की आवश्यकता है, के आधार पर सही निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी/अनुशासनिक प्राधिकारी को सक्षम बनाने के लिए ऐसे अवचार के लिए याची के विरुद्ध निश्चय ही अग्रसर होने की आवश्यकता थी। किंतु, यहाँ आक्षेपित दिनांक 18 अगस्त, 2008 के पत्र को देखते ही प्रतीत होता है कि झारखंड सेवा संहिता के नियम 74 (a) (b) (ii) का अवलंब लेकर पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश सामान्य प्रकृति का नहीं है बल्कि यह गंभीर अभिकथनों से युक्त है जो कलंक की प्रकृति के हैं। नियोक्ता अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसे कर्मचारी जिसका व्यवहार अपचारी पाया गया है के विरुद्ध गंभीर अवचार

के अभिकथन पर अग्रसर होने के लिए अवरोध नहीं है किंतु अनुच्छेद 311 (2) की आवश्यकता का अनुपालन करना होगा।

7. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थीगण उसको तीन माह का नोटिस देकर तात्पर्यित रूप से लोकहित में उसको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करके नियम 74 (a) (b) (ii) का अवलंब लेकर शार्टकट पद्धति अपनाते प्रतीत होते हैं। किंतु, यदि आदेश प्रकटत: दंड की प्रकृति एवं कलंककारी प्रकृति का है, इसे इस आधार पर व्यावृत्त नहीं किया जा सकता है कि इसे झारखंड सेवा संहिता के नियम 74 (a) (b) (ii) के अधीन पारित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राम इकबाल शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य, AIR 1990 Supreme Court 1368** में दिए गए निर्णय में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के ऐसे एक मामले पर विचार करते हुए यह कथन करने की सीमा तक गया है कि यद्यपि अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश प्रकटत: हो सकता है, न्यायालय यह पता लगाने के लिए पर्दा उठाने से अपवर्जित नहीं किया गया है कि क्या यह अभिकथन के आधार पर है और दंड की प्रकृति का है क्योंकि उस स्थिति में यह कलंककारी प्रकृति का होगा। उक्त मामले में, यद्यपि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश प्रकटत: अहानिकर था किंतु प्रत्यर्थियों के प्रतिशपथ पत्र ने इस आधार पर आदेश न्यायोचित ठहराया कि यह उक्त कर्मचारी के विरुद्ध जाँच में की गयी अनुशंसा पर आधारित था जिसमें उसके अवचार के गंभीर उदाहरण पाए गए थे। ऐसी परिस्थितियों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि आक्षेपित आदेश दंड के रूप में पारित किया गया कहा जा सकता है। इस दशा में, आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के उल्लंघन में है और यह मनमाना भी है क्योंकि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और इसे सद्भावपूर्वक पारित नहीं किया गया है। इस बिंदु पर पहले दिए गए निर्णयों एवं पूर्वनिर्णयों के सर्वेक्षण के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मत को यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:–

> *"28. mDr fu.k;k ij fopkj dju ij fofèkd voLFkk tk vc lkeu vkrh g fd ;|fi vfuok;] lokfuofÙk dk vkn'k ljdkjh lod ftl lok l vfuok;] :i l lokfuor dju dk fun'k fn;k x;k g d fo#) dkb ykNu yxk, fcuk vgkfudkjd Hkk"kk e fy[kk x;k g] ;fn bl pukrh nh tkrh g] U;k;ky; lefpr ekeyk e ;g irk yxku d fy, ink mBk ldrk g fd D;k vkn'k lcfèkr ljdkjh lod d fdlh vopkj ij vkèkkfjr g vFkok vkn'k lnHkkoiod ikfjr fd;k x;k g vkj u fd fdlh fr;d vFkok ckg; ç;ktu lA , l ekeyk e vkn'k dk :i ek= U;k;ky; dk vkn'k d vkèkkj ij fopkj dju l ugh jkd ldrk g ;fn ç'uxr vkn'k dk lcfèkr ljdkjh depkjh }kjk pukrh fn;k tkrk g tk vui tk; loky ekey e bl U;k;ky; }kjk vfHkfuèkkfjr fd;k x;k gA ;g voLFkk gku d ukr çR;Fkh jkT; oreku ekey e vihykFkh dh vfuok;] lok fuofÙk d vkn'k dk cpko ek= bl vfHkopu ij ugh dj ldrk g fd vkn'k fcgkj lok lfgrk d fu;e 74 (b) (ii) d çkoèkkuk d vu#i ikfjr fd;k x;k g tk çFke n"V;k vihykFkh d lok dfj;j ij dkb ykNu ugh yxkrk g vFkok dkb dyd ugh yxkrk gA fdr çR;Fkh jkT; }kjk fd, x, Li"V ,o fofufn"V çdFkuk dh nf"V e dh iokDr fu;e d vèkhu lok l vihykFkh dk vfuok;] :i l lokfuoÙk dju d fy, vk{kfir vkn'k ikfjr fd;k x;k g D;kfd vihykFkh dk jkT; dk foÙkh; gkfu dh vkj y tkr g, xHkhj foÙkh; vfu;ferrk djrk gvk ik;k x;k Fkk] vk{kfir vkn'k dk nM d :i e ikfjr fd;k x;k dgk tk ldrk gA bl n'kk e] , lk vkn'k Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 311 d mYy?ku e g vkj ;g euekuk Hkh g D;kfd*

*;g ulfxd U;k; d fl)kr dk mYy?ku djrk g vkj bl lnHkkoiod ikfjr ugh fd;k x;k gA***

8. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए **गुजरात राज्य बनाम उमेदभाई एम॰ पटेल, (2001)3 Supreme Court Cases 314,** मामले में निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समरुप दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया गया है। उसके पैरा 11 (vi) पर यह अभिनिर्धारित करता है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश विभागीय जाँच से बचने के लिए शार्टकट के रूप में पारित नहीं किया जाएगा जब ऐसा रास्ता अधिक वांछनीय है। अनिवार्य सेवा निवृत्ति के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए पैरा 11 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मत यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:–

"11. vfuok;Z lokfuofÙk l lcfèkr fofèk dk vc fuf'pr fl)krk dk vkdkj fn;k x;k g ftUg ekV rkj ij fuEufyf[kr :i l lf{kIr fd;k tk ldrk g%

(i) tc dHkh Hkh ykd lod dh lok lkekU; ç'kklu d fy, mi;qDr ugh g] vfèkdkjh dk ykdfgr e vfuok;Z :i l lokfuofÙk fd;k tk ldrk gA

(ii) lkekU;r%] vfuok;Z lok fuofÙk d vkn'k dk lfoèkku d vuPNn 311 d vèkhu vku oky nM d :i e ugh ekuk tkuk gA

(iii) cgrj ç'kklu d fy, vuqiknd depkjh dk gVkuk vko';d g fdr vfuok;Z lok fuofÙk dk vkn'k vfèkdkjh d li.k lok vfHky[k dk lE;d è;ku e j[kdj ikfjr fd;k tk ldrk gA

(iv) xkiuh; vfHky[k e dh x;h fdlh çfrdy fVli.kh dk è;ku e fy;k tk,xk vkj ,sk vkn'k ikfjr dju e lE;d vfèkeku fn;k tk,xkA

(v) xkiuh; vfHky[k e vl lfpr çfof"V dk Hkh fopkj e fy;k tk ldrk gA

(vi) vfuok;Z lok fuofÙk dk vkn'k foHkkxh; tkp l cpu d fy, 'kkV dV d :i e ikfjr ugh fd;k tk,xk tc ,sk jkLrk vfèkd okNuh; gA

(vii) ;fn xkiuh; vfHky[k e dh x;h çfrdy çfof"V;k d ckotn vfèkdkjh dk çkUufr fn;k x;k g] ;g oLrqr% vfèkdkjh d i{k e gA

*(viii) vfuok;Z lokfuofÙk dk nMkRed mik; d :i e vfèkjkfir ugh fd;k tk,xkA***

9. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थीगण प्रतिशपथ पत्र में किए गए अपने प्रकथनों द्वारा यह न्यायोचित ठहराने में सक्षम नहीं हुए हैं कि आक्षेपित आदेश उसकी सेवा की अवधि के दौरान दर्ज उसके वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आकलन पर पारित किया गया था जिसने उसको अनुत्पादक कर्मचारी बनाया और उसकी अनिवार्य सेवा निवृत्ति लोक हित में थी। इस आधार पर कि याची हठधर्मी कर्मचारी था, आक्षेपित आदेश को न्यायोचित ठहराने के लिए समस्त प्रयास किए गए प्रतीत होते हैं। विधि की पूर्वोक्त सुनिश्चित सिद्धांतों पर वर्तमान आक्षेपित आदेश का परीक्षण करने पर यह सुरक्षित रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है कि यह नियम 74 (a) (b) (ii) के अधीन केवल अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रकृति का नहीं है बल्कि यह गंभीर अभिकथनों के आधार पर दंड की प्रकृति का है जो इसे देखते ही स्पष्ट है। अत: आक्षेपित आदेश विधिक संवीक्षण की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता है और तद्नुसार इसे अभिखंडित किया जाता है। याची को पिछली मजदूरी के बिना सेवा में पुनर्बहाल किया जाएगा। किंतु, यह न्यायालय साथ ही याची के विरुद्ध किए गए अभिकथनों/आरोपों की गंभीरता के प्रति जागरुक होकर यह स्पष्ट करता है कि प्रत्यर्थी को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के सम्यक पालन के बाद और इस पर सही निर्णय पर आने के लिए

अनुशासनिक जाँच के संचालन के लिए अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद विधि के अनुरुप अभिकथित दुर्व्यवहार के ऐसे आधारों पर याची के विरुद्ध अग्रसर होने की छूट होगी। किंतु यह संप्रेक्षित किया जाता है कि यहाँ ऊपर किए गए संप्रेक्षण केवल अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की वैधता एवं शुद्धता की परीक्षा करने के प्रयोजन से हैं और ऐसी किसी विभागीय जाँच में याची पर किसी रूप में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

10. तद्नुसार, यहाँ ऊपर तरीके से एवं सीमा तक रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰, बोकारो स्टील प्लांट

cuke

सरस्वती देवी

M.A. No. 147 of 2010. Decided on 1st July, 2014.

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923—धारा 19—नियोजन के क्रम में मृत्यु–आयुक्त द्वारा अधिनिर्णीत 2,49,400/- रुपयों का मुआवजा–लोहे की छड़ पर गिरने के कारण मृतक को मस्तक की उपहति आयी–आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर ने आक्षेपित निर्णय में समस्त परिस्थितियों पर विचार किया है–अपील खारिज। (पैरा 8)

अधिवक्तागण.–M/s. Indrajit Sinha, Bibhas Sinha, Suraj Sinha, For the Appellants; Mr. Pradeep Kumar Deomani, Rishi Raj Charan, For the Respondents.

आदेश

यह अपील भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰, बोकारो स्टील प्लान्ट, बोकारो द्वारा डब्ल्यू॰ सी॰ केस सं॰ 9 वर्ष 2005 में विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बोकारो–सह–पदेन आयुक्त कर्मकार प्रतिकर द्वारा पारित दिनांक 31.3.2010 के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थी को स्वर्गीय ब्रिज मोहन चौबे की विधवा प्रत्यर्थी सरस्वती देवी को अपने पति की मृत्यु जो उसके नियोजन के क्रम में हुई के बदले 2,49,400/- रुपयों का मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

2. संक्षेप में, तथ्य ये है कि ब्रिज मोहन चौबे एक्स–ऑपरेटिव स्टॉफ सं॰ 255639 वाला अपीलार्थी/कंपनी का कर्मचारी था और दिनांक 6.6.2003 को उसके साथ दुर्घटना हुई और उसके सिर में चोट आयी। दिनांक 6.6.2003 के उपहति पाने पर ब्रिज मोहन चौबे को बोकारो जेनरल अस्पताल में भरती किया गया था। लगभग चार दिन तक उसका इलाज हुआ और दिनांक 10.6.2003 को उसकी छुट्टी की गयी थी। यह प्रकट किया गया है कि पुन: दिनांक 4.7.2003 को वह इस शिकायत के साथ बोकारो जेनरल अस्पताल गया कि उसे शरीर में कमजोरी के अलावा सर्वाइकल की समस्या है। अस्पताल में उसका इलाज किया गया था और बाद में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली भेजा गया था। ब्रिज मोहन चौबे दिनांक 7.8.2003 से दिनांक 22.8.2003 तक एम्स में इलाज करवाता रहा। दिनांक 29.8.2003 को नीरज चौबे अपने पिता ब्रिज मोहन चौबे को बोकारो जेनरल अस्पताल ले गया किंतु डॉक्टर ने पाया कि ब्रिज मोहन चौबे को अस्पताल मृत लाया गया था। तत्पश्चात, दिनांक 30.8.2003 को ब्रिज मोहन चौबे के मृत शरीर का शव परीक्षण किया गया था।

3. याची जो स्वर्गीय ब्रिज मोहन चौबे की विधवा है ने कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, बोकारो के समक्ष अपने पति की मृत्यु के विरुद्ध मुआवजा प्रदान किए जाने के लिए आवेदन दाखिल किया और आवेदन डब्ल्यू॰ सी॰ केस सं॰ 9/2005 के रूप में दर्ज किया गया था। अपीलार्थी/विरोधी पक्ष को नोटिस तामील किया गया था जिसके बाद वे उपस्थित हुए और दावा का प्रतिवाद किया।

4. आवेदक/प्रत्यर्थी ने अपने दावा के समर्थन में साक्ष्य दिया और चिकित्सीय प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेजों को सिद्ध किया जबकि अपीलार्थी/विरोधी पक्षकार ने भी आवेदक/प्रत्यर्थी के दावा को चुनौती देने के लिए साक्ष्य दिया एवं दस्तावेज सिद्ध किया।

5. आवेदक/प्रत्यर्थी के दावा का सार यह है कि ब्रिज मोहन चौबे को दिनांक 6.6.2003 को कारखाने के अंदर अपने नियोजन के क्रम में मस्तक उपहति आयी और बाद में उक्त उपहति के कारण जटिलता विकसित हुई, जिसका अंततः परिणाम उसकी मृत्यु में हुआ। चूँकि ब्रिज मोहन चौबे की मृत्यु उसके नियोजन के क्रम में कारित उपहति के कारण हुई, कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, बोकारो के समक्ष मुआवजा प्रदान के लिए आवेदन दाखिल किया गया था।

6. अपीलार्थी/विरोधी पक्षकार ने दृष्टिकोण लिया था कि उपहति जो ब्रिज मोहन चौबे को दिनांक 6.6.2003 को आयी मृत्यु का कारण नहीं था। ब्रिज मोहन चौबे को अस्पताल में भरती किया गया था और न्यूरो सर्जन जिसका ओ॰पी॰ डब्ल्यू॰ 1 के तौर पर परीक्षण किया गया था सहित चिकित्सक द्वारा इलाज किया गया था। ओ॰ पी॰ डब्ल्यू॰ 1 के अनुसार, इलाज के क्रम में खोपड़ी की अस्थि का फ्रैक्चर अथवा हेमरेज अथवा ब्रेन में खून जमना नहीं पाया गया था। सी॰ टी॰ स्कैन भी किया गया था किंतु खून जमना अथवा खोपड़ी की हड्डी का फ्रैक्चर जैसी कोई जटिलता नहीं पायी गयी थी। अपीलार्थी ने मामला बनाने का प्रयास किया है कि ब्रजमोहन चौबे पहले से हाइपरटेंशन एवं सर्वाइकल समस्या से पीड़ित था। ओ॰ पी॰ डब्ल्यू॰ 1 के अनुसार, उपहति जिसे डॉक्टर ने शव परीक्षण के समय पर ध्यान में लिया था, निश्चय ही हाल की उपहति होगी और उसे उस उपहति से जोड़ा नहीं जा सकता है जिसे मृतक को दिनांक 6.6.2003 को आयी थी। डॉक्टर ने कथन किया है कि समय बीतने के कारण यदि ब्रेन में कोई खून का जमाव हो यह तरल हो जाएगा। डॉक्टर, जिन्होंने ने शव परीक्षण किया था, ने तरलीकृत जमा खून नहीं पाया था बल्कि उन्होंने ब्रेन में जमा खून पाया था और सबड्यूरल हेमाटोमा भी पाया था जो हाल की उपहति के कारण हो सकता था। अपीलार्थी ने यह दृष्टिकोण भी लिया है कि डॉक्टरों, जिन्होंने एम्स में ब्रिज मोहन चौबे का इलाज किया था, ने भी ब्रेन में कोई क्लॉटिंग नहीं पाया था। उन्होंने मोटर न्यूरॉन बीमारी, बलबन पालसी (बी॰ एच॰ पी॰ के साथ) के साथ सर्वाइकल स्पांडलाइटिस डायग्नोज किया था। अपीलार्थी के प्रतिवाद का सार यह है कि ब्रिज मोहन चौबे की मृत्यु दिनांक 6.6.2003 को उसको आयी उपहति के कारण नहीं हुई थी और उपहतियों के बीच प्रत्यक्ष एवं निकट संबंध नहीं है।

7. आवेदक/प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यह विवादित नहीं है कि ब्रिज मोहन चौबे को कारखाने में दिनांक 6.6.2003 को मस्तष्क उपहति आयी। दिनांक 6.6.2003 को किए गए किसी सी टी॰ स्कैन को अभिलेख पर नहीं लाया गया है। ओ॰ पी॰ डब्ल्यू॰ 1 ने अपने प्रति परीक्षण में पैराओं 9, 13 एवं 14 पर स्वीकार किया है कि सेरीब्रल कनकशन का अर्थ है सिर की छोटी उपहति और आगे स्वीकार किया कि ऐसी उपहति के कारण व्यक्ति शरीर के किसी भाग में कमजोरी अथवा सुन्न से पीड़ित हो सकता है। यह प्रतिवाद किया गया है कि मृतक चौबे दिनांक 6.6.2003 अर्थात् तिथि जिस पर उसे काम के दौरान मस्तक उपहति आयी के पहले ऐसी किसी तकलीफ से पीड़ित नहीं था। उक्त उपहति के कारण जटिलता विकसित हुई, अतः, उसे पुनः दिनांक 4.7.2003 को अस्पताल में भरती किया गया था और दिनांक 7.8.2003 को एम्स निर्दिष्ट किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने

शव परीक्षण रिपोर्ट में डॉ॰ हरेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा दिया गया मत इंगित किया है और निवेदन किया है कि डॉक्टर ने मृतक चौबे के शरीर पर कोई प्रकट उपहति नहीं पाया था। ब्रेन की चीर-फाड़ पर रक्त के थक्के एवं सबड्यूरल हेमाटोमा पाया गया था। यह मत दिया गया है कि सिर की उक्त उपहति श्वास संबंधी विफलता की ओर ले गयी। डॉ॰ एच॰ के॰ मिश्रा के मत की दृष्टि में, ओ॰ पी॰ डब्ल्यू॰ 1 का मत उलट दिया गया कि मृतक अपने सिर में आयी हाल की उपहति से पीड़ित था। अंत में, यह निवेदन किया गया है कि विद्वान आयुक्त ने सही प्रकार से ब्रिज मोहन चौबे की विधवा को मुआवजा का भुगतान करने का आदेश अपीलार्थी को दिया था।

8. मैंने मामला अभिलेख और आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है। विद्वान आयुक्त ने निम्नलिखित विवाद्यकों को विरचित किया है:-

(a) D;k vkond }kjk nkf[ky vkonu ik"k.kh; g

(b) D;k bl ekey dk nkf[ky dju d fy, vkond d ikl oèk okn grd g

(c) D;k Loxh; fct ekgu pkc fojkèkh i{kdkj dk depkjh Fkk

(d) D;k ml viu fu;ktu d Øe e fnukd 6.6.2003 dk eLrd migfr vk;h Fkh ftl dkj.k bykt d nkjku fnukd 29.8.2003 dk mldh eR; gk x;h

(e) D;k nkonkj viu }kjk nkok dh x;h jkf'k vFkok fdlh vU; U;k;kfpr ,o lefpr jkf'k dk gdnkj g

मुख्य विवाद्यक विवाद्यक (d) है जिसपर निर्णय के पैरा 8 में विचार किया गया है। यह विवादित नहीं है कि ब्रिज मोहन चौबे को दिनांक 6.6.2003 को मस्तक उपहति आयी थी जब वह कर्तव्य पर था और उपहति आने के बाद उसे बोकारो जेनरल अस्पताल में भरती किया गया था और इलाज किया गया था। दिनांक 10.6.2003 को उसे अस्पताल से छोड़ा गया था। प्रदर्श W1 चिकित्सा प्रमाण पत्र है जो ब्रिज मोहन चौबे का डिस्चार्ज संक्षेप अंतर्विष्ट करता है जिसे दिनांक 6.6.2003 को बी॰ जी॰ एच॰ में भरती किया गया था और दिनांक 10.6.2003 को छोड़ा गया था। डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया ने हाइपरटेंशन के साथ सेरीब्रल कनकशन की बीमारी डायग्नोज किया है। डॉ॰ एन॰ के॰ दास, ओ॰ पी॰ डब्ल्यू॰ 1, ने अपने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि सेरीब्रल कनकशन लघु मस्तक उपहति का परिणाम हो सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह जटिलता उस उपहति के कारण उद्भूत हुई जिसे ब्रिज मोहन चौबे को दिनांक 6.6.2003 को अपने नियोजन के क्रम में आयी थी। आवेदक गवाहों ने कथन किया है कि दिनांक 10.6.2003 को अस्पताल से छुट्टी के बाद भी मृतक चौबे ने अपना कर्त्तव्य ग्रहण नहीं किया था और वह दिनांक 17.6.2003 तक अवकाश पर था। ब्रिज मोहन चौबे पुन:, दिनांक 4.7.2003 को कंपनी के गेट के निकट गिर गया और अपने इलाज के लिए अस्पताल गया जहाँ उसका कुछ इलाज किया गया था किंतु दिनांक 7.8.2003 को एम्स निर्दिष्ट किया गया था। ब्रिज मोहन चौबे को दिनांक 22.8.2003 को एम्स से छोड़ा गया था। प्रदर्श W3 उपदर्शित करता है कि एम्स के डॉक्टर ने डायग्नोज किया था कि ब्रज मोहन चौबे बलबन बैंसी (बी॰ एच॰ पी॰) के साथ मोटर न्यूरॉन बीमारी (ए॰ सी॰ एस॰) से पीड़ित था। पुन:, मैं ओ॰ पी॰ डब्ल्यू॰ 1 के बयान को निर्दिष्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अपने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि सेरीब्रल कनकशन शरीर के किसी भाग में सुन्नपन अथवा कमजोरी की ओर ले जा सकता है। यद्यपि इस बिंदु पर निश्चयात्मक साक्ष्य नहीं है कि ब्रिज मोहन चौबे दिनांक 4.7.2003 को शरीर की कमजोरी के कारण गिर गया किंतु अभिलेख पर मौजूद मेडिकल रिपोर्ट कमोबेश सुझाता है कि वह अपने अंगों में कमजोरी से पीड़ित था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्श-5 शव परीक्षण रिपोर्ट और आवेदक गवाह सं॰ 4 डॉ॰ एच॰ के॰ मिश्रा का बयान है। डॉक्टर ने विश्वासपूर्वक एवं निश्चयात्मक रूप से कहा है कि मृतक के शरीर पर कोई प्रकट बाह्य उपहति नहीं थी। यह दर्शाने के

लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि दिनांक 6.6.2003 के पहले अथवा तत्पश्चात मृतक को कोई मस्तक उपहति आयी थी बल्कि अभिलेख पर स्वीकृत तथ्य यह है कि ब्रिज मोहन चौबे को लोहे की छड़ पर गिरने के कारण दिनांक 6.6.2003 को मस्तक उपहति आयी थी। कर्मकार प्रतिकर आयुक्त ने आक्षेपित निर्णय में समस्त परिस्थितियों पर विचार किया है जिन पर मैंने भी पूर्ववर्ती पैराग्राफों में चर्चा किया है। इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य की दृष्टि में, मैं इस अपील में गुणागुण नहीं पाता हूँ और इसे खारिज किया जाता है।

9. आवेदक/प्रत्यर्थी समुचित पहचान एवं रसीद के बाद कर्मकार प्रतिकर आयुक्त-सह-पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बोकारो के पास जमा मुआवजा राशि निकालने के लिए स्वतंत्र है।

10. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय-सह-कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, बोकारो ब्याज, यदि यह उक्त मुआवजा राशि के जमा पर प्रोद्भूत हुआ है के साथ मुआवजा राशि स्व॰ ब्रिज मोहन चौबे की विधवा आवेदक/विरोधी पक्षकार सरस्वती देवी को निर्मुक्त करेंगे।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

शक्ति तिवारी एवं एक अन्य (74 में)

गोरखनाथ तिवारी एवं अन्य (4963 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य (दोनों में)

Cr. M.P. Nos. 74/02 and 4963 of 2001. Decided on 3rd August, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 498A एवं 323—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—क्रूरता एवं घोर उपहति–संज्ञान–उसके दांपत्य गृह से उसे निकाले जाने के बिंदु पर कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया है–अभिकथन सामान्य एवं बहुप्रयोजनीय प्रकृति के हैं–परिवाद याचिका प्रकट नहीं करती है कि परिवादी पर मानसिक क्रूरता जारी रही क्योंकि लिया गया एकमात्र आधार यह है कि परिवादी का पति नहीं आया था और उसे उसके दांपत्य गृह वापस नहीं ले गया था–संज्ञान लेने वाला आदेश अभिखंडित। (पैराएँ 7 से 10)

निर्णयज विधि.–(2015)1 East Cr.C. 231 SC—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Altaf Hussain, For the Petitioners; Mrs. Anita Sinha, For the Respondents; None, For the Opp.party No. 2.

आदेश

चूँकि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन दाखिल दोनों आवेदन पी॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 414 वर्ष 2001 में श्री पी॰ पी॰ पांडे, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, देवघर द्वारा पारित दिनांक 30.8.2001 के आदेश जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498A, 323 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया है सहित याचीगण के विरुद्ध आरंभ की गयी संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के संबंध में है, इन्हें इस एक ही आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा संस्थित परिवाद याचिका से सामने आने वाला अभियोजन मामला इस प्रभाव का है कि परिवादी का विवाह दिनांक 10.7.1997 को देवघर में संपन्न किया गया था और उक्त विवाह से एक पुत्री का जन्म भी हुआ था। यह अभिकथित किया गया है कि बाद में 50,000/- रुपया नकद, एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल और कलर टी॰ वी॰ की दहेज मांग थी और मांग पूरी नहीं किए जाने पर अभियुक्तों द्वारा परिवादी को यातना दी गयी थी। यह भी अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त सं॰ 5 जो परिवादी की ननद है ने कुछ स्वर्णाभूषण ले लिया था किंतु इसे लौटाने से इनकार किया था। आगे यह अभिकथित किया गया है कि परिवादी को जबरन दांपत्य गृह से निकाला गया था किंतु अभियुक्तों ने उसे वापस लाने का प्रयत्न कभी नहीं किया था।

3. परिवाद याचिका दाखिल किए जाने के बाद और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान पर परिवादी और उसके गवाहों का परीक्षण करके जाँच करने पर दिनांक 30.8.2000 को श्री पी॰ पी॰ पांडे, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, देवघर द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498A, 323 के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया गया था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री अल्ताफ हुसैन एवं राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्रीमती अनिता सिन्हा सुने गए। विरोधी पक्षकार सं॰ 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ था।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री अल्ताफ हुसैन ने संज्ञान लेने वाले आदेश का विरोध करते हुए निवेदन किया है कि परिवाद याचिका प्रकट करती है कि अभियुक्तों के विरुद्ध अभिकथन सामान्य एवं बहुप्रयोजनीय प्रकृति के हैं। आगे यह निवेदन किया गया है कि परिवाद याचिका में न तो किसी तिथि का उल्लेख किया गया है और न ही विस्तार में घटना का तरीका दिया गया है और केवल याचियों को परेशान करने के लिए परिवाद मामला संस्थित किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि परिवाद मामला आरंभ करने के पहले परिवादी के पति अर्थात् नंद कुमार तिवारी (दां॰ वि॰ या॰ सं॰ 4963 वर्ष 2001 में याची सं॰ 2) ने पहले ही हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अधीन तलाक के लिए आवेदन दाखिल किया था और विरोध में परिवाद मामला संस्थित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता आगे जोड़ते हैं कि अभिकथित संपूर्ण घटना राँची की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत हुई बतायी गयी है जबकि परिवाद मामला देवघर में संस्थित किया गया है और चूँकि परिवाद ग्रहण करने के लिए देवघर में अधिकारिता की प्रकट कमी है, यह अभिखंडित किए जाने योग्य है।

6. राज्य के लिए उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्रीमती अनिता सिन्हा ने निवेदन किया है कि परिवादी राँची में अपने दांपत्य गृह में रह रही थी और उसे यातना देने के बाद बाहर निकाल दिया गया था और कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर परिवादी देवघर में रहने लगी और चूँकि देवघर में उसका रहना राँची से उसके दांपत्य गृह से उसे बाहर निकाल देने का परिणाम था, उक्त तथ्यों की दृष्टि में देवघर की क्षेत्रीय अधिकारिता वापस नहीं ली जा सकती है। यह निवेदन भी किया गया है कि विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने परिवाद याचिका का परिशीलन करने पर और गवाहों का परीक्षण करने पर सही प्रकार से संज्ञान लिया था क्योंकि संज्ञान लेने के लिए परिवादी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य लाया गया है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, मैं पाता हूँ कि उनके विरुद्ध अनेक अभिकथन करते हुए अपने समस्त ससुराल वालों के विरुद्ध परिवादी द्वारा परिवाद याचिका संस्थित की गयी थी।

परिवाद याचिका आगे प्रकट करती है कि परिवाद याचिका में संगणित अभिकथित यातना एवं दहेज मांग के संपूर्ण कृत्य एवं अन्य कृत्य राँची में किए गए थे। यातना अथवा दहेज मांग के किसी भाग के देवघर में होने के संबंध में परिवादी द्वारा कोई अभिकथन नहीं किया गया है ताकि क्षेत्रीय अधिकारिता के कारण याची को देवघर में अभियोजित किया जा सके। सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर उसके परीक्षण पर भी परिवादी ने किसी अभियुक्त के विरुद्ध कोई अभिकथन नहीं किया है जो परिणामस्वरुप देवघर को क्षेत्रीय अधिकारिता की परिधि के अंतर्गत लाएगा। इस संदर्भ में, **अमरेन्दु ज्योति एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, 2015 (1) East Cr. C. 231 (SC)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा:–

> *"7. dnh; ç'u ;g g fd D;k çkFkfedh e fd, x, vfHkdFku pky vijkèk xfBr djr gA ge çkFkfedh l ikr g fd vfHkdfFkr Øjrk d lcèk e ifjoknh }kjk vfHkdfFkr leLr ?kVuk, fnYyh e gb crk;h x;h gA de ngt yku d fy, mld ifr] cM tht ,o cMh HkkHkh }kjk f}rh; çR;Fkh iRuh dk cky x, Øj ,o viekutud 'kCn fnYyh e cky x, crk, x, gA vfHkdfFkr :i l] ngt e yk[kk #i;k dh eueku ekx fnYyh e dh x;h gA çR;Fkh l0 2 dk ihVu ,o ?klhVu vkj xnh Hkk"kk e mldk xkyh nu dh ?kVuk Hkh fnYyh e gb crk;h x;h gA ;g dguk i;kIr g fd çR;{k ÑR; ftUg Øjrk xfBr djrk crk;k tkrk g] vfHkdfFkr :i l fnYyh e fd, x, gA vfcdkij e tk dN gvk] mld çfr vfHkdFku fuEufyf[kr g%*
>
> *^^vkt d fnu rd VyhQku l lid dju ij Hkh fdj.k d lljky okyk l dkb ç;ktui.k lpuk çkIr ugh dh x;h gA mUg èkedk;k ,o xkyh fn;k x;k g vkj nk o"k chr x, g vkj lljky okyk u mldk mld nkiR; xg cyku e dkb fnypLih ugh n'kk;k g vkj rc l fdj.k viu ek,d e thou ;kiu dj jgh gA fdj.k d lljky okyk d n0;ogkj ,o ij'kkuh l ihNk NMku d fy, ifjoknh çkFkfedh nt dju dh çkFkuk dj jgh g vkj Rofjr fofèkd dkjokb dk vujkèk djrh g rkfd fdj.k lefpr U;k; ik ldA***
>
> *8. ge ikr g fd Øjrk d vijkèk dk pky vijkèk ugh dgk tk ldrk g tlk lfgrk dh èkkjkvk 178 ,o 179 }kjk vuè;kr fd;k x;k gA ge mPp U;k;ky; l lger ugh g fd bl ekey e çR;Fkh l0 2 ij dkfjr ekufld Øjrk ml mld nkEiR; xg okil y tku d fy, vihykfFk;k }kjk dkb ç;kl ugh fd, tku d dkj.k vkj vihykfFk;k }kjk VyhQku ij nh x;h èkedh d dkj.k ^^v{k..k cuh jgh**A vku"kfxd :i l ;g xkj fd;k tk ldrk g fd mPp U;k;ky; VyhQku ij vihykfFk;k }kjk nh x;h crk;h x;h èkefd;k d lcèk e lk{; d fdlh VdMk fo'k"k dk fufn"V ugh djrk gA vr%] ifjokn dk voykdu djd gekjk nf"Vdk.k g fd ;g vfHkfuèkkfjr ugh fd;k tk ldrk g fd vfcdkij d U;k;ky; dk vijkèk dk fopkj.k dju dh vfèkdkfjrk g D;kfd fnYyh d lefpr U;k;ky; dk vijkèk dk fopkj.k dju dh vfèkdkfjrk gkxhA rnulkj] vihy vuKkr dh tkrh gA***

8. वर्तमान मामले में भी परिवाद याचिका प्रकट नहीं करती है कि परिवादी पर कारित मानसिक क्रूरता निरंतर जारी रही क्योंकि लिया गया एकमात्र आधार यह है कि परिवादी का पति नहीं आया था और उसको उसके दांपत्य गृह वापस नहीं ले गया था।

9. उक्त के अतिरिक्त, मामले में गौर किए जाने योग्य पहलू दिनांक 30.8.2011 का आक्षेपित आदेश है जिसमें विद्वान अवर न्यायालय ने परिवादी के बयान के संबंध में इस प्रभाव का निष्कर्ष दिया है कि यह घटना अथवा घटना के तरीका की किसी तिथि को प्रकट नहीं करता है और उसके दांपत्य गृह से उसे निकाले जाने के बिंदु पर कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया है। अन्यथा भी, अभिकथन जिनका विवरण परिवाद याचिका में दिया गया है, सामान्य एवं बहुप्रयोजनीय प्रकृति के प्रतीत होते हैं और परिवाद मामला दाखिल किए जाने के काफी पहले परिवादी के पति द्वारा संस्थित वैवाहिक वाद सं॰ 9 वर्ष 2001 के कारण संस्थित किए गए प्रतीत होते हैं।

10. ऊपर की गयी चर्चा की दृष्टि में मैं इस आवेदन में गुणागुण पाता हूँ। तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और पी॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 414 वर्ष 2001 में श्री पी॰ पी॰ पांडे, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, देवघर द्वारा पारित दिनांक 30.8.2001 के आदेश जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498A, 323 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया गया है सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद् द्वारा अभिखंडित की जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

हरे राम महतो एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Revision No. 683 of 2009. Decided on 27th April, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 319—विचारण का सामना करने के लिए अतिरिक्त अभियुक्त को समन करना—धारा 319 के अधीन शक्ति असाधारण शक्ति है और इसका उपयोग अत्यन्त यदा-कदा किया जाना चाहिए—जब अभियुक्त को उन्मोचित करते हुए अंतिम फॉर्म दाखिल किया जाता है, अन्य अभियुक्तों के साथ विचारण का सामना करने के लिए अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में व्यक्ति को समन करने की अधिकारिता का अवलंब लेने के लिए मत के उच्चतर स्तर की आवश्यकता है—पर्याप्त एवं तर्कपूर्ण कारण देने की आवश्यकता है—व्यक्तिगत राय मात्र प्रयोजन पूरा नहीं करेगा। (पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.—(2006)10 SCC 192; (1983)1 SCC 1; 2009 (3) East Cr. Case 389 (SC)—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. C.A. Bardhan, For the Petitioner; APP, For the State; Mr. Ananda Sen, For the O.P. No. 2.

आदेश

दंड प्रक्रिया संहिता (इसमें इसके बाद 'संहिता' के रूप में निर्दिष्ट) की धाराओं 319 एवं 401 के अधीन यह दांडिक पुनरीक्षण याचीगण द्वारा सत्र विचारण सं॰ 114 वर्ष 2007 में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ II, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 7.8.2009 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याचीगण को समन जारी करने के लिए संहिता की धारा 319 के अधीन अभियोजन की ओर से दाखिल याचिका अनुज्ञात की गयी है।

2. संक्षेप में, सूचक भोला नाथ महतो के फर्दबयान से सामने आने वाला अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 8.5.2007 को प्रातः लगभग 7 बजे याचीगण सहित पाँच व्यक्तियों ने उसके पिता को घेर

लिया और याचीगण ने मुक्कों तथा थप्पड़ से उसके पिता पर प्रहार किया और किसी वासुदेव महतो ने कुल्हाड़ी से उसके पिता के मस्तक पर उपहति कारित किया। तत्पश्चात, एक अन्य अभियुक्त प्रजापति महतो ने उस पर प्रहार किया और अन्य को भी सूचक के पिता पर प्रहार करने के लिए उकसाया।

3. जैसा अभिलेख से प्रतीत होता है, अन्वेषण के बाद पुलिस ने केवल वासुदेव महतो एवं प्रजापति महतो के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया और तीन याचीगण के संबंध में अन्वेषण लंबित रखा गया था और इन याचीगण के विरुद्ध अंतिम फॉर्म दाखिल किया गया था। आगे यह प्रतीत होता है कि वासुदेव महतो एवं प्रजापति महतो के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप विरचित करने के बाद अभियोजन ने सतरह गवाहों को प्रस्तुत किया। अभियोजन साक्ष्य पूरा होने के बाद, अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 4 (सूचक) के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए तीन याचीगण को समन जारी करने के लिए अभियोजन द्वारा संहिता की धारा 319 के अधीन याचिका दाखिल की गयी थी। अवर न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 7.8.2009 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचिका अनुज्ञात किया और विचारण का सामना करने के लिए तीनों अभियुक्तों अर्थात् वर्तमान याचीगण के विरुद्ध समन जारी करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, तीनों याचीगण इस न्यायालय के पास आए जैसा ऊपर उपदर्शित किया गया है।

4. इस न्यायालय के समक्ष आया विवादास्पद प्रश्न संहिता की धारा 319 के प्रावधानों की व्याख्या और/अथवा प्रयोज्यता से संबंधित है।

5. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यद्यपि अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 4 का परीक्षण क्रमशः दिनांक 17.3.2008 और दिनांक 29.8.2008 को किया गया था। किंतु संहिता की धारा 319 के अधीन याचिका दाखिल नहीं की गयी थी और जब समस्त अभियोजन गवाहों अर्थात् कुल 17 का परीक्षण किया गया था, विचारण के अंतिम छोर पर धारा 319 के अधीन याचिका दाखिल की गयी थी। यह निवेदन भी किया गया था कि एक मात्र साक्ष्य जो अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 4 के अभिसाक्ष्य में आया है यह है कि तीनों याचीगण ने भी मृतक को घेर लिया था किंतु तीनों याचीगण के विरुद्ध प्रहार का अभिकथन नहीं है और मुख्य अभिकथन वासुदेव महतो के विरुद्ध है जिसने कुल्हाड़ी की मदद से मृतक के मस्तक पर उपहति कारित किया। प्रतिपरीक्षण के दौरान भी, पैरा 13 में, अ॰ सा॰ 1 ने याचीगण के विरुद्ध किसी प्रत्यक्ष कृत्य का परिसाक्ष्य कहीं नहीं दिया है। इसी प्रकार से, अ॰ सा॰ 4 जो सूचक है ने पैरा 1 में केवल यह कथन किया है कि उसने अपने पिता को याचीगण और वासुदेव महतो से घिरा हुआ पाया और वे मुक्कों तथा थप्पड़ों से उसके पिता पर प्रहार कर रहे थे। पैरा 11 में, इस गवाह ने परिसाक्ष्य दिया है कि जब वह साइकिल पर जा रहा था, उसने अपने पिता को याचीगण से घिरा पाया और याचीगण के विरुद्ध अन्य गवाह ने कुछ नहीं कहा है।

6. पूर्वोक्त निवेदन के विपरीत, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने और विद्वान अपर पी॰ पी॰ ने निवेदन किया कि इन तीनों याचीगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है और उक्त तीनों याचीगण द्वारा प्रहार का स्पष्ट अभिकथन है और अ॰ सा॰ 1 के पैराग्राफ 13 में और अ॰ सा॰ 4 के पैराग्राफ 1 में तीनों याचीगण का सामान्य आशय दर्शाने वाला साक्ष्य है।

7. यह सुनिश्चित है कि यदि अभियोजन किसी चरण पर साक्ष्य प्रस्तुत करता है जो न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उन्होंने भी अपराध किया है, जिन्हें अभियुक्त के रूप में अभियोजित नहीं किया गया है अथवा यदि अभियुक्त बनाया गया है किंतु अन्वेषण के बाद अंतिम फॉर्म दाखिल किया गया है, विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध संज्ञान ले सकता है और अन्य अभियुक्तों के साथ उनका विचारण कर सकता है किंतु यह भी सुनिश्चित है कि संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति असाधारण शक्ति है और

यदा–कदा इसका उपयोग किया जाना चाहिए। **लोक राम बनाम निहाल सिंह, 2006 (10) SCC 192,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 12 पर निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

> *^^'kfDr Lofoodh g vkj ,l Lofood dk ç;kx ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k dk è;ku e j[k dj djuk gkxkA fufooknr% ;g vlkèkkj.k 'kfDr g ftl U;k;ky; ij çnÙk fd;k x;k g vkj ;nk&dnk vkj doy ;fn 0;fDr ftld fo#) igy dkjokb ugh dh x;h g d fo#) dkjokb dju d fy, ckè;dkjh dkj.k fo|eku gku ij bldk mi;kx fd;k tkuk pkfg,A***

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **दिल्ली नगर निगम बनाम राम किशन रस्तोगी, 1983 (1) SCC 1 एवं एक अन्य** मामले **सरबजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2009 (3) East Cr. Case 389 (SC)** पर चर्चा करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि:–

> *^^çFke n"V;k ekey dk vfLrRo ek= ç;ktu ijk ugh dj ldrk gA fofHkUu pj.kk ij fofHkUu ekudk dk ykx dju dh vko';drk gkrh gA tgk vkjki fojfpr dju d pj.k ij vijkèk dk lKku yu d fy, çFke n"V;k ekey dh ijh{kk i;klr gk ldrh g] U;k;ky; dk lr"V gkuk gkxk fd etcr lng fo|eku gA lfgrk dh èkkjk 227 d fucèkuku lkj vkjki fojfpr djr g, U;k;ky; dk ;g er fufer dju d fy, fd ;fn lk{; dk [kMu ugh fd;k tkrk g ;g nk"kflf) d fu.k; dh vkj y tk,xk] vfHky[k ij ektn li.k lkexh ij fopkj djuk gkxkA ç'u ;g g fd D;k lfgrk dh èkkjk 319 d vèkhu vfèkdkfjrk dk voyc yu d ç;ktu l mPprj ekud LFkkfir fd;k tkuk gA ç'u dk mÙkj ldkjkRed gkuk pkfg,A tc rd vfrfjDr vfHk;Dr d :i e 0;fDr dk leu dju d fy, er fufer dju d ç;ktu l mPprj Lrj vfèkdfFkr ugh fd;k tkrk g] mld vo;ok vFkkr (i) vlkèkkj.k ekeyk vkj (ii) vfèkdkfjrk dk ;nk&dnk ç;kx dju dk ekeyk fufer ugh gkxkA***

9. सुनिश्चित सिद्धांत की दृष्टि में जब अभिकथन से अभियुक्त को उन्मोचित करते हुए अंतिम फॉर्म दाखिल किया जाता है, यदि विचारण के दौरान गवाह या गवाहों के परीक्षण के बाद, अभियोजन द्वारा दाखिल याचिका पर अथवा न्यायालय स्वमेव महसूस करता है कि संहिता की धारा 319 के अधीन विचारण के लिए उन अभियुक्तों को समन किया जाए, संहिता की धारा 319 के अधीन अन्य अभियुक्तों के साथ विचारण का सामना करने के लिए अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में व्यक्ति को समन करने के लिए अधिकारिता का अवलंब लेने के लिए उच्चतर स्तर अथवा मत निर्मित करने की आवश्यकता है। उक्त प्रावधान के अधीन आदेश अन्य व्यक्तियों को आलिप्त करना इप्सित करने वाले एक–दो गवाहों के परिसाक्ष्य पर पारित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा पर्याप्त एवं तर्कपूर्ण कारण देने की आवश्यकता है ताकि प्रावधान के अवयवों को संतुष्ट किया जा सके। व्यक्तिगत राय मात्र प्रयोजन पूरा नहीं करेगा। असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करने के प्रयोजन से कम से कम ऐसा साक्ष्य विश्वासोत्पादक होना होगा।

10. वर्तमान मामले में, अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 4 के परीक्षण के बाद लगभग 13 गवाहों का परीक्षण किया गया था और अभियोजन साक्ष्य बंद करने के बाद जब मामला तर्क के लिए नियत किया गया था, विचारण का सामना करने के लिए याचीगण को समन करने के लिए याचिका दाखिल की गयी थी और सुनिश्चित सिद्धांत कि न्यायालय को कठोर परीक्षा लागू करने की आवश्यकता है, का पालन किए बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया था; एक परीक्षा यह है कि क्या अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य ऐसा है जो युक्तियुक्त रूप से समन किए जाने के लिए इप्सित व्यक्ति की दोषसिद्धि की ओर ले जाएगा। जैसी चर्चा ऊपर की गयी है, प्रकटत: अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य ऐसे नहीं हैं अथवा समन किए गए व्यक्ति की दोषसिद्धि की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वे किसी अन्य विधिक साक्ष्य की अनुपस्थिति

में व्यक्ति को दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए अस्पष्ट एवं अपर्याप्त है। याचीगण के विरुद्ध प्रत्यक्ष कृत्य का अभिकथन भी नहीं किया गया है।

11. इसके अतिरिक्त, अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 4 के परीक्षण के बाद अभियोजन ने लगभग 9-10 गवाहों के परीक्षण की प्रतीक्षा की। जब संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों का बयान दर्ज करने के बाद मामला तर्क के लिए नियत किया गया था, संहिता की धारा 319 के अधीन याचिका दाखिल की गयी थी। इस चरण पर याचीगण को समन किया जाना घटना के लगभग आठ वर्षों बाद नए सिरे से विचारण के तुल्य है। अतः, विचारण न्यायालय अवैध रूप से स्वविवेक का प्रयोग करता प्रतीत होता है।

12. उक्त चर्चा की दृष्टि में, मेरा मत है कि अत्यधिक विलंब के बाद और विचारण के अंतिम छोर पर जब मामला तर्क के लिए नियत किया गया था और वह भी किसी विश्वासोत्पादक एवं तर्कपूर्ण कारण की अनुपस्थिति में दिनांक 7.8.2009 का आक्षेपित आदेश संपोषित नहीं किया जा सकता है। अतः आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

13. तद्नुसार, यह पुनरीक्षण आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn ,o çeFk iVuk;d] U;k;efrx.k

अशोक पासवान एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (DB) No. 979 of 2006. Decided on 3rd August, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 119 वर्ष 2003 में सत्र न्यायाधीश, पलामू, डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 23.8.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

डायन प्रथा निवारण अधिनियम, 1999—धारा 3—भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34 एवं 85—जादू-टोना करने के लिए महिला की हत्या—जहाँ अभियुक्त अभिवचन करता है कि मदिरापान अनैच्छिक था, प्रमाण का भार उस पर है—अपीलार्थी इस मामले के साथ कभी नहीं आया है कि मदिरा पान अनैच्छिक था और तद्द्वारा उसको यह संरक्षण उपलब्ध नहीं था—किंतु, सह-अभियुक्तगण मृतका की हत्या करने का आशय शेयर नहीं कर रहे थे—दोषसिद्धि एवं दंडादेश अंशतः अभिपुष्ट किया गया—अपील अंशतः अनुज्ञात। (पैराएँ 6 से 11)

अधिवक्तागण.—M/s. Mahesh Tewari, Ashok Kumar Sinha, Pankaj Kumar Dubey, For the Appellants; Mr. Amresh Kumar, For the State.

न्यायालय द्वारा.—समस्त चारों अपीलार्थियों का जमुनी देवी की हत्या करने के आरोप पर एवं डायन प्रथा निवारण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए विचारण किया गया था। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी अशोक पासवान को उक्त जमुनी देवी की हत्या करने का दोषी पाने पर दिनांक 23 अगस्त, 2005 के निर्णय के तहत उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जबकि अन्य अपीलार्थियों अर्थात् गणेश पासवान, योगेन्द्र पासवान एवं रीता देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया

था और आगे समस्त अपीलार्थियों को डायन प्रथा निवारण अधिनियम 1999 की धारा 3 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और प्रत्येक अपीलार्थी को आजीवन कारावास भुगतने और इसके अतिरिक्त 3 माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था।

2. फर्दबयान में बनाया गया अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 13.9.2002 को सायं लगभग 6.30 बजे अपीलार्थीगण सूचक भगल राम (अ॰ सा॰ 10) के घर आए और उसकी पत्नी जमुनी देवी (मृतका) को घसीट कर किसी राफो बीबी उर्फ राखो के घर ले गए जिसने उनको बताया कि जमुनी देवी वह औरत है जिसने जादू–टोना करके चनारिक पासवान (अपीलार्थी अशोक पासवान का पिता) की हत्या करवायी थी। इस पर, अशोक पासवान अन्य अपीलार्थियों के साथ जमुनी देवी को गली में ले गया जहाँ अशोक पासवान ने उसकी गर्दन काट दिया जिसके परिणामस्वरुप उसकी मृत्यु हो गयी।

अगले दिन अर्थात् दिनांक 14.9.2002 को जब नौडीह पुलिस थाना छतरपुर के प्रभारी–अधिकारी एस॰ आई॰ पी॰ के॰ सिंह को घटना के बारे में पता चला, वह सूचक भागल राम के घर आया और उसका बयान दर्ज किया जिसमें उसने वही कहानी सुनाया जिसे ऊपर कथित किया गया है। ऐसे फर्दबयान पर, औपचारिक प्राथमिकी लिखी गयी थी। उसने अन्वेषण शुरू किया जिसके दौरान उसने मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया। इस पर मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था जिसे डॉ॰ ए॰ के॰ चौधरी (अ॰ सा॰ 11) ने किया जिन्होंने मृत शरीर का शव परीक्षण करने पर निम्नलिखित उपहतियों को पाया:–

> *(i) xnu d nk, Hkkx ij dVu dh migfr&5" x 4"- foM ikbi [kyk ,o phjk gvk FkkA xnu d nk, Hkkx ij e[; ufydk, phjdj [kky nh x;h FkhA oVhch v{k..k ik;k x;k FkkA*

3. डॉक्टर ने शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 2) इस मत के साथ जारी किया कि मृत्यु पूर्वोक्त उपहति के कारण जिसे छुरा से कारित किया जा सकता था हुए आघात एवं हेमरेज के कारण हुई।

इस बीच, अन्वेषण अधिकारी ने अन्य गवाहों का बयान दर्ज किया। अन्वेषण पूरा होने पर, आरोप–पत्र दाखिल किया गया था जिस पर इन अपीलार्थियों के विरुद्ध और किसी राफो देवी उर्फ राखो के विरुद्ध भी अपराध का संज्ञान लिया गया था। सम्यक क्रम में, जब मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था, अपीलार्थियों एवं राफो बीबी उर्फ राखो का विचारण किया गया था जिसके दौरान अभियोजन ने 11 गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से अ॰ सा॰ 1 नगिया देवी (मृतका की बहू), अ॰ सा॰ 4 मनोज राम (मृतका का पोता) और अ॰ सा॰ 10 सूचक भगल राम (मृतका का पति) ने चश्मदीद गवाह होने का दावा किया जिसमें उन्होंने परिसाक्ष्य दिया था कि जब वे घर में थे, अपीलार्थीगण आए और मृतका जमुनी देवी को घसीट कर अपने साथ राफो बीबी उर्फ राखो के घर ले गए जहाँ उसने उनको बताया कि वही वह औरत है जिसने चनारिक पासवान (अपीलार्थी अशोक पासवान का पिता) को जादू–टोना करके हत्या करवायी थी। इस पर, वे मृतका को गली में ले गए जहाँ अपीलार्थी अशोक पासवान ने मृतका का गला काट दिया जबकि अन्य अपीलार्थीगण ने मृतका के हाथों को पकड़ रखा था। अन्य गवाहों अ॰ सा॰ 2, 3, 5, 6, 7, 8 एवं 9 ने मामले का समर्थन नहीं किया था और तद्द्वारा उनको पक्षद्रोही घोषित किया गया था। अभियोजन मामला बंद करने के बाद जब अपीलार्थियों से उनके विरुद्ध सामने आने वाले अपराध में फँसाने वाले साक्ष्य के बारे में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन पूछा गया था, उन्होंने इनकार किया।

इस पर, न्यायालय ने अ॰ सा॰ 1, 4 एवं 10 के परिसाक्ष्यों पर अपना अंतर्निहित विश्वास करते हुए अपीलार्थियों को मृतका की हत्या करने का दोषी पाया जबकि राफो बीबी उर्फ राखो को केवल डायन प्रथा निवारण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया था। तद्नुसार, पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्धि एवं दंडादेश दर्ज किया गया था।

4. अपीलार्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महेश तिवारी निवेदन करते हैं कि यद्यपि अभियोजन इस मामले के साथ आया है कि समस्त अपीलार्थियों ने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में मृतका की हत्या की किंतु चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि केवल अपीलार्थी अशोक पासवान ने मृतका का गला काटा था जबकि अन्य अपीलार्थियों ने कोई प्रत्यक्ष कृत्य किया था किंतु अ॰ सा॰ 10 भगल राम के साक्ष्य में आया है कि अपीलार्थी अशोक पासवान अपराध की कारिता के समय पर नशे में था और तद्द्वारा वह होश में नहीं हो सकता था और इसलिए उसे आशयपूर्वक हत्या का अपराध करता हुआ नहीं कहा जा सकता है। आगे, यह इंगित किया गया था कि यद्यपि अ॰ सा॰ 1 एवं 4 ने परिसाक्ष्य दिया है कि अन्य अपीलार्थियों ने अपराध की कारिता के समय पर मृतका के हाथों को पकड़ लिया था किंतु यह अ॰ सा॰ 10 के साक्ष्य से संपुष्टि नहीं पाता है जिसने अपने प्रति परीक्षण के पैरा 8 पर परिसाक्ष्य दिया है कि वे केवल वहाँ उपस्थित थे और इन परिस्थितियों के अधीन, उन्हें मृतका की हत्या करने में सामान्य आशय शेयर करने वाला नहीं कहा जा सकता है। आगे, यह निवेदन किया गया था कि इस मामले में अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया था और तद्द्वारा अन्वेषण अधिकारी के गैर-परीक्षण के कारण घटनास्थल सिद्ध किया गया नहीं कहा जा सकता है किंतु विचारण न्यायालय ने मामले के इन समस्त पहलूओं को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया था, अतः इसने अपीलार्थियों के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया।

5. इसके विरुद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमरेश कुमार निवेदन करते हैं कि साक्ष्य है कि समस्त अपीलार्थीगण सूचक के घर आए थे और वहाँ से वे मृतका को राफो बीबी उर्फ राखो के घर ले गए जिसने उनको बताया कि उसने (जमुनी देवी) ने जादू-टोना करके चनारिक पासवान (अपीलार्थी अशोक पासवान का पिता) की हत्या करवायी थी और तत्पश्चात समस्त अपीलार्थीगण उसको गली में ले गए जहाँ अपीलार्थी अशोक पासवान ने मृतका का गला काट दिया और इसलिए इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह आसानी से कहा जा सकता है कि समस्त अपीलार्थीगण सामान्य आशय शेयर कर रहे थे और तद्द्वारा विचारण न्यायालय दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में बिल्कुल न्यायोचित है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि चश्मदीद गवाहों अ॰ सा॰ 1 नगिया देवी, अ॰ सा॰ 4 मनोज राम एवं अ॰ सा॰ 10 भगल राम के परिसाक्ष्य के मुताबिक जब वे अपने घर में थे, समस्त चारों अपीलार्थीगण घर आए और जबरन मृतका जमुनी देवी को राफो बीबी उर्फ राखो के घर ले गए जिसने उनको बताया कि वही वह औरत है जिसने चनारिक पासवान (अपीलार्थी अशोक पासवान का पिता) की हत्या जादू-टोना करके किया था जिस पर वे मृतका को गली में ले गए जहाँ अपीलार्थी अशोक पासवान ने उसका गर्दन काट दिया और अ॰ सा॰ 1 एवं 4 के साक्ष्य के मुताबिक अन्य अपीलार्थियों ने उसका हाथ पकड़ लिया था जबकि अ॰ सा॰ 10 ने अपने प्रतिपरीक्षण में परिसाक्ष्य दिया है कि जब अपीलार्थी अशोक पासवान ने गला काट रहा

था, ये अपीलार्थीगण वहाँ खड़े थे। इस प्रकार, हम पाते हैं कि गवाह इस बिंदु पर संगत हैं कि अपीलार्थी अशोक पासवान ने मृतका का गला काटा था जो तथ्य चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाता है। आगे हम पाते हैं कि समस्त तीनों गवाहों अ॰ सा॰ 1, 4 एवं 10 के परिसाक्ष्य के मुताबिक घटनास्थल एक ही है और तद्द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण के कारण घटना स्थल सिद्ध नहीं किया जा सका था।

जहाँ तक अपीलार्थी के नशे के अधीन होने के कारण हत्या आशयपूर्ण नहीं होने से संबंधित अपीलार्थी के निवेदन का संबंध है, यह गुणागुण रहित है। इस संबंध में हम भारतीय दंड संहिता की धारा 85 को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *85.* ***,l 0;fDr dk dk; tk viuh bPNk d fo#) eÙkrk e gku d dkj.k fu.k; ij igpu e vleFk g–&*** *dkb ckr vijkèk ugh g] tk ,l 0;fDr }kjk dh tkrh g] tk ml djr le; eÙkrk d dkj.k ml dk; d çÑfr] ;k ;g fd tk dN og dj jgk g og nk"ki.k ;k fofèk d çfrdy g] tkuu e vleFk g] ijUr ;g rc tcfd og pht] ftll mldh eÙkrk gb Fkh] mldk viu Kku d fcuk ;k bPNk d fo#) nh xb FkhA*

धारा 85 उस व्यक्ति को ऐसा संरक्षण देती है जो नशे के कारण कृत्य की प्रकृति जानने अथवा यह कि जो उसने किया वह गलत अथवा विधि के विपरीत था जानने में अक्षम है किंतु धारा में आने वाला खंड **'उसकी जानकारी के बिना'** उपदर्शित करता है कि ऐसा नशा अनैच्छिक होगा। तद्द्वारा जिसका अर्थ है कि यदि कोई स्वेच्छापूर्वक मदिरापान करता है और तब कृत्य करता है, तब संरक्षण उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, जब अभियुक्त अभिवचन करता है कि नशा अनैच्छिक था जिसने उसे यह जानने में अक्षम बना दिया था कि वह क्या कर रहा था अथवा कि वह जो कर रहा था गलत अथवा विधि के विपरीत था, प्रमाण का भार उस पर है।

वर्तमान मामले में, अपीलार्थी इस मामले के साथ नहीं आया है कि नशा अनैच्छिक था और तद्द्वारा अपीलार्थी अशोक पासवान को संरक्षण उपलब्ध नहीं है।

7. इन परिस्थितियों के अधीन हम पाते हैं कि अभियोजन किसी युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला स्थापित करने में सक्षम रहा है कि अपीलार्थी अशोक पासवान ने मृतका का गला काट कर उसकी हत्या की थी।

अब यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या अन्य तीन अपीलार्थीगण सामान्य आशय शेयर कर रहे थे?

8. अभियोजन का मामला यह है, जैसा अ॰ सा॰ 1, 4 एवं 10 द्वारा परिसाक्ष्य दिया गया है, कि समस्त अपीलार्थीगण सूचक के घर आए थे और मृतका को राफो बीबी उर्फ राखो के घर ले गए थे जिसने उनको बताया था कि वह (मृतका) जादू-टोना करती है जिस कारण अपीलार्थी अशोक पासवान के पिता चनारिक पासवान की मृत्यु हुई थी।

9. उस स्थिति में, यह बिल्कुल अधिसंभाव्य है कि उस समय तक तीनों अपीलार्थीगण शायद मृतका की हत्या करने का सामान्य आशय शेयर नहीं कर रहे थे। केवल राफो बीबी उर्फ राखो द्वारा मृतका द्वारा जादू-टोना करने के बारे में बताए जाने के बाद मृतका को उस स्थान पर लाया गया था। जहाँ अशोक पासवान द्वारा मृतका की गर्दन काटी गयी थी जबकि अ॰ सा॰ 1 एवं 4 के मुताबिक अन्य अपीलार्थीगण ने मृतका को पकड़ रखा था किंतु यह तथ्य अ॰ सा॰ 10 भगल राम के परिसाक्ष्य से संपुष्टि नहीं पाता

है जैसा उसने प्रतिपरीक्षण में पैरा 8 में परिसाक्ष्य दिया है जिसमें उसने परिसाक्ष्य दिया है कि अन्य अपीलार्थीगण वहाँ उपस्थित थे।

10. इन परिस्थितियों के अधीन, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अन्य अपीलार्थीगण अर्थात् रीता देवी, योगेन्द्र पासवान और गणेश पासवान मृतका की हत्या करने का सामान्य आशय शेयर नहीं कर रहे थे। तद्नुसार, अपीलार्थी अशोक पासवान के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश संपुष्ट करते हुए, जहाँ तक अन्य अपीलार्थियों अर्थात् रीता देवी, योगेन्द्र पासवान एवं गणेश पासवान का संबंध है, इसे अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरुप, उन्हें समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और उनके जमानत बंध पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

11. परिणामस्वरुप, यह अपील अंशतः अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vkykd flg] U;k;efr

गोबर्धन सिंह चौधरी

cuke

झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य

W.P. (S) No. 2648 of 2006. Decided on 10th July, 2012.

सेवा विधि–वसूली–हिंदी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होना–यह दर्शाने के लिए सामग्री नहीं है कि याची ने अपने वेतन बिलों को पारित करवाने में कोई कपट, दुर्व्यपदेशन किया था अथवा उसकी कोई भूमिका थी–ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि याची ने द्वेषपूर्वक आधिक्य राशि प्राप्त किया है–अधिक राशि का भुगतान करने की गलती का पता दस वर्षों तक क्यों नहीं लगाया जा सका था, विभाग द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है–इप्सित की गयी वसूली विधि में संपोषित नहीं की जा सकती है। (पैराएँ 4, 5, 9 से 12)

निर्णयज विधि.–2006 (4) JLJR 558; (2009)3 SCC 475—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Santosh Kumar Gautam, For the Petitioner; M/s. Rajan Raj, Rohit, For the J.S.E.B..

आदेश

याची को सहायक लेखाकार के रूप में झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड में पदस्थापित किया गया था। याची को उन कर्मचारियों जो दिनांक 16.7.1979 से दिनांक 20.11.1994 तक की अवधि के दौरान हिंदी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं को भुगतेय भत्ता का भुगतान किया गया था। वस्तुतः, याची केवल दिनांक 20.11.1994 को हिंदी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। विद्युत बोर्ड ने यह कहते हुए कि इस अवधि के दौरान याची भत्ता का हकदार नहीं था जो केवल उन कर्मचारियों को भुगतेय था जो हिंदी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, दिनांक 16.7.1979 से दिनांक 20.11.1994 तक की अवधि के लिए याची को भुगतान की गयी अधिक राशि की वसूली के लिए दिनांक 12.5.2004 का आदेश (रिट याचिका का परिशिष्ट-1) पारित किया है। व्यथित होकर, याची ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3413 वर्ष 2004 दाखिल किया जिसे इस न्यायालय द्वारा याची को महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियन्ता, जे॰ एस॰ ई॰ बी॰, धनबाद के समक्ष नया अभ्यावेदन, जिस पर प्रत्यर्थी सं॰ 2 विधि के अनुरुप नया आदेश पारित करेंगे, देने के निर्देश के साथ दिनांक 22.7.2004 को निपटाया गया था।

2. दिनांक 22.7.2004 के आदेश के अनुसरण में, याची ने महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियन्ता, जे॰ एस॰ ई॰ बी॰, धनबाद के समक्ष अभ्यावेदन (रिट याचिका का परिशिष्ट 4) दिया था। महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियन्ता, जे॰ एस॰ ई॰ बी॰, धनबाद ने यह संप्रेक्षित करके कि याची (कर्मचारी) अधिसूचना से अवगत था कि भत्ता केवल उन कर्मचारियों को भुगतेय था जो हिंदी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, दिनांक 23.2.2006 के आक्षेपित आदेश के तहत अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया है। अत:, याची जो केवल दिनांक 20.11.1994 को ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सका था, दिनांक 16.7.1979 से दिनांक 20.11.1994 की मध्यक्षेपी अवधि के लिए भत्ता का हकदार नहीं था।

3. मैंने याची के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार गौतम और विद्युत बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता श्री राजन राज को सुना है, जिसकी सहायता श्री रोहित द्वारा की गयी है।

4. संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन करने पर, मेरा दृढ़ मत है कि यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर सामग्री मौजूद नहीं है कि याची ने अपने वेतन बिलों को पारित करवाने में कोई कपट, दुर्व्यपदेशन किया है अथवा भूमिका निभाया है। आक्षेपित निर्णय में भी, कोई विनिर्दिष्ट निष्कर्ष नहीं है कि याची ने कभी अपने वेतन बिलों को पारित करवाने में कोई कपट, दुर्व्यपदेशन किया है अथवा भूमिका निभाया है। आक्षेपित आदेश में किया गया एक मात्र संप्रेक्षण यह है कि याची जो स्वयं सहायक लेखाकार था को इस तथ्य की जानकारी होनी चाहिए थी कि ऐसा भत्ता केवल उन कर्मचारियों को भुगतेय था जो हिंदी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। अत:, याची को राशि स्वीकार नहीं करना चाहिए था जो उसको भुगतेय नहीं था।

5. दूसरी ओर, प्राधिकारियों के समक्ष और इस न्यायालय के समक्ष भी याची का दृष्टिकोण यह रहा है कि वह अवगत नहीं था कि भत्ता केवल उनको भुगतेय था जो हिंदी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। महाप्रबंधक ने यह कहते हुए कि विधि से अनभिज्ञता बहाना नहीं है, याची के इस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया है। किंतु, आक्षेपित आदेश में संप्रेक्षण नहीं है कि याची इस तथ्य से अवगत था और उसने स्वयं दुर्भावना से अधिक राशि प्राप्त किया है।

6. वाद के पहले चक्र में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22.7.2004 के आदेश के पैराग्राफ 3 का पठन निम्नलिखित है:–

> *^^çR;fFk;k d fy, mifLFkr fo}ku vfèkoDrk Jh lkjHk v#.k fuonu djr g fd ;g çrhr gkrk g fd ;kph u ;g dgr g, fd ml fgnh ukfVx ,o Mkf¶Vx ijh{kk e mÙkh.k gku dh vko';drk d ckj e o"k 1980 ,o o"k 1993 d chp lfpr dHkh ugh fd;k x;k Fkk] vH;konu (ifjf'k"V 5) nkf[ky fd;k gA bld vfrfjDr] ;kph dk ekeyk ;g g fd mlu mldk oruof) d Hkxrku d fy, vH;konu vFkok n0;in'ku dHkh ugh fd;k tk lkeku; Øe e mldk fn;k x;k FkkA vr%] mUgku fuonu fd;k fd lcfèkr çR;Fkh ekey ij fopkj djx vkj ;kph d vH;konu ij vko';d vkn'k ikfjr djxA^^*

7. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए संप्रेक्षणों की दृष्टि में, महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियन्ता, जे॰ एस॰ ई॰ बी॰ विनिर्दिष्ट निष्कर्ष दर्ज करने के लिए कर्त्तव्यबद्ध थे कि क्या याची ने अपने वेतन बिलों को पारित करवाने में कोई कपट अथवा दुर्व्यपदेशन किया था अथवा कोई सक्रिय भूमिका निभाया था।

8. पूछे जाने पर, पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्षत: निवेदन किया है कि भुगतान के लिए पारित किए जाने के पहले वेतन बिल अनेक टेबलों से होकर गुजरते हैं और कोई भी इस गलती

का पता नहीं लगा सका था कि भत्ता गलत रूप से अनुमोदित किया गया था और याची को भुगतान किया गया था। इस गलती का पता लगभग 10 वर्ष बाद वर्ष 2004 में लगाया गया था।

9. इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने **नंद किशोर पांडे बनाम झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य,** 2006 (4) JLJR 558, में लगभग सदृश तथ्यों में किए जाने के लिए इप्सित अधिक राशि की वसूली अभिखंडित किया है।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सैयद अब्दुल कादिर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2009)3 SCC 475,** में आदेश दिया है कि यदि प्राधिकारीगण ने अधिसूचना, नियमावली अथवा विनियमनों की गलत रूप से व्याख्या करके कर्मचारी का वेतन नियत किया है और कर्मचारी आधिक्य राशि पाने के लिए किसी कपट अथवा दुर्व्यपदेशन का दोषी नहीं है और अधिक राशि की भुगतान की गलती का पता पर्याप्त रूप से लंबी अवधि तक नहीं लगाया गया है, कर्मचारी को इस प्रकार भुगतान की गयी राशि कर्मचारी से वसूल नहीं की जानी चाहिए।

11. याची वर्ष 2005 में विद्युत बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। दस वर्षों तक अधिक राशि का भुगतान करने की गलती का पता क्यों नहीं लगाया जा सका था, विभाग द्वारा आक्षेपित आदेश में अथवा प्रतिशपथ पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है।

12. अत:, इप्सित की गयी वसूली विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं की जा सकती है। परिणामस्वरुप, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। यह आदेश दिया जाता है कि आक्षेपित आदेश के अनुसरण में याची से वसूली नहीं की जाएगी। आक्षेपित आदेश के अनुसरण में इस प्रकार वसूल की गयी किसी राशि का भुगतान याची को आज के दिन से 60 दिनों के भीतर बिल्कुल किया जाएगा जिसमें विफल होने पर याची ऐसी वसूली की तिथि से याची को वास्तविक वापसी तक 12% वार्षिक दर पर ब्याज का हकदार होगा।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

कोल्हा सिंह एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No. 319 of 2006. Decided on 1st July, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 420/34—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—छल–समन–याचीगण ने भूमि का टुकड़ा बेचने के बहाने परिवादी से अभिकथित रूप से धन प्राप्त किया–परिवादी ने अपने एस॰ ए॰ में याचीगण के विरुद्ध अभिकथनों को सिद्ध किया है और दंडाधिकारी ने तार्किक आदेश पारित किया है–न्यायालय दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 द्वारा प्रदत्त शक्ति का अवलंब लेने का इच्छुक नहीं है। (पैराएँ 2 एवं 7)

अधिवक्तागण.–M/s. Rohit Roy, Rajesh Kumar, For the Petitioners; APP, For the State.

आदेश

यह दांडिक विविध याचिका परिवाद मामला सं॰ 658 वर्ष 2004 के संबंध में श्री ए॰ के॰ तिवारी, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 21.1.2006 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है जिसके द्वारा विद्वान दंडाधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420/34 के अधीन संज्ञान लिया है और विचारण का सामना करने के लिए याचीगण के विरुद्ध समन जारी करने का निर्देश दिया है।

2. संक्षेप में, तथ्य ये हैं कि याचीगण ने भूमि के टुकड़े के विक्रय के बहाना पर परिवादी से धन वसूल किया। परिवादी को स्टांप पेपर प्राप्त करने का निर्देश भी दिया गया था जिसे किया भी गया था किंतु अभियुक्तगण विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे, अत: परिवादी ने छला महसूस किया और परिवाद मामला सं॰ 658 वर्ष 2004 दाखिल किया।

3. विद्वान दंडाधिकारी ने जाँच करने के बाद आक्षेपित आदेश पारित किया जिसके द्वारा याचीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 420/34 के अधीन अपराध के लिए विचारण का सामना करने का निर्देश दिया गया है।

4. यह निवेदन किया गया है कि विवाद सिविल प्रकृति का है। परिवादी को संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद दाखिल करना चाहिए था। वस्तुत:, परिवादी बाध्यता के अपने भाग का उन्मोचन नहीं कर सका था और इसलिए, विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अवयव आकृष्ट नहीं होते हैं और इसलिए, परिवाद मामला सं॰ 658 वर्ष 2004 से उद्भूत होने वाला संपूर्ण दांडिक अभियोजन एवं दिनांक 21.1.2006 का संज्ञान आदेश अभिखंडित किए जाने का दायी है।

5. राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है।

6. परिवादी/ओ॰ पी॰ सं॰ 2 उपस्थित नहीं हुआ था।

7. मैंने परिवाद याचिका, एस॰ ए॰ पर दर्ज परिवादी के बयान और आक्षेपित आदेश का परिशीलन किया है। यह प्रतीत होता है कि परिवादी ने अपने एस॰ ए॰ में याचीगण के विरुद्ध किए गए अभिकथनों को सिद्ध किया है और विद्वान दंडाधिकारी ने तार्किक आदेश पारित किया है। मैं दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन प्रदत्त शक्ति का अवलंब लेने का इच्छुक नहीं हूँ और इसलिए यह दांडिक विविध याचिका खारिज की जाती है।

8. समस्त अंतर्वर्ती आदेश यदि हो, जिनके द्वारा याचीगण को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है, रिक्त किए जाएँगे।

9. अवर न्यायालय विधि के अनुरुप आगे अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

श्याम सुन्दर प्रसाद गुप्ता एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 5784 of 2014. Decided on 6th August, 2015.

बिहार अधिगृहित प्राथमिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993—नियम 5—ग्रेड IV में प्रोन्नति का दावा–ग्रेड I एवं ग्रेड II वेतनमान के प्रदान के लिए याचीगण की प्रार्थना पर प्रत्यर्थीगण द्वारा विचार किया गया है और प्रदान किया गया है–ग्रेड IV में पश्चातवर्ती प्रोन्नति के लिए दावा प्रत्यर्थियों द्वारा याचीगण के व्यक्तिगत अभिलेख का परीक्षण करने के बाद और समस्थित व्यक्तियों पर विचार करने के बाद विचार किया जाएगा–उपायुक्त एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को इस संबंध में आवश्यक कार्य करने का निर्देश दिया। (पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Amit Kumar Tiwari, For the Petitioners; Mr. Dhananjay Kumasr Dubey, For the State.

आदेश

याचीगण एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान रिट याचिका में 18 याचीगणों का दावा अपने परस्पर पदग्रहण की तिथि से ग्रेड I में प्रोन्नति और अपने सेवा कैरियर के दौरान शिक्षक प्रशिक्षण अर्हता अर्जित करने के बाद अन्य पारिणामिक लाभों के संबंध में है। याचीगण ने **अरुण सिन्हा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 638 वर्ष 2006** में दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है।

3. प्रत्यर्थियों ने दिनांक 22.7.2015 को मामले में अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है। प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि व्यक्तिगत याचियों के मामले का परीक्षण करने के बाद कि क्या वे **अरुण सिन्हा एवं अन्य (ऊपर)** में निर्दिष्ट निर्णय और अन्य समरुप मामलों जैसे **डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5465/2007** में **अवध बिहारी मिश्रा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य** तथा **डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5525/2013** में **नागेन्द्र कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** में दिए गए निर्णयों से आच्छादित है। जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू द्वारा जारी दिनांक 29.4.2015 के कार्यालय आदेश (परिशिष्ट A) द्वारा समस्त 18 रिट याचियों को उनके पद ग्रहण की परस्पर तिथियों से उनकी सेवा के 12 वर्ष पूरा करने के बाद ग्रेड II का लाभ प्रदान किया गया है। आहरण एवं संवितरक अधिकारियों को संबंधित प्राधिकारी से सम्यक सत्यापन के बाद व्यक्तिगत याचियों का वेतनमान नियत करने और इसका भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण ग्रेड I में प्रोन्नति एवं पारिणामिक धनीय लाभों के भी हकदार हैं।

4. प्रत्यर्थी राज्य द्वारा लिए गए नवीनतम दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर यह प्रतीत होता है कि ग्रेड I एवं ग्रेड II वेतनमान के प्रदान के लिए याचियों की प्रार्थना पर प्रत्यर्थियों द्वारा विचार किया गया है और इसे प्रदान किया गया है। किंतु, ग्रेड IV पर पश्चातवर्ती प्रोन्नति के दावा आदि पर प्रत्यर्थियों द्वारा याचियों के मामले के व्यक्तिगत अभिलेख का परीक्षण करने और अन्य समस्थित व्यक्तियों पर विचार करने के बाद विचार किया जाएगा।

5. तद्नुसार, प्रत्यर्थी सं॰ 4 उपायुक्त, पलामू एवं प्रत्यर्थी सं॰ 5, जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू को युक्तियुक्त अवधि के भीतर, प्राथमिकत:, इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से दस सप्ताह की अवधि के भीतर ग्रेड IV में प्रोन्नति के लिए याचियों के अन्य बकाये दावा के संबंध में मामले में सही निर्णय लेने का निर्देश देते हुए रिट याचिका निपटायी जाती है। प्रत्यर्थियों को बिहार अधिगृहित प्राथमिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993, विनिर्दिष्टत: नियम 5 के प्रासंगिक प्रावधानों और कि क्या कोई अन्य पात्र व्यक्ति भी ऐसे दावा का हकदार है, को विचार में लेते हुए ग्रेड IV में प्रोन्नति प्रदान करने के लिए याचियों के अनुरोध पर विचार करना चाहिए।

6. तद्नुसार, रिट याचिका निपटायी जाती है। आई॰ ए॰ सं॰ 6066/2014 भी निपटाया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

सरजू प्रसाद

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Revision No. 696 of 2015. Decided on 6th August, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 451—खनन अपराध में अंतर्ग्रस्त ट्रक की निर्मुक्ति–वाहन को प्रकृति की कठोर जलवायु से क्षति पहुंचता है यदि उन्हें पर्याप्त देखभाल के बिना खुले स्थान में रखा जाता है–अत्यन्त लंबी अवधि तक अथवा अधिहरण कार्यवाही की समाप्ति तक पुलिस थाना के खुले स्थान में वाणिज्यिक वाहन रखने से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा–आवेदन अनुज्ञात। (पैराएँ 6 से 8)

निर्णयज विधि.–(2002)10 SCC 283—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Prabhat Kumar Sinha, For the Petitioner; Mr. Abhay Kumar Tiwari, For the State.

आदेश

याची ने बरही (पदमा) पी॰ एस॰ केस सं॰ 318 वर्ष 2014, जी॰ आर॰ केस सं॰ 4318 वर्ष 2014 के तत्सम, में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 26.5.2015 के आदेश की वैधता को चुनौती दिया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन रजिस्ट्रेशन सं॰ JH02 P 8665 वाले उसके ट्रक की निर्मुक्ति के लिए याची द्वारा दाखिल आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 25.10.2014 को गश्ती के क्रम में सूचक ने कुछ गोपनीय सूचना प्राप्त किया कि अवैध छर्रियों से लदे दो ट्रक रोमी पुल की ओर आ रहे है। गश्ती दल वहाँ पहुँचा और अवैध छर्रियों से लदे दो ट्रकों–BPA 7143 और JH02P 8665-को पकड़ा और जाँच करने पर वाहन में से एक का चालक पकड़ा गया व्यक्ति रामदेव यादव छर्रियों से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा और वाहन के स्वामी के रूप में सरजू प्रसाद (याची) का नाम प्रकट किया। पकड़ा गया एक अन्य चालक मोहन प्रसाद भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा और प्रकट किया कि कोई रामवृक्ष प्रसाद पकड़े गए ट्रकों में से एक का स्वामी है। सूचक के स्व–बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 414/420, लघु खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धाराओं 4(1)A एवं 21 तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के अधीन प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

3. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याची ने ट्रक सं॰ JH02 P 8665 का स्वामी होने के नाते इसकी निर्मुक्ति के लिए संबंधित न्यायालय में आवेदन दाखिल किया क्योंकि यह वाणिज्यिक वाहन था किंतु अवर न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी है कि चूँकि अधिहरण कार्यवाही आरंभ की गयी है, प्रश्नगत वाहन निर्मुक्त नहीं किया जा सकता है। यह आदेश सब–डिविजनल वन अधिकारी–सह–वन्य जीव डिविजन के प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है जिसमें यह सूचित किया गया था कि अधिहरण कार्यवाही आरंभ की गयी है। यह भी निवेदन किया गया है कि इसके पहले याची को कोई अधिहरण कार्यवाही आरंभ किए जाने की जानकारी नहीं थी। यह निवेदन भी किया गया था कि प्रश्नगत वाहन वाणिज्यिक वाहन होने के कारण खुले स्थान में पड़ा है और प्रत्येक आशंका है कि मौसम के प्रभाव के कारण समय बीतने के साथ वाहन कूड़ा में संपरिवर्तित हो जाएगा। अत:, वाहन निर्मुक्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने प्रार्थना का विरोध किया और निवेदन किया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वाहन तथा जब्त सामग्री की अधिहरण कार्यवाही पहले ही आरंभ कर दी गयी है।

5. यह न्यायालय वर्तमान में प्राथमिकी में किए गए अभिकथन के गुणागुण पर विचार नहीं कर रहा है। प्रश्नगत ट्रक दिनांक 25.10.2014 को जब्त किया गया है। यह सामान्य जानकारी की बात है

कि वाहन को प्रकृति की कठोर जलवायु से क्षति पहुँचती हैं यदि पर्याप्त देखभाल के बिना उन्हें खुले स्थान में रखा जाता है।

6. सुंदर भाई अंबाला देसाई बनाम गुजरात राज्य, (2002)10 SCC page 283, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपराध के संबंध में जब्त वाणिज्यिक वाहनों को अत्यन्त लंबी अवधि के लिए अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। यदि वाहन स्वामी इसकी निर्मुक्ति के लिए आता है, आवश्यक पंचनामा तैयार करने के बाद त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए और यदि आवश्यक है, पहचान तथा साक्ष्य दर्ज करने के लिए कदम उठाए जाएँगे और अन्य समुचित कदम अपनाए जाएँगे ताकि यदि संपत्ति प्राकृतिक क्षय के अध्यधीन है, कार्यवाही के दौरान साक्ष्य उपलब्ध हो। पैराग्राफ 17 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^gekj nf"Vdk.k e] tk Hkh fLFkfr gk] ycs vofèk rd ifyl Fkkuk e , l tCr okguk dk j[ku dk mi;kx ugh gA mDr okguk dk okil ykVku d fy, lefpr cèk i= ,o çfr;kHkfr rFkk çfrHkfr ydj rjUr lefpr vkn'k ikfjr djuk nMkfèkdkjh dk dke g ;fn le; d fdlh fcn ij , lk djuk vko';d gA ;g , l okguk dk okil ykVku d fy, vkonuk dh luokb yfcr jgr g, fd;k tk ldrk gA***

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित एवं पर्याप्त बैंक गारंटी लेने के बाद वाहन निर्मुक्त करने का निर्देश दिया है किंतु इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अधिहरण कार्यवाही आरंभ की गयी है, ऐसी स्थिति में, याची को अधिहरण प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने एवं अपना कारण बताओ तथा वाहन की निर्मुक्ति के लिए याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि वन अधिनियम में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान भी वाहन निर्मुक्त करने का प्रावधान है और प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रश्नगत वाहन वाणिज्यिक वाहन है और लंबी अवधि तक अथवा अधिहरण कार्यवाही के समापन तक वाहन को पुलिस थाना के खुले स्थान में रखने से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा और वाहन को प्रकृति की कठोर जलवायु से क्षति पहुँचती हैं और मौसम के प्रभाव के कारण प्राकृतिक क्षय होगा, प्रश्नगत वाहन के वर्तमान मूल्य के बराबर की बैंक गारंटी सहित प्रतिभूति लेने के बाद याची के पक्ष में वाहन निर्मुक्त करने के लिए समुचित कदम उठाएँगे और न्यायालय/अधिहरण प्राधिकारी भी पंचनामा तैयार करने और वाहन का फोटोग्राफ लेने के लिए कदम उठाएँगे जिसे कार्यवाही के दौरान उपयोग के लिए अभिलेख पर रखा जाएगा ताकि विचारण/कार्यवाही अवरुद्ध न हो। वाहन स्वामी भी वचन देगा कि अवर न्यायालय में तथा अधिहरण मामले में मामले के लंबित रहने के दौरान वाहन नहीं बेचेगा अथवा किसी रूप में इसे अन्य संक्रांत नहीं करेगा और वाहन प्रस्तुत करेगा जब और जैसे ही इसकी आवश्यकता हो। यदि याची अपने द्वारा दिए गए वचन के निबंधन का उल्लंघन करता है और न्यायालय के समक्ष अथवा अधिहरण प्राधिकारी के समक्ष वाहन प्रस्तुत करने में विफल रहता है, न्यायालय/प्राधिकारी पहले दाखिल की गयी बैंक प्रत्याभूति समपहृत करने के लिए स्वतंत्र होगा। वाहन की निर्मुक्ति याची की उपस्थित एवं अधिहरण मामले में कारण बताओ दाखिल करने के अध्यधीन होगी।

8. पूर्वोक्त संप्रेक्षण के साथ, यह पुनरीक्षण आवेदन एतद् द्वारा अनुज्ञात किया जाता है। बरही (पदमा) पी॰ एस॰ केस सं॰ 318 वर्ष 2014 में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 26.5.2015 का आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। वाहन की निर्मुक्ति का आदेश अधिहरण मामले के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

कमल नयन प्रसाद

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 75 of 2015. Decided on 6th August, 2015.

सेवा विधि–निलंबन–विस्तारण–सी॰ सी॰ एस॰ (सी॰ सी॰ ए॰) नियमावली, 2005 का नियम 10 (1)—दांडिक मामले में अंतर्ग्रस्तता–जब निलंबन के विस्तारण की अवधि लगभग समाप्त होने वाली है, प्रत्यर्थियों को उसके निलंबन के आगे विस्तारण का निर्णय लेने के पहले मामले के समस्त पहलूओं पर विचार करने की आवश्यकता है–ऐसा निर्णय निलंबन के विस्तारण की अवधि समाप्त होने के पहले लिया जाना चाहिए–निर्देशों के साथ याचिका निपटायी गयी। (पैरा 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Vishal Kumar Rai, For the Petitioner; JC to SC-II, For the Resp-State; M/s. Anoop Kumar Mehta, Amit Kumar Sinha, For the Res-ISM.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. याची को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद के रजिस्ट्रार (प्रत्यर्थी सं॰ 4) द्वारा जारी दिनांक 9.8.2012 के आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट–2) द्वारा सी॰ बी॰ आई॰ भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो द्वारा दर्ज दांडिक मामले आर॰ सी॰ केस सं॰ 17 (A)/2012-D में अभियुक्त होने के आधार पर निलंबित किया गया था जिसके अधीन उसे पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध भी किया गया था। उपनियमों के नियम 56 (B) (i) में अंतर्विष्ट धारणा उपबंध के फलस्वरुपव उसे अपने निरोध की तिथि दिनांक 6.8.2012 से निलंबित किया गया समझा गया था। तत्पश्चात, पुनर्विलोकन कमिटी द्वारा सी॰ सी॰ एस॰ (सी॰ सी॰ ए॰) नियमावली के नियम 10 (1) के प्रावधानों के निबंधनानुसार प्रत्येक 90 दिनों पर निरोध पुनर्विलोकित किया गया है। आज की तिथि तक निलंबन जारी है और अंत में पुनर्विलोकन कमिटी के दिनांक 10.7.2015 के निर्णय (परिशिष्ट D) द्वारा निलंबन दिनांक 20.7.2015 के कार्यालय आदेश द्वारा उसके वेतन के 75% की सीमा तक निर्वाह भत्ता के भुगतान के साथ दिनांक 22.10.2015 तक विस्तारित किया गया है जो प्रत्यर्थियों के प्रतिशपथ पत्र का भाग भी है।

3. याची ने निलंबन के मूल आदेश का विरोध किया है और उसकी ओर से यह आग्रह किया गया है कि निलंबन अनिश्चित समयावधि तक जारी नहीं रहना चाहिए यदि दांडिक विचारण अंतिमता प्राप्त नहीं करता है और वह भी याची की गलती के कारण नहीं। यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थियों द्वारा किया गया पुनर्विलोकन भी विवेक का इस्तेमाल प्रकट नहीं करता है क्योंकि यह ऐसे निलंबन के विस्तारण के प्रश्न पर कारण रहित है।

4. प्रत्यर्थी आई॰ एस॰ एम॰ के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि केवल दांडिक मामले के कारण, जो नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त करता है, पुनर्विलोकन कमिटी ने प्रत्येक अवसर पर 90 दिनों की अवधि के लिए निलंबन विस्तारित करना समुचित समझा है। दांडिक मामले का विचारण अग्रसर हुआ है और दो अभियोजन गवाहों अर्थात् निदेशक, आई॰ एस॰ एम॰ एवं रजिस्ट्रार, आई॰ एस॰ एम॰ का परीक्षण किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि याची के इस प्रकृति के मामले में अंतर्ग्रस्त होने और निलंबन उसके दांडिक कार्यों में लिप्त होने पर आधारित होने के कारण और चूँकि विचारण प्रगति में है, पुनर्विलोकन कमिटी ने विवेक के सम्यक इस्तेमाल के बाद इस बीच याची के निलंबन के प्रतिसंहरण की अनुशंसा नहीं किया है।

5. मैंने अभिलेख पर मौजूद तात्विक तथ्यों के आलोक में पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों को सुना है। यद्यपि याची के निलंबन के विस्तारण से संबंधित अभिलेख पर मौजूद कार्यालय आदेश याची के विरुद्ध दांडिक विचारण के लंबित होने से संबंधित विनिर्दिष्ट कारण नहीं दर्शाते हैं, किंतु अपने प्रतिशपथपत्र के माध्यम से प्रत्यर्थियों की ओर से लिए गए ऐसे आधारों पर निलंबन के विस्तारण के आदेशों को न्यायोचित ठहराया गया है। किंतु याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया है कि ऐसे प्रत्येक पुनर्विलोकन पर विचार किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित किए गए हैं कि क्या कार्यवाही के समापन में विलंब लोक सेवक/कर्मचारी के कारण हुआ है और सी॰ बी॰ आई॰ का मत भी लिया जाना चाहिए। अत: यह प्रतीत होता है कि जहाँ तक वर्तमान विस्तारण का संबंध है, प्रत्यर्थीगण इस आधार पर कि विचारण शुरू हो गया है और दो अभियोजन गवाहों का परीक्षण भी किया गया है, उस प्रभाव का निर्णय लेने में न्यायोचित हैं। किंतु, जब निलंबन के विस्तारण की अवधि समाप्त होने वाली है, प्रत्यर्थियों को उसके निलंबन के आगे विस्तारण का निर्णय लेने के पहले मामले के समस्त पहलूओं पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्यर्थियों को निलंबन के विस्तारण के प्रश्न पर आगे निर्णय लेते हुए समस्त प्रासंगिक कारकों को विचार में लेना चाहिए क्योंकि निलंबन अथवा निलंबन के विस्तारण के वर्तमान आदेश विवेक का ऐसा स्पष्ट इस्तेमाल प्रकट नहीं करते हैं। दिनांक 20.7.2015 के आदेश द्वारा निलंबन का विस्तारण दिनांक 22.10.2015 को समाप्त होने वाला है। निलंबन के विस्तारण की अवधि की समाप्ति के पहले ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए।

6. अत: पूर्वोक्त संप्रेक्षणों के साथ रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o ihñ ihñ HkVV] U;k;efr

निशि रानी केरकत्ता (62 में)

डॉ॰ अरबिंद कुमार उर्फ अरबिंद कुमार (74 में)

cuke

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cr. Appeal (DB) Nos. 62, 74 of 2015. Decided on 30th April, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302, 201 एवं 120B—षडयंत्र एवं हत्या–साक्ष्य को छुपाना–यह एक जघन्य अपराध है जिसमें अपीलार्थी ने मृतका की पत्नी होने के नाते और सह-अभियुक्त के साथ अपनी अंतरंगता की दृष्टि में अपने पति की हत्या करने में अत्यन्त सक्रिय भूमिका निभाया है–अपीलार्थी, जिसे मुख्य आरोप के लिए धारा 120B की मदद से दोषसिद्ध किया गया है, दंडादेश के निलंबन की रियायत के योग्य नहीं है–प्रार्थना अस्वीकृत।

(पैराएँ 8 से 12)

अधिवक्तागण.–M/s B.M. Tripathy, Naveen Kumar Jaiswal, For the Appellant/Petitioner; Mr. Shekhar Sinha, For the Resp.-State; Mr. P.P.N. Rai, For the Resp. No. 2.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–कुल मिलाकर, इस मामले में दो अभियुक्त हैं अर्थात् डॉ॰ अरविन्द कुमार और (मृतक डॉ॰ शरद सोरंग की पत्नी) निशि रानी करकेत्ता। डॉ॰ अरविन्द कुमार को डॉ॰ शरद सोरेंग की हत्या करने के लिए दाण्डिक षडयंत्र का पक्ष होने के नाते भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302, 201 एवं 120B के आरोप के लिए दोषसिद्ध किया गया है। निशि रानी करकेत्ता को अपने पति डॉ॰ शरद सोरेंग की हत्या करने के लिए अपने सह-अभियुक्त डॉ॰ अरबिन्द कुमार के साथ षडयंत्र करने के लिए

भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 सहपठित धारा 120B के अधीन अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है। दिनांक 4 दिसंबर, 2012 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित होकर दोनों अभियुक्तों ने दो पृथक अपीलों अर्थात् निशि रानी करकेत्ता द्वारा दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 62/2015 और डॉ॰ अरबिंद कुमार द्वारा दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 74/2015 को दाखिल किया। दोनों अब अपील के लंबित रहने के दौरान दंडादेश के निलंबन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

2. आरंभ में ही, विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री त्रिपाठी निवेदन करते हैं कि वह दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 74/2015 में अपीलार्थी डॉ॰ अरबिंद कुमार के दंडादेश के निलंबन के लिए इस चरण पर जोर नहीं दे रहे हैं। परिणामस्वरुप, जोर नहीं दिए जाने पर प्रार्थना अस्वीकार किया गया है।

3. किंतु, श्री त्रिपाठी दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 62/2015 में निशि रानी करकेत्ता के दंडादेश के निलंबन के लिए प्रार्थना करते हुए जोरदार प्रतिवाद किया है कि षडयंत्र का साक्ष्य, जैसा अ॰ सा॰ 7 स्टेला सोरेन एवं मृतक के पिता अ॰ सा॰ 10 अमृत सोरेंग जो स्वयं अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22 मई, 2012 को दर्ज प्राथमिकी के हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से एक है के माध्यम से अभियोजन द्वारा विचारण के दौरान सामने लाया गया है, बिल्कुल विश्वासोत्पादक नहीं है क्योंकि कतिपय तात्विक पहलूओं पर विचारण के दौरान उनका साक्ष्य उस साक्ष्य से भिन्न है जब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'दं॰ प्र॰ सं॰') की धारा 161 के अधीन अन्वेषण अधिकारी द्वारा उनका परीक्षण किया गया था जो तथ्य वर्तमान मामले के प्रथम अन्वेषण अधिकारी डी॰ एस॰ पी॰ रोशन गुड़िया, अ॰ सा॰ 13 के साक्ष्य से स्पष्ट है।

4. श्री त्रिपाठी ने निवेदन किया कि पुलिस अपीलार्थी द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर हरकत में आयी जिसमें उसने डॉ॰ अरबिंद कुमार पर संदेह की उंगली उठाया था, अत:, वह अपने पति की हत्या करने के लिए उसके साथ षडयंत्र नहीं कर सकती थी। श्री त्रिपाठी के अनुसार, जब अन्वेषण आधे रास्ते पर था, इसने मृतक के पिता अ॰ सा॰ अमृत सोरंग के कहने पर वर्तमान आवेदक अपीलार्थी की ओर यू-टर्न लिया जिसने उसके प्रति घृणा विकसित किया था, शायद पति-पत्नी के बीच कटु संबंध के कारण।

5. श्री त्रिपाठी ने आगे प्रतिवाद किया कि कॉल विवरण रिपोर्ट जिस पर अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध षडयंत्र का आरोप सिद्ध करने के लिए भारी विश्वास कर रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B (4) के निबंधनानुसार कठोरतापूर्वक सिद्ध नहीं किया गया है। केवल यही नहीं, यह जोड़ने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध तर्कपूर्ण साक्ष्य नहीं है कि वर्तमान अपीलार्थी ने अपने मोबाइल फोन से उसके मोबाइल फोन पर अपने सह-अभियुक्त डॉ॰ अरबिंद कुमार के साथ कभी बात किया था।

6. विचारण के दौरान अभियोजन मामले में समाए पूर्वोक्त त्रुटियों को प्राथमिकता से इंगित करते हुए श्री त्रिपाठी न्यायालय पर प्रभाव डालना चाहते हैं कि अपीलार्थी निशि रानी करकेत्ता के विरुद्ध मामला संदेह मुक्त नहीं है, अत:, वह वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान दंडादेश के निलंबन की रियायत के योग्य है, विशेषत: जब वह विचारण के दौरान भी जमानत पर बनी रही।

7. यहाँ की गयी प्रार्थना का जोरदार विरोध विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा किया गया है जिनकी सहायता मृतक के पिता के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री पी॰ पी॰ एन॰ राय द्वारा की गयी है।

8. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि प्रकटत: यह जघन्य अपराध प्रतीत होता है जिसमें मृतक की पत्नी ने अपने पति की हत्या करने में अत्यन्त सक्रिय भूमिका निभाया है जिसने आवेदक अपीलार्थी की ओर से कुछ आपत्तिजनक बातों पर गौर किया था क्योंकि उसका अपने सह-अभियुक्त डॉ॰ अरबिंद कुमार के साथ कुछ संबंध था और यह मृतक एवं अपीलार्थी के बीच झगड़ा

का मुख्य कारण था और इस कारण से वह बोकारो में अपने माएके में रह रही थी, किंतु स्वयं घटना की तिथि पर उसे मृतक द्वारा किरीबुरु लाया गया था और उसी तिथि पर जोड़े का विवाह वर्षगाँठ था।

9. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि फोन विवरणों से अभियोजन द्वारा संग्रहित साक्ष्य यह है कि जब अपीलार्थी अपने माता-पिता के साथ बोकारो में रह रही थी, वह लगातार डॉ॰ अरविंद कुमार के साथ संपर्क में थी और कि दिनांक 19, 20, 21 मई, 2012 को भी उसने अच्छी खासी अवधि के लिए डॉ॰ अरबिंद कुमार से बात किया था। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह स्वयं अपीलार्थी जो प्रथम सूचक है का मामला है कि उसका पति (मृतक) दिनांक 21 मई, 2012 के पहले दो दिनों तक अर्थात् दिनांक 19 मई, 2012 एवं दिनांक 20 मई, 2012 को बोकारो में उसके माएके में रूका था और इस अवधि के दौरान भी वह स्वयं बोकारो से मोबाइल फोन पर डॉ॰ अरबिंद कुमार के साथ लगातार संपर्क में बनी रही। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 20 मई, 2012 के इनकमिंग कॉलों में से एक दर्शाता है कि डॉ॰ अरविंद कुमार ने आधा घंटा से अधिक (सटीक तौर पर 3382 सेकंड) अपीलार्थी से बात किया था।

10. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि दस्तावेजी साक्ष्य के अतिरिक्त, अभियोजन वर्तमान अपीलार्थी की सह-अपराधिता की ओर इंगित करते हुए अन्य तर्कपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम हुआ है, यदि अ॰ सा॰ 7 स्टेला सोरेन (नर्स) एवं अ॰ सा॰ 10 अमृत सोरेंग (मृतक का पिता) के बयान का पठन किया जाता है क्योंकि स्टेला सोरेन ने स्पष्टत: कथन किया है कि वह उसी अस्पताल में होने के नाते मृतक को पहले से जानती थी जिसने उसे बताया था कि डॉ॰ अरविंद कुमार उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखे हुए है और कि अपीलार्थी भी उसके (मृतक) के साथ रहने में दिलचस्पी नहीं रखती है। अ॰ सा॰ 10 अमृत सोरेंग के साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए विद्वान राज्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस गवाह ने भी मृतक एवं अपीलार्थी के बीच मनमुटाव के बारे में कथन किया है और इसके बारे में कि किस प्रकार अपीलार्थी विभिन्न अंतरालों पर अपने माएके बोकरो गयी थी।

11. इस प्रकार, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता में अपीलार्थी जो अपने सह-अभियुक्त डॉ॰ अरविन्द कुमार के साथ अपने पति की हत्या करने में मुख्य षडयंत्रकारी है, न्यायालय की सहानुभूति के योग्य नहीं है।

12. वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखकर और वर्तमान मामले के गुणागुण पर कोई मत अभिव्यक्त करने पर अपनी समस्त मजबूरी दर्शाते हुए, ताकि मुख्य अपील की सुनवाई के प्रासंगिक चरण पर किसी पक्ष के मामले पर प्रतिकूलता कारित न हो, अपीलार्थी जो मृतक की पत्नी है और जिसे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 120B के मदद से मुख्य आरोप के लिए दोषसिद्ध किया गया है, दंडादेश के निलंबन की रियायत के योग्य नहीं है जैसी प्रार्थना की गयी है, भले ही वह विचारण के दौरान जमानत पर थी।

प्रार्थना अस्वीकार की गयी।

---

ekuuh; vkjh vkjh çlkn ,o çeFk iVuk;d] U;k;efrx.k

पूर्णा उर्फ पूना बौरी

cuke

झारखंड राज्य

Cr. (Jail) Appeal (D.B.) No. 220 of 2008. Decided on 12th May, 2015.

एस॰ टी॰ सं॰ 137 वर्ष 2003/पूरक एस॰ टी॰ सं॰ 37 वर्ष 2003 में तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ II, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 29.11.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—शिशु की हत्या–आजीवन कारावास–अ॰ सा॰ के परिसाक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से और आई॰ ओ॰ के वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष से भी संपुष्टि पाते हैं–अभियोजन ने स्थापित किया है कि अपीलार्थी ने शिशु की हत्या की थी–अपीलार्थी ने उसका मस्तक चट्टान पर पटका था जिसके परिणामस्वरुप उसकी मृत्यु हो गयी–मामला भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग II के मापदंडों के अंतर्गत नहीं आता है–अपील खारिज। (पैराएँ 10 से 19)

निर्णयज विधि.–AIR 1958 SC 465—Relied.

अधिवक्तागण.–Ms. Amrita Banerjee, For the Appellant; A.P.P., For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह अपील एस॰ टी॰ सं॰ 137 वर्ष 2003/पूरक एस॰ टी॰ सं॰ 37 वर्ष 2003 में तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ II, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 29.11.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन न्यायालय ने अपीलार्थी को अपनी नौ माह की पुत्री सुनीता उर्फ यशोदा की हत्या करने का दोषी पाने पर उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और कठोर आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

2. अभियोजन मामला, जैसा प्रक्षेपित किया गया है, यह है कि सूचक सत्तो देवी (अ॰ सा॰ 7) अपने कजिन के विवाह के अवसर पर, जिसे दिनांक 7.6.2001 को संपन्न किया गया था, अपने पति पूर्णा उर्फ पूना बौरी (अपीलार्थी) के साथ अपनी गोद में अपनी नौ माह की पुत्री लिए अपने माएके आयी। तीन दिन बाद अर्थात् दिनांक 10.6.2001 को जब अपीलार्थी ने अपनी पत्नी को अपने ससुराल चलने कहा, सूचक ने कहा कि वे स्नान-भोजन करने के पश्चात प्रातः 10 बजे घर से निकलेंगे और दोपहर 3 बजे की ट्रेन पकड़ेंगे। ज्योंही सूचक ने यह कहा, उसके पति (अपीलार्थी) ने उसकी गोद से उसकी पुत्री को छीन लिया और उसका मस्तक घर के बाहर पड़े चट्टान पर पटक दिया जिसके परिणामस्वरुप तुरन्त उसकी मृत्यु हो गयी। बाद में, दोपहर 2 बजे बंगरिया उप पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी ने सूचना पाने पर कि एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री की हत्या की है, उसने थाना डायरी में इसे प्रविष्ट किया और ग्राम मुर्राबाद में घटनास्थल पर गया। वहाँ पहुँचने पर, उसने सूचक सत्तो देवी (अ॰ सा॰ 7) का फर्दबयान (प्रदर्श 1) दर्ज किया जिसने वही कथन किया जो ऊपर किया गया है। जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 2) लिखी गयी थी। उसने स्वयं अन्वेषण शुरू किया जिस दौरान उसने मृतका के मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया और मृतका के मृत शरीर को शव परीक्षण के लिए भेजा जिसे डॉ॰ कौशलेन्द्र कुमार (परीक्षण नहीं किया गया) द्वारा किया गया था जिन्होंने मृतका के मृत शरीर का शव परीक्षण करने पर निम्नलिखित उपहति पायाः–

^^bVkØfu;y CyM DykV d lkFk cu ,o efut l dh fonh.krk d lkFk ÝVk&ijkbVy {k= e [kkiMh dh gMMh d ÝDpj d lkFk ÝVy {k= d nk,¡ Hkkx ij CyM DykV d lkFk 1"x 1/2" vkdkj dk vfLFk rd xgjk fonh.k t[eA

3. शव परीक्षण रिपोर्ट एक अन्य डॉक्टर अर्थात्, डॉ॰ रत्नेश प्रसाद वर्मा द्वारा सिद्ध किया गया है जिन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 4) का परिशीलन करने पर अभिसाक्ष्य दिया कि

मृतका के शरीर पर कारित उपहति प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।

इस बीच, अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और चट्टान के ऊपर रक्त का धब्बा पाया जिस पर अपीलार्थी को अपनी पुत्री का मस्तक पटकता हुआ बताया गया है। उसने गवाहों का बयान भी दर्ज किया।

4. अन्वेषण पूरा करने के बाद, जब अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया, पूर्वोक्तानुसार अपराध का संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था जहाँ अपीलार्थी का विचारण किया गया था।

5. अभियोजन ने विचारण के दौरान, अपना मामला सिद्ध करने के लिए कुल नौ गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से, अ॰ सा॰ 1 बेलो मांझीयाइन उर्फ बेलानी मांझियाइन और अ॰ सा॰ 3 जलेश्वरी मांझीयाइन स्वतंत्र चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने अपीलार्थी को अपनी पुत्री का मस्तक चट्टान पर पटक कर उसकी हत्या करते देखा था। अ॰ सा॰ 2 बासुदेव बौरी एवं अ॰ सा॰ 8 दुशासन बौरी सूचक के भाई एवं पिता हैं जिन्होंने भी परिसाक्ष्य दिया कि जब सूचक अ॰ सा॰ 7 ने अपने पति से कहा कि वह दोपहर 3 बजे की ट्रेन पकड़ने प्रातः 10 बजे घर से निकलेगी, अपीलार्थी ने उसकी गोद से पुत्री को छीन लिया और उसका मस्तक चट्टान पर पटक दिया। अ॰ सा॰ 7 सूचक ने उसी तौर तरीके का परिसाक्ष्य दिया है जैसा बयान उसने फर्दबयान (प्रदर्श 1) में दिया था। अ॰ सा॰ 4 एवं 5 अर्थात् महेश्वर किस्कू एवं शशि हंसदा मृत्यु समीक्षा के गवाह हैं।

6. अभियोजन मामला बंद करने के बाद, अपीलार्थी से उसके विरुद्ध सामने आने वाले अपराध में फँसानेवाले साक्ष्य के बारे में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन पूछा गया था जिससे उसने इनकार किया। साथ ही, उसने यह भी कथन किया कि वह घर में उपस्थित नहीं था बल्कि अपने ससुराल में था जब उसे पता चला कि उसकी पुत्री की मृत्यु हो गयी है।

7. विचारण न्यायालय ने अ॰ सा॰ 1, 2, 3, 7 एवं 8 के परिसाक्ष्य पर अंतर्निहित विश्वास करके, जिनके परिसाक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से अन्वेषण अधिकारी के वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष से भी संपुष्टि पाते हैं, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया और तद्नुसार अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अधीन है।

8. न्यायमित्र के रूप में नियुक्त सुश्री अमृता बनर्जी निवेदन करती हैं कि चश्मदीद गवाहों के परिसाक्ष्य को स्वीकार करने पर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध नहीं बनता है क्योंकि इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलार्थी का अपनी पुत्री की हत्या करने का आशय नहीं हो सकता था और अपनी पुत्री की मृत्यु कारित करने का अपीलार्थी के पास कारण अथवा हेतु नहीं था और इन परिस्थितियों के अधीन यह आसानी से कहा जा सकता है कि जो कुछ हुआ, अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि अपीलार्थी की ओर से पूर्व चिंतन नहीं था और न ही अपनी पुत्री की हत्या करने का कोई आशय था और तद्द्वारा मामला धारा 304 भाग II के अधीन आएगा क्योंकि अपीलार्थी को यह जानकारी रखने वाला नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी के कृत्य द्वारा उसकी पुत्री की हत्या हो जाएगी और, इसलिए, विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया।

9. इसके विरुद्ध, राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि निवेदन किया गया था कि अपीलार्थी का अपनी पुत्री की हत्या करने का आशय नहीं था किंतु तथ्य एवं परिस्थितियाँ उपदर्शित करेंगे

कि अपीलार्थी का हत्या करने का आशय था क्योंकि उसकी पुत्री को कारित उपहति मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी और तद्द्वारा आशय की अनुपस्थिति दर्शाने वाले किसी अन्य सामग्री की अनुपस्थिति में विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और इसलिए, दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता कभी नहीं है।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि सूचक अ॰ सा॰ 7 ने परिसाक्ष्य दिया है कि विवाह के तीन दिन बाद अर्थात् दिनांक 10.6.2001 को जब उसके पति ने उसे अपने ससुराल चलने के लिए कहा, उसने कहा कि वे स्नान–भोजन करने के पश्चात प्रातः 10 बजे निकलेंगे और दोपहर तीन बजे की ट्रेन पकड़ेंगे इस पर, अपीलार्थी ने अचानक उसकी पुत्री को अ॰ सा॰ 7 सूचक की गोद से छीन लिया और घर के बाहर गया जहाँ उसने उसका मस्तक चट्टान पर पटक दिया जिसके परिणाम स्वरुप उसकी मृत्यु हो गयी। सूचक अ॰ सा॰ 7 का परिसाक्ष्य न केवल अ॰ सा॰ 2 वासुदेव बौरी, सूचक का भाई, के साक्ष्य से बल्कि अ॰ सा॰ 8 दुशासन बौरी, सूचक अ॰ सा॰ 7 का पिता, के साक्ष्य से भी संपुष्टि पाता है। गवाहों से कुछ भी निकाला गया प्रतीत नहीं होता है ताकि उनके परिसाक्ष्य की सत्यता पर संदेह सृजित किया जा सके। आगे, उन समस्त गवाहों के परिसाक्ष्य स्वतंत्र गवाहों अ॰ सा॰ 1 एवं 3 से भी संपुष्टि पाते हैं जिन्होंने उसी तरीके का परिसाक्ष्य दिया है जैसा अन्य गवाहों ने दिया है।

11. आगे, हम पाते हैं कि चाक्षुक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाता है, क्योंकि डॉक्टर ने फ्रंटो पेराइटल क्षेत्र पर उपहति पाया था जो, डॉक्टर के अनुसार, प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अतिरिक्त, गवाहों का परिसाक्ष्य अन्वेषण अधिकारी अ॰ सा॰ 6 के वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष से संपुष्टि पाता है जिसने चट्टान जिस पर मृतका का मस्तक पटका गया था के ऊपर रक्त का धब्बा पाया था।

12. इस प्रकार, हम पाते हैं कि अभियोजन अपना मामला स्थापित करने में सक्षम हुआ है कि अपीलार्थी ने अपनी पुत्री की हत्या की थी किंतु प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अथवा धारा 304 भाग II के अधीन अपराध का दोषी है?

13. इस संबंध में, हम भारतीय दंड संहिता की धाराओं 299 एवं 300 में अंतर्विष्ट प्रावधानों को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिनका पठन निम्नलिखित है:

धारा 299	धारा 300
कोई व्यक्ति आपराधिक मानव वध करता है यदि कृत्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गयी है	कतिपय अपवादों के अध्यधीन आपराधिक मानव वध हत्या है यदि कृत्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गयी है
आशय	
(a) मृत्यु कारित करने के आशय से; अथवा	(1) मृत्यु कारित करने के आशय से; अथवा
(b) ऐसी शारीरिक उपहति कारित करने के आशय से जिसकी मृत्यु कारित करने की संभावना है; या	(2) ऐसी शारीरिक उपहति कारित करने के आशय से जैसा अपराधी जानता है कि इसकी उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की संभावना है जिसको हानि कारित की गयी है; अथवा

	(3) किसी व्यक्ति को शारीरिक उपहति कारित करने के आशय से और कारित किए जाने के लिए आशयित शारीरिक उपहति की प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने में पर्याप्त है।
जानकारी	
(c) इस जानकारी के साथ कि कृत्य की मृत्यु कारित करने की संभावना है।	(4) इस जानकारी के साथ कि कृत्य इतना खतरनाक है कि यह समस्त संभाव्यता में मृत्यु अथवा ऐसी शारीरिक उपहति कारित करेगा जिसकी मृत्यु कारित करने की संभावना है और मृत्यु अथवा ऐसी शारीरिक उपहति कारित करने का जोखिम उपगत करते हुए जैसा ऊपर उल्लिखित किया गया है।

èkkjk 299 dk [kM (b) èkkjk 300 d [kMk (2) ,o (3) d rRle gA [kM (2) d vèkhu vè; if{kr vkijkfèkd eu%fLFkfr dk lfHkUudkjh y{k.k ihfMr fo'k"k d ,lh fofp= n'kk vFkok LokLF; dh voLFkk e gku d lcèk e vijkèkh dh tkudkjh g fd bl rF; d ckotn fd ,lh gkfu çÑfr d lkekU; Øe e lkekU; LokLF; vFkok n'kk e 0;fDr dh eR; dkfjr dju d fy, i;kIr ugh gkxh] mldk dkfjr dh x;h gkfu d ?kkrd gku dh lHkkouk gA ;g mYy[kuh; g fd eR; dkfjr dju dk vk'k; [kM (2) dh vko';d vko';drk ugh gA doy ,lh migfr d ihfMr fo'k"k dh eR; dkfjr dju dh lHkkouk dh vijkèkh dh tkudkjh d lkFk 'kkjhfjd migfr dkfjr dju dk vk'k; gR;k dk bl [kM dh ifjfèk d vrxr yku d fy, i;kIr gA [kM (2) dk ;g igy èkkjk 300 d lkFk lyXu mnkgj.k (b) }kjk fl) fd;k x;k gA

*èkkjk 299 dk [kM (b) vijkèkh dh vkj l ,lh dkb tkudkjh çfrikfnr ugh djrk gA èkkjk 300 d [kM (2) d vèkhu vku oky ekeyk d mnkgj.k ;g gk ldr g tgk geykoj ;g tkur g, fd ihfMr c< g, yhoj vFkok c< g, Liyhu vFkok ân; dh chekjh l ihfMr g vkj ,l okj dh yhoj vFkok LIyhu d QVu vFkok ân;k?kkr d ifj.kkeLo#i ml 0;fDr fo'k"k dh eR; dkfjr dju dh lHkkouk g] vk'k;iod fd, x, çFke okj }kjk eR; dkfjr djrk gA ;fn geykoj dk ihfMr d jkx vFkok fo'k"k ncyrk dh ,lh tkudkjh ugh Fkh vFkok eR; vFkok çÑfr d lkekU; Øe e eR; dkfjr dju d fy, i;kIr 'kkjhfjd migfr dkfjr dju dk vk'k; ugh Fkk] vijkèk gR;k ugh gkxk Hkh gh migfr ftlu eR; dkfjr fd;k vk'k;iod dkfjr dh x;h FkhA èkkjk 300 d [kM (3) e] èkkjk 299 d rRle [kM (b) e vku oky 'kCnk ^^eR; dkfjr dju dh lHkkouk** d ctk, 'kCnk ^^çÑfr d lkekU; Øe e i;kIr** dk mi;kx fd;k x;k gA Li"Vr% eR; dkfjr dju dh lHkkouk oky 'kkjhfjd migfr d chp lfHkUurk gA lfHkUurk ckjhd fdr okLrfod g vkj ;fn bl vun[kk fd;k tkrk g] bldk ifj.kke ?kkj vU;k; e gk ldrk gA èkkjk 299 d [kM (b) ,o èkkjk 300 d [kM (3) d chp lfHkUurk vk'kf;r*

'kkjhfjd migfr l ifj.kr gksu okyh eR; dh vfèklHkkO;rk dh fMxh gA nlj 'kCnk e] eR; dh vfèklHkkO;rk dh fMxh fofuf'pr djrh g fd D;k vkijkfèkd ekuo oèk xHkhjre] eè;e vFkok U;ure fMxh dk gA èkkjk 299 d [kM (b) e 'kCn lHkkouk vfèklHkkO;rk dk vFk inku djrh g tk lHkkouk ek= l lfHkUu gA 'kCnk ^^eR; dkfjr dju d fy, çÑfr d lkekU; Øe e i;klr----------'kkjhfjd migfr dk vFk g fd eR; çÑfr d lkekU; Øe dk è;ku e j[kdj migfr dk ^^lokfèkd vfèklHkkO;** ifj.kke gkxhA*

[kM (3) d vèkhu ekeyk vku d fy, ;g vko';d ugh g fd vijkèkh u eR; dkfjr dju dk vk'k; j[krk Fkk tc eR; vk'k;i.k 'kkjhfjd migfr vFkok çÑfr d lkekU; Øe e eR; dkfjr dju d fy, i;klr migfr l vu?kfVr gkrh gA

14. यहाँ इस चरण पर हम **विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, AIR 1958 SC 465,** मामले में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट करेंगे, जिसमें यह संप्रेक्षित किया गया है कि अभियोजन को मामला को धारा 300 ''तृतीयत:'' के अधीन लाने के पहले निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध करना होगा। प्रथमत:, इसे बिल्कुल वस्तुनिष्ठ रूप से स्थापित करना होगा कि शारीरिक उपहति मौजूद है, द्वितीयत: उपहति की प्रकृति सिद्ध करना होगा। ये शुद्धत: वस्तुनिष्ठ अन्वेषण है। तृतीयत: यह सिद्ध करना होगा कि उस उपहति विशेष को कारित करने का आशय था अर्थात् कि यह दुर्घटनावश अथवा अनाशयित नहीं था अथवा कि किसी अन्य प्रकार की उपहति आशयित थी। जब एक बार इन तीन तत्वों का मौजूद होना सिद्ध किया जाता है, जाँच आगे अग्रसर होती है और चतुर्थत: यह सिद्ध करना होगा कि ऊपर वर्णित तीन तत्वों से गठित उपहति प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थे।

15. माननीय न्यायाधीशों ने इसे आगे स्पष्ट किया जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:–

^^ç'u ;g ugh g fd D;k dnh xHkhj vFkok rPN migfr dkfjr dju dk vk'k; j[krk Fkk D;k ;g g cfYd fd ml migfr dk dkfjr dju dk bjknk j[krk Fkk ftl ekStn fl) fd;k x;k gA ;fn og n'kk ldrk g fd mldk ,lk bjknk ugh Fkk vFkok ;fn ifjfLFkfr;k dh li.krk ,l fu"d"k dk U;k;kfpr Bgjkrh g] rc fu'p; gh vk'k; ftl ;g èkkjk vko';d cukrh g fl) ugh fd;k x;k gA ***fdrq ;fn migfr d ij dN ugh g vkj ;g rF; fd vihykFkh u bl dkfjr fd;k Fkk] ,dek= lHko fu"d"k ;g g fd og bl dkfjr dju dk vk'k; j[krk FkkA D;k og bldh xHkhjrk vFkok vk'kf;r xHkhj ifj.kke tkurk Fkk] u rk ;gk g vkj u ogkA tgk rd bjknk dk lcèk g] ç'u ;g ugh g fd D;k og gR;k dju vFkok xHkhjrk fo'k"k dh fMxh dh migfr dkfjr dju dk vk'k; j[krk Fkk cfYd ;g g fd D;k og ç'uxr migfr dkfjr dju dk bjknk j[krk Fkk vkj tc ,d ckj migfr dk vfLrRo fl) fd;k x;k g] bldk dkfjr dju dk vk'k; mièkkfjr fd;k tk,xk tc rd lk{; vFkok ifjfLFkfr foijhr fu"d"k vko';d ugh cukrh gA*** *(tkj fn;k x;k)*

16. मामले के तथ्यों पर आते हुए हम दोहरा सकते हैं कि गवाहों के साक्ष्य के मुताबिक अपीलार्थी ने सूचक अ० सा० 7 की गोद से अपनी पुत्री छीन कर उसका मस्तक चट्टान पर पटका था जिसके परिणामस्वरुप, उसे चोटें आयी थी जिस कारण, उसकी मृत्यु हो गयी। डॉक्टर जिन्होंने शव परीक्षण किया था के अनुसार उपहति प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।

17. इन परिस्थितियों के अधीन यह पता लगाने के लिए कि अपीलार्थी अपनी पुत्री की हत्या करने का इरादा नहीं रखता था, कुछ भी प्रतीत नहीं होता है और तद्द्वारा मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के मापदंड के अंतर्गत नहीं आता है बल्कि यह आपराधिक मानव वध का मामला है।

18. इस प्रकार, हम पाते हैं कि अभियोजन अपना मामला स्थापित करने में सक्षम हुआ है और तद्द्वारा विचारण न्यायालय अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में बिल्कुल न्यायोचित है।

19. तद्नुसार, अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद्द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है।

20. परिणामस्वरुप, अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

उमेश कुमार सिंह

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W.P. (S) No. 3908 of 2014. Decided on 14th May, 2015.

सेवा विधि–स्थानांतरण–दंडात्मक आदेश–याची को अभिकथनों का प्रत्युत्तर देने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था क्योंकि कारण बताओ नोटिस का समुचित तामील नहीं किया गया था–अध्यक्ष, एस॰ पी॰ सी॰ ए॰ को याची का जिला से बाहर स्थानांतरण करने की अधिकारिता नहीं थी जिसे पशुपालन विभाग द्वारा किया जा सकता था जो एस॰ पी॰ सी॰ ए॰ के समस्त निरीक्षणों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है–स्थानांतरण आदेश अभिखंडित।

(पैराएँ 7 से 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Ram Subhag Singh, For the Petitioner; Mr. Prabhat Singh, For the State; Mr. Y.N. Mishra, For the U.O.I.

आदेश

याची, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग तथा भारत संघ के अधिवक्ता सुने गए। यद्यपि प्रत्यर्थी सं॰ 3 का प्रतिनिधित्व उनके अधिवक्ता के माध्यम से किया गया है किंतु उनकी ओर से आज कोई नहीं उपस्थित हुआ है। प्राईवेट प्रत्यर्थी को दिनांक 5.11.2014 के आदेश द्वारा नोटिस तामील किया गया प्रतीत होता है और कार्यालय रिपोर्ट के मुताबिक 'दस्ती' के माध्यम से उस पर वैध रूप से तामील किया गया दर्शाया गया है जिसके समर्थन में पूरक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है। किंतु प्राइवेट प्रत्यर्थी की ओर से कोई नहीं उपस्थित हुआ है।

2. याची, जिसे जानवरों के प्रति क्रूरता निवारण सोसाइटी (एस॰ पी॰ सी॰ ए॰) के अधीन इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थापित किया गया था, को प्रत्यर्थी सं॰ 3, अध्यक्ष, एस॰ पी॰ सी॰ ए॰, झारखंड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के हस्ताक्षर के अधीन जारी दिनांक 2.6.2014 के आक्षेपित आदेश, परिशिष्ट-4, द्वारा स्थानांतरित किया गया है। याची उक्त आदेश से मुख्यत: दो आधारों पर व्यथित है:

(i) कि स्थानांतरण आदेश प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिए बिना अथवा किए गए अभिकथन के लिए उसके दोष का विनिश्चयकरण किए बिना दंडात्मक प्रकृति का है।

(ii) कि यह अधिकारिताहीन है क्योंकि अध्यक्ष, एस॰ पी॰ सी॰ ए॰, झारखंड अब ऐसा स्थानांतरण प्रभावकारी बनाने वाला प्राधिकारी नहीं है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश द्वारा याची को गोड्डा से एस॰ पी॰ सी॰ ए॰ मुख्यालय, राँची स्थानांतरित किया गया है। आक्षेपित आदेश का विषय वस्तु दर्शाता है कि यह गंभीर अभिकथन पर आधारित है कि वह जानवरों के अवैध व्यापार में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों के साथ मौनानुकूल था और ऐसे तत्वों से अवैध परितोषण लेने में लिप्त था। उसने स्थानीय पुलिस को भी ऐसे कार्य के बारे में सूचित नहीं किया था और उसका आचरण संदेहास्पद है। आरक्षी अधीक्षक, गोड्डा ने यह भी सूचित किया है कि याची का आचरण अशोभनीय था और उसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर देना चाहिए। किंतु, याची को ऐसे गंभीर अभिकथनों का प्रत्युत्तर देने का अवसर नहीं दिया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी सं॰ 3 के शपथ पत्र में यद्यपि यह कथन किया गया है कि दिनांक 15.4.2014 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और कि याची ने उत्तर देना नहीं चुना था किंतु परिशिष्ट D पर रखा नोटिस यह नहीं दर्शाता है कि उक्त पत्र उस पर कभी तामील किया गया था। अत:, आक्षेपित आदेश उसको प्रत्युत्तर देने का कोई अवसर दिए बिना दंडात्मक प्रकृति का है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जानवरों के प्रति क्रूरता निवारण (जानवरों के प्रति क्रूरता निवारण की सोसाइटियों का स्थापन एवं विनियमन) नियमावली, 2001, जिसे जानवरों के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के नियम 38 (i) (ii) के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में विरचित किया गया है, के अधीन झारखंड राज्य ने पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी मेमो सं॰ 578 के तहत दिनांक 1.6.2011 की अधिसूचना के माध्यम से सभी जिलों में कमिटियों का गठन अधिसूचित किया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उक्त अधिसूचना द्वारा एस॰ पी॰ सी॰ ए॰ के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग पर प्रदत्त किया गया है जो ऐसे इंस्पेक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सशक्त है। उन्होंने अपने उत्तर के पैरा 8 को भी निर्दिष्ट किया है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने दिनांक 2.8.2002 के अपने पत्र के तहत एस॰ पी॰ सी॰ ए॰, झारखंड को प्रदान की गयी मान्यता को प्रतिसंहृत किया है। अत:, अध्यक्ष, एस॰ पी॰ सी॰ ए॰, झारखंड को याची जैसे इंस्पेक्टर का पद धारण करने वाले व्यक्ति को स्थानांतरित करने का कोई आदेश जारी करने की कोई अधिकारिता नहीं है। अत:, आदेश के अधिकारिताहीन होने के नाते इसे अभिखंडित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से अभिलेख पर लाए गए पशुपालन विभाग के प्रत्युत्तर को भी निर्दिष्ट किया है।

4. यह प्रतीत होता है कि पूर्व तिथि पर प्रत्यर्थी सं॰ 3 जिन्होंने अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया था ने न्यायालय के ध्यान में यह भी लाया है कि एक अन्य व्यक्ति, वर्तमान प्रत्यर्थी सं॰ 8, को तत्पश्चात दिनांक 2.7.2014 के आदेश के तहत याची के स्थान पर पदस्थापित किया गया है और उसने दिनांक 7.7.2014 को गोड्डा में पदग्रहण किया है।

5. प्रत्यर्थी राज्य भी उपस्थित हुआ है और अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया है। प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिशपथ पत्र के पैरा 5 को निर्दिष्ट करते हुए कथन किया है कि दिनांक 1.6.2011 की अधिसूचना के मुताबिक जानवरों के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन जिला स्तर पर एस॰ पी॰ सी॰ ए॰ का प्रशासनिक नियंत्रण उपायुक्त की अध्यक्षता के अधीन गठित जिला एस॰ पी॰ सी॰ ए॰ का होगा और राज्य स्तर पर एस॰ पी॰ सी॰ ए॰ के निरीक्षकों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग का होगा। उन्होंने कथन किया है कि विभाग ने दिनांक 15.10.2014 के पत्र के माध्यम से उपायुक्त, गोड्डा से जाँच रिपोर्ट मंगाया है जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किंतु, तत्पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आगे शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है।

6. भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि जानवरों के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधान के अधीन वर्तमान विवाद में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

7. पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों तथा शपथपत्रों सहित अभिलेख पर मौजूद प्रासंगिक अभिवचनों जिन्हें उन प्रत्यर्थियों जिनका प्रतिनिधित्व आज नहीं किया गया है की ओर से दाखिल किया गया है पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि स्थानांतरण आदेश इस आधार पर आक्षेपित किया गया है कि यह दंडात्मक है और अधिकारिताहीन भी है। प्रत्यर्थी सं॰ 3 के शपथ पत्र से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 15.4.2014 को याची को कारण बताओ नोटिस (उनके प्रतिशपथ पत्र का परिशिष्ट D) जारी किया गया था। किंतु उक्त नोटिस का परिशीलन यह नहीं दर्शाता है कि इसे वस्तुत: याची पर तामील किया गया था। तत्पश्चात याची के विरुद्ध कतिपय गंभीर अभिकथनों के आधार पर दिनांक 2.6.2014 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो यदि सत्य है, तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी समुचित जाँच करने की आवश्यकता है। न्यायालय इस चरण पर अभिकथन पर आगे टिप्पणी नहीं कर सकता है। यह निष्कर्षित किया जा सकता है कि याची को अभिकथनों का प्रत्युत्तर देने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था क्योंकि कारण बताओ नोटिस का समुचित तामीला नहीं हुआ था। किंतु अधिकारिता की कमी से संबंधित अन्य आधार पर उनके प्रतिशपथ पत्र के पैरा 5 पर प्रत्यर्थी पशुपालन विभाग के दृष्टिकोण से विधिक अवस्था अब बिल्कुल स्पष्ट है। वे स्पष्टत: कथन करते हैं कि दिनांक 1.6.2011 की अधिसूचना सं॰ 538 के तहत विभाग ने जानवरों के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के नियम 3 के अनुसरण में जिला स्तर एस॰ पी॰ सी॰ ए॰ अधिसूचित किया है और प्रत्येक जिला में राज्य पशु कल्याण बोर्ड के तत्वावधान में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमिटी स्थापित की गयी है। उपायुक्त को जिला एस॰ पी॰ सी॰ ए॰ द्वारा किए गए काम के प्राक्कलन के बाद राज्य पशु कल्याण बोर्ड को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कर्तव्य न्यस्त किया गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों एवं नियमों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए जिला एवं सब डिविजनल स्तरों पर झारखंड एस॰ पी॰ सी॰ ए॰ द्वारा नियुक्त निरीक्षक में आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी उप-अधीक्षक के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं जिला एस॰ पी॰ सी॰ ए॰ के निदेश के अधीन अधिनियम वर्ष 1960 के अधीन अन्वेषण एवं अभियोजन करने की शक्ति निहित की गयी है। यह ये कथन भी करता है कि दिनांक 1.6.2011 की अधिसूचना के तहत जानवरों के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन जिला स्तर पर झारखंड एस॰ पी॰ सी॰ ए॰ पर प्रशासनिक नियंत्रण उपायुक्त के अधीन जिला एस॰ पी॰ सी॰ ए॰ का होगा और झारखंड एस॰ पी॰ ए॰ सी॰ के निरीक्षकों के ऊपर राज्य स्तरीय प्रशासनिक नियंत्रण पशुपालन विभाग का होगा। अत: यह प्रतीत होता है कि जानवरों के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन विरचित प्रासंगिक नियमावली वर्ष 2001 के अधीन दिनांक 1.6.2011 की अधिसूचना जारी किए जाने पर पशुपालन विभाग झारखंड राज्य के अंतर्गत एस॰ पी॰ सी॰ ए॰ के निरीक्षकों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। यद्यपि जिला एस॰ पी॰ सी॰ ए॰ की अध्यक्षता उपायुक्त द्वारा की जाती है जिस पर जिला के भीतर एस॰ पी॰ सी॰ ए॰ के निरीक्षकों पर प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति प्रदत्त की गयी है, आक्षेपित आदेश उपायुक्त, गोड्डा द्वारा पारित नहीं किया गया है अथवा कि उपायुक्त ने पशुपालन विभाग में उसको स्थानांतरित करने की अनुशंसा की है। अत: यह प्रकट है कि अध्यक्ष, एस॰ पी॰ सी॰ ए॰, झारखंड, प्रत्यर्थी सं॰ 3 को याची को गोड्डा जिला के बाहर स्थानांतरित कराने की अधिकारिता नहीं थी जिसे पशुपालन विभाग द्वारा किया जा सकता था जो झारखंड राज्य में पदस्थापित एस॰ पी॰ सी॰ ए॰ के समस्त निरीक्षकों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

8. पूर्वोक्त विधिक अवस्था की दृष्टि में, प्रत्यर्थी सं॰ 3, अध्यक्ष, एस॰ पी॰ सी॰ ए॰, झारखंड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, राँची द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अधिकारिताहीन है। अतः, दोनों आधारों पर आक्षेपित आदेश संपोषित नहीं किया जा सकता है और तद्नुसार, इसे अभिखंडित किया जाता है। वर्तमान रिट याचिका में प्राईवेट प्रत्यर्थी के स्थानांतरण को चुनौती नहीं दी गयी है, यद्यपि इसे न्यायालय के ध्यान में लाया गया था और तत्पश्चात उस पर नोटिस तामील की गयी थी, किंतु वह उपस्थित होने में विफल रहा।

9. ऐसी परिस्थितियों में, परिशिष्ट 4 पर दिनांक 2.6.2014 के स्थानांतरण के आदेश को अभिखंडित करते हुए प्रत्यर्थी पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग को याची की पदस्थापना से संबंधित निर्णय आज के दिन से चार सप्ताह की अवधि के भीतर लेने का निर्देश दिया जाता है। यह कहना अनावश्यक है कि विभाग अपनी प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में याची के विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों की जाँच करने का हकदार होगा। किंतु, ऐसा करते हुए विभाग याची को सुनवाई का सम्यक अवसर देगा और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करेगा यदि उसके विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित किए जाने की संभावना है।

10. पूर्वोक्त संप्रेक्षण के साथ यहाँ ऊपर उपदर्शित तरीके से रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। लंबित आई॰ ए॰ भी निपटाया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

किरण देवी उर्फ किरण सिंह

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Revision No. 172 of 2015. Decided on 27th April, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 451—खनन अपराध में अंतर्ग्रस्त ट्रक की निर्मुक्ति—ट्रक दिनांक 11/11/2014 से जब्त है—वाहन को प्रकृति की कठोर जलवायु से नुकसान पहुँचता है यदि उन्हें पर्याप्त देखभाल के बिना खुले स्थान में रखा जाता है—वाणिज्यिक वाहनों को अत्यन्त लंबी अवधि के लिए अभिरक्षा में नहीं रखा जाना चाहिए—अवर न्यायालय को पर्याप्त प्रतिभूति लेने के बाद अंतरिम उपाय के रूप में याची के पक्ष में वाहन निर्मुक्त करने के लिए समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया। (पैराएँ 5 से 7)

निर्णयज विधि.—(2002)10 SCC 283—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Prabhat Kumar Sinha, For the Petitioner; APP., For the State.

आदेश

यह दांडिक पुनरीक्षण बरही (पद्मा) पी॰ एस॰ केस सं॰ 331 वर्ष 2014, जी॰ आर॰ केस सं॰ 4400 वर्ष 2014 के तत्सम, में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 5.2.2015 के आदेश, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची द्वारा रजिस्ट्रेशन सं॰ BR 01 GA-7868 वाले अपने ट्रक की निर्मुक्ति के लिए दाखिल आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता (इसमें इसके बाद 'संहिता' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 397 सहपठित धारा 401 के अधीन दाखिल किया गया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 11.11.2014 को सायंकाल गश्ती के दौरान सूचक ने कुछ गुप्त सूचना प्राप्त किया और तत्पश्चात गश्ती दल व ट्रक सं॰ BR 01 GA 7868 और ट्रक सं॰ BR02M-4066 वाले अवैध छर्रियों से लदे दो ट्रकों को पकड़ा और जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 414/420 लघु खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धाराओं 4(1)A एवं 21 तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के अधीन प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

3. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याची ने ट्रक सं॰ BR 01 GA-7868 की स्वामिनी होने के नाते इसकी निर्मुक्ति के लिए संबंधित न्यायालय में आवेदन दाखिल किया क्योंकि यह वाणिज्यिक वाहन था किंतु उसकी प्रार्थना अवर न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए अस्वीकार कर दी गयी है कि चूँकि अधिहरण कार्यवाही आरंभ की गयी है, प्रश्नगत वाहन निर्मुक्त नहीं किया जा सकता है। यह आदेश जिला वन अधिकारी-सह-प्राधिकृत अधिकारी, वन्य जीवन डिविजन, हजारीबाग से प्राप्त रिपोर्ट जिसमें यह सूचित किया गया था कि अधिहरण कार्यवाही आरंभ की गयी है के आधार पर पारित किया गया था।

4. राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और निवेदन किया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वाहन एवं जब्त सामग्री की अधिहरण कार्यवाही आरंभ की गयी है।

5. वर्तमान में यह न्यायालय प्राथमिकी में किए गए अभिकथन के गुणागुण पर विचार नहीं कर रहा है। प्रश्नगत वाहन दिनांक 11.11.2014 को जब्त किया गया है। यह सामान्य जानकारी की बात है कि वाहन को प्रकृति की कठोर जलवायु से नुकसान पहुँचता है यदि उन्हें पर्याप्त देखभाल के बिना खुले स्थान में रखा जाता है।

6. सुंदरभाई अंबाला देसाई बनाम गुजरात राज्य, (2002)10 SCC Pg. 283; में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपराध के संबंध में जब्त वाणिज्यिक वाहनों को अत्यन्त लंबी अवधि के लिए अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। यदि वाहन स्वामी इसकी निर्मुक्ति के लिए आता है, यदि आवश्यक हो आवश्यक पंचनामा तैयार करने के बाद त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए और पहचान के लिए तथा साक्ष्य दर्ज करने के लिए भी कदम उठाया जायेगा और अन्य समुचित उपाय अपनाया जायेगा ताकि यदि संपत्ति प्राकृतिक क्षय के अध्यधीन है, कार्यवाही के दौरान साक्ष्य उपलब्ध रहे। पैराग्राफ 17 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया है:-

> *^^gekj nf"Vdk.k e] pkg tk Hkh fLFkfr gk] vR;Ur ych vofèk rd ifyl Fkkuk e ,l tCr okguk dk j[kuk vui;kxh gA ;fn le; d fdlh fcn ij vko';drk g] mDr okguk dk okil dju d fy, lefpr cèki= rFkk çR;kHkfr ,o çfrHkfr ydj nMkfèkdkjh dk rjUr lefpr vkn'k ikfjr djuk gA ;g ,l okguk dh okilh d fy, vkonu yfcr jgr g, fd;k tk ldrk gA***

7. उक्त कथित तथ्यों एवं परिस्थितियों में, मेरा दृष्टिकोण है कि अवर न्यायालय पर्याप्त प्रतिभूति एवं क्षतिपूर्ति बंधपत्र लेने के बाद अथवा अन्य सुरक्षा उपाय करने के बाद, जैसा यह मामले की परिस्थितियों में समुचित समझता है अंतरिम उपाय के रूप में याची के पक्ष में प्रश्नगत वाहन की निर्मुक्ति के लिए समुचित कदम उठाएगा। दंडाधिकारी समुचित पंचनामा तैयार करने के लिए भी कदम उठाएगा जिसे कार्यवाही के दौरान आगे उपयोग के लिए अभिलेख पर रखा जाएगा ताकि विचारण में रुकावट न हो। याची को अधिहरण कार्यवाही, यदि कोई हो, में उपस्थित होने एवं अपना कारण बताओ दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।

8. उपर दिए गए निर्देश की दृष्टि में, यह पुनरीक्षण आवेदन एतद् द्वारा इस निर्देश के साथ अनुज्ञात किया जाता है कि यदि याची वाहन की निर्मुक्ति के लिए संबंधित न्यायालय के पास आती है, इसे उक्त कथित शर्तों को अधिरोपित करके एवं क्षतिपूर्ति बंध पत्र सहित पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने के बाद याची के पक्ष में निर्मुक्त किया जाएगा। वाहन स्वामिनी वचन देगी कि वह अवर न्यायालय में मामला लंबित रहने के दौरान वाहन नहीं बेचेगी और जब एवं जैसी आवश्यकता हो, वाहन प्रस्तुत करेगी।

9. बरही (पदमा) पी॰ एस॰ केस सं॰ 331 वर्ष 2014 में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 5.2.2015 का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। वाहन की निर्मुक्ति का यह आदेश पक्षों पर प्रतिकूलता कारित नहीं करेगा और अधिहरण मामले के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।

10. याची के व्यय पर फैक्स के माध्यम से संबंधित न्यायालय को इस आदेश की प्रति संसूचित की जाए।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

शिबनंदन साह

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P. (C) No. 5025 of 2013. Decided on 27th April, 2015.

झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001—धारा 30—मुखिया से वित्तीय शक्ति वापस लिया जाना–याची दांडिक मामले का सामना कर रहा है–उपायुक्त को मुखिया को हटाने की शक्ति नहीं है–किंतु, याची के विरुद्ध किए गए अभिकथनों की दृष्टि में, उपायुक्त ने सही प्रकार से याची को वित्तीय शक्ति का प्रयोग करने से अवरुद्ध करने वाला आदेश पारित किया है–आक्षेपित आदेश में दुर्बलता नहीं है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–M/s S.P. Roy, Ranjit Kumar, Ramit Satendra, For the Petitioner; M/s Bhawesh Kumar, Ravi Kumar, For the Respondents.

आदेश

दिनांक 7.11.2012 के मेमो में अंतर्विष्ट आदेश से व्यथित होकर, जिसके द्वारा याची जिसे पंदाहा गाँव के मुखिया के रूप में निर्वाचित किया गया था से वित्तीय शक्ति वापस ले ली गयी है और उप मुखिया को अंतरित की गयी है, वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. रिट याची को वर्ष 2010 में पंदाहा ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में निर्वाचित किया गया था और वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार मुखिया के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। दिनांक 28.6.2012 के लिखित रिपोर्ट के आधार पर, याची के विरुद्ध प्राथमिकी इस अभिकथन पर दर्ज की गयी थी कि याची इंदिरा आवास के आवंटन के लिए और वृद्धावस्था पेंशन के लिए उनके नामों की अनुशंसा करने के लिए लाभार्थियों से धन वसूल रहा था। याची ए॰ बी॰ ए॰ सं॰ 3647 वर्ष 2012 में इस न्यायालय के पास आया और दिनांक 8.11.2012 के आदेश के तहत इस न्यायालय ने याची को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया। किंतु, उपायुक्त ने दिनांक 7.11.2012 के आदेश के तहत वित्तीय शक्ति वापस लेने का आदेश दिया और इसे उपमुखिया को प्रदत्त किया गया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता दिनांक 7.11.2012 के मेमो में अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेश एवं झारखंड पंचायती राज अधिनियम की धारा 30 को निर्दिष्ट करते हैं और निवेदन करते हैं कि उपायुक्त को मुखिया की वित्तीय शक्ति वापस लेने की शक्ति अथवा अधिकारिता नहीं है। अधिनियम की धारा 30 कतिपय शर्तों के अधीन मुखिया को हटाने का कथन करती है और उपायुक्त द्वारा धारा 30 के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना और सुनवाई का अवसर दिए बिना दिनांक 7.11.2012 के मेमो में अंतर्विष्ट आदेश पारित किया गया है जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

4. मैं पाता हूँ कि दिनांक 7.11.2012 के मेमो में अंतर्विष्ट आक्षेपित आदेश याची के विरुद्ध दांडिक मामले का दर्जकरण परिलक्षित करता है। ए॰ बी॰ ए॰ सं॰ 3647 वर्ष 2012 में दिनांक 8.11.2012 का आदेश भी इंदिरा आवास के आवंटन के लिए और वृद्धावस्था पेंशन के लिए उनके नामों की अनुशंसा करने के लिए लाभार्थियों से धन वसूल करने का अभिकथन दर्ज करता है। याची को अग्रिम जमानत का लाभ इस आधार पर प्रदान किया गया था कि ऐसी अनुशंसा ग्राम पंचायत द्वारा और न कि केवल याची द्वारा की गयी थी। दिनांक 7.11.2012 के मेमो में अंतर्विष्ट आदेश दिनांक 18.9.2012 के पत्र को निर्दिष्ट करता है जो याची के विरुद्ध अभिकथन अंतर्विष्ट करता है। प्रखंड विकास अधिकारी ने लिखित रिपोर्ट दिया है जिसके आधार पर भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 406 एवं 420 के अधीन अपराधों के लिए प्राथमिकी गोड्डा (टी॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 315 वर्ष 2012 दर्ज किया गया है। अधिनियम की धारा 30 अवचार के आरोप पर अथवा मुखिया एवं उपमुखिया के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने में उपेक्षा अथवा अन्य अक्षमता के आरोप के लिए मुखिया को हटाना प्रावधानित करती है। धारा 26 प्रावधानित करती है कि मुखिया अथवा उपमुखिया को हटाने के लिए सदस्यों की विशेष बैठक में अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा जिसे सदस्यों की कुल संख्या की 3/4 द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। स्पष्टत: मुखिया को हटाने की शक्ति उपायुक्त को नहीं है और इसलिए, उन्होंने सही प्रकार से मुखिया को पद से नहीं हटाया है। किंतु, चूंकि याची को अधिनियम और उसके अधीन विरचित नियमावली के अधीन वित्तीय शक्ति दी गयी है, याची के विरुद्ध किए गए अभिकथनों की दृष्टि में उपायुक्त ने सही प्रकार से याची को वित्तीय शक्ति का प्रयोग करने से अवरुद्ध करते हुए आदेश पारित किया है।

5. उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए याची को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना औपचारिकता मात्र थी और इसलिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर दिनांक 7.11.2012 के मेमो में अंतर्विष्ट आदेश का अपवाद नहीं लिया जा सकता है। मैं दिनांक 7.11.2012 के आक्षेपित आदेश में दुर्बलता नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vkjî vkjî çlkn ,o çeFk iVuk;d] U;k;efrx.k

सुकरा ओराँव

cuke

झारखंड राज्य

Criminal (Jail) Appeal No. 1383 of 2005. Decided on 29th April, 2015.

एस॰ टी॰ सं॰ 437 वर्ष 1998 में अष्टम अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 28.9.2000 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 29.9.2000 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–आजीवन कारावास–इस प्रभाव का दोनों गवाहों का परिसाक्ष्य कि उन्होंने अपीलार्थी को मृतक के मस्तक पर प्रहार करते हुए देखा था, चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाता है जिसके द्वारा डॉक्टर ने मृतक की खोपड़ी पर उपहति पाया है–यह आई॰ ओ॰ द्वारा किए गए जब्ती से भी संपुष्टि पाता है–अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य द्वारा अपीलार्थी की सह-अपराधिता पूर्णतः स्थापित की गयी है–अपील खारिज। (पैराएँ 13 से 17)

अधिवक्तागण.–Mr. Yogesh Modi, For the Appellant; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह अपील एस॰ टी॰ सं॰ 437 वर्ष 1998 में तत्कालीन अष्टम अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 28.9.2000 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 29.9.2000 के दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन न्यायालय ने अपीलार्थी सुकरा ओराँव को डुमनी ओराइन की हत्या करने का दोषी पाने पर उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

2. अभियोजन का मामला यह है कि जब अपीलार्थी सुकरा ओराँव उर्फ चूइटी के भाई की पत्नी परवतिया ने आर॰ एम॰ सी॰ एच॰ में मृत बच्चे को जन्म दिया, अपीलार्थी सुकरा, ओराँव कहने लगा कि यह मृतका डुमनी ओराइन के जादू-टोना के कारण हुआ था।

3. आगे मामला यह है कि दिनांक 25.1.1998 को प्रातः लगभग 5 बजे जब सूचक बिरसा ओराँव (अ॰ सा॰ 2) की माता डुमनी ओराइन दैनिक कर्म से निबटने अपने घर के बाहर आयी, उसने शोर मचाया और इसे सुनने पर जब वह और उसका भाई मंगरा ओराँव (अ॰ सा॰ 1) घर के बाहर आए, उन्होंने अपीलार्थी को ईंट से डुमनी ओराइन पर प्रहार करते देखा जिसके परिणामस्वरुप उसका खून बहने लगा। चूँकि अपीलार्थी अपने साथ हथियार लिए था, सूचक बिरसा ओराँव अ॰ सा॰ 2 और उसका भाई मंगरा ओराँव (अ॰ सा॰ 1) अपीलार्थी के निकट नहीं आए जो कह रहा था कि उसके (मृतका) के कारण उसकी भाई की पत्नी ने मृत शिशु को जन्म दिया था। इस बीच वे लोगों को बुलाने गाँव गए। इस बीच, अपीलार्थी सुकरा ओराँव और उसका साला/बहनोई सोमरा गोरेन उनके घर के सामने मृत शरीर रखने के बाद चले गए।

4. प्रातः लगभग 7.30 बजे जब रातू पुलिस थाना द्वारा सूचना प्राप्त की गयी थी कि गाँव फुलकल टोली में कुछ घटना हुई है, रातू पुलिस थाना का ए॰ एस॰ आई॰ एस॰ सी॰ झा घटना स्थल पर आया और सूचक बिरसा ओराँव का फर्दबयान (प्रदर्श 3) दर्ज किया। इसके आधार पर, मामला दर्ज किया गया था और प्राथमिकी लिखी गयी थी। तत्पश्चात तत्कालीन ए॰ एस॰ आई॰ सुभाष चंद्र झा (अ॰ सा॰ 7) ने अन्वेषण किया, जिसके दौरान उसने डुमनी ओराइन के मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 4) तैयार किया। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के बाद, मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था जिसे डॉ॰ राजीव रंजन दास (अ॰ सा॰ 5) द्वारा किया गया था जिन्होंने शव परीक्षण करने पर निम्नलिखित मृत्युपूर्व उपहतियाँ पायी:

[kjkp

(a) uhp d ukty gMMh d ÝDpj d lkFk ukd ij 2 x 1cm vkdkj dk

fonh.k t[e

(a) eLrd d nk,¡ ifjVk vkDlhihVy {k= ij 5 x 2cm x flj dh [kky rd xgjk

[kjkp

(a) nk,] vx eLrd vkj ikl d nk,] xky ij 7 x 6 cm vkdkj dk

(b) ck,] vx eLrd ij 6 x 5cm vkdkj dkA

5. आंतरिक परीक्षण पर बायें फ्रंटो पेरिटो टेम्पोरल स्काल्प के ऊपर डिफ्यूज्ड कांट्यूजन पाया गया था। बाएँ टेम्पोरो पेरिटो स्यूचर अलग हो गया था। ब्रेन का कंट्यूजन था और ब्रेन के बाएँ आधे भाग पर सब ड्यूरल ब्लड क्लॉट मौजूद था।

6. डॉक्टर के अनुसार, कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा उपहतियाँ कारित की गयी थीं। डॉक्टर ने इस मत के साथ शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 2) जारी किया कि मृत्यु मस्तक की उपहति के कारण कारित हुई थी जो मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।

7. इस बीच, अन्वेषण अधिकारी ने गवाहों का बयान दर्ज किया। अन्वेषण पूरा करने पर, अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था जबकि सोमरा गोरेन को फरार दर्शाते हुए उसके विरुद्ध अन्वेषण लंबित रखा गया था, जिस पर अपराध का संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने पर अपीलार्थी का विचारण किया गया था।

8. विचारण के दौरान, अभियोजन ने कुल सात गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से, अ॰ सा॰ 1 मंगरा ओरावँ और अ॰ सा॰ 2 सूचक बिरसा ओराँव चश्मदीद गवाह हैं, जबकि अ॰ सा॰ 3 मो॰ शाहिद आलम एवं अ॰ सा॰ 4 जब्बार अंसारी, मृत्यु समीक्षा के गवाह हैं। अ॰ सा॰ 4 इस पर बाल लगे ईंट और रक्त रंजित मिट्टी की जब्ती का गवाह भी है जिसे अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 6) के अधीन जब्त किया गया था। अ॰ सा॰ 6 जॉन तिर्के ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

9. अभियोजन मामला बंद करने के बाद जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के समक्ष अपराध में फँसाने वाला साक्ष्य रखा गया था, उसने इससे इनकार किया।

10. इस पर, बचाव पक्ष ने दो गवाहों काशी ओराँव (ब॰ सा॰ 1) एवं देवा ओराँव (ब॰ सा॰ 2) का परीक्षण किया जिन्होंने परिसाक्ष्य दिया कि तीन वर्ष पहले अपीलार्थी आलू बोने काशी ओराँव के गाँव गया था और वहाँ लगभग 4-5 दिन रहा। बचाव पक्ष ने इन गवाहों को पेश कर अन्यत्रता का मामला बनाने का प्रयास किया है किंतु वे अभियोजन द्वारा पूछे जाने पर तिथियों जिनके दौरान वह काशी ओराँव के गाँव गया था के बारे में बताने में विफल रहे।

11. न्यायालय ने बचाव गवाहों के विवरण को स्वीकार नहीं किया था बल्कि अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 को विश्वसनीय पाया जिनका परिसाक्ष्य न्यायालय के अनुसार चिकित्सीय साक्ष्य से और अन्वेषण अधिकारी के वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष से भी संपुष्टि पाता था और तद्द्वारा न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी पाया और तद्नुसार, पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अधीन है।

12. न्यायमित्र के रूप में नियुक्त विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश मोदी ने निवेदन किया कि किसी गवाह ने, न तो अ॰ सा॰ 1 और न ही अ॰ सा॰ 2, जिन्होंने स्वयं का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया वस्तुतः चश्मदीद गवाह नहीं है क्योंकि अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 के परिसाक्ष्य के अनुसार मृतका अ॰ सा॰ 1 के साथ रह रही थी और घटना के दिन पर जब मृतका पर प्रहार किया गया था, यह अ॰ सा॰ 1 के परिसाक्ष्य के मुताबिक अ॰ सा॰ 2 द्वारा देखा गया था किंतु चूँकि अ॰ सा॰ 2 अ॰ सा॰ 1 के घर में

कभी नहीं था, उसके पास अपीलार्थी द्वारा मृतका पर प्रहार देखने का अवसर नहीं हो सकता था और तद्द्वारा अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 सत्य नहीं बोल रहे थे। इन परिस्थितियों के अधीन, विचारण न्यायालय को दोनों गवाहों (अ॰ सा॰ 1 एवं 2) का परिसाक्ष्य अस्वीकार कर देना चाहिए था।

13. इसके विरुद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार निवेदन करते हैं कि यद्यपि अ॰ सा॰ 1 ने पहली बार यह परिसाक्ष्य दिया है कि अ॰ सा॰ 2 सूचक बिरसा ओराँव ने अपीलार्थी को मृतका पर प्रहार करते देखा था किंतु उसने आगे परिसाक्ष्य दिया था कि उसने भी अपीलार्थी को मृतका पर प्रहार करते देखा था और कि यह सत्य है कि अभियोजन मामला यह है कि मृतका सूचक बिरसा ओराँव (अ॰ सा॰ 2) के भाई मंगरा ओराँव (अ॰ सा॰ 1) के साथ रह रही थी किंतु अ॰ सा॰ 2 के परिसाक्ष्य के मुताबिक अ॰ सा॰ 1 का घर/कमरा अधिक दूर नहीं है क्योंकि वह कहता है कि उसका घर घटनास्थल से केवल 5-10 फीट दूर है जो सुझाता है कि गवाह ने कमरा को घर कहा था और इस दशा में बचाव इस आधार पर कोई लाभ नहीं ले सकता है। इसके अतिरिक्त, यह परिसाक्ष्यित करता कि अपीलार्थी ने ईंट से मृतका पर प्रहार किया था, अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 का परिसाक्ष्य इस तथ्य से संपुष्टि पाता है कि जब पुलिस ने ईंट जब्त किया, उक्त ईंट खून से सनी थी और साथ ही इस पर बाल भी लगा हुआ था और आगे यह चिकित्सीय साक्ष्य से भी संपुष्टि पाता है जिसके द्वारा डॉक्टर ने मस्तक पर उपहतियाँ पायी है और इन परिस्थितियों के अधीन, विचारण न्यायालय दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में बिल्कुल न्यायोचित था जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि गवाहों अ॰ सा॰ 1 मंगरा ओराँव एवं अ॰ सा॰ 2 बिरसा ओराँव के अनुसार जब उनकी माता डुमनी ओराइन घटना के दिन सुबह में दैनिक कर्म से निबटने घर के बाहर आयी, वे भी बाहर आए और उन्होंने अपीलार्थी को ईंट से मृतका पर प्रहार करते देखा। इस प्रभाव की आलोचना की गयी थी कि जब गवाहों के अनुसार मृतका ने शोर नहीं किया था, गवाहों के पास घर से बाहर आने का अवसर नहीं था। यह सत्य है कि अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 के परिसाक्ष्य में इस प्रभाव का कुछ भी नहीं हैं कि मृतका ने कभी कोई शोर किया था किंतु साथ ही इस तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता है कि यह अहली सुबह का समय था जब सामान्यत: गाँव वाले दैनिक कर्म से निपटने के लिए जाते हैं और इसलिए, समस्त अधिसंभाव्यताओं में गवाह जग गए होंगे जब मृतका घर के बाहर आयी थी, अत: अहली सुबह घर से बाहर आना गवाहों के लिए अस्वाभाविक कभी नहीं प्रतीत होता है।

15. आगे हम पाते हैं कि दोनों गवाहों का इस प्रभाव का परिसाक्ष्य कि उन्होंने अपीलार्थी को मृतका के मस्तक पर प्रहार करते देखा था, चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाता है जिसके द्वारा डॉक्टर ने मृतका की खोपड़ी पर उपहति पाया है। साथ ही, यह इस तथ्य से भी संपुष्टि पाता है कि अन्वेषण अधिकारी ने ईंट जब्त किया था जो खून से सना था और इस पर बाल भी लगा हुआ था।

16. इन परिस्थितियों के अधीन, हम पाते हैं कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप स्थापित करने में सक्षम हुआ है और तद्द्वारा विचारण न्यायालय दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में बिल्कुल न्यायोचित था और इसलिए, इसे एतद् द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है।

17. परिणामस्वरुप, अपील खारिज की जाती है।

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

नवनीत भानू एवं एक अन्य (12 में)

संदीप कुमार बागची (99 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य (दोनों में)

Cr. M.P. Nos. 12, 99 of 2002. Decided on 27th April, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 406 एवं 409 एवं 120B—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—न्यास का दांडिक भंग एवं षडयंत्र–एक याचिका में याची का संविदा से सरोकार नहीं है जिसे परिवादी एवं अभियुक्त कंपनी के बीच किया गया है–बैंकिंग प्रक्रिया एवं बैंक गारंटी के निबंधनों के अनुसार, यदि पक्षकार जिसके पक्ष में बैंक गारंटी निष्पादित किया गया है, बैंक से इसका अवलंब लेने का अनुरोध करता है, बैंक अधिकारी बैंक गारंटी का आदर करने के लिए बाध्य है–आक्षेपित आदेश अंशतः अभिखंडित। (पैराएँ 9 से 12)

अधिवक्तागण.–M/s. Deepak Kumar Dubey, Nehala Sharmin, For the Petitioners; APP, For the State; Yogesh Modi, For O.P. No. 2.

आदेश

ये याचिकाएँ सी॰ पी॰ केस सं॰ 911 वर्ष 2001 के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 27.10.2001 के आदेश और याचीगण के विरुद्ध आरंभ की गयी उक्त सी॰ पी॰ केस सं॰ 911 वर्ष 2001 से उद्भूत होने वाले संपूर्ण दांडिक अभियोजन के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है।

2. संक्षेप में, तथ्य यह है कि परिवादी धनबाद में अपने व्यवसाय स्थान पर मेसर्स बजाज सेल्स के नाम एवं शैली के अधीन व्यवसाय करता है। अभियुक्त कंपनी मेसर्स लार्सन एवं टर्बो लिमिटेड (संक्षेप में कंपनी) ने दिनांक 24.5.1999 के अपने पत्र सं॰ BIH/C & F/PATNA/KAS/007 के तहत (क) धनबाद में भाग रेलवे साइडिंग से सीमेन्ट का परेषित परिमाण के क्लियरिंग एवं फॉरवार्डिंग के लिए और (ख) अपने धनबाद गोदाम से सीमेन्ट एवं अन्य सेवाओं के भंडारण एवं परिदान के लिए काम का प्रस्ताव दिया। परिवादी कंपनी ने प्रस्ताव स्वीकार किया और निबंधनों एवं शर्तों के मुताबिक मेसर्स लार्सन एवं टर्बो लिमिटेड के पक्ष में प्रतिभूति जमा के रूप में पाँच लाख रुपयों का बैंक गारंटी जमा किया।

3. यह अभिकथित किया गया है कि परिवादी ने बाध्यता के अपने भाग का पालन किया है और इसका बिल दिया, किंतु कंपनी एवं इसके अधिकारियों जो अभियुक्त हैं ने मनमाने रूप से परिवादी द्वारा की गयी शिकायत पर विचार नहीं किया था और पाँच लाख रुपयों की बैंक गारंटी का अवलंब लिया परिवादी ने अनेक पत्राचार किया किंतु संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया था, अतः, उसके पास इस मामले को दाखिल करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

4. विद्वान दंडाधिकारी ने जाँच करने के बाद संज्ञान लिया और विचारण का सामना करने के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध समन जारी करने का निर्देश दिया। दांडिक विविध याचिका सं॰ 12 वर्ष 2002 में याची सं॰ 1 एवं 2 को मेसर्स लार्सन एवं टर्बो लिमिटेड के अधीन विपणन कार्यपालक एवं विक्रय अधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया था जबकि दांडिक विविध याचिका सं॰ 99 वर्ष 2002 में याची संदीप कुमार बागची को शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, झरिया शाखा, मेन रोड, झरिया, धनबाद के रूप में पदस्थापित किया गया था।

5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने परिवादी को अग्रसारित दिनांक 16.5.2000 की संविदा के खंड AB 5 एवं 6 को निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है कि खंड AB 5 मध्यस्थता के बारे में उपदर्शित करता है और खंड AB6 न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में उपदर्शित करता है। पूर्वोक्त खंडों का पठन निम्नलिखित है:–

^^eè;LFkrk

bl djkj d vèkhu vFkok bll lcfèkr dkb fookn Hkkjrh; eè;LFkrk vfèkfu;e] 1940 tl k l'kkfèkr vFkok iuvfèkfu;fer fd;k x;k g d vu#i ,dy eè;LFk dk fufn"V djd eè;LFkrk }kjk ly>k;k tk,xkA eè;LFkrk LFky ecb gkxkA

vfèkdkfjrk

*bl djkj l mnHkr gku okyk vFkok bld vèkhu leLr grd vFkok dkjokb ecb vofLFkr U;k;ky;k dh vfèkdkfjrk d vè;èkhu gkxkA***

6. परिवादी का यह स्वीकृत मामला है कि परिवादी एवं अभियुक्त कंपनी के बीच संविदा को प्रभाव दिया गया था और उन्होंने कुछ सीमा तक व्यवसाय किया है। बाद में, भुगतान और साइडिंग यार्ड से सीमेन्ट भेजने के संबंध में कुछ विवाद उद्भूत हुआ। मध्यस्थता खंड के मुताबिक, मामले को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करने की आवश्यकता थी, किंतु परिवादी ने कंपनी एवं इसके अधिकारियों को परेशान करने के अंतरस्थ हेतु से इस मामले को दर्ज किया है। यह शुद्धत: सिविल विवाद है और आक्षेपित आदेश अत्यन्त गलत, विधि में दोषपूर्ण है और अपास्त किए जाने का दायी है।

विद्वान दंडाधिकारी ने अभियुक्तों को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 406, 409 एवं 120B के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए विचारण का सामना करने का निर्देश दिया है। यह प्रकट है कि कल्पना की किसी सीमा तक धारा 409 के अधीन अपराध नहीं बनता है और उक्त धारा के अवयव की पूर्ण कमी है। सौंपे जाने, दांडिक दुर्विनियोग एवं न्यास के दांडिक भंग का प्रश्न बिल्कुल उद्भूत नहीं होता है। पक्षों के बीच संव्यवहार संविदा के अधीन हुआ था, अत: आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने का दायी है।

7. दांडिक विविध याचिका सं॰ 99 वर्ष 2012 में याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची बैंक ऑफ इंडिया, झरिया शाखा, मेन रोड, झरिया, धनबाद में शाखा प्रबंधक के रूप में पदस्थापित था। उसका पक्षों के बीच हुए विवाद से कुछ लेना–देना नहीं है और वह अनुदेश का अनुसरण करने के लिए बाध्य था जिसके पक्ष में परिवादी द्वारा बैंक गारंटी निष्पादित किया गया था। मेसर्स लार्सन एवं टर्बो लिमिटेड के अधिकारियों के साथ किसी मौनानुकूलता का प्रश्न बिल्कुल उद्भूत नहीं होता है। परिवादी द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट A से यह अत्यन्त स्पष्ट है कि याची द्वारा दिनांक 28 जून, 2001 का पत्र सं॰ BG-INV-28/7-140699-SNS प्राप्त करने के बाद बैंक गारंटी प्रति संहत की गयी थी, अत:, याची के विरुद्ध किया गया संपत्ति के दुर्विनियोग का अभिकथन गलत है।

8. परिवादी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि परिवादी ने अभियुक्तों से बकाया का भुगतान करने का अनुरोध करते हुए अनेक पत्राचार किया था, किंतु उन्होंने परवाह नहीं की थी और वह अपनी शिकायत करते हुए पत्र लिखता रहा। दांडिक विविध याचिका सं॰ 12 वर्ष 2002 में दोनों याचियों ने न केवल पत्राचार किया था, बल्कि याची सं॰ 2 ने बैंक गारंटी का अवलंब लेने के लिए भेजे गए पत्र पर हस्ताक्षर भी किया था। यह तर्क आधारहीन है क्योंकि याचीगण अभियुक्त कंपनी में कार्यरत था, अत:, उन्हें अभियोजित नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन

किया गया है कि उन्हें इसके समाधान के लिए उच्चतर प्राधिकारियों के ध्यान में लाना चाहिए था, किंतु उन्होंने बैंक गारंटी का अवलंब लिया है और राशि भुनाया है। यह इंगित किया गया है कि बैंक गारंटी सौंपा जाना अच्छी तरह स्थापित किया गया है और इससे इनकार नहीं किया गया है। प्राधिकार के बिना बैंक गारंटी का अवलंब लेना निश्चय ही न्यास का दांडिक भंग है और कि अभियुक्तों का कृत्य भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 406 के अवयवों को आकृष्ट करता है। आगे यह इंगित किया गया है कि अन्य अभियुक्तगण दांडिक विविध याचिका सं॰ 12 वर्ष 2002 में पारित दिनांक 7.1.2002 के आदेश के तहत इस न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए अंतरिम संरक्षण के कारण उपस्थित नहीं हुए थे। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की दृष्टि में परिवादी शेष अभियुक्तों के विरुद्ध आदेशिका जारी करवाने के लिए आगे कदम नहीं उठा सका था।

9. मैंने दोनों मामलों के अभिलेखों का परिशीलन किया है। स्वीकृत रूप से, दांडिक विविध सं॰ 99 वर्ष 2002 में याची का संविदा से सरोकार नहीं है, यदि परिवादी और अभियुक्त कंपनी के बीच कोई संविदा हुई थी। बैंकिंग प्रक्रिया एवं बैंक गारंटी के निबंधनों के अनुसार, यदि पक्ष जिसके पक्ष में बैंक गारंटी निष्पादित किया गया है, बैंक से इसका अवलंब लेने का अनुरोध करता है, बैंक अधिकारी किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की अनुपस्थिति में बैंक गारंटी का आदर करने के लिए बाध्य हैं।

10. इन परिस्थितियों में, मैं दांडिक विविध याचिका सं॰ 99 वर्ष 2002 में याची के दांडिक अभियोजन की सीमा तक आक्षेपित आदेश का अभिखंडन करने का इच्छुक हूँ और आदेश, जिसके द्वारा उसे अभिकथित अपराध के लिए विचारण का सामना करने के लिए समन किया गया है, अपास्त किया जाता है। दांडिक विविध याचिका सं॰ 99 वर्ष 2002 अनुज्ञात की जाती है।

11. जहाँ तक दांडिक विविध याचिका सं॰ 12 वर्ष 2002 का संबंध है, मैं परिवादी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क से सहमत हूँ कि संविदा में सामने आने वाले निबंधनों एवं शर्तों के संबंध में विवाद बैंक गारंटी का अवलंब लिए जाने की तुलना में कुछ और है। निश्चय ही प्रतिभूति निक्षेप याची द्वारा सौंपा गया था और किसी प्राधिकार के बिना उसका अवलंब और नगदकरण नहीं किया जाना चाहिए था। याचीगण जो मेसर्स एल॰ एण्ड टी॰ लिमिटेड अर्थात् अभियुक्त कंपनी के अधिकारी हैं, प्रथम दृष्टया उक्त बैंक गारंटी का अवलंब लेने में सहयोगी प्रतीत होते हैं।

12. जहाँ तक उनके द्वारा किए गए विनिर्दिष्ट बचाव का संबंध है, इस पर विचारण के दौरान विचार किया जा सकता है। वर्तमान में, मैं दांडिक विविध याचिका सं॰ 12 वर्ष 2002 अनुज्ञात करने के लिए कोई गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार इसे इस टिप्पणी के साथ खारिज किया जाता है कि इस आदेश में इस न्यायालय द्वारा किया गया संप्रेक्षण संबंधित पक्ष पर प्रतिकूलता कारित नहीं करेगा और वे अपना साक्ष्य देने एवं बचाव करने के लिए स्वतंत्र होंगे जिन पर इनके अपने गुणागुण पर विचार किया जा सकता है।

13. दिनांक 7.1.2002 का अंतरिम आदेश रिक्त किया जाता है। विचारण न्यायालय विधि के अनुरुप आगे अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

धनेश्वर बरही

cuke

मेसर्स इस्टर्न कोल फील्ड्स लि॰ एवं अन्य

W.P. (S) No. 3616 of 2014. Decided on 30th June, 2015.

सेवा विधि–जन्मतिथि–शुद्धिकरण–जब निर्णायक सामग्री के आधार पर जन्म तिथि से संबंधित स्पष्ट मामला बनाया गया है, तब उक्त जन्मतिथि की घोषणा करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया जा सकता है–याची को निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होना है–याची ने अपनी जन्मतिथि का शुद्धिकरण इप्सित करने के लिए अपनी नियुक्ति के समय पर अपना विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र कभी प्रस्तुत नहीं किया–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 4 एवं 6)

निर्णयज विधि.–2007 (3) JLJR 726; 2014 (3) JBCJ 28 (SC)—Distinguished.

अधिवक्तागण.–M/s. Mahesh Tiwari, For the Petitioner; M/s. Rajesh Lala, Arpit Kumar, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान याची की शिकायत यह है कि उसे अपनी जन्मतिथि अर्थात् दिनांक 1.7.1955 के गलत निर्धारण के कारण दिनांक 1.7.2015 के प्रभाव से सेवानिवृत्त होना है यद्यपि मध्य विद्यालय, मुंगेर के प्राचार्य द्वारा दिनांक 12.2.1971 को जारी विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, परिशिष्ट 1 के मुताबिक उसकी जन्मतिथि दिनांक 16.1.1959 दर्शायी गयी है। उसके सेवा अभिलेख में जन्मतिथि के शुद्धिकरण का ऐसा अनुरोध दिनांक 23.7.2013 के आक्षेपित पत्र, परिशिष्ट 4, द्वारा इनकार कर दिया गया है। क्रियान्वयन अनुदेश सं॰ 76, जो कोल कंपनी में प्रवेश करने वाले कर्मचारी की आयु के विनिश्चयकरण का स्वीकृत तरीका है, पैरा (A) (ii) पर प्रावधानित करता है कि उन नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामले में जिन्होंने मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन किया है, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि सही जन्मतिथि के रूप में मानी जाएगी और इसे किसी भी परिस्थिति के अधीन परिवर्तित नहीं किया जाएगा। ऐसी अधिकथित प्रक्रिया के बावजूद, प्रत्यर्थियों ने उसकी जन्मतिथि सही करने के लिए कदम नहीं उठाया है अथवा मामले को एपेक्स मेडिकल बोर्ड को निर्दिष्ट नहीं किया है, यदि उसकी आयु के बारे में कोई विवाद है। पहले भी प्रत्यर्थी के समक्ष निरंतर अभ्यावेदन दिया गया है, जिसका प्रत्युत्तर देने में वे विफल रहे और केवल दिनांक 30.4.2013 को दिए गए अंतिम अभ्यावेदन पर ऐसे शुद्धिकरण से इस आधार पर इनकार करने के लिए उनके द्वारा विचार किया गया है कि तात्पर्यित आयु विवाद सेवा के अंतिम छोर पर किया गया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि क्रियान्वयन अनुदेश सं॰ 76 ऐसी शुद्धि करने के लिए रास्ता प्रावधानित करता है। उन्होंने **कामता पांडे बनाम मेसर्स बी॰ सी॰ सी॰ एल॰, अपने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद के माध्यम से एवं अन्य,** 2007 (3) JLJR 726 में इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय पर विश्वास किया है जिसने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि कर्मचारी को अपनी सेवा करिअर के अंतिम छोर पर अपनी जन्मतिथि के परिवर्तन के लिए आवेदन देने की अनुमति सामान्यत: नहीं दी जाएगी, किंतु यदि न्यायालय पूर्णत: संतुष्ट है कि संबंधित व्यक्ति के साथ वास्तविक अन्याय हुआ है और जन्मतिथि के शुद्धिकरण के लिए उसका दावा विहित प्रक्रिया के अनुरुप किया गया है और जब निर्णायक सामग्री के आधार पर जन्मतिथि से संबंधित स्पष्ट मामला बनाया गया है, तब उक्त जन्मतिथि की घोषणा करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया जा सकता है। उन्होंने **मेसर्स भारत कोकिंग कोल लि॰ एवं अन्य बनाम छोटा बिरसा ओराँव, 2014 (3) JBCJ 28 (SC),** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी अपने निवेदन के समर्थन में विश्वास किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के विद्वान एकल

न्यायाधीश और विद्वान खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय को मान्य ठहराया है, जिसने इसी अपीलार्थी कंपनी को कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर जाँच करने और उसकी जन्मतिथि के प्रश्न पर अनुबंधित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था क्योंकि उसे समयपूर्व सेवानिवृत्त किया जा रहा था। अत:, न्याय का उद्देश्य आवश्यक बनाता है कि पुनर्विचार किया जाए और प्रत्यर्थी को क्रियान्वयन अनुदेश सं॰ 76 के निबंधनानुसार अधिकथित प्रक्रिया के मुताबिक जन्मतिथि के ऐसे शुद्धिकरण के लिए कार्य करना चाहिए।

4. प्रत्यर्थीगण उपस्थित हुए हैं और अपना प्रति शपथ पत्र दाखिल किया है। उन्होंने याची के दावा का प्रतिरोध इस आधार पर किया है कि याची ने अपनी जन्मतिथि का शुद्धिकरण इप्सित करने के लिए अपनी नियुक्ति के समय अपना विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र कभी प्रस्तुत नहीं किया। उनकी ओर से यह निवेदन किया गया है कि फॉर्म बी॰ रजिस्टर में जन्मतिथि 1.7.1955 के रूप में सही रूप से दर्ज की गयी है, जो मेसर्स इस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰ के मुगमा क्षेत्र के अधीन कोलियरी में उसकी नियुक्ति के समय पर रिट याची द्वारा की गयी घोषणा के मुताबिक सेवा अभिलेख में दर्ज उक्त जन्मतिथि उसके द्वारा उसमें अपना पृष्ठांकन करके उसके द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित की गयी थी। इस प्रकार, उक्त प्रविष्टियाँ जिन्हें समय के प्रासंगिक बिंदु पर अपना पृष्ठांकन करके उसके द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित की गयी हैं, स्वीकार किया जाना चाहिए जैसा खान अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अधीन आवश्यक है। उनका आगे मामला यह है कि तथ्यों के ऐसे प्रश्न जिन्हें विवादित किया जा रहा है को रिट अधिकारिता में न्यायालय द्वारा प्रतितोषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन वैकल्पिक उपचार है। अत:, यह निवेदन किया गया है कि आक्षेपित आदेश द्वारा उसके द्वारा दिया गया अभ्यावेदन सही प्रकार से अस्वीकार किया गया है।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रतिशपथ पत्र के पैरा 11 के पठन से स्पष्ट है कि याची ने सेवा के 23 वर्ष बाद अभ्यावेदन दिया था जो वर्ष 2005 में कोई समय होगा और न कि सेवा के अंतिम छोर पर जिसे दिनांक 22.7.2013 के आक्षेपित पत्र के तहत कंपनी द्वारा अस्वीकार किया गया दर्शाया गया है।

6. मैंने पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार किया है। अभिवचन किए गए मामले के पूर्वोक्त ताथ्यिक रूपरेखा के आधार पर अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज ऐसा मामला नहीं बनाते हैं कि याची समय के किसी बिंदु पर अपनी जन्मतिथि का शुद्धिकरण इप्सित करने के लिए प्रत्यर्थियों के पास पहले कभी आया था। परिशिष्ट–2 पर मौजूद अभ्यावेदन पर तिथि नहीं है और ऐसी शुद्धि इप्सित करने के लिए इस अभ्यावेदन के पहले किसी अभ्यावेदन को साक्ष्यित नहीं किया गया है। परिशिष्ट 3 श्रृंखला अप्रिल, 2013 की है जहाँ याची के अनुरोधों को भूतपूर्व विधायक एवं श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष द्वारा और माननीय कोयला मंत्री के ओ॰ एस॰ डी॰ द्वारा भी अग्रसरित किया गया है। निश्चय ही ये फॉरवार्डिंग पत्र वर्ष 2013 के हैं। याची ने फॉर्म बी॰ अथवा सेवा उद्धरण दर्ज किए जाने के समय पर अथवा वर्ष 1981 या वर्ष 1987 में सेवा में प्रवेश के समय पर अपनी शिकायत नहीं किया है। यद्यपि याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रति शपथ पत्र के पैरा 11 के विषय वस्तु पर यह दर्शाने के लिए विश्वास किया है कि वर्ष 2005 में अभ्यावेदन दिए गए थे किंतु परिशिष्ट 4 पर ऐसे अभ्यावेदन के अस्वीकरण का दिनांक 22.7.2013 का आदेश स्वयं दर्शाता है कि अभ्यावेदन पत्र पर दिनांक 30.4.2013 का सं॰ 119/2013 अंकित था। इसका अर्थ होगा कि ऐसा पत्र अथवा अभ्यावेदन सेवा में उसकी प्रविष्टि के 33 वर्ष बाद दिया गया था और इसे प्रतिशपथ पत्र के पैरा 11 पर गलत रूप से 23 वर्ष के रूप में दर्ज किया गया था। **कामता पांडे (ऊपर)** मामले में, जन्मतिथि के शुद्धिकरण से संबंधित मामले में इस न्यायालय का विद्वान खंड न्यायपीठ मैट्रिकुलेशन

प्रमाण पत्र पर आधारित कर्मचारी के अभिवचन पर विचार करते हुए अंतिम दोनों पैराग्राफों 27 एवं 28 पर यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से जागरुक था कि सामान्यत: कर्मचारी को अपने सेवा के अंतिम छोर पर अपनी जन्मतिथि परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किंतु यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि न्यायालय पूर्णत: संतुष्ट है कि संबंधित व्यक्ति के साथ वास्तविक अन्याय हुआ है, न्यायालय निर्णायक सामग्री के आधार पर उक्त जन्मतिथि की घोषणा करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है। यह प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में, सेवा में अपने प्रवेश से समय के किसी बिंदु पर याची ने विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, परिशिष्ट 4, जहाँ उसकी जन्मतिथि दिनांक 16.1.1959 के रूप में दर्ज की गयी है के आधार पर अपनी जन्मतिथि के शुद्धिकरण के लिए कोई दावा नहीं किया था। अपनी जन्मतिथि सही करवाने का प्रयास स्पष्टत: उसकी सेवा के अंतिम छोर पर किया गया है। अत:, उसका मामला **कामता पांडे (ऊपर)** मामले में दिए गए निर्णय में इस न्यायालय की विद्वान खंड न्यायपीठ द्वारा अधिकथित निर्णयाधार के अंतर्गत नहीं आता है। **मेसर्स भारत कोकिंग कोल लि॰ एवं अन्य बनाम छोटा बिरसा ओरावँ (ऊपर)** मामले में माननीय सर्वोच्च द्वारा दिए गए निर्णय में यह पाया गया था कि अपीलार्थी कंपनी वर्ष 1987 में तैयार किए गए फॉर्म बी॰ में जन्मतिथि में विषमता से अवगत था क्योंकि इसने उक्त कर्मचारी के पिता का नाम एवं स्थायी पता सही किया था। किंतु, जन्मतिथि और नियुक्ति की तिथि जो भी विसंगतियों से पीड़ित थी सही नहीं की गयी थी। यह भी गौर किया गया था कि कर्मचारियों के अन्य समकालीन दस्तावेजों, जैसे माइनिंग सरदार प्रमाण पत्र में उसकी भिन्न जन्मतिथि दर्शायी गयी थी। अत:, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नियोक्ता फॉर्म बी॰ रजिस्टर में की गयी प्रविष्टि के समय पर कर्मचारी द्वारा इंगित असंगति से अवगत होने के बावजूद जन्मतिथि का शुद्धिकरण करने का कार्य नहीं करने में गलती पर था। अत:, नियोक्ता को जन्मतिथि का शुद्धिकरण करने से इनकार करने के लिए और साथ ही गलत जन्मतिथि पर कर्मचारी को समयपूर्व सेवानिवृत्त करने का छूट नहीं दिया जा सकता था। वर्तमान मामले में, जैसा यहाँ ऊपर गौर किया गया है, समय के किसी बिंदु पर याची यह दर्शाने में सक्षम नहीं हुआ है कि उसने वर्ष 1987 में नियुक्ति के समय पर जब इसे गलत रूप से दर्ज किया गया अभिकथित किया गया था और फॉर्म बी॰ तैयार करने के बाद अपनी जन्ततिथि के शुद्धिकरण के लिए अपना अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, याची ने समय के प्रासंगिक बिंदु पर अधिकारिक अभिलेख पर 1.7.1955 के रूप में दर्ज जन्मतिथि प्रविष्टि का पृष्ठांकन किया था। अत:, याची द्वारा विश्वास किया गया निर्णय तथ्यों पर सुभिन्न किए जाने योग्य है। अत:, हस्तक्षेप का मामला नहीं बनता है। तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

7. लंबित अंतर्वर्ती आवेदन बंद किया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

मो॰ एनुल अंसारी उर्फ मो॰ ऐनुल उर्फ खलील मियां

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Cr. M.P. No. 351 of 2002. Decided on 17th April, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 363, 366, 376, 342 एवं 347—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—अपहरण, दोषपूर्ण अवरोध एवं बलात्कार–संज्ञान–पीड़िता विवाहित महिला है–प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब के एकमात्र आधार पर प्राथमिकी अभिखंडित नहीं की जा सकती है–द्वेषपूर्ण अभियोजन अथवा प्रतिशोध का आधार अभिलेख पर नहीं लाया गया

है–विचारण न्यायालय द्वारा सहमति का प्रश्न विनिश्चित किया जाना है–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 न्यायालय को अपना साक्ष्य देने का अवसर व्यथित पक्ष को दिए बिना दांडिक अभियोजन अभिखंडित करने के लिए सशक्त नहीं बनाती है–याचिका खारिज। (पैराएँ 7 से 9)

अधिवक्तागण.–Mr. M.K. Dey, For the Petitioner; APP., For the State; Mr. Naresh Prasad Thakur, For the O.P. Nos. 2, 3.

आदेश

पक्षों को सुना।

2. यह दांडिक विविध याचिका बोकारो पी॰ एस॰ केस सं॰ 14/2001 (जी॰ आर॰ सं॰ 229/2001) के संबंध में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेरमो द्वारा पारित दिनांक 5.7.2001 के आदेश के अभिखंडन की प्रार्थना के साथ दाखिल की गयी है जिसके द्वारा याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363, 366, 376, 342 एवं 347 के अधीन संज्ञान लिया गया है।

3. संक्षेप में तथ्य यह है कि सूचक लखन मांझी पीड़िता का पुत्र है। यह प्रकट किया गया है कि दिनांक 22.2.2001 को याची को सूचक की माता के साथ बात करते हुए देखा गया था जिसके बाद याची एवं उसके सहयोगियों द्वारा सूचक की माता को मोटरसाइकिल पर ले जाया गया था। सूचक पुलिस थाना गया और मामला सूचित किया किंतु की गयी कार्रवाई उसके ध्यान में नहीं लायी गयी थी। दिनांक 3.4.2001 को सूचक ने अपनी माता को याची के घर में पाया जहाँ याची भी उपस्थित था। उसे पड़ोस के लोगों की मदद से पकड़ा गया था और पुलिस को सौंपा गया था और दिनांक 3.4.2001 को सायं 5 बजे बोकारो स्टील सिटी पुलिस थाना में सूचक लाखन मांझी का फर्दबयान दर्ज किया गया था। पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद याची के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया और तद्नुसार आक्षेपित आदेश द्वारा संज्ञान लिया गया है।

4. यह निवेदन किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी ने पीड़िता महिला का परीक्षण नहीं किया था अथवा उसके चिकित्सीय परीक्षण के लिए उसे नहीं भेजा था। पीड़िता अपनी स्वतंत्र इच्छा से याची के साथ गयी थी और अन्वेषण अधिकारी ने आरोप-पत्र दाखिल करने के पहले अभिनिश्चित नहीं किया है कि क्या याची का पीड़िता के साथ यौन संभोग सहमति से किया गया था अथवा यह जबरन एवं सहमति के बिना था। प्राथमिकी दर्ज करने में दो माह का विलंब हुआ है। सूचक ने अंतरस्थ हेतु एवं द्वेष से यह मामला दर्ज किया है। पीड़िता एवं याची सेंट्रल कोलफील्ड्स लि॰ के अधीन एक ही विभाग में कर्मचारी थे। घटना की अभिकथित तिथि अर्थात् दिनांक 22.2.2001 के बाद भी पीड़िता याची के विरुद्ध कोई शिकायत करने किसी के समक्ष उपस्थित कभी नहीं हुई। इन परिस्थितियों में, बोकारो पी॰ एस॰ केस सं॰ 14/2001 से उद्भूत होने वाला संपूर्ण अभियोजन एवं दिनांक 5.7.2001 का संज्ञान आदेश अभिखंडित किए जाने का दायी है।

5. सूचक/विरोधी पक्षकार के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति किया है और निवेदन किया है कि पुलिस को घटना की सूचना तुरन्त दी गयी थी किंतु उन्होंने समुचित कार्रवाई नहीं किया है। परिणामस्वरुप, सूचक अपनी गायब माता को खोज रहा था जिसका याची द्वारा अभिकथित रूप से अपहरण किया गया था और अंततः वह दिनांक 3.4.2001 को उसको खोजने में सफल रहा और तब सूचक का फर्द बयान दर्ज किया गया था। स्वयं फर्दबयान में यह सुप्रकट किया गया है कि पीड़िता माता निरक्षर महिला थी और याची की प्रेरणा पर अनेक कागजातों एवं दस्तावेजों पर उसे हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। याची द्वारा उसे गुमराह एवं अपहृत किया गया था। आरोप-पत्र में पीड़िता

को गवाह के रूप में उद्धृत किया गया है। अपराध गंभीर है, अतः, यह दांडिक विविध याचिका गुणागुण रहित है और खारिज किए जाने की दायी है।

6, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि संपूर्ण दांडिक अभियोजन एवं संज्ञान आदेश अभिखंडित करने के लिए लिया गया आधार मान्य नहीं है।

7. मैंने सूचक के फर्दबयान का परिशीलन किया है जो अभिकथित अपराध गठित करता है जिसके लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया है। जहाँ तक विलंब का संबंध है, अपने फर्दबयान में सूचक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उसने तुरन्त पुलिस को सूचित किया था किंतु कार्रवाई नहीं की गयी थी और वह अपनी माता को खोज रहा था। उसको खोजने में सफल होने पर, याची पकड़ा गया था और पुलिस के समक्ष पेश किया गया था। प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब के एकमात्र आधार पर दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन प्राथमिकी अभिखंडित नहीं की जा सकती थी।

8. मैं नहीं समझता हूँ कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 इस न्यायालय को व्यथित पक्ष को अपना साक्ष्य देने का अवसर दिए बिना ऐसे तथ्य पर दांडिक अभियोजन अभिखंडित करने के लिए सशक्त बनाती है। विचारण का निर्णय इसके प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त नहीं किया जा सकता था। अभिलेख पर द्वेषपूर्ण अभियोजन अथवा प्रतिशोध का आधार नहीं लाया गया है। जहाँ तक सहमति या सहमति के बिना बलात्कार की कारिता के प्रश्न का संबंध है, इसे अभियोक्त्री का परीक्षण करने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाना है। इसे सही स्वीकार करते हुए भी कि अन्वेषण अधिकारी ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन पीड़िता का बयान दर्ज नहीं किया है, पीड़िता सक्षम गवाह है और उसके पास परीक्षित किए जाने एवं न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य देने का प्रत्येक अधिकार है। केवल इसलिए कि अन्वेषण अधिकारी ने उसका परीक्षण नहीं करके दोषपूर्ण अन्वेषण किया है। उसकी स्वतंत्रता कम नहीं की जा सकती है।

9. ऊपर की गयी चर्चा एवं परिस्थितियों में, मैं इस दां॰ वि॰ याचिका में गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, इसे खारिज किया जाता है। विचारण न्यायालय विधि के अनुरुप अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र है और अंतरिम संरक्षण जिसके द्वारा कार्यवाही स्थगित की गयी है, रिक्त किया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

मनोज कुमार झा एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Revision No. 527 of 2014. Decided on 4th August, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 498A एवं 306 सह पठित धारा 107—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 227—क्रूरता एवं आत्महत्या का दुष्प्रेरण–उन्मोचन याचिका का अस्वीकरण–अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं सामग्री, यदि इन्हें इनके अंकित मूल्य पर लिया जाता है, स्पष्टतः याची के विरुद्ध मजबूत प्रथम दृष्टया या गंभीर संदेह के बारे में कहते हैं–यह रोविंग जाँच करने का अथवा यह देखने का चरण नहीं है कि क्या विचारण दोषीसिद्धि अथवा दोष मुक्ति में समाप्त होगा–न्यायालय को मामले पर कार्यवाही करने के लिए मजबूत संदेह अथवा प्रथम दृष्टया मामला उपधारित करना होगा–दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण स्पष्ट आपराधिक मनःस्थिति प्रतीत होती है–पुनरीक्षण आवेदन खारिज। (पैराएँ 13 से 15)

निर्णयज विधि.–2015 (1) East Cr.C. 450 (SC); (2010)9 SCC 368; (2001)9 SCC 618; (2013)3 SCC 330—Relied; (2009)16 SCC 605; (2011)3 SCC 626—Distinguished.

अधिवक्तागण.–M/s Jasvindar K. Majumdar, Rajesh Kumar, Pratik Sen, For the Petitioners; Mr. Shekhar Sinha, For the State.

आदेश

इस पुनरीक्षण में सत्र मामला सं॰ 118 वर्ष 2014 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश–I, जामतारा द्वारा पारित दिनांक 10.2.2015 के आदेश को चुनौती दी गयी है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 227 के अधीन याचीगण द्वारा अपने उन्मोचन के लिए दाखिल याचिका अस्वीकार कर दी गयी है।

2. इस मामले में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक को समझने के लिए ताथ्यिक पहलूओं के प्रति संक्षिप्त निर्देश पर्याप्त होगा। सूचक प्रताप नारायण झा के फर्दबयान के आधार पर दिनांक 10.4.2013 को भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन जामतारा पी॰ एस॰ केस सं॰ 112 वर्ष 2013 इस अभिकथन के साथ संस्थित किया गया था कि दिनांक 9.4.2013 को सूचक अपनी पुत्री शिवानी झा की प्रेरणा पर अपने पति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन संस्थित मामला में उपस्थित होने के लिए जामतारा न्यायालय गया था जहाँ उक्त मनोज झा (वर्तमान याची सं॰ 1) भी उपस्थित था और सूचक को देखने पर उक्त मनोज झा ने स्वेच्छापूर्वक उसके समक्ष कहा कि वह उसकी पुत्री शिवानी झा को अब और कभी नहीं रखेगा। इसके बाद सूचक अपने घर वापस आया और अपनी पुत्री शिवानी झा द्वारा पूछे जाने पर उसने उसको मनोज झा (उसके पति) द्वारा दिया गया संदेश बताया कि वह शिवानी झा को अपने घर में नहीं रखेगा। उक्त संदेश सुनने के बाद, उसकी पुत्री शिवानी झा गिर गयी और बेहोश हो गयी किंतु बाद में उसे होश आया और रात में वह अपनी माता के साथ सोयी किंतु प्रातः उसे बेहोश पाया गया था और तत्पश्चात उसे जामतारा अस्पताल लाया गया था जहाँ डाक्टर ने उसे मृत घोषित किया।

3. अन्वेषण पूरा करने के बाद, पुलिस ने मृतका के पति सहित वर्तमान याचीगण एवं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुपुर्दगी के बाद, याचीगण ने अपने उन्मोचन के लिए संहिता की धारा 227 के अधीन याचिका दाखिल किया किंतु अवर न्यायालय ने यह अभिनिधारित करते हुए उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया कि प्राथमिकी एवं संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन करने पर, मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अधीन प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाता हूँ किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध करने के लिए याचीगण के विरुद्ध पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है और भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अगली तिथि पर आरोप विरचित करने के लिए मामला नियत किया। अतः, यह पुनरीक्षण दाखिल किया गया है।

4. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती मजूमदार ने निवेदन किया कि अगर अभियोजन मामले को इसके अंकित मूल्य पर स्वीकार भी किया जाता है, याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध नहीं बनता है। यह निवेदन भी किया गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए जिम्मेदार अवयवों की पूरी कमी है, क्योंकि दुष्प्रेरण किसी चीज को करने अथवा आशयपूर्वक किसी व्यक्ति की मदद करने अथवा उकसाने वाली मानसिक प्रक्रिया अंतर्ग्रस्त करता है और आगे निवेदन किया कि वर्तमान मामले में न तो उकसावा का कोई उदाहरण है जिसके लिए याची उत्तरदायी हो और न ही याचीगण के विरुद्ध

लेशमात्र का साक्ष्य है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रतिवाद के समर्थन में **चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (दिल्ली की एन॰ सी॰ टी॰ की सरकार), (2009)16 SCC 605,** और एक अन्य मामले **एम॰ मोहन बनाम राज्य, आरक्षी उपाधीक्षक के प्रतिनिधित्व में, (2011)3 SCC 626** पर विश्वास किया। अत: आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

5. पूर्वोक्त निवेदनों के विपरीत, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने गंभीरतापूर्वक प्रतिवाद किया कि वर्तमान मामला मृतका की प्रेरणा पर वर्तमान याचीगण एवं ससुराल वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन पहले संस्थित मामले का परिणाम है और यह उपधारित करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है कि याचीगण ने अन्य अभियुक्तों के साथ मृतका की आत्महत्या की कारिता को दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय ने याचीगण को उन्मोचित करने से इनकार करने में कोई अवैधता नहीं किया है।

6. विद्वान अधिवक्ता के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने के पहले, मैं संहिता की धारा 227 के अधीन अवर न्यायालय की शक्ति के विस्तार एवं परिधि को संक्षिप्त रूप से ध्यान में ले सकता हूँ। संहिता का अध्याय XVIII संहिता की धारा 209 के अधीन सुपुर्दगी के आदेश के अनुसरण में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए प्रक्रिया अधिकथित करता है। धारा 227 उन परिस्थितियों को अनुध्यात करती है जिसमें आरोप विरचित किए जाने के चरण पर अभियुक्त को उन्मोचित किया जा सकता है जो प्रावधानित करती है कि मामले के अभिलेख, पुलिस रिपोर्ट के साथ दाखिल दस्तावेजों पर विचार करने पर और अभियुक्त तथा अभियोजन को सुनने के बाद न्यायालय से यह विनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है और न्यायालय आबद्ध है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध अग्रसर होने का पर्याप्त आधार है और उसके परिणामस्वरुप यह अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है अथवा उसके विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए अग्रसर हो सकता है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राज्य, पुलिस इंस्पेक्टर के माध्यम से बनाम ए॰ अरुण कुमार एवं एक अन्य, 2015 (1) East Cr. C 450 (SC)** मामले में संहिता की धाराओं 227 एवं 228 के विस्तार के बारे में अनेक प्रामाणिक निर्णयों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

> *(i) U;k;kèkh'k dk n0 ç0 l0 dh èkkjk 227 d vèkhu vkjksi fojfpr dju d ç'u ij fopkj djr g, ;g irk yxku d lhfer ç;ktu l lk{; dh Nkuchu dju ,o eY;kdu dju dh fufookfnr 'kfDr g fd D;k vfHk;Dr d fo#) çFke n"V;k ekeyk curk g ;k ughA çFke n"V;k ekeyk fofuf'pr dju dh ijh{kk çR;d ekey d rF;k ij fuHkj djxhA*

> *(ii) tgk U;k;ky; d le{k çLrr lkexh vfHk;Dr d fo#) xHkhj lng çdV djrh g ft ldk lefpr :i l Li"V ugh fd;k x;k g] U;k;ky; vkjksi fojfpr dju e vkj fopkj.k gr vxlj gku e i.krh U;k;kfpr gkxkA*

> *(iii) U;k;ky; ek= Mkd[kkuk vFkok vfHk;ktu d e[ki= d :i e ÑR; ugh dj ldrk g cfYd bl ekey dh 0;kid vfèkHkkO;rkvk] fdlh ey ncyrk] U;k;ky; d le{k çLrr lk{; ,o nLrkotk d dy çHkko bR;kfn ij fopkj djuk gkxkA fdr] bl pj.k ij ekey d i{k&foi{k e vfrxkeh tkp ugh gk ldrh g vkj lk{; dk rkyk ugh tk ldrk g ekuk og fopkj.k lpkfyr dj jg gA*

> *(iv) ;fn vfHky[k ij ektn lkexh d vkèkkj ij U;k;ky; er fufer dj ldrk Fkk fd vfHk;Dr vijkèk dj ldrk Fkk] ;g vkjksi fojfpr dj ldrk g] ;|fi nk"kf If) d fy, fu"d"k dk ;fDr;Dr lng d ij fl) dju dh vko';drk g fd vfHk;Dr u vijkèk fd;k gA*

(v) vkjki fojfpr fd, tku d le; ij] vfHkky[k ij ektn lkexh d ifjoh{kd eY; ij fopkj ugh fd;k tk ldrk g fdr vkjki fojfpr dju d igy U;k;ky; dk vfHkky[k ij ektn lkexh ij viu U;kf;d food dk bLreky djuk gkxk vkj lr"V gkuk gkxk fd vfHk;Dr }kjk vijkèk dh dkfjrk lHko FkhA

(vi) èkkjkvk 227 ,o 228 d pj.k ij] U;k;ky; dk ;g irk yxku fd D;k mlI lkeu vku oky rF; mud vfdr eY; ij fy, tku ij vfHkdfFkr vijkèk xfBr dju oky leLr vo;ok dk vfLrRo çdV djr g] dh nf"V l vfHkky[k ij ektn lkefx;k ,o nLrkotk dk eY;kdu dju dh vko';drk gA bl lhfer ç;ktu l lk{; dh Nkuchu djuk D;kfd mlI vkjfHkd pj.k ij ;g Lohdkj dju dh mEehn ugh dh tk ldrh g fd vfHk;ktu tk Hkh dgrk g] og cã okD; g Hky gh ;g lkekU; ckèk vFkok ekey dh 0;kid vfèkIHkkO;rkvk d fo#) gA

*(vii) ;fn nk nf"Vdk.k lHko g vkj mue l ,d doy lng] tk xHkhj lng l lfHkUu g] dk mnHkr djrk g] fopkj.k U;k;kèkh'k vfHk;Dr dk mUekfpr dju d fy, l'kDr gkxk vkj mI pj.k ij mI ;g ugh n[kuk g fd fopkj.k dk lekiu nk"kefDr vFkok nk"kfIf) e gkxkA***

8. एक अन्य मामले, **सज्जन कुमार बनाम सी॰ बी॰ आई॰ (2010)9 SCC 368,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बिंदु पर सारगर्भित रूप से विश्लेषण किया है और पैरा 19 में संप्रेक्षित किया है:–

*"19. ;g Li"V g fd ;fn vkjfHkd pj.k ij etcr lng g tk U;k;ky; dk ;g lkpu dh vkj y tkrk g fd ;g mièkkfjr dju dk vkèkkj g fd vfHk;Dr u vijkèk fd;k g] rc U;k;ky; dk ;g dgu dh NV ugh g fd vfHk;Dr d fo#) vxlj gku d fy, i;kIr vkèkkj ugh gA vfHk;Dr d nk"k dh mièkkj.kk ftl vkjfHkd pj.k ij fd;k tkuk g doy çFke n"V;k ;g fofuf'pr dju d ç;ktu l g fd D;k U;k;ky; dk fopkj.k gr vxlj gkuk pkfg, ;k ughA ;fn lk{; ftl nu dk çLrko vfHk;ktu djrk g vfHk;Dr dk nk"k fl) djrk g] ;fn bl çfr ijh{k.k e pukrh fn, tku vFkok cpko lk{;] ;fn gk] }kjk [kfMr fd, tku d igy i.kr% Lohdkj Hkh fd;k tkrk g] ,lk ugh n'kk ldrk gk fd vfHk;Dr u vijkèk fd;k g] rc fopkj.k gr vxlj gku d fy, i;kIr vkèkkj ugh gkxkA***

9. उक्त दो मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित निर्णयाधार से यह स्पष्ट है कि आरंभिक चरण पर न्यायालय को यह पता लगाने की दृष्टि से अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों एवं दस्तावेजों का मूल्यांकन करना है कि क्या वहाँ से सामने आने वाले तथ्यों को उनके अंकित मूल्य पर लेने पर वे अभिकथित अपराध गठित करने के लिए समस्त अवयवों का अस्तित्व प्रकट करते हैं और यह पता लगाने के सीमित प्रयोजन से भी कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। प्रथम दृष्टया मामला अथवा गंभीर संदेह विनिश्चित करने की परीक्षा प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है और इस चरण पर, उन्हें यह नहीं देखना है कि विचारण का अंत दोष सिद्धि में होगा या नहीं।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्वोक्त सिद्धांत अथवा मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में यह परीक्षण करना आवश्यक है कि क्या अवर न्यायालय वर्तमान मामले में याचीगण को उन्मोचित करने से इनकार करने में न्यायोचित था या नहीं। इससे पहले कि मैं अभिलेख पर मौजूद सामग्री एवं साक्ष्य का परीक्षण करूँ, इस मामले में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक के बेहतर न्याय निर्णयन के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 306 को निर्दिष्ट करना आवश्यक है। भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 306 का पठन निम्नलिखित है।

*"306. **vkRegR;k dk n"çj.k**-&;fn dkb 0;fDr vkRegR;k dj] rk tk dkb , lh vkRegR;k dk n"çj.k djxk] og nkuk e l fdlh Hkkfr d dkjkokl l] ft ldh vofèk nl o"k rd dh gk ldxh] nf.Mr fd;k tk,xk vkj teku l Hkh n.Muh; gkxkA***

*ikoèkku d dkj iBu l] ;g Li"V g fd HkkO n0 l0 dh èkkjk 306 d vèkhu vijkèk xfBr dju d fy,] vfHk;ktu dk LFkkfir djuk g% (i) fd fdlh 0;fDr u vkRegR;k fd;k g] rFkk (ii) fd vfHk;Dr }kjk vkRegR;k dk n"ij.k fd;k x;k FkkA vU; 'kCnk e èkkjk 306 d vèkhu vijkèk doy rc fufer gkxk tc vijkèk dh dkfjrk gr ^^n"ij.k** fd;k x;k gA*

भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 107 में शब्द 'दुष्प्रेरण' परिभाषित किया गया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

*"107. **fdlh ckr dk n"çj.k**-&og 0;fDr fdlh ckr d fd, tkus dk n"çj.k djrk g] tk&*

igyk&ml ckr dk dju d fy, fdlh 0;fDr dk mdlkrk g vFkok

nljk&ml ckr dk dju d fy, fdlh "kM;= e ,d ;k vfèkd vU; 0;fDr ;k 0;fDr;k d lkFk lfEefyr gkrk g] ;fn ml "kM;= d vulj.k e] vkj ml ckr dk dju d mí'; l] dkb dk; ;k voèk yki ?kfVr gk tk,(vFkok

rhljk&ml ckr d fd, tkus e fdlh dk; ;k voèk yki }kjk lk'k; lgk;rk djrk gA

Li"Vhdj.k 1**–tk dkb 0;fDr tkuc>dj n0;in'ku }kjk] ;k rkfRod rF;] ft l çdV dju d fy, og vkc) g] tkuc>dj fNiku }kjk] LoPN;k fdlh ckr dk fd;k tkuk dkfjr ;k mikIr djrk g] vFkok dkfjr ;k mikIr dju dk ç;Ru djrk g] og ml ckr dk fd;k tkuk mdlkrk g] ;g dgk tkrk gA

पूर्वोक्त प्रावधान के कोरे परिशीलन से, यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को कोई चीज करने में दुष्प्रेरित करने वाला कहा जा सकता है यदि प्रथमत:, वह किसी व्यक्ति को वह चीज करने के लिए उकसाता है; अथवा द्वितीयत:, वह उस चीज को करने के लिए किसी षडयंत्र में एक व्यक्ति अथवा अधिक व्यक्तियों को शामिल करता है और यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में और उस चीज को करने के लिए अवैध लोप का कृत्य किया जाता है; अथवा तृतीयत: उस चीज को करने के लिए किसी कृत्य अथवा अवैध लोप द्वारा आशयपूर्वक मदद करता है। वर्तमान मामले में विचारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या प्राथमिकी, जो याचीगण एवं उनकी माता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध किए गए अभिकथन और अन्वेषण के दौरान संग्रहित सामग्री दुष्प्रेरण के अवयवों को आकृष्ट करेंगे।

11. मैंने अन्वेषण के दौरान केस डायरी में दर्ज गवाहों के बयान, विशेषत: पैराग्राफ 10 में उसके पुनर्बयान में सूचक के बयान और केस डायरी के पैराग्राफ 11 एवं 70 में परीक्षण किए गए एक अन्य गवाह उग्र नारायण झा के बयान का परिशीलन किया है जो स्पष्टत: उपदर्शित करता है कि मृतका को दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण उसके पति एवं अन्य अभियुक्तों सहित वर्तमान याचीगण द्वारा शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता के अध्यधीन किया गया था जिसके लिए पहले एक पृथक मामला संस्थित किया गया था। केस डायरी के पैराग्राफ 70 से, यह स्पष्ट है कि विवाहोपरांत सूचक ने लगभग तीन लाख

रुपयों का भुगतान याचीगण एवं उसके परिवार के सदस्यों को किया था किंतु तब भी स्कॉर्पियो कार एवं नगद राशि की मांग की गयी थी और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन उक्त मामले में नियत तिथि पर जब सूचक उक्त मामले में उपस्थित होने के लिए न्यायालय में गया था, मृतका के पति ने उसके समक्ष कहा था कि वह अपनी पत्नी को अपने घर में कभी नहीं रखेगा। यह भी प्रतीत होता है कि सास द्वारा भी उक्त कथन पहले दीया गया था जब दहेज मांग एवं स्कॉर्पियों की मांग पूरी नहीं की गयी थी और सूचक के समक्ष मृतका के पति के उक्त बयान के साथ समस्त परिस्थितियों ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए उकसाया अथवा दुष्प्रेरित किया।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2001)9 SCC 618,** में निर्णय के पैराग्राफ 19 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

> *"19. miyCèk lkexh d lefdr iBu ,o fuèkkj.k l lkeu vku okyh rLohj ;g g% 'kk;n erdk dk viuh cgu d fuokl LFkku ij NkMu dh vfHk;Dr dh vfuPNk d dkj.k erdk u fujk'k egl l fd;kA ml ij deh dh Hkkouk gkoh gk x;h ftl deh d fy, mlu Lo; dk ftEenkj Bgjk;kA og viu Hkhrj mRiUu bl icy Hkkouk l vfHkHkr gk x;h Fkh fd mld ifr d vkdyu e og mld thou lfxuh cuu ;kX; ugh FkhA vfHk;Dr je'k u mldk dgk gkxk fd og tgk pkg ogk tku d fy, Lor= FkhA 'kk;n mldh bPNk d foijhr vkj rjUr tku d fy, Økèko'k erdk viu cgu d ?kj mldk n[ku d fy, NkM tku ij tkj n jgh FkhA 'kk;n vfHk;Dr u ,lk dN dgk gkxk&re tk pkgk og dju d fy, vkj tgk pkgk ogk tku d fy, Lor= gkA erdk u èkefu"Bk fgn iRuh gku d ukr egl l fd;k fd mld ekrk&firk }kjk mld ifr dk ml fookg e fn, tku ij mld ikl viu ifr d ?kj d flok, dkb nljk LFkku ugh Fkk vkj ;fn ifr u ml ^^eDr** dj fn;k Fkk] mlu Hkkouko'k lkpk fd ,dek= pht tk og dj ldrh Fkh ;g Fkk fd og Lo; dk ekj Mky] 'kkfriod ej tk, vkj bl çdkj ifr dh bPNk dh le> d vulkj Lo; dk eDr dj ykA D;k bl vkRegR;k dk n"çj.k dgk tk ldrk g\ nHkkX;o'k] fopkj.k U;k;ky; u erdk }kjk viu ifr ij vkjki.kh; vfHk0;fDr dk xyr vFk yxk;k fd ;g l>k;k x;k Fkk fd vfHk;Dr u ml vkRegR;k dju d fy, Lor= NkM fn;k FkkA erdk dk tgk og pkg ogk tku d fy, vkj tk og pkg ml dju d fy, eDr NkMu dk vFk dYiuk dh fdlh lhek rd ;g ugh g vkj u gh gk ldrk g fd vfHk;Dr u erdk dk ^vkRegR;k* dju d fy, Lor= dj fn;k Fkk tlk fopkj.k U;k;ky; }kjk vfHkfuèkkfjr fd;k x;k g ,o mPp U;k;ky; }kjk ekU; Bgjk;k x;k gA***

13. भा॰ दं॰ सं॰ की धाराएँ 306 एवं 498A स्वतंत्र हैं और विभिन्न अपराध गठित करती है। यद्यपि, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए महिला को क्रूरता के अध्यधीन करना भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन अपराध हो सकता है और आत्महत्या करने के सिवाए महिला के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर क्रूरता के तुल्य होने वाला आचरण स्थापित किया जाता है, यह आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण के तुल्य भी हो सकता है। वर्तमान मामले में, जैसा ऊपर कथन किया गया है, सूचक द्वारा अपनी पुत्री को पति का संदेश सुनाने के तुरन्त बाद वह गिर गयी और बेहोश हो गयी और यद्यपि रात में वह अपनी माता के साथ सोयी किंतु प्रात: उसे बेहोश पाया गया था। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था जहाँ उसे मृत घोषित किया गया था। यहाँ ऊपर चर्चा की गयी परिस्थितियों की संपूर्णता, अभिव्यक्ति ''मामले की अन्य समस्त परिस्थितियाँ'', जैसा साक्ष्य अधिनियम की

धारा 113A में परिकल्पित किया गया है, स्पष्टत: याचीगण के विरुद्ध की जाने वाली उसके अधीन मजबूत प्रथम दृष्टया उपधारणा अनुबंधित करती है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं साक्ष्य, यदि उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाता है, स्पष्टत: याची के विरुद्ध मजबूत प्रथम दृष्टया मामले अथवा गंभीर संदेह का कथन करते हैं। यह मामले में अतिगामी जाँच करने अथवा यह देखने कि क्या विचारण का अंत दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति में होगा, का चरण नहीं है बल्कि न्यायालय को मामले में अग्रसर होने के लिए मजबूत संदेह अथवा मजबूत प्रथम दृष्टया मामला उपधारित करना होगा। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए निर्णय इस चरण पर प्रयोज्य नहीं हैं। किंतु, दोनों निर्णयों से इतना तो कहा जा सकता है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 306 के अधीन अपराध करने के लिए स्पष्ट आपराधिक मन:स्थिति होनी चाहिए। वर्तमान मामले में स्पष्ट आपराधिक मन:स्थिति प्रतीत होती है क्योंकि दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के बाद मृतका को उसके पिता द्वारा यह बताया गया था कि उसका पति उसे वापस कभी नहीं ले जाएगा और उसके समक्ष जब वह अपने दांपत्य गृह में थी, अन्य अभियुक्तों द्वारा भी यही बयान दिया गया था।

14. राजीव थापर बनाम मधुलाल कपूर, (2013)3 SCC 330 मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मृतका युवती के पिता की प्रेरणा पर दर्ज परिवाद मामले में उन्मोचन के इसी विवाद्यक पर विचार करते हुए कि उसे संदेह है कि उसकी पुत्री को जहर दिया गया है, पैराग्राफ 28 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^;g vfHk;Dr d fo#) vfHk;ktu@ifjoknh }kjk fd, x, vfHkdFkuk dh lR;rk vFkok vU;Fkk dk eY;kdu dju dk pj.k ugh gA blh çdkj] ;g ;k fofuf'pr dju dk pj.k ugh g fd vfHk;Dr dh vkj l fd;k x;k cpko fdruk otunkj gA Hky gh vfHk;Dr vfHk;ktu@ifjoknh }kjk fd, x, vfHkdFkuk e dN lng n'kku e lQy gkrk g] fopkj.k d igy vfHk;Dr dk mUekfpr djuk vuuK; gkxkA ,Ik blfy, g D;kfd bldk ifj.kke vfHk;ktu vFkok ifjoknh dk blfl) dju d fy, lk{; nu dh vuefr fn, fcuk vfHk;ktu@ifjoknh }kjk fd, x, vfHkdFkuk dk vfrerk nu e gkxkA fdr] bldk foijhr lR; ugh g D;kfd Hky gh fopkj.k gr vxlj gvk tkrk g(vfHk;Dr dk fdlh vlèkk; ifj.kke k d vè;èkhu ugh fd;k x;k gA vfHk;Dr vHkh Hkh fofèk d vu#i lk{; çLrr djd viuk cpko LFkkfir dju e lQy gku dh voLFkk e gkxkA fofèkd voLFkk dh ?kk"k.kk djr g, bl U;k;ky; }kjk fn, x, fu.k;k dh vrghu lph g fd ,l ekey e tgk vfHk;ktu@ifjoknh u yxk, x, vkjkik d leLr vo;ok dk ykr g, vfHkdFku fd;k g vkj fd, x, vfHkdFkuk dh lR;i.krk çFke n"V;k lkf{;r djr g, U;k;ky; d le{k lkexh çLrr fd;k g] fopkj.k djuk gh gkxkA***

15. उक्त चर्चा की दृष्टि में, मैं आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई तर्कसंगत आधार नहीं पाता हूँ। तद्नुसार, यह पुनरीक्षण आवेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

राम सहाय पाहन

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Revision No. 121 of 2015. Decided on 7th May, 2015.

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000—धारा 12—किशोर अपचारी को जमानत–हत्या मामला–सक्षम न्यायालय द्वारा याची को किशोर घोषित किया गया था–जमानत का प्रदान नियम है और इनकार अपवाद–शर्तों के अध्यधीन जमानत प्रदान किया गया। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Mokhtar Ahmed, For the Petitioner; Addl. PP., For the Opp. Party.

आदेश

एकमात्र याची राम सहाय पाहन दांडिक अपील सं॰ 15 वर्ष 2014 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, खूँटी द्वारा पारित दिनांक 19.11.2014 के आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन, जमानत प्रदान के लिए याची द्वारा दाखिल याचिका जिसे जी॰ आर॰ केस सं॰ 314/2014/ विविध केस सं॰ 12 वर्ष 2014 से उद्भूत होने वाले विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, खूँटी द्वारा पारित दिनांक 15.10.2014 के आदेश के तहत अस्वीकार कर दिया गया था, अभिपुष्ट किया गया है, के विरुद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 53 के अधीन इस न्यायालय के पास आया है।

2. अभियोजन मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं 450, 364, 365, 427, 120B एवं 34 के अधीन अपराधों से संबंधित है किंतु बाद में भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 302 एवं 201 भी जोड़ी गयी थी।

3. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि याची को सक्षम न्यायालय द्वारा किशोर घोषित किया गया था और उसके बाद जमानत प्रदान करने के लिए याचिका दाखिल की गयी थी किंतु इसे विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, खूँटी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर, याची ने सत्र न्यायाधीश, खूँटी के समक्ष अपील दाखिल किया था किंतु इसे पुनः दिनांक 19.11.14 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए अस्वीकार कर दिया गया है कि यदि याची को जमानत प्रदान किया जाता है, वह कुख्यात अपराधी अथवा अपराधियों की संगति में आ जाएगा और यह इसे नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरों में डालेगा जो न्याय के हित में नहीं होगा।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालयों ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 12 की आज्ञा का अनुसरण किए बिना और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट एवं अपराध की प्रकृति पर विश्वास मात्र करके प्रार्थना अस्वीकार कर दिया। यह निवेदन भी किया गया था कि याची दिनांक 12.8.2014 से कारा अभिरक्षा में है। यह निवेदन भी किया गया था कि यदि याची को जमानत पर निर्मुक्त किया जाता है, याची का पिता भविष्य में याची की समुचित देखभाल एवं नियंत्रण करेगा।

5. राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया।

6. अधिवक्ता के निवेदनों, अभिरक्षा में अवधि एवं पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा विनिश्चित निर्णयाधार कि जमानत प्रदान करना नियम है और इससे इनकार अपवाद, मैं याची को जमानत पर निर्मुक्त करने का इच्छुक हूँ। अतः, इस पुनरीक्षण आवेदन के लंबित रहने के दौरान याची को खूँटी पी॰ एस॰ केस सं॰ 99 वर्ष 2014 (जी॰ आर॰ केस सं॰ 314 वर्ष 2014) विविध मामला सं॰ 12 वर्ष 2014) के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, खूँटी की संतुष्टि हेतु समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/- रुपयों का जमानत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

7. जमानतदाता में से एक याची का पिता होगा और चूँकि इस मामले में याची का प्रतिनिधित्व

अपने पिता के माध्यम से किया गया है, उसे जाँच पूरा होने तक मामले में प्रत्येक तिथि पर अवर न्यायालय में याची को पेश करने का निर्देश दिया जाता है।

8. पूर्वोक्त संप्रेक्षण के साथ, यह पुनरीक्षण आवेदन एतद् द्वारा अनुज्ञात किया जाता है और दांडिक अपील सं॰ 15 वर्ष 2014 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, खूँटी द्वारा पारित दिनांक 19.11.2014 का निर्णय और जी॰ आर॰ केस सं॰ 314 वर्ष 2014 से उद्भूत मामले में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी द्वारा पारित दिनांक 15.10.2014 का आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

9. याची के व्यय पर यह आदेश फैक्स के माध्यम से संसूचित किया जाए।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

चंद्र शेखर नाथ गंझू

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 2622 of 2007. Decided on 29th July, 2015.

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894—धाराएँ 5A एवं 17 (4)—भूमि अर्जन–आपात उपबंध का अवलंब–धारा 9 के अधीन नोटिस जारी किए गए थे और याची ने इन्हें प्राप्त किया था–याची जिसने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है, यह प्रतिवाद नहीं कर सकता है कि उसको मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया था और अर्जन बीत जाएगा–रिट याचिका खारिज।

(पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–(2012)9 SCC 503—Distinguished; (2002)4 SCC 160; (2012)1 SCC 792—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s V. Shivnath, Birendra Kumar, Niraj Kishore, For the Petitioners; M/s V.K. Prasad, Ashutosh Kumar Singh, For the State.

आदेश

दिनांक 11.1.2007 को दैनिक समाचार पत्र ''प्रभात खबर'' में प्रकाशित दिनांक 23.12.2006 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है। बाद में, दिनांक 27.7.2012 की संसूचना का अभिखंडन इप्सित करते हुए आई॰ ए॰ सं॰ 2455 वर्ष 2012 दाखिल किया गया था और दिनांक 11.9.2012 के आदेश के तहत उक्त आवेदन अनुज्ञात किया गया था।

2. याची स्वयं का किसी बहोर राम गंझू की संतति होने का दावा करते हुए प्राख्यान करता है कि वह बेरोजगार है और उसकी जीविका का एकमात्र स्रोत भूमि है जिसे दिनांक 23.12.2006 की अधिसूचना द्वारा अर्जित कर लिया गया है। यह कथन किया गया है कि याची के पूर्वजों ने पुलिस थाना, धर्मशाला, एस॰ एस॰ उच्च विद्यालय एवं छात्रावास के लिए भूमि दान किया और अब याची एवं अन्य सह-अंशधारियों के पास दिनांक 23.12.2006 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित भूमि के सिवाए कोई अन्य भूमि नहीं है। याची अर्जन के पूर्वोक्त प्रस्ताव की जानकारी होने पर प्रस्तावित अर्जन पर आपत्ति करते हुए दिनांक 28.10.2005 को सब-डिविजनल अधिकारी, खूँटी के समक्ष गया किंतु, इस पर विचार नहीं किया गया था और अचानक दिनांक 11.1.2007 को समाचार पत्र में दिनांक 23.12.2006 की अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी। बाद में, याची को मुआवजा प्राप्त करने का निर्देश देते हुए दिनांक 27.7.2012 को समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित किया गया था।

2A. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

3. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री वी॰ शिवनाथ निवेदन करते हैं कि याची की आपत्ति पर विचार नहीं करके और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 (4) के अधीन आपात उपबंध का अवलंब लेकर प्रत्यर्थियों ने अधिनियम की धारा 5A के अधीन उसके बहुमूल्य अधिकार से याची को वंचित किया है। यद्यपि, आसपास में सरकारी/गैर मजरुआ भूमि है, किंतु, प्रत्यर्थियों ने थाना सं॰ 90 ग्राम नामकुम पी॰ एस॰ खूँटी में गठित 2.54 एकड़ भूमि अर्जित करने का मनमाना निर्णय लिया है। **''राघबीर सिंह सेहरावत बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (2012)1 SCC 792,** में प्रकाशित निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए प्रतिवाद किया गया है कि राज्य प्राईवेट भूमि अर्जित करने के पहले स्वयं अपनी भूमि अर्जित करने के कर्तव्य के अधीन है ताकि भूस्वामियों के सांस्कृतिक एवं वंशानुगत अधिकारों को संरक्षित किया जा सके। यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने इस तथ्य को ध्यान में लिए बिना कि प्रस्तावित भूमि खूँटी से लगभग 3.5 कि॰ मी॰ दूर है और खूँटी शहर में पहले से ही बस अड्डा विद्यमान है, याची की भूमि अर्जित करने का निर्णय लिया है जिसे विधि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

4. रिट याचिका में की गयी प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री वी॰ के॰ प्रसाद निवेदन करते हैं कि बस अड्डा का निर्माण लोक प्रयोजन के लिए होगा जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदनों को निर्दिष्ट करते हुए प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि सरकार ने खूँटी में हाईटेक बस अड्डा का निर्माण करने का सचेत निर्णय लिया और इसलिए, प्रश्नगत भूमि अर्जित करने के लिए सरकार की व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए खुली नहीं है। विद्वान अधिवक्ता **''प्रथम भूमि अर्जन समाहर्त्ता एवं अन्य बनाम निरोधी प्रकाश गंगोली एवं एक अन्य, (2002)4 SCC 160,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट करते हैं और इस पर विश्वास करते हैं। यह कथन किया गया है कि हाल में नया खूँटी जिला सृजित किया गया है और इस प्रकार नए बस अड्डा का निर्माण आम जनता की जरूरतों को पूरा करेगा। यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 10.1.2009 को अधिनिर्णय तैयार किया गया था, और याची को नोटिस जारी किए गए थे किंतु, याची ने मुआवजा प्राप्त करने से इनकार कर दिया और इसलिए, दिनांक 27.7.2012 को दैनिक समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 10.1.2009 के आदेश को चुनौती नहीं दी गयी है यद्यपि याची ने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 (4) के अधीन दिनांक 23.12.2006 की अधिसूचना को चुनौती दिया है।

5. उत्तर में, याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि समाचार पत्र में दिनांक 27.7.2012 की नोटिस इस तथ्य का निश्चयात्मक प्रमाण है कि याची को मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है, अत: भूमि अर्जन के अधीन उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 (4) की दृष्टि में अर्जन बीत गया समझा जाएगा। **''पटासी देवी बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य,'' (2012)9 SCC 503,** में निर्णय निर्दिष्ट करते हुए याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पाँच वर्ष बाद भी दिनांक 23.12.2006 की अधिसूचना के माध्यम से अर्जित भूमि का उपयोग निर्माण के लिए नहीं किया गया है और याची इस पर काबिज है और इसलिए अर्जन बीत गया घोषित करना होगा।

6. मैंने पक्षों की ओर से किए गए प्रतिवादों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

7. जहाँ तक दिनांक 23.12.2006 की अधिसूचना को चुनौती का संबंध है, याची ने प्रतिवाद किया है कि उसने प्रस्तावित अर्जन पर आपत्ति करते हुए सब-डिविजनल अधिकारी को दिनांक 28.10.2005

का अभ्यावेदन दिया। दिनांक 28.10.2005 की आपत्ति में याची ने भूमि का वर्णन दिया है जिसे राज्य सरकार द्वारा अर्जित किया जाना चाहिए था। उक्त आपत्ति में दिया गया वर्णन खूँटी पुलिस थाना एवं डाकखाना के बीच अवस्थित भूमि, तालाब एवं किसी लखना महतो के घर के बीच अवस्थित भूमि, पिपरा टोली बाग वाली भूमि आदि को प्रकट करती है। प्रत्यर्थियों ने अभिवचन किया है कि उपलब्ध अन्य भूमि हाईटेक बस अड्डा के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं थी। अंचलाधिकारी का दिनांक 16.1.2008 का रिपोर्ट प्रकट करता है कि याची द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक भूखंड उपयुक्त नहीं थे और कोई गैरमजरूआ भूमि नहीं है जो विवाद के अधीन नहीं है। प्रत्यर्थियों ने पूरक शपथ पत्र में कथन किया है कि खूँटी जिला में बस अड्डा के निर्माण के लिए उपायुक्त, राँची ने दिनांक 13.6.2006 के पत्र के माध्यम से भूमि तलब किया और सरकार ने दिनांक 23.12.2006 को प्रारूप अधिसूचना एवं घोषणा को मंजूरी प्रदान किया। दिनांक 22.1.2007 को स्थानीय समाचार पत्र में अधिसूचना एवं घोषणा प्रकाशित की गयी थी और दिनांक 7.3.2007 को इसे जिला गजट में प्रकाशित किया गया था। यह प्राख्यान किया जाता है कि भूखंड सं॰ 42, खाता सं॰ 21, कुल क्षेत्रफल 2.54 एकड़ से संबंधित भूमि का अर्जन राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 4.7.2007 के पत्र के तहत मंजूर किया गया था। प्रत्यर्थियों ने अभिवचन किया है कि सरकार की व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए खुली नहीं है। यह प्रतीत होता है कि याची को धारा 9 के अधीन नोटिस जारी किए गए थे और याची ने इसे दिनांक 1.8.2007 को प्राप्त किया। दिनांक 10.1.2009 को अधिनिर्णय तैयार किया गया था और इसलिए, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 12 (2) के अधीन याची को नोटिस जारी किए गए थे। जैसा ऊपर गौर किया गया है, चूँकि याची ने मुआवजा प्राप्त करने से इनकार कर दिया, दिनांक 27.7.2012 को दैनिक समाचार पत्र में नोटिस जारी किया गया था। याची की ओर से किया गया प्रतिवाद कि इस तथ्य की दृष्टि में कि याची को मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है, अर्जन बीत गया है, अस्वीकार किए जाने का दायी है। याची जिसने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है यह प्रतिवाद नहीं कर सकता है कि उसको मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है, अतः अर्जन बीत जाएगा। इस प्रकार, **''पटासी देवी बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य'' (ऊपर)** में प्रकाशित निर्णय पर विश्वास कुस्थापित है। जहाँ तक प्रश्नगत भूमि के कब्जा का संबंध है, प्रत्यर्थियों ने प्राख्यान किया है कि उन्होंने भूमि का कब्जा ले लिया है। आगे यह प्रकट किया गया है कि बाद में खूँटी का नया जिला सृजित किया गया है। प्रत्यर्थियों ने प्राख्यान किया है कि प्रस्तावित भूमि बस अड्डा के निर्माण के लिए सुविधाजनक स्थान पर अवस्थित है। मेरा मत है कि दिनांक 23.12.2006 की अधिसूचना की दृष्टि में दिनांक 28.10.2005 की आपत्ति अस्वीकार की जाती है। यह प्रतिवाद कि अंचलाधिकारी के दिनांक 16.1.2008 के रिपोर्ट में उल्लिखित भूमि के संबंध में जमाबंदी के रद्दकरण के लिए कार्यवाही आरंभ किए बिना प्रश्नगत भूमि अर्जित नहीं की जानी चाहिए थी, भ्रामक है। याची को शिकायत नहीं हो सकती है यदि अन्य भूमि की जमाबंदी रद्द किए बिना राज्य ने उसको मुआवजा का भुगतान करने का निर्णय किया है। प्रत्याशित वाद के परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए प्रस्तावित हाईटेक बस अड्डा के निर्माण को रोका नहीं जा सकता है।

8. उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, मैं रिट याचिका में गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, इसे खारिज किया जाता है।

ekuuh; ,p lhek feJk] U;k;efr

कुमारी सीमा झा एवं अन्य (400 में)

राम नंदन झा एवं अन्य (886 में)

सुधांशु झा एवं अन्य (1981 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य (सभी में)

Cri. M.P. No. 400 of 2006 with Cr. Rev. No. 886 of 2011 with Cr. M.P. No. 1981 of 2011.
Decided on 7th August, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 482/397 एवं 401 के अधीन आवेदनों के मामले में।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 498A सह-पठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धाराएँ 3/4—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 177, 178 एवं 482—दहेज अपराध—समन—न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता—दूरभाष द्वारा धमकी दिया जाना अधिकारिता सृजित नहीं करेगा—प्रहार सहित दहेज मांग के लिए अभिकथित क्रूरता एवं यातना गुड़गाँव अथवा भागलपुर अथवा गया में की गयी थी—राँची के न्यायालय को अपराध का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है—दांडिक कार्यवाही अभिखंडित। (पैराएँ 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.—2015 (1) East Cr. C. 231 (SC)—Applied; (2007)11 SCC 633—Discussed.

अधिवक्तागण.—Mr. Manish Kumnar, For the Petitioners; M/s. Moti Gope, Nehru Mahto, Laxmi Murmu, For the State; M/s. Naresh Prasad Singh, Arbind Kumar Singh, For the O.P. No. 2.

न्यायालय द्वारा.—ये समस्त आवेदन एक ही मामले से उद्भूत होते हैं और इस दशा में उन्हें साथ सुना जा रहा है और इसे एक ही आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अधिवक्ता एवं परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

3. दांडिक विविध याचिका सं॰ 400 वर्ष 2006 में याचीगण ने परिवाद मामला सं॰ 685 वर्ष 2005 में विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 8.2.2006 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है परिवाद याचिका में दिए गए बयानों और सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर परिवादी के बयानों तथा जाँच के चरण पर परीक्षित दो गवाहों के बयानों के आधार पर अवर न्यायालय ने याचीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3/4 के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध पाया है और याचीगण के विरुद्ध समन जारी करने का निर्देश दिया है।

4. दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 886 वर्ष 2011 में याचीगण ने उक्त परिवाद मामला सं॰ 685 वर्ष 2005 में विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 15.9.2011 के आदेश को चुनौती दिया है, जिसके द्वारा याचीगण द्वारा उन्मोचन के लिए दाखिल आवेदन अवर न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

5. दांडिक विविध याचिका सं॰ 1981 वर्ष 2011 में याचीगण ने उसी परिवाद मामला सं॰ 685 वर्ष 2005 में विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 18.5.2011 के आदेश को चुनौती दिया है जिसके द्वारा याचीगण द्वारा अवर न्यायालय की अधिकारिता को चुनौती देते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 322 के अधीन दाखिल आवेदन भी खारिज कर दिया गया था।

6. परिवाद याचिका अभिलेख पर लायी गयी है, जो दर्शाती है कि याचीगण परिवादी के पति एवं अन्य ससुराल वाले हैं। पक्षों के बीच विवाह बिहार राज्य के भागलपुर स्थान में हुआ था और तत्पश्चात परिवादी अपने पति के साथ रहने के लिए कोलकाता और तत्पश्चात हरियाणा राज्य में गुड़गाँव चली गयी, जहाँ उसका पति लाभदायी रूप से नियोजित था। अपने पति के साथ और अपने ससुराल में उसके रहने के दौरान परिवादी को क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन करते हुए परिवादी के पति एवं ससुराल वालों के विरुद्ध अभिकथन है। याचीगण के विरुद्ध क्रूरता एवं यातना के जो भी अभिकथन हैं, उन्हें हरियाणा राज्य में गुड़गाँव में अथवा बिहार राज्य में भागलपुर तथा गया में किया गया था। यातना एवं क्रूरता के अध्यधीन किए जाने पर परिवादी राँची आ गयी, जहाँ उसके पिता एवं भाई रहते हैं, और तत्पश्चात उसे उसके दांपत्य गृह वापस नहीं ले जाया गया है। परिवाद याचिका में अभिकथित किया गया है कि राँची में भी उसके पति द्वारा दूरभाष पर धमकी दी गयी थी और तद्नुसार, परिवादी ने याचीगण के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद मामला दाखिल किया था, जिसे परिवाद मामला सं॰ 685 वर्ष 2005 के रूप में दर्ज किया गया था। सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर परिवादी का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उसने अपने मामले का समर्थन किया और जाँच के चरण पर दो गवाहों का परीक्षण भी किया गया था, जिसके आधार पर, आक्षेपित आदेश द्वारा याचीगण के विरुद्ध पूर्वोक्तानुसार प्रथम दृष्टया अपराध पाया गया है।

7. परिवाद याचिका के परिशीलन से, यह प्रकट है कि राँची में कोई घटना नहीं हुई थी और केवल यह अभिकथित किया गया है कि क्रूरता एवं यातना के कारण वह अपने पिता एवं भाई के निवास स्थान चली आयी और अभी भी वह वहाँ है। परिवाद याचिका से, यह प्रकट होता है कि ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि याचीगण में से कोई भी कभी राँची गया था। याचीगण का मामला यह है कि पति के समस्त परिवारवालों को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है और तद्नुसार, उन्मोचन के लिए प्रार्थना की गयी थी, जिसे दिनांक 15.9.2011 के आदेश द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, जिसे दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 886 वर्ष 2011 में चुनौती दी गयी है। परिवाद याचिका स्पष्टत: दर्शाती है कि परिवादी को क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन करते हुए याचीगण के विरुद्ध जो भी अभिकथन है, उन्हें हरियाणा राज्य में अथवा बिहार राज्य में किया गया है। घटना का कोई भाग राँची में कभी नहीं हुआ था और याचीगण झारखंड राज्य कभी नहीं गए थे। राँची में अपराध बनाने के लिए याचीगण के विरुद्ध एकमात्र परिवाद याचिका के पैराग्राफ 20 में कथित किया गया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"20. fd rRi'pkr ifjoknh yxkrkj xHkhj ifj.kkek dh èkedh nr g, jkph e vfHk;Dr l0 1 l Qku dky ik jgh Fkh ;fn og mud }kjk dh x;h ngt ekx ,o mldk dkfjr Øjrk d fy, dkb dkuuh dkjokb djrh gA***

8. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि घटना का कोई भाग झारखंड राज्य में नहीं हुआ है, राँची न्यायालय को अपराध का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है और तद्नुसार, झारखंड राज्य में याचीगण के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही जारी रखना बिल्कुल अवैध और पूर्णत: अधिकारिताविहीन है, और इसे विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन भी किया गया है कि अगर यह स्वीकार भी किया जाता है कि उसको धमकी देते हुए पति द्वारा अपनी पत्नी को

राँची में टेलीफोन किया गया था, यह झारखंड राज्य में क्रूरता के तुल्य नहीं होगा। अपने प्रतिवाद के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने **अमरेन्दु ज्योति एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, 2015 (1) East Cr.C. 231 (SC),** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है, जिसमें वैवाहिक विवाद में समरुप परिस्थिति में, जहाँ यातना एवं क्रूरता दिल्ली में की गयी थी और परिवादी जो अंबिकापुर में रह रही थी को दिल्ली से टेलीफोन पर धमकी दी गयी थी थी, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित विधि अधिकथित किया है:–

> *"8. ge ikr g fd Øjrk d vijkèk dk pky vijkèk ugh dgk tk ldrk g tlk lfgrk dh èkkjkvk 178 ,o 179e vuè;kr fd;k x;k gA ge mPp U;k;ky; l lger ugh g fd&bl ekey e çR;Fkh lO 2 ij dkfjr ekufld Øjrk vihykFkhx.k }kjk mldk viu nkiR; xg okil y tku dk dkb ç;kl ugh fd, tku] rFkk vihykFkhx.k }kjk VyhQku ij èkedh fn, tku d dkj.k ^^cnLrj pky** jghA bl çdkj] ifjokn n[kr g, gekjk nf"Vdk.k g fd ;g vfHkfuèkkfjr ugh fd;k tk ldrk g fd vfcdkij d U;k;ky; dk vijkèk dk fopkj.k dju dh vfèkdkfjrk g-----**

इस निर्णय पर विश्वास करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि मात्र इस तथ्य के कारण कि परिवादी अपना दांपत्य गृह छोड़ने के बाद राँची में रह रही है, यह नहीं कहा जा सकता है कि राँची में भी उसके साथ कोई मानसिक क्रूरता जारी है और न ही यह तथ्य कि उसके पति द्वारा परिवादी को राँची में टेलीफोन पर अभिकथित रूप से धमकी दी गयी थी, राँची में किसी अपराध को गठित करेगा। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचीगण के विरुद्ध राँची में दांडिक कार्यवाही जारी रखना बिल्कुल अवैध और पूर्णत: अधिकारिताहीन है और यह अभिखंडित किए जाने का दायी है।

9. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता एवं परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचीगण के विरूद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन यह है कि उसके पति एवं ससुराल वालों द्वारा उसका परित्याग कर दिया गया है और वह राँची में अपने मायके में रह रही है। इस प्रकार, वह राँची में भी अपने पति एवं ससुराल वालों के हाथों मानसिक क्रूरता से पीड़ित हो रही है। यह निवेदन भी किया गया है कि इसके अतिरिक्त, राँची में टेलीफोन पर परिवादी को धमकी देने का विनिर्दिष्ट अभिकथन पति के विरुद्ध है और तद्नुसार, वाद हेतुक का भाग राँची में भी हुआ है, और तद्नुसार, राँची न्यायालय को अपराध का विचारण करने की अधिकारिता है और इसमें कोई अवैधता नहीं है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में, परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने **विश्वनाथ गुप्ता बनाम उत्तरांचल राज्य, (2007)11 SCC 633,** में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें फिरौती के लिए अपहरण का अपराध लखनऊ में हुआ था और पीड़ित की हत्या करने की धमकी के साथ मांग हलद्वानी में किया गया था और यह पाया गया था कि दोनों घटनाएँ अर्थात् पीड़ित का अपहरण एवं मृत्यु उत्तर प्रदेश राज्य में हुई थी किंतु अवयवों में से एक अर्थात् फिरौती धन की मांग करते हुए हलद्वानी, नैनीताल में पीड़ित के घर में धमकी दी गयी थी, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूँकि अवयवों में से एक हलद्वानी, नैनीताल की अधिकारिता के अंतर्गत हुआ था, अत: नैनीताल न्यायालय को अपराध का विचारण करने की अधिकारिता थी। इस निर्णय पर विश्वास करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आक्षेपित आदेश में और राँची में याचीगण के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही जारी रखने में अवैधता नहीं है

और इस चरण पर इस न्यायालय द्वारा याचीगण के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

10. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि प्रहार सहित दहेज मांग के लिए परिवादी को क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन करने के लिए इन याचीगण के विरुद्ध जो भी अभिकथन हैं, वे हरियाणा राज्य में गुड़गाँव में अथवा बिहार राज्य में भागलपुर तथा गया में किए गए हैं। अपराध का कोई भाग झारखंड राज्य में नहीं किया गया था और परिवाद याचिका में ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि याचीगण कभी भी राँची गए थे। एकमात्र अभिकथन यह है कि परिवादी के पति द्वारा टेलीफोन पर धमकी दी गयी थी। मेरे सुविचारित मत में, याचीगण का मामला पूरी तरह से **अमरेन्दु ज्योति के मामले (ऊपर)** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा आच्छादित है, जिसमें समरुप परिस्थिति में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि टेलीफोन द्वारा धमकी दिया जाना अधिकारिता सृजित नहीं करेगा। उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मात्र इस तथ्य के कारण कि परिवादी अपने माएके में रह रही थी, चालू अपराध गठित नहीं करेगा, जैसा दं॰ प्र॰ सं॰ की धाराओं 178 एवं 179 में अनुध्यात किया गया है। **विश्वनाथ गुप्ता के मामले (ऊपर)** में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जिस पर विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 364A के अधीन अपराध से संबंधित है। इस तथ्य की दृष्टि में कि **अमरेन्दु ज्योति के मामले (ऊपर)** में विधि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन अपराध के मामले में अधिकथित की गयी है, मेरा सुविचारित मत है कि इस मामले के तथ्य इस निर्णय द्वारा पूर्णतः आच्छादित हैं।

11. मामले के पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, मैं पाता हूँ कि सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय, राँची को अपराध का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है। तद्नुसार, परिवाद मामला सं॰ 685 वर्ष 2005 में विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 8.2.2006, 15.9.2011 एवं 18.5.2011 के आक्षेपित आदेशों को उक्त मामले में याचीगण के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही सहित एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

12. तद्नुसार, ये समस्त तीनों आवेदन अनुज्ञात किए जाते हैं यह स्पष्ट किया जाता है कि परिवादी को सक्षम अधिकारिता के न्यायालय में अपना वाद हेतुक लाने की छूट होगी और सक्षम न्यायालय में दाखिल करने के लिए वह अवर न्यायालय से अपनी परिवाद याचिका वापस ले सकती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (L) No. 5592 of 2008. Decided on 30th July, 2015.

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972—धारा 7 (7)—परिसीमा अधिनियम, 1963—धाराएँ 5 एवं 14—परिसीमा की वर्जना–विलंब की माफी–उपदान भुगतान अधिनियम परिसीमा की अवधि और विलंब माफ करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी को शक्ति प्रावधानित करता है–धारा 7 (7) के अधीन विहित अवधि के परे विलंब माफ करने के लिए परिसीमा अधिनियम

के अधीन प्रावधानों का अवलंब लेने से विवक्षित निषेध नहीं है–जब एक बार उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय को चुनौती ग्रहण नहीं किया गया था, वर्तमान रिट याचिका में इसका विरोध नहीं किया जा सकता है–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 6 से 8)

निर्णयज विधि.–(1980)1 SCC 4; (1975)4 SCC 22; (2008)7 SCC 169—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Deepak Kumar Bharti, For the Petitioner; Mr. Sanjay Kumar Thakur, For Resp. No. 5.

आदेश

<u>आई॰ ए॰ सं॰ 8738 वर्ष 2013</u>

यह आवेदन मामला सं॰ 5 वर्ष 2010-11 में जारी दिनांक 3.10.2012 के नोटिस और सी॰ सी॰ सं॰ 5 वर्ष 2012-13 में दिनांक 17.10.2013 के आदेश को चुनौती देने के लिए रिट याचिका में संशोधन इप्सित करते हुए दाखिल की गयी है।

चूँकि वर्तमान रिट याचिका दाखिल करने के लिए याची द्वारा प्रकट किया गया वाद हेतुक दिनांक 3.10.2012 के नोटिस और दिनांक 17.10.2013 के आदेश को चुनौती देने के लिए वाद हेतुक से संपूर्णत: भिन्न है, याची के विद्वान अधिवक्ता इस आवेदन पर जोर नहीं देते हैं और उक्त आदेशों को चुनौती देने के लिए रिट याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता इप्सित करते हैं।

प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

यह आवेदन याची को पृथक रिट याचिका दाखिल करके दिनांक 3.10.2012 के नोटिस एवं दिनांक 17.10.2013 के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ जोर नहीं दिए गए के रूप में निपटाया जाता है।

<u>आई॰ ए॰ सं॰ 756 वर्ष 2015</u>

यह आवेदन श्रम उपायुक्त, राँची द्वारा पारित मेमो सं॰ 117 के तहत दिनांक 13.1.2011 के आदेश को चुनौती देने के लिए रिट याचिका में संशोधन इप्सित करते हुए दाखिल किया गया है।

याची के विद्वान अधिवक्ता इस आवेदन पर जोर नहीं देना चाहते हैं।

तद्नुसार, यह आवेदन पृथक रिट याचिका दाखिल करके दिनांक 13.1.2011 को आदेश को चुनौती देने के लिए याची को स्वतंत्रता के साथ जोर नहीं दिए गए के रूप में निपटाया जाता है।

<u>आई॰ ए॰ सं॰ 1586 वर्ष 2014</u>

यह आवेदन दिनांक 3.10.2012 के नोटिस एवं दिनांक 17.10.2013 के आदेश का स्थगन इप्सित करते हुए दाखिल किया गया है।

आई॰ ए॰ सं॰ 8738 वर्ष 2013 में पारित आदेश की दृष्टि में यह आवेदन निष्फल बन गया है।

<u>डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 5592 वर्ष 2008:</u>

मामला सं॰ जी॰ पी॰ 39 वर्ष 2000 में श्रम उपायुक्त-सह-नियंत्रक अधिकारी द्वारा 10% वार्षिक ब्याज के साथ 3,32,135/- रुपयों के भुगतान का निर्देश देते हुए पारित दिनांक 19.12.2002 के आदेश तथा अपील मामला सं॰ पी॰ जी॰ 1 वर्ष 2008 में दिनांक 18.10.2008 के आदेश जिसके द्वारा अपीलीय प्राधिकारी ने परिसीमा के आधार पर अपील खारिज कर दिया, से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि प्रत्यर्थी बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम की इकाई स्वर्णरेखा घड़ी कारखाना का कर्मचारी था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, प्रत्यर्थी ने उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 एवं धारा 7 के अधीन सेवानिवृत्ति देयों के लिए दावा किया और मामला

सं॰ जी॰ पी॰ 39 वर्ष 2000 में दिनांक 19.12.2002 के आदेश के तहत श्रम उपायुक्त–सह–नियंत्रक अधिकारी ने प्रत्यर्थी के पक्ष में 10% वार्षिक ब्याज के साथ 3,32,135/- रुपयों का अधिनिर्णय पारित किया। चूँकि याची वित्तीय संकट के कारण अधिनिर्णय राशि का भुगतान नहीं कर सका था, 3,32,135/- रुपयों की वसूली के लिए प्रमाण पत्र मामला आरंभ किया गया था। प्रमाण पत्र अधिकारी, सदर, राँची के समक्ष मामला सं॰ 1 (Lab)2003-04 में कार्यवाही को याची द्वारा डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 242 वर्ष 2006 में चुनौती दी गयी थी। प्रमाण पत्र अधिकारी के समक्ष आपत्ति करने के लिए याची को स्वतंत्रता के साथ दिनांक 30.3.2007 को रिट याचिका खारिज की गयी थी। याची ने डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 6130 वर्ष 2007 में दिनांक 19.12.2002 के अधिनिर्णय को चुनौती दिया किंतु, याची को अपील के सांविधिक उपचार का लाभ लेने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका खारिज की गयी थी। परिणामस्वरुप, याची ने दिनांक 19.12.2002 के अधिनिर्णय को चुनौती देते हुए अपील सं॰ पी॰ जी॰ 1/2008 दाखिल किया। अपीलीय प्राधिकारी ने इस आधार पर अपील खारिज कर दिया कि अपील समय वर्जित था और अपीलीय प्राधिकारी को विलंब माफ करने की शक्ति नहीं है।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार भारती निवेदन करते हैं कि उपदान भुगतान अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी न्यायिक कल्प शक्तियों का प्रयोग करता है और यद्यपि, यह कठोर अर्थ में न्यायालय नहीं है, अपीलीय प्राधिकारी विशेष अधिनियम के अधीन गठित अधिकरण है और इसलिए, 120 दिनों की अवधि, जिस दौरान इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं को अग्रसर कर रहा था, को अपवर्जित करने के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 14 लागू होगी। याची के विद्वान अधिवक्ता **''एम॰ पी॰ स्टील कॉरपोरेशन बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (सिविल अपील सं॰ 4367 वर्ष 2004)** में प्रकाशित निर्णय पर विश्वास करते हैं। समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी सं॰ 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार ठाकुर नियंत्रक प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हैं और निवेदन करते हैं कि इसे न्यायोचित ठहराने के लिए कि प्रत्यर्थी को वेतन का भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि संपूर्ण औद्योगिक इकाई बंद पड़ी थी,, ''काम नहीं तो भुगतान नहीं'' का अभिवचन संक्षिप्त रूप से अस्वीकार किए जाने का दायी है।

5. ''पंजाब राज्य बनाम श्रम न्यायालय, जालंधर एवं अन्य,'' (1980)1 SCC 4, में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उपदान भुगतान अधिनियम उपदान के भुगतान के विस्तृत प्रावधानों को अंतर्विष्ट करने वाली पूर्ण संहिता है। अधिनियम के प्रावधानों को प्रवर्तित करने के लिए नियंत्रक प्राधिकारी को अधिनियम प्रशासित करने का काम न्यस्त किया गया है। अधिनियम यह भी प्रावधानित करता है कि नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की गयी किसी गलती को अपील में समुचित सरकार अथवा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सुधारा जा सकता है। उपदान भुगतान अधिनियम की धारा 7 (7) प्रावधानित करती है कि धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकता है। यह आगे प्रावधानित करती है कि समुचित सरकार अथवा अपीलीय प्राधिकारी, यथास्थिति, यदि यह संतुष्ट है कि पर्याप्त कारणों से 60 दिनों की उक्त अवधि के भीतर अपील दाखिल करने से अपीलार्थी को रोका गया था, 60 दिनों की अतिरिक्त अवधि तक उक्त अवधि बढ़ा सकता है। इस प्रकार, 60 दिनों के परे की अवधि का विलंब माफ करने की शक्ति केवल 60 दिनों की अतिरिक्त अवधि तक निर्बंधित है। जहाँ तक परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता का संबंध है, यह इस प्रकार उपदान भुगतान अधिनियम द्वारा प्रावधानित अपील दाखिल करने के लिए 60 दिनों की सांविधिक अवधि के परे 60 दिनों के विलंब की सीमा तक सीमित है। **विक्रय कर आयुक्त, उ॰ प्र॰, लखनऊ बनाम पार्सन टूल्स एन्ड प्लान्ट्स कानपुर, (1975)4 SCC 22** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*"22. bl çdkj] fl)kr tk lkeu vkrk g ;g g fd ;fn foèkkueMy fo'k"k lfofèk e mld vèkhu vkonu fo'k"k nkf[ky dju d fy, ifjlhek dh fuf'pr vofèk fofgr djrk g vkj Li"V fucèkuk e çkoèkkfur djrk g fd i;kIr dkj.k n'kk, tku ij ,lh vofèk vfèkdre doy fofufn"V le; lhek rd vkj bld vkx ugh c<k;h tk ldrh g] rc lcfèkr vfèkdj.k dk ifjlhek vfèkfu;e dh èkkjk 14 (2) dh rY;rk ij fdlh io dk;okgh dk lnfo'okl ,o lE;d rRijrk e vxlj dju e yx le; dk vioftr djd lfofèk e fofufn"V ,lh egÙke le; lhek d ij viu le{k nkf[ky vkonu dk ifjlhek d Hkhrj ekuu dh vfèkdkfjrk ugh gA***

6. यह गौर करना भी महत्वपूर्ण है कि उपदान भुगतान अधिनियम जो केंद्रीय विधान है परिसीमा अधिनियम के बाद अधिनियमित किया गया है। सामान्यत:, जहाँ दो संविधियों में समरुप आज्ञा है, बाद वाले संविधि के प्रावधान अभिभावी होते हैं। उपदान भुगतान अधिनियम पर्याप्त कारण स्थापित किए जाने पर परिसीमा की अवधि और विनिर्दिष्ट अवधि का विलंब माफ करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी को शक्ति प्रावधानित करता है। मेरे मत में, उपदान भुगतान अधिनियम की धारा 7 (7) के अधीन विहित अवधि के परे विलंब माफ करने के लिए परिसीमा अधिनियम के अधीन प्रावधान का अवलंब लेने पर विवक्षित निषेध है। उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 7 (7) के अधीन प्रावधान माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3) के समतुल्य है। यद्यपि माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन आपत्ति प्रमुख जिला न्यायाधीश के न्यायालय में दाखिल की जाती है और उपदान भुगतान अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी न्यायालय नहीं है, यह लाभदायी रूप से गौर किया जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि 120 दिनों की बढ़ायी गयी अवधि के परे दाखिल माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अधीन आपत्ति ग्रहण नहीं की जा सकती है। **''कॉनसोलिडेटेड इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज बनाम सिंचाई विभाग,'' (2008) 7 SCC 169,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*"20..... tc dkb fo'k"k lfofèk ifjlhek dh fuf'pr vofèk vkj i;kIr dkj.k n'kk, tku ij fofufn"V le; lhek rd foLrkj.k d fy, çkoèkku fofgr djrh g] rc fo'k"k fofèk d vèkhu fofgr ifjlhek dh vofèk vfHkHkkoh gkxh vkj ml lhek rd ifjlhek vfèkfu;e d çkoèkku vioftr fd, tk,xA pfd vfèkfu;e dh èkkjk 34 dh mièkkjk (3) vfèkfu;fer dju e foèkkueMy dk vk'k; ;g g fd vfèkfu.k; vikLr dju d fy, vkonu rhu ekg d Hkhrj fn;k tkuk pkfg, vkj i;kIr dkj.k n'kk, tku ij vofèk 30 fnuk dh ,d vU; vofèk rd c<k;h tk ldrh g fdr rRi'pkr ugh] bl U;k;ky; dk er g fd ifjlhek vfèkfu;e dh èkkjk 5 d çkoèkku ç;kT; ugh gkx D;kfd ifjlhek vfèkfu;e dh èkkjk 29 (2) d çkoèkku d dkj.k ifjlhek vfèkfu;e dh èkkjk 5 dh ç;kT;rk vioftr dh x;h gA***

7. वर्तमान मामले में प्रकट किए गए तथ्यों से मैं पाता हूँ कि अन्यथा भी, विलंब माफ करने का मामला नहीं बनता है। दिनांक 19.12.2002 के अधिनिर्णय को पहले डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 6130 वर्ष 2007 में चुनौती दी गयी थी और इस प्रकार, यह प्रतिवाद नहीं किया जा सकता है कि रिट याचिका उपदान भुगतान अधिनियम की धारा 7 (7) के अधीन प्रावधानित 120 दिनों की बढ़ायी गयी अवधि के भीतर दाखिल की गयी थी। दिनांक 19.12.2002 के अधिनिर्णय का विरोध करते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि वित्तीय संकट के कारण याची की औद्योगिक इकाई बंद हो गयी थी और इसलिए, प्रत्यर्थी को वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। जैसा प्रत्यर्थी सं॰ 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सही प्रकार

से प्रतिवाद किया गया है, याची द्वारा किया गया ''काम नहीं, तो भुगतान नहीं'' का अभिवचन अस्वीकार किए जाने का दायी है। इसके अतिरिक्त, जब एक बार डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 6130 वर्ष 2007 में दिनांक 19.12.2002 के अधिनिर्णय को दी गयी चुनौती इस न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की गयी थी, वर्तमान रिट याचिका में इसका विरोध नहीं किया जा सकता है।

8. उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, मैं इस मामले में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं हूँ और तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

शिव चंद्र सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Write Petition (S) No. 2562 of 2010. Decided on 3rd August, 2015.

सेवा विधि–समयबद्ध प्रोन्नति–रद्दकरण–प्रत्यर्थियों ने उसको सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना याची को प्रदान की गयी प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति को रद्द कर दिया था–चूँकि याची पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है, प्रत्यर्थियों को याची की ओर से किसी दुर्व्यपदेशन की अनुपस्थिति में अथवा पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन किसी कार्यवाही की अनुपस्थिति में याची को किए गए अभिकथित भुगतान आधिक्य की वसूली के संबंध में कोई कार्रवाई करने से अपवर्जित किया जाता है–निर्देशों के साथ आक्षेपित पत्र अभिखंडित किया गया। (पैराएँ 8 से 12)

निर्णयज विधि.–2015 (1) JCR 339 (Jhr.)—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Prabhat Kumar Sinha, For the Petitioner; JC to GP-II, For the Respondents.

रोंगोन मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति.–इस रिट आवेदन में, याची की प्रार्थना प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा जारी दिनांक 17.4.2010 के पत्र सं॰ 850 के अभिखंडन के लिए है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन दिनांक 10.10.1990 के प्रभाव से याची को प्रदान की गयी प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति रद्द कर दी गयी है और उक्त प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति के कारण याची को दिए गए वेतन आधिक्य का अंतर वसूल करने के लिए निर्देश जारी किया गया है। आगे, दिनांक 13.12.1995 के प्रभाव से द्वितीय समयबद्ध प्रोन्नति का लाभ, दिनांक 9.8.1999 के प्रभाव से प्रथम एवं द्वितीय ए॰ सी॰ पी॰, छठे वेतन पुनरीक्षण कमिटी की रिपोर्ट की दृष्टि में याची का वेतनमान पुनरीक्षित करने के लिए और तत्पश्चात याची का पेंशन पुनर्नियत करने तथा पारिणामिक लाभों के प्रदान के लिए भी प्रत्यर्थियों को निर्देश देने की प्रार्थना याची द्वारा की गयी है।

2. याची को आरंभ में दिनांक 29.8.1966 को निर्धारित कर्म स्थापन में ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार जल विकास निगम, पटना द्वारा जारी दिनांक 9.11.1978 के मेमो सं॰ 7357 के तहत दिनांक 29.8.1976 के प्रभाव से नियमित स्थापन में आमेलित किया गया था। तत्पश्चात याची को दिनांक 4.10.1980 के पत्र सं॰ 8236 के तहत निम्न श्रेणी लिपिक के कैडर में राजस्व मोहरिर के पद पर प्रोन्नत किया गया था। दिनांक 18.10.1986 के आदेश सं॰ 390 के तहत याची की सेवा सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, पटना, बिहार को अंतरित की गयी थी और

तद्नुसार याची ने जिला भविष्य निधि, धनबाद के कार्यालय में पद ग्रहण किया। दिनांक 25.11.1992 के पत्र सं॰ 897 के फलस्वरुप याची को दिनांक 10.10.1990 के प्रभाव से प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति प्रदान की गयी थी। दिनांक 30.6.2007 को याची अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुआ।

3. याची का मामला यह है कि चूँकि याची को द्वितीय समयबद्ध प्रोन्नति और ए॰ सी॰ पी॰ तथा वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया गया था, उसने अनेक अवसरों पर प्राधिकारियों को अभ्यावेदन दिया था किंतु उसकी शिकायत दूर करने के बजाए, याची पर प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा जारी दिनांक 17.4.2010 को पत्र सं॰ 850 तामील किया गया था जिसमें याची को दिनांक 10.10.1990 के प्रभाव से प्रदान की गयी प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति रद्द की गयी थी और समयबद्ध प्रोन्नति के ऐसे प्रदान के कारण याची को भुगतान की गयी आधिक्य राशि की वसूली के लिए निर्देश दिया गया था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात कुमार सिन्हा एवं प्रत्यर्थी राज्य के जी॰ पी॰ II के विद्वान जे॰ सी॰ सुने गए।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात कुमार सिन्हा ने निवेदन किया है कि प्रत्यर्थियों ने दिनांक 25.11.1992 को दिनांक 10.10.1990 के प्रभाव से प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति प्रदान किया था और किसी भी वैध कारण के बिना इसे 18 वर्ष से अधिक बाद रद्द नहीं किया जा सकता था। यह निवेदन किया गया है कि स्वीकृत रूप से प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति के प्रदान की ओर प्रत्यर्थियों को ले जाते हुए याची की ओर से कोई दुर्व्यपदेशन नहीं था। दिनांक 17.4.2010 का आक्षेपित आदेश पारित करने के पहले याची को कोई पूर्व नोटिस अथवा कारण बताओ नोटिस जारी कभी नहीं किया गया था और इसकी अनुपस्थिति में, आक्षेपित पत्र नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए अपास्त एवं अभिखंडित किए जाने योग्य है। यह निवेदन भी किया गया है कि याची दिनांक 30.6.2007 को अधिवर्षित हुआ और अधिवर्षिता की उसकी तिथि से लगभग तीन वर्ष बाद आक्षेपित पत्र जारी किया गया है और प्रत्यर्थी को पेंशन सहित याची के सेवानिवृत्ति देयों से अभिकथित राशि आधिक्य वसूल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

6. जी॰ पी॰ II के विद्वान जे॰ सी॰ ने निवेदन किया है कि चूँकि याची विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ था और जो प्राधिकारियों के ध्यान से निकल गया था, इस दशा में, ऐसी समयबद्ध प्रोन्नति को रद्द करते हुए दिनांक 17.4.2010 का आक्षेपित पत्र जारी किया गया था। यह निवेदन भी किया गया है कि याची वर्ष 1996 में विभागीय लेखा परीक्षा में उपस्थित हुआ था किंतु उक्त परीक्षा में भी, याची लेखा के द्वितीय पत्र में सफल नहीं हो पाया था जो याची को समयबद्ध प्रोन्नति पाने से अपवर्जित करती है। जी॰ पी॰ II के विद्वान जे॰ सी॰ ने विशेष सचिव, वित्त विभाग, पटना के दिनांक 12.8.1992 के परिपत्र सं॰ 4178, दिनांक 21.11.2000 के 8094 (F) एवं दिनांक 29.11.2001 के 4116 के बाद उपसचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 22.2.2007 के पत्र सं॰ 493 (वित्त) को भी निर्दिष्ट किया है जो यह स्पष्ट करता है कि स्टाफ जिनकी प्रोन्नति दिनांक 1.9.1983 को अथवा इसके पहले देय थी किंतु जो विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके थे, प्रोन्नति के हकदार थे किंतु जो विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके थे, प्रोन्नति के हकदार थे किंतु दिनांक 1.9.1983 के बाद प्रोन्नति की पात्रता दोनों विषयों में लेखा परीक्षा में अर्हित होने पर निर्भर करेगी।

7. यह विवादित नहीं है कि याची को दिनांक 10.10.1990 के प्रभाव से प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति प्रदान की गयी थी। यह भी विवादित नहीं है कि इस प्रकार दी गयी समयबद्ध प्रोन्नति याची पर कोई नोटिस तामील किए बिना अथवा याची को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना दिनांक 17.4.2010 के पत्र के तहत रद्द की गयी थी।

8. प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति, जिसे याची को प्रदान किया गया था, याची की ओर से किसी कपट अथवा किसी दुर्व्यपदेशन के कारण नहीं थी। दुर्व्यपदेशन अथवा कपट के बिना याची को प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति प्रदान की गयी थी। याची ने अनेक अन्य लाभों के संबंध में विवाद्यक उठाया जिससे उसने वंचित किए जाने का दावा किया और प्राधिकारियों द्वारा अनुशंसा पर बाद में उसको प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति के अभिकथित अवैध प्रदान के संबंध में इसका पता लगाया गया था जिसका परिणाम दिनांक 17.4.2010 के पत्र को जारी करने में हुआ। याची 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, स्वत: विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने से शिथिलीकरण का हकदार बन जाता है। याची विभागीय परीक्षा में उपस्थित हुआ था यद्यपि वाद के चरण पर किंतु जैसा प्रत्यर्थियों द्वारा कथन किया गया है, याची अंतत: लेखा विषय में सफल नहीं हुआ था। प्रत्यर्थियों ने उसको सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना याची को प्रदान की गयी प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति मनमाने तरीके से रद्द कर दिया था। यह भी उन आधारों में से एक है जिस पर आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, चूँकि याची पहले ही दिनांक 31.7.2010 को अधिवर्षित हुआ है, प्रत्यर्थियों को याची की ओर से किसी दुर्व्यपदेशन की अनुपस्थिति में अथवा झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन किसी कार्यवाही की अनुपस्थिति में रद्दकरण अथवा याची को किए गए अभिकथित भुगतान आधिक्य की वसूली के संबंध में कोई कार्रवाई करने से अपवर्जित किया जाता है।

9. इस संदर्भ में, **राजकिशोर प्रसाद बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, 2015 (1) JCR 339 (Jhr),** मामले को निर्दिष्ट किया जा सकता है और वर्तमान मामले के प्रयोजन से प्रासंगिक अंश यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"6. i{kk d ijLij fojkèkh fuonuk ,o vfHky[k ij ekt n lkefx;k rFkk bl U;k;ky; d fo}ku ,dy ihB }kjk v;kè;k çlkn flg ekey (Åij) e fn, x, fu.k; ij fopkj dju ij bl U;k;ky; dk nf"Vdk.k g fd oreku ;kph dk ekeyk v;kè;k çlkn flg d ekey tl leku vkèkkj ij fVdk gA oreku ;kph Hkh fnukd 31.12.1999 dk lok fuoÙk gvk Fkk vkj Lo; fnukd 14.8.1991 d dk;ky; vkn'k d rgr çFke le;c) çkUufr çnku fd;k x;k Fkk ftl e[; vfHk;rk] fcgkj] iVuk }kjk tkjh fnukd 28.5.2002 d vk{kfir vkn'k] ifjf'k"V&2, d rgr jí fd;k x;k FkkA oreku ekey e Hkh ;g çrhr gkrk g fd fcgkj i'ku fu;ekoyh d fu;e 43 (b) d vèkhu dk;okgh dk vulj.k ugh fd;k x;k Fkk vkj ;kph dk igy çnku dh x;h mDr çFke le;c) çkUufr dk jídj.k d igy dkb dkj.k crkvk tkjh ugh fd;k x;k FkkA**"*

10. जहाँ तक द्वितीय समयबद्ध प्रोन्नति, ए॰ सी॰ पी॰ एवं वेतनमान के पुनरीक्षण से उद्‌भूत होने वाले बकाया तथा अन्य पारिणामिक लाभों के प्रदान के संबंध में याची के दावा का संबंध है, इसे विनिश्चित करना प्राधिकारियों का काम है।

11. यहाँ ऊपर की गयी चर्चा के समेकित परिणाम के कारण प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा जारी दिनांक 17.4.2010 के पत्र सं॰ 850 को एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है। जहाँ तक शेष लाभों, जिन्हें याची ने रिट आवेदन के प्रार्थना II में किया है, याची दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी सं॰ 3 के समक्ष अभ्यावेदन देने के लिए स्वतंत्र है और यदि ऐसा अभ्यावेदन दाखिल किया जाता है, प्रत्यर्थी

सं॰ 3 को अभ्यावेदन की प्राप्ति की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर सकारण एवं तार्किक आदेश द्वारा इसे निपटाने का निर्देश दिया जाता है।

12. आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि दिनांक 17.4.2010 के पत्र सं॰ 850 के अनुसरण में कोई वसूली की गयी है, इसे प्रत्यर्थी सं॰ 4 के समक्ष इस आदेश की प्रति की प्रस्तुती की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर याची को वापस लौटाया जाएगा।

13. पूर्वोक्त निबंधनों में यह रिट आवेदन निपटाया जाता है।

14. लंबित आई॰ ए॰, यदि हो, भी निपटाए जाते हैं।

---

ekuuh; ,p lh feJk] U;k;efr

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड केरजरप्पा वाशरी के प्रबंधन के संबंध में नियोक्तागण (दोनों में)

cuke

पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1, धनबाद एवं एक अन्य (दोनों में)

CWJC Nos. 1617, 1619 of 2001. Decided on 13th August, 2015.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–नियमितिकरण–प्रबंधन यह सिद्ध करने में बिल्कुल विफल रहा कि संबंधित कर्मकार संविदाकार द्वारा काम पर लगाए गए थे–कर्मकारों ने सिद्ध किया है कि वे संयंत्र सफाई काम में कार्यरत रहे हैं और प्रबंधन एवं संबंधित कर्मकारों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध था और वे नियमितिकरण के हकदार थे–कर्मकारों के पक्ष में अधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों में रिट अधिकारिता में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। (पैराएँ 15 से 17)

निर्णयज विधि.–(2015)6 SCC 494—Applied; (2006)3 SCC 674; (2002)4 SCC 609; (2001)7 SCC 1; (2007)5 SCC 755;' (2015)6 SCC 321—Referred; (1997)9 SCC 377—Since Overruled.

अधिवक्तागण.–M/s. Ananda Sen, For the Petitioners; M/s. M.M. Pal, Sunil Kumar, For the Respondents.

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–ये दोनों रिट आवेदन एक ही अधिनिर्णय से उद्भूत होते हैं और इन दोनों मामलों में विधि का सामान्य प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। अत: उन्हें साथ सुना जा रहा है और इसे एक ही निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

3. इन दोनों मामलों में याचीगण सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के रजरप्पा वाशरी के प्रबंधन के संबंध में नियोक्तागण हैं और वे निर्देश केस सं॰ 2 वर्ष 1994 में और निर्देश केस सं॰ 59 वर्ष 1992 में भी पीठासीन अधिकारी, केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 18 सितंबर, 2000 के एक ही निर्णय से व्यथित हैं।

4. इन दोनों मामलों में औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद ये हैं कि क्या कर्मकारों जिन्हें कामगार यूनियन द्वारा प्रायोजित किया गया था की सेवाओं को नियमित नहीं करने में और उनकी सेवाओं को समाप्त करने में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के रजरप्पा वाशरी के प्रबंधन की कार्रवाई न्यायोचित थी।

5. औद्योगिक विवादों के निर्देश को उद्भूत करने वाले संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि कामगार यूनियन द्वारा प्रायोजित कर्मकारों ने दावा किया कि उन्हें वर्ष 1987 से वर्ष 1991-1992 तक सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की रजरप्पा वाशरी में संयंत्र सफाई काम पर लगाया गया था, किंतु उनके द्वारा अपनी सेवाओं के नियमितिकरण के लिए औद्योगिक विवाद उठाने के बाद उन्हें कर्तव्य से रोक दिया गया था। यह दावा किया गया था कि संयंत्र की सफाई का काम स्थायी प्रकृति का था और संविदा श्रम (विनियमन एवं समापन) अधिनियम की धारा 10 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा संयंत्र की सफाई के काम के लिए संविदा श्रम का नियोजन निषिद्ध था। दूसरी ओर, प्रबंधन ने प्राख्यान किया था कि संबंधित व्यक्तियों को प्रबंधन द्वारा काम पर कभी नहीं लगाया गया था और उन्होंने संविदाकार के अधीन अत्यन्त सीमित अवधि के लिए आकस्मिक प्रकृति का काम किया था। प्रबंधन ने अभिवचन किया था कि उनमें से कुछ संविदाकार के कर्मकार थे और संविदाकार डंपर्स अथवा स्वचालित टिपर्स के साधनों से कोलियरी से वाशरी तक कोयला परिवहित करने के काम में लगा हुआ था। कभी-कभार उनके द्वारा कोयले के बड़े टुकड़ों को वाशरी तक परिवहित किया जाता था जिन्हें अलग रखा जाता था और कोयला के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए संविदाकार को काम पर लगाया जाता था। प्रबंधन ने अभिवचन किया था कि रजरप्पा वाशरी के प्रबंधन एवं संबंधित कर्मकारों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध नहीं था।

6. अधिनिर्णय दर्शाता है कि प्रबंधन द्वारा केवल एक गवाह का परीक्षण किया गया था जो रजरप्पा वाशरी में अधीक्षण अभियंता था। उसने कथन किया कि कोयला के परिवहन के लिए संविदाकारों को काम पर लगाया गया था और परिवहन के क्रम में यदि कोयला का कोई बड़ा टुकड़ा आता है, इसे पे लोडर्स द्वारा हटाया जाता है और बगल में रखा जाता है और जब कोयले का ऐसे टुकड़े की मात्रा विशाल हो जाती है, तब ऐसा कोयला तोड़ने के लिए संविदाकार को काम पर लगाया जाता है। उसने कोयला तोड़ने के लिए संविदाकार को जारी किए गए चार कार्य आदेशों को सिद्ध किया जिन्हें प्रदर्श M1 श्रृंखला के रूप में चिन्हित किया गया है। उसने यह कथन भी किया है कि संविदाकार द्वारा कर्मकारों का चयन किया जाता था और उन्हें काम पर लगाया जाता था और संविदाकार द्वारा उनके काम का पर्यवेक्षण किया जाता था और संविदाकार द्वारा उनकी मजदूरी का भुगतान किया जाता था। किंतु, अधिनिर्णय दर्शाता है कि प्रबंधन द्वारा लिखित कथन में ऐसा कोई अभिवचन नहीं किया गया था और न ही यह कथन किया गया था कि ऐसे संविदाकार को कोई कार्य आदेश जारी किया गया था। अतः, प्रबंधन पहली बार संविदाकार को काम पर लगाए जाने एवं संविदाकार के माध्यम से कुछ विविध काम करने के बारे में अधिकरण के समक्ष इस कहानी के साथ आया। प्रबंधन गवाह द्वारा यह भी स्वीकार किया गया था कि वह कुछ कर्मकारों को चेहरे से जानता था। अधिनिर्णय आगे दर्शाता है कि प्रबंधन ने संविदाकार को काम पर लगाए जाने के संबंध में संविदा श्रम (विनियमन एवं समापन) अधिनियम के अधीन कोई रजिस्ट्रेशन दाखिल नहीं किया था और न ही उक्त अधिनियम के अधीन संविदाकार की अनुज्ञप्ति प्रबंधन द्वारा दाखिल एवं सिद्ध किया गया था। इस दशा में, प्रबंधन यह दर्शाने में विफल रहा था कि उनका स्थापन संविदा श्रम (विनियमन एवं समापन) अधिनियम के अधीन संविदाकार को काम पर लगाने के लिए रजिस्टर्ड था। प्रबंधन ने यह दर्शाने के लिए संविदाकार का परीक्षण तक नहीं किया था कि उसके कर्मकारों ने अत्यन्त सीमित अवधि के लिए काम किया था और वह भी संयंत्र की सफाई के काम की प्रतिषिद्ध कोटि में।

7. दूसरी ओर, प्रायोजक यूनियन ने भी एक गवाह का परीक्षण किया था जिसने दावा किया कि वह अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ संयंत्र की सफाई के काम में अनेक वर्षों तक कार्यरत था और उनके द्वारा विवाद उठाए जाने के बाद उन्हें काम करने से रोक दिया गया था। अपने दावा कि वे संयंत्र की सफाई काम में लगे हुए थे के समर्थन में प्रायोजक यूनियन ये यह दर्शाते हुए कि संबंधित व्यक्ति समस्त तीनों

पालीयों में कर्तव्य पर लगे हुए थे, कर्तव्य सूची, उपस्थिति रजिस्टर आदि की छाया प्रतिलिपियों को अभिलेख पर लाया था। यह दर्शाते हुए कि संबंधित व्यक्ति काम पर लगे हुए थे और अनेक माहों के लिए संयंत्र की सफाई के काम के लिए उन्हें मजदूरी का भुगतान भी किया गया था, मजदूरी-सह-मस्टर रॉल भी सिद्ध किया गया था। प्रबंधन से इन दस्तावेजों के मूल प्रतियों को मांगा गया था जिन्हें उन्होंने दाखिल नहीं किया था और न ही प्रबंधन की ओर से कोई चुनौती दी थी कि वे कूटरचित दस्तावेज थे और तद्नुसार उन दस्तावेजों को साक्ष्य में लिया गया था जो स्पष्टत: दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति अनेक वर्षों से संयंत्र सफाई मजदूरों के रूप में कार्यरत थे जो स्वीकृत रूप से काम की निषिद्ध कोटि है जिसमें संविदा श्रम काम पर नहीं लगाया जा सकता था।

8. दोनों पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्य के आकलन पर अधिकरण ने निष्कर्ष दिया कि संबंधित व्यक्ति संयंत्र की सफाई के काम में कार्यरत थे जो काम की निषिद्ध कोटि है और प्रबंधन एवं संबंधित कर्मकारों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध था और वे नियमितिकरण के हकदार थे और तद्नुसार, यह अधिनिर्णय दिया गया था कि संबंधित व्यक्तियों का अधिनिर्णय के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर सामान्य मजदूर कोटि-1 के रूप में नियमित किया जाए जिसमें विफल होने पर संबंधित व्यक्ति अधिनिर्णय के प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से विहित दर के मुताबिक सामान्य मजदूर कोटि 1 की मजदूरी के हकदार होंगे। यदि छह माह के भीतर अधिनिर्णय क्रियान्वित नहीं किया जाता है, तब संबंधित व्यक्तियों को सामान्य मजदूर कोटि 1 के रूप में भुगतेय मजदूरी के लिए 12½% वार्षिक दर पर ब्याज का हकदार बनाया गया था।

9. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रश्नगत अधिनिर्णय बिल्कुल अवैध है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि संबंधित कर्मकार वस्तुत: संविदाकार के कर्मकार थे और प्रबंधन द्वारा उन्हें काम पर कभी नहीं लगाया गया था और प्रबंधन एवं संबंधित कर्मकार के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का कोई संबंध नहीं होने के कारण उनकी सेवाओं के नियमितिकरण के लिए अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सकता था। इस संबंध में याची के विद्वान अधिवक्ता ने **ए॰ पी॰ एस॰ आर॰ टी॰ सी॰ एवं अन्य बनाम जी॰ श्रीनिवास रेड्डी एवं अन्य, (2006)3 SCC 674** और **ग्रेटर मुंबई नगरपालिका निगम बनाम के॰ वी॰ श्रमिक संघ एवं एक अन्य, (2002)4 SCC 609** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविदा श्रमिकों के आमेलन को अस्वीकार किया गया था। किंतु, तथ्य बना रहता है कि वर्तमान मामले में अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर औद्योगिक अधिकरण का तथ्य का स्पष्ट निष्कर्ष है कि प्रबंधन यह सिद्ध करने में विफल रहा कि याचीगण संविदाकार के श्रमिक थे और तद्नुसार, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन रिट न्यायालय द्वारा विचार में नहीं लिया जा सकता है और विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए निर्णय याचीगण को लाभ नहीं देते हैं।

10. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन करते हुए अधिनिर्णय को चुनौती दिया है कि प्रश्नगत अधिनिर्णय दर्शाता है कि औद्योगिक अधिकरण ने **एयर इंडिया सांविधिक निगम एवं अन्य बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन एवं अन्य, (1997)9 SCC 377,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर इस निष्कर्ष पर आने के लिए विश्वास किया है कि संयंत्र की सफाई का काम स्थायी प्रकृति का काम था और ऐसे काम में संविदा कर्मकारों को प्रमुख नियोक्ता का कर्मचारी समझा जाएगा और

वे नियमितिकरण के हकदार हैं। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि **भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड एवं अन्य बनाम नेशनल यूनियन वाटर फ्रंट वर्कर्स एवं अन्य, (2001)7 SCC (1)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पश्चातवर्ती निर्णय द्वारा उक्त निर्णय उलटा गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी (3) एवं अन्य, (2006)4 SCC 1,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें चयन की विहित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना की गयी नियुक्तियों के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*"43. bl çdkj] ;g Li"V g fd ykd fu;ktu e lekurk d fl)kr dk ikyu gekj lfoèkku dk ey y{k.k g vkj pfd fofèk dk 'kklu gekj lfoèkku dk dn g] U;k;ky; dk fu'p; gh vuPNn 14 d mYy?ku dk ekU; Bgjku okyk vkn'k ikfjr dju l vFkok lfoèkku d vuPNn 14 lgifBr vuPNn 16 dh vko';drkvk dk vuikyu dju dh vko';drk vun[kk djr g, vkn'k nu l v{ke cuk;k x;k gA vr%] ykd fu;ktu dh ;ktuk d lkFk lxr bl U;k;ky; dk fofèk vfèkdfFkr djr g, vko';dr% vfHkfuèkkfjr djuk gkxk fd tc rd fu;fDr çklfxd fu;ek d fucèkuku lkj vkj vfgr 0;fDr;k d chp lefpr Lièkk d ckn ugh g] ;g fu;Dr fd, x, 0;fDr ij dkb vfèkdkj çnÙk ugh djxkA ;fn ;g lfonkRed fu;fDr g] lfonk d vr e fu;fDr lekIr gk tkrh g] ;fn ;g nfud etnjh ij vFkok vkdfLed vkèkkj ij dke ij yxk;k tkuk vFkok fu;fDr g] ;g Hkh lekIr gk tk,xk tc bl cn fd;k tkrk gA blh çdkj l] vLFkk;h depkjh fu;fDr dh viuh vofèk d volku ij LFkk;h cuk; tku dk nkok ugh dj ldrk FkkA ;g Hkh Li"V djuk gkxk fd ek= blfy, fd vLFkk;h depkjh vFkok vkdfLed etnj dk mldh fu;fDr dh vofèk l vfèkd le; d fy, tkjh j[kk tkrk g] og ek= ,l tkjh jgu d cr ij fu;fer lok e vkefyr fd, tku vFkok LFkk;h cuk, tku dk gdnkj ugh gkxk ;fn ey fu;fDr p;u dh lE;d çfØ;k dk vulj.k djd ugh dh x;h Fkh tlk çklfxd fu;ek }kjk ifjdfYir fd;k x;k gA vLFkk;h depkfj;k ftud fu;ktu dh vofèk lekIr gk x;h g vFkok rnFk depkfj;k tk viuh fu;fDr dh çÑfr }kjk dkb vfèkdkj vftr ugh djr g dh çj.kk ij fu;fer Hkjrh jkdu dh NV U;k;ky; dk ugh gA lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu ÑR; dju oky mPp U;k;ky;k dk lkekU;r% vkeyu] fu;fefrdj.k vFkok LFkk;h :i l tkjh j[ku d fy, fun'k tkjh ugh djuk pkfg, Lo; Hkjrh fu;fer :i l ,o loèkkfud ;ktuk d fucèkuku lkj ugh dh x;h gA ----**"*

11. विद्वान अधिवक्ता ने **उ॰ प्र॰ ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं एक अन्य बनाम बिजली मजदूर संघ एवं अन्य, (2007)5 SCC 755,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी विश्वास किया है जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*"6. tlk çR;Fkh d fo}ku vfèkoDrk }kjk çfrokn fd;k x;k g] ;g lR; g fd vk|kfxd U;k; fu.kk;dk dh 'kfDr;k d çHkko d lcèk e ç'u çR;{k :i l mek noh (3) ekey e fook|d e ugh FkkA fdr mek noh (3) ekey e vkèkkjHkr rd lfoèkku d vuPNn 14 ij vkèkkfjr gA ;|fi vk|kfxd U;k; fu.kk;d fu;ktu dh lfonk d fucèkuk dk ifjofrr dj ldrk g] ;g ,lk dN Hkh ugh dj ldrk g tk vuPNn 14 dk mYy?kudkjh gA ;fn ekeyk ,lk g tk fu;fefrdj.k dh èkkj.kk }kjk vkPNkfnr g] bl fHkUu :i l ugh n[kk tk ldrk gA**"*

12. इन निर्णयों पर विश्वास करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि भले ही संबंधित कर्मकारों का दावा स्वीकार किया जाता है कि उन्हें प्रबंधन द्वारा संयंत्र की सफाई के काम में काम पर लगाया गया था, किंतु तथ्य बना रहता है कि उन्हें नियुक्ति की विहित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना अवैध रूप से काम पर लगाया गया था और **उमा देवी (3) मामले (ऊपर)** में अधिकथित विधि की दृष्टि में वे अपनी सेवाओं के नियमितिकरण का दावा नहीं कर सकते हैं और **उ॰ प्र॰ उर्जा निगम लिमिटेड (ऊपर)** में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **उमा देवी (3)** मामला औद्योगिक न्याय निर्णयकों पर भी प्रयोज्य होगा। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित अधिनिर्णय विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है और अपास्त किए जाने योग्य है।

13. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी यूनियन के विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया है कि समरूप परिस्थितियों में कर्मकारों, जिन्हें सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के गिड्डी कोल वाशरी में काम पर लगाया गया था, को भी उनकी सेवाओं के नियमितिकरण से इनकार किया गया था और मामला निर्देश सं॰ 228 वर्ष 2000 में केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट किया गया था जिसका उत्तर पुन: औद्योगिक अधिकरण द्वारा संबंधित कर्मकारों के पक्ष में दिया गया था। प्रबंधन ने रिट आवेदन डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 1802 वर्ष 2007 दाखिल किया जिसे दिनांक 11.9.2007 के निर्णय द्वारा खारिज किया गया था जिसके विरुद्ध एल॰ पी॰ ए॰ भी दाखिल किया गया था, जिसे भी एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 345 वर्ष 2007 में दिनांक 4.12.2007 के आदेश द्वारा खारिज किया गया था। प्रबंधन पुन: एस॰ एल॰ ए॰ (सिविल) सं॰ 4345 वर्ष 2008 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास गया, जिसे दिनांक 28.3.2008 के आदेश द्वारा खारिज किया गया था। उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के इन आदेशों को परिशिष्टों-'A', 'B' एवं 'C' के रूप में पूरक प्रतिशपथ पत्र के रूप में अभिलेख पर लाया गया है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचीगण भी इसी अनुतोष के हकदार हैं, क्योंकि याचीगण का मामला बिल्कुल उसी आधार पर है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अन्य सह-कर्मकारों को नियमितिकरण का लाभ दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने **ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ लि॰ बनाम पेट्रोलियम कोयला मजदूर यूनियन एवं अन्य, (2015)6 SCC 494,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी विश्वास किया है। मामला कावेरी बेसिन में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की परियोजना में सुरक्षा आवश्यकता के लिए 1050 कर्मचारियों को काम पर लगाने से संबंधित था। आरंभ में उन्हें संविदाकारों के माध्यम से नियोजित किया गया था और निगम में पहरा एवं निगरानी, झाड़-पोंछ एवं सफाई कामों के पदों के लिए संविदा श्रम समाप्त करने वाले संविदा श्रम (विनियमन एवं समापन) अधिनियम के प्रभाव में आने पर संबंधित कर्मकारों को ट्रेड यूनियन एवं निगम के प्रबंधन के बीच हुए समझौते के मुताबिक नियोजित किया गया था। बाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सुरक्षा काम न्यस्त करने पर उनकी सेवाएँ अभिमुक्त की गयी थी। मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक गया और **उमा देवी (3) मामले (ऊपर)** में अपने पूर्व निर्णय को विचार में लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विधि अधिकथित की गयी है:–

"31. oreku ekey e] vkjHk e lcfèkr dedkjk dk lfonkdkjk d ekè;e l fu;kftr fd;k x;k FkkA---------fuxe dh vkj l fo}ku ojh; vfèkoDrk dk çfrokn ;g g fd lcfèkr dedkjk dh lok, fu;fer ugh dh tk ldrh g D;kfd mudh fu;fDr eyr% vkj vkjHk e lfonkdkjk d ekè;e l dh x;h Fkh vkj rRi'pkr Hkjrh fu;ekoyh d erkfcd p;u ,o fu;fDr dh fdlh çfØ;k dk vulj.k fd, fcuk vkj blfy, mek noh (3) d ijk 43 d ekey e bl U;k;ky; d fu.k; ij fo'okl djr g, ;g voèk gA vkx] bl U;k;ky; u vt; iky flg cuke gfj;k.kk o;j gkÅflx fuxe e er fn;k fd tc fdlh dedkj dk

Hkkjr d lfoèkku d vuPNnk 14 ,o 16 d mYy?ku e vkjHk e fu;Dr fd;k tkrk g] rc NVuh fd, x, dedkj d iufu;ktu d le; ij fu;kDrk ;g vfHkopu ugh dj ldrk g fd vkjfHkd fu;fDr iokfYyf[kr çkoèkkuk d mYy?ku e FkhA vt; iky flg ekey d çklfxd ijkxkQ dk ;gk uhp m)r fd;k tkrk g% (SCC P 329, Para 17)

*'17.........vk|kfxd fookn vfèkfu;e d çkoèkku vkj mue çkoèkkfur vk|kfxd ,o Je U;k;ky;k dh 'kfDr;k mek noh (3) ekey e fopkj d vèkhu fcYdy ugh FkhA vufpr Je çFkk l lcfèkr fook|d fu.k; d fy, fo"k; oLr ugh Fkk vkj u gh bl mek noh (3) ekey e fofuf'pr fd;k x;k FkkA***

fuxe dk vfHkopu fd fuxe d çek.k if=r LFkk;h vkn'kk d vèkhu lcfèkr dedkjk dk fu;fer ugh dju dk dkj.k vfHkdfFkr :i l bl rF; d dkj.k g fd lcfèkr dedkjk dh fu;fDr Hkjrh fu;ekoyh e lE;d çfØ;k dk vulj.k fd, fcuk dh x;h Fkh vkj fd mudh fu;fDr;k voèk FkhA ***;g vfHkopu mDr fu.k; e bl U;k;ky; }kjk vfèkdfFkr fofèkd fl)kr dh nf"V e gekjs }kjk Lohdkj ugh fd;k tk ldrk g ftle ;g Li"Vr% vfèkdfFkr fd;k x;k g fd fuxe ;g vfHkopu djd fd mudh vkjfHkd fu;fDr lfoèkku d vuPNnk 14 ,o 16 d foijhr Fkh] dedkjk d vfèkdkj l budkj ugh dj ldrk gA**** *(tkj fn;k x;k)*

14. इन निर्णयों पर विश्वास करके विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि किसी भी स्थिति में संबंधित कर्मकारों को काम पर लगाया जाना, भले ही इसे संविधान के अनुच्छेदों 14 एवं 16 के विपरीत बताया गया है, पूर्णत: **ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ लि॰ (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा आच्छादित है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनिर्णय में अवैधता नहीं है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

15. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख का परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि वर्तमान मामले में यद्यपि प्रबंधन ने विलंबित अभिवचन किया था कि संबंधित कर्मकारों को संविदाकारों द्वारा काम पर लगाया गया था और प्रबंधन एवं कर्मकारों के बीच नियोक्ता–कर्मचारी संबंध नहीं था, किंतु प्रबंधन इस तथ्य को सिद्ध करने में बिल्कुल विफल रहा कि संबंधित कर्मकारों को संविदाकार द्वारा काम पर लगाया गया था। प्रबंधन ने यह सिद्ध करने के लिए संविदाकार का परीक्षण तक नहीं किया था कि संबंधित कर्मकार संविदाकार के कर्मचारी थे और अधिनिर्णय स्पष्टत: दर्शाता है कि प्रबंधन ने संविदाकार द्वारा काम पर लगाए जाने के संबंध में संविदा श्रम (विनियमन एवं समापन) अधिनियम के अधीन कोई रजिस्ट्रेशन तक सिद्ध नहीं किया था और न ही संविदाकार की अनुज्ञप्ति सिद्ध की गयी थी जबकि दूसरी ओर कर्मकार यह सिद्ध करने में सक्षम हुए थे कि वे संयंत्र की सफाई काम में कार्यरत थे जो काम की निषिद्ध कोटि है और इसलिए, प्रबंधन एवं कर्मकारों के बीच नियोक्ता–कर्मचारी का संबंध था और वे नियमितिकरण के हकदार थे।

16. मामले के उस दृष्टिकोण में, मेरा सुविचारित मत है कि भले ही आरंभिक चरण पर याचीगण को काम पर लगाया जाना अवैध/अनियमित और संविधान के अनुच्छेदों 14 एवं 16 का उल्लंघनकारी था, याचीगण का मामला **ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ लि॰ (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा पूर्णत: आच्छादित है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अजय पाल सिंह के मामले, (2015)6 SCC 321,** में अधिकथित विधि अनुमोदन के साथ उद्धृत किया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान

एवं उनमें प्रावधानित औद्योगिक एवं श्रम न्यायालय की शक्ति **उमा देवी (3)** मामले में विचाराधीन बिल्कुल नहीं थे। इसके अतिरिक्त, समरुप परिस्थितियों में, उसी प्रबंधन के अधीन गिड्डी कोयला वाशरी के कर्मकारों, जिन्हें भी इसी अनुतोष से इनकार किया गया था, को सेवाओं के नियमितिकरण का लाभ दिया गया है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक मान्य ठहराया गया है जैसी चर्चा ऊपर की गयी है।

17. पूर्वोल्लिखित तथ्यों एवं परिस्थितियों में, मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि औद्योगिक अधिकरण ने इन मामलों में अंतर्ग्रस्त दोनों निर्देशों का उत्तर कर्मकारों के पक्ष में दिया है और औद्योगिक अधिकरण द्वारा दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों, जो अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर आधारित है, में इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट अधिकारिता के प्रयोग में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मैं निर्देश केस सं॰ 2 वर्ष 1994 एवं निर्देश केस सं॰ 59 वर्ष 1992 में केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण सं॰ 1, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 18 सितंबर, 2000 के आक्षेपित अधिनिर्णय में दुर्बलता और अथवा अवैधता नहीं पाता हूँ।

18. इन दोनों रिट आवेदनों में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार इन्हें खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

बी॰ कुमार उर्फ ब्रिजेन्द्र कुमार

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Revision No. 1076 of 2012. Decided on 11th August, 2015.

खान अधिनियम, 1952—धाराएँ 72 (c) (1) (a), 73 एवं 79 (iii)—कोयला खान विनियमन, 1957—विनियम 8A—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 239—दुर्घटना–संज्ञान–उन्मोचन याचिका का अस्वीकरण–अभियुक्तगण अपने-अपने हैसियत से कृत्य कर रहे थे और खान अधिनियम, नियमावली, विनियम एवं उसके अधीन आदेशों के प्रावधानों के अनुरुप समस्त खनन संक्रियाओं को संचालित करने के लिए बाध्य थे–भले ही अभियुक्त कुछ संदेह दर्शाने में सफल हुआ है, विचारण के पहले अभियुक्त को उन्मोचित करना अननुज्ञेय होगा क्योंकि इसका परिणाम अभियोगों को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य देने की परिवादी को अनुमति दिए बिना इनको अंतिमता देने में होगा–पुनरीक्षण आवेदन खारिज। (पैराएँ 8 से 11)

निर्णयज विधि.–(2013)3 SCC 330; (2014)4 SCC 282—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Anoop Kumar Mehta, Amit Kumar Sinha, For the Petitioners; Mr. B.K. Prasad, For the State; M/s Rajiv Sinha, B.K. Prasad, For the O.P. No. 2.

आदेश

इस पुनरीक्षण आवेदन का याची सी॰ एम॰ ए॰ केस सं॰ 614 वर्ष 2000 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 11.10.2012 के आदेश की वैधता को चुनौती देता है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 239 के अधीन अपने उन्मोचन के लिए याची द्वारा दाखिल याचिका अस्वीकार कर दी गयी है।

2. वर्तमान पुनरीक्षण को उद्भूत करने वाले तथ्य संक्षिप्त हैं। अभियोजन मामला, जो दिनांक 1.12.2000 को परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा दाखिल लिखित परिवाद पर आधारित है, एक दुर्घटना से संबंधित है जो दिनांक 27.9.1995 को पूर्वाह्न 1.30 बजे गसलीटांड कोलियरी, कतरास क्षेत्र के यूनियन अंगारपथरा इकाई के सं॰ 6 पिट के x विशेष टीम के भूमिगत काम में हुई थी जिसके लिए श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.10.1995 की अधिसूचना के तहत खान अधिनियम, 1952 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 24 के अधीन जाँच न्यायालय गठित की गयी थी। प्रासंगिक अवधि पर जिसके दौरान उक्त दुर्घटना हुई थी, कोई पी॰ एन॰ माथुर अधिनियम की धारा 76 के अधीन उक्त कोलियरी का निदेशक एवं नामांकित स्वामी था और रमेश खन्ना, पी॰ सी॰ सूद एवं आर॰ डी॰ जैन को उक्त अधिनियम की धारा 2 (c) के अधीन क्रमश: कतरास क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी एवं समझे गए एजेन्टों के रूप में पदस्थापित किया गया था। इसी प्रकार से, बी॰ कुमार (याची) एवं एन॰ सिंह को क्रमश: 'एजेन्ट' एवं 'प्रबंधक' के रूप में पद स्थापित किया गया था; एस॰ के॰ घोष, पी॰ एन॰ वर्मा एवं एस॰ के॰ दत्ता को क्रमश: सहायक प्रबंधक, सुरक्षा अधिकारी एवं कोलियरी इंजीनियर के रूप में पदस्थापित किया गया था और समस्त अभियुक्तगण अपनी परस्पर हैसियत में कृत्य कर रहे थे और खान अधिनियम, नियमावली, विनियम एवं उसके अधीन पारित आदेशों के अनुरुप समस्त खनन संक्रियाओं को संचालित करने के लिए बाध्य थे। दिनांक 27.9.1995 को दुर्घटना तथा कि विंडर्स की विफलता के कारण गसलीटांड कोलियरी के भूमिगत संकार्य में व्यक्ति फँस गए थे के बारे में सूचना पाने पर उक्त दुर्घटना की ओर ले जाने वाले कारण एवं परिस्थितियों का पता लगाने के लिए तत्कालीन विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा जाँच की गयी थी। जाँच न्यायालय भी नियुक्त किया गया था और जाँच न्यायालय के निष्कर्षों को दिनांक 15.12.1999 को गजट अधिसूचना के तहत भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया था और जाँच के निष्कर्षों से यह प्रतीत होता है कि जब 64 व्यक्ति भूमिगत संकार्य में काम पर लगे हुए थे जब समय के संक्षिप्त काल में अभूतपूर्व भारी वर्षा ने सतह पर अगल-बगल की नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि कारित किया जो पूर्वनियत वापसी स्तर के परे चला गया जो भूमिगत संकार्यों से व्यक्तियों को वापस बुलाना आवश्यक बनता था किंतु इस पर ध्यान नहीं दिया गया था और व्यक्तियों को बाहर निकालने का प्रयास काफी देर से और अल्प सफलता के साथ किया गया था। बाढ़ का पानी बगल के क्वैरी में घुस गया और अवरोधक दीवार तोड़ डाला और जल्द ही पानी पूरे भूमिगत संकार्यों में भर गया और समस्त 64 कर्मकारों को फँसा दिया जिन्हें सतह पर नहीं लाया जा सकता था और बाद में पाँच मृत शरीर बरामद किया गया था। जाँच न्यायालय ने कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 126, 66 (2), 76 (a) एवं 36 (1) (b) के उल्लंघन सहित अनेक उल्लंघनों को पाया और पाया कि याची एवं अन्य अभियुक्तगण निरंतर सतर्कता सुनिश्चित करने, सुभेद्य बिंदुओं को नियंत्रित करने एवं सुरक्षात्मक उपाय करने में विफल रहे थे।

3. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद ने दिनांक 7.12.2000 के आदेश द्वारा अधिनियम की धाराओं 72 (c) (1) (a) एवं 73 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया जिसके बाद वर्तमान याची की प्रेरणा पर उसके उन्मोचन के लिए याचिका दाखिल की गयी थी। विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने पक्षों को सुनने एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों एवं साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद दिनांक 11.10.2012 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए कि यह याची अन्य अभियुक्तों के साथ उक्त दुर्घटना का जिम्मेदार था, याची की उन्मोचन के लिए प्रार्थना अस्वीकार कर

दिया और यह भी अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 79 (iii) के अधीन अपराध का संज्ञान एक वर्ष की अनुबंधित अवधि के भीतर लिया गया था। अत: यह पुनरीक्षण दाखिल किया गया है।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप कुमार मेहता ने निवेदन किया कि अगर जाँच न्यायालय की रिपोर्ट को इसकी संपूर्णता में स्वीकार भी किया जाता है, फिर भी उक्त आयोग द्वारा दर्ज निष्कर्षों के आधार पर इस याची के विरुद्ध अपराध नहीं बनता है क्योंकि यह याची 'एजेन्ट' जैसा अधिनियम, 1952 की धारा 2 (1) (c) के अधीन और कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 8A के अधीन भी परिभाषित किया गया है, के रूप में पदस्थापित कभी नहीं था और कि अधिनियम के अधीन नियुक्त स्वामी द्वारा जारी पत्र में भी याची का नाम नहीं आता है और इस तथ्य पर विचार किए बिना न्यायालय ने याची के विरुद्ध उक्त अधिनियम, 1952 की धाराओं 73 एवं 72 (c) (1) (a) के अधीन अपराध का संज्ञान लिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि स्वयं संज्ञान अधिनियम, 1952 की धारा 79 (iii) के प्रावधान के अधीन वर्जित था क्योंकि इसे एक वर्ष की विहित अवधि के परे लिया गया था और इस पुनरीक्षण आवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट 1 पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि इस याची ने दिनांक 1 सितंबर, 1995 के प्रभाव से गसलीटांड कोलियरी में परियोजना अधिकारी–सह–उप–सी॰ एम॰ ई॰ के रूप में पदग्रहण किया था और उसे 'एजेन्ट' के रूप में नियुक्त कभी नहीं किया गया था और घटना निरंतर वर्षा की दृष्टि में ईश्वरीय कृत्य के कारण हुई थी। यह निवेदन भी किया गया था कि केवल 'एजेन्ट' के रूप में पदनामित एवं पदस्थापित व्यक्ति पर अधिनियम के अधीन अपराध का दांडिक दायित्व डाला जा सकता है और एजेन्ट से भिन्न अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रतिवाद के समर्थन में **जी॰ एन॰ वर्मा बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य, (2014)4 SCC 282,** में निर्णय पर विश्वास किया है।

5. पूर्वोक्त निवेदनों के विपरीत, श्री राजीव सिन्हा, ए॰ एस॰ जी॰ आई॰, ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय ने सही प्रकार से याची के उन्मोचन के लिए प्रार्थना अस्वीकार किया है क्योंकि याची प्रासंगिक अवधि के दौरान 'एजेन्ट' के रूप में पदस्थापित था जैसा अधिनियम, 1952 की धारा 2 (1) (c) के अधीन परिभाषित किया गया है और वह खानों के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण अथवा निर्देशन में भाग ले रहा था और परिवाद समय सीमा के भीतर दाखिल किया गया था जैसा अधिनियम, 1952 की धारा 79 (iii) के अधीन आवश्यक है। यह निवेदन भी किया गया था कि जाँच आयोग की रिपोर्ट दिनांक 15.12.1999 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित की गयी थी और परिवाद दिनांक 1.12.2000 को दाखिल किया गया था और न्यायालय ने दिनांक 7.12.2000 को अर्थात् एक वर्ष की विहित अवधि के भीतर अपराध का संज्ञान लिया था। यह निवेदन भी किया गया था कि आरोप विरचित करने अथवा उन्मोचन के चरण पर न्यायालय को यह उपधारित करने के लिए कि उक्त दुर्घटना कोयला खान विनियम, 1957 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के कारण हुई थी, केवल अभिलेख पर मौजूद सामग्री की पर्याप्तता देखना है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय ने याची का उन्मोचन अस्वीकार करने में कोई अवैधता नहीं किया है।

6. विद्वान अधिवक्ता के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने के पहले, मैं इस मामले में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक के समुचित विनिश्चयकरण के लिए अधिनियम की धारा 2 (1) (c) में दी गयी 'एजेन्ट' की परिभाषा का परीक्षण करना आवश्यक महसूस करता हूँ। अधिनियम की धारा 2 (1) (c) का पठन निम्नलिखित है:–

"2 (1) (c) ^, tUV] tc bldk ç;kx [kku d lcèk e fd;k tkrk g] l vfHkçr g çR;d 0;fDr] pkg ml blh :i e fu;Dr fd;k x;k g ;k ugh] tk Lokeh dh vkj l ÑR; djr g, vFkok rkRif;r :i l ÑR; dju d fy, [kku vFkok ml d fdl h Hkkx d çcèku] fu;=.k] i;o{k.k ,o fun'ku e Hkkx yrk gA***

'एजेन्ट' की उक्त परिभाषा के कोरे परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसे 'एजेन्ट' के रूप में नियुक्त किया गया है या नहीं, जो स्वामी की ओर से कृत्य करते हुए अथवा तात्पर्यित रूप से कृत्य करने के लिए खान अथवा उसके किसी भाग के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण अथवा निर्देशन में भाग लेती है, भी एक 'एजेन्ट' है। यह सत्य है कि वर्ष 1983 में 'एजेन्ट' की परिभाषा में संशोधन के पहले यह उस व्यक्ति तक सीमित था जो स्वामी के प्रतिनिधि के रूप में कृत्य करता है किंतु संशोधन के बाद 'एजेन्ट' की परिभाषा का विस्तार सारवान रूप से व्यापक बनाया गया है।

7. अधिनियम की धारा 2 (1) (c) में दी गयी परिभाषा के अतिरिक्त, यही अभिव्यक्ति कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 8A में दी गयी है जो 'एजेन्ट' की नियुक्ति पर विचार करती है। विनियम 8A का पठन निम्नलिखित है:–

*"8A. **,tUV dh fu;fDr-**&(1) [kku dk Lokeh [kku d çcèku] fu;=.k] i;o{k.k ,o fun'ku d lcèk e Lokeh dh vkj l ÑR; dju d fy, çkfèkÑr çR;d 0;fDr dk uke ,o inuke n'kkr g, fyf[kr e e[; fujh{kd vkj {k=h; fujh{kd dk fooj.k çLrr djxkA*

(2) fooj.k ,l çR;d 0;fDr d mÙkjnkf;Rok rFkk ekeyk ftud lcèk e ml Lokeh dh vkj l ÑR; dju d fy, çkfèkÑr fd;k x;k g] dk Hkh n'kk,xkA

(3) ,lk çR;d 0;fDr mÙkjnkf;Rok d lcèk e] tlk ,l fooj.k e fofufn"V fd;k x;k g] [kku vFkok [kku leg] ;FkkfLFkfr] d fy, ,tUV le>k tk,xkA

(4) iokDr fooj.k igy l gh [kky x, vFkok iu% [kky x,] ;Fkk fLFkfr] d ekey e dk;yk [kku ¼l'kkèku½ fofu;e] 1985 d çHkko e vku dh frfFk l ,d ekg d Hkhrj vkj vU; ekeyk e [kku [kkyu vFkok iu% [kkyu dh frfFk l ,d ekg d Hkhrj çLrr fd;k tk,xkA

*(5) iokDr fooj.k e ukek vFkok vU; fof'kf"V;k e dkb ifjoru vFkok tkM vFkok cnyko fyf[kr e ,l ifjoru] tkM vFkok cnyko dh frfFk l lkr fnuk d Hkhrj e[; fujh{kd vkj {k=h; fujh{kd dk fjikV fd;k tk,xkA**

यदि अधिनियम की धारा 2(1)(c) और विनियम 8A का पठन संयुक्त रूप से किया जाता है, यह अपने तह के अंतर्गत न केवल उस व्यक्ति को लाता है जिसे खान के संबंध में 'एजेन्ट' के रूप में नियुक्त किया गया है बल्कि वह व्यक्ति भी, जिसे 'एजेन्ट' के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है किंतु जो खान के स्वामी की ओर से कृत्य करता है अथवा कृत्य करने का तात्पर्य रखता है और खान अथवा उसके किसी भाग के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण अथवा निर्देशन में भाग लेता है, 'एजेन्ट' के विस्तारित अर्थ के अंतर्गत आता है। विनियम 8A स्वामी की ओर से कृत्य करने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति का नाम एवं पदनाम दर्शाते हुए लिखित में बयान प्रस्तुत करना खान के स्वामी के लिए आवश्यक बनाता है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने परिशिष्ट–4 (विरोधी पक्षकार सं॰ 2 का दिनांक 13/14.10.1993 का एक पत्र) पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि विरोधी पक्षकार द्वारा दी गयी सूची में स्वामी की ओर से कृत्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नामों एवं पदनामों को दिया गया है और इस याची का नाम उक्त सूची में नहीं आता है बल्कि किसी ए॰ के॰ श्रीवास्तव को कतरास क्षेत्र में गसलीटांड कोलियरी का महाप्रबंधक दर्शाया गया है किंतु परिवाद याचिका से यह प्रतीत होता है कि याची को गसलीटांड कोलियरी के 'एजेन्ट' के रूप में दर्शाया गया है। परिवाद याचिका में भी यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया

है कि अभियुक्तगण, पूर्वोक्तानुसार अपने परस्पर हैसियत में कृत्य कर रहे थे और वे समस्त खान संक्रियाओं को संचालित करने के लिए और यह भी देखने के लिए कि इन्हें खान अधिनियम, नियमावली, विनियम एवं उसके अधीन आदेशों के प्रावधानों के अनुरुप संचालित किया जा रहा था, बाध्य थे। **जी॰ एन॰ वर्मा बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग समरुप स्थिति पर विचार करते हुए पैराग्राफ 18 में अभिनिर्धारित किया:–

*^^;g fdlh dk ekeyk ugh g fd th0 ,u0 oek dk fdlh [kku d ,tUV d :i e fu;Dr fd;k x;k FkkA bld vykok] ifjokn ,lk vfHkdfFkr vFkok dfFkr ugh djrk g fd th0 ,u0 oek u [kku d Lokeh dh vkj l ÑR; fd;k Fkk vFkok ÑR; dju dk rkRi;] j[krk Fkk vFkok fd mlu fdlh [kku d çcèku] fu;=.k] i;o{k.k vFkok fun'ku e Hkkx fy;kA oLrr% ifjokn e mld dr0;k ,o mÙkjnkf;Rok dk of.kr ugh fd;k x;k gA ifjokn e of.kr th0 ,u0 oek d dr0;k dh vuifLFkfr e ;g dguk lHko ugh g fd D;k og djdkrk dkfy;h dk e[; egkçcèkd gku d ukr bldk ç'kkfud ièkku ek= Fkk vFkok djdkrk dkfy;h e fdlh [kku d çcèku] fu;=.k] i;o{k.k ,o fun'ku l lcfèkr rduhdh fook|dk e mldk vrxLr gku dh vko';drk FkhA ifjokn e çdFku vLi"V g vkj bl çHkko d g fd çkfxd le; ij th0 ,u0 oek e[; egkçcèkd@le>k x;k ,tUV Fkk vkj [kku dk i;o{k.k] çcèku ,o fu;=.k dj jgk Fkk vkj ml gfl;r e ;g n[ku d fy, ckè; Fkk fd leLr [kuu lfØ;k, vfèkfu;e] fu;ekoyh] fofu;e] mld vèkhu ikfjr vkn'kk d vu#i lpkfyr dh x;h FkhA***

8. स्पष्टत:, उक्त मामले में उस मामले के याची जी॰ एन॰ वर्मा को मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदस्थापित दर्शाया गया है। संपूर्ण परिवाद मामले में, जैसा निर्णय से प्रतीत होता है, ऐसा कोई प्रकथन नहीं है कि जी॰ एन॰ वर्मा को किसी खान के एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया था किंतु वर्तमान मामले में स्वयं परिवाद याचिका से यह प्रतीत होता है कि याची को कतरास क्षेत्र में गसलीटांड कोलियरी के 'एजेन्ट' के रूप में पदनामित किया गया था। यह भी स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि वह उस हैसियत में कार्यरत था और संक्रियाओं को संचालित करने तथा यह देखने के लिए कि इन्हें अधिनियम, नियमावली, विनियम और उसके अधीन पारित आदेशों के अनुरुप संचालित किया गया था, बाध्य था और वह किसी चूक के लिए जिम्मेदार था जो खान में होने वाली घातक घटना में परिणत हुई। अवर न्यायालय ने सही प्रकार से विचार किया है कि जाँच न्यायालय ने इस याची को विभिन्न विनियमनों के अनेक उल्लंघनों का जिम्मेदार पाया।

9. यह सुनिश्चित विधि है कि आरोप विरचित करने अथवा अभियुक्त को उन्मोचित करने के चरण पर न्यायालय को अभिकथनों की अतिगामी जाँच नहीं करना है अथवा अभिलेख पर मौजूद सामग्री का विस्तारपूर्वक परीक्षण नहीं करना है अथवा अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद में किए गए अभिकथनों की सत्यता अथवा अन्यथा का मूल्यांकन नहीं करना है। इस चरण पर भले ही अभियुक्त कुछ संदेह दर्शाने में सफल होता है, विचारण के पहले अभियुक्त को उन्मोचित करना अननुज्ञेय होगा क्योंकि इसका परिणाम परिवादी को इसे सिद्ध करने के लिए साक्ष्य देने की अनुमति दिए बिना परिवादी द्वारा किए गए अभिकथनों को अंतिमता देने में होगा। **राजीव थापर एवं अन्य बनाम मधुलाल कपूर (2013)3 SCC 330,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिवाद मामले में उन्मोचन याचिका पर विचार करते हुए पैराग्राफ 28 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

^^;g vfHk;Dr d fo#) vfHk;ktu@ifjoknh }kjk fd, x, vfHkdFkuk dh lR;rk vFkok vU;Fkk dk eY;kdu dju dk pj.k ugh gA blh çdkj l] ;g ;

*Hkh fofuf'pr dju dk pj.k ugh g fd vfHk;Dr dh vkj l fd;k x;k cpko fdruk tkunkj gA Hky gh vfHk;Dr vfHk;ktu@ifjoknh }kjk fd, x, vfHkdFkuk e dN lng n'kku e lQy gkrk g] fopkj.k d igy vfHk;Dr dk mUekfpr djuk vuuK; gkxkA ,lk blfy, g fd bldk ifj.kke ifjoknh dk bl fl) dju d fy, lk{; nu d fy, vfHk;ktu vFkok ifjoknh dk vuefr fn, fcuk vfHk;ktu@ifjoknh }kjk yxk, x, vfHk;kxk dk vfrerk nu e gkxkA fdr] bldk foijhr lR; ugh g D;kfd vxj fopkj.k ikjHk fd;k Hkh tkrk g] vfHk;Dr fdlh vlèkk; ifj.kkek d vè;èkhu ugh gkxkA vfHk;Dr vHkh Hkh fofèk d vu#i lk{; çLrr djd viuk cpko LFkkfir djd lQy gku dh voLFkk e gkxkA bl fofèkd voLFkk dk ?kkf"kr djr g, bl U;k;ky; }kjk fn, x, fu.k;k dh vrghu lph g fd ,l ekey e tgk vfHk;ktu@ifjoknh u yxk, x, vkjkik d leLr vo;ok dk lkeu ykr g, vfHkdFku fd;k g vkj fd, x, vfHkdFkuk dh lR;rk çFke n"V;k lkf{;r djr g, U;k;ky; d le{k lkexh çLrr fd;k g] fopkj.k djuk gh gkxkA***

10. उक्त चर्चा के आलोक में तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्रियों का विश्लेषण करने पर, मैं संतुष्ट हूँ कि अभिकथित आरोप के संबंध में अग्रसर होने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला और गंभीर संदेह है और अवर न्यायालय ने सही प्रकार से याची को उन्मोचित करने से इनकार किया है।

11. तद्नुसार, यह पुनरीक्षण आवेदन गुणागुण रहित होने के कारण एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn] U;k;efr

महेन्द्र करदम

cuke

झारखंड राज्य, निगरानी विभाग के माध्यम से

Cr. M.P. No. 2331 of 2014. Decided on 4th September, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 420/467/468/471/201/109/120B—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947—धाराएँ 5 (2) एवं 5 (1) (d) सहपठित पी० सी० अधिनियम, 1988 की धाराएँ 13 (2) एवं 13 (1) (d)—धन की विपुल राशि का गबन–संज्ञान–याची खरीद कमिटी का सदस्य नहीं था और न ही उसने बैठक में भाग लिया–षडयंत्र दर्शाने के लिए सामग्री नहीं है–याची का विचारण करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है–याची को मामले से उन्मोचित किया। (पैराएँ 6 से 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Rupesh Kumar Singh, For the Petitioner; Mr. Shailesh, For the Vigilance.

आदेश

यह आवेदन आरंभ में दिनांक 4.8.2008 के आदेश, जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420/467/468/471/201/109/120B के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (2) सहपठित धारा 5 (1) (d) के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (d) के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान याची के विरुद्ध लिया गया है, सहित निगरानी मामला सं० 29 वर्ष 1994 (विशेष मामला सं० 34 वर्ष 2003) की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के

अभिखंडन के लिए और दिनांक 21.8.2014 के आदेश जिसके द्वारा दं० प्र० सं० की धारा 227 के अधीन उन्मोचन के लिए दाखिल याचिका अस्वीकार कर दी गयी थी के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया था। बाद में, आवेदन के लंबित रहने के दौरान जब दिनांक 20.11.2014 के आदेश के अधीन आरोप विरचित किए गए थे, उसका अभिखंडन भी इप्सित किया गया था।

2. अभियोजन मामला यह है कि विधान सभा कमिटी ने बिहार राज्य के 11 वन डिविजन में एल्ड्रिन 5% डस्ट एवं एल्ड्रिन 30 ई० सी० की आपूर्ति के मामले में अवैधता के संबंध में जाँच किया और पाया कि किसी मेसर्स एलायड एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज, देवघर, एक बेनामी फर्म, को 26,48,930.14/- रुपयों के मूल्यवाले पूर्वोक्त कीटनाशकों की आपूर्ति करता दर्शाया गया था किंतु वस्तुतः, समस्त संव्यवहार नकली थे क्योंकि यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका था कि उक्त फर्म का स्वत्वधारी कौन था और किसको उक्त राशि का भुगतान किया गया था। उक्त रिपोर्ट के आलोक में, राज्य सरकार ने निर्देश दिया कि प्रत्येक वन डिविजन के लिए निगरानी मामला संस्थित किया जाए। तद्नुसार सिंहभूम (वन रोपण) डिविजन, चाईबासा के संबंध में, याची सहित 16 अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420/467/468/471/201/109/120B के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (2) सहपठित धारा 5 (1) (d) के अधीन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (d) के अधीन निगरानी पी० एस० केस सं० 29 वर्ष 1994 इस अभिकथन पर संस्थित किया गया था कि तत्कालीन डी० एफ० ओ० सिंहभूम (वनरोपण) डिविजन, चाईबासा ने दिनांक 4.9.1982 के अपने पत्र के तहत कोई शर्त रखे बिना कि कीटनाशक निर्माता द्वारा निविदा दी जाए अथवा आई० एस० आई० द्वारा प्रमाण पत्र जैसे कीटनाशक की गुणवत्ता से संबंधित शर्त के बिना एल्ड्रिन 30 ई० सी० एवं एल्ड्रिन 5% डस्ट की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित किया। इसके अतिरिक्त, किसी भी समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित नहीं की गयी थी। उक्त नोटिसों के अनुसरण में, तीन फर्मों अर्थात कृषि विकास भंडार, मानपुर, गया; ग्रामीण विकास केंद्र, सदर बाजार, चाईबासा और काशीनाथ प्रसाद, जमशेदपुर ने एल्ड्रिन 5% डस्ट की आपूर्ति के लिए दिनांक 22.9.1982 को हाथ से अपनी निविदाओं को दाखिल किया। चार फर्मों अर्थात् कृषि विकास भंडार, मानपुर गया, ग्रामीण विकास केंद्र, सदर बाजार, चाईबासा; काशीनाथ प्रसाद, जमशेदपुर और सीताराम भट, चाईबासा ने दिनांक 22.9.1982 को अपनी निविदा दाखिल किया। उसी दिन, खरीद कमिटी ने अपनी बैठक में एल्ड्रिन 30 ई० सी० की आपूर्ति के संबंध में ग्रामीण विकास केंद्र, सदर बाजार, चाईबासा का न्यूनतम बोली लगाने वाला होने के नाते जिसने अग्रिम धन भी जमा किया था उसकी निविदा स्वीकार किया जबकि कमिटी ने पाया कि किसी भी बोली लगाने वाले ने एल्ड्रिन 5% डस्ट की आपूर्ति की निविदा के संबंध में अग्रिम धन जमा नहीं किया था। किंतु, खरीद कमिटी ने बोली लगाने वालों को 15 दिनों के भीतर 500/- रुपया अग्रिम धन जमा करने की अनुमति दिया। बाद में, कृषि विकास भंडार, मानपुर, गया ने 500/- रुपयों का अग्रिम धन जमा किया किंतु अनुबंधित अवधि के भीतर नहीं बल्कि दो माह से अधिक बाद, फिर भी खरीद कमिटी को उक्त तथ्य के बारे में सूचित किए बिना तत्कालीन डी० एफ० ओ०, सिंहभूम (वनरोपण) द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। तद्नुसार, उनको आपूर्ति आदेश दिए गए थे जिन्होंने कीटनाशक की आपूर्ति करने का दावा किया किंतु वस्तुतः, कीटनाशक की आपूर्ति कभी नहीं की गयी थी और एक रेंज अधिकारी द्वारा कीटनाशक की आपूर्ति की नकली रसीद दी गयी थी और तद्द्वारा अभियुक्तों ने एक-दूसरे के साथ षडयंत्र करके दस्तावेजों की जालसाजी करके कूटरचना किया एवं विपुल धन गबन किया।

3. मामले का अन्वेषण किया गया था जिसके दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा अनेक दस्तावेजों को संग्रहित किया गया था और उसने अन्वेषण पूरा करने के बाद डी० एफ० ओ०, सिंहभूम (वनरोपण) डिविजन,

चाईबासा और 13 अन्य के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया जिनके विरुद्ध अपराधों का संज्ञान लिया गया था। किंतु, अन्य अभियुक्तों की गैर उपस्थिति के कारण और मंजूरी आदेश की कमी के कारण भी विचारण न्यायालय मामला अलग करके याची एवं दो अन्य अर्थात् अरविन्द कुमार एवं पंकज श्रीवास्तव के विरुद्ध अग्रसर हुआ। उस क्रम में, मामले से याची के उन्मोचन के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 227 के अधीन आवेदन यह अभिवचन करते हुए दाखिल किया गया था कि याची समय के प्रासंगिक बिंदु पर प्रोबेशनर आई॰ एफ॰ एस॰ कोल्हन वन डिविजन, के रूप में पदस्थापित था जिसने डी॰ एफ॰ ओ॰, सिंहभूम (वनरोपण) कोल्हन डिविजन के अनुदेश पर निविदा कमिटी की बैठक में भाग लिया था जिस बैठक में फर्म अर्थात् कृषि विकास भंडार, मानपुर, गया जिसका स्वत्वधारी मोहन लाल मुरारका था को एल॰ 1 पाया गया था और तत्पश्चात याची ने आपूर्ति आदेश देने अथवा भुगतान करने के मामले में कुछ भी नहीं किया था और तद्द्वारा किसी अन्य कृत्य की अनुपस्थिति में याची को अभिकथित अपराध करने के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ षडयंत्र करता कभी नहीं कहा जा सकता है। किंतु, विचारण न्यायालय ने मामले के इन समस्त पहलूओं को विचार में नहीं लिया था और उन्मोचन प्रार्थना अस्वीकार कर दिया था और आरोप तक विरचित किया था जो आदेश चुनौती के अधीन हैं।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री रूपेश कुमार सिंह निवेदन करते हैं कि दिनांक 4.9.1982 को एल्ड्रिन 30 ई॰ सी॰ और एल्ड्रिन 5% डस्ट की कतिपय मात्रा की आपूर्ति के लिए डी॰ एफ॰ ओ॰, सिंहभूम (वनरोपण) डिविजन, चाईबासा द्वारा निविदा जारी की गयी थी। निविदा के लिए नियत अंतिम तिथि दिनांक 22.9.1982 थी। बोली (i) प्रबंधक (विपणन), जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा; (ii) डी॰ एफ॰ ओ॰, चाईबासा; (iii) डी॰ एफ॰ ओ॰, सिंहभूम (वनरोपण) डिविजन, चाईबासा और (iv) इस याची से गठित निविदा समिति के समक्ष दिनांक 22.9.1982 को खोली गयी थी। जहाँ तक एल्ड्रिन 30 ई॰ सी॰ से संबंधित निविदा का संबंध था, कृषि विकास भंडार, मानपुर, गया जिसका स्वत्वधारी मोहन लाल मुरारका था को एल॰ 1 पाया गया था। एल्ड्रिन 5% डस्ट के मामले में, किसी भी बोली लगाने वाले को अग्रिम धन जमा करता हुआ नहीं पाया गया था। अत: निविदा कमिटी ने एल॰ 1 को 15 दिनों के भीतर अग्रिम धन जमा करने का विकल्प देने का निर्णय किया जिसमें विफल होने पर यह आदेश दिया गया था कि एल्ड्रिन 5% डस्ट की आपूर्ति के लिए निविदा रद्द कर दी जाएगी और पुनर्निविदा दी जानी चाहिए। डेढ़ माह से अधिक समय बाद किसी अरुण कुमार मुरारका, ग्रामीण विकास केंद्र, सदर बाजार, चाईबासा के स्वत्वधारी, को अग्रिम धन जमा करता हुआ बताया जाता है जिसे डी॰ एफ॰ ओ॰ चाईबासा द्वारा स्वीकार किया गया था किंतु निविदा कमिटी के अन्य सदस्यों ने ऐसा स्वीकरण अनुमोदित कभी नहीं किया था। बाद में, इस अभिकथन पर मामला दर्ज किया गया था कि दोनों फर्म फर्जी थे और कि यद्यपि निविदा कमिटी के समस्त सदस्य जानते थे कि उन फर्मों का अस्तित्व कभी नहीं था, फिर भी उन्होंने उनके पक्ष में निविदा को अंतिम रूप दिया किंतु उस अभियोग में कोई सार नहीं है क्योंकि याची जो समय के प्रासंगिक बिंदु पर प्रोबेशनर आई॰ एफ॰ एस॰, कोल्हन वन डिविजन के रूप में पदस्थापित था ने डी॰ एफ॰ ओ॰, सिंहभूम (वनरोपण) कोल्हन डिविजन के अनुदेश पर बैठक में भाग लिया और तद्द्वारा जब याची जो निविदा कमिटी का नियमित सदस्य नहीं था ने व्यतिक्रम से बैठक में भाग लिया, किस प्रकार उसे फर्जी फर्मों की निविदा स्वीकार करने के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ षडयंत्र करता हुआ कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य के सिवाए कि याची ने बैठक में भाग लिया था, और वह भी व्यतिक्रम से, उसने अन्य फर्मों की निविदा के स्वीकरण से संबंधित मामले में अथवा आपूर्ति आदेश देने में अथवा उनको भुगतान करने में कोई भूमिका नहीं निभाया था और, इसलिए, उक्त तथ्य के आधार पर याची को खरीद कमिटी के

अन्य सदस्यों के साथ षडयंत्र करता हुआ नहीं कहा जा सकता है। उसके बावजूद, न केवल अपराधों का संज्ञान लिया गया है बल्कि आरोपों को विरचित भी किया गया है जो अपास्त किए जाने योग्य है।

5. इसके विरुद्ध, निगरानी के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेष निवेदन करते हैं कि यह सत्य है कि याची ने खरीद कमिटी की बैठक में भाग लिया था यद्यपि वह खरीद कमिटी का नियमित सदस्य नहीं था किंतु उस बैठक में फर्म जिसे फर्जी फर्म पाया गया था की निविदा को अंतिम रूप दिया गया था और इसलिए याची को अभिकथित अपराध करने के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ षडयंत्र करता हुआ कहा जा सकता है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर, यह स्पष्ट है कि याची जो समय के प्रासंगिक बिंदु पर प्रोबेशनर, आई॰ एफ॰ एस॰, कोल्हन वन डिविजन के रूप में पदस्थापित था, खरीद कमिटी का स्थायी सदस्य नहीं था बल्कि उसने डी॰ एफ॰ ओ॰, सिंहभूम (वनरोपण) कोल्हन डिविजन के अनुदेश के अधीन दिनांक 22.9.1982 को आयोजित बैठक में भाग लिया था जिस बैठक में फर्म अर्थात् कृषि विकास भंडार, मानपुर, गया जिसका मोहनलाल मुरारका स्वत्वधारी था को एल॰ 1 पाया गया था। याची को अभियोजित किया जा रहा है क्योंकि निगरानी मामला के अनुसार उक्त फर्म फर्जी फर्म था जिसको आपूर्ति आदेश जारी किया गया था तथा फिर आपूर्ति किए जाने का दावा किया गया था जिसके आधार पर भुगतान किए गए थे किंतु उन कृत्यों में याची की भूमिका कभी नहीं थी।

7. इसके अतिरिक्त, जब याची खरीद कमिटी का स्थायी सदस्य नहीं था, किस प्रकार उसे किसी सामग्री की अनुपस्थिति में उक्त फर्म को एल॰ 1 के रूप में घोषित करने के लिए कमिटी के अन्य सदस्यों के साथ षडयंत्र करता हुआ कहा जा सकता है। यदि उक्त फर्म को एल॰ 1 के रूप में घोषित किए जाने के लिए अपात्र होने के बावजूद एल॰ 1 के रूप में घोषित किया गया था याची के विरुद्ध खरीद कमिटी के अन्य सदस्यों के साथ षडयंत्र करने का अभियोग लगाया जा सकता था किंतु मामला यह नहीं है। अतः, याची का विचारण करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रतीत नहीं होती है। विचारण न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में इन समस्त पहलूओं पर विचार किए बिना उन्मोचन याचिका अस्वीकार कर दिया और आरोप भी विरचित किया जो आदेश अपास्त किए जाने के दायी है।

8. तद्नुसार, दिनांक 4.8.2008 के आदेश, दिनांक 21.8.2014 के आदेश तथा दिनांक 20.11.2014 के आदेश सहित निगरानी मामला सं॰ 29 वर्ष 1994 की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद्द्वारा अपास्त की जाती है जहाँ तक इस याची का संबंध है।

9. परिणामस्वरुप, याची को मामले से उन्मोचित किया जाता है।

10. परिणामस्वरुप, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; vferkHk dekj xlrk] U;k;efr

बबलू मुखी

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Revision. No. 811 of 2015. Decided on 1st September, 2015.

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881—धाराएँ 138 एवं 147—चेक का अनादर–मामले में

सुलह–याची एवं परिवादी ने मित्रतापूर्वक विवाद सुलझा लिया है–धारा 138 के अधीन अपराध शमनीय है–संयुक्त सुलह याचिका दाखिल की गयी है–याची दोषमुक्त। (पैराएँ 11 से 13)

निर्णयज विधि.–W.P. (Cri.) No. 61 of 2012 : 2015(1) JBCJ 370 (SC).

अधिवक्तागण.–Mr. Kaustav Panda, For the Petitioner; Mr. Ajay Kumar Sah, For the O.P. No. 2; A.P.P., For the State.

आदेश

आई॰ ए॰ सं॰ 4334 वर्ष 2015

वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करने में 422 दिनों के विलंब को माफ करने के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दाखिल किया गया है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दिनांक 12.2.2014 को निर्णय/आदेश पारित किया गया था किंतु याची के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त निर्णय एवं आदेश के संबंध में उसको सूचित नहीं किया था। याची को आक्षेपित आदेश की जानकारी मिलने पर उसने आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त किया और अधिवक्ता के पास गया जिसके बाद पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया है। कि याची की ओर से जानबूझकर अथवा आशयपूर्ण चूक नहीं की गयी है। यह निवेदन किया गया है कि पक्षों ने मित्रतापूर्वक मामला सुलझा लिया है और यदि विलंब माफ नहीं किया जाता है, याची असुधार्य हानि एवं क्षति से पीड़ित होगा।

3. ओ॰ पी॰ सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं और उन्होंने कोई गंभीर आपत्ति नहीं किया है।

4. समर्थनकारी शपथ पत्र में दिए गए कारणों पर विचार करते हुए पर्याप्त कारण एवं युक्तियुक्त स्पष्टीकरण दिया गया है, तद्नुसार एतद् द्वारा विलंब माफ किया जाता है और आई॰ ए॰ सं॰ 4334 वर्ष 2015 अनुज्ञात किया जाता है।

आई॰ ए॰ सं॰ 4335 वर्ष 2015

5. वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन उसमें समर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने से छूट की अनुमति दिए जाने की प्रार्थना करते हुए दाखिल किया गया है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची और परिवादी ने मामले में सुलह कर लिया है और याची ने ओ॰ पी॰ सं॰ 2 को बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। उन्होंने **विवेक राय एवं एक अन्य बनाम झारखंड उच्च न्यायालय, रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से एवं अन्य। (रिट याचिका (दांडिक) सं॰ 61 वर्ष 2012),** मामले में निर्णय को निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि **''नियम आपवादिक स्थिति में आत्मसमर्पण की आवश्यकता से मुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को प्रभावित नहीं करता है।'**

7. ओ॰ पी॰ सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उन्होंने संयुक्त सुलह आवेदन दाखिल किया है जो आई॰ ए॰ सं॰ 4333/15 है।

8. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विरोध किया है और निवेदन किया है कि झारखंड उच्च न्यायालय नियमावली, 2001 का नियम 159 आज्ञा देता है कि समर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने की अनुपस्थिति में पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है।

9. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पक्षों ने मित्रतापूर्वक मामला सुलझा लिया है और उस प्रभाव का संयुक्त सुलह याचिका दाखिल किया है, याची को समर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने से छूट दिया जाता है और झारखंड उच्च न्यायालय नियमावली का नियम 159 एतद् द्वारा अधित्यक्त किया जाता है।

10. तद्नुसार, आई॰ ए॰ सं॰ 4335 वर्ष 2015 अनुज्ञात किया जाता है।

दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 811 वर्ष 2015

11. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और सी॰/1 केस सं॰ 1773 वर्ष 2009, टी॰ आर॰ सं॰ 692 वर्ष 2012, में एक वर्ष का सरल कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था और ओ॰ पी॰ सं॰ 2 को 1,58,000/- रुपयों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। यह निवेदन किया गया है कि याची एवं परिवादी ने शुभचिंतकों एवं परिवार के सदस्यों के मध्यक्षेप पर मित्रतापूर्वक विवाद सुलझा लिया है। कि एन॰ आई॰ अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध शमनीय है और आई॰ ए॰ सं॰ 4333/15 में संयुक्त सुलह याचिका दाखिल की गयी है। याची ने दावा के पूर्ण एवं अंतिम समझौते के रूप में परिवादी ओ॰ पी॰ सं॰ 2 को 1,58,000/- रुपयों के बकाया दावा का भुगतान किया है और परिवादी/ओ॰ पी॰ सं॰ 2 को याची के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।

12. ओ॰ पी॰ सं॰ 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया है कि ओ॰ पी॰ सं॰ 2 रोबिन प्रसाद ने याची के साथ संयुक्त सुलह याचिका दाखिल किया है और वह मामले पर अग्रसर होना नहीं चाहता है, क्योंकि दावा के पूर्ण एवं अंतिम निपटारे के रूप में उसको बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।

13. अधिवक्ताओं के निवेदनों एवं आई॰ ए॰ सं॰ 4333/15 में दाखिल संयुक्त सुलह याचिका की दृष्टि में, दांडिक अपील सं॰ 183/12 में विद्वान प्रमुख सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 12.2.2014 का आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा सी॰/1 केस सं॰ 1773 वर्ष 2009, टी॰ आर॰ सं॰ 692 वर्ष 2012, में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 11.6.2012 का निर्णय अभिपुष्ट किया गया था, एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। याची को अपराध से दोषममुक्त किया जाता है।

14. परिणामस्वरुप, यह पुनरीक्षण आवेदन एवं आई॰ ए॰ सं॰ 4333/2015 एतद् द्वारा अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; vkjh vkjh çlkn ,o çeFk iVuk;d] U;k;efrx.k

लुइस एक्का

cuke

झारखंड राज्य

Cr. (Jail) Appeal (D.B.) No. 599 of 2005. Decided on 23rd July, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 3 वर्ष 2004 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ 1, गुमला द्वारा पारित दिनांक 3.6.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 4.6.2004 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या—आजीवन कारावास—अंधकार में अभियुक्त की पहचान निश्चयात्मक रूप से स्थापित नहीं की जा सकी थी—अ॰ सा॰ विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं—विचारण न्यायालय ने अ॰ सा॰ के साक्ष्य पर विश्वास करने एवं अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया है—दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया गया—अपील अनुज्ञात। (पैराएँ 10 से 12)

अधिवक्तागण.—Md. Zafar Alam, For the Appellant; Mr. Arun Kumar Pandey, For the Respondent.

न्यायालय द्वारा.—यह अपील सत्र विचारण सं॰ 3 वर्ष 2004 में तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ I, गुमला द्वारा पारित दिनांक 3.6.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 4.6.2004 के दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन न्यायालय ने अपीलार्थी को जॉन एक्का की हत्या करने का दोषी पाने पर उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया एवं आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

2. जैसा प्राथमिकी में प्रक्षेपित किया गया है, अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 8.10.2003 को करमा उत्सव था जिस तिथि पर गाँव वालों ने भोजन–मदिरा खा पीकर और एक–दूसरे के साथ नृत्य कर इसका आनंद लिया। सूचक ने भी मदिरा सेवन किया। उत्सव का आनन्द लेने के बाद सूचक जुलियन तिर्के (अ॰ सा॰ 5) मृतक जॉन एक्का (सूचक के पति का भाई) के घर उसके एवं कैटरीना बेक (जॉन एक्का की पत्नी) के साथ आयी। वे खाना खाने के बाद सोने चले गए। पूर्वाहन लगभग 3 बजे जब सूचक ने जॉन एक्का को चिल्लाते सुना, वह जाग गयी और अपीलार्थी लुईस एक्का, जो भी उसके पति का भाई है, को लाठी से जॉन एक्का पर प्रहार करते देखा। जब उसने जॉन एक्का को बचाने का प्रयास किया, अपीलार्थी ने उस पर भी लाठी से प्रहार किया। उस समय तक कैटरीना बेक (अ॰ सा॰ 8) भी जाग गयी और उन दोनों ने हल्ला करना शुरू किया। इस बीच अपीलार्थी वहाँ से भाग गया। उन्होंने जॉन एक्का को मृत पाया। तत्पश्चात, कैटरीना बेक (अ॰ सा॰ 8) घर के बाहर आयी और शोर मचाया। उसे सुन कर गाँव वाले वहाँ जमा हुए। अगले दिन अर्थात् दिनांक 9.10.2003 को बसिया पुलिस थाना के प्रभारी–अधिकारी भाई भरत कुमार (अ॰ सा॰ 10) द्वारा सूचना पायी गयी थी कि ग्राम कारालोया मुर्गी टोंगड़ी में किसी की हत्या कर दी गयी है। उक्त तथ्य के सत्यापन के लिए, अ॰ सा॰ 10 गाँव आया जहाँ उसने सूचक जूलियाना तिर्के (अ॰ सा॰ 5) का फर्दबयान (प्रदर्श 3) दर्ज किया जिसके आधार पर औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 6) लिखी गयी थी।

आई॰ ओ॰ ने अन्वेषण किया जिस दौरान उसने मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 4) तैयार किया। इसी समय, अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थी की प्रेरणा पर झाड़ी के पीछे से कुल्हाड़ी बरामद किया जिसे अधिग्रहण सूची (प्रदर्श 5) के अधीन जब्त किया गया था। जब अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया था, उसने दोष संस्वीकार किया जिसे प्रदर्श 7 के रूप में लेखबद्ध किया गया था।

3. अन्वेषण अधिकारी ने मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा करने के बाद मृत शरीर को शव परीक्षण के लिए भेजा, जिसे डॉ॰ कृष्णा प्रसाद अ॰ सा॰ 11 द्वारा किया गया था। मृत शरीर का शव परीक्षण करने के बाद उन्होंने निम्नलिखित उपहतियाँ पायीः—

1. ck; ifj;Vy ,feuI d Åij 3" x 1/2" x 1" dh rt èkkjnkj I dVu dh migfr] flj dh Ropk dVh gbZ FkhA

2. vkDlhihVy {k= d mij 3" x 1/2" x 1" dh rt èkkjnkj I dVu dh migfr] flj dh Ropk dVh gbZ FkhA

3. vkDlhihVy {k= d mij 3" x 1" dh fonh.k migfr] vkDlhihVy vfLFk VVh gbZ ik;h x;hA

4. ckb dykb ij [kjkp] nk, gkFk dk fupyk 1/3 Hkkx VVk gvk vkj

*5. ck, ?kVu d Åij [kjkpA**

डॉक्टर के अनुसार, समस्त उपहतियाँ मृत्युपूर्व प्रकृति की थी और उपहति सं॰ 3, 4 एवं 5 जिसे

कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित किया गया है के सिवाए तेज धारवाले हथियार द्वारा कारित की गयी हैं। उपहति सं॰ 1 सामान्य थी जबकि समस्त उपहतियाँ घोर प्रकृति की थी।

तद्नुसार, डॉक्टर ने इस मत के साथ शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 8) जारी किया कि मृत्यु उपहति सं॰ 1, 2 एवं 3 के कारण हुए आघात एवं हेमरेज के कारण हुई थी जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। इस बीच अन्वेषण अधिकारी ने गवाहों का बयान दर्ज किया।

4. अन्वेषण पूरा करने पर, जब अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया, पूर्वोक्तानुसार अपराध का संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था जहाँ अपीलार्थी का विचारण किया गया था।

5. विचारण के दौरान, अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने के लिए कुल 11 गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से अ॰ सा॰ 1 केरोबिन एक्का, अ॰ सा॰ 2 एंडेरियस एक्का, अ॰ सा॰ 3 प्रेम लकरा, अ॰ सा॰ 4 बर्था लकरा, अ॰ सा॰ 6 अजित एक्का, अ॰ सा॰ 7 सिल्वेस्टर एक्का और अ॰ सा॰ 9 सुनील एक्का अनुश्रुत गवाह हैं जिन्होंने अपीलार्थी द्वारा मृतक की हत्या किए जाने की जानकारी गाँव वालों से अथवा अ॰ सा॰ 1 केरोबिन एक्का जिसने स्वयं गाँववालों से जानकारी पाया था, से जानकारी पाया था। उनमें से अ॰ सा॰ 2 एंडेरियस एक्का टांगी की जब्ती का गवाह भी है, जबकि अ॰ सा॰ 3 प्रेम लकरा मृत्यु समीक्षा का गवाह है। अ॰ सा॰ 5 जुलियान तिर्के सूचक ने अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 8.10.2003 करमा का दिन था जब वह, उसके देवर जॉन एक्का (मृतक), कैटरिना बेक (मृतक की पत्नी) सहित समस्त गाँववालों ने मदिरा सेवन करके एवं नाच गाना करके इसका आनन्द लिया था। उत्सव का आनन्द लेने के बाद वह जॉन एक्का (मृतक) के घर आयी जहाँ वह अन्य के साथ सोने चली गयी। रात में, उसने अपीलार्थी को घर आते और मृतक जॉन एक्का को काटते देखा। उसने उस पर उपहति कारित करते हुए प्रहार भी किया। अ॰ सा॰ 8 कैटरीना बेक (मृतक की पत्नी) ने परिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने जबरन उसके साथ अवैध संबंध विकसित कर लिया था और इस कारण मृतक अपीलार्थी से बिल्कुल चिढ़ा हुआ था। उसके लिए पंचायती भी की गयी थी जिसमें अपीलार्थी को मर्यादापूर्वक रहने के लिए कहा गया था किंतु अपीलार्थी ने अपराध किया।

6. अभियोजन मामला बंद करने पर जब अपीलार्थी से उसके विरुद्ध सामने आने वाले अपराध में फँसाने वाले साक्ष्य के बारे में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन पूछा गया था, उसने इनकार किया।

7. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी की सह-अपराधिता उपदर्शित करने वाले अभियोजन गवाहों के परिसाक्ष्य और अपीलार्थी के विरुद्ध सामने आने वाली परिस्थितियों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया और तद्नुसार अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अधीन है।

8. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मो॰ जफर आलम निवेदन करते हैं कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि मुख्यत: अ॰ सा॰ 5 जुलियाना तिर्के (सूचक) एवं अ॰ सा॰ 8 कैटरीना बेक के साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि वे घर में उपस्थित थे जिन्होंने परिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने अपीलार्थी को मृतक की हत्या करते देखा किंतु न्यायालय ने प्रतिपरीक्षण के दौरान निकाले गए तथ्यों को विचार में नहीं लिया था जहाँ उन दोनों ने स्वीकार किया कि घटना के दिन पर बिल्कुल अंधेरा था और घर में कोई रोशनी

भी नहीं थी और वे दोनों नशे में थे और उस स्थिति में, उन दोनों के लिए व्यक्ति को पहचानना संभव नहीं हुआ होगा और यही कारण था कि सूचक ने अपने फर्दबयान में बयान दिया कि मृतक पर लाठी से प्रहार किया गया था किंतु बाद में जब डॉक्टर ने तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित कुछ उपहतियों को पाया, अ॰ सा॰ 5 जुलियाना तिर्के ने अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने मृतक पर टांगी से प्रहार किया था और इन परिस्थितियों के अधीन, अ॰ सा॰ 5 जुलियाना तिर्के अथवा अ॰ सा॰ 8 कैटरीना बेक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं और तद्द्वारा उनका साक्ष्य अस्वीकार किए जाने योग्य है किंतु अवर न्यायालय ने उनके परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने के बजाए इस पर विश्वास किया और तद्द्वारा दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया जो अपास्त किए जाने योग्य है।

9. इसके विरुद्ध, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार पांडे निवेदन करते हैं कि फर्दबयान में दिए गए बयान एवं परिसाक्ष्य के बीच कुछ अंतर हो सकता है किंतु तथ्य ये हैं कि चाक्षुक साक्ष्य, जैसा विशेषत: अ॰ सा॰ 5 जुलियाना तिर्के द्वारा दिया गया है, चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाता है और कि हत्या के अपराध की कारिता में प्रयुक्त टांगी अपीलार्थी की प्रेरणा पर बरामद की गयी थी और तद्द्वारा अवर न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया और इसलिए इस न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आदेश एवं दंडादेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता कभी नहीं है।

10. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि अभियोजन मामला, जैसा अ॰ सा॰ 5 जुलियाना तिर्के द्वारा परिसाक्ष्य दिया गया है, यह है कि करमा के दिन पर सूचक उसके देवर जौन एक्का (उसके पति का भाई) और कैटरीना बेक अ॰ सा॰ 8 (मृतक की पत्नी) ने भोजन एवं मदिरा सेवन किया था और नाच–गा कर उत्सव मनाया था। रात्रि 10 बजे वे सब मृतक के घर आए जहाँ अ॰ सा॰ 5 जुलियाना तिर्के भी उनके साथ सोयी। अ॰ सा॰ 5 जुलियाना तिर्के के अनुसार, रात में वह जागी और पाया कि अपीलार्थी ने मृतक पर टांगी से प्रहार किया था और जब उसने उसे बचाने का प्रयास किया, उस पर भी प्रहार किया गया था जिसके परिणामस्वरुप उसे उपहति आयी। अ॰ सा॰ 8 कैटरीना बेक यद्यपि इतनी विनिर्दिष्ट नहीं थी कि अपीलार्थी ने ही मृतक पर प्रहार किया था किंतु उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि चूँकि अपीलार्थी ने जबरन उसके साथ अवैध संबंध स्थापित किया था, मृतक अपीलार्थी से बिल्कुल चिढ़ा हुआ था और उस कारण से अपीलार्थी ने अपराध किया। इस प्रकार, दोनों इस मामले के साथ सामने आते प्रतीत होते हैं कि अपीलार्थी ने ही मृतक पर प्रहार किया था जिसके परिणामस्वरुप मृतक की मृत्यु हुई किंतु उन दोनों ने अपने प्रति परीक्षण में स्पष्टत: स्वीकार किया है कि अंधेरी रात थी और कमरे में रोशनी भी नहीं थी। यह तथ्य मृतक के पुत्र अ॰ सा॰ 9 द्वारा भी स्वीकार किया गया है और कि अ॰ सा॰ 5 यह कहने की सीमा तक गयी है कि वह रात में देखने में सक्षम नहीं है। इस स्थिति में उनके लिए अपीलार्थी की पहचान करना संभव नहीं हुआ होगा और यही कारण था कि फर्दबयान में, दिए गए बयान एवं परिसाक्ष्य के बीच महत्वपूर्ण अंतर था जिसके द्वारा फर्दबयान में यह कथन किया गया है कि मृतक पर लाठी से प्रहार किया गया था जबकि अ॰ सा॰ 8 कैटरीना बेक अपने परिसाक्ष्य में कहती है कि मृतक पर टांगी से प्रहार किया गया था।

11. इन परिस्थितियों के अधीन, हम पाते हैं कि अ॰ सा॰ 5 जुलियाना तिर्के अथवा अ॰ सा॰ 8 कैटरीना बेक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं और, इसलिए, उनका परिसाक्ष्य विश्वास योग्य नहीं है और

उसके बजाए अवर न्यायालय ने अ॰ सा॰ 5 एवं 8 के परिसाक्ष्य पर विश्वास किया और तद्द्वारा इसने अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया।

12. तद्नुसार, अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अत:, अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और उसे तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

13. परिणामस्वरुप, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vkjh vkjh çlkn ,o çeFk iVuk;d] U;k;efrx.k

भोला यादव एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 834 of 2004. Decided on 15th September, 2015.

एस॰ टी॰ सं॰ 468 वर्ष 2001 में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ VII, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 27.4.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 28.4.2004 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34, 342 एवं 452—हत्या, गृह अतिचार एवं दोषपूर्ण अवरोध–दोषसिद्धि–गवाहों ने घर के अंदर की घटना को नहीं देखा है किंतु वे एक बिंदु पर संगत हैं कि मृतक को उसके घर से अपीलार्थियों के घर ले जाया गया था जहाँ अपीलार्थियों ने उसकी पसली तोड़ दिया था–अपीलार्थियों द्वारा किए गए प्रहार के संबंध में गवाहों के परिसाक्ष्य अनुकूल नहीं हैं–अपीलार्थियों की दोषसिद्धि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304, भाग II के अधीन दोषसिद्धि में उपांतरित की गयी और दंडादेश पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक घटाया गया–अन्य धाराओं के अधीन दोषसिद्धि एवं दंडादेश पोषित। (पैराएँ 17 से 22)

अधिवक्तागण.–M/s B.M. Tripathy, Mahesh Kumar Sinha, Naveen Kumar Jaiswal, For the Appellants; Mr. Nehru Mahto, For the State.

न्यायालय द्वारा.–पूर्वोक्त तीनों अपीलार्थियों का किसी परमेश्वर यादव (जिसकी मृत्यु इस अपील के लंबित रहने के दौरान हो गयी) के साथ किसी रामचंद्र यादव के दोषपूर्ण परिरोध के प्रयोजन से गृह अतिचार करने के लिए विचारण किया गया था जिसकी हत्या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कर दी गयी थी। न्यायालय ने अपीलार्थियों एवं किसी परमेश्वर यादव को धाराओं 147, 148 एवं 307 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त करते हुए उनको भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34, 342 एवं 452 के अधीन दंडनीय अपराधों का दोषी पाया और तद्नुसार, दिनांक 27.4.2004 को दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज किया और दिनांक 28.4.2004 के अपने आदेश के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने और 2000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का और आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के अधीन अपराध के लिए सात वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और 1000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के अधीन अपराध के लिए एक वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया। समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का आदेश दिया गया था।

2. अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 30.5.2001 को अपराह्न लगभग 8 बजे अपीलार्थी भोला यादव मृतक रामचंद्र यादव के घर के सामने आया जहाँ अपीलार्थी भोला यादव एवं मृतक रामचंद्र यादव के बीच गाली–गलौज हुआ था। मृतक के पुत्र सूचक धीरेन्द्र यादव (अ॰ सा॰ 1) ने भोला यादव को अपने पिता को गाली नहीं देने के लिए कहा। इस बीच, भोला यादव ने मृतक के मस्तक पर लाठी का वार किया जिसके परिणामस्वरुप मृतक बेहोश हो गया। समय के उस बिंदु पर, ग्रामीण रामनाथ यादव (परीक्षण नहीं किया गया) और कोई बाली यादव (अ॰ सा॰ 5) वहाँ आए और घायल को बरामदा में लाए जहाँ उन्होंने घायल का मालिश किया, जिसके परिणामस्वरुप राम चंद्र यादव को फिर से होश आया। कुछ समय बाद अपराह्न 9 बजे जब रामचंद्र यादव अपने घर के सामने टहल रहा था और सुरेन्द्र यादव (अ॰ सा॰ 2), मृतक का पुत्र, और जितनी देवी (अ॰ सा॰ 6), मृतक की पत्नी, तथा वहनी देवी, मृतक की दूसरी पत्नी एवं फगुनी देवी, मृतक की माता घर के दरवाजा पर बैठी हुई थी, अपीलार्थीगण एवं परमेश्वर यादव, धानो देवी, कामेश्वर यादव की पत्नी, परबतिया देवी, भोला यादव की पत्नी वहाँ लाठी एवं डंडा से लैस होकर आए और उनको गाली देने लगे। वे राम चंद्र यादव पर प्रहार करने लगे जिनको बचाने जब धीरेन्द्र यादव सूचक (अ॰ सा॰ 1) आया, उस पर भी अभियुक्त परमेश्वर यादव द्वारा प्रहार किया गया था। इस पर समस्त अपीलार्थीगण उस पर प्रहार करते हुए राम चंद्र यादव को अपने घर लाए। जब राम चंद्र यादव ने शोर मचाना शुरू किया, धीरेन्द्र यादव ने अपने चाचा तपेश्वर यादव (अ॰ सा॰ 4) को सूचित किया जो वहाँ नीमा यादव, चक्कू यादव, इंदर यादव के साथ आया और समस्त अपीलार्थियों को राम चंद्र यादव पर प्रहार करते देखा। जब सूचक और उसके चाचा तपेश्वर यादव ने राम चंद्र यादव को बचाने का प्रयास किया, उन पर भी लाठी से प्रहार किया गया था। इस पर अपीलार्थीगण राम चंद्र यादव को घर के बाहर लाए और मचान के नीचे उसे छोड़ दिया। जब गाँववाले जमा हुए, अपीलार्थीगण एवं अन्य अभियुक्तगण भाग गए।

3. अगली तिथि पर, अर्थात् दिनांक 31.5.2001 को पूर्वाह्न 5 बजे जब पेलावल आउटपोस्ट के प्रभारी के रूप में पदस्थापित सब–इंस्पेक्टर निखिल नंद दास (अ॰ सा॰ 11) ने अफवाह सुना कि ग्राम कुसुम्भा में किसी की हत्या कर दी गयी है, उसने थाना डायरी में ऐसी सूचना प्रविष्ट किया और उक्त गाँव की ओर अग्रसर हुआ। पूर्वाह्न लगभग 5.30 बजे जब वह ग्राम कुसुंभा आया, उसने अपीलार्थी कामेश्वर यादव की मचान के निकट मृतक का मृत शरीर पाया। वहाँ उसने सूचक का फर्दबयान (प्रदर्श 4) दर्ज किया, जिसने घटना का विवरण दिया जैसा ऊपर कथित किया गया है। सूचक ने आगे घटना के हेतु के बारे में बताया जिसमें यह प्रकट किया गया था कि परमेश्वर यादव (जिसकी मृत्यु इस अपील के लंबित रहने के दौरान हो गयी) ने गोबर रखने के लिए मृतक के खेत से मिट्टी खोदा था जो झगड़े की ओर ले गया।

4. उक्त फर्दबयान के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 448, 341, 323, 324, 307 एवं 302 के अधीन मामला दर्ज किया गया था और औपचारिक प्राथमिकी लिखी गयी थी। अ॰ सा॰ 11 ने मामले का अन्वेषण किया था, जिसने मृतक के मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 6) तैयार किया। उसने मृत शरीर को शव परीक्षण के लिए भेजा, जिसे डॉ॰ मार्शल एन्द (अ॰ सा॰ 9) द्वारा किया गया था, जिन्होंने मृत शरीर का शव परीक्षण करने पर निम्नलिखित उपहति पाया:–

(i) nk,a Dyfodyj {k= ij 1" x 1/2", xnu d ck,a Hkkx ij 1" x 1/2" dk [kjkpA

(ii) vkrfjd ijh{k.k&nkuk vkj dh ilfy;k dk VVk gvk ik;k x;k Fkk] nljh l lkroh ilyh] nk, Hkkx dh nljh l vkBoh ilyh] VVk gvk QiMk dk fonh.k ik;k x;k FkkA

MkDVj u bl er d lkFk fd eR; gejt ,o vk?kkr d dkj.k dkfjr gb Fkh 'ko ijh{k.k fjikV (çn'k 3) tkjh fd;kA

vO lkO 11 u ri'oj ;kno dk Hkh ijh{k.k fd;kA ijh{k.k dju ij] fuEufyf[kr migfr ik;kh&

(i) flj dh [kky ij 2"x1/2" xflj dh [kky rd xgjk Li"V rkj ij dVu dh migfrA

(ii) ck, dèk ij 2"x1" dk ltuA

MkDVj u bl er d lkFk fd migfr;k rt èkkj oky gfFk;kj }kjk dkfjr dh x;h Fkh vkj lkekU; çÑfr dh Fkh] migfr fjikV (çn'k 2/1) tkjh fd;kA

,d vU; MkDVj] MkO l;;n uj ekgEn (vO lkO 3) u èkhjUæ ;kno dk ijh{k.k fd;k vkj fuEufyf[kr migfr;k dk ik;kh

(i) ck;h NkVh Åxyh ij 1/4"x1/4" dk [kjkp

(ii) ck, fjx fQxj ij 1/6"x1/6" Ropk rd xgjk fonh.k t[eA

MkDVj u bl er d lkFk fd leLr migfr;k dM ,o HkkFkj inkFk }kjk dkfjr dh x;h Fkh rFkk lkekU; çÑfr dh Fkh] migfr fjikV (çn'k 2) tkjh fd;kA

5. इस बीच, अन्वेषण अधिकारी ने गवाहों का बयान दर्ज किया। किंतु, उसके स्थानांतरण पर कटकमसंडी पुलिस थाना में पदस्थापित तत्कालीन सब-इंसपेक्टर संतोष कुमार (अ० सा० 10) ने अन्वेषण किया और आरोप-पत्र दाखिल किया। आरोप-पत्र दाखिल करने पर, पूर्वोक्तानुसार इन अपीलार्थियों एवं किसी परमेश्वर यादव के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया था, जिनका बाद में मामले की सुपुर्दगी के बाद विचार किया गया था।

6. विचारण के दौरान, अभियोजन ने कुल 11 गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से अ० सा० 1 धीरेन्द्र यादव, मृतक का पुत्र, अ० सा० 2 सुरेन्द्र यादव, मृतक का दूसरा पुत्र, अ० सा० 4 तपेश्वर यादव, मृतक का भाई, अ० सा० 6 जितनी देवी, मृतक की विधवा और अ० सा० 7 मोस्मात फगुनी देवी, मृतक की माता ने स्वयं का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया। अ० सा० 1 एवं अ० सा० 2 ने परिसाक्ष्य दिया कि जब वे घर आए, उन्होंने अपने पिता एवं अपीलार्थी भोला यादव को गाली गलौज करते देखा। जिस क्रम में भोला यादव ने मृतक के मस्तक पर लाठी से प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप रामचंद्र यादव को उपहति आयी और बेहोश हो गया। इस पर बाली यादव (अ० सा० 5) एवं राम नाथ ने तेल से उसका मालिश किया जिस पर राम चंद्र यादव को होश आया। कुछ समय बाद, जब उनका पिता टहल रहा था, समस्त अपीलार्थीगण आए, जिनमें से नरेश यादव टांगी से लैस था जबकि अन्य अपीलार्थीगण लाठी लिए हुए थे। जब वे उनके पिता को अपने घर ले जा रहे थे, अ० सा० 1 ने उसको बचाने का प्रयास किया किंतु उस पर लाठी से प्रहार किया गया था और तब अपीलार्थीगण राम चंद्र यादव को अपने घर ले गए। इस बीच, सूचक के चाचा अ० सा० 4 तपेश्वर यादव अ० सा० 1 द्वारा सूचित किए जाने पर नीमा यादव, चक्कू यादव, इंदर यादव के साथ आया और अपीलार्थियों के घर गया जहाँ उसने अपीलार्थियों को मृतक पर प्रहार करते देखा। अपीलार्थी नरेश यादव ने टांगी से मृतक पर प्रहार किया जबकि अन्य अपीलार्थियों ने लाठी से मृतक पर प्रहार किया। जब अ० सा० 4 ने मृतक को बचाने का प्रयास किया, उस पर भी प्रहार

किया गया था। समरूप परिसाक्ष्य अ॰ सा॰ 6 जितनी देवी, मृतक की विधवा, अ॰ सा॰ 7 फगुनी देवी, मृतक की माता का है। अ॰ सा॰ 5 बाली यादव और अ॰ सा॰ 8 वजनी देवी, मृतक की दूसरी पत्नी पक्षद्रोही हो गए हैं।

7. अभियोजन मामला बंद करने के बाद, जब अपीलार्थियों से उनके विरूद्ध सामने आने वाले अपराध में फँसाने वाली सामग्री के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन पूछा गया था, उन्होंने इनकार किया।

8. इस पर, विचारण न्यायालय ने चश्मदीद गवाहों, विशेषत: अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 4 के परिसाक्ष्य पर विश्वास कर के अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34, 342 एवं 452 के अधीन दंडनीय अपराधों का दोषी पाया और तद्नुसार, दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अधीन है। किंतु, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 147, 148 एवं 307 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

9. अपीलार्थियों के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री बी॰ एम॰ त्रिपाठी निवेदन करते हैं कि अभियोजन गवाह एक दूसरे के साथ संबंधित होने के कारण अत्यन्त हितबद्ध गवाह हैं और तद्द्वारा वे अभियोजन के सही चित्र के साथ नहीं आए हैं जिसके द्वारा विचारण के दौरान सामने आया है कि दो अपीलार्थियों कामेश्वर यादव एवं भोला यादव को घोर उपहति आयी थी किंतु अभियोजन मुँह बंद किए रहा जिसके परिणामस्वरूप उक्त घटना के दौरान उनको आयी उपहतियों को स्पष्ट नहीं किया गया है।

10. इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता अन्वेषण अधिकारी (अ॰ सा॰ 11) के साक्ष्य को निर्दिष्ट करके निवेदन करते हैं कि अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान अपीलार्थियों के शरीर पर उपहतियों को ध्यान में लिया था और तद्द्वारा उसने अपीलार्थियों का अस्पताल में इलाज करवाया और उसके लिए मृतक एवं गवाहों के विरूद्ध प्रतिमामला भी दर्ज किया गया था किंतु विचारण न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में इन समस्त पहलूओं को ध्यान में नहीं लिया था और इसलिए, अपीलार्थियों के विरूद्ध दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया।

11. इस संबंध में, यह भी इंगित किया गया था कि अपीलार्थियों को आयी उपहतियाँ उपदर्शित करती है कि घटना जिसमें मृतक की मृत्यु हो गयी, पक्षों के बीच झगड़े के दौरान हुई थी और तद्द्वारा मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के मापदंड के अंतर्गत कभी नहीं आएगा बल्कि यह अपवादों में से एक विशेषत: धारा 300 के चतुर्थ अपवाद के अंतर्गत आएगा।

12. इसके विरूद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चूँकि बचाव प्राथमिकी एवं उपहति रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहा, विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से इस प्रतिवाद को अस्वीकार कर दिया कि अभियोजन मृतक के शरीर पर हुई उपहतियों को स्पष्ट करने के लिए बाध्य था, अत: न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क सही प्रतीत होता है और तद्द्वारा विचारण न्यायालय को निश्चय ही अपीलार्थियों के विरूद्ध दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में कोई अवैधता करता हुआ नहीं कहा जा सकता है।

13. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि अभियोजन मामला, जैसा गवाहों अ॰ सा॰ 1, 2, 4, 6 एवं 7 द्वारा परिसाक्ष्य दिया गया है, यह है कि घटना के दिन पर अपराह्न 8 बजे जब मृतक राम चंद्र यादव अपने घर के सामने टहल रहा था, अपीलार्थी भोला यादव आया जिस पर गाली-गलौज हुआ था जिसके दौरान भोला यादव ने राम चंद्र यादव के मस्तक पर लाठी से प्रहार करके उपहति कारित किया जो बेहोश हो गया। किंतु,

जब उसे होश आया, वह बरामदा पर टहलने लगा जिस दौरान अपीलार्थीगण वहाँ आए। अपीलार्थी नरेश यादव टांगी से लैस था जबकि अन्य अपीलार्थीगण लाठी लिए थे। उन्होंने मृतक पर प्रहार किया और उसे अपने घर ले जाने लगे। अ॰ सा॰ 1 ने अपने पिता को बचाने का प्रयास किया किंतु उस पर भी प्रहार किया गया था। प्रहार किए जाने के बाद, अ॰ सा॰ 1 अपने चाचा तपेश्वर यादव (अ॰ सा॰ 4) को बुलाने गया, जो अन्य व्यक्तियों के साथ आया। उस समय तक, अपीलार्थीगण राम चंद्र यादव को अपने घर ले गए थे जहाँ उस पर प्रहार किया जा रहा था। वहाँ अ॰ सा॰ 4 ने अपने भाई को बचाने का प्रयास किया किंतु उस पर प्रहार किया गया था और उपहतियाँ कारित की गयी थीं जिन उपहतियों को डॉ॰ एस॰ एम॰ मोहम्मद (अ॰ सा॰ 3) एवं डॉ॰ मार्शल एन्द (अ॰ सा॰ 9) ने अ॰ सा॰ 1 एवं 4 के शरीर पर पाया है।

14. इन परिस्थितियों के अधीन, चश्मदीद गवाह विशेषत: अ॰ सा॰ 1 एवं 4 विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

15. मामले में आगे जाते हुए, परिसाक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण घर के अंदर मृतक पर प्रहार करने के बाद उसको घर के बाहर लाए और मचान (अनाज के ढेर को रखने के लिए लकड़ी की संरचना) के नीचे रखा। मृतक के शरीर पर कोई गंभीर बाह्य उपहति नहीं पायी गयी है बल्कि केवल खरोंच पाया गया है और इसके अलावा दोनों ओर की पसली टूटी हुई पायी गयी है।

16. चूँकि अपीलार्थियों द्वारा लाठी से किए गए प्रहार के संबंध में गवाहों का परिसाक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य के अनुरूप नहीं है, निवेदन किया गया है कि चश्मदीद गवाहों के पास घटना देखने का अवसर नहीं था, फिर भी उन्होंने चश्मदीद गवाह होने का दावा किया।

17. यह सत्य है कि गवाहों ने परिसाक्ष्य दिया है कि मृतक पर लाठी से और एक अपीलार्थी द्वारा टांगी से भी प्रहार किया गया था किंतु कोई भी तत्सम उपहति वहाँ प्रतीत नहीं होती है, गवाहों ने शायद चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है किंतु अभियोजन मामला जैसा गवाहों द्वारा प्रक्षेपित किया गया है यह है कि मृतक को उसके घर से अपीलार्थियों के घर ले जाया गया था जहाँ अपीलार्थियों के कृत्य के कारण पसली टूट गयी थी। चूँकि गवाहों ने नहीं देखा था कि घर के अंदर क्या हुआ था, वे सही चित्र देने में अक्षम थे किंतु तथ्य बना रहता है कि गवाह इस बिंदु पर संगत हैं कि अपीलार्थियों द्वारा मृतक को अपने घर ले जाया गया था जहाँ स्पष्टत: मृतक पर प्रहार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पसली टूट गयी थी और इस पर अपीलार्थियों ने मृतक को मचान के नीचे छोड़ दिया किंतु प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या घटना उसी तरीके से हुई थी जैसा कथन उपर किया गया है अथवा यह भिन्न तरीके से हुई थी? इस न्यायालय के ध्यान में कतिपय तथ्य लाए गए हैं जो उपदर्शित करते हैं कि घटना उस तरीके जिसमें अभियोजन मामला प्रक्षेपित किया गया है से भिन्न तरीके से हुई थी। जैसा हमने पहले ही उपदर्शित किया है कि अन्वेषण अधिकारी (अ॰ सा॰ 11) ने मामले के अन्वेषण के दौरान अपीलार्थियों के शरीर पर उपहतियों को ध्यान में लिया था जिसके लिए प्रति मामला दर्ज भी किया गया था। प्रतिमामला का आरोप-पत्र और आरोप विरचित करने वाला आदेश भी अभिलेख पर लाया गया है जिसे प्रदर्श A एवं B के रूप में सिद्ध किया गया है।

18. उन दस्तावेजों के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 30.5.2001 को अपराह्न लगभग 8 बजे कुछ गवाहों तपेश्वर यादव (अ॰ सा॰ 4), सुरेन्द्र यादव (अ॰ सा॰ 2) और धीरेन्द्र यादव (अ॰ सा॰ 1) को अपीलार्थियों एवं अन्य पर प्रहार करता अभिकथित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ अपीलार्थियों को घोर उपहति आयी और इसलिए, कुछ गवाहों एवं अन्य के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोप विरचित किया गया है।

19. आगे हम पाते हैं कि अ॰ सा॰ 9 ने अन्वेषण के क्रम में अपीलार्थियों के शरीर पर उपहति पाया था। इस प्रकार, वे तथ्य यह उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त हैं कि घटना उस तरीके जैसा अभियोजन द्वारा प्रक्षेपित किया गया है से भिन्न तरीके से हुई थी और समस्त अधिसंभाव्यता में घटना मृतक एवं अपीलार्थियों के बीच झगड़े के दौरान हुई थी और तद्द्वारा दोनों पक्षों को उपहतियाँ आयी। ऐसी स्थिति में, मामला निश्चय ही अपवादों में से एक, विशेषत, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चतुर्थ अपवाद के अंतर्गत आता है।

20. आगे हम पाते हैं कि पसलियों को टूटा पाए जाने के अतिरिक्त मृतक के शरीर पर कोई अन्य उपहति नहीं थी जो पर्याप्त रूप से उपदर्शित करता है कि नरेश यादव ने भी, जिसे टांगी लिया हुआ अभिकथित किया गया है, टांगी से वार नहीं किया था। पुनः हम पाते हैं कि अपीलार्थियों ने क्रूर अथवा असामान्य तरीके से कृत्य नहीं किया था क्योंकि गवाहों के अनुसार, वे मृतक पर प्रहार करने के बाद उसे घर के बाहर लाए थे और मचान के नीचे छोड़ दिया था।

21. इन परिस्थितियों के अधीन, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में सही नहीं था और इसलिए, दोषसिद्धि का आदेश इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि अपीलार्थियों की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि करने के बजाए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि किया जाता है और पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक का दंडादेश दिया जाता है। किंतु, जुर्माना के दंडादेश से संबंधित आदेश अक्षुण्ण बना रहेगा।

22. जहाँ तक अन्य अपराधों के लिए समस्त अपीलार्थियों के विरूद्ध दर्ज दोषसिद्धि एवं दंडादेश का संबंध है, यह अक्षुण्ण बना रहेगा।

23. चूँकि अपीलार्थियों भोला यादव एवं नरेश यादव ने 13 वर्ष का दंडादेश भुगत लिया है, उन्हें तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है, किंतु वे जुर्माना राशि के भुगतान के अध्यधीन होंगे जैसा विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है।

24. जहाँ तक अपीलार्थी कामेश्वर यादव जिसने 7 वर्ष से अधिक का दंडादेश भुगत लिया है जमानत पर है, उसे जुर्माना राशि के भुगतान पर जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाएगा।

25. इस प्रकार, यह अपील उक्त उपदर्शित दोषसिद्धि के आदेश एवं दंडादेश में उपांतरण के साथ अंशतः अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

अशोक सिंह उर्फ अशोक कुमार सिंह

cuke

झारखण्ड राज्य

W.P.(Cr.) No. 488 of 2015. Decided on 1st September, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 73 एवं 82—गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया जाना और उद्घोषणा—भागे गए दोषसिद्ध, उद्घोषित अपराधी और व्यक्ति जो गैरजमानती अपराध का अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, के विरूद्ध गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया जा सकता है—अवर न्यायालय ने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए बिना यांत्रिक तरीके से आक्षेपित आदेश पारित—आक्षेपित आदेश अभिखंडित। (पैराएँ 9 से 11)

निर्णयज विधि.–2011(4) JLJR 385 (SC); 2008(1) JLJR 82(SC)—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Kalyan Roy, Sidhartha Roy, For the Petitioners; J.C. to. G.P.-III, For the State.

आदेश

याची ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का अवलंब लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 28.7.2014 एवं दिनांक 12.6.2015 के आदेशों की वैधता को चुनौती दिया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची के विरूद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 420/406/34 के अधीन संस्थित साकची पी॰ एस॰ केस सं॰ 315 वर्ष 2013 से उद्भूत जी॰ आर॰ केस सं॰ 4310 वर्ष 2013 के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धाराओं 73 एवं 82 के अधीन क्रमशः गिरफ्तारी वारन्ट एवं उद्घोषणा जारी किया गया है।

2. इस रिट आवेदन में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक के समुचित न्यायनिर्णयण के लिए आवश्यक अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि सूचक की प्रेरणा पर पूर्वोक्त मामला इस अभिकथन के साथ संस्थित किया गया था कि नालन्दा रोडवेज, जमशेदपुर का स्वामी होने के नाते उसने दिनांक 19.11.2013 को मेसर्स साह स्पाँज एवं पावर लिमिटेड के कारखाना से किसी मेसर्स बालमुकुंद कंस्ट्रक्शन महादेवपुर, फुलवारी, बिहटा, पटना तक वस्तुओं के परिवहन के लिए मुस्कान ट्रांसपोर्ट से रजिस्ट्रेशन सं॰ JH 05W 8017 एवं CG04 DG-8154 वाले दो ट्रकों को भाड़े पर लिया किंतु दिनांक 29.11.2013 तक जब वस्तुएँ उक्त गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँची थी, सूचक ने ट्रक के साथ वस्तुओं की चोरी का संदेह करते हुए प्राथमिकी दर्ज किया।

3. परिशिष्ट–2 के रूप में इस रिट आवेदन के साथ संलग्न अवर न्यायालय के ऑर्डर शीट से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 30.11.2013 को प्राथमिकी न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी और दिनांक 4.1.2014 फाइनल फार्म की प्रतीक्षा करते हुए तिथि के रूप में नियत की गयी थी किंतु दिनांक 4.1.2014 को ऑर्डरशीट रखा नहीं गया था और अगली तिथि पर अर्थात दिनांक 28.7.2014 को इस याची के विरूद्ध गिरफ्तारी वारन्ट जारी करने के लिए अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गयी थी जिसे अनुज्ञात किया गया था अैर गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया गया था। अगली तिथि पर अर्थात दिनांक 18.8.2014 को अन्वेषण अधिकारी ने पुनः इस याची के विरूद्ध संहिता की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने के लिए अनिष्पादित गिरफ्तारी वारन्ट के साथ तलब दाखिल किया। न्यायालय ने गिरफ्तारी वारन्ट की रिपोर्ट देखने के बाद गिरफ्तारी वारन्ट जारी होने के एक माह के अवसान के बाद संहिता की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने का निर्देश दिया। दिनांक 12.6.2015 को अन्वेषण अधिकारी ने पुनः संहिता की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने के लिए तलब दाखिल किया और इसे अवर न्यायालय द्वारा जारी किया गया था।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कल्याण रॉय ने गंभीर रूप से प्रतिवाद किया कि अवर न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए बिना यांत्रिक रूप से और आज्ञाओं का अनुसरण किए बिना संहिता की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा एवं गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया। यह निवेदन भी किया गया था कि इस रिट आवेदन के साथ संलग्न ऑर्डर शीट के परिशीलन मात्र पर यह प्रतीत होगा कि अवर न्यायालय द्वारा पारित दोनों आदेश गैर–सकारण हैं और **रघुवंश दीवानचंद भसीन बनाम महाराष्ट्र राज्य एक अन्य,** (2011) 4 JLJR 385 (SC) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी आज्ञाओं के आलोक में अभिखंडित किए जाने के दायी हैं।

5. पूर्वोक्त निवेदनों के विपरीत, राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि केवल अन्वेषण अधिकारी द्वारा तलब दाखिल किए जाने के बाद और संतुष्ट होने पर, गिरफ्तारी वारन्ट एवं संहिता की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी की गयी थी। इस दशा में, आक्षेपित आदेश में अवैधता नहीं है।

6. दोनों अधिवक्ताओं को सुनने के बाद एवं मामले के अभिलेख तथा विशेषत: रिट आवेदन के साथ संलग्न ऑर्डर शीट के प्रमाणित प्रति का परिशीलन करने के बाद मैं पाता हूँ कि संबंधित न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञाओं का अनुसरण किए बिना अन्वेषण अधिकारी द्वारा दाखिल तलब पर इस याची के विरूद्ध गैर-जमानती गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया और गिरफ्तारी वारन्ट के समुचित निष्पादन रिपोर्ट के बिना अन्वेषण अधिकारी द्वारा दाखिल तलब पर न्यायालय ने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए बिना उद्घोषणा जारी किया।

7. इंदर मोहन गोस्वामी एवं एक अन्य बनाम उतरांचल राज्य एवं अन्य, 2008(1) JLJR 82 (SC), मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी ही स्थिति पर विचार करते हुए पैराग्राफों 50 से 55 में निम्नलिखित संप्रेक्षित किया:-

*"50. xjrekurh okjaVk dk tkjh fd;k tkuk futh Lor=rk e gLr{ki vrxLr djrk gA fxj¶rkjh ,o dkjkokl dk vFk g 0;fDr d lokfèkd cgeY; vfèkdkj dk opu fd;k tkukA vr%] U;k;ky;k dk xjrekurh fxj¶rkjh okjaV tkjh dju d igy vR;Ur lkoèkku gkuk gkxkA***

51. ftl çdkj Lor=rk 0;fDr d fy, cgeY; g] mlh çdkj fofèk 0;oLFkk cuk, j[ku e lekt dk fgr cgeY; gA lH; lekt dh mUkjthfork d fy, nkuk vR;Ur egRoi.k gA dHkh&dHkkj turk ,o jkT; d 0;kid fgr e dfri; vofèk d fy, 0;fDr dh Lor=rk de djuk fcydy vfuok; cu tkrk g] doy rc xj&tekurh okjaV dk tkjh fd;k tkuk pkfg,A

xj&tekurh okjaV dc tkjh fd;k tkuk pkfg,A

52. 0;fDr dk U;k;ky; yku d fy, xj&tekurh okjaV tkjh fd;k tkuk pkfg, tc leu vFkok tekurh okjaV dk bfPNr ifj.kke nu dh lHkkouk ugh gA ;g rc gk ldrk g tc(

- *;g fo'okl djuk ;fDr;Dr g fd 0;fDr LoPNkiod U;k;ky; e mifLFkr ugh gkxk(vFkok*
- *ifyl çkfèkdkjh ml ij leu rkehy dju d fy, 0;fDr dk iku e v{ke g(vFkok*
- *;g ekuk tkrk g fd 0;fDr fdlh dk gkfu igpk,xk ;fn ml rjUr vfHkj{kk e ugh fy;k tkrk gA*

53. tgk rd lHko g] ;fn U;k;ky; dk er g fd U;k;ky; e 0;fDr dk mifLFkr djoku e leu i;kIr gkxk] leu vFkok tekurh okjaV dk çkFkfedrk nh tkuh pkfg,A rF;k d lefpr loh{k.k vkj food d i.k bLreky d fcuk vR;Ur xHkhj ifj.kkek ,o çHkkok tk okjaV tkjh dju ij gkr g d dkj.k okjaV] tekurh vFkok xj&tekurh tkjh ugh fd;k tkuk pkfg,A U;k;ky; dk vR;Ur lkoèkkuhiod ijh{k.k djuk gkxk fd D;k nkfMd ifjokn vFkok çkFkfedh çPNUu gr d lkFk nkf[ky fd;k x;k g ;k ughA

54. ifjokn ekeyk e] igyh ckj] U;k;ky; dk ifjokn dh çfr d lkFk leu rkehy dju dk fun'k nuk pkfg,A ;fn vfHk;Dr leu l cprk çrhr gkrk g] U;k;ky; dk nljh ckj e tekurh okjaV tkjh djuk pkfg,A rhljh ckj e] tc U;k;ky; i.krk lr"V g fd vfHk;Dr vk'k;iod U;k;ky; dh dk;kgh l cp jgk

g] xj&tekurh okjUV tkjh dju dh çfØ;k dk lgkjk fy;k tkuk pkfg,A futh Lor=rk lokifj g] vr% ge U;k;ky;k dk igyh ,o nljh ckj e xj&tekurh okjUV tkjh dju l ijgt dju d fy, lrd djr gA

*55. 'kfDr d Lofoodh gku d ukr vR;Ur lrdrk ,o lkoèkkuh d lkFk U;k;kfpr :i l bldk ç;kx djuk gkxkA U;k;ky; dk okjUV tkjh dju d igy futh Lor=rk ,o lekt d fgr dk lefpr :i l lrfyr djuk pkfg,A okjUV tkjh dju d fy, dkb dBkj Qkeyk ugh gk ldrk g fdr lkekU; fu;e d :i e tc rd vfHk;Dr dk t?kU; vijkèk dh dkfjrk d fy, vkjkfir ugh fd;k tkrk g vkj bldk Hk; g fd mld lk{; d lkFk NMNkM dju vFkok bl fou"V dju dh lHkkouk g vFkok mld fofèk dh çfØ;k l cp fudyu dh lHkkouk g] xj&tekurh okjUV tkjh dju l cpuk pkfg,A***

8. पूर्वोक्त मामले में दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में, बेहतर अधिमूल्यन के लिए, संहिता की धारा 73 जो वारन्ट जारी करने पर विचार करती है के प्रति निर्देश आवश्यक है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

***"èkkjk 73. okj.V fdlh Hkh 0;fDr dk fufn"V gk ldx-**&(1) e[; U;kf;d eftLVV ;k çFke ox eftLVV fdlh fudy Hkkx fl)nk"k] mn?kkf"kr vijkèkh ;k fdlh ,l 0;fDr dh tk fdlh vtekurh; vijkèk d fy, vfHk;Dr g vkj fxj¶rkjh l cp jgk g] fxj¶rkjh dju d fy, okj.V viuh LFkkuh; vfèkdkfjrk d vUnj d fdlh Hkh 0;fDr dk fufn"V dj ldrk gA*

(2) ,l 0;fDr okj.V dh çkfIr dk fyf[kr :i e vfHkLohdkj djxk vkj ;fn og 0;fDr] ft ldh fxj¶rkjh d fy, okj.V tkjh fd;k x;k g] mld Hkkj lkèku d vèkhu fdlh Hkfe ;k vU; lifUk e g ;k ço'k djrk g rk og ml okj.V dk fu"iknu djxkA

*(3) tc og 0;fDr] ft ld fo:) ,lk okj.V tkjh fd;k x;k g] fxj¶rkj dj fy;k tkrk g] rc og okj.V lfgr fudVre ifyl vfèkdkjh d goky dj fn;k tk,xk] tk ;fn èkkjk 71 d vèkhu çfrHkfr ugh yh xb g rk] ml ml ekey e vfèkdkfjrk j[ku oky eftLVV d le{k fHktok,xkA***

9. उक्त धारा के कोरे परिशीलन से, यह प्रतीत होता है कि यह व्यक्तियों की तीन कोटियों अर्थात (i) फरार दोषसिद्ध, (ii) उद्घोषित अपराधी और (iii) व्यक्ति जो गैर जमानती अपराध का अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है पर गिरफ्तारी वारन्ट जारी करने के लिए दंडाधिकारी को कर्तव्य प्रदत्त करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रघुवंश दीवानचंद भसिन बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य (ऊपर)** के मामले में गैर–जमानती वारन्ट के निष्पादन के विवाद्यक पर पैराग्राफ 9 में विचार किया जिसका पठन निम्नलिखित है:–

"9. bl ij 'kk;n gh tkj nu dh vko';drk g pfd xj tekurh okjUV dk fu"iknu 0;fDr dh Lor=rk de djuk vrxLr djrk g] fxj¶rkjh okjUV ;kf=d :i l tkjh ugh fd;k tk ldrk g] cfYd doy ;g lrf"V nt dju d ckn fd ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e] ;g vko';d cu x;k gA U;k;ky;k dk xj&tekurh okjUV tkjh dju dk fun'k nr g, vR;Ur lrd ,o lkoèkku jguk gkxk] ugh rk nk"ki.k fujkèk Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 21 e ifjdfYir loèkkfud vkKk l budkj d rY; gkxkA lkFk gh bll budkj ugh fd;k tk ldrk g fd 0;fDr d dY;k.k lekt d dY;k.k ij vfHkHkkoh gkxkA vr%] fofèk 0;oLFkk cuk, j[ku d fy, vkj lekt e fØ;k'khy lketL; cuk, j[ku d fy, ,d vkj 0;fDr rFkk nljh vkj jkT; d vfèkdkj] Lor=rk ,o fo'k"kkfèkdkj d chp lryu LFkkfir djuk vko';d gA okLro e ;g ,d tfVy dk; gA tlk U;k;efr

*dkjnkt dgr g] ^^,d vkj lkekftd vko';drk g fd vijkèk dk neu djuk gkxkA nljh vkj] lkekftd vko';drk g fd in d vgdkj }kjk fofèk dk mYy?ku ugh fd;k tk,xkA fdlh Hkh fodYi e [krjk gA** pkg tk Hkh gk] U;k;ky; tk ;g fofuf'pr dju d Lofood l ifji.k g fd D;k vfHk;Dr dh mifLFkfr tekurh vFkok xj&tekurh okjUV }kjk lfuf'pr dh tk ldrh g] dk ,d vkj fofèk çoru dh vko';drk vkj nljh vkj fofèk çoru ,tfl;k d gkFkk fujd'krk l ukxfjdk d lj{k.k d chp lryu LFkkfir djuk gA ekey dh luokb dh frfFk ij U;k;ky; e mifLFkr gku e mldh foQyrk ij vfHk;Dr d fo:) lefpr okjUV tkjh dju dh U;k;ky; dh vfèkdkfjrk ,o 'kfDr dk fookfnr ugh fd;k tk ldrk gA fQj Hkh] ,lh 'kfDr dk ç;kx vU; ckrk d lkFk vrxLr vijkèk dh çÑfr ,o xHkhjrk] vfHk;Dr d foxr vkpj.k] mldh vk; rFkk mld Qjkj gku dh lHkkouk dk è;ku e j[k U;k;kfpr :i l vkj u fd eueku :i l djuk gkxkA***

10. प्रकटत:, अवर न्यायालय ने उक्त दो निर्णयों में दी गयी आज्ञाओं पर विचार नहीं किया है और इनका अनुसरण नहीं किया है और अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए बिना गैर जमानती वारन्ट और संहिता की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने के संबंध में कोई कारण दर्शाए बिना अथवा कोई संतुष्टि दर्ज किए बिना यांत्रिक रूप से आदेश पारित किया। अत:, मैं यह अभिनिर्धारित करने के लिए विवश हूँ कि आक्षेपित आदेश द्वारा संहिता की धाराओं 73 एवं 82 के अधीन क्रमश: गैरजमानती वारन्ट एवं उद्घोषणा जारी करने वाले आदेश अपास्त किए जाने के दायी हैं।

11. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका (दांडिक) एतद्द्वारा अनुज्ञात की जाती है। गैरजमानती वारन्ट जारी करने वाले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर के न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.7.2014 का आदेश एवं दिनांक 12.6.2015 का आदेश जिसके द्वारा उद्घोषणा जारी की गयी थी, को एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है। अवर न्यायालय को विधि के अनुरूप अग्रसर होने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; jRukdj Hkxjk] U;k;efr

राजेश कुमार उर्फ देवनंदन प्रसाद गुप्ता एवं एक अन्य

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Criminal Appeal No. 333 of 2000 (R). Decided on 26th June, 2015.

एस॰ टी॰ सं॰ 210 वर्ष 1993 में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 17.8.2000 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 19.8.2000 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 307/34 एवं 353/34—मर्यादा भंग करने का प्रयास एवं हत्या का प्रयास—सामान्य आशय—दोषसिद्धि—अ॰सा॰ के साक्ष्य परस्पर रूप से संपुष्टकारी हैं और इसके अतिरिक्त डॉक्टर के साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किए गए हैं—चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में असंगतता नहीं है—अभियुक्तगण अंतर्ग्रस्त थे और भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 307/34 एवं 353/34 के अधीन अपराधों के दोषी थे—छह गवाह हैं जिन्होंने घटना देखा था जो परिस्थितियों की श्रृंखला जोड़ती है—अपील अनुज्ञात की गयी किंतु दंडादेश पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक घटाया गया। (पैराएँ 12 से 22)

अधिवक्तागण.—Mr. Debarsi Mandal, For the Appellants; Mr. K.K. Mishra, For the State.

रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्ति.—जब मामला सुना गया था, अपीलार्थियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ था। पिछले अवसर पर भी अपीलार्थियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ था। अत:, श्री देवर्षि मंडल को इस न्यायालय की सहायता करने के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

2. यह दांडिक अपील एस॰ टी॰ सं॰ 210 वर्ष 1993 में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 17.8.2000 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 19.8.2000 के दंडादेश के विरूद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा उक्त नामित अपीलार्थियों को दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन दस वर्ष का और भारतीय दंड संहिता की धारा 353/34 के अधीन दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। दोनों दंडादेश समवर्ती रूप से चलेंगे।

3. अपीलार्थीगण भारतीय दंड संहिता की धाराओं 353/307/34 के अधीन अपराध के लिए विचारण का सामना कर रहे हैं।

4. बरही पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को संबोधित बरही पी॰ एस॰ के अधीन पदमा पुलिस चौकी के एस॰ आई॰ श्री अर्जुन राम (अ॰ सा॰ 6) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक अभिकथन यह है कि दिनांक 11.6.1992 को 12.45 बजे अपराह्न में सूचक ने सूचना प्राप्त किया कि कुछ अपराधी बैंक ऑफ इंडिया, बरकागाँव शाखा में डकैती करने के बाद सीमेंट रंग की एम्बैसेडर कार सं॰ DEB 4681 में भाग रहे थे और एस॰ पी॰, हजारीबाग द्वारा अपने चालक एवं निजी सुरक्षा प्रहरी के साथ उनका पीछा किया जा रहा था। सूचना पाने पर, वह अन्य के साथ बरही चौक के निकट पहुँचा। तिलैया जाने की ओर सड़क पर उन्होंने उक्त कार को आगे जाते देखा और इसलिए उन्होंने कार को बीच में रोकने का प्रयास किया और इस बीच कार से दो अभियुक्तों ने उन पर गोली चलाया। उन्होंने भी उन पर गोली चलाया और अपराधियों की कार के निकट पहुँचे। तत्पश्चात्, दो अपराधी पश्चिम की ओर भागने लगे। एस॰ पी॰ हजारीबाग के सुरक्षा प्रहरी और चालक ने उनका पीछा किया। ज्योंही एस॰ पी॰ कार के बाएँ दरवाजा के निकट पहुँचे, एक अभियुक्त ने दरवाजा से उनको धक्का दिया और उनपर गोली चलायी जिसके परिणामस्वरूप एस॰ पी॰ जमीन पर गिर गए, यह देखकर, सूचक कार के बाएँ दरवाजा के निकट पहुँचा और एस॰ पी॰ ने अभियुक्तों पर गोली चलायी जिनमें से दो को गोली लगी और वे जमीन पर गिर गए और सूचक ने एक अभियुक्त को पकड़ लिया। कुछ समय बाद दोनों घायल अभियुक्तों की वहाँ मृत्यु हो गयी। एस॰ पी॰ का चालक एवं सुरक्षा प्रहरी वापस आए और रिपोर्ट किया कि अभियुक्तों को पकड़ा नहीं जा सका था। पकड़े गए अभियुक्त ने अपना नाम राजेश बताया उसने दो मृत अभियुक्तों का नाम भी अशोक सिंह एवं राम प्रवेश सिंह बताया। उसने दो भाग गए अभियुक्तों का नाम भी राजनंदन प्रसाद एवं श्रवण प्रसाद बताया। कार से लूटा गया धन बरामद किया गया था। तलाशी पर राजेश कुमार ने कब्जा से और दो मृत अभियुक्तों के कब्जा से आग्नेयास्त्र एवं कारतूस भी बरामद किया गया था और अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी। सूचना के आधार पर उनके विरूद्ध मामला संस्थित किया गया था और अन्वेषण के दौरान अभियुक्त श्रवण कुमार गिरफ्तार किया गया था।

5. इस मामले में कुल 12 गवाहों का परीक्षण किया गया है। विचारण के दौरान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों का परीक्षण किया गया है और उन्होंने अपने विरूद्ध लगाए गए अभिकथनों से इनकार किया। उन्होंने कोई सकारात्मक बचाव नहीं किया है।

6. इस मामले के सूचक का परीक्षण अ॰ सा॰ 6 के रूप में किया गया है। उसने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 11.6.1992 को अपराह्न लगभग 12.55 बजे जब वह सूचना कि डकैत

बैंक ऑफ इंडिया, बरकागाँव शाखा में डकैती करने के बाद एमबैसडर कार में भाग रहे थे, पाने के बाद एस० पी० हजारीबाग के साथ जा रहा था और जब वे अपराह्न 1 बजे बरही चौक के निकट पहुँचे, उन्होंने कार सं० DEB 4681 को तिलैया सड़क पर आगे जाते देखा। उन्होंने उक्त कार को बीच रास्ते में पकड़ लिया। तत्पश्चात, दो अभियुक्तों ने उनपर गोली चलायी किंतु उन्हें गोली नहीं लगी जिस पर उन्होंने भी गोली चलायी। कार का दरवाजा खोलकर दो अभियुक्तगण भागने लगे। इस बीच एक अभियुक्त ने एस० पी० पर गोली चलायी जिससे एस० पी० जमीन पर गिर गए। उन्होंने भी अभियुक्तों पर गोली चलायी, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से दो को उपहति आयी और जमीन पर गिर गए और तत्पश्चात उनकी मृत्यु हो गयी। एक अपराधी को पिस्तौल एवं कारतूस के साथ पकड़ा गया था। तलाशी करने पर उसके कब्जा से .315 बोर का 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया था। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि पकड़े गए अभियुक्त ने दो अन्य मृतक अभियुक्तों एवं दो भाग गए अभियुक्तों का नाम प्रकट किया था। तलाशी पर कार से लूटा गया धन बरामद किया गया था। मृतक अभियुक्तों के कब्जा से दो पिस्तौल एवं इस्तेमाल किए गए कारतूस भी बरामद किए गए थे और अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी। उसने प्रदर्श 2 एवं प्रदर्श 1 सिद्ध किया है। उसने कठघरे में दोनों अभियुक्तों को पहचाना। प्रतिपरीक्षण में, उससे घटना एवं इसके तरीके के संबंध में अनेक प्रश्न पूछे गए थे और उसके अभिसाक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी बिंदु पर उस पर अविश्वास करने का कारण नहीं है। वह परीक्षा पर खरा उतरा और उसके साक्ष्य से यह स्थापित किया गया है कि अभियुक्तगण राजेश कुमार एवं श्रवण कुमार ने मृत अभियुक्तों एवं फरार अभियुक्तों के साथ घटना में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

7. अ० सा० 6 सूचक का साक्ष्य अ० सा० 2 द्वारा संपुष्ट किया गया है जो एस० पी०, हजारीबाग के स्टाफ कार चालक था। उसने भी अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 11.6.1992 को बैंक में डकैती के बारे में सूचना पाने पर वह एस० पी० हजारीबाग के साथ खिरगाँव मोड़ की ओर गया और वहाँ से उसे जानकारी मिली कि एक एमबैसडर कार हजारीबाग की ओर जा रही थी, अत:, हजारीबाग की ओर अग्रसर हुआ और कार का पीछा करने के क्रम में वह बरही चौक पहुँचा और उक्त कार को आगे जाते पाया। कार को बीच रास्ते पकड़ा गया था और उस कार से दो अपराधी पश्चिम की ओर भागने लगे जिनका पीछा उसके और एस० पी० के सुरक्षा प्रहरी द्वारा किया गया था किंतु उन्हें पकड़ा नहीं जा सका था। जब वे वापस लौटे, उन्होंने कार से 106080/- रुपया बरामद किया और अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी।

8. अ० सा० 3 एस० पी० हजारीबाग का सुरक्षा प्रहरी है। उसने अ० सा० 2 का साक्ष्य संपुष्ट किया है। प्रतिपरीक्षण में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि गिरफ्तार अभियुक्त ने स्वयं को उस कार का चालक बताया था। यह सत्य है कि वह यह कहने में अक्षम था कि क्या अभियुक्त के कब्जा से कोई वस्तु बरामद किया गया था किंतु यह उसको अविश्वसनीय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

9. अ० सा० 4 को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है क्योंकि वह अपने पूर्व बयान से मुकर गया था। अपने अभिसाक्ष्य में उसने स्वीकार किया था कि वह पुलिस बल का चालक था। किंतु यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि पुलिस स्टाफ ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है विशेषत: जब वह घटना स्थल पर उपस्थित था जैसा उसके द्वारा स्वीकार किया गया है। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि वह अभियुक्तों के साथ साँठ-गाँठ किए था। अ० सा० 5 ने अपने समक्ष तैयार किए गए मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट को सिद्ध किया है।

10. अ० सा० 1 डॉक्टर है जिन्होंने मृत अपराधी के मृत शरीर का शव परीक्षण किया था और पाया था कि दोनों मृतकों की मृत्यु गोली लगने से हुई उपहति से कारित हुई थी। उसने प्रदर्श 1 एवं 1/1 को

सिद्ध किया। बचाव विवरण का समर्थन करने के लिए उसके अभिसाक्ष्य में कुछ भी नहीं है और उसने अभियोजन मामले को संपुष्ट भी किया है कि मुठभेड़ में गोली लगने से मृतक की मृत्यु हुई।

11. अ० सा० 9 एवं 10 अभिग्रहण गवाह हैं जिन्होंने अभिग्रहण सूची प्रदर्श 1/2 एवं 2/1) पर अपने हस्ताक्षरों को सिद्ध किया है।

12. अ० सा० 11 ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया कि लगभग 7 वर्ष पहले जब वह बरही चौक में था, उसने गोली की आवाज सुनी और तब वहाँ गया। एस० पी० हजारीबाग और अन्य पुलिस अधिकारी वहाँ थे और दो अपराधी वहाँ मृत पड़े थे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के अधीन उसका प्रतिपरीक्षण किया गया है क्योंकि वह पुलिस के समक्ष दिए गए अपने पूर्व बयान से मुकर गया था कि उसने घटना देखा था जिसमें अपराधियों ने एस० पी० पर गोली चलाया था। दो अपराधियों की मुठभेड़ में मृत्यु हो गयी थी, दो भाग गए थे और एक को पकड़ा गया था और अंत में कार से धन बरामद किया गया था। उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि वह अभियुक्तों के साथ साँठ-गाँठ किए था।

13. अ० सा० 7 रविन्द्र कुमार सिंह एस० पी० हजारीबाग हैं। उन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया कि जब वह हजारीबाग में एस० पी० के रूप में पदस्थापित थे, दिनांक 11.6.1992 को उन्होंने टेलीफोन पर सूचना पाया कि कुछ अपराधी बैंक ऑफ इंडिया बरकागाँव शाखा में डकैती करने के बाद एमबैसडर कार में भाग रहे थे और इसलिए वह अपने निजी सुरक्षा प्रहरी एवं स्टाफ के चालक के साथ बरकागाँव की ओर गए। किंतु बरकागाँव जाने के रास्ते में उन्हें प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचित किया गया था कि अपराधी हजारीबाग की ओर जा रहे थे, अत: वह वहाँ से लौटे और तब उन्होंने पुलिस बल को वायरलेस पर चौकन्ना रहने की सूचना दी और बरही की ओर गए। जब वह पदमा पेट्रोल पंप के निकट पहुँचे, वह इटखोरी की ओर जाना चाहते थे किंतु उन्होंने इटखोरी की ओर जाने वाले कार के टायर का संकेत नहीं पाया था, अत: वह बरही की ओर गए और बरही में उन्होंने सीमेंट रंग की एमबैसडर कार को तिलैया की ओर जाते पाया जिसे बीच रास्ते पकड़ा गया था और सड़क पर रोका गया था। ज्योंही वह वहाँ पहुँचे, दो अपराधी कार से बाहर आए और उनपर गोली चलाया। उन्होंने भी गोली चलाया और जब दो अपराधियों ने भागने का प्रयास किया, उनके चालक एवं सुरक्षा प्रहरी उनका पीछा करने लगे। इस बीच, वह उक्त कार के दरवाजे के निकट पहुँचे और एक अपराधी ने कार के दरवाजा से उनको धक्का दिया और उनपर गोली चलाया किंतु, वह गिर गए और गोली चलाने लगे। पुन: दो अपराधियों ने कार के पीछे से उन पर गोली चलाया। इस बीच, अर्जुन राम ने वहाँ से भागते एक अपराधी का पीछा किया और उसको पकड़ा। उसने अपना नाम राजेश कुमार बताया। उसके कब्जा से आग्नेयास्त्र और कारतूस तथा कार से 1,06,080/- रुपया बरामद किया गया था। अभिसाक्ष्य में आगे कथन किया गया है कि जवाब में गोली चलाने से दो अपराधियों की मृत्यु हो गयी जिनका नाम राम प्रवेश सिंह एवं अशोक सिंह बताया गया था और दो अन्य भाग गए थे जिनका नाम उसे याद नहीं था। इस गवाह के प्रतिपरीक्षण में अनेक प्रश्न पूछे गए थे और वह संतोषजनक रूप से उनका उत्तर देता प्रतीत होता है और प्राख्यान किया कि उसे कोई उपहति नहीं आयी थी, यद्यपि उसकी मांसपेशी में कुछ दर्द था।

14. हजारीबाग में पदस्थापित न्यायिक दंडाधिकारी श्री डी० एस० मिश्रा अ० सा० 8 ने कथन किया कि उन्होंने मामले के संदिग्ध व्यक्तियों और गवाहों का टी० आई० पी० किया था और उसने अपराधियों को पहचाना था। उन्होंने प्रदर्श 2 सिद्ध किया। उनके अभिसाक्ष्य में यह प्रतीत होता है कि उन पर अविश्वास करने का कारण नहीं है।

15. अ॰ सा॰ 12 बरही पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी है। उसने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया कि अपराह्न 1.45 बजे सूचना पाने पर कि पुलिस एवं अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुआ था, उसने स्टेशन डायरी में दिनांक 11.6.1992 का प्रविष्टि सं॰ 246 किया और एस॰ आई॰ बृजनंदन सिंह एवं ए॰ एस॰ आई॰ श्री नारायण तिवारी के साथ अग्रसर हुआ। उसने अपराधियों की तलाश में सहायता दिया और तब उसने लिखित रिपोर्ट, अभिग्रहण सूची, जब्त वस्तुओं को प्राप्त किया और पुलिस थाना में मामला बरही पी॰ एस॰ केस सं॰ 105 वर्ष 1992 के रूप में दर्ज किया और अन्वेषण शुरू किया। अन्वेषण के दौरान वह घटना स्थल पर गया। उसने सूचक, एस॰ पी॰ एवं अन्य अपराधियों सहित गवाहों का बयान दर्ज किया और कुछ समय बाद अभियुक्त का बयान दर्ज किया और आरोप-पत्र दाखिल किया। उसने अपने साक्ष्य में कथन किया कि मन्नन वारसी ने उसके समक्ष अभिसाक्ष्य दिया था कि वह घटना का चश्मदीद गवाह था और कि उसने अभियुक्तों को पहचाना था। उसके प्रति परीक्षण में उस पर अविश्वास करने योग्य कुछ नहीं है और कोई असंगतता नहीं है।

16. अभिलेख एवं प्रकट तथ्यों तथा परिस्थितियों का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण राजेश कुमार उर्फ देवनंदन प्रसाद गुप्ता एवं श्रवण कुमार उर्फ श्रवण प्रसाद अंतर्ग्रस्त थे और भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 एवं धारा 353/34 के अधीन अपराध के दोषी थे और अवर न्यायालय उनको दोषसिद्धि करने में सही था।

17. कुल छह गवाह हैं जिन्होंने घटना अथवा घटना का भाग देखा था और इस प्रकार परिस्थितियों की श्रृंखला को जोड़ा।

18. ये गवाह अ॰ सा॰ 6 अर्जुन राम, अ॰ सा॰ 2 मो॰ शहाबुद्दीन, अ॰ सा॰ 3 हरिनारायण सिंह, अ॰ सा॰ 7 रबिन्द्र कुमार सिंह एवं अ॰ सा॰ 12 बिरेन्द्र प्रसाद यादव हैं।

19. वस्तुतः अ॰ सा॰ 6 का साक्ष्य अ॰ सा॰ 2 द्वारा संपुष्ट किया गया है और अ॰ सा॰ 2 का साक्ष्य अ॰ सा॰ 3 द्वारा संपुष्ट किया गया है। अतः अपराध एवं वर्तमान दो अभियुक्तों का दोष स्थापित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य एवं साक्ष्य का संपुष्टिकरण है। अ॰ सा॰ 1 जो डॉक्टर हैं का साक्ष्य केवल यह संपुष्ट करता है कि गोली लगने से हुई उपहति के कारण दो अपराधियों की मृत्यु हुई थी जो अ॰ सा॰1 के साक्ष्य के संपुष्टिकरण की ओर ले जाएगा।

20. 1,06,080/- रुपया बरामद किए गए लूटे धन का भाग था जो डकैती का अभिकथन सिद्ध करता है, जिसके बाद मुठभेड़ हुआ था और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307/34 एवं 353/34 के अधीन अपराध बनता है।

21. इस प्रकार, मामले का परिशीलन करने पर और अभिलेख तथा पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर यह निष्कर्षित किया जाता है कि अभियुक्तों राजेश कुमार एवं श्रवण कुमार को अवर न्यायालय द्वारा सही प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307/353/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है। अतः यह अपील अननुज्ञात की जाती है। यह भी उपदर्शित किया गया है कि अपीलार्थीगण गरीब व्यक्ति हैं और लगभग नौ वर्षों से अभिरक्षा में हैं।

22. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलार्थियों ने लगभग नौ वर्ष अभिरक्षा में बिताया है और विचारण की कठोरता को भुगता है, दंडादेश उपांतरित किया जाता है। दंडादेश उस अवधि की सीमा तक होगा जिसे उन्होंने पहले ही भुगता है। मामले के अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अपीलार्थीगण अभी भी जमानत पर हैं अथवा वे अभी भी अभिरक्षा में हैं। चूँकि दंडादेश उपांतरित किया जा रहा है, अवर न्यायालय को यह सत्यापित करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या अपीलार्थीगण अभिरक्षा में हैं

या नहीं। तद्नुसार, निर्मुक्ति आदेश जारी करने के लिए, यदि वे अभिरक्षा में हैं अथवा वे जमानत पर हैं, उन्हें एतद् द्वारा उनके जमानत बंधपत्रों के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

23. तद्नुसार, यह अपील निपटायी जाती है।

---

ekuuh; jRukdj Hkxjk] U;k;efr

जुग्गु ओराँव

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal No. 636 of 2002. Decided on 23rd September, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 295 वर्ष 2000 में श्री विलियम मिन्ज, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 11.9.2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 18.9.2002 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 363, 498 एवं 376—अपहरण, फुसलाना एवं बलात्कार—दोषसिद्धि—पीड़ित महिला वयस्क है और उसकी सहमति वैध सहमति होगी—दोनों परिपक्व व्यक्ति हैं और पीड़ित महिला एवं आई॰ ओ॰ द्वारा दिए गए बयान पूर्व अंतरंग संबंध उपदर्शित करते हैं जो अभी भी जारी था और वह स्वेच्छापूर्वक अभियुक्त के साथ रही थी—अभियुक्त दोषमुक्त। (पैराएँ 27 से 30)

निर्णयज विधि.—(1982)2 SCC 538; (2010)1 SCC 742—Relied.

अधिवक्तागण.—Mrs. Rashmi Kumari, For the Appellant; Mr. Mukesh Kumar, For the State.

रत्नाकर भेंगरा, न्यायमूर्ति.—यह दांडिक अपील एस॰ टी॰ सं॰ 295 वर्ष 2000 में विद्वान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 11.9.2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 18.9.2002 के दंडादेश के विरूद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा उक्त नामित अपीलार्थी को दोषी पाया गया है और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363/498/376 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अधीन तीन वर्ष कठोर कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अधीन दो वर्ष का कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन पाँच वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। समस्त दंडादेश स्वतंत्र रूप से चलेंगे।

2. श्री झिंगन साव जो इस मामले का सूचक है के फर्दबयान के मुताबिक दिनांक 18.5.2000 के बी॰ एस॰ सिटी केस सं॰ 172 वर्ष 2000 के प्रभारी अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363/366A/498/34 के अधीन दर्ज अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि लगभग 16 वर्षीय उक्त पीड़िता जो सोनाटांड आदर्श उच्च विद्यालय, पी॰ एस॰ बी॰ एस॰ सिटी के सामने रहती है का विवाह अमरजीत साव के साथ हुआ था और विवाहोपरांत वह अपनी माता की सेवा करने के लिए अपने माएके वापस आयी। दिनांक 16.5.2000 को अपराह्न 7 बजे पीड़िता दैनिक कर्म से निबटने अपने घर के बाहर गयी। इस बीच, सूचक भी अपने घर के बाहर गया और जुग्गु ओराँव को चरित्तर साव की दुकान के निकट खड़ा दिखा। दैनिक कर्म से निबटने के बाद जब वह खड्ढे की ओर गयी थी, अभियुक्त जुग्गु ओराँव भी खड्ढे की ओर गया और बीच रास्ते उसको पकड़ा और उसे डराकर अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। इस बीच, अरविन्द शर्मा एवं प्रताप शर्मा खड्ढे की ओर गए। आगे यह अभिकथित किया गया

है कि जब पीड़िता एक घंटे बाद भी घर नहीं लौटी, तब सूचक पड़ोसियों के साथ पीड़िता की तलाश करने लगा किंतु, उसका पता नहीं था। सूचक ने आगे जुग्गु ओराँव, अरविंद शर्मा एवं प्रताश शर्मा को उनके घरों में खोजा किंतु उन्हें भी उनके घरों में नहीं पाया गया था और अंतत: पूर्वोक्त धाराओं के अधीन अभियुक्तों के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया था। अन्वेषण के बाद आई॰ ओ॰ ने अभियुक्त अपीलार्थी एवं अन्य के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363/366A/498/376/34 के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया और अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया था।

3. विद्वान विचारण न्यायालय के संप्रेक्षण के मुताबिक, अभियोजन ने कुल सात गवाहों अर्थात अ॰ सा॰ 1 चरितर साव, अ॰ सा॰ 2 राम बदन यादव, अ॰ सा॰ 3 रामेश्वर राम (आई॰ ओ॰), अ॰ सा॰ 4 हरिहर साव, बी॰ एस॰ एल॰ कर्मचारी, अ॰ सा॰ 5 डॉ॰ मैथिली ठाकुर, एम॰ ओ॰, अ॰ सा॰ 6 पीड़िता एवं अ॰ सा॰ 7 झिंगन साव (सूचक) का परिक्षण किया था।

4. अ॰ सा॰ 1 चरित्तर साव एवं अ॰ सा॰ 2 राम बदन यादव दोनों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है जिन्होंने कथन किया है कि वे घटना के बारे में नहीं जानते हैं। प्रतिपरीक्षण में कोई सामग्री नहीं है।

5. अ॰ सा॰ 6 इस मामले की पीड़िता है जिसने कथन किया है कि घटना लगभग दो वर्ष पहले हुई थी। घटना की अभिकथित तिथि पर अपराह्न लगभग 7/8 बजे वह दैनिक कर्म से निबटने जा रही थी। दैनिक कर्म से निबटने के बाद जब वह घर लौट रही थी, तब जुग्गु ओराँव ने उसे बीच रास्ते में पकड़ा और डरा कर अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। वह भय के कारण जुग्गु ओराँव के साथ गयी जो उसे नया मोड़ की ओर ले गया जहाँ से वह उसको टेम्पो पर अज्ञात स्थान में झोपड़ी में ले गया। उसने 10-12 दिन तक उसे झोपड़ी में निरूद्ध किया और उस अवधि के दौरान उसका बलात्कार किया। तत्पश्चात पुलिस ने उसे छुड़ाया और जुग्गु ओराँव को गिरफ्तार किया। उसे चिकित्सीय इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था और तत्पश्चात उसे सुधार गृह, देवघर भेजा गया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि जुग्गु ओराँव ने विवाह के प्रयोजन से उसका अपहरण किया था और उसने उससे कहा कि वह उससे विवाह नहीं कर सकती थी क्योंकि वह पहले से ही एक अन्य व्यक्ति से विवाहित थी। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि उसने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दंडाधिकारी के समक्ष अपना बयान दिया था और संपूर्ण घटना का कथन किया था। उसे लगभग 12 दिनों के लिए झोपड़ी में निरूद्ध किया गया था और जुग्गु ओराँव उसके लिए भोजन लाता था। वह दैनिक कर्म से निबटने अकेले झोपड़ी से बाहर जाती थी। जब पुलिस ने उसे बरामद किया, उसने अपने चाचा के साथ जाने से इनकार नहीं किया था। किंतु न्यायालय ने उसे सुधार गृह, देवघर भेजा और वह वहाँ 5-6 माह तक थी। उसका विवाह एक अन्य व्यक्ति के साथ वर्ष 1999 में हुआ था और वह छह माह तक अपने दांपत्य गृह में रही। उसे याद नहीं है कि क्या जुग्गु ओराँव के साथ जाती थी जब वह दैनिक कर्म से निबटने अथवा भोजन लाने जाता था। उसने पुलिस के समक्ष कभी नहीं कहा कि उसका अपने विवाह के 4-5 वर्ष पहले जुग्गु ओराँव के साथ प्रेम प्रसंग था। वह 12 दिनों के लिए सेक्टर IV में झोपड़ी में थी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि जुग्गु ओराँव ने उसे सड़क पर अवरूद्ध किया था और उसने शोर किया था और उसने उसे डाँटा था।

6. अ॰ सा॰ 7 झिंगन साव (सूचक), पीड़ित युवती का पिता, ने कथन किया है कि दिनांक 16.5.2000 को अपराह्न लगभग 7 बजे वह अपने घर में उपस्थित था और उसकी पुत्री/पीड़िता दैनिक कर्म से निबटने घर के बाहर गयी थी। पीड़िता दक्षिण की ओर खड्ढे में गयी और जुग्गु ओराँव चरित्तर साव की दुकान के निकट खड़ा था और कुछ समय बाद जुग्गु ओरावँ खड्ढे की ओर गया। कुछ समय बाद दोनों अभियुक्त अरविन्द शर्मा एवं प्रताप शर्मा भी चरित्रर साव की दुकान पर आए और वे दोनों भी खड्ढे की ओर गए जहाँ जुग्गु ओराँव एवं उसकी पुत्री गए थे। उसकी पुत्री/पीड़िता एक घंटे बाद तक

घर नहीं लौटी थी और उसने उसका तलाश किया किंतु उसका पता नहीं था। पुनः, उसने मुहल्ला में अपनी पुत्री का तलाश किया और अगले दिन भी उसने उसका तलाश किया, किंतु उसका पता नहीं था। तत्पश्चात्, उसने अपनी पुत्री के गायब होने के बारे में अपने भाई हरिहर साव (अ॰ सा॰ 4) को सूचित किया और अपनी पुत्री की तलाश करना जारी रखा। अंततः दिनांक 18.5.2000 को उसने प्राथमिकी दर्ज किया। उसने टंकित रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 4 के रूप में चिन्हित किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफों 12 एवं 15 में उसने उत्तर दिया है कि अपराह्न लगभग 7 बजे अंधेरा था। एक घंटे बाद जब पीड़िता घर नहीं लौटी थी, वह उसकी तलाश में गया। वह आगे जुग्गु ओराँव, अरविन्द शर्मा एवं प्रताप शर्मा के घर गया। उसने घटना के बारे में पुलिस कैंप में पुलिस को सूचित नहीं किया था क्योंकि पुलिस वहाँ नहीं थी। संदेह पर वह जुग्गु ओराँव के घर गया था किंतु उसके पिता ने उसको कुछ भी नहीं कहा था। अंत में, अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 21 में उसने उत्तर दिया है कि प्राथमिकी दर्ज करने के 12 दिनों बाद उसकी पुत्री को बरामद किया गया है।

7. पीड़ित युवती के चाचा हरिहर साव अ॰ सा॰ 4 ने कथन किया है कि झिंगन साव उसका छोटा भाई है और उसने दिनांक 16.5.2000 के शाम 6 बजे अभियुक्तगण जुग्गु ओराँव, अरविन्द शर्मा एवं प्रताप शर्मा द्वारा पीड़िता के अपहरण के बारे में इस मामले को दर्ज किया है। उसने कथन किया कि उसे दिनांक 17.5.2000 को सूचक द्वारा सूचित किया गया था और उसने पीड़िता का तलाश किया और दिनांक 18.5.2000 को संबंधित पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज किया। उसने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 एवं 7 में कथन किया कि पीड़िता का विवाह दिनांक 11.5.1999 को हुआ था। वह दिनांक 18.5.2000 को बी॰ एस॰ सिटी पी॰ एस॰ गया था और पीड़िता की बरामदगी पर पुलिस ने पुलिस थाना में उसका बयान दर्ज किया था। वह पीड़िता एवं जुग्गु ओराँव के बीच प्रेम प्रसंग के बारे में नहीं जानता है।

8. अ॰ सा॰ 5 डॉ॰ मैथिली ठाकुर ने कथन किया है कि दिनांक 2.6.2000 को वह राज्य डिस्पेंसरी, सेक्टर '1' बी॰ एस॰ सिटी में चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थापित है और उसी दिन उसने सोना टांड आदर्श उच्च विद्यालय, पी॰ एस॰ बी॰ एस॰ सिटी, जिला बोकारो के निवासी झिंगन साव की पुत्री/ पीड़िता का परीक्षण किया और निम्नलिखित पायाः–

(i) pky lkeku; gA l?k"k dk ldr ugh g vFkkr pgj] xnu] Nkrh] ckg] tk?k d vn:uh Hkkx vkj ;kfu e ,o bn fxn [kjkp] vkfn ugh gA

(ii) f}rh; ;ku pfj= lfodflr Fkk] nkrk dh x.kuk 32 FkhA

(iii) ;kfu e gk;eu vuifLFkr g vkj nk <hyh mxfy;k io'k gk tkrh gA xHkk'k; lkeku; vkdkj dk gA ;kfu e ,o bn fxn dkb fMLpkt@lhØ'ku vFkok [ku ,o ckg; inkFk ugh gA

9. डॉक्टर ने मत दिया कि संघर्ष का निशान मौजूद नहीं है। योनि स्वाब रिपोर्ट–वीर्य नहीं देखा गया है, अतः बलात्कार का चिन्ह नहीं है। एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार, आयु 17-18 वर्ष प्रतीत होती है। उन्होंने अपने हस्तलेखन में चिकित्सा रिपोर्ट सिद्ध किया है जिसे प्रदर्श 3 चिन्हित किया गया है।

10. अ॰ सा॰ 3 रामेश्वर राम (एस॰ आई॰) आई॰ ओ॰ ने कथन किया है कि दिनांक 18.5.2000 को वह बी॰ एस॰ सिटी पी॰ एस॰ में पदस्थापित था और उसे बी॰ एस॰ सिटी पी॰ एस॰ के इंसपेक्टर–सह–प्रभारी अधिकारी रामाशीष राउत से इस मामले का अन्वेषण सौंपा गया था। उसने दिनांक 18.5.2000 को सूचक का बयान दर्ज किया और सूचक के साथ घटना स्थल का दौरा किया। घटना स्थल सोना टांड पुलिस पिकेट से 50 गज दक्षिण है और पूरब दिशा में सूचक का घर है। उसने सोना टांड में गवाहों आशा देवी, पत्नी झिंगन साव और सुदामा साह के पुत्र मंटोश कुमार का बयान दर्ज किया। सोना टांड के राम चंद्र साव के

पुत्र चरित्तर साव एवं समस्त ने प्राथमिकी के विवरण का समर्थन किया है। उसने अभियुक्तों को खोजा और दिनांक 19.5.2000 को प्रताप शर्मा उर्फ प्रताप कुमार यादव को गिरफ्तार किया। उसे अभियुक्त प्रताप शर्मा से जानकारी हुई कि जुग्गु ओराँव ने पीड़िता का अपहरण किया था। उसने जुग्गु ओराँव का तलाश किया किंतु कोई सुराग नहीं पा सका था। तत्पश्चात उसने सेक्टर IV की झोपड़ी पर छापा मारा और पीड़िता को बरामद किया और अभियुक्त जुग्गु ओराँव भाग गया। उसने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करवाया और चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त किया। उसने घटनास्थल पर दिनांक 30.5.2000 को पीड़िता का बयान दर्ज किया। उसने दिनांक 30.5.2000 को जुग्गु ओराँव को गिरफ्तार किया और दिनांक 31.5.2000 को उसे कारा भेजा। उसने दिनांक 1.6.2000 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन पीड़िता का बयान दर्ज करवाया। उसने जुग्गु ओराँव एवं प्रताप शर्मा के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाया और उनके विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। उसने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 15 एवं 18 में उत्तर दिया कि उसने पीड़िता का बयान दर्ज किया था और उसने बताया कि वह विवाह के पहले अभियुक्त जुग्गु ओराँव के साथ प्रेम करती थी। उसने आगे उसे बताया कि जुग्गु ओराँव ने उसे साथ चलने के लिए कहा और वह उसके साथ गयी। पीड़िता ने जुग्गु ओराँव एवं प्रताप कुमार यादव के विरूद्ध परिवाद किया। जुग्गु ओराँव ने 20 बार उसके साथ यौन संभोग किया था और उसका उसके साथ प्रेम प्रसंग था। दिनांक 16.5.2000 को सूचक ने पुलिस थाना में रिपोर्ट नहीं किया है।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वप्रथम यह कथन करके उसके मामले का बचाव किया है कि कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि पीड़िता सहमतिपूर्ण पक्ष थी और जो कुछ भी हुआ, वह दो सहमतिपूर्ण वयस्क व्यक्तियों के बीच हुआ था, अत: भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 376 एवं 498 के अधीन मामला बनाया एवं संपोषित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उसे किसी एकांत स्थान से नहीं ले जाया गया था और एकांत स्थान में नहीं रखा गया था। वह वहाँ पूर्णत: परिरूद्ध नहीं थी। वह शौच के लिए जाती थी और जुग्गु ओराँव उसके लिए भोजन लाता था और कि किसी स्वतंत्र गवाह ने उसके मामले का समर्थन नहीं किया और कुछ पक्षद्रोही हो गए थे।

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दिए गए दिनांक 1.6.2000 के बयान में अ॰ सा॰ 6 पीड़िता ने कथन किया है कि अपने विवाह के चार-पाँच वर्ष पहले वह जुग्गु ओराँव के साथ प्रेम करती थी। कि दिनांक 16.5.2000 को जुग्गु ओराँव ने उसे सड़क पर बुलाया था और अपने साथ सेक्टर IV चलने के लिए कहा था जिसके लिए वह सहमत हो गयी। जुग्गु ओराँव अकेला था और वे दोनों सेक्टर IV में एक झोपड़ी में गए। वे लगभग 10-12 दिन झोपड़ी में रहे और उस समय के दौरान जुग्गु ओराँव ने बीस बार उसके साथ यौन संभोग किया होगा। जुग्गु ओराँव जानता था कि वह विवाहित थी। विवाह के पहले भी जुग्गु ओराँव ने उसके साथ यौन संभोग किया था। अत: दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दिए गए इस बयान से बिल्कुल स्पष्ट है कि चार-पाँच वर्ष पहले भी अ॰ सा॰ 6 (पीड़िता) एवं जुग्गु ओराँव के बीच यौन संबंध था। अ॰ सा॰ 6 का विवाह किसी के साथ हुआ था और उसके बयान से यह स्पष्ट है कि अ॰ सा॰ 6 और जुग्गु ओराँव न केवल मैत्रीपूर्ण संबंध में थे बल्कि अंतरंग संबंध भी था, इतना ज्यादा कि वह निवेदन करती है कि उसने स्वेच्छापूर्वक 10-12 दिनों में 20 बार जुग्गु ओराँव के साथ संभोग किया था।

13. इसके विरूद्ध, यद्यपि वह न्यायालय के कठघरे में अभियुक्त के साथ किसी संबंध को नकारती प्रतीत होती है, फिर भी उसके आचरण से वह जुग्गु ओराँव के साथ जाने में स्वैच्छिक एवं सहमतिपूर्ण पक्ष प्रतीत होती है। झोपड़ी जहाँ वे रूके थे एकांत स्थान प्रतीत नहीं होता है और वह सुबह शाम शौचालय जाती थी और यह प्रतीत होता है कि जुग्गु ओराँव कहीं से उसके लिए भोजन लाता था, अत: उसके पास भागने का पर्याप्त अवसर था किंतु वह वहाँ रूकी रही और उसे बरामद किया गया था।

14. तब अ॰ सा॰ 3 अर्थात रामेश्वर राम सब इंसपेक्टर जो इस मामले का अन्वेषण अधिकारी (आई॰ ओ॰) था ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 15 एवं 18 में जुग्गु ओरावँ एवं पीड़िता के संबंध अथवा पूर्व संबंध के बारे में दर्ज किया है। उसने बताया कि वह विवाह के पहले जुग्गु ओराँव से प्रेम करती थी। कि उसने आगे बताया कि जुग्गु ओराँव ने उसे सेक्टर IV चलने के लिए कहा था और वह स्वेच्छापूर्वक गयी थी। उसने यह भी बताया कि जुग्गु ओराँव ने 20 बार उसके साथ संभोग किया था और उसका उसके साथ प्रेम प्रसंग था।

15. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498 के अधीन अपराध नहीं बनता है क्योंकि वह जुग्गु ओराँव के साथ विवाहित नहीं थी। भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363 एवं 376 के अधीन अपराध भी नहीं बनता है क्योंकि विवाह के पहले संबंध विद्यमान था। वह स्वेच्छापूर्वक जुग्गु ओराँव के साथ गयी थी और विवाह के बाद भी अंतरंग संबंध जारी रहा।

16. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्राख्यान भी किया है कि वस्तुतः किसी स्वतंत्र गवाह ने उसके मामले का समर्थन नहीं किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अ॰ सा॰ 5 या डॉक्टर का पीड़ित महिला का परीक्षण भी इंगित किया है और प्राख्यान किया है कि यह भी अभिकथित बलात्कार का समर्थन अथवा संपुष्टि नहीं करता है। पीड़ित की चाल सामान्य थी और उसके शरीर पर खरोंच का निशान नहीं था, अतः संघर्ष नहीं था। डॉक्टर ने मत दिया था कि बलात्कार नहीं किया गया था।

17. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पीड़ित महिला अ॰ सा॰ 6 ने अपने साक्ष्य में अभियोजन का समर्थन किया था और कुछ लघु अंतर था। इसके अतिरिक्ति, पीड़िता के पिता अ॰ सा॰ 7 और उसके चाचा अ॰ सा॰ 4 ने भी अपने साक्ष्य में अभियोजन का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त, पीड़ित महिला को झोपड़ी अथवा अभिकथित अभियुक्त के स्थान से बरामद किया गया था जो अपराध में उसकी अंतर्ग्रस्तता सिद्ध करता है।

<u>निष्कर्षः</u>

18. तर्कों को सुनने, अभिलेख का परिशीलन करने और तथ्यों एवं परिस्थितियों का मूल्यांकन करने पर कतिपय बिन्दु सामने आते हैं। कि यद्यपि वह दावा करती है कि उसे जुग्गु ओराँव के साथ जाने के लिए मजबूर किया गया था अथवा धमकाया गया था और झोपड़ी में रखा गया था, उसके बयान से यह प्रतीत होता है कि उसके पास जुग्गु ओराँव के चंगुल अथवा साथ से भागने का पर्याप्त अवसर था किंतु उसने ऐसा नहीं किया था। उसने कथन किया है कि वह जुग्गु ओराँव के साथ 10-12 दिनों तक झोपड़ी में रही। वह अकेले शौच के लिए बाहर जाती थी और वह सुबह–शाम जाया करती थी। अतः उसके पास भागने का पर्याप्त अवसर था यदि वह चाहती थी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि इस संबंध में कि क्या वह जुग्गु ओराँव के साथ जाती थी जब वह शौच अथवा भोजन लाने जाता था, उसे कुछ याद नहीं है। इस मामले में, यदि अभियुक्त भोजन लाने उसे छोड़ कर जाता था, तब पुनः वह अकेली होती थी। यदि वह भोजन लाने उसके साथ जाती थी, तब 10-12 दिनों की अवधि तक उसके पास भाग जाने अथवा शोर मचाने का पर्याप्त अवसर था। इसके अतिरिक्त, यह अत्यन्त संदेहपूर्ण है कि पीड़ित महिला प्रत्येक बार अभियुक्त के साथ जाएगी जब वह शौचालय जाता था, अतः पुनः वह अकेली छोड़ दी गयी होगी। अतः उसके अभिसाक्ष्य एवं आचरण से, जो अभिसाक्ष्य में परिस्थितियों से सामने आता प्रतीत होता है, पीड़ित महिला स्वेच्छापूर्वक अभियुक्त के साथ रहती प्रतीत होती है। उसकी ''बरामदगी'' केवल 10-12 दिनों बाद की गयी थी जब अभियुक्त की झोपड़ी पर छापा मारा गया था। यह संभव है कि यदि झोपड़ी पर छापा नहीं मारा जाता, बरामदगी नहीं की जा सकती थी। उसके आचरण जो उसके अभिसाक्ष्य से सामने आता है को संपुष्ट करने के लिए अ॰ सा॰ 3 आई॰ ओ॰ के अभिसाक्ष्य का पठन आवश्यक होगा। उसने कहा है कि पीड़िता युवती ने बयान दिया था कि वह अभियुक्त को विवाह के पहले से जानती थी और

उसके साथ संबंध में थी। कि उस विशेष दिन पर जुग्गु ओराँव ने उसे सड़क पर बुलाया था और अपने साथ सेक्टर IV चलने के लिए कहा था जिसके लिए वह सहमत हुई थी (आई॰ ओ॰ के अभिसाक्ष्य का पैरा 15) उसने अ॰ सा॰ 3 को यह भी सूचित किया कि अभियुक्त जुग्गु ओरावँ ने उसके साथ बीस बार संभोग किया था और वे पहले से प्रेम प्रसंग में थे। (आई॰ ओ॰ के अभिसाक्ष्य का पैरा 18)। अत: अगर अ॰ सा॰ 6 पीड़ित महिला एवं अ॰ सा॰ 3 आई॰ ओ॰ का अभिसाक्ष्य साथ लिया जाता है, यह प्रतीत होता है कि दोनों व्यक्ति एक-दूसरे को पहले से जानते थे और उनके बीच अंतरंग संबंध था और कि वह स्वेच्छापूर्वक जुग्गु ओराँव के साथ सेक्टर IV गयी थी और उसे बरामद किए जाने तक वह लगभग 10-12 दिनों तक स्वेच्छापूर्वक झोपड़ी में रही थी।

19. यह प्रतीत होता है कि अ॰ सा॰ 5 डॉक्टर ने पीड़ित महिला के परीक्षण के बाद मत दिया है कि उन्होंने मरीज के शरीर पर हिंसा का कोई चिन्ह नहीं पाया और मरीज के परीक्षण के बाद बलात्कार का कोई संकेत नहीं पाया। अत: डॉक्टर के संप्रेक्षण के मुताबिक भी, बलात्कार का अपराध नहीं बनता है।

20. अंत में, उसके अभिसाक्ष्य में इसका संकेत है कि अपने पति एवं ससुराल वालों के साथ उसका संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं था। उसने कथन किया है कि वह 5-6 माह के लिए अपने माएके आयी थी, किंतु उसका पति उससे मिलने नहीं आया था। कि वह 5-6 माह तक नारी निकेतन, देवघर में थी, किंतु उसका पति अथवा ससुराल वाले उससे मिलने नहीं आए थे और न ही उसके पति अथवा ससुराल वालों द्वारा कोई पत्र भेजा गया था। अत: उसके पति और ससुराल वालों द्वारा पत्नी अथवा बहु के साथ जिसका अभिकथित रूप से बलात्कार किया गया था, से संवादहीनता अभियोग के बारे में संदेह उत्पन्न करता है।

21. जयमाला बनाम गृह सचिव, जम्मू-कश्मीर सरकार, (1982)2 SCC 538, में, जिसमें एक नौजवान भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307/504 एवं 306 के अधीन अभियुक्त था, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 9 में संप्रेक्षित किया:-

> *^^---fdr] ;g d[;kr g vkj U;kf;d è;ku fy;k tk ldrk g fd jfM;kykftdy ijh{k.k }kjk vfHkfuf'pr vk; e nkuk vkj =fV dk ekftu nk o"k g---***

22. इस मामले में, फर्दबयान में, लड़की का पिता आयु 16 वर्ष बताता है। कि पीड़िता द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन बयान दर्ज करने के लिए अभिसाक्ष्य फॉर्म में दो आयु अर्थात 16 एवं 17 वर्ष उपदर्शित की गयी है। कि डॉ॰ मैथिली ठाकुर ने अवर न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार लड़की की आयु 17-18 वर्ष प्रतीत होती है।

23. कि इस मामले में आयु निर्णायक महत्व की है। अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज से उसकी आयु 16 से 18 वर्ष के बीच है जहाँ पिता सूचक द्वारा दावा की गयी आयु 16 वर्ष है जो स्वाभाविक है यदि वह दोषसिद्धि पाना चाहता है। किंतु, इसे ओझल नहीं करना होगा कि लड़की के परिवार ने अभिकथित घटना के पहले उसका विवाह कर दिया था, अत: उसे विवाह योग्य मानना ही होगा।

24. डॉक्टर ने प्रमाण पत्रित किया है कि रेडियोलॉजिकल आधार के मुताबिक, वह 17-18 वर्ष की है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रेडियोलॉजिकल परीक्षण के युग में दो वर्ष का मार्जिन हो सकता है।

25. अब यदि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 361 को देखा जाता है, विधिपूर्ण संरक्षकता से अवयस्क के अपहरण के अपराध की आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष है, अत: यह संभव है कि वह पर्याप्त रूप से परिपक्व

थी और 18 वर्ष की आयु की थी जब घटना हुई और यदि आधिक्य में मार्जिन माना जाता है, वह 19 वर्ष अथवा अधिक की रही होगी।

26. आगे, एक अन्य मामले **सुनील बनाम हरियाणा राज्य, (2010)1 SCC 742** में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 26 में संप्रेक्षित किया है:–

> *^^---nkfMd ekey e vihykFkh dh nk"kflf) lfUudV vk; ij vkèkkfjr ugh dh tk ldrh g tk fdlh vfHky[k }kjk lefFkr u gkA lfUudV frfFk ij nk"kflf) vkèkkfjr djuk fcYdy vljf{kr gkxkA**

27. अत:, अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए, रेडियोलॉजिकल आधार के मुताबिक उसकी आयु 18 या 19 वर्ष रही होगी और उसकी सहमति वैध सहमति होगी। अत: उसके पूर्व आचरण एवं विवाह के पहले अभियुक्त के साथ उसके संबंध से वह स्वेच्छापूर्वक अभियुक्त के साथ जाती प्रतीत होती है जैसा अ॰ सा॰ 3 आई॰ ओ॰ एवं दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अपने अभिसाक्ष्य में पीड़ित युवती द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है और यद्यपि उसके पास 10-12 दिनों में जब वह अभियुक्त के साथ थी भागने का पर्याप्त अवसर था, अभियुक्तगण को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 363 के अधीन अपराध से विमुक्त करेगा।

28. भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 के संदर्भ में, एक बार फिर सहमति का विवाद्यक उठाया गया है। यह पहले ही संप्रेक्षित किया गया है कि आयु का रेडियोलॉजिकल आधार, अधिवक्यपक्ष पर मार्जिन, कि उसके माता–पिता द्वारा उसका विवाह पहले ही कर दिया गया था, कि लड़की विवाह के पहले उसके साथ संबंध में थी, कि वह स्वेच्छापूर्वक उसके साथ गयी थी और बरामद किए जाने तक 10-12 दिनों तक रही थी और अ॰ सा॰ 5 डॉक्टर का संप्रेक्षण कि बलात्कार नहीं हुआ था, इस निष्कर्ष की ओर ले जाएगा कि लड़की के इच्छा के विरूद्ध बलात्कार नहीं किया गया था, अत: अभियुक्त भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 का दोषी भी नहीं होगा।

29. अंत में, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498 के संबंध में, यहाँ भी सहमति के तत्व की आवश्यकता है। धारा शब्दों ''फुसलाना'' अथवा किसी स्त्री को ले जाना और उसको ''छुपाना'' या निरूद्ध करना'' का प्रयोग करती है। यहाँ भी, पूर्वोक्त कारणों से उसका पहले से अंतरंग संबंध था जो जारी रहा और वह स्वेच्छापूर्वक उसके साथ गयी और रूकी, अत: फुसलाने, छुपाने अथवा निरूद्ध करने का प्रश्न ही उद्‌भूत नहीं होता है। उसके पति और ससुर के आचरण से, जो देवघर में आश्रय/महिला गृह में उससे मिलने नहीं गए थे जब वह 5-6 माह तक वहाँ थी अथवा उसे पत्र भी नहीं लिखा था, सुझाएगा कि कुछ कारणों से उनकी ओर से चिंता की कमी थी।

30. अत: अभिलेख एवं तर्कों के आधार पर मेरे पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर मुझे यह प्रतीत नहीं होता है कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363/376/498 के अधीन अपराध युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया गया है ताकि अभियुक्त को दोषी अभिनिर्धारित किया जा सके। बल्कि दोनों परिपक्व व्यक्ति हैं और अ॰ सा॰ 6 पीड़ित महिला और अ॰ सा॰ 3 आई॰ ओ॰ द्वारा दिए गए बयान पूर्व अंतरंग संबंध उपदर्शित करते हैं जो अभी भी जारी था और वह स्वेच्छापूर्वक अभियुक्त के साथ रही। अत: मैं अभिनिर्धारित करता हूँ कि अभियुक्त जुग्गु ओराँव भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363/376/498 के अधीन अपराधों का दोषी नहीं है और उसे उसके विरूद्ध आरोपित अपराधों से दोषमुक्त करता हूँ। तद्‌नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.9.2002 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दिनांक 18.9.2002 का दंडादेश अपास्त किया जाता है। चूँकि दिनांक 21.1.2003 के आदेश के मुताबिक अपीलार्थी जुग्गु ओराँव जमानत पर है, उसे उसके जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

जोगेश्वर साव उर्फ योगेश्वर साव उर्फ डबलू साव उर्फ डबलू उर्फ बबलू उर्फ बबलू साव

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य (दोनों में)

Criminal Revision Nos. 862 of 2012 with 779 of 2014. Decided on 4th September, 2015.

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005—धारा 20—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 125—अनुतोष का प्रदान—किसी अन्य दांडिक कार्यवाही में भरण-पोषण के प्रदान के अतिरिक्त भी सक्षम न्यायालय द्वारा भरण-पोषण का प्रदान वर्जित नहीं है—दंडाधिकारी अंतरिम अनुतोष प्रदान कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि याची पति ने घरेलू हिंसा का कृत्य किया। (पैरा 12)

निर्णयज विधि.—(2014)10 SCC 736—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Binod Kumar Dubey, For the Petitioner; Mr. Asif Khan, For the State; M/s Moti Gope, Rajiv Anand, For the O.P. No.2.

आदेश

इस न्यायालय के विचारार्थ आया एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (इसमें इसके बाद ''डी॰ वी॰ अधिनियम, 2005'' के रूप में निर्दिष्ट) के अधीन दावा किया गया अनुतोष दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में ''संहिता'') की धारा 125 के अधीन दांडिक न्यायालय के अतिरिक्त सिविल न्यायालय तथा कुटुंब न्यायालय के समक्ष भी किसी अन्य विधिक कार्यवाही में भी इप्सित किया जा सकता है और क्या डी॰ वी॰ अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अधीन प्रदान किया गया धनीय अनुतोष संहिता की धारा 125 अथवा किसी अन्य विधि के अधीन पारित भरण-पोषण के आदेश के अतिरिक्त हो सकता है।

2. चूँकि दोनों पुनरीक्षण आवेदनों में विधि का सामान्य प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, उन्हें साथ सुना जा रहा है और इस एक ही आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

3. दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 862 वर्ष 2012 में याची ने दांडिक अपील सं॰ 109 वर्ष 2011 में विद्वान सत्र न्यायाधीश III, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 27.6.2012 के आदेश की वैधता को चुनौती दिया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अवर अपीलीय न्यायालय ने विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा याची को वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के बचत बैंक खाता में 2000/- रुपया प्रतिमाह जमा करने और उसकी अवयस्क पुत्रियों में प्रत्येक को उनके वयस्कता प्राप्त करने तक 1000/- रुपया प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश देते हुए पारित दिनांक 28.5.2011 के आदेश को अभिपुष्ट किया है। दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 779 वर्ष 2014 में याची ने एम॰ केस सं॰ 109 वर्ष 2009 में विद्वान प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 30.6.2014 के आदेश की वैधता को चुनौती दिया है जिसके द्वारा याची को भरण पोषण के रूप में विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को 4000/- रुपया प्रतिमाह का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

4. अभियोजन मामला, जैसा अभिलेख से प्रतीत होता है, यह है कि वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 पूनम देवी याची की विधिवत ब्याहता पत्नी है और दिनांक 6.3.2002 को उनका विवाह हिंदू

रीति–रिवाजों के मुताबिक संपन्न किया गया था और उनके विवाह संबंध से उन्हें दो पुत्रियों का जन्म हुआ था किंतु चूँकि पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, उसे उसके पति एवं ससुराल वालों के हाथों क्रूरता के अध्यधीन किया जाता था जिसके बाद पंचायती भी की गयी थी। यह भी अभिकथित किया गया है कि विरोधी पक्षकार सं० 2 से चिढ़ने के कारण याची ने उसका गर्भाशय हटवा दिया था और किसी कंचन कुमारी के साथ दूसरा विवाह कर लिया था। अंतत:, विरोधी पक्षकार सं० 2 को उसके दांपत्य गृह से निकाल दिया गया था जिसके बाद भा० दं० सं० की धारा 498A के अधीन मामला कटक मसंडी पी० एस० केस सं० 166 वर्ष 2009 दिनांक 1.7.2009 को संस्थित किया गया था। दांपत्य गृह से निकाले जाने के बाद, वह अपनी दोनों अवयस्क पुत्रियों के साथ अपने माएके में रह रही थी और मजदूरी करके अपनी संतानों का भरण–पोषण कर रही थी। उसने संहिता की धारा 125 के अधीन भरण–पोषण के लिए प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हजारीबाग के न्यायालय में भरण–पोषण मामला सं० 109 वर्ष 2009 दाखिल किया और उक्त मामले के लंबित रहने के दौरान उसने 7000/- रुपया प्रतिमाह का भरण–पोषण और उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन मुआवजा का दावा करते हुए डी० वी० अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों के अधीन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग के न्यायालय में विविध केस सं० 1 वर्ष 2011 दाखिल किया।

5. डी० वी० अधिनियम, 2005 के अधीन दाखिल मामले में वर्तमान याची ने अपना कारण बताओ दाखिल करके अभिवचन किया कि उसको परेशान करने के अंतरस्थ हेतु एवं आशय से विरोधी पक्षकार सं० 2 पूनम देवी ने इस मामले को दाखिल किया है जो पोषणीय नहीं है। वर्तमान याची ने पूनम देवी के साथ पति–पत्नी का संबंध होना स्वीकार करते हुए आगे स्वीकार किया है कि उनके विवाह संबंध से दो पुत्रियों का जन्म हुआ था किंतु यह अभिकथन की उसकी मासिक आय 30,000/- रुपया है, झूठा है और किसी दस्तावेजी साक्ष्य के बिना है और कि विरोधी पक्षकार सं० 2 अथवा दो संतानों को यातना कभी नहीं दी गयी थी और उनको घर से निकाला नहीं गया था बल्कि उक्त पूनम देवी ने अपना दांपत्य गृह त्याग दिया था और तत्पश्चात उसने भा० दं० सं० की धारा 498A के अधीन एक मामला और संहिता की धारा 125 के अधीन भरण–पोषण के लिए दूसरा मामला दाखिल किया है। यह अभिवचन भी किया गया है कि विवाहोपरांत उसके पिता ने पूनम देवी को 50,000/- रुपया दिया था और स्वयं एवं दो पुत्रियों का भरण–पोषण करने के लिए उसको सक्षम बनाने के लिए उसके पक्ष में निष्पादित दो विक्रय विलेखों द्वारा उसके नाम में कुछ भूमि भी अंतरित की गयी थी। तब भी वह अपनी पत्नी एवं दो संतानों को सम्यक सम्मान के साथ रखने के लिए तैयार है।

6. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने पक्षों के बीच विवाद के विनिश्चयकरण के लिए विवाद्यक विरचित करने और वर्तमान विरोधी पक्षकार सं० 2 द्वारा प्रस्तुत गवाहों का परीक्षण करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि पति–पत्नी के बीच संबंध स्नेहपूर्ण नहीं है और 'घरेलू हिंसा' की परिभाषा के अंतर्गत आता है जैसा डी० वी० अधिनियम, 2005 के अधीन परिभाषित किया गया है। न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि संहिता की धारा 125 के अधीन भरण–पोषण का प्रदान घरेलू हिंसा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अधीन प्रदान किए गए संरक्षण एवं भरण–पोषण से भिन्न है, जो उक्त अधिनियम की धारा 26 से स्पष्ट होगा। अत:, दावेदार वर्तमान विरोधी पक्षकार सं० 2 पूनम देवी और उसकी संतानें भरण–पोषण के हकदार हैं और याची भरण–पोषण का भुगतान करने के लिए सक्षम है और अंतत: न्यायालय ने पूनम देवी को 2000/- रुपया प्रतिमाह तथा उसकी दो अवयस्क पुत्रियों को वयस्कता प्राप्त करने तक प्रत्येक को 1000/- रुपया प्रतिमाह प्रदान किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान याची ने सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग के समक्ष डी० वी० अधिनियम, 2005 की धारा 29 के अधीन अपील दाखिल किया। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने और विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्षों पर विचार करने के बाद यह अभिनिर्धारित करते हुए अपील खारिज कर दिया कि अवर न्यायालय द्वारा अंतरिम

अनुतोष का प्रदान न्यायोचित एवं समुचित तथा विधि के अनुरूप है। अतः, पुनरीक्षण आवेदन सं॰ 862 वर्ष 2012 दाखिल किया गया है।

इसी प्रकार से, इन्हीं तथ्यों पर विचार करते हुए और पक्षों द्वारा अभिलेख पर लाए गए मौखिक एवं दस्तावजी साक्ष्य का परीक्षण करते हुए प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हजारीबाग ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन दाखिल अन्य मामले में पति-याची को वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को 4000/- रुपया प्रतिमाह का भुगतान करने का निर्देश दिया और यह भी अभिनिर्धारित किया कि याची भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए सक्षम और पर्याप्त रूप से साधनयुक्त है। अतः, पुनरीक्षण आवेदन सं॰ 779 वर्ष 2014 दाखिल किया गया है।

7. दोनों पुनरीक्षणों में याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार दूबे के आक्षेपित आदेश का विकृत एवं विधि में दोषपूर्ण के रूप में विरोध करते हुए गंभीर रूप से प्रतिवाद किया कि संरक्षण एवं भरण-पोषण के प्रदान के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अधीन कार्यवाही और भरण-पोषण के प्रदान के लिए संहिता की धारा 125 के अधीन दांडिक कार्यवाही के समरूप प्रकृति का होने का कारण साथ-साथ नहीं चल सकता और संहिता की धारा 125 के अधीन भरण-पोषण के प्रदान के अतिरिक्त डी॰ वी॰ अधिनियम, 2005 के अधीन भरण-पोषण प्रदान नहीं किया जा सकता है। यह भी निवेदन किया गया था कि चूँकि पूनम देवी स्वीकृत रूप से इस याची के साथ नहीं रह रही थी और गृहस्थी में भाग नहीं ले रही थी, उसे डी॰ वी॰ अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अधीन किसी संरक्षण का दावा करने का हकदार नहीं बनाया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे गंभीर रूप से प्रतिवाद किया कि डी॰ वी॰ अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन भरण-पोषण प्रदान करने वाले विचारण न्यायालय के आदेश को संपुष्ट करने वाला अवर अपीलीय न्यायालय का आदेश विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है। उक्त के अतिरिक्त, विद्वान अधिवक्ता द्वारा अन्य निवेदन नहीं किया गया था।

8. पूर्वोक्त निवेदनों के लिए विपरीत, उक्त दोनों मामलों में विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गोप ने प्रतिवाद किया कि डी॰ वी॰ अधिनियम, 2005 की धारा 26 स्पष्टतः अनुबंधित करती है कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अधीन प्रदान किया गया अनुतोष कार्यवाही में सिविल न्यायालय द्वारा अथवा कुटुंब न्यायालय द्वारा अथवा दांडिक न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए अनुतोष के अतिरिक्त है और धारा 26 के उपधारा (3) के अधीन पीड़ित पत्नी को दी गयी एकमात्र बाध्यता एक अन्य न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए अनुतोष के बारे में न्यायालय को सूचित करना है। अतः, याची द्वारा किया गया निवेदन विधि के अनुरूप नहीं है।

9. एकमात्र प्रश्न जैसा इस न्यायालय द्वारा विरचित किया गया है, के विनिश्चयकरण के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों का परीक्षण करना वांछनीय है जो निम्नलिखित है:-

*MhO ohO vfèkfu;e] 2005 dh èkkjk 2(a) ^^0;fFkr 0;fDr** dk ifjHkkf"kr djrh gA*

*"2(a) ^^0;fFkr 0;fDr** l dkb ,slh efgyk vfHkçr g tk çR;Fkh dh ?kjyw ukrnkjh e g ;k jgh g vkj ft ldk vfHkdFku g fd og çR;Fkh }kjk fdlh ?kjyw fglk dk f'kdkj jgh gA**

पूर्वोक्त प्रावधान का कोरा परिशीलन इसे पर्याप्त रूप से स्पष्ट करता है कि कोई स्त्री, जो अपने पति एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घरेलू संबंध में है, यदि घरेलू हिंसा के किसी कृत्य के अध्यधीन किया जाना अभिकथित करती हैं, ''व्यथित व्यक्ति'' का परिभाषा के अंतर्गत आती है। उक्त परिभाषा में, दो शब्दों ''घरेलू संबंध'' जैसा धारा 2(f) में परिभाषित किया गया है और ''घरेलू हिंसा'' जैसा धारा 3 में परिभाषित किया गया है को आवश्यक अवयवों के रूप में दर्शाया गया है। तद्नुसार, समुचित अधिमूल्यन के लिए दो शब्दों की परिभाषा को यहाँ नीचे दिया गया है जिनका पठन निम्नलिखित है:-

*"2(f) ^^?kjy ukrnkjh** ls ,sls nks O;fDr;ksa ds chp ukrnkjh vfHkçsr gS] tks lk>h xgLFkh esa ,d lkFk jgrs gSa ;k fdlh le; ,d lkFk jg pqds gSa] tc os lejDrrk] fookg }kjk ;k fookg nÙkd xg.k dh çÑfr dh fdlh ukrnkjh }kjk lacaèkr gSa ;k ,d vfoHkDr dVqEc ds :i esa ,d lkFk jgus okys dVqEc ds lnL; gSaA**

"3. ?kjsyw fgalk dh ifjHkk"kk-&bl vfèkfu;e ds ç;kstuksa ds fy,] çR;FkhZ dk dksbZ dk;Z] yksi ;k dÙkZO; djuk ;k vkpj.k] ?kjsyw fgalk xfBr djsxk ;fn og&

(a) O;fFkr O;fDr ds LokLF;] lqj{kk] thou] vax dks ;k pkgs mlds ekufld ;k 'kkjhfjd Hkykbz dks vigkfu djrk gS] ;k mls dksb {kfr igqapkrk gS ;k mls ldVkiUu djrk gS ;k mlds ,sls dju dh çofÙk gS vkSj ftlds varxZr 'kkjhfjd nq:i;ksx] ySafxd nq#i;ksx] ekf[kd vkSj HkkoukRed nq#i;ksx vkSj vkfFkZd nq#i;ksx dkfjr djuk Hkh gS(;k

(b) fdlh ngst ;k vU; lEifÙk ;k eY;oku çfrHkwfr dh fy, fdlh fofèkfo#) ekax dks iwjh djus ds fy, ;k mlls lacaèkr fdlh vU; O;fDr dks çihfMr djus dh nf"V ls O;fFkr O;fDr dks mRihfMu djrk gS ;k mlds vigkfu djrk gS ;k mls {kfr igqapkrk gS ;k ldVkiUu djrk gS(;k

(c) [kaM (a) ;k (b) esa of.kZr fdlh vkpj.k }kjk O;fFkr O;fDr ;k mlls lacaèkr fdlh O;fDr ij èkedh dk çHkko j[krk gS(;k

(d) O;fFkr O;fDr dks] vU;Fkk {kfr igqapkrk gS ;k mRihfMu dkfjr djrk gS] pkgs og 'kkjhfjd gks ;k ekufldA**

10. उक्त अधिनियम की धारा 12 आदेश अथवा अनुतोष प्राप्त करने की प्रक्रिया पर विचार करती है। धारा 12 व्यथित व्यक्ति द्वारा अथवा संरक्षण अधिकारी द्वारा अथवा व्यथित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दंडाधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल किए जाने से संबंधित है और अनुतोषों जिन्हें इस अधिनियम के अधीन दंडाधिकारी द्वारा प्रदान किया जा सकता है को यहाँ निम्नलिखित रूप से संगणित किया गया है:–

(i) èkkjk 17- lk>k xgLFkh esa fuokl djus dk vfèkdkj(

(ii) èkkjk 18- lqj{kk.k çnku djus okyk vkns'k(

(iii) èkkjk 19- fuokl LFkku vkns'k(

(iv) èkkjk 20- èkuh; vuqrks"k(

(v) èkkjk 21- vfHkj{kk dk çnku vFkok vfHkj{kk vkns'k(

(vi) èkkjk 22- eqvkotk vkns'k dk çnku(vkSj

(vii) èkkjk 23 vrfje ,oa ,di{kh; vkns'kksa dk çnkuA

11. वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 जो दंडाधिकारी के समक्ष आवेदक थी ने डी॰ वी॰ अधिनियम, 2005 की धाराओं 18 से 23 के अधीन अनुतोष इप्सित किया था और न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद अभिवचनों एवं साक्ष्यों पर विचार करते हुए अनुतोष प्रदान किया। स्वीकृत रूप से, वर्तमान मामले में अनुतोष प्रदान किए जाने तक कोई अन्य अनुतोष अथवा भरण–पोषण जैसा वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाही में अभिवचनित किया गया है प्रदान नहीं किया गया था। **जुवेरिया अब्दुल माजिद पत्नी बनाम अतीफ इकबाल मंसूरी एवं एक अन्य, (2014)10 SCC 736,** मामले में अन्य विवाद्यकों के अतिरिक्त घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों के अधीन दावा भी किया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा 23 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

^^23. oreku ekey e] vkond u ?kjy fgl k vfèkfu;e] 2005 dh èkkjk vk 18 l 23 d vèkhu vurk"k bfll r fd;kA ;g èkkjk 18 d vèkhu l j{k.k vkn'k] èkkjk 20 d vèkhu èkuh; vurk"k] èkkjk 21 d vèkhu vfHkj{kk vkn'k] èkkjk 22 d vèkhu evkotk vkj èkkjk 23 d vèkhu vrfje vurk"k lfEefyr djrk gA çklfxd çkoèkku dk iBu fuEufyf[kr g%

"20. **èkuh; vurk"k**-&(1) èkkjk 12 dh mièkkjk (1) d vèkhu fdlh vkonu dk fuiVkjk djr le;] eftLVV] ?kjy fgl k d ifj.kkeLo:i 0;fFkr 0;fDr vkj 0;fFkr 0;fDr dh fdlh lUrku dk mixr 0;; vkj dkfjr udlku dh ifr d fy, èkuh; vurk"k dk lnk; dju d fy, çR;Fkh dk fun'k n ldxk vkj ,l vurk"k e fuEufyf[kr lfEefyr gk ldx fdUr ;g fuEufyf[kr rd gh lhfer ugh gkxh&

(a) miktuk dh gkfu(

(b) fpfdRlh; [kp(

(c) 0;fFkr 0;fDr d fu;=.k e l fdlh lifÙk d uk'k] udlkuh ;k gVk; tku d dkj.k gbi gkfu(vkj

(d) mldh lUrku] ;fn dkb gk d lkFk&lkFk 0;fFkr 0;fDr d fy, Hkj.k&ik"k.k] ft le n.M çfØ;k lfgrk] 1973 (1974 dk 2) dh èkkjk 125 ;k rRle; çoÙk fdlh vU; fofèk d vèkhu dkb vkn'k ;k Hkj.k&ik"k.k d vkn'k d vfrfjDr] dkb vkn'k lfEefyr gA

(2) bl èkkjk d vèkhu vunÙk èkuh; vurk"k] i;klr] mfpr vkj ;fDr;Dr gkxk rFkk ml thouLrj l] ft ldk 0;fFkr 0;fDr vH;Lr g] lxr gkxkA

(3) eftLVV dk] t lk ekey dh çÑfr vkj ifjfLFkfr;k] vi{kk dj] Hkj.k&ik"k.k d ,d lefpr ,de'r lnk; ;k ekfld lnk; dk vkn'k nu dh 'kfDr gkxhA

(4) eftLVV] vkonu d i{kdkjk dk vkj ifyl Fkku d Hkkjlkèkd dk] ft ldh LFkkuh; lhekvk dh vfèkdkfjrk e çR;Fkh fuokl djrk g] mièkkjk (1) d vèkhu nh xb èkuh; vurk"k d vkn'k dh ,d çfr HktxkA

(5) çR;Fkh] mièkkjk (1) d vèkhu vkn'k e fofufn"V vofèk d Hkhrj 0;fFkr 0;fDr dk vunÙk èkuh; vurk"k dk lnk; djxkA

(6) mièkkjk (1) d vèkhu vkn'k d fucUèkuk e lnk; dju d fy, çR;Fkh dh vkj l vlQyrk ij] eftLVV çR;Fkh d fu;ktd dk ;k _.kh dk] 0;fFkr 0;fDr dk çR;{kr% lnk; dju ;k etnjh ;k oru dk ,d Hkkx U;k;ky; e tek dju ;k 'kkè; _.k ;k çR;Fkh d [kkr e 'kkè; ;k mnHkr _.k dk] tk çR;Fkh }kjk ln; èkuh; vurk"k e lek;kftr dj yh tk,xh] tek dju dk fun'k n ldxkA**

èkkjk 20 d vèkhu vucfèkr èkuh; vurk"k Hkj.k&ik"k.k l fHkUu g tk nO çO lO dh èkkjk 125 vFkok fdlh vU; fofèk d vèkhu Hkj.k&ik"k.k d vkn'k d vfrfjDr gk ldrk gA ,lk èkuh; vurk"k ?kjy fgl k d ifj.kkeLo:i 0;fFkr 0;fDr vkj 0;fFkr 0;fDr dh lrku }kjk lg x, mixr 0;; ,o gkfu dk ijk dju d fy, çnku fd;k tk ldrk g tk bl ç'u ij fuHkj ugh g fd D;k 0;fFkr 0;fDr

*èkkjk 12 d vèkhu vkonu nkf[ky djus dh frfFk ij çR;Fkh d lkFk ?kjy lcèk e gA***

12. उक्त निर्णय में विनिश्चित निर्णयाधार के कोरे पठन से एवं डी॰ वी॰ अधिनियम की धारा 26 की दृष्टि में यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन जैसी किसी अन्य दांडिक कार्यवाही में भरण-पोषण के प्रदान के अतिरिक्त भी सक्षम न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन भरण-पोषण का प्रदान अनुमान्य है और वर्जित नहीं किया गया है। यह अंतरिम अनुतोष प्रदान करने के लिए दंडाधिकारी जहाँ विरोधी पक्षकार सं॰ 2 ने याचिका दाखिल किया था कि अधिकारिता के सुअंतर्गत था यदि दंडाधिकारी संतुष्ट था कि पति जो यहाँ याची है ने घरेलू हिंसा का कृत्य किया था। दोनों अवर न्यायालयों ने भरण-पोषण प्रदान करने के संबंध में ताथ्यिक पहलू तथा विधिक पहलू दोनों पर सही प्रकार से विचार किया है और उन आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई तर्कसंगत आधार नहीं दिया गया है।

13. परिणामस्वरूप, उक्त दोनों पुनरीक्षण आवेदन गुणागुणरहित होने के कारण एतद्द्वारा खारिज किए जाते हैं।

---

ekuuh; jfo ukFk oekZ U;k;efr

साजेमा बीबी एवं एक अन्य

cuke

झारखण्ड राज्य एवं एक अन्य

Criminal Revision No. 700 of 2010. Decided on 16th September, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 125—भरण-पोषण—धारा 125 के प्रावधान सामाजिक न्याय के लिए और विशेषतः महिला, बच्चों, वृद्ध एवं दुर्बल असहाय माता-पिता को संरक्षित करने के लिए अधिनियमित किए गए हैं–अवर न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का अधिमूल्यन नहीं किया था और दर्ज किया था कि पत्नी ने पति का साथ त्याग दिया था जो गलत एवं विकृत है—ओ॰ पी॰ को अपनी पत्नी याची को 1000/- रुपया प्रतिमाह का भुगतान करने का निर्देश दिया। (पैराएँ 7 से 11)

अधिवक्तागण.–M/s Lakhan Chandra Roy, Bijoy Kumar Pandey, For the Petitioners; M/s Md. Asadul Haque, Gautam Kumar, For the O.P. No. 2; Mr. Mukesh Kumar, For the State.

आदेश

याची साजेमा बीबी एवं उसकी अवयस्क पुत्री शहिना परवीन ने दांडिक विविध मामला सं॰ 107 वर्ष 2007 में प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 9.3.2010 के आदेश के विरूद्ध इस पुनरीक्षण को दाखिल किया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अवर न्यायालय ने याची सं॰ 1 पत्नी को कोई भरण-पोषण प्रदान करने से इनकार किया है किंतु विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को आदेश की तिथि से 200/- रुपया प्रतिमाह की राशि का भुगतान अपनी अवयस्क पुत्री याची सं॰ 2 को करने का निर्देश दिया है।

2. वर्तमान याची सं॰ 1 जो विरोधी पक्षकार सं॰ 2 की पत्नी है की प्रेरणा पर पूर्वोक्त मामला प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पाकुड़ के समक्ष इस अभिकथन के साथ दाखिल किया गया था कि वह विरोधी पक्षकार सं॰ 2 की विधिवत ब्याहता पत्नी है और उनका विवाह इस्लामी रिवाजों के अनुसार लगभग चार वर्ष पहले संपन्न किया गया था और विवाह के बाद वे साथ रहने लगे और उनके विवाह संबंध से

एक पुत्री का जन्म हुआ था जो वर्तमान याची सं॰ 2 है किंतु पुत्री के जन्म के बाद विरोधी पक्षकार सं॰ 2 पति अपनी पत्नी याची सं॰ 1 के साथ झगड़ा करने लगा और अनेक अवसरों पर झूठा अभिकथन लगा कर कि वह अपने सौतेले पुत्रों एवं पुत्री की समुचित रूप से देखभाल नहीं कर रही है, उस पर प्रहार भी किया। दिनांक 22.3.2006 को विरोधी पक्षकार सं॰ 2 ने उसके शरीर पर किरासन तेल डाल कर उसको जलाने का प्रयास भी किया किंतु वह किसी तरह वहाँ से बच निकली और अपने माएके में शरण लिया। तब से वह अपनी अवयस्क पुत्री के साथ अपने माएके में रह रही है। उसके पास आय का स्वतंत्र स्रोत नही है और उसका पिता भी गरीब है। उसे और उसकी अवयस्क पुत्री का भरण–पोषण करना उसके पिता के लिए बहुत मुश्किल है यद्यपि उसका भरण–पोषण करने के लिए उसके पति के पास पर्याप्त साधन है। अत: उसने स्वयं के लिए और अपनी पुत्री के लिए भरण–पोषण के रूप में 3000/- रुपया प्रतिमाह का दावा किया। यह कथन भी किया गया है कि उसने पहले अपने पति के विरूद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A/34 के अधीन अपराध के लिए दांडिक मामला दाखिल किया था और उस मामले में उसके पति वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विचारण के बाद दोषसिद्ध किया गया है और 1000/- रुपया जुर्माना के साथ एक वर्ष का कारावास दंडादेश दिया गया है।

3. नोटिस के बाद, वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 अवर न्यायालय में उपस्थित हुआ और याची सं॰ 1 को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए अपना कारण बताओ दाखिल किया और और यह कथन भी किया कि उसकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उसने अपनी छह संतानों की देखभाल के लिए वर्तमान याची के साथ दूसरा विवाह किया। उसने स्वीकार किया है कि वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 उसकी पुत्री है। आगे, अभिवचन यह है कि उसकी पत्नी साजेमा बीबी बीड़ी बांधने से 50/- रुपया प्रतिदिन कमा रही है और याची सं॰ 1 ने ही स्वयं को अपने दांपत्य गृह एवं उसके साथ से अलग किया।

4. परस्पर पक्षों की ओर से किए गए अभिवचनों एवं दिए गए साक्ष्य का परीक्षण करने के बाद अवर न्यायालय ने विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को अपनी अवयस्क पुत्री याची सं॰ 2 को 200/- रुपया प्रतिमाह के भरण–पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया किंतु यह अभिनिर्धारित करते हुए कि सजेमा बीबी, जिसने जानबूझकर किसी वैध कारण के बिना अपने पति का अभित्यजन कर दिया है, अपने पति विरोधी पक्षकार सं॰ 2 से भरण–पोषण पाने की हकदार नही है, पत्नी याची सं॰ 1 को कोई भरण–पोषण का भुगतान करने से इनकार कर दिया। अत:, यह पुनरीक्षण दाखिल किया गया है।

5. याचियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का विकृत एवं विधि में दोषपूर्ण के रूप में विरोध करते हुए गंभीर रूप से प्रतिवाद किया कि अवर न्यायालय ने विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के हाथों यातना एवं प्रहार तथा दहेज मांग के तथ्य पर विचार किए बिना गलत रूप से अभिनिर्धारित किया कि पत्नी ने जानबूझकर किसी वैध कारण के बिना अपने पति का परित्याग कर दिया था यद्यपि वर्तमान याची सं॰ 1 द्वारा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन दाखिल मामले में वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि किया गया है। यह भी प्रतिवाद किया गया था कि अवर न्यायालय ने दो विक्रय विलेखों प्रदर्श A एवं A/1 का अधिमूल्यन किए बिना गलत रूप से अभिनिर्धारित किया कि साजेमा बीबी असहाय महिला नहीं है और वह दो विक्रय विलेखों द्वारा अपने पक्ष में अंतरित भूमि से स्वयं का भरण–पोषण कर सकती है किंतु यह अधिमूल्यन करने में विफल रहा कि विक्रय विलेखों की भूमि पर यह याची सं॰ 1 काबिज नहीं हुई बल्कि पति होने के नाते विरोधी पक्षकार सं॰ 2 भूमि पर काबिज था और उन भूमि के फलोपभोग का आनन्द ले रहा था।

6. पूर्वोक्त निवेदनों का खंडन करते हुए, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पुनरीक्षण में बैठे इस न्यायालय के पास अत्यन्त सीमित अधिकारिता है और यह अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन नहीं कर सकता है और अवर न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के समुचित अधिमूल्यन पर आधारित हैं। यह निवेदन भी किया गया है कि दो विक्रय विलेखों की भूमि याची सं० 1 के नाम में है और वह उन दोनों भूमि पर काबिज है।

7. विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य तथा आक्षेपित आदेश का परिशीलन करने के बाद, मैं पाता हूँ कि अवर न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का अधिमूल्यन नहीं किया है और अभिलेख पर मौजूद किसी साक्ष्य के बिना अभिनिर्धारित किया कि पत्नी ने पति का साथ त्याग दिया था जो गलत एवं विकृत है। इस न्यायालय द्वारा भी विरोधी पक्षकार सं० 2 को यह दर्शाने के लिए अनेक अवसर दिए गए थे कि दो विक्रय विलेखों के अधीन खरीदी गयी भूमि याची सं० 1 के कब्जा में है किंतु उन भूमि पर याची सं० 1 का कब्जा दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया था।

8. प्रकटत:, आक्षेपित आदेश में विरोधी पक्षकार सं० 2 के साधनों अथवा आय की पर्याप्तता पर निष्कर्ष नहीं है। विरोधी पक्षकार सं० 2 ने अपने कारण बताओ में अथवा अपने साक्ष्य में कहीं पर भी इससे इनकार नहीं किया है कि वह कुछ भी अर्जित नहीं कर रहा है अथवा बेरोजगार है। अपनी पत्नी जिसके पास आय का स्वतंत्र स्रोत नहीं है का भरण-पोषण करना विरोधी पक्षकार सं० 2 का सामाजिक दायित्व एवं नैतिक कर्तव्य है। भले ही यह माना जाए कि याची सं० 1 प्रतिदिन 50/- रुपया कमा रही थी किंतु यह ऐसी स्थिति में था जब उसका परिवार भूख से पीड़ित था और उसके पास अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए अर्जन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधान सामाजिक न्याय के लिए और विशेषत: महिला, संतान एवं वृद्ध तथा दुर्बल माता-पिता को संरक्षित करने के लिए अधिनियमित किए गए हैं और संविधान के अनुच्छेद 15(3) एवं अनुच्छेद 39 के संवैधानिक विस्तार के अंतर्गत आते हैं। प्रावधान अपनी पत्नी, संतानों एवं माता-पिता का भरण-पोषण करने के लिए पुरुष के स्वाभाविक एवं मूल कर्तव्य को प्रभाव देता है जब तक वे स्वयं का भरण-पोषण करने में अक्षम हैं। यह सत्य है कि पुनरीक्षण में बैठे इस न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन नहीं करना है किंतु जब अवर न्यायालय ने नकारात्मक निष्कर्ष दर्ज किया है और दरिद्र पत्नी को कोई भरण-पोषण प्रदान करने से इनकार किया है, इस न्यायालय को आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने एवं साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन करने की अधिकारिता है। दांडिक मामले जिसमें विरोधी पक्षकार सं० 2 को भा० दं० सं० की धारा 498A के अधीन दोषसिद्ध किया गया है के निर्णय को इस पुनरीक्षण आवेदन के साथ दाखिल किया गया है और उक्त निर्णय के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि विरोधी पक्षकार सं० 2 एवं उसकी माता को अवर न्यायालय द्वारा भा० दं० सं० की धारा 498A के अधीन दोषसिद्ध किया गया है। सक्षम न्यायालय का यह निष्कर्ष कुटुंब न्यायालय के निष्कर्षों को भंजित करता है कि साजेमा बीबी ने जानबूझकर किसी वैध कारण के बिना आने पति का त्याग कर दिया था।

10. उक्त चर्चा की दृष्टि में, याची सं० 1 का भरण पोषण प्रदान करने से इनकार करते हुए विद्वान प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 9.3.2010 का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। किंतु, मैं आक्षेपित आदेश के द्वितीय भाग के संबंध में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं हूँ जिसके द्वारा विरोधी पक्षकार सं० 2 को याची सं० 2 को 200/- रुपया प्रतिमाह के भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

11. तद्नुसार, यह पुनरीक्षण आवेदन अनुज्ञात किया जाता है। विरोधी पक्षकार सं० 2 बशीर शेख को एतद् द्वारा इस आदेश की तिथि से अपनी पत्नी याची सं० 1 को 1000/- रुपया प्रतिमाह के भरण पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। उसे आगे इंगलिश कैलेन्डर के अनुसार प्रत्येक उत्तरवर्ती माह के प्रथम सप्ताह में भरण-पोषण की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

ekuuh; vkjî vkjî çlkn ,o çeFk iVuk;d] U;k;efrx.k

चंदू हेम्ब्रम

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (D.B.) No. 714 of 2005. Decided on 1st September, 2015.

एस॰ टी॰ सं॰ 108 वर्ष 2002 में अपर सत्र न्यायाधीश, घाटशिला द्वारा पारित दिनांक 7.3.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 9.3.2005 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 201—पिता की हत्या एवं साक्ष्य गायब करना—आजीवन कारावास—यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य नहीं है कि केवल अपीलार्थी मृतक की हत्या कर सकता था—ऐसे साक्ष्य की अनुपस्थिति में अपीलार्थी पर दोष डालना सुरक्षित कभी नहीं होगा—अपने पिता की हत्या करने के लिए अपीलार्थी की ओर से तर्कपूर्ण हेतु प्रतीत नहीं होता है—अपीलार्थी दोषमुक्त। (पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.—M/s Md. Shamim Akhtar, D.C. Ghosh, For the Appellant; Mr. Hardeo Prasad Singh, For the State.

न्यायालय द्वारा.—अपीलार्थी का अपने पिता शंखाए हेम्ब्रम की हत्या करने के लिए एवं हत्या का साक्ष्य गायब करने के लिए विचारण किया गया था। न्यायालय ने अपीलार्थी को दोनों आरोपों का दोषी पाने पर उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दिनांक 7.3.2005 के निर्णय के तहत दोषसिद्ध किया और दिनांक 9.3.2005 के आदेश के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतने और आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए तीन वर्षों का कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

2. आरंभ में निर्मित अभियोजन का मामला यह है कि सूचक पुंगी हंसदा अ॰ सा॰ 1 अपने घर में अपनी दो पुत्रियाँ फूलमणि हंसदा अ॰ सा॰ 2 एवं संजू हंसदा अ॰ सा॰ 3 तथा अपने पिता शंखाए हेम्ब्रम (मृतक) एवं भाई चंदू हेम्ब्रम (अपीलार्थी) के साथ रह रही थी। उसके पिता शंखाए हेम्ब्रम को अनावश्यक रूप से हल्ला करने की आदत थी और उस कारण अपीलार्थी अपने पिता पर प्रहार किया करता था। अभियोजन का आगे मामला यह है कि दिनांक 19.12.2001 को सूचक पुंगी हंसदा अ॰ सा॰ 1 घर पर मृतक एवं इस अपीलार्थी को छोड़कर अपनी दोनों पुत्रियों के साथ उड़ीसा अवस्थित ग्राम भवराबेरा आयी। जब दिनांक 23.12.2001 को वे घर लौटे, सूचक ने अपने पिता एवं भाई को नहीं पाया था। उसने उस समय पर संदेह किया कि उसका पिता अपने गाँव के घर चला गया होगा। दिनांक 22.2.2002 को जब सूचक की पुत्री संजू हंसदा अ॰ सा॰ 3 घर बुहार रही थी, उसने मिट्टी से बाहर निकले व्यक्ति के शरीर का कुछ भाग देखा। इस पर, उसने सूचक को सूचित किया जिसने आगे श्री राम हंसदा अ॰ सा॰ 4, प्रदीप मार्दी अ॰ सा॰ 5 एवं अन्य को सूचित किया जो वहाँ आए और वही चीज देखा। इस पर मामला मूसाबनी पुलिस थाना को सूचित किया गया था जहाँ प्रभारी अधिकारी के रूप में पदस्थापित शिव शंकर तिवारी अ॰ सा॰ 7 ने फर्दबयान (प्रदर्श 1/2) दर्ज किया।

3. ऐसे फर्दबयान पर, औपचारिक प्राथमिकी लिखी गयी थी। आई॰ ओ॰ ने मामला दर्ज करने पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति के लिए जिला प्रशासन के समक्ष आवेदन दाखिल किया। उसकी प्रार्थना पर,

मृत शरीर निकालने के लिए बी० डी० ओ० को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। तद्नुसार, आई० ओ० प्रखंड विकास अधिकारी, मूसाबनी के साथ घटना स्थल पर आया और उन्होंने मृत शरीर खोदकर निकाला जिसे उसके वस्त्रों से मृतक शंखाए हेमब्रम के रूप में पहचाना गया था। इस पर, आई० ओ० ने मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा जिस डॉ० ललन चौधरी अ० सा० 8 द्वारा किया गया था जिन्होंने शव परीक्षण करने पर शरीर को अत्यन्त विघटित दशा में पाया। किंतु, उन्होंने दायीं बाँह को कंट्यूज्ड एवं रक्त रंजित पाया। छाती का पूरा पिछला भाग कंट्यूज्ड पाया गया था। स्कापुली के बायें भाग का अंदरूनी पहलू भी कंट्यूज्ड पाया गया था। सर्वाइकल वर्टीब्रा का वेन्ट्रल पहलू कंट्यूज्ड था। दायीं जाँघ एवं सामने की खाल भी कंट्यूज्ड पाया गया था।

डॉक्टर ने इस मत के साथ शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 4) जारी किया कि मृत्यु गर्दन पर दबाव डाले जाने के कारण हुआ था। अन्य उपहतियाँ कठोर तथा भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी।

4. अन्वेषण पूरा करने पर, जब आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, अपीलार्थी के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया था। जब मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था, अपीलार्थी का विचारण किया गया था, जिसके दौरान अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध करने के लिए कुल आठ गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से, अ० सा० 1 पुंगी हंसदा और पुंगी हंसदा की पुत्री अ० सा० 2 फूलमणि हंसदा ने परिसाक्ष्य दिया कि मृतक एवं अपीलार्थी उनके साथ रह रहे थे। दिनांक 19.12.2001 को वे अपीलार्थी एवं मृतक को घर पर छोड़ कर गाँव के घर गए थे। जब वे दिनांक 23.12.2001 को लौटे, उन्होंने मृतक अथवा अपीलार्थी को घर पर नहीं पाया था। किंतु, उन्होंने इससे इनकार किया कि घर से कोई मृत शरीर बरामद किया गया था। उन दो गवाहों एवं अ० सा० 3 संजू हंसदा को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अ० सा० 4 श्री राम हंसदा ने परिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 19.12.2001 को सूचक अ० सा० 1 अपनी दोनों पुत्रियों अ० सा० 2 एवं 3 के साथ मृतक एवं अपीलार्थी को घर पर छोड़ कर पैतृक गृह गयी थी किंतु जब वे लौटे, उन्होंने मृतक एवं अपीलार्थी को घर पर नहीं पाया था। उसने आगे परिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 22.2.2002 को संजू हंसदा अ० सा० 3 दौड़ते हुए उसके घर आयी और उसको प्रकट किया कि किसी व्यक्ति के शरीर का कुछ भाग मिट्टी से बाहर निकला हुआ है और जब वह वहाँ गया, उसने भी यही पाया था और तत्पश्चात् पुलिस को मामले की सूचना दी गयी थी जो वहाँ आयी और मृत शरीर खोद कर बाहर निकाला उसके अनुसार, मृत शरीर को उसके वस्त्रों से पहचाना गया था जो मृतक के शरीर पर थे। अ० सा० 5 प्रदीप मार्दी एवं अ० सा० 6 श्री राम मार्दी ने परिसाक्ष्य दिया है कि सूचक के घर से मृत शरीर बरामद किया गया था।

5. अभियोजन मामला बंद करने पर, जब अपीलार्थी द्वारा दिए गए इकबालिया बयान सहित अपराध में फँसाने वाले सामग्री/साक्ष्य के बारे में दं० प्र० सं० की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी से पूछा गया था, अपीलार्थी ने इनकार किया। बाद में, अपीलार्थी ने बचाव गवाह देकर अभिवचन किया कि उसका पिता (मृतक) दोषसिद्ध किए जाने के बाद अपने नाना के घर बलियागोरा में रहने लगा था और वहाँ रह रहा था। किंतु, विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अधीन है।

6. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता मो० शमीम अख्तर निवेदन करते हैं कि यह सुझाने के लिए कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या की है, कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अथवा परिस्थिति नहीं है और तद्द्वारा

विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया है जो अपास्त किए जाने योग्य है।

7. इसके विरूद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरदेव प्रसाद सिंह निवेदन करते हैं कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी पाया था क्योंकि उस अवधि के दौरान जब मृतक की हत्या की गयी थी, केवल अपीलार्थी अपने पिता के साथ रह रहा था जिसे मृत पाया गया था और तद्द्वारा विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में कोई अवैधता नहीं किया था।

8. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख के परिशीलन पर, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश इस तथ्य के कारण दर्ज किया कि गवाहों के साक्ष्य के मुताबिक अपीलार्थी दिनांक 19.12.2001 से दिनांक 23.12.2001 तक मृतक के साथ घर में था जिस अवधि के दौरान सूचक अ॰ सा॰ 1 घर में नहीं थी और अपनी दोनों पुत्रियों अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 3 के साथ अपने पैतृक गृह गयी थी। अगर गवाहों के परिसाक्ष्य को सत्य स्वीकार भी किया जाता है कि दिनांक 19.12.2001 को जब सूचक अ॰ सा॰ 1 घर से निकली, अपीलार्थी मृतक के साथ घर में था किंतु यह कभी नहीं स्थापित करता है कि केवल अपीलार्थी मृतक की हत्या कर सकता था क्योंकि अभियोजन इस मामले के साथ आगे नहीं आया है कि पूरे पाँच दिन तक अपीलार्थी मृतक के साथ घर में था। ऐसे साक्ष्य की अनुपस्थिति में, अपीलार्थी को दोष देना कभी सुरक्षित नहीं होगा। विशेषत:, बचाव की दृष्टि में जिसे बचाव पक्ष की ओर से लिया गया है कि अपीलार्थी के पिता मृतक को दोषसिद्ध किए जाने के बाद अपीलार्थी दूसरे गाँव में अपने नाना के साथ रहने लगा था और वहाँ रह रहा था। इसके अलावा, यह दर्ज किया जाए कि एक ओर गवाहों में से एक कहता है कि अपीलार्थी मृतक के साथ अकेला था जब सूचक अपने पैतृक गृह जाने के लिए घर से निकली थी किंतु अ॰ सा॰ 5 प्रदीप मार्दी के अनुसार सूचक अ॰ सा॰ 1 घर में अपनी दोनों पुत्रियों को छोड़कर अकेले पैतृक गृह गयी थी। उस स्थिति में, किसी तर्कपूर्ण साक्ष्य, प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य, की अनुपस्थिति में, अपने पिता की हत्या करने का दोष अपीलार्थी पर नहीं डाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अपने पिता की हत्या करने के लिए अपीलार्थी की ओर से तर्कपूर्ण हेतु प्रतीत नहीं होता है। इन परिस्थितियों के अधीन, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया, अत: विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

9. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी को समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी चंदू हेम्ब्रम जो अभिरक्षा में है को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

10. इस प्रकार यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

कमल किशोर भगत एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (S.J.) No. 403 of 2015. Decided on 22nd September, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 135 वर्ष 1994 में श्री कृष्णा कुमार, विद्वान न्यायिक आयुक्त III, राँची द्वारा पारित दिनांक 22.6.2015 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 23.6.2015 के दंडादेश के विरूद्ध।

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 387—अवयव—धारा 387 के अधीन अपराध गठित करने के लिए, कुछ दृष्टव्य प्रत्यक्ष कृत्य होना चाहिए जो स्वाभाविक एवं सामान्य निष्कर्ष परिलक्षित कर सकता है कि अभियुक्तों ने वस्तुतः किसी व्यक्ति को मृत्यु अथवा घोर उपहति का भय दिखाया था—किसी दृष्टव्य कृत्य के बिना, केवल धमकी भरी भाषा का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है। (पैरा 13)

(ख) दांडिक विधि—साक्ष्य का अधिमूल्यन—अभियोजन गवाहों के साक्ष्य एवं साक्ष्य द्वारा सृजित प्रभाव का संपूर्ण रूप से निर्धारण करना है और तब यह निर्णय करना होगा कि क्या दोषसिद्धि आधारित करने के लिए साक्ष्य स्वीकार किया जाना है अथवा इसे त्यक्त किया जाना है—आई॰ ओ॰ की गलती के लिए संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य त्यक्त नहीं किया जा सकता है जब मौखिक साक्ष्य प्रहार के बिंदु पर संगत है। (पैरा 15)

(ग) भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 307—हत्या का प्रयास—क्या हत्या करने का कोई आशय था अथवा जानकारी थी कि मृत्यु कारित की जाएगी, तथ्य का प्रश्न है और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा—विनिश्चयकारी प्रश्न आशय अथवा जानकारी है और न कि उपहति की प्रकृति। (पैरा 17)

निर्णयज विधि.—(1976)4 SCC 394; (2009) SCC 709—Referred; (2004)13 SCC 189—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Surendra Singh, R.S.P. Sinha, Rakesh Kumar Sinha, For the Appellants; Mr. Mukesh Kumar, For the Resp.-State.

निर्णय

अपीलार्थीगण सत्र विचारण सं॰ 135 वर्ष 1994 में न्यायिक आयुक्त III, राँची द्वारा पारित दिनांक 22.6.2015 की दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 23.6.2015 के दंडादेश की वैधता को चुनौती देते हैं जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और प्रत्येक को व्यतिक्रम खंड के साथ 10,000/- रुपयों के जुर्माना के साथ सात वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 387/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और प्रत्येक को व्यतिक्रम खंड के साथ 5000/- रुपयों के जुर्माना के साथ पाँच वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 325/34 के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया है और दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। दोनों अपीलार्थियों को आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 448/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और छह माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। किंतु, समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया गया है।

2. प्राथमिकी में अभियोजन द्वारा प्रक्षेपित पृष्ठभूमि के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित हैं:—

दिनांक 28.9.1993 को सूचक डॉ॰ के॰ के॰ सिन्हा द्वारा दाखिल लिखित रिपोर्ट के आधार पर भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 447, 341, 323, 325 एवं 307 के अधीन एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन भी सदर पी॰ एस॰ केस सं॰ 95 वर्ष 1993 संस्थित किया गया था और बाद में आयुध अधिनियम की धाराएँ 25(1)(b)/26/35 भी अभिकथन के साथ जोड़ी गयी थी कि उसी दिन पर अपराह्न 5.10 बजे

जब सूचक अपने क्लिनिक में मरीजों की जाँच कर रहा था, सूचक के एडवांस्ड डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉ॰ अरूण सरकार (अ॰ सा॰ 1), डॉ॰ मिथिलेश दास एवं डॉ॰ केदार कुलकर्णी एम॰ आर॰ आई॰ फिल्म्स के साथ मामले पर चर्चा करने उसके चैम्बर में आए। तब सूचक ने अगले मरीज को बुलाने से रोक दिया और फिल्म्स एवं निष्कर्षों पर चर्चा करने लगा। चर्चा के दौरान, उन्होंने गौर किया कि एक व्यक्ति उनके चैम्बर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था और कम्पाउन्डर उसे प्रवेश नहीं करने के लिए समझा रहा था क्योंकि डॉक्टरों के साथ चर्चा चल रही थी, किंतु वह व्यक्ति किसी प्रकार से चैम्बर में घुस गया और अपने दो सहयोगियों को भी बुलाया। जब चर्चा चल रही थी, उनमें से दो धीरे से उनकी मेज तक आए और उनके समक्ष रखी खाली कुर्सियों पर बैठ गए किंतु तीसरा व्यक्ति खड़ा रहा। जब डॉक्टर कमरे से चले गए, सूचक ने कुर्सी पर बैठे उनमें से एक से पूछा कि वे क्या चाहते हैं, जिस पर व्यक्तियों में से एक ने स्वयं को कमल किशोर भगत (अपीलार्थी सं॰ 1) के रूप में पहचान बताया और कहा कि वे समस्त ए॰ जे॰ एस॰ यू॰ दल के हैं और अपने दो अन्य सहयोगियों का परिचय सुदर्शन भगत एवं एलेस्टर बोदरा (अपीलार्थी सं॰ 2) के रूप में दिया। उक्त कमल किशोर भगत ने सूचित किया कि उसके दल की बैठक कल पटना में होने वाली है और वे उसमें भाग लेने जा रहे हैं और उन्हें धन की आवश्यकता है और सूचक से धन मांगा जिसका भुगतान करने से उसने इनकार कर दिया। यह अभिकथित भी किया गया है कि उसके इनकार से नाराज होकर उनमें से एक सुदर्शन भगत ने उससे पूछा कि ''वह उन्हें धन क्यों नहीं देगा और क्या वह इस इनकार का परिणाम समझता है।'' जिस पर इस सूचक ने पूछा ''क्या उसका मतलब बलपूर्वक रंगदारी (उद्यापन) की मांग करना है, उक्त व्यक्ति ने कहा, ''हाँ ऐसा ही है।'' किंतु तब भी, सूचक ने भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिस पर उक्त व्यक्ति अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, सूचक के चेहरे को घूरा और उसके बायें गाल पर जोरदार तमाचा मारा और उसके मुँह पर जोरदार मुक्का भी मारा, जिसका परिणाम उसके होंठ पर उपहति में हुआ और इससे खून बहने लगा। सूचक को चक्कर आ गया और वह बिल्कुल हक्का-बक्का था कि क्या हुआ था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति जो ऐसी मांग के साथ आया हो, उसके चेहरे पर प्रहार करेगा। तत्पश्चात्, कमल किशोर भगत ने वार किया जिसे सूचक ने अपना दायाँ हाथ आगे कर बचाने का प्रयास किया किंतु इससे उसकी दायीं तर्जनी उंगली में फ्रैक्चर कारित हो गया। यह अभिकथित किया गया है कि कमल किशोर भगत ने अपना रिवाल्वर निकाला और उसकी हत्या करने का प्रयास किया जिस पर वह मदद के लिए चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर, उसका कंपाउन्डर एवं अनेक व्यक्ति जो मरीजों अथवा मरीजों के संबंधियों के रूप में प्रतीक्षारत थे क्लिनिक का दरवाजा खोल कर उसके चैम्बर में आए और उनको पकड़ लिया और उन्हें बचाया। भीड़ ने उनको उसके चैम्बर से बाहर निकाला और चूँकि काफी खून बह रहा था, सूचक को उसके आवासीय गृह के अंदर ले जाया गया था, जो उसी कम्पाउन्ड के भीतर था जहाँ सूचक ने बंदूक या रिवाल्वर से गोली चलने का आवाज सुना। सूचक को यह भी पता चला कि हमलावरों के और भी सहयोगी थे जो बाहर एम्बेस्डर कार में प्रतीक्षा कर रहे थे किंतु जब उन्होंने भागने का प्रयास किया, भीड़ ने उनको भी पकड़ लिया। किसी ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस वहाँ आयी। इस बीच, उसके सहयोगियों में से एक ने डॉ॰ मजीद आलम (अ॰ सा॰ 2) को टेलीफोन किया जो तुरन्त आए और सूचक को इलाज के लिए अपने नर्सिंग होम ले गए।

3. सम्यक अन्वेषण के बाद, अन्वेषण अधिकारी ने दो अभियुक्तों अर्थात कमल किशोर भगत एवं एलेस्टर बोदरा के विरूद्ध तीसरे अभियुक्त सुदर्शन भगत को मृतक के रूप में दर्शाते हुए भारतीय दंड संहिता की धाराओं 447/34, 323, 325 एवं 307 के अधीन और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन भी आरोप पत्र दाखिल किया। तद्नुसार, न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया और विचारण के

लिए मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया। यहाँ, मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि वर्तमान अपीलार्थी सं॰ 2 एलेस्टर बोदरा की प्रेरणा पर घटना की तिथि को सूचक डॉ॰ के॰ के॰ सिन्हा, उसके पुत्र पप्पू सिन्हा एवं अन्य लोगों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 342, 323, 324, 325, 326, 307 एवं 302 के अधीन अपराध करने के लिए और वर्तमान मामले के सूचक के परिसर के अंदर सुदर्शन भगत की हत्या करने के लिए बरियातू पी॰ एस॰ केस सं॰ 96 वर्ष 1993 दर्ज किया गया था।

4. सुपुर्दगी के बाद, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दो अपीलार्थियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 448, 387, 325 एवं 307/34 के अधीन और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन भी आरोप विरचित किया। जैसा अपीलार्थियों जिन्होंने पहले अपने विरूद्ध लगाए गए आरोपों का दोषी नहीं होने का अभिवचन किया था और विचारण किए जाने का दावा किया था ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अपने परीक्षण में कथन किया कि उन्होंने किसी पर कोई प्रहार कभी नहीं किया था बल्कि जब वे एक मरीज के इलाज के लिए डॉक्टर से मिलने गए थे, तब कुछ गरमागरम बहस हुई थी। जिसके बाद सूचक के निर्देश पर उसके सुरक्षा प्रहरियों एवं उसके पुत्र ने उन पर हमला किया और उन पर प्रहार किया जिसके बाद अपीलार्थीगण एवं एक अन्य व्यक्ति बेहोश हो गए और पुलिस उन तीनों को इलाज के लिए आर॰ आई॰ एम॰ एस॰ ले गयी किंतु उसके साथी में से एक सुदर्शन भगत की मृत्यु इलाज के दौरान हो गयी। बचाव ने एक गवाह अर्थात वर्तमान मामले के अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण किया था, जिसे अपीलार्थी सं॰ 2 एलेस्टर बोदरा द्वारा दर्ज मामले के अन्वेषण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

5. विचारण के क्रम में, अभियोजन ने कुल पाँच गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से, अ॰ सा॰ 1 अरूण सरकार, अ॰ सा॰ 2 डॉ॰ मजीद आलम, अ॰ सा॰ 3 डॉ॰ कृष्णाकांत सिन्हा, सूचक, अ॰ सा॰ 4 नवल किशोर सिन्हा एवं अ॰ सा॰ 5 महेन्द्र नाथ तिवारी हैं और उनके परीक्षण के बाद एक गवाह बाजुन हेम्ब्रम का न्यायालय गवाह के रूप में परीक्षण किया गया था।

6. आक्षेपित निर्णय के परिशीलन पर, मैं पाता हूँ कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्य पर चर्चा किया है और बचाव की तुलना में अभियोजन मामला स्वीकार करने के लिए विस्तृत कारण दिया है और अपीलार्थियों को दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया है जैसा उपर उपदर्शित किया गया है।

7. अपीलार्थियों के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह ने दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश का विरोध करते हुए गंभीर रूप से प्रतिवाद किया कि अभियोजन मामले में अनेक त्रुटियाँ हैं, जो इसे स्वीकरण के अयोग्य बनाती है और श्री सिंह की चुनौती में से एक यह था कि स्वयं घायल जिसने अपने दाएँ हाथ की तर्जनी उंगली पर घोर उपहति (हेयर क्रैक) का दावा किया था के विस्तृत लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श 2) के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और ऐसी उपहति वाले व्यक्ति द्वारा ऐसा विस्तृत लिखित रिपोर्ट अनधिसंभाव्य है। श्री सिंह द्वारा किया गया एक अन्य प्रतिवाद यह है कि कल्पना के किसी विस्तार तक यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थियों का सूचक की हत्या करने का आशय था और भले ही संपूर्णता में अभियोजन विवरण स्वीकार किया जाता है, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध नहीं बनता है क्योंकि उक्त धारा के अधीन अपराध गठित करने के लिए जिम्मेदार आशय जैसे अवयवों की पूर्णत: कमी है। सूचक पर प्रहार करने के लिए किसी घातक हथियार अथवा किसी हथियार का उपयोग नहीं किया गया था बल्कि अभिकथित उपहतियाँ थप्पड़-मुक्का से कारित की गयी थी और किसी तर्कसंगत आधार के बिना, अपीलार्थियों को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन दोषसिद्ध किया

गया है। यह टिप्पणी भी की गयी थी कि यद्यपि सूचक ने कथन किया है कि अपीलार्थी सं॰ 1 रिवाल्वर से लैस था और रिवाल्वर दिखाकर सूचक को धमकी दी गयी थी किंतु ऐसा साक्ष्य अथवा अवर न्यायालय का निष्कर्ष नहीं है कि किसी आग्नेयास्त्र का उपयोग किया गया था। दाएँ हाथ की तर्जनी उंगली पर 'हेयर क्रैक' अर्थात घोर उपहति के सिवाए अन्य समस्त उपहतियों को कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित किया गया पाया गया था। इस दशा में, अधिकाधिक अपीलार्थियों द्वारा किया गया अपराध भले ही इसे स्वीकार किया जाए, धारा 325 की परिधि के अंतर्गत आएगा और न कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन श्री सिंह ने आगे गंभीर रूप से प्रतिवाद किया कि विचारण न्यायालय ने मुख्यत: उपहति रिपोर्ट (प्रदर्श 1) पर विश्वास किया किंतु इसपर विचार करने में विफल रहा कि उक्त रिपोर्ट डॉ॰ मजीद आलम (अ॰ सा॰ 2) द्वारा घटना की तिथि के लगभग ढाई माह बाद तैयार की गयी थी और दिनांक 28.9.1993 का एक्सरे प्लेट, जिस पर विश्वास करते हुए उक्त उपहति रिपोर्ट तैयार की गयी प्रतीत होती है, को अभियोजन द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है। अत:, ऐसी उपहति रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए दोषसिद्धि दर्ज किया जाना विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिवाद भी किया गया था कि घटना के ही दिन वर्तमान अपीलार्थी सं॰ 2 ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं अनेक अन्य प्रावधानों के अधीन इस मामले के सूचक और उसके पुत्र के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया था किंतु वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा अपीलार्थी को आयी उपहतियों को स्पष्ट नहीं किया गया है। अभियुक्तों के शरीर पर उपहतियों को स्पष्ट करने में अभियोजन की ओर से लोप अधिक महत्व धारण करता है क्योंकि ऐसी उपहतियों का गैर-स्पष्टीकरण दर्शाता है कि घटना की उत्पत्ति जानबूझ कर दबायी गयी थी जो इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि अभियोजन घटना के सच्चे विवरण के साथ नहीं आया है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **लक्ष्मी सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, (1976) 4 SCC 394,** मामले पर विश्वास किया है। आगे यह प्रतिवाद किया गया था कि इस विवाद्यक को सुलझाने के लिए कि क्या तुरन्त इलाज के बाद कोई इतनी लंबी रिपोर्ट लिख सकता है, अभियोजन द्वारा चिकित्सा क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ का परीक्षण नहीं किया गया था और किसी विशेषज्ञ के मत की अनुपस्थिति संपूर्ण अभियोजन मामले पर संदेह सृजित करती है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने अपने प्रतिवाद के समर्थन में **रामचंद्र अग्रवाल बनाम रीजेन्सी अस्पताल लिमिटेड एवं अन्य, 2009 SCC 709** मामले पर विश्वास किया है। अंत में, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने वैकल्पिक निवेदन आग्रहित किया कि साक्ष्य के आधार पर भी यदि न्यायालय उद्दापन के निष्कर्ष पर आता है, अधिकाधिक दोषसिद्धि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 385 के अधीन आएगी और न कि धारा 387 के अधीन।

8. उक्त निवेदनों का खंडन करते हुए राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करने पर विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष अस्त व्यस्त नहीं किया जाना चाहिए। यह निवेदन भी किया गया था कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि न्यायोचित ठहराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित करने योग्य शारीरिक उपहति कारित की गयी हो बल्कि न्यायालय को केवल यह देखना है कि क्या इसके परिणाम को ध्यान में लिए बिना कृत्य आशय अथवा जानकारी के साथ किया गया था।

9. प्रथमत: मैं भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 387/34 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की परीक्षा करना चाहूँगा। विचारार्थ आया प्रश्न यह है कि क्या अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों को उद्दापन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जब एक बार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उद्दापन था क्योंकि दोनों अपीलार्थीगण अपने एक अन्य सहयोगी के साथ सामान्य आशय के साथ अ॰ सा॰ 3 के क्लिनिक में आए, एकमात्र प्रश्न जिस पर विचार किया जाना शेष है यह है कि

क्या अपीलार्थीगण अ॰ सा॰ 3 की मृत्यु कारित करने का आशय रखते थे अथवा क्या वे अ॰ सा॰ 3 सूचक को मृत्यु अथवा शारीरिक उपहति का भय दिखलाकर उद्यापन करने का इरादा रखते थे।

10. पक्षों के अधिवक्ता की सहायता से, मैंने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का परिशीलन किया है। किसी निष्कर्ष पर आने के पहले, दो गवाहों, सूचक डॉ॰ के॰ के॰ सिन्हा (अ॰ सा॰ 3) एवं कंपाउन्डर नवल किशोर सिंह (अ॰ सा॰ 4) के परिसाक्ष्य का परीक्षण करना आवश्यक है। अ॰ सा॰ 3 ने अपने लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श 2) में किए गए संपूर्ण अभिकथन को संपुष्ट करते हुए आगे दोहराया कि वह अपने क्लिनिक में मरीजों की जाँच कर रहा था जब उसके डायग्नोस्टिक सेन्टर के डॉ॰ मिथिलेश दास, डॉ॰ केदार कुलकर्णी एवं डॉ॰ अरूण सरकार एम॰ आर॰ आई॰ फिल्म्स पर चर्चा करने आए और चर्चा के दौरान, उन्होंने गौर किया कि उनकी क्लिनिक का प्रवेश द्वार खोलने के बाद, एक व्यक्ति अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था और उनका कम्पाउन्डर नवल (अ॰ सा॰ 4) शायद उनको चैम्बर के अंदर नहीं जाने के लिए कह रहा था क्योंकि अ॰ सा॰ 3 अन्य डॉक्टरों के साथ चर्चा कर रहे थे किंतु उक्त व्यक्ति उनके चैम्बर के अंदर घुस गया और अपने दो अन्य सहयोगियों को भी चैम्बर के अंदर आने के लिए कहा। इस गवाह ने आगे परिसाक्ष्य दिया कि तीनों उसके समक्ष आए और उनमें से दो खाली कुर्सियों पर बैठे और तीसरा खड़ा रहा। जब तीनों डॉक्टर चर्चा के बाद चैम्बर से चले गए, गवाह ने उनसे पूछा और उनमें से एक ने अपनी पहचान कमल किशोर भगत (अपीलार्थी सं॰ 1) के रूप में और अन्य दो की पहचान सुदर्शन भगत एवं एलेस्टर बोदरा (अपीलार्थी सं॰ 2) के रूप में प्रकट किया और उन्होंने सूचित किया कि वे ए॰ जे॰ एस॰ यू॰ दल के नेता है और उनके दल की पटना में रैली है और अनेक व्यक्तियों को पटना जाना है और उसके लिए विपुल धन की आवश्यकता है, अत: वे धन के लिए आए हैं किंतु उन्होंने विनिर्दिष्ट राशि प्रकट नहीं किया था।

इस गवाह ने यह कहकर धन का भुगतान करने से इनकार कर दिया कि वह राजनीतिक दलों को धन नहीं देता था जिससे कुर्सी पर बैठे दोनों व्यक्ति क्रोधित हो गए और वे गवाह के निकट आए और धमकी दी कि ''क्या तुम इस इनकार का परिणाम नहीं जानते हो।'' जब इस गवाह ने उत्तर दिया कि इसका अर्थ रंगदारी है, उन्होंने तुरन्त उत्तर दिया कि वह ऐसा समझ सकता है। इस गवाह ने उनको चैम्बर से जाने के लिए कहा किंतु व्यक्ति जिसने स्वयं का पहचान सुदर्शन भगत के रूप में दिया था ने उसके बाएँ गाल पर जोरदार तमाचा एवं मुक्का मारा। कमल किशोर भगत ने भी उसके मुँह पर मुक्का मारा, जिससे उसके होंठ से खून बहने लगा और जब कमल किशोर भगत ने दूसरा वार किया, उसने अपने दाएँ हाथ से स्वयं को बचाने का प्रयास किया किंतु वार ने उसके दाएँ हाथ की तर्जनी उंगली पर उपहति कारित किया। इस गवाह ने हल्ला किया जिस पर कमल किशोर भगत ने अपना रिवाल्वर निकाला और उसकी ओर निशाना लगाया और गोली चलाने की धमकी दी यदि धन का भुगतान नहीं किया जाता है किंतु तब तक उसके स्टाफ और मरीजों के संबंधी उसके चैम्बर के अंदर आ गए और उन्होंने तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया और उनको उसके चैम्बर से बाहर निकाला। चूँकि, होंठ पर उपहति से खून बह रहा था, उसके एक स्टाफ ने डॉ॰ मजीद आलम को फोन किया जो तुरन्त वहाँ आए और घायल सूचक को अपने क्लिनिक ले गए जहाँ आरंभिक जाँच के बाद उनका होंठ सिला गया था और उंगली का एक्सरे किया गया था। अपने निवास स्थान पर आने के बाद उन्होंने पुलिस को अपना लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श 2) दिया।

विस्तृत प्रति-परीक्षण के दौरान, अभियोजन मामले को प्रभावित करने अथवा अ॰ सा॰ 3 के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह सृजित करने के लिए उनसे कुछ भी नहीं निकाला जा सका था। इस गवाह ने यह कथन करके कि सबसे पहले मरीजों का संक्षिप्त इतिहास कार्यालय में लिखा जाता है, अपने क्लिनिक में मरीजों की जाँच करने की प्रक्रिया स्पष्ट किया जाता है। तत्पश्चात, बीमारी की प्रकृति पर

विचार करते हुए इसे गवाह द्वारा मरीज के परीक्षण की तिथि सामान्यत: नियत की जाती है और नम्बर एक माह के बाद आ सकता है। इस गवाह को दिया गया सुझाव कि अभियुक्तगण अपने ड्राइवर नईम आलम का इलाज करने के अनुरोध के साथ उसके चैम्बर में आए थे, से गवाह द्वारा पूरा इनकार किया गया है।

11. अ॰ सा॰ 3 डॉ॰ के॰ के॰ सिन्हा का साक्ष्य गवाह अ॰ सा॰ 4 के परिसाक्ष्य से पर्याप्त संपुष्टि पाता है जो अ॰ सा॰ 3 का कम्पाउन्डर था और इस गवाह ने घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति संपुष्ट करते हुए आगे संपुष्ट किया है कि घटना की तिथि पर वह डॉ॰ के॰ के॰ सिन्हा (अ॰ सा॰ 3) की क्लिनिक में था जहाँ वह डॉक्टर के चैम्बर के द्वार के निकट बैठा करता था और उस तिथि पर भी वह सामान्य रूप से मरीजों के साथ व्यवहार कर रहा था और उनके नम्बर के मुताबिक उनको एक–एक कर चैम्बर में भेज रहा था जब तीन व्यक्ति आए और डॉक्टर के चैम्बर के अंदर घुसने का प्रयास किया और जब उसने प्रतिरोध किया, उनमें से एक जबरन चैम्बर में घुस गया और अन्य भी उसके पीछे चैम्बर में घुस गए। जब तीनों जबरन चैम्बर में घुसे, उस समय पर डॉ॰ अरूण सरकार और अन्य डॉक्टर मरीजों के एम॰ आर॰ आई॰ फिल्म पर अ॰ सा॰ 3 के साथ चर्चा में व्यस्त थे। चर्चा के बाद, डॉ॰ अरूण सरकार (अ॰ सा॰ 1) एवं अन्य डॉक्टर डॉ॰ के॰ के॰ सिन्हा को छोड़ कर बाहर आए। तीनों व्यक्ति चैम्बर के अंदर बने रहे। कुछ समय बाद उसने डॉ॰ के॰ के॰ सिन्हा का शोर सुना और जब उसने दरवाजा खोला, उसने डॉ॰ के॰ के॰ सिन्हा के होठों से बहता खून देखा। मरीज और उनके संबंधी, जो बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे, भी शोर सुनकर चैम्बर के अन्दर आए और तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया और उनको बाहर लाए और उन पर प्रहार किया। ऐसे प्रहार के कारण, एक व्यक्ति बेहोश हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी। उसका साक्ष्य भी प्रति परीक्षण में अटल बना रहा है और मुझे वह सत्यपूर्ण गवाह प्रतीत होता है। इस प्रकार, अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य से मृतक अभियुक्त के साथ अपीलार्थियों की अंतर्ग्रस्तता पर्याप्त रूप से स्थापित होती है।

12. अपीलार्थियों के आशय एवं उनके पारिणामिक कृत्य का विनिश्चय करने के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 387 के अधीन अपराध गठित करने के लिए जिम्मेदार अवयवों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"387.* ***míkiu dju d fy, fdlh 0;fDr dk eR; ;k ?kkj migfr d Hk; e Mkyuk-*** *&tk dkb míkiu dju d fy, fdlh 0;fDr d Lo; mldh ;k fdlh vU; 0;fDr dh eR; ;k ?kkj migfr d Hk; e Mkyxk ;k Hk; e Mkyu dk ç;Ru djxk] og nkuk e l fdlh Hkkfr d dkjkokl l] ftldh vofèk lkr o"k rd dh gk ldxh] nf.Mr fd;k tk,xk vkj teku l Hkh n.Muh; gkxkA***

13. प्रकटत:, धारा 387 के अधीन अपराध गठित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि कुछ दृष्टव्य प्रत्यक्ष कृत्य होना चाहिए, जो स्वाभाविक एवं सामान्य निष्कर्ष परिलक्षित कर सकता है कि अभियुक्तों ने वस्तुत: व्यक्ति को मृत्यु अथवा घोर उपहति का भय दिखाया था अथवा भय दिखाने का प्रयास किया था और किसी दृष्टव्य कृत्य के बिना केवल धमकी भरी भाषा का उपयोग करना उस अपराध को गठित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान मामले में, अ॰ सा॰ 3 ने अपने साक्ष्य में स्पष्टत: परिसाक्ष्य दिया है कि समस्त तीनों अभियुक्तगण जबरन उसके चैम्बर में घुसे, तब भी जब उन्हें सूचित किया गया था कि अ॰ सा॰ 3 अन्य डॉक्टरों के साथ चर्चा में व्यस्त थे और जब अन्य डॉक्टर कमरे से बाहर चले गए, उन्होंने रंगदारी मांगा। जब इस गवाह ने कोई रंगदारी देने से इनकार किया, सुदर्शन भगत ने धमकी दिया कि क्या तुम इनकार का परिणाम नहीं जानते हो और तत्पश्चात उनके चेहरे पर

दो बार प्रहार किया। अपीलार्थी सं॰ 1 कमल किशोर भगत ने उसके चेहरे पर जोरदार वार किया जिसने उसके होठों पर उपहतियाँ कारित किया और दूसरे वार ने दाएँ हाथ की तर्जनी उंगली में हेयरलाइन फ्रैक्चर कारित किया। प्रहार के बाद भी, इस गवाह ने कोई धन देने से इनकार किया, तब अपीलार्थी सं॰ 1 ने अपना रिवाल्वर निकाला और इस गवाह की ओर निशाना लगाया और उसको गंभीर परिणामों की धमकी दी किंतु जैसे ही अ॰ सा॰ 3 ने शोर किया, अ॰ सा॰ 4 तथा चैम्बर के बाहर प्रतीक्षारत अनेक अन्य व्यक्ति चैम्बर में घुसे और तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। अपीलार्थियों की ओर से दृष्टव्य प्रत्यक्ष कृत्य साक्ष्य से स्पष्ट होगा कि धन की उनकी मांग से इनकार पर अ॰ सा॰ 3 पर अपीलार्थी सं॰ 1 एवं मृतक सुदर्शन भगत द्वारा प्रहार किया गया था। उद्दापन की संपूर्ण घटना अपीलार्थियों द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने में की गयी थी और प्रत्येक अपीलार्थी भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 387/34 के अधीन आन्वयिक रूप से दायी होगा। अ॰ सा॰ 2 डॉ॰ मजीद आलम जिन्होंने घटना के तुरन्त बाद सूचक डॉ॰ के॰ के॰ सिन्हा (अ॰ सा॰ 3) का परीक्षण किया था ने अपने साक्ष्य में परिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने घायल डॉ॰ सिन्हा के शरीर पर निम्नलिखित चार उपहतियों को पाया:–

(i) eg d dk.k d fudV mijh gkB d ck; Hkkx ij 1"x1/2"x1/2" dk fonh.k t [eA

(ii) ck; Hkkx d VEikjy {k= ij 4"0;kl dk [kjkpA

(iii) ck, vkèk Hkkx e mijh gkB ij [kjkpA

(iv) nk, rtuh mxyh ij ltuA

इस गवाह ने आगे कथन किया है कि उनकी सलाह पर उनके क्लिनिक में दाएँ तर्जनी उंगली का एक्सरे किया गया था और दाएँ तर्जनी उंगली में प्राक्सिनल थैलेंक्स में दो लिनियर फ्रैक्चर पाया गया था और उपहति रिपोर्ट (प्रदर्श 1) तैयार किया गया था। प्रदर्श 1 से यह प्रतीत होता है कि इसे बचाव पक्ष की ओर से किसी आपत्ति के बिना प्रदर्श चिन्हित किया गया था किंतु प्रकटत: यह उपहति रिपोर्ट घटना की तिथि के ढाई माह से अधिक बाद तैयार की गयी थी यद्यपि घटना की तिथि पर घायल सूचक का परीक्षण किया गया था और उसी दिन एक्सरे भी किया गया था। किंतु, अभियोजन ने अभिलेख पर उक्त एक्सरे रिपोर्ट को नहीं लाया है।

14. अभियोजन गवाहों के साक्ष्य एवं साक्ष्य द्वारा सृजित प्रभाव का निर्धारण संपूर्ण रूप से करना होगा और तब यह निर्णय करना होगा कि क्या दोषसिद्धि आधारित करने के लिए साक्ष्य स्वीकार किया जाना है अथवा त्यक्त किया जाना है। डॉक्टर ने दाएँ तर्जनी उंगली का सूजन दर्शाने वाली उपहति जिसे बाद में लिनियर फ्रैक्चर पाया गया था के सिवाए समस्त उपहतियों को सामान्य प्रकृति का पाया है। चिकित्सीय साक्ष्य दोनों गवाहों अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 4 के प्रहार के मौखिक परिसाक्ष्य को पूर्णत: संपुष्ट करता है और यह दृष्टव्य प्रत्यक्ष कृत्य स्पष्टत: सूचक अ॰ सा॰ 3 से उसको मृत्यु का भय दिखाते हुए उद्दापन के कृत्य की ओर झुकता है। पुलिस ने घटना के तुरन्त बाद अपीलार्थी सं॰ 1 के कब्जा से रिवाल्वर के बैरल में फँसी एक कारतूस एवं दो अनुपयोगित कारतूस के साथ एक रिवाल्वर जब्त किया था जिसे अ॰ सा॰ 5 के परिसाक्ष्य पर प्रदर्श 4 के रूप में चिन्हित किया गया था।

15. इस मोड़ पर, अपीलार्थियों के विद्वान वरीय अधिवक्ता के निवेदन कि उपहति रिपोर्ट घटना के लगभग ढाई माह बाद दिनांक 18.12.1993 को तैयार की गयी थी, अत: उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है पर यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता है। दिनांक 18.12.1993 की उपहति रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 28.9.1993 को अ॰ सा॰ 2 डॉ॰ मजीद आलम द्वारा अ॰ सा॰ 3 का परीक्षण

किया गया था और रिपोर्ट दाएँ तर्जनी उंगली के प्राक्सिमल थालामेक्स में लिनियर फ्रैक्चर दर्शाने वाले अ० सा० 3 के दिनांक 28.9.1993 के एक्सरे प्लेट आर० 9 पर आधारित थी। यहाँ, मैं अ० सा० 5 अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य पर चर्चा करना चाहूँगा जिसने अपने साक्ष्य के पैराग्राफ 9 में स्पष्टत: कथन किया है कि उसने डॉ० के० के० सिन्हा (अ० सा० 3) की उपहति रिपोर्ट प्राप्त किया था और केस डायरी के पैराग्राफ 38 में उसके प्रति निर्देश का उल्लेख किया गया है। केस डायरी के पैराग्राफ 6 में डॉ० मजीद (अ० सा० 2) द्वारा डॉ० के० के० सिन्हा के चिकित्सीय परीक्षण का निर्देश है, अत:, ऐसा नहीं है कि अ० सा० 2 द्वारा अ० सा० 3 का परीक्षण नहीं किया गया था। अ० सा० 5 के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि उपहति रिपोर्ट का निर्देश है किंतु यह केस डायरी में उपलब्ध नहीं है। उक्त उपहति रिपोर्ट (प्रदर्श 1) बाद में प्राप्त किया गया था जब अन्वेषण अधिकारी ने केस डायरी में मूल उपहति रिपोर्ट नहीं पाया था। यह सुनिश्चित है कि अन्वेषण अधिकारी की गलती के कारण संपूर्ण अभियोजन मामला खारिज नहीं किया जा सकता है जब मौखिक साक्ष्य प्रहार के बिंदु पर संगत है। तब भी जब उपहति रिपोर्ट (प्रदर्श 1) न्यायालय में प्रदर्श के रूप में चिन्हित किया गया था, बचाव की ओर से आपत्ति नहीं की गयी थी। प्रकटत: घोर उपहति थी और यदि इसके प्रभाव का पठन रिवाल्वर की जब्ती के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है, भा० दं० सं० की धारा 387 के अधीन अपराध गठित करता है। मैं पाता हूँ कि अवर न्यायालय ने भी सावधानीपूर्वक गवाहों के साक्ष्य का विश्लेषण किया है और मैं अभियोजन गवाहों के साक्ष्य में उन्हें त्यक्त करने के लिए कोई ध्यान में लिए जाने योग्य अंतर नहीं पाता हूँ।

16. भा० दं० सं० की धारा 34 लागू करने के लिए एक अन्य अभियुक्त की ओर से किसी प्रत्यक्ष कृत्य का दर्शाना आवश्यक नहीं है भले ही अभियुक्त विशेष द्वारा स्वयं कोई उपहति कारित नहीं की गयी है। इसे दांडिक कृत्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित किया गया है। न तो अ० सा० 3 ने और न ही अ० सा० 4 ने परिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी सं० 02 एलेस्टर बोदरा ने सूचक अ० सा० 3 पर कोई उपहति कारित किया था। सामान्य आशय का आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन को साक्ष्य द्वारा स्थापित करना होगा कि अपराध करने के लिए समस्त अभियुक्तों की योजना एवं मतैव्य था। स्पष्टत:, एलेस्टर बोदरा इसी आशय के साथ अपीलार्थी सं० 1 सहित दो अभियुक्तों के साथ अ० सा० 3 के चैम्बर में घुसा था। नि:संदेह, उसने प्रहार में भाग नहीं लिया था किंतु तीनों सामान्य आशय के साथ चैम्बर में घुसे थे। भा० दं० सं० की धारा 34 की वर्तमान मामले के तथ्यों के प्रति स्पष्ट प्रयोज्यता है और यह विचारण न्यायालय द्वारा सही प्रकार से एवं समुचित रूप से लागू की गयी प्रतीत होती है।

17. अब अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के दृष्टिकोण पर आते हुए कि वास्तव में भा० दं० सं० की धारा 307 की प्रयोज्यता नहीं थी क्योंकि सूचक अ० सा० 3 की हत्या करने का आशय अपीलार्थियों का नहीं था, मैंने उस अभिवचन पर विचार किया है। भा० दं० सं० की धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि न्यायोचित ठहराने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित करने योग्य शारीरिक उपहति कारित की जानी चाहिए थी। स्पष्टत:, वास्तविक रूप से कारित उपहति की प्रकृति प्राय: अभियुक्त के आशय के प्रति निष्कर्ष पर आने में काफी सहायता दे सकती है, ऐसे आशय का निष्कर्ष अन्य परिस्थितियों से भी निकाला जा सकता है। क्या हत्या करने का कोई आशय था अथवा जानकारी थी कि मृत्यु कारित की जाएगी, तथ्य का प्रश्न है और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। विनिश्चयकारी प्रश्न आशय अथवा जानकारी, यथास्थिति, है और न उपहति की प्रकृति। वर्तमान मामले में, डॉ० के० के० सिन्हा (अ० सा० 3) अपने चैम्बर में मरीजों का परीक्षण करने के बाद एम० आर० आई० फिल्म पर अन्य डॉक्टरों के साथ चर्चा में भाग ले रहे थे, अपीलार्थी सं० 1 कमल किशोर भगत जबरन उनके चैम्बर में घुसा और उसके बुलाने पर उसके दो अन्य सहयोगी भी चैम्बर के अंदर घुसे। जब डॉक्टरों के साथ चर्चा समाप्त

हुई और वे चैम्बर से बाहर चले गए, संपूर्ण घटना हुई जैसी चर्चा मैंने पहले ही पूर्ववर्ती पैराग्राफों में किया है। नि:संदेह, यह उद्दापन का अपराध करने के लिए अपीलार्थियों की ओर से सुनियोजित कार्रवाई थी किंतु यह इसे न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थियों का आशय हत्या का प्रयास करना था। अभियोजन गवाहों, विशेषत: अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य के आलोचनात्मक विश्लेषण पर सूचक की हत्या करने का अपीलार्थियों का आशय प्रतीत नहीं होता है। आशय मुख्यत: सूचक अ॰ सा॰ 3 को मृत्य अथवा उपहति का भय दिखाकर धन की मांग करने तक सीमित था और न कि सूचक की हत्या करना। अ॰ सा॰ 3 के परिसाक्ष्य के मुताबिक कमल किशोर भगत ने धन (रंगदारी) का भुगतान करने से उनके इनकार करने के बाद क्रोधित होकर अपना रिवाल्वर निकाला था और सूचक की ओर इसका निशाना लगाया था किंतु उसने रिवाल्वर का उपयोग नहीं किया था। यदि यह अपीलार्थी सं॰ 1 का आशय होता, सूचक अ॰ सा॰ 3 की हत्या कारित करने से अपीलार्थी सं॰ 1 को रोकने वाले किसी प्रतिरोध की कोई मध्यक्षेपी परिस्थिति नहीं थी। यह सत्य है कि सूचक ने रिवाल्वर देखने के बाद शोर किया जिसके बाद चैम्बर के बाहर प्रतीक्षारत मरीजों के संबंधियों सहित अ॰ सा॰ 4 एवं अन्य व्यक्ति चैम्बर में घुसे और अपीलार्थियों को पकड़ लिया। किंतु उसके पहले भी, अपीलार्थी सं॰ 1 के पास रिवाल्वर से गोली चलाने का पर्याप्त अवसर था। साक्ष्य में यह आया है कि अपीलार्थी सं॰ 1 एवं सुदर्शन भगत (मृतक) ने केवल सूचक के चेहरे पर मुक्का मारा था और कोई भी वार शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग पर नहीं था।

18. परशुराम पांडे एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, (2004)13 SCC 189, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*^^èkkjk 307 d vèkhu vijkèk xfBr dju d fy, vijkèk d nk vo;ok dk mifLFkr gkuk gkxkh***

(a) gR;k dh dkfjrk l lcfèkr vk'k; vFkok tkudkjh] vkj

(b) bldh vkj ÑR; fd;k tkukA èkkjk 307 d ç;ktu l vk'k; vFkok tkudkjh rkRkod g vkj u fd vk'k; ijk dju d ç;ktu l fd, x, okLrfod ÑR; dk ifj.kkeA èkkjk Li"Vr% fdlh ÑR; dk vuè;kr djrh g ft l eR; dkfjr dju d vk'k; l fd;k x;k g fdr tk eè;{kih ifjfLFkfr;k d dkj.k vk'kf;r ifj.kke dk ijk dju e foQy gkrk gA vfHk;Dr dk vk'k; vFkok tkudkjh , lk gkuk gkxk tk gR;k xfBr dju d fy, vko';d gA vk'k; vFkok tkudkjh tk èkkjk 307 dk vko';d vo;o g dh vuifLFkfr e gR;k d ç;kl dk vijkèk ugh gk ldrk gA

vk'k; tk eukn'kk g lVhd çR;{k lk{; }kjk fl) ugh fd;k tk ldrk g] rF; d :i e vU; dkjdk l bldk irk yxk;k tk ldrk g vFkok fu"df"kr fd;k tk ldrk gA çkfxd fopkjk e l dN ç;Dr gfFk;kj dh çÑfr] LFkku tgk migfr;k dkfjr dh x;h Fkh] migfr;k dh çÑfr ,o ifjfLFkfr;k ftue ?kVuk gbZ Fkh] gk ldr gA

19. जहाँ तक अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन का संबंध है कि अभियोजन ने अपीलार्थियों की उपहतियों तथा यह कि किस प्रकार अपीलार्थियों एवं उक्त सुदर्शन भगत को चोटें आयी

और सुदर्शन भगत की मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं किया है। यहाँ, मैं कहना चाहूँगा कि अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन करते हुए न्यायालय को सूचित किया कि घटना की ही तिथि पर अपीलार्थी सं॰ 2 की प्रेरणा पर दर्ज मामले में पुलिस ने सम्यक अन्वेषण के बाद डॉ॰ के॰ के॰ सिन्हा (अ॰ सा॰ 3) के विरूद्ध अंतिम फॉर्म दाखिल किया है अत: अपीलार्थियों को आयी उपहतियों के संबंध में अ॰ सा॰ 3 से कोई स्पष्टीकरण आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। किंतु, अ॰ सा॰ 4 ने अपने साक्ष्य में उन उपहतियों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है कि अ॰ सा॰ 3 का हल्ला सुनने के बाद वह और बाहर प्रतीक्षारत अन्य व्यक्ति जो मरीजों के संबंधी थे तुरन्त चैम्बर में घुसे और अपीलार्थियों और उसके सहयोगी को पकड़ा और उनको चैम्बर से बाहर निकाला और उन पर प्रहार किया। गवाह ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाद में उसे जानकारी हुई कि घायलों में से एक सुदर्शन भगत की मृत्यु इलाज के दौरान हो गयी और उसे मामले के संबंध में उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

20. परस्पर विरोधी निवेदनों का अधिमूल्यन करने पर मैं विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री सिंह के निवेदन में सार पाता हूँ। अभियोजन के अनुसार, अपीलार्थी सं॰ 1 ने सूचक के चेहर पर एक वार किया था और जब उसने दूसरा वार किया, अ॰ सा॰ 3 ने अपने दाएँ हाथ से स्वयं को बचाने का प्रयास किया किंतु वार के बल ने सूचक के दाएँ तर्जनी उंगली में फ्रैक्चर कारित किया। जब मैं पूर्वोक्त कारकों को विचार में लेता हूँ, मुझे इस निष्कर्ष पर आने में संकोच नही है कि सिद्ध किए गए तथ्यों से यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थियों का मृत्यु कारित करने का कोई आशय था। तद्नुसार, मेरा मत है कि सिद्ध किए गए तथ्य भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन मामला नहीं बनाते हैं, किंतु साक्ष्य के आधार पर सिद्ध किए गए अभिकथन भारतीय दंड संहिता की धारा 325/34 के अधीन मामला बनाते हैं जिसमें अपीलार्थियों को पहले ही अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है।

21. जहाँ तक भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 448/34 के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि का संबंध है, अभियोजन ने पहले ही सिद्ध किया है कि अपीलार्थीगण अपने सहयोगी के साथ सामान्य आशय अग्रसर करने में सूचक को मृत्यु अथवा घोर उपहति का भय दिखा कर सूचक से धन उद्दापित करने के आशय से जबरन सूचक के चैम्बर में घुसे। चूँकि अपीलार्थियों के विरूद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 387 के अधीन अपराध पहले ही सिद्ध किया गया है, ऐसी परिस्थितियों में, मुझे यह अभिनिर्धारित करने में संकोच नहीं है कि अ॰ सा॰ 3 के चैम्बर में अपीलार्थियों ने अपराध करने के आशय से प्रवेश किया था। मेरे मत में, अवर न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थियों को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 448/34 के अधीन दोष सिद्ध किया है।

22. अत:, परिस्थितियों में, अपील अंशत: अनुज्ञात की जाती है। भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307/34 के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि एतद्द्वारा अपास्त की जाती है और अपीलार्थियों को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है, किंतु भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 325/34 के अधीन, 448/34 एवं 387/34 के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि एतद्द्वारा अभिपुष्ट एवं पोषित की जाती है। अपीलार्थियों जो जमानत पर हैं का जमानत बंधपत्र एतद्द्वारा उनको इस निर्णय की तिथि से एक पखवारे के भीतर उनको अधिनिर्णीत दंडादेश भुगतने के लिए अवर न्यायालय में आत्म समर्पण करने के निर्देश के साथ रद्द किया जाता है जिसमें विफल होने पर अवर न्यायालय उनकी गिरफ्तारी के लिए समस्त प्रपीड़क कदम उठाएगा।

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

जय शंकर दूबे एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Revision No. 162 of 2008. Decided on 10th September, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 319—विचारण का सामना करने के लिए अतिरिक्त अभियुक्त को समन किया जाना—हत्या मामला—समस्त गवाहों ने मृतक पर प्रहार करने में याचियों द्वारा निभायी गयी भूमिका के बारे में स्पष्टतः कथन किया—विचारण के दौरान दिए गए साक्ष्य से याचियों की सहअपराधिता दर्शायी गयी है—मात्र इसलिए कि समन जारी किए जाने के बाद याचियों को अन्य अभियुक्तों के साथ विचारण का सामना करना होगा जो पहले ही परीक्षण किए जा चुके गवाहों का पुनर्परीक्षण करके नए सिरे से विचारण किए जाने के तुल्य होगा, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचियों के विरूद्ध अग्रसर होने का औचित्य नहीं हो सकता था—पुनरीक्षण आवेदन खारिज। (पैराएँ 6 से 8)

निर्णयज विधि.—2009(2) East Cr. C. 183 (SC)—Referred.

अधिवक्तागण.—M/s Mahesh Tiwari, Pakaj Kumar Dubey, For the Petitioners; Md. Farook, Manoj Kumar No. 2, For the Opp. Parties.

आदेश

याचियों ने एस॰ टी॰ सं॰ 358 वर्ष 2006 में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ॰ टी॰ सी॰ II, पलामू द्वारा पारित दिनांक 18.12.2007 के आदेश की वैधता को चुनौती दिया है जिसके द्वारा अभियोजन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में ''संहिता'') की धारा 319 के अधीन दाखिल आवेदन पर याचियों को अन्य अभियुक्तों के साथ विचारण का सामना करने के लिए समन जारी किया गया है।

2. अनावश्यक विवरणों को छोड़कर, वर्तमान मामले को उद्‌भूत करने वाले तथ्य ये हैं कि वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 लीला देवी जिसका बयान सदर अस्पताल, डालटेनगंज में दर्ज किया गया था की प्रेरणा पर भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 147, 148, 149, 323, 324, 325, 326 एवं 307 के अधीन चैनपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 74 वर्ष 2006 संस्थित किया गया था और बाद में भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 भी इस अभिकथन पर जोड़ी गयी थी कि उसका पति बिजय दूबे, मृतक, दिनांक 29.5.2006 को पूर्वाह्न लगभग 7.30 बजे ग्राम कटुआ से मिस्त्री बुलाने जा रहा था और जब वह शंभु नाथ दूबे के घर के निकट पहुँचा, अनेक हथियारों से लैस शंभु नाथ दूबे, नवल दूबे, जय शंकर दूबे, दीनानाथ दूबे, राजदेव दूबे, लाल बाबू दूबे, दुलारी देवी एवं बेबी देवी सहित समस्त अभियुक्तों ने उसके पति के घेर लिया और उन सबों ने टांगी, सबल एवं लाठी से उसके पति पर प्रहार किया जिसके परिणामस्वरूप उसका पति गिर गया और बेहोश हो गया और उक्त प्रहार के कारण उसके पति के हाथों का फ्रैक्चर हुआ था। उसके पति को अन्य उपहतियाँ भी आयी थी। अनेक गाँववालों द्वारा घटना देखी गयी थी। जब सूचक और उसके परिवारवाले घायल को बचाने आए, अभियुक्तगण भाग गए। अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि घायल को अस्पताल ले जाया गया था जहाँ उसने उपहतियों के कारण दम तोड़ दिया।

3. अन्वेषण के बाद, पुलिस ने शंभुनाथ दूबे, दुलारी देवी, राजदेव दूबे, नवल दूबे, मालती देवी एवं दीनानाथ दूबे के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। किंतु, अंतिम फॉर्म केवल दो याचियों एवं एक अन्य

अभियुक्त लाल बाबू दूबे के विरूद्ध दाखिल किया गया था। तत्पश्चात्, आरोप विरचित किए गए थे और विचारण अग्रसर हुआ। सूचक लीला देवी सहित आठ गवाहों का परीक्षण करने के बाद जब पाँच औपचारिक गवाहों का अभी भी परीक्षण किया जाना था, अभियोजन द्वारा दिनांक 26.9.2007 को याचियों एवं एक अन्य अभियुक्त को विचारण का सामना करने के लिए समन करने हेतु संहिता की धारा 319 के अधीन याचिका दाखिल की गयी थी। पक्षों को सुनने एवं अभिलेख पर मौजूद मौखिक साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद, अवर न्यायालय ने दिनांक 18.12.2007 के आदेश द्वारा दो याचियों एवं एक अन्य अभियुक्त लाल बाबू दूबे को समन जारी करने का निर्देश दिया।

4. याचियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महेश तिवारी ने निवेदन किया कि चूँकि पुलिस ने अन्वेषण के बाद याचियों को विचारण का सामना करने के लिए नहीं भेजा था, अन्य अभियुक्तों के साथ विचारण का सामना करने के लिए याचियों को समन करने का विचारण न्यायालय का निर्देश विकृत एवं विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण था। यह निवेदन भी किया गया था कि यह नि:संदेह सुनिश्चित दृष्टिकोण है कि अपराध के विचारण के क्रम में, जब साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति, जिसे अभियोगित नहीं किया गया है, ने कोई अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तों के साथ विचारण किया जा सकता था, न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध जिसे करता हुआ वह प्रतीत होता है के लिए अग्रसर हो सकता है किंतु वर्तमान मामले में आठ गवाहों के परीक्षण के बाद अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य संहिता की धारा 319 के अधीन समन जारी करने के लिए किसी आधार को निर्मित करने के लिए सह अपराधिता अथवा गंभीर संदेह दर्शाने के लिए प्रथम दृष्टिया पर्याप्त भी नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **वृंदावन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2009(2) East Cr.C. 183 (SC)** मामले पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में अभिनिर्धारित किया कि संहिता की धारा 319 के अधीन न्यायालय में निहित शक्ति का प्रयोग यदा-कदा किया जाना चाहिए और साक्ष्य जिस पर इस का अवलंब लिया जाना है, को समन किए जानेवाले व्यक्ति की दोषसिद्धि की युक्तियुक्त संभावना उपदर्शित करना चाहिए। वर्तमान मामले में अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, अत: समन जारी किया जाना संपोषणीय नहीं है और विधि में दोषपूर्ण है। यह निवेदन भी किया गया था कि विचारण के अंतिम छोर पर अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करना आरंभ से ही संपूर्ण कार्यवाही को पुन: आरंभ करने के तुल्य है।

5. उक्त निवेदनों का खंडन करते हुए, विरोधी पक्षकार एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने गंभीर रूप से प्रतिवाद किया कि किसी व्यक्ति को अन्वेषण अधिकारी द्वारा आरोप पत्रित नहीं किया गया होगा किंतु विचारण का सामना करने के लिए ऐसे व्यक्ति को समन करना विचारण न्यायालय की अधिकारिता के सुअंतर्गत था यदि विचारण के दौरान अभिलेख पर लाए गए मौखिक साक्ष्य का परीक्षण करने के बाद न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया था। यह निवेदन भी किया गया था कि अवर न्यायालय में अभियोजन द्वारा परीक्षण किए गए लगभग समस्त गवाहों ने विनिर्दिष्टत: परिसाक्ष्य दिया है कि याचियों ने भी मृतक पर प्रहार किया था और कि संहिता की धारा 319 के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अग्रसर होने अथवा नहीं होने का निर्णय पूर्णत: विचारण न्यायालय के स्वविवेक के अधीन था। इस दशा में, आक्षेपित आदेश में अवैधता नहीं है और पुनरीक्षण में बैठे इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।

6. मैंने परस्पर विरोधी निवेदनों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है और इस पुनरीक्षण आवेदन के साथ संलग्न अवर न्यायालय में परीक्षण किए गए गवाहों के अभिसाक्ष्यों की छाया प्रतिलिपियों के परिशीलन के बाद, मैं पाता हूँ कि अ॰ सा॰ 8 के रूप में परीक्षण किए गए सूचक सहित लगभग समस्त गवाहों ने स्पष्टत: परिसाक्ष्य दिया है कि याचीगण जो लाठी से लैस थे ने भी उसके मृतक पति पर प्रहार किया था। ऐसा नहीं है कि गवाहों के बयान किसी अनुश्रुत साक्ष्य पर निर्भर हैं बल्कि स्पष्ट शब्दों में उन्होंने चश्मदीद

गवाह के रूप में याचियों द्वारा निभायी गयी भूमिका के बारे में कहा है। यह सत्य है कि संहिता की धारा 319 के प्रावधानों का सहारा लेने के पहले विचारण न्यायालय को संतुष्ट होना होगा कि ऐसी कार्रवाई करने के लिए अध्यपेक्षित शर्तें वस्तुत: विद्यमान थी। विचारण का सामना नहीं कर रहे व्यक्तियों द्वारा अपराध की कारिता संबंधित न्यायालय को निश्चित रूप में प्रतीत होना होगा। वर्तमान मामले में, विचारण के दौरान दिए गए साक्ष्य से याचियों की सह अपराधिता दर्शायी गयी है। इस चरण पर गवाहों के साक्ष्य पर विचार करना इस न्यायालय के लिए समुचित नहीं होगा क्योंकि यह याचियों पर प्रतिकूलता कारित करेगा। मात्र इसलिए कि समन जारी किए जाने के बाद, याचियों को अन्य अभियुक्तों के साथ विचारण का सामना करना होगा जो पहले ही परीक्षण किए जा चुके गवाहों का पुनर्परीक्षण करके संपूर्ण कार्यवाही का पुन: आरंभ करने या नए विचारण के तुल्य होगा, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचियों के विरूद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं हो सकता था। संहिता की धारा 319 के चरण पर अपनी असाधारण शक्तियों का अवलंब लेने के लिए जिसकी आवश्यकता है, वह अपने समक्ष दिए गए साक्ष्य से संतुष्टि पाना है कि व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जिनके विरूद्ध आरोप विरचित नहीं किया गया था, किंतु जिनकी सह अपराधिता स्पष्ट प्रतीत होती है का विचारण पहले से ही विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तों के साथ किया जाना चाहिए। नि:संदेह, मामले पर निर्णय लेने का स्वविवेक न्यायालय पर छोड़ दिया जाना चाहिए किंतु न्यायोचित रूप से।

7. वर्तमान मामले में, चूँकि याचियों का नाम प्राथमिकी में एवं विचारण के दौरान परीक्षण किए गवाहों के साक्ष्य में सामने आया, मेरे मत में, यह विचारण का सामन करने के लिए अभियुक्तों अर्थात याचियों को समन करने के लिए पर्याप्त है। अवर न्यायालय ने सही प्रकार से एवं न्यायोचित रूप से संहिता की धारा 319 के प्रावधान का अवलंब लिया है।

8. परिणामस्वरूप, यह पुनरीक्षण आवेदन गुणागुण रहित होने के कारण एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

बसन्त कुमार सिन्हा उर्फ बसन्त सिन्हा

cuke

झारखंड राज्य

Cr.M.P. Nos. 2703 of 2014 with I.A. No. 1666 of 2015. Decided on 9th September, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 82 एवं 83—गैर जमानती वारन्ट एवं आदेशिका जारी किया जाना—अपनी व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि दर्ज किए बिना याची के विरूद्ध अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया—आक्षेपित आदेश बिल्कुल अवैध हैं और इन्हें विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है और तद्नुसार अभिखंडित। (पैराएँ 6 से 8)

निर्णयज विधि.—2011 (4) JLJR 385 (SC)—Relied.

अधिवक्तागण.—Mr. Prashant Pallav, For the Petitioner; Mr. Laxmi Murmu, For the State; Mr. A.K. Pandey, For the Informant.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा सूचक के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची गोलमुरी पी॰ एस॰ केस सं॰ 35 वर्ष 2014, जी॰ आर॰ सं॰ 576 वर्ष 2014 के तत्सम, में अवर न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 6.8.2014, 14.8.2014 और 31.10.2014 के आदेशों से व्यथित हैं जिसके द्वारा मामले के आई॰ ओ॰ द्वारा किए गए तलब पर याची के विरूद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन गैरजमानती वारन्ट एवं आदेशिका जारी की गयी है। आई॰ ए॰ सं॰ 1666 वर्ष 2015 के माध्यम से याची ने उक्त मामले में अवर न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 9.2.2015 के आदेश को चुनौती दिया है जिसके द्वारा पुनः मामले के आई॰ ओ॰ द्वारा किए गए तलब पर याची के विरूद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 83 के अधीन आदेशिका जारी की गयी थी।

3. याची को गोलमुरी पी॰ एस॰ केस सं॰ 35 वर्ष 2014, जी॰ आर॰ सं॰ 576 वर्ष 2014 के तत्सम, में अभियुक्त बनाया गया है जिसे भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 498A, 323, 420, 406, 120B, 354 एवं 494 के अधीन अपराध के लिए संस्थित किया गया था। याची परिवादी सूचक का पति है। अभिलेख पर लाए गए अवर न्यायालय के ऑर्डर शीट से प्रतीत होता है कि दिनांक 14.2.2014 को अवर न्यायालय में प्राथमिकी प्राप्त की गयी थी और याची के विरूद्ध गैर जमानती वारन्ट जारी करने के लिए मामले के आई॰ ओ॰ द्वारा तलब किया गया था, जिस पर दिनांक 6.8.2014 और दिनांक 14.8.2014 के आदेशों द्वारा याची के विरूद्ध गैर जमानती वारन्ट जारी करने का आदेश दिया गया था। बाद में, दिनांक 14.10.2014 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने के लिए पुनः तलब किया गया था जिसे जारी करने का आदेश दिनांक 31.10.2014 के आदेश द्वारा किया गया था और दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 83 के अधीन आदेशिका जारी करने के लिए आई॰ ओ॰ द्वारा किए गए तलब पर पुनः इसे अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 9.2.2015 के आदेश द्वारा जारी किया गया था जिसे वर्तमान आवेदन में चुनौती दिया गया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि याची ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया था जिसमें राज्य की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें कथन किया गया था कि पुलिस द्वारा याची एवं उसके पिता के बयानों को दर्ज किया गया था। तद्नुसार, यह निवेदन किया गया है कि याची फरार नहीं था और वह स्वयं को पुलिस अधिकारी के समक्ष उपलब्ध करा रहा था, जिसने भी याची का बयान दर्ज किया था। यह निवेदन किया गया है कि केवल मामले के आई॰ ओ॰ द्वारा किए गए तलब के आधार पर पूर्वोक्तानुसार न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए बिना और अपनी व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि कि क्या मामले में गैर जमानती वारन्ट एवं आदेशिका जारी करने की आवश्यकता है या नहीं, दर्ज किए बिना याची के विरूद्ध गैर जमानती वारन्ट एवं आदेशिका जारी की गयी है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने दूसरी ओर प्रार्थना का विरोध किया है और सूचक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि आक्षेपित आदेशों में अवैधता नहीं है और भले ही आई॰ ओ॰ द्वारा याची एवं उसके पिता का बयान दर्ज किया गया था, बाद में वे पुलिस से बचने लगे और याची के विरूद्ध गैर-जमानती वारन्ट एवं आदेशिका जारी करने के लिए मामले के आई॰ ओ॰ द्वारा तलब किया गया था जिसके आधार पर अवर न्यायालय ने याची के विरूद्ध वारन्ट और आदेशिका जारी किया। यह निवेदन किया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों में अवैधता नहीं है।

6. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि अवर न्यायालय ने अपनी व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि दर्ज किए बिना याची के विरूद्ध दं॰ प्र॰ सं॰ की धाराओं 82 एवं 83 के अधीन गैर जमानती वारन्ट एवं आदेशिका जारी करने का निर्देश दिया है।

रघुवंश दीवानचंद भासिन बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य, (2011)4 JLJR 385 (SC) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि अधिकथित की गयी है, जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

> ^^9. blij tkj nu dh 'kk;n gh vko';drk g pfd xj&tekurh okjUV dk fu"iknu u çR;{kr% O;fDr dh Lor=rk dk de djuk vrxLr djrk g] **fxj¶rkjh okjUV ;kf=d :i l tkjh ugh fd;k tk ldrk g] cfYd doy ,lh lrf"V nt dju d ckn fd;k tk ldrk g fd ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e bldh vko';drk gA** U;k;ky;k dk xj&tekurh okjUV tkjh dju dk fun'k nr g, vfrfjDr :i l lkoèkku ,o lrd jguk gkxk vU;Fkk nk"ki.k fujkèk Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 21 e ifjdfYir loèkkfud vkKk l ofpr dju rY; gkxkA lkFk gh bl l budkj ugh fd;k tk ldrk g fd O;fDr d dY;k.k ij lekt dk dY;k.k vfHkHkkoh gkxk >duk gkxkA vr%] fofèk O;oLFkk cuk, j[ku d fy, vkj lekt dk fØ;k'khy] lketL;rk cuk, j[ku d fy, ,d vkj O;fDr rFkk nlj h vkj jkT; d vfèkdkjk] Lor=rkvk ,o fo'k"kkfèkdkjk d chp lryu LFkkfir djuk vko';d gA oLrr%] ;g ,d tfVy dk; gA tlk U;k;efr dkjnktk dgr g] ^^,d vkj lkekftd vko';drk g fd vijkèk dk neu fd;k tk,xk nlj h vkj] lkekftd vko';drk ;g g fd in d vgdkj }kjk fofèk dk mYy?ku ugh fd;k tk,xkA fdlh Hkh fodYi e [krjk gA ^^pkg tk Hkh gk] **U;k;ky; ftl ;g fofuf'pr dju fd D;k vfHk;Dr dh mifLFkfr tekurh vFkok xj&tekurh okjUV }kjk lfuf'pr dh tk ldrh g] dk Lofood fn;k x;k g] dk ,d vkj fofèk çoru dh vko';drk vkj nlj h vkj fofèk çoru ,tfl;k d gkFkk fujd'krk l ukxfjdk d lj{k.k d chp lryu LFkkfir djuk g -----A**** (tkj Mkyk x;k)

7. भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनिश्चित विधि की दृष्टि में मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि चूँकि दं॰ प्र॰ सं॰ की धाराओं 82 एवं 83 के अधीन गैर जमानती वारन्ट एवं आदेशिका जारी करने वाले आक्षेपित आदेशों में अवर न्यायालय की व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि दर्ज नहीं की गयी है, वे पूर्णत: अवैध हैं और उन्हें विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

8. तद्नुसार, गोलमुरी पी॰ एस॰ केस सं॰ सं॰ 35 वर्ष 2014, जी॰ आर॰ सं॰ 576 वर्ष 2014 के तत्सम में, अवर न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 6.8.2014, 14.8.2014 एवं 31.10.2014 के आक्षेपित आदेशों को एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि मामले का आई॰ ओ॰ संज्ञेय एवं गैर–जमानती अपराधों के अपराधियों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए मुक्त होगा। इन निर्देशों के साथ यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है। परिणामस्वरूप, आई॰ ए॰ सं॰ 1666 वर्ष 2015 भी निपटाया जाता है।

---

ekuuh; Jh pæ'k[kj] U;k;efr

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W. P. (C) No. 2363 of 2015. Decided on 24th August, 2015.

मनी लाउंड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002—धारा 6—कुर्क संपत्ति की जब्ती—न्यायनिर्णायक प्राधिकार दिल्ली में अवस्थित कार्यालय से अधिनियम के अधीन अधिकारिता, शक्ति एवं

प्राधिकार का प्रयोग कर रहा है—न्याय निर्णायक प्राधिकार का रजिस्ट्री दिल्ली में है और नयी दिल्ली से पत्र जारी किया गया है—याची को दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जाने की आवश्यकता है। (पैराएँ 2 एवं 3)

अधिवक्तागण.—M/s Rajesh Kumar, Manindra Kumar Sinha, For the Petitioner; None, For the Respondents.

आदेश

शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लिखे गए दिनांक 21.2.2015 के पत्र को निर्दिष्ट करते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता याची स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दाखिल याचिका ग्रहण करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को निर्देश इप्सित करते हैं। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि कर्जदार की संपत्तियाँ जिन्हें बंधक रखा गया था और अब कुर्क किया गया है झारखंड राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित हैं, अतः, याची इस न्यायालय के पास आया है।

2. मैं पाता हूँ कि न्यायनिर्णायक प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकरण के समक्ष मनी लाउंड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 26 के अधीन अपील की जा सकती है। वर्तमान मामले में धारा 42 का प्रथम स्पष्टीकरण आकृष्ट नहीं होता है क्योंकि याची बैंक ने अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील नहीं किया है। अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश की दृष्टि में, याची बैंक न्याय निर्णायक प्राधिकारी के पास जाने का आशय रखता है और, इसलिए, यदि न्याय निर्णायक प्राधिकार के रजिस्ट्री/कार्यालय ने इसका मामला/याचिका रजिस्टर करने से इनकार कर दिया है, पहली बार में इसे अपीलीय अधिकरण के पास जाने की आवश्यकता है। याची बैंक की चिंता यह है कि बंधक रखी गयी संपत्तियों जिन्हें न्यायनिर्णायक प्राधिकार के आदेश द्वारा जब्त किया गया है, को जब्त किया जाने की स्थिति में इसका हित गंभीर रूप से संकट में पड़ेगा। इस प्रकार, यह प्रकट है कि याची बैंक की शिकायत न्याय निर्णायक प्राधिकार के कुर्की के आदेश के विरूद्ध है। अभिलेख पर मौजूद सामग्री से, यह प्रतीत होता है कि मनी लाउंड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 6 के अधीन गठित न्यायनिर्णायक प्राधिकार दिल्ली अवस्थित कार्यालय से अधिनियम के अधीन अधिकारिता, शक्ति एवं प्राधिकार का प्रयोग कर रहा है। न्यायनिर्णायक प्राधिकार की रजिस्ट्री दिल्ली में है और दिनांक 21.2.2015 का पत्र नयी दिल्ली से जारी किया गया है।

3. उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, मेरा मत है कि याची को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जाने की आवश्यकता है यदि इसकी शिकायत अभी भी विद्यमान है। याची को पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o ihñ ihñ HkVV] U;k;efr

अनिल साह (768 में)

सावित्री देवी एवं अन्य (691 में)

cuke

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cr. Appeal (D.B.) No. 768 with 691 of 2014. Decided on 26th August, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 304B/34—दहेज मृत्यु–आजीवन कारावास–मांग जो विवाह के तुरन्त बाद शुरू हुई, मोटरसाइकिल अथवा 50,000/- रुपयों की थी जो मृतका द्वारा

जहर खाकर उसकी अस्वाभाविक मृत्यु होने तक जारी रही–अपीलार्थीगण वृद्ध व्यक्ति हैं और वे विचारण के दौरान जमानत पर भी थे–अपीलार्थियों को दंडादेश के निलंबन की रियायत प्रदान की गयी। (पैराएँ 2 से 4)

अधिवक्तागण.–M/s Arun Kumar (in 768) Lakhan Chandra Roy (in 691), For the Appellant; M/s Sanjay Kr. Pandey, Anand Kr. Pandey, For the State.

वीरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–दो पृथक अपीलें हैं अर्थात् मृतका के पति अनिल साह द्वारा दाखिल दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 768 वर्ष 2014 और मृतका की सास सावित्री देवी, ससुर सुखलाल साह एवं विधवा ननद मोस्मात रासमुनि द्वारा दाखिल दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 691 वर्ष 2014 हैं। समस्त चारों अभियुक्तों को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश–I, साहिबगंज द्वारा पारित दिनांक 31.7.2014 के आक्षेपित निर्णय के तहत भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. स्वीकृत रूप से, मृतका का विवाह अपीलार्थी अनिल साह के साथ वर्ष 2004 (विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा सटीक तिथि प्रकट नहीं किया गया) में हुआ और मृत्यु की तिथि दिनांक 6.1.2011 है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को तात्विक साक्ष्य पढ़कर सुनाया गया है। मांग जो विवाह के तुरन्त बाद शुरू हुई, मोटरसाइकिल अथवा 50,000/- रुपयों की थी जो मृतका द्वारा अल्मुनियम फॉसफेट खाकर उसकी अस्वाभाविक मृत्यु तक जारी रही।

3. अपीलार्थी सुखलाल साह को 80 वर्ष की आयु, सावित्री देवी को लगभग 70 वर्ष की आयु एवं विधवा ननद रासमुनि को 40 वर्ष की आयु का बताया गया है। वे विचारण के दौरान जमानत पर भी थे।

4. इसके पहले कि यह किसी पक्ष के मामले पर प्रतिकूलता कारित कर सके, तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता को दृष्टि में रखते हुए और मामले के गुणागुण पर टिप्पणी किए बिना अपीलार्थियों सुखलाल साह, सावित्री देवी एवं मोस्मात रासमुनि को एस॰ टी॰ सं॰ 140 वर्ष 2011 के संबंध में दोषसिद्ध करने वाले न्यायालय/उत्तरवर्ती न्यायालय के विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश–I साहिबगंज की संतुष्टि हेतु प्रत्येक राशि की 10,000/- (दस हजार) रुपयों की दो प्रतिभूतियों के साथ जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर दंडादेश के निलंबन का रियायत प्रदान किया जाता है जबकि मृतका के पति अनिल साह की प्रार्थना इस चरण पर अस्वीकार की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

मो॰ अनवर एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No. 987 of 2015. Decided on 29th September, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 72 एवं 83— गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया जाना–अवर न्यायालय ने न तो अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया है और न ही याचियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने की आवश्यकता के बारे में अपना व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि दर्ज किया है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–2011 (4) JLJR 385 (SC)—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Kripa Shankar Nanda, For the Petitioners; A.P.P., For the State.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची जी॰ आर॰ मामला सं॰ 360 वर्ष 2013 में श्री एस॰ ए॰ प्रसाद, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, घाटशिला द्वारा पारित दिनांक 1.4.2015 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा मामले के आई॰ ओ॰ द्वारा दाखिल तलब पर याची के विरुद्ध गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया गया है।

3. गालुडीह पी॰ एस॰ केस सं॰ 27 वर्ष 2013, जी॰ आर॰ सं॰ 360 वर्ष 2013 के तत्सम, में प्राथमिकी अभिलेख पर लायी गयी है जिसे अज्ञात के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364 एवं 392 के अधीन अपराध के लिए संस्थित किया गया था। प्राथमिकी में यह कथन किया गया है कि एक्साइड बैटरियों के परेषित परिमाण से लदा सूचक का ट्रक हल्दिया से रवाना हुआ और परेषित परिमाण का वहन जमशेदपुर टाटा मोटर्स तक किया जा रहा था, किंतु उक्त ट्रक गायब हो गया था और तद्नुसार, गालुडीह पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी क्योंकि ट्रक अंतिम बार उक्त पुलिस थाना की अधिकारिता के अंतर्गत देखा गया था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि ट्रक पर लदी बैटरियों को गुमला में याचियों के कब्जा से बरामद किया गया था जहाँ भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 414, 120B/34 के अधीन अपराध के लिए गुमला पी॰ एस॰ केस सं॰ 312 वर्ष 2013 जी॰ आर॰ सं॰ 898 वर्ष 2013 के तत्सम, संस्थित किया गया था, जिसमें याचियों को पहले ही जमानत प्रदान किया गया है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला आक्षेपित आदेश पूर्णत: अवैध है और इसे विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है।

6. आक्षेपित आदेश से प्रकट है कि केवल मामले के आई॰ ओ॰ द्वारा किए गए तलब पर याचियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अवर न्यायालय ने न तो अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया है और न ही याचियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने की आवश्यकता के बारे में अपना व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि दर्ज किया है। **रघुवंश दीवानचंद भासिन बनाम महाराष्ट्र राज्य,** 2011 (4) JLJR 385 (SC) में निम्नलिखित विधि अधिकथित की गयी है:–

> *"9. bl ij 'kk;n gh tkj nu dh vko';drk g fd pfd xj tekurh okjV dk fu"iknu çR;{k :i l 0;fDr dh Lor=rk dk de djuk vrxLr djrk g]* ***fxj¶rkjh okjV ;kf=d :i l tkjh ugh fd;k tk ldrk g cfYd doy ,lh lrf"V nt dju d ckn fd ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e bldh vko';drk gA*** *U;k;ky;k dk xj tekurh okjV tkjh dju dk fun'k nr g, vfèkd lrd ,o pkdUuk gkuk gkxk vU;Fkk nk"ki.k fujkèk Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 21 e ifjdfYir loèkkfud vkKk l budkj d rY; gkxkA lkFk gh] bl l budkj ugh fd;k x;k g fd 0;fDr d dY;k.k ij lekt dk dY;k.k vfHkHkkoh gkxkA vr%] fofèk dk 'kklu cuk, j[ku d fy, vkj lekt e dk;'khy lketL;rk j[ku d fy, ,d vkj 0;fDr vkj nljh vkj jkT; d vfèkdkjk] Lor=rkvk ,o fo'k"kkfèkdkjk d chp lryu LFkkfir djuk vko';d gA oLrr%] ;g ,d tfVy dk; gA tlk U;k;efr dkjnktk dgr g] ^^,d vkj lkekftd vko';drk g fd vijkèk dk neu fd;k tk,xkA nljh vkj] lkekftd vko';drk g fd in d vgdkj }kjk fofèk dk mYy?ku ugh fd;k tk,xkA fdlh Hkh fodYi e [krjk gA** pkg tk Hkh gk] U;k;ky;]* ***ftl ;g fofuf'pr dju dk Lofood inku fd;k x;k g fd D;k vfHk;Dr dh mifLFkfr tekurh vFkok xjtekurh okjV }kjk lfuf'pr dh tk ldrh g] dk ,d vkj fofèk***

*çorlu dh vo';drk vkj nljh vkj fofèk çorlu ,tfl;k d gkFkk fujdq'krk l ukxfjd d lj{k.k d chp lrqyu LFkkfir djuk gA----***

(tkj fn;k x;k)

7. भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि की दृष्टि में, मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, गालुडीह पी॰ एस॰ केस सं॰ 27 वर्ष 2013 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 360 वर्ष 2013 में श्री एस॰ ए॰ प्रसाद, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, घाटशिला द्वारा पारित दिनांक 1.4.2015 का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

8. यह कहना अनावश्यक है कि मामले का आई॰ ओ॰ संज्ञेय एवं गैर जमानती मामलों से संबंधित दं॰ प्र॰ सं॰ के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। तद्नुसार, इस संप्रेक्षण के साथ यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oekZ U;k;efr

देवेन्द्र कुमार अगरवाल (138 में)

आदर्श कुमार अगरवाल (239 में)

असीम कुमार अगरवाल एवं अन्य (241 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य (सभी में)

W.P. (Cr.) Nos. 138, 239 with 241 of 2015. Decided on 25th August, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 323, 341, 403, 406, 417, 421, 423, 424, 465 एवं 120B—भारत का संविधान–अनुच्छेद 226—घोर उपहति, न्यास का दांडिक भंग, कूटरचना एवं संपत्ति का दुर्विनियोग–संज्ञान–संविदा का भंग अथवा न्यास का भंग मात्र दांडिक अभियोजन उद्भूत नहीं कर सकता है जब तक संव्यवहार के आरंभ से ही कपटपूर्ण अथवा बेइमान आशय नहीं दर्शाया जाता है–परिवाद याचिका में अभिकथन प्रथम दृष्टया अभिकथित अपराध गठित करते हैं–बाद के चरण पर बचाव पर विचार करने की आवश्यकता है–रिट याचिकाएँ खारिज। (पैराएँ 12, 13, 15 से 20)

निर्णयज विधि.–(1985) 2 SCC 370; (2000) 4 SCC 168; (2006) 7 SCC 736; (2002) 1 SCC 555—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Anil Kumar Sinha, (in 138), M/s N.K. Agrawal, Saurav Agrawal, Kumar Manish (in 239), M/s Indrajit Sinha, Ajay Kumar Sah (in all), For the Petitioners; M/s Ram Nivas Roy, Jalisur Rahman. (in 138), M/s Abhaya Kumar Mishra, Manoj Kumar Choubey, (in 239), M/s Bhawesh Kumar, Pran Pranay (in 241), For the State; M/s Ashok Kumar Yadav, Rajiv Ranjan, For the Resp. No.2.

आदेश

उक्त तीनों दांडिक रिट याचिकाओं में याचियों ने परिवाद मामला सं॰ 2703 वर्ष 2014 से उद्भूत होने वाली संपूर्ण दांडिक कार्यवाही सहित दिनांक 4.3.2015 के संज्ञान लेने वाले आदेश जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद ने अभिनिर्धारित किया है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 323, 341, 403, 406, 417, 421, 423, 424, 465 एवं 120B के अधीन समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 465 के अधीन एक अभियुक्त नवीन तुलसियान के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए अभिलेख

पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है, के अभिखंडन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का अवलंब लिया है।

2. परिवाद याचिका में चित्रित ताथ्यिक आधार यह है कि परिवादी तथा परिवाद याचिका में अभियुक्त सं० 1 से 5 सगे भाई है और संयुक्त हिंदू परिवार के सह अंशधारी हैं और संयुक्त परिवार की सदा बढ़ती संपत्ति के बेहतर कार्यशील नियंत्रण के लिए विभिन्न आस्तियों का प्रबंधन एवं नियंत्रण परिवार के विभिन्न सदस्यों को अभिरक्षक के रूप में कृत्य करने के लिए दिया गया था। आदर्श कुमार अगरवाल एवं देवेन्द्र कुमार अगरवाल, क्रमशः अभियुक्त सं० 1 एवं 2 को मेसर्स अनूप मैलिएबल्स लि० एवं अन्य कंपनियों का निदेशक बनाया गया था। इसी प्रकार से, अनूप कुमार अगरवाल एवं असीम कुमार अगरवाल को बी० एल० ए० इंडस्ट्रीज एवं अन्य संपत्तियों का निदेशक बनाया गया था।

अभियुक्तों ने अपने बीच षडयंत्र किया और प्रवंचनापूर्ण एवं कपटपूर्ण साधनों से संयुक्त संपत्ति अन्य संक्रांत करने का बार–बार प्रयास किया और उस आशय से परिवादी को उसके वैध हिस्सा से बाहर निकालने के लिए कूटरचित दस्तावेज/करार सृजित किया और परिवादी को दोषपूर्ण हानि कारित करते हुए पारिवारिक संपत्ति का दुर्विनियोग किया। जब परिवादी ने प्रतिरोध किया, उन्होंने ऐसी किसी घृणित योजना में लिप्त नहीं होने का आश्वासन दिया किंतु अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए उन्होंने पुनः परिवादी को अपने अविधिपूर्ण लाभ के लिए अंधेरे में रखते हुए दस्तावेज सृजित करने का सहारा लिया महत्वपूर्ण सामग्रियों को छिपाया और लेखा तथा वित्तीय आँकड़ों को छल साधित किया और बैलेंस शीट कभी प्रस्तुत नहीं किया।

आगे अभिकथन यह है कि अभियुक्तों ने कपट किया और कंपनियों के शेयरों को बेचा और एच० डी० अगरवाल की झरिया गृह संपत्ति, एक संयुक्त परिवार न्यास, को परिवादी को अंतरित करने के माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन भी किया एवं अभियुक्तों ने न्यायालय एवं परिवादी के साथ कपट करने के लिए झूठी घोषणा जानबूझकर दाखिल किया और न्यास के दांडिक भंग की प्रकृति का अपराध किया। आश्वासन के बाद भी जब संयुक्त पारिवारिक संपत्ति विभाजित नहीं की गयी थी, परिवादी ने सिविल न्यायाधीश, सीनियर डिविजन I, धनबाद के न्यायालय में बँटवारा वाद संस्थित किया किंतु उक्त वाद के लंबित रहने के दौरान भी अभियुक्तों ने दांडिक षडयंत्र के कृत्य द्वारा मेसर्स अनूप मैलिएबल्स लि० सहित संयुक्त परिवार की संपत्ति बेची और धन का दुर्विनियोग किया। जब परिवादी को उक्त कंपनी के विक्रय की जानकारी हुई, उसने कारखाना परिसर का दौरा करने का प्रयास किया किंतु अभियुक्त सं० 7 से 15 ने परिसर में उसका प्रवेश अवरुद्ध किया और उस पर प्रहार भी किया। संयुक्त परिवार की संपत्ति के शेयर भी 78 करोड़ रुपयों की विपुल कीमत पर प्रत्यर्थी सं० 7 से 14 को अंतरित भी की गयी है जैसा अभियुक्त सं० 7 द्वारा सूचित किया गया है। याचीगण सहित अभियुक्त सं० 1 से 5 ने संपूर्ण धन का दुर्विनियोग किया है और जब परिवादी ने अपना 1/5वाँ हिस्सा देने का अनुरोध उनसे किया, उसे अभियुक्त सं० 1 से 5 द्वारा गाली दी गयी थी, प्रहार किया गया था और धमकी भी दी गयी थी। अभियुक्त सं० 2 से 4 ने उसको सूचित किया कि केवल 30 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया था जिसका अधिकांश भाग दायित्वों द्वारा मुजरा कर दिया गया है, अतः उसके शेयर के भुगतान का प्रश्न ही नहीं है।

3. एस० ए० पर परिवादी एवं अन्य गवाहों का परीक्षण करने के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज का परीक्षण करने के बाद अवर न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए अभिलेख पर प्रथम दृष्टया मामला एवं पर्याप्त सामग्री मौजूद पाया। तद्नुसार, न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया और अभियुक्तों के विरुद्ध समन जारी करने का निर्देश दिया। संज्ञान लेने वाले आदेश से व्यथित होकर, याचियों ने इस न्यायालय के समक्ष इस दांडिक याचिका को दाखिल किया।

4. डब्ल्यू॰ पी॰ (दां॰) सं॰ 239 वर्ष 2015 एवं डब्ल्यू॰ पी॰ (दां॰) सं॰ 241 वर्ष 2015 के याचियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री एन॰ के॰ अग्रवाल ने संपूर्ण परिवाद याचिका और इसमें किए गए अभिकथनों तथा अभिलेख पर मौजूद अन्य समस्त प्रासंगिक सामग्रियों से इस न्यायालय को अवगत कराने के बाद गंभीर रूप से प्रतिवाद किया कि भले ही परिवाद में किए गए समस्त अभिकथनों को ज्यों का त्यों सत्य के रूप में माना भी जाता है, भारतीय दंड संहिता के किसी प्रावधान जिनमें संज्ञान लिया गया है के अधीन मामला नहीं बनता है। आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि पक्षों के बीच विवाद उनके अपने-अपने हिस्सों की सीमा तक सीमित है और उसके लिए बँटवारा वाद भी दाखिल किया गया है, भले ही किसी कारण से अन्य सहअंशधारियों द्वारा ऐसे अधिकार से इनकार भी किया जाता है, सिविल उपचार उपलब्ध हैं और ऐसे सिविल अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए दांडिक कार्यवाही का सहारा नहीं लिया जा सकता है। यह निवेदन भी किया गया है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति के सह-अंशधारियों के बीच दांडिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए बल्कि यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है और यह अनुचित होगा, भले ही करार का कोई भंग हुआ है।

विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अगरवाल ने आगे निवेदन किया कि अवर न्यायालय अपराध का संज्ञान लेते हुए यह अधिमूल्यन करने में विफल रहा कि आजकल शुद्धत: सिविल विवाद को दांडिक मामलों में संपरिवर्तित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और आदेशिका जारी करने के पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक उद्घोषणा में दी गयी आज्ञा का अनुसरण करना न्यायालय का कर्तव्य था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन संज्ञान लेने वाले आदेश सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही विशेषकर जब विवाद सिविल प्रकृति से संबंधित है के अभिखंडन के लिए इस न्यायालय की अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित सिद्धांतों पर विचार करते हुए निवेदन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में समरुप विवाद्यकों पर विचार किया है और स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत दिया है। उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ नीचे किया जाता है:-

> *(i)* ***thO lkxj ljh ,o ,d vU; cuke mO çO jkT; ,o vU;] (2000)2 SCC 636;*** *(ii)* ***Hkkjrh; ry fuxe cuke ,uO bO ihO lhO bfM;k fyO ,o vU;] (2006)6 SCC 736;*** *(iii)* ***ekgEen bckfge ,o vU; cuke fcgkj jkT; ,o vU;] (2009)8 SCC 751;*** *(iv)* ***thO ,pO lhO ,yO depkjh LVkd vkl'ku VLV cuke bfM;k bQkykbu fyO] (2013)4 SCC 505 vkj pnu jRukLokeh cuke dO lhO iykulkeh ,o vU;] (2013)6 SCC 740.***

उक्त निर्णयों में अधिकथित सिद्धांतों पर विश्वास करते हुए विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जब मामला जो आवश्यकत: सिविल प्रकृति का है को दांडिक अपराध का रूप दिया गया है, दांडिक न्यायालयों को अत्यन्त सतर्कता का प्रयोग करना होगा और कार्यवाही अभिखंडित कर दी जानी चाहिए जब परिवाद में किए गए अभिकथन प्रथम दृष्टया कोई अपराध गठित नहीं करते हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि जब संविदा का दांडिक भंग अथवा छल या सिविल दोष हुआ है और दांडिक अपराध भी उपलब्ध हैं, ऐसी स्थितियों के अधीन, यदि अभिकथित कृत्य मुख्यत: सिविल दोष होंगे, ऐसा कृत्य दांडिक अपराध गठित नहीं करता है और वह भी जब पक्षों के बीच बँटवारा वाद लंबित है। यह निवेदन भी किया गया था कि परिवादी ने किसी दस्तावेज/करार का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है जिसे परिवादी को बाहर निकालने के लिए कूटरचित अथवा सृजित किया गया अभिकथित किया गया है और समस्त अभिकथन अस्पष्ट हैं और कोई अपराध गठित नहीं करते हैं ताकि अभियुक्तों के विरुद्ध दांडिक

कार्यवाही आरंभ की जा सके। अंत में, यह निवेदन किया गया था कि न्यास के दांडिक भंग के आरंभिक अवयव जो ''न्यूनतम'' हैं, पूर्णत: गायब हैं और परिवादी को झरिया हाऊस अंतरित करने का निर्देश याचियों को देने वाला कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश नहीं है।

5. उक्त निवेदनों के अतिरिक्त, डब्ल्यू॰ पी॰ (दां॰) सं॰ 138 वर्ष 2015 के याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा ने उक्त निवेदनों को अपनाते हुए आगे जोड़ा कि संज्ञान लेने वाले आदेश सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित किए जाने योग्य है क्योंकि परिवाद में किए गए अभिकथन प्रथम दृष्टया कोई अपराध गठित नहीं करते हैं और यह केवल न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है जब असद्भाव/द्वेष से दांडिक कार्यवाही आरंभ की गयी है और अभिकथन बेतुके एवं अनधिसंभाव्य हैं।

6. पूर्वोक्त निवेदनों के विपरीत प्रत्यर्थी परिवादी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पक्षों के बीच सिविल वाद लंबित रहना मात्र दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि सिविल एवं दांडिक कार्यवाहियों के बीच दांडिक मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। **कमला देवी अगरवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य, (2002)1 SCC 555** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मात्र सिविल कार्यवाही लंबित रहने के कारण दांडिक अभियोजन को आरंभिक चरण पर निष्फल नहीं किया जा सकता है और याचियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए लगभग समस्त निर्णयों में लगभग समरुप दृष्टिकोण लिया गया है। यह निवेदन भी किया गया है कि सिविल कार्यवाही को अधिसंभाव्यताओं के आधार पर विनिश्चित करना होगा जबकि दांडिक मामले को ''युक्तियुक्त संदेह के परे'' सिद्ध करने का मानक अपनाकर विनिश्चित करना होगा। 'संविदा भंग' मात्र और 'छल' के अपराध के बीच बिल्कुल बारीक सुभिन्नता है और यह अभियुक्त के आशय पर निर्भर करता है जो अपराध का सार है और जिसे उसके पश्चातवर्ती आचरण द्वारा जाँचा जा सकता है। इस आरंभिक चरण पर, अभियुक्त के विरुद्ध परिवादी द्वारा किए गए अभिकथनों की सत्यता अथवा अन्यथा का विस्तारपूर्वक परीक्षण नहीं किया जा सकता है। अगर अभियुक्त कुछ संदेह सृजित करने में सफल होता भी है, संपूर्ण कार्यवाही अथवा संज्ञान लेने वाले आदेश को अभिखंडित करना समुचित नहीं होगा क्योंकि इसका परिणाम अभिकथनों को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य देने की अनुमति परिवादी को दिए बिना इसे अंतिमता देने में होगा।

7. ताथ्यिक अवस्था एवं परिवाद में किए गए अभिकथनों के आलोक में विचारार्थ आया प्रश्न यह है कि क्या परिवाद याचिका में प्रकट किए गए तथ्यों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 403, 406, 417, 421, 465 एवं 120B तथा अन्य प्रावधानों के अधीन अपराधों की तो बात ही दूर कोई भी दांडिक अपराध बनता है।

अधिवक्ताओं के निवेदनों एवं ताथ्यिक पहलू पर आने के पहले मैं यह देखने के लिए कि क्या दांडिक कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यदि सिविल उपचार किसी पक्ष को उपलब्ध है, क्या दांडिक अभियोजन पूर्णत: वर्जित किया जा सकता है, पक्षों द्वारा विश्वास किए गए मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धांतों पर चर्चा करना चाहूँगा।

8. प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार, (1985)2 SCC 370, में समरुप प्रश्न उठाया गया था। उस मामले में, मामला स्त्री धन संपत्ति से संबंधित था। परिवादी ने अभिकथित किया कि उसके पति, ससुर एवं अन्य संबंधियों ने विवाह के समय उसके माता-पिता द्वारा उनको न्यस्त उसके गहनों एवं अन्य बहुमूल्य

वस्तुओं का दुर्विनियोग किया था और वे वस्तुएँ उसके अनन्य उपयोग के लिए आशयित थी और कि अभियुक्तों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और अंतत: उसको दहेज में दी गयी वस्तुओं को लौटाए बिना घर से निकाल दिया। अभियुक्त ने प्रतिवाद किया कि विवाद सिविल प्रकृति का था और दांडिक अभियोजन नहीं होगा। उस परिस्थिति के अधीन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 21 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

*"21. ,l ekeyk dh fo'kky l[;k g tgk nkfMd fofèk ,o flfoy fofèk lkFk&lkFk py ldr gA nkuk mipkj ijLij :i l vuU; ugh g cfYd Li"Vr% lefoLrh.k g vkj vko';dr% viu vroLr ,o ifj.kkek e fHkUu gA nkfMd fofèk dk mí'; vijkèkh dk nfMr djuk g tk fdlh 0;fDr] lifÙk vFkok jkT; d fo#) vijkèk djrk g ftld fy, vfHk;Dr dk vijkèk d çek.k ij mldh Lor=rk l vkj dN ekeyk e mld thou l Hkh ofpr fd;k tkrk gA fdr ;g vkxtuh] n?kVuk] vkfn ekeyk e nk"kdrk d fo#) okn dju d fy, flfoy mipkjk dk fcYdy çHkkfor ugh djrk gA ;g ekuuk vfHk'kki g fd tc flfoy mipkj miyCèk g] nkfMd vfHk;ktu i.kr% oftr g] dkjokb;k d nkuk çdkj vroLr] foLrkj ,o HkkokFk e fcYdy fHkUu gA***

9. याचियों के विद्वान अधिवक्ता ने **भारतीय तेल निगम बनाम एन॰ ई॰ पी॰ सी॰ इंडिया, लि॰ (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों एवं याचियों द्वारा विश्वास किए गए निर्णयों पर विचार करते हुए सिद्धांत अधिकथित किया जिन्हें इस मामले में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक के समुचित अधिमूल्यन के लिए यहाँ नीचे दिया जा रहा है:–

^^(i) ifjokn vfHk[kfMr fd;k tk ldrk g tgk ifjokn e fd, x, vfHkdFkuk dk T;k dk R;k fy; tku vkj mudh li.krk e Lohdkj fd, tku ij Hkh] o dkb vijkèk çFke n"V;k xfBr ugh djr g vFkok vfHk;Dr d fo#) vfHkdfFkr ekeyk ugh cukr gA

bl ç;ktu l] vfHkdFkuk d x.kkx.k dk ijh{k.k fd, fcuk ifjokn dk li.k :i l ijh{k.k djuk gkxkA ifjokn vfHk[kfMr dju dh çkFkuk dk ijh{k.k fd, fcuk ifjokn e vfHkdFkuk dh foLrr tkp vFkok lkexh dk foLrkjiod fo'y"k.k ;k fo'oluh;rk vFkok okLrfodrk dk fuèkkj.k dju dh vko';drk ugh gA

(ii) ifjokn ogk Hkh vfHk[kfMr fd;k tk ldrk g tgk U;k;ky; dh çfØ;k dk Li"V n#i;kx gvk g tc nkfMd dk;okgh vlnHkko@}"k l çfr'kkèk yu vFkok gkfu dkfjr dju d fy, vkjHk fd;k x;k g vkj vfHkdFku vrfufgr :i l crd gA

(iii) fdr oèk vfHk;ktu dk xyk ?kkVu vFkok ble ljk[k dju d fy, vfHk[kMu dju dh 'kfDr dk mi;kx ugh fd;k tk,xkA 'kfDr dk ;nk&dnk ,o lrdrk l mi;kx fd;k tkuk pkfg,A

(iv) ifjokn dk vfHkdfFkr vijkèk d vo;ok dk 'kCnr% çLrr dju dh vko';drk ugh gA ;fn ifjokn e vko';d rkfF;d vkèkkj fn;k tkrk g] ek= bl vkèkkj ij fd dN vo;ok dk foLrkjiod dFku ugh fd;k x;k g] dk;okgh vfHk[kfMr ugh dh tkuh pkfg,A ifjokn d vfHk[kMu dh vko';drk doy rc gkrh g tgk ifjokn ey rF;k l Hkh foghu g tk vijkèk cuku d fy, fcYdy vo';d gA

*(v) rF;k dk fn;k x;k lox (a) 'k)r% flfoy nk"k] ([k) 'k)r% nkfMd vijkèk vkj (x) flfoy nk"k vFkok nkfMd vijkèk fufer dj ldrk gA okf.kfT;d l0;ogkj vFkok lfonkRed fookn flfoy fofèk e mipkj bfllr dju d fy, okn grd çLrr dju d vfrfjDr nkfMd vijkèk Hkh vrxLr dj ldrk gA pfd flfoy dk;okgh dh çÑfr ,o foLrkj nkfMd dk;okgh l fHkUu g] rF; ek= fd ifjokn okf.kfT;d l0;ogkj vFkok lfonk Hkx l lcfèkr g ftld fy, flfoy mipkj miyCèk g vFkok bldk ykHk fy;k x;k g] Lo; e nkfMd dk;okgh vfHk[kfMr dju dk vkèkkj ugh gk ldrk gA ijh{kk ;g g fd D;k ifjokn e fd, x, vfHkdFku nkfMd vijkèk çdV djr g ;k ughA***

10. पूर्वोल्लिखित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दृष्टिकोण लिया है कि जब परिवाद कोई दांडिक अपराध प्रकट नहीं करता है, कार्यवाही अभिखंडित किए जाने की दायी है किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि जब सिविल उपचार उपलब्ध है अथवा इसका लाभ लिया गया है, स्वयं में दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने का आधार नहीं हो सकता है। परीक्षा यह है कि क्या परिवाद में किए गए अभिकथन दांडिक अपराध प्रकट करते हैं या नहीं। किंतु वर्तमान मामले में, स्थिति भिन्न है। उक्त सिद्धांत को ध्यान में रखकर मुझे मामले का परीक्षण करने दें। विद्वान दंडाधिकारी के न्यायालय ने भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 323, 341, 403, 406, 417, 421, 423, 424, 465 एवं 120B के अधीन अपराध का संज्ञान लिया है। चूँकि प्रश्न सिविल प्रकृति के वाद से संबंधित है किंतु चूँकि यह दांडिक अपराध के अवयवों को भी अंतर्विष्ट करता है, केवल भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 403, 406, 417, 421 एवं 465 तक विचार सीमित रखा जाए।

11. भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 403 प्रावधानित करती है कि जो कोई भी बेइमानी से किसी चल संपत्ति का स्वयं अपने उपयोग के लिए दुर्विनियोग अथवा संपरिवर्तन करता है, उसे ऐसी अवधि जिसे दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, के कारावास से अथवा जुर्माना के साथ अथवा दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। प्रावधान के परिशीलन मात्र से, यह प्रतीत होता है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 403 के अधीन अपराध किए जा सकने के पहले दो चीजें आवश्यक हैं–(i) कि अभियुक्त के उपयोग के लिए संपत्ति दुर्विनियोजित अथवा संपरिवर्तित की जानी होगी और (ii) कि उसे इसका बेइमानी से दुर्विनियोग अथवा संपरिवर्तन करना होगा। वर्तमान मामले में परिवादी ने याचीगण सहित अभियुक्तों के साथ स्वयं को सह–अंशधारी होने का दावा करते हुए दावा किया है कि यद्यपि संपत्ति माप एवं सीमांकन द्वारा विभाजित नहीं की गयी थी, अभियुक्तगण मुख्य कंपनी मेसर्स अनूप मैलिएबल्स लि॰ सहित संपत्ति बेच रहे हैं और बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोग किया है और इसे अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित किया है और विभिन्न कंपनियों के संयुक्त परिवार के शेयरों को भी बेचा है। यह बँटवारा वाद लंबित रहने के दौरान किया गया है। स्पष्टत:, अपराध गठित करने के लिए जिम्मेदार अवयव प्रथम दृष्टया उपलब्ध प्रतीत होते हैं। किंतु, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि परिवादी ने काफी पहले उन कंपनियों के अपने शेयरों को बेच दिया है और यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि अभियुक्तों ने किसी अवैध कृत्य अथवा प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा परिवादी के साथ छल किया है।

12. एक अन्य धारा जिसमें संज्ञान लिया गया है भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 406 है जो न्यास के दांडिक भंग के लिए दंड पर विचार करती है। भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 405 "न्यास का दांडिक भंग'' परिभाषित करती है। न्यास के दांडिक भंग का अपराध निम्नलिखित कृत्यों को अंतर्ग्रस्त करता है: (i) संपत्ति का न्यस्तकरण, अथवा (ii) स्वयं अपने उपयोग के लिए एजेन्ट द्वारा संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग अथवा संपरिवर्तन;

अथवा; (iii) वह ढग जिसमें न्यस्तकरण उन्मोचित किया जाना है, विहित करने वाली विधि की आज्ञा के उल्लंघन में संपत्ति का बेईमानी से उपयोग अथवा व्ययन; अथवा (iv) न्यस्तकरण के उन्मोचन के संबंध में अभिव्यक्त अथवा विवक्षित किसी विधिक संविदा के निबंधनों के उल्लंघन में संपत्ति का बेईमान उपयोग अथवा व्ययन अथवा किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर ऐसा करने की अनुमति देना।

परिवादी ने परिवाद याचिका के पैराग्राफ 1 में कथन किया है कि संयुक्त परिवार की सदा बढ़ती संपदा के बेहतर वित्तीय नियंत्रण के लिए विभिन्न आस्तियों के ऊपर प्रबंधन एवं नियंत्रण परिवार के विभिन्न सदस्यों को अभिरक्षक के रूप में कृत्य करने के लिए न्यस्त किया गया था। तद्नुसार अभियुक्तों को अन्य संपत्तियों के अतिरिक्त मेसर्स अनूप मैलिएबल्स लि॰ एवं बी॰ एल॰ ए॰ इंडस्ट्रीज लि॰ का निदेशक बनाया गया था। न्यस्तकरण एवं बेइमान आशय सिद्ध करने का भार निःसंदेह अभियोजन पर है किंतु यह अपराध गठित करने के लिए जिम्मेदार अवयवों का विस्तारपूर्वक परीक्षण करने का चरण नहीं है। यह सत्य है कि संविदा का भंग अथवा न्यास का भंग मात्र दांडिक अभियोजन उद्‌भूत नहीं कर सकता है जब तक संव्यवहार के आरंभ में ही कपटपूर्ण अथवा बेईमान आशय नहीं दर्शाया जाता है। संयुक्त परिवार की 35 एकड़ भूमि के बदले 4 एकड़ भूमि उसको अंतरित करने के लिए परिवादी के साथ किए गए वादा के साथ अभियुक्तों द्वारा समझौता ज्ञापन (एम॰ ओ॰ यू॰) भी सृजित किया गया था किंतु उक्त भूमि के अंतरण के लिए कोई कदम उठाए बिना दो एकड़ के सिवाए संपूर्ण 35 एकड़ संयुक्त परिवार की भूमि अभियुक्त सं॰ 7 मनोज अगरवाल को बेच दी गयी थी और अभियुक्तों ने संपूर्ण विक्रय आगम का दुर्विनियोग किया था।

याचियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि तात्पर्यित एम॰ ओ॰ यू॰ का अभिकथित भंग न्यास का दांडिक भंग नहीं हो सकता है क्योंकि न्यस्तकरण नहीं था अथवा परिवाद याचिका में अभियुक्तों के विरुद्ध कपटपूर्ण न्यस्तकरण और दुर्विनियोग का अभिकथन नहीं था और न्यस्तकरण के किसी अभिकथन की अनुपस्थिति में न्यास के दांडिक भंग का अपराध नहीं बनता है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **भारतीय तेल निगम बनाम एन॰ ई॰ पी॰ सी॰ इंडिया लि॰ एवं अन्य (ऊपर)** मामले पर विश्वास किया है जिसमें पैरा 31 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

> *"31. rnu lkj] ge vfHkfuèkkfjr djr g fd U;kI d nkfMd Hkx dk ey ,o çFke vo;o vFkkr U;Lrdj.k xk;c g] vr%] vxj ifjokn e fd, x, leLr vfHkdFkuk dk T;k dk R;k lR; ekuk Hkh tkrk g] ^^U;kI d nkfMd Hkx** dk ekeyk tlk HkkO nO lO dh èkkjk 405 d vèkhu ifjHkkf"kr fd;k x;k g] ,uO bO ihO lhO bfM;k d fo#) ugh cuk;k tk ldrk gA***

वर्तमान मामले में, प्रथम दृष्टया संयुक्त परिवार की संपत्ति का न्यस्तकरण प्रतीत होता है, अतः, याचियों द्वारा किए गए बचाव को विचारण के दौरान प्रस्तुत करना होगा एवं इस पर विचार करना होगा। अगर उसके द्वारा किया गया बचाव दोषमुक्ति की ओर ले भी जाता है, यह आरंभ में ही दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने का आधार नहीं है। इस चरण पर, सरोकार केवल यह है कि क्या परिवाद में किए गए प्रकथन दांडिक अपराध के अवयवों का कथन करते हैं या नहीं। परिवादी के लिए अथवा उससे उम्मीद करना आवश्यक नहीं है कि वह परिवाद में अपराध के समस्त अवयवों को प्रस्तुत करेगा।

13. भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 417 जो ''छल के लिए दंड'' से संबंधित है पर वस्तुतः धारा 415 में विचार किया गया है जो ''छल'' के अपराध के आवश्यक अवयवों को परिभाषित करती है या इसका कथन करती है। छल का अपराध गठित करने के लिए जिम्मेदार अवयव हैं: (i) झूठा अथवा भ्रामक कथन करके अथवा अन्य कार्रवाई अथवा लोप द्वारा व्यक्ति की प्रवंचना; (ii) कपटपूर्वक अथवा बेईमानी से उस

व्यक्ति को किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति का परिदान करने अथवा सहमति देने कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को अपने पास रखेगा, के लिए प्रेरित करना अथवा उस व्यक्ति को आशयपूर्वक कुछ करने अथवा नहीं करने जो वह नहीं करता यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित नहीं किया गया होता और जो कृत्य या लोप किसी व्यक्ति को शरीर, विवेक, प्रतिष्ठा अथवा संपत्ति को नुकसान अथवा हानि कारित करता है अथवा करने की संभावना है के लिए प्रेरित करना।

छल का अपराध स्थापित करने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्तों का आरंभ से ही अथवा वादा करने के समय पर कपटपूर्ण अथवा बेईमान आशय था।

14. हृदय रंजन प्रसाद वर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य, (2000)4 SCC 168, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 15 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*"15. ç'u fofuf'pr dju e ;g è;ku e j[kuk gkxk fd lfonk d Hkx ek= ,o Ny d vijkèk d chp l{e lfHkUurk gA ;g mRij.k d le; ij vfHk;Dr d vk'k; ij fuHkj djrk g ftl mld i'pkrorh vkpj.k }kjk tkpk tk ldrk g fdr bld fy, i'pkrorh vkpj.k ,dek= ijh{kk ugh gA lfonk dk Hkx ek= Ny d fy, nkfMd vfHk;ktu mnHkr ugh dj ldrk g tc rd l0;ogkj d vkjHk e gh vFkkr ml le; tc vijkèk fd;k x;k crk;k x;k g ij gh diVi.k vFkok cbeku vk'k; n'kk;k ugh x;k gA vr% vk'k; vijkèk dk lkj gA fdlh 0;fDr dk Ny dk nk"kh vfHkfuèkkfjr dju d fy, ;g n'kkuk vko';d g fd oknk fd, tku d le; ij mldk diVi.k vFkok cbeku vk'k; FkkA ckn e ,lk oknk ijk dju e mldh foQyrk ek= l vkjHk e gh vFkkr tc mlu oknk fd;k Fkk ,lk vkijkfèkd vk'k; mièkkfjr ugh fd;k tk ldrk gA***

15. वर्तमान मामले में, परिवाद में स्पष्ट अभिकथन है कि एन॰ ओ॰ यू॰ कर के एक अभियुक्त देवेन्द्र अगरवाल द्वारा संयुक्त परिवार की 35 एकड़ भूमि के बदले 4 एकड़ भूमि सौंपने का वादा किया गया था, किंतु बेईमान अथवा कपटपूर्ण आशय से संपूर्ण भूमि अभियुक्त सं॰ 7 मनोज अगरवाल को बेची गयी थी और अभियुक्त सं॰ 2 ने संपूर्ण उक्त आगम का दुर्विनियोग किया और अपनी वधु के नाम में दो एकड़ भूमि भी अंतरित किया था। अब, अभिकथन के आधार पर यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 415 की चार दीवारी के अंतर्गत लाने के लिए परिवाद में आवश्यक अभिकथन विद्यमान हैं या नहीं। मेरे मत में, परिवाद में अभिकथन प्रथम दृष्टया अभिकथित अपराध गठित करते हैं।

16. भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 465 'कूटरचना के लिए दंड'' पर विचार करती है और वस्तुत: शब्द 'कूटरचना' भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 463 में परिभाषित की गयी है जबकि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 464 'झूठा दस्तावेज निर्मित करना'' परिभाषित करती है। कूटरचना के मूल तत्व हैं: (i) झूठा दस्तावेज अथवा इसका भाग निर्मित करना; और (ii) ऐसा निर्माण ऐसे आशय के साथ होना चाहिए जैसा धारा में वर्णित किया गया है अर्थात् (a) जनता अथवा किसी व्यक्ति को नुकसान अथवा उपहति कारित करना; (b) किसी दावा अथवा अभिधान का समर्थन करने के लिए; अथवा (c) किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग कराने के लिए; अथवा (d) किसी व्यक्ति को अभिव्यक्त अथवा विवक्षित संविदा करवाने के लिए; अथवा (e) कपट करने के लिए अथवा कि कपट किया जा सकता है।

17. कमला देवी अगरवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (ऊपर) मामले में समरुप विवाद्यक पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

^^mPp U;k;ky; vihykFkh }kjk çR;fFk;k d fo#) vkjHk dh x;h dk;okgh vfHk[kfMr dju e U;k;kfpr ugh FkkA ge bl rd l Hkh çHkkfor ugh g fd pfd

*flfoy okn mPp U;k;ky; e yfcr Fkk] nMkfèkdkjh fofèk e vFkok vkfpR;rk d vkèkkj ij nkfMd ekey e dk;okgh dju e U;k;kfpr ugh FkkA nkfMd ekeyk dk nM çfØ;k lfgrk d vèkhu fofgr çfØ;k d vu#i vxlj gkuk gkxk vkj fHkUu U;k;ky; e yfcr flfoy dkjokb] Hky gh ;g nt ,o çkfèkdkj e mPprj gk] dk dk;okgh vfHk[kfMr dju dk vkèkkj ugh cuk;k tk ldrk gA***

18. मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि परिवाद में अभिकथन स्पष्टत: अनुबंधित करते हैं कि अभियुक्तगण जो संयुक्त परिवार के सदस्य थे और जिनको संयुक्त परिवार की संपत्ति न्यस्त की गयी थी और जो अभिरक्षक थे, ने दस्तावेज सृजित करके संपत्ति और संयुक्त परिवार की संपत्ति के शेयरों को भी बेचा था। यह सत्य है कि परिवादी द्वारा कूटरचित दस्तावेज अभिलेख पर वह दर्शाने के लिए नहीं लाया गया है कि अभियुक्तों ने कूटरचित दस्तावेज सृजित किया था किंतु इस चरण पर, मेरा सरोकार ऐसे अभिकथन के प्रमाण अथवा विचारण के अंतिम परिणाम के साथ नहीं है बल्कि न्यायालय को केवल यह देखना है कि ये समस्त अभिकथन यदि संयुक्त रूप से पढ़े जाते हैं किसी दांडिक अपराध को प्रकट करते हैं या नहीं। यह विधि की सुनिश्चित अवस्था है कि सिविल एवं दांडिक कार्यवाही की प्रकृति और विस्तार और दोनों मामलों में आवश्यक प्रमाण का स्तर भिन्न और सुभिन्न है। विवादित तथ्यों को अधिकारिता के प्रयोग का आधार नहीं बनाया जा सकता है। यदि अभिलेख पर प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है, दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए याचिका ग्रहण नहीं की जा सकती है।

19. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, मेरा सुविचारित मत है कि वर्तमान मामला उन मामलों में से एक नहीं है जहाँ दांडिक अभियोजन दहलीज पर ही अभिखंडित किया जा सकता है। यह सत्य है कि बचाव मामले का अभिवचन किया गया है किंतु ऐसे बचाव पर बाद के चरण पर विचार करने की आवश्यकता है। याचीगण को बाद के समुचित चरण पर यहाँ उठाए गए समस्त विवाद्यकों को उठाने का पर्याप्त अवसर होगा।

20. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, मैं पाता हूँ कि इस चरण पर दांडिक कार्यवाही में और अवर न्यायालय के संज्ञान के आदेश में भी हस्तक्षेप करना इस न्यायालय के लिए समुचित नहीं होगा। परिणामस्वरुप, तीनों रिट याचिकाएँ (दांडिक) खारिज की जाती हैं।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn ,o çeFk iVuk;d] U;k;efrx.k

झुबा ओराँव

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 604 of 2013. Decided on 19th August, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 27 वर्ष 2000 में श्री स्वरुप लाल, सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 3.5.2000 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 11.5.2000 के दंडादेश के विरुद्ध।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 229—भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—पत्नी एवं संतानों की हत्या–आजीवन कारावास–सतर्कता एवं विवेकशीलता के नियम के तौर पर न्यायालय को गंभीर अपराधों के मामलों में दोषी होने के अभिवचन पर कृत्य नहीं करना चाहिए–विचारण न्यायालय ने दोष के अभिवचन के आधार पर दोषसिद्धि का आदेश एवं

दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया–दोष के अभिवचन पर कृत्य करने के बजाए न्यायालय को साक्ष्य दर्ज करने के लिए विचारण हेतु अग्रसर होना चाहिए था–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया गया और विधि के अनुरुप विचारण के लिए मामला संबंधित न्यायालय को वापस भेजा गया। (पैराएँ 10, 14, 15 एवं 16)

निर्णयज विधि.–1981 Cr.L.J. 451; 1989 Cr.L.J. 123; (1992) 3 SCC 700; AIR (34) 1947 Bombay 345—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Rahul Dev, V. Prabhakar, For the Appellant; Mr. Nagmani Tiwari, For the State.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी सोमरी ओराँव एवं लगभग तीन वर्षीय पुत्र महेन्द्र ओराँव एवं लगभग पाँच वर्षीय पुत्री टीटो कुमारी की हत्या करने का दोषी होने का अभिवचन करने पर तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा दिनांक 3.5.2000 के अपने निर्णय के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और दिनांक 11.5.2000 के अपने आदेश के तहत आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था।

2. अभियोजन मामला, जैसा यह अपीलार्थी के पिता बिरसा ओराँव के फर्दबयान से प्रतीत होता है, यह है कि दिनांक 25.9.1999 को पूर्वाह्न लगभग 8 बजे जब वह अपने पशु को चारा खिला रहा था, अपीलार्थी के पुत्र धुचा ओराँव ने उसको सूचित किया कि कमरा जिसमें उसकी माता, भाई एवं बहन सो रहे थे का दरवाजा बाहर से बंद पाने पर उसने इसे खोला और उन सबों को सोता देखा। उसने उनको जगाने का प्रयास किया किंतु उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया था। ऐसी सूचना पाने पर, जब सूचक उस कमरे में आया, उसने तीनों व्यक्तियों को अनेक उपहतियों के साथ मृत पाया। समय के उस बिन्दु पर, उसने अपने पुत्र (अपीलार्थी) को घर में कहीं नहीं पाया था। उन्होंने उसको खोजने का प्रयास किया किंतु विफल रहे। तलाश के क्रम में, उसने रक्तरंजित 'टांगी' पाया और, इस दशा में संदेह किया कि किसी ने उक्त 'टांगी' से समस्त तीनों व्यक्तियों की हत्या कर दिया है। किंतु, यह कथन किया गया था कि घटना की रात्रि में अपीलार्थी भी उस कमरे में सोया था, जिसमें उसकी पत्नी, पुत्र एवं पुत्री सो रहे थे किंतु सुबह उसका अता–पता नहीं था।

3. ऐसी सूचना पाने पर, जब भरनो पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी एस॰ खालखो सूचक बिरसा ओराँव के घर आया, उसने बिरसा ओराँव का फर्दबयान दर्ज किया, जिसमें सूचक ने घटना के बारे में विवरण दिया जैसा ऊपर प्रकट किया गया है। उसके द्वारा आगे कथन किया गया है कि अपीलार्थी काम करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता था और कि प्राय: अपनी पत्नी से धन मांगा करता था और जब कभी उसकी पत्नी द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जाता था, उसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा होता था। अनेक अवसरों पर, उसे अपना तरीका सुधारने के लिए कहा गया था किंतु उसने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया और, तद्द्वारा, संदेह किया गया था कि अपीलार्थी ने उन समस्त व्यक्तियों की हत्या की होगी।

4. ऐसे फर्दबयान पर, अपीलार्थी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। अन्वेषण के लिए मामला लिया गया था, जिसके दौरान अन्वेषण अधिकारी ने गवाहों का बयान दर्ज किया और डॉक्टर द्वारा मृत शरीर का शव परीक्षण भी करवाया। अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थी की सह–अपराधिता पाने पर आरोप–पत्र दाखिल किया, जिस पर अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया था। इस पर, मामला जब सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था, अभियोजन ने अपना मामला शुरू किया और तब जब, अपीलार्थी को आरोप पढ़कर सुनाया गया था, उसने दोषी होने का अभिवचन किया। तुरन्त पश्चात,

दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी से प्रश्न पूछा गया था कि क्या उसने अपनी पत्नी, पुत्र एवं पुत्री की हत्या की है, उसने हाँ में उत्तर दिया।

5. तत्पश्चात्, न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 229 के अधीन प्रावधान का सहारा लेते हुए अपीलार्थी द्वारा दोषी होने के किए गए अभिवचन के आधार पर दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज किया। दोषसिद्धि का उक्त निर्णय एवं दंडादेश चुनौती के अधीन है।

6. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल देव निवेदन करते हैं कि नि:संदेह न्यायालय को दोषी होने के अभिवचन पर व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 229 के अधीन स्वविवेक है किंतु सामान्य प्रथा जो प्रचलित है यह है कि न्यायालय को हत्या जैसे गंभीर अपराध के मामले में दोषी होने के अभिवचन के आधार पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए था, बल्कि अभियोजन को अपना मामला सिद्ध करने के लिए साक्ष्य देने के लिए और अभियुक्त को अपना बचाव करने के लिए कहना चाहिए था। किंतु, यहाँ न्यायालय साक्ष्य के लिए मामला रखने के बजाए दोषी होने के अभिवचन के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अग्रसर हुआ और तद्‌द्वारा न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में गलती किया। अत:, यह अपास्त किए जाने योग्य है।

आगे, यह निवेदन किया गया था कि अपीलार्थी विगत 16 वर्षों से अभिरक्षा में है और, तद्‌द्वारा, निर्णय अपास्त करके अपीलार्थी को स्वतंत्र किया जाए।

7. इसके विरुद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नागमणि तिवारी निवेदन करते हैं कि विधि का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि न्यायालय को दोषी होने के अभिवचन पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए, बल्कि यह अन्यथा है जहाँ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 229 में अंतर्विष्ट प्रावधान अनुबंधित करते हैं कि न्यायालय दोषी होने के अभिवचन पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सकता है और यही इस मामले में हुआ है क्योंकि अपीलार्थी ने न केवल आरोप विरचित किए जाने के समय पर दोषी होने का अभिवचन किया बल्कि बाद के चरण पर भी जब उसके द्वारा तीन व्यक्तियों की हत्या करने के बारे में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन उससे प्रश्न पूछा गया था, उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार करते हुए कि उसने उन व्यक्तियों की हत्या की थी, पुन: दोषी होने का अभिवचन किया और तद्‌द्वारा न्यायालय दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में पूर्णत: न्यायोचित है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. इस प्रकार, विचारार्थ उद्‌भूत होने वाला प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय ने दोषी होने के अभिवचन के आधार पर दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया है।

9. आरंभ में ही हम सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण से संबंधित अध्याय XVIII में आने वाली धारा 229 को निर्दिष्ट करेंगे जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"229.* ***nk"kh gku d vfHkopu ij nk"kflf)*** *-&;fn vfHk;Dr nk"kh gku dk vfHkopu djrk g] U;k;kèkh'k vfHkopu nt djxk vkj viu Lofood e ml ij ml nk"kfl) dj ldrk gA***

10. ऐसा प्रावधान होने के बावजूद, अनेक उच्च न्यायालयों का दृष्टिकोण है कि न्यायालय को सतर्कता एवं विवेकशीलता के नियम के तौर पर हत्या, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में दोषी होने के अभिवचन पर कृत्य नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि हत्या के अपराध सहित कोई अपराध न केवल हिंसा का भौतिक कृत्य अंतर्ग्रस्त करता है बल्कि आशय अथवा जानकारी का मानसिक तत्व भी अंतर्ग्रस्त करता है। यदि कोई अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है, वह न्यायालय के समक्ष भौतिक कृत्य के बारे में और न कि मानसिक कृत्य के बारे में कथन करता है जो उपदर्शित कर सकता है कि अभियुक्त ने भौतिक कृत्य करके अपराध किया है किंतु उसका ऐसा अपराध करने का कोई आशय

अथवा जानकारी नहीं हो सकता है। मामले के इस पहलू को दृष्टि में रखते हुए, अनेक उच्च न्यायालयों द्वारा इस प्रभाव की प्रतिपादना अधिकथित की गयी है कि सतर्कता एवं विवेकशीलता के नियम के तौर पर न्यायालय को गंभीर अपराधों के मामलों में दोषी होने के अभिवचन पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए। ऐसी प्रतिपादना **रमेशन बनाम केरल राज्य, 1981 Crl.L.J. 451,** में स्थान पाती है।

11. ''**तिरोन नजारथ बनाम राज्य, 1989 Crl. L.J. 123** के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दोषी होने के अभिवचन पर दोषसिद्धि दर्ज किया जाना मात्र इसलिए वर्जित नहीं किया गया है कि अपराध गंभीर हैं बल्कि विवेकशीलता का नियम मांग करता है कि साक्ष्य दर्ज किए बिना व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं करना चाहिए।

12. इस संबंध में हम **महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह उर्फ सुखा एवं अन्य, (1992)3 SCC 700,** में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

> *^l= ekeyk d fopkj.k dh çfØ;k lfgrk d vè;k; xVIII e j[kkfdr dh x;h gA lfgrk dh èkkjk 229 çkoèkkfur djrh g fd ;fn vfHk;Dr nk"kh gku dk vfHkopu djrk g] U;k;kèkh'k dk vfHkopu nt djuk gkxk vkj rRi'pkr fofuf'pr djuk gkxk fd vfHk;Dr dk nk"kfl) fd;k tk, ;k ughA nk"kh gku dk vfHkopu vijkèk xfBr dju oky leLr rF;k d Lohdj.k d rY; gA vr%] ;g vko';d g fd vfHkopu Lohdkj dju vkj mlij dkjokb dju d igy U;k;kèkh'k dk lr"V gkuk gkxk fd vfHk;Dr vijkèk xfBr dju oky rF;k vFkok vo;ok dk Lohdkj djrk gA vr%] vfHk;Dr dk vfHkopu Li"V vlfnXèk ,o vfo'kkf"kr gkuk gkxk vkj U;k;ky; dk lr"V gkuk gkxk fd mlu viu fo#) fd, x, vfHkdFkuk dh çÑfr dk le>k g vkj mudk Lohdkj djrk gA U;k;ky; dk nk"kh gku d vfHkopu ij ÑR; dju d igy lrdrk ,o pkdlh d lkFk ÑR; djuk gkxkA***

13. किंतु, कुछ न्यायालय एक कदम आगे गए हैं जहाँ तक यह की जाने वाली सतर्कता से संबंधित है जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दोषी होने का अभिवचन दोषसिद्धि का आधार अच्छी तरह निर्मित कर सकता है किंतु दोषी होने के अभिवचन पर दोषसिद्धि का आदेश पारित किए जाने के पहले न्यायालय को सुनिश्चित करना होगा कि अभियुक्त जो दोषी होने का अभिवचन करता है, पूरी जानकारी के साथ ऐसा कर रहा है और अपने अभिवचन के परिणाम से भी अवगत है। इस संबंध में, **अब्दुल कादर बनाम सम्राट, AIR (34)1947 Bombay 345,** मामले को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसमें स्टोन, मुख्य न्यायाधीश, ने पैरा 4 एवं 5 पर संप्रेक्षित किया है:–

> *^^ej er e ;g ijh çfØ;k vfu;fer FkhA çFker% vihykFkh }kjk linxh nMkfèkdkjh l fofèkd lgk;rk ekx tku ij ml eR; l n.Muh; ikekf.kd fu.k;k vkjki d çfr vfHkopu dju dh vuefr ugh nh tkuh pkfg, Fkh tc vfèkoDrk }kjk mldk çfrfufèkRo ugh fd;k x;k FkkA ,lk vfèkd blfy, g] D;kfd gR;k d vkjki d çfr nk"kh gku dk vfHkopu Lohdkj djuk ugh bl çn'k d l= U;k;ky;k dh çFkk çrhr gkrh g] ;fi ikekf.kd fu.k;k ftu ij ;g çfrknuk vkèkkfjr crk;h tkrh g vFkkr "(1906)B Bom LR 240, lekV cuke fpfuyk vkj (1917)19 Bom LR 356; 4 AIR 1917 Bom 220: 40 IC 699, lekV cuke y{kE;k fl)lik ,lk vfèkdfFkr ugh djr g fd nk"kh gku dk vfHkopu dHkh Lohdkj ugh fd;k tk ldrk g(cfYd ;g ,lk dju dh lkekU; çFkk d vu#i ugh gA viu fy, dgr g,] e bldk dkb dkj.k ugh n[krk g fd ;fn lefpr lj{kkRed mik; fd, tkr g ,lk vfHkopu D;k ugh Lohdkj fd;k tkuk pkfg,A ,lh j{kkik;k e vfèkoDrk }kjk vfHk;Dr dk çfrfufèkRo lfEefyr gkuk pkfg, tk bl lcèk e U;k;ky; d ç'uk dk mÙkj nu dh voLFkk e gkxk fd D;k vfHk;Dr tkurk g fd og D;k dj jgk g vkj viu vfHkopu d ifj.kkek vkj ml ij fpfdRlh; lk{; d fpfdRlh; fjikV d ifj.kkek l voxr gA***

14. इस प्रकार, हम पाते हैं कि यह विधि का सिद्धांत कभी नहीं रहा है कि दोषी होने का अभिवचन दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता है, किंतु दोषी होने के अभिवचन पर कृत्य करने के पहले न्यायालय को संतुष्ट होना होगा कि व्यक्ति जो दोषी होने का अभिवचन करता है ने अभिकथनों की प्रकृति समझा है और इसके परिणामों से अवगत है। यदि न्यायालय पाता है कि अभियुक्त ने अभिकथनों की प्रकृति एवं इसके परिणामों को भी समझा है, न्यायालय दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए अग्रसर हो सकता है अन्यथा न्यायालय को सतर्कता एवं विवेक के नियम के तौर पर साक्ष्य अभिलिखित करने की कार्यवाही करनी चाहिए।

15. यहाँ, वर्तमान मामले में, प्रासंगिक ऑर्डरशीट सहित अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद, हम पाते हैं कि न्यायालय दोषी होने का अभिवचन दर्ज करने के पहले उसको अभिकथनों की प्रकृति एवं इसके परिणामों को समझाने के लिए रक्षोपायों का प्रयोग करने में विफल रहा और तद्द्वारा न्यायालय को दोषी होने के अभिवचन पर कृत्य करने के बजाए साक्ष्य दर्ज करने के लिए विचारण हेतु अग्रसर होना चाहिए था।

16. इन परिस्थितियों के अधीन, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने दोषी होने के अभिवचन के आधार पर दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया और तद्द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है और इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तिथि से छह माह के भीतर विधि के अनुरुप निष्कर्षित करने के लिए मामला संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाता है।

17. किंतु, इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि अपीलार्थी विगत 16 वर्षों से अभिरक्षा में है, हम इसे उचित एवं समुचित नहीं पाते हैं कि उसे विचारण के दौरान अभिरक्षा में रहने की अनुमति दी जाए और, इसलिए, उक्त नामित अपीलार्थी को इस शर्त के अध्यधीन कि वह विचारण में नियत प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा, सत्र विचारण सं॰ 27 वर्ष 2000 में सत्र न्यायाधीश, गुमला की संतुष्टि हेतु समान राशि की एक प्रतिभूति के साथ 500/- (पाँच सौ) रुपयों का निजी बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर निर्मुक्त करने का निर्देश देते हैं।

18. इस प्रकार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

अंबरीश उर्फ अमरीश महतो

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cri. Misc. Petition No. 2270 of 2013 with I.A. No. 6524 of 2014. Decided on 13th October, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन एक आवेदन के मामले में।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 147, 148, 341, 323, 379, 385 एवं 504—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 482—उपहति, चोरी, उद्दापन एवं प्रहार–परिवादी को जाति नाम लेकर भद्दी भाषा में उसको गाली देने एवं उस पर प्रहार करने का परिवाद याचिका में विनिर्दिष्ट अभिकथन

है–चोरी एवं लेवी मांगने का अभिकथन भी है–याची सहित अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाया गया है–याचिका खारिज। (पैराएँ 12 से 16)

निर्णयज विधि.–2009 AIR SCW 5335; AIR 2011 SC 177—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Kailash Prasad Deo, For the Petitioner; Mr. Pankaj Kumar, For the State; Mr. A.K. Kashyap, For the O.P. No.2.

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अधिवक्ता एवं परिवादी वि॰ प॰ सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची पी॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 265 वर्ष 2010 में विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, देवघर द्वारा पारित दिनांक 2.7.2013 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 341, 323, 379, 385 एवं 504 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (इसमें इसके बाद ''एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 3 (1) (x) के अधीन याची के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध पाया गया है। याची ने उक्त मामले में अपने विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए भी प्रार्थना किया है।

3. इस मामले के तथ्य संक्षिप्त हैं। परिवादी ओ॰ पी॰ सं॰ 2 ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, देवघर के न्यायालय में परिवाद मामला दाखिल किया है, जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि याची परिवादी को जसीडीह अवस्थित भूखंड सं॰ 252 में भूमि का टुकड़ा उसको देने के लिए यातना देता था। यह अभिकथित किया गया है कि अभिकथित घटना की तिथि एवं समय पर, जब परिवादी जसीडीह बाजार जा रहा था, याची ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ विधिविरुद्ध जमाव निर्मित करते हुए और हथियारों से लैस होकर भूमि पर अतिक्रमण किया था और वे मिट्टी खोद रहे थे। परिवादी द्वारा आपत्ति करने पर याची ने परिवादी को उसका जाति नाम लेकर भद्दी भाषा में गाली दिया और इस याची सहित अभियुक्तों ने परिवादी पर प्रहार किया और यह अभिकथन किया गया है कि याची ने परिवादी की जेब से 1000/- रुपया निकाल लिया और 50,000/- रुपयों का लेवी भी मांगा। परिवादी ने घटना के बारे में पुलिस थाना को सूचित किया, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी और तत्पश्चात वह एस॰ डी॰ पी॰ ओ॰ आरक्षी अधीक्षक, देवघर से भी मिला, किंतु उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया था। इन अभिकथनों के साथ परिवाद मामला दाखिल किया गया था, जिसे पी॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 265 वर्ष 2010 के रूप में दर्ज किया गया था।

4. यह प्रतीत होता है कि अवर न्यायालय द्वारा मामले की जाँच की गयी थी, जिसमें परिवादी ने पाँच गवाहों का परीक्षण किया और जाँच के चरण पर अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर अवर न्यायालय ने यद्यपि पाया कि पक्षों के बीच भूमि विवाद था, किंतु विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, देवघर द्वारा पारित दिनांक 31.1.2011 के आदेश द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 341, 323, 379, 447, 385 एवं 504 के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध भी पाया। परिवादी इस तथ्य से व्यथित होकर कि अभियुक्तों के विरुद्ध एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध नहीं पाया गया था, विद्वान सत्र न्यायाधीश, देवघर के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल किया, जिसे दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 21 वर्ष 2011 के रूप में दर्ज किया गया था और विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, देवघर द्वारा पारित दिनांक 19.1.2013 के आदेश द्वारा उक्त पुनरीक्षण आवेदन अनुज्ञात किया गया था और विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, देवघर द्वारा पारित आदेश

अपास्त किया गया था और विद्वान अवर न्यायालय को न्यायोचित रूप से नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 2.7.2013 के आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, देवघर ने भी भारतीय दंड संहिता के अधीन पूर्वोल्लिखित अपराधों के अतिरिक्त एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध भी पाया और अभियुक्तों के विरुद्ध आदेशिका जारी करने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर याची द्वारा वर्तमान दांडिक विविध याचिका दाखिल की गयी है।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश बिल्कुल अवैध है, क्योंकि आक्षेपित आदेश से यह प्रकट है कि पक्षों के बीच एक भूमि विवाद था जिसके लिए याची एवं अन्य सह-अभियुक्तों को इस मामले में द्वेषपूर्वक एवं झूठे रूप से आलिप्त किया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन करते हुए विधि का बिंदु उठाया है कि एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम की धारा 20 आज्ञा देती है कि इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उसके साथ असंगत किसी चीज के बावजूद प्रभावकारी होंगे। आगे यह निवेदन किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 23 केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियमावली बनाने के लिए सशक्त बनाती है और तद्नुसार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 (इसमें इसके बाद 'एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) नियमावली के रूप में निर्दिष्ट) केंद्र सरकार द्वारा विरचित की गयी है, जिसमें नियम 7 प्रावधानित करता है कि पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण आरक्षी उपअधीक्षक की श्रेणी के अन्यून पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ऐसा अन्वेषण अधिकारी राज्य सरकार/पुलिस महानिदेशक/आरक्षी अधीक्षक द्वारा उसके विगत अनुभव, मामले की जटिलताओं को समझने की क्षमता एवं न्याय करने और सबसे कम संभव समय में सही तरीके से इसका अन्वेषण करने की क्षमता को विचार में लेकर नियुक्त किया जाएगा। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि चूँकि आरक्षी उप अधीक्षक की श्रेणी से अन्यून के पुलिस अधिकारी द्वारा मामले के अन्वेषण के लिए एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) नियमावली के अधीन विशेष प्रावधान है, एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) नियमावली के अधीन विशेष प्रावधान है, एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम की धारा 20 में अंतर्विष्ट अध्यारोही प्रावधान की दृष्टि में दं॰ प्र॰ सं॰ के सामान्य प्रावधान इस मामले पर प्रयोज्य नहीं होंगे। तद्नुसार, यह निवेदन किया गया है कि दंडाधिकारी द्वारा परिवाद मामले की जाँच के संबंध में सामान्य प्रावधान मामले पर प्रयोज्य नहीं होंगे और एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम के प्रावधान के अधीन अपराधों के लिए परिवाद दाखिल किए जाने पर दंडाधिकारी के पास एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) नियमावली के नियम 7 के अनुरुप पुलिस द्वारा अन्वेषण के लिए मामला भेजने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

6. अपने प्रतिवाद के समर्थन में, याची के विद्वान अधिवक्ता ने **म॰ प्र॰ राज्य बनाम चुन्नी लाल उर्फ चुन्नी सिंह, 2009 AIR SCW 5335,** में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें निम्नलिखित विधि अधिकथित की गयी है:-

> *"6. .....vfèkfu;e dh èkkjk 9 d çkoèkku] fu;ekoyh dk fu;e 7 ,o lfgrk dh èkkjk 4 dk l;Dr iBu bl vçfrjkè; fu"d"k dh vkj y tkrk g fd vfèkdkjh ftldh fu;fDr fu;e 7 d fucèkuku lkj ugh dh x;h g }kjk vfèkfu;e dh èkkjk 3 d vèkhu vijkèk dk vUo"k.k voèk gA***

किंतु, स्वयं इसी स्थान पर यह इंगित किया जा सकता है कि उक्त मामला पुलिस मामला के आधार पर संस्थित किया गया था और वर्तमान मामले में अंतर्ग्रस्त प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उक्त मामले

में विचाराधीन नहीं था और यह दर्शाने के लिए इस निर्णय में कुछ भी नहीं है कि दंडाधिकारी परिवाद दाखिल किए जाने पर जाँच नहीं कर सकता है जैसा दं॰ प्र॰ सं॰ के अध्याय XV के अधीन प्रावधानित किया गया है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने संविधियों की व्याख्या के सिद्धांतों को भी निर्दिष्ट किया है और न्यायमूर्ति जी॰ पी॰ सिंह रचित पुस्तक ''सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत'' को इंगित किया है जिसमें प्रत्यायोजित विधान पर विचार करते हुए अध्याय 12 में सिद्धांत निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया गया है:–

> *"6. **,d&nlj d vFkkUo;u d çfr lgk;d d :i e fu;ekoyh ,o lkeF;dkjh vfèkfu;e-**&lfofèk d vèkhu cuk;h x;h fu;ekoyh dk vFkkUo;u d ç;ktu l bl :i e ekuk tkrk g ekuk o lkeF;dkjh vfèkfu;e e Fk vkj mudk ogh çeko gkxk ekuk o vfèkfu;e e vrfo"V gkA vr% vfèkfu;e e fdlh çkoèkku e ^fdlh vU; fofèk* d çfr fun'k vfèkfu;e d vèkhu cuk, x, fu;ek dk vkPNkfnr ugh djxkA fu;ekoyh cuku oky çkfèkdkj }kjk fu;ekoyh d lkFk lyXu 0;k[;kRed ukVl fu;ekoyh d Hkkx g vkj blfy, lkfofèkd gA ;g vFkkUo;u dk ekU;rk çkIr fl)kr g fd lfofèk }kjk çnÙk vfèkdkj d ç;kx e cuk, x, fu;e] mifu;e vFkok Qke e ç;Dr vfHk0;fDr dk] tc rd fo"k; vFkok lnHk e dN Hkh fo#) ugh g] ogh vFk gkxk tlk bl lfofèk d vèkhu fn;k x;k gA fdr fu;ekoyh dk vfèkfu;e d çkoèkkuk d lkFk lxr gkuk gkxk] vkj ;fn fu;e mld ij tkrk g ftl vfèkfu;e }kjk vuè;kr fd;k x;k g] fu;ekoyh ij vfèkfu;e vfHkHkkoh gkxkA **fdr vfèkfu;e e lkekU; çkoèkku vfèkfu;e d vèkhu oèk fu;ek }kjk cuk, x, fo'k"k çkoèkkuk ij ykx ugh gk ldr gA*** *(tkj fn;k x;k)*

8. तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम एवं उसके अधीन विरचित नियमावली के अधीन विहित विनिर्दिष्ट प्रावधान की दृष्टि में दं॰ प्र॰ सं॰ के अध्याय XV के अधीन प्रावधानित दंडाधिकारी द्वारा जाँच के संबंध में सामान्य प्रावधान बिल्कुल अनुज्ञेय नहीं होंगे और तद्नुसार, आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

9. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने और ओ॰ पी॰ सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रार्थना का विरोध किया है और ओ॰ पी॰ सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अपने समक्ष दाखिल परिवाद पर दं॰ प्र॰ सं॰ के अध्याय XV के अधीन जाँच करने के लिए दंडाधिकारी को रोकने का कोई प्रावधान एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमावली में नहीं है तथा यह देश में प्रचलित स्थापित परिपाटी है कि जब एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोई परिवाद दाखिल किया जाता है, दंडाधिकारी दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 156 (3) के प्रावधान के अधीन पुलिस द्वारा अन्वेषण किए जाने के लिए मामला भेजने के लिए अथवा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा XV के अधीन प्रावधानित जाँच स्वयं करने के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ के अधीन पूर्णत: सक्षम हैं। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम के प्रावधानों की दृष्टि में दं॰ प्र॰ सं॰ के केवल वे प्रावधान जो उक्त अधिनियम के साथ असंगत हैं लागू नहीं होंगे किंतु वे प्रावधान जो अधिनियम के साथ असंगत नहीं हैं सदैव प्रयोज्य होंगे और उनका अनुसरण करना होगा। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में अवैधता नहीं है।

10. अपने प्रतिवाद के समर्थन में, ओ॰ पी॰ सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अनेक मामले हैं जिनमें इसी प्रक्रिया का अनुसरण करके दंडाधिकारी द्वारा एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम के अधीन अपराध के लिए प्रथम दृष्टया अपराध पाए गए हैं और इस प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय तक मान्य ठहराया गया है। उदाहरणस्वरुप, विद्वान अधिवक्ता ने **सुब्रत दास बनाम झारखंड**

राज्य एवं एक अन्य, AIR 2011 SC 177, में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को उद्धृत किया है जिसमें दंडाधिकारी द्वारा यही प्रक्रिया अपनायी गयी थी, जिन्होंने जाँच करके एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध पाया था और सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया था। उदाहरणस्वरुप इस निर्णय पर विश्वास करके विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में अवैधता नहीं है।

11. ओ॰ पी॰ सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि यद्यपि मामला पक्षों के बीच भूमि विवाद से उद्‌भूत होता है किंतु परिवादी पर प्रहार करने का और सार्वजनिक रूप से उसका जाति नाम लेकर उसको गाली देने का और नगद की चोरी तथा लेवी की मांग का विनिर्दिष्ट अभिकथन अभियुक्तों के विरुद्ध है और जाँच के चरण पर परीक्षण किए गए गवाहों द्वारा इन अभिकथनों का समर्थन किया गया है और तद्‌नुसार, इस याची सहित अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध स्पष्टत: बनता है और इस चरण पर याची के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

12. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि याची इसके ऊपर किसी अभिधान अथवा अधिकार के बिना प्रश्नगत भूमि पर दावा कर रहा है। परिवाद याचिका में, यह अभिकथित किया गया है कि याची को प्रश्नगत भूमि देने के लिए परिवादी को मजबूर किया जा रहा था। यद्यपि याची ने प्रश्नगत भूमि पर परिवादी के अभिधान एवं स्वामित्व को विवादित किया है, किंतु परिवादी का मामला यह है कि वह अभिलिखित अभिधारियों के उत्तराधिकारियों में से एक है। परिवाद याचिका में उसका जाति नाम लेकर भद्दी भाषा में उसको गाली देने और परिवादी पर प्रहार करने का विनिर्दिष्ट अभिकथन है और अभियुक्तों द्वारा विधि विरुद्ध जमाव निर्मित करके नगद की चोरी करने एवं लेवी मांगने का अभिकथन है और इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, अवर न्यायालय ने पहले दिनांक 31.1.2011 के आदेश द्वारा याची एवं अन्य सहअभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाया था, जिसे याची द्वारा चुनौती कभी नहीं दी गयी थी। बल्कि, ओ॰ पी॰ सं॰ 2 ने इस तथ्य से व्यथित होकर कि एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध नहीं पाया गया था, पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष पूर्वोक्त आदेश को चुनौती दिया था, जिसमें विद्वान अवर पुनरीक्षण न्यायालय ने दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 21 वर्ष 2011 में पारित दिनांक 19.1.2013 के आदेश द्वारा विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, देवघर द्वारा पारित पूर्वोक्त आदेश उसको न्यायोचित रूप से आदेश पारित करने का निर्देश देते हुए अपास्त कर दिया जिसके अनुपालन में विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर याची एवं अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 341, 323, 379, 385 एवं 504 के अधीन अपराध के अतिरिक्त एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए दिनांक 2.7.2013 का नया आदेश पारित किया था।

13. याची के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद कि एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम की धारा 20 के अध्यारोही प्रभाव की दृष्टि में दंडाधिकारी दं॰ प्र॰ सं॰ के अध्याय XV के अधीन प्रावधानित जाँच करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, बल्कि दंडाधिकारी एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) नियमावली के नियम 7 में विहित तरीके से पुलिस द्वारा अन्वेषण के लिए परिवाद भेजने के लिए कर्तव्यबद्ध था, मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में विधि का सही दृष्टिकोण नहीं होगा। एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम की धारा 20 का पठन निम्नलिखित है:–

> *"20.* ***vfèkfu;e dk vU; fofèk;k ij vè;kjkgh gkukk*** *&bl vfèkfu;e e tlk vU;Fkk micfUèkr g mld flok;] bl vfèkfu;e d micUèk] rRle; çoÙk*

*fdlh vU; fofèk ;k fdlh :f< ;k çFkk ;k fdlh vU; fofèk d vkèkkj ij çHkko j[ku okyh fdlh fy[kr e mllh vlxr fdlh ckr d gkr g, Hkh] çHkkoh gkxA***

14. इस प्रकार, इस प्रावधान का सादा पठन स्पष्टत: दर्शाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत चीज के बावजूद इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे। तद्द्वारा जिसका अर्थ है कि दं॰ प्र॰ सं॰ अथवा किसी अन्य विधि के प्रावधान जो अधिनियम के साथ असंगत नहीं है एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए भी लागू होंगे। एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) नियमावली का नियम 7 विहित करता है कि अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण आरक्षी उप-अधीक्षक की श्रेणी से अन्यून के पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे उसके विगत अनुभव आदि को विचार में लेने के बाद राज्य सरकार/पुलिस महानिदेशक/आरक्षी अधीक्षक, द्वारा नियुक्त किया जाएगा, किंतु एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम अथवा उसके अधीन विरचित नियमावली में दंडाधिकारी के समक्ष दाखिल परिवाद पर दं॰ प्र॰ सं॰ के अध्याय XV के अधीन प्रावधानित दंडाधिकारी द्वारा किसी जाँच को रोकने वाला प्रावधान नहीं है।

15. मामले के उस दृष्टिकोण में, मैं ओ॰ पी॰ सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन में बल पाता हूँ कि एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए दाखिल परिवाद मामलों में यह सामान्य परिपाटी है कि दंडाधिकारी दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 156 (3) के अधीन मामले को अन्वेषण के लिए पुलिस के पास भेजते हैं अथवा दं॰ प्र॰ सं॰ के अध्याय XV में प्रावधानित जाँच स्वयं करता है और ऐसी जाँच में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

16. पूर्वोल्लिखित चर्चा की दृष्टि में, मैं पी॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 265 वर्ष 2010 में विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, देवघर द्वारा पारित दिनांक 2.7.2013 के आक्षेपित आदेश जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 341, 323, 379, 385 एवं 504 और एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ (पी॰ ओ॰ ए॰) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अधीन याची सहित अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध पाया गया है। इस दांडिक विविध याचिका में गुणागुण नहीं है और तद्नुसार, इसे खारिज किया जाता है। पूर्वोक्त अंतर्वर्ती आवेदन भी निपटाया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

अखिलेश सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(Cr.) No. 163 of 2015. Decided on 1st September, 2015.

झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002—धाराएँ 12 (1) एवं 12 (2)—निरोध आदेश—जिला दंडाधिकारी द्वारा पहली बार में एक वर्ष की अवधि के लिए याची के निरोध का निर्देश देने वाला आदेश सांविधिक प्रावधान के विपरीत होने के कारण संपोषित नहीं किया जा सकता है—आक्षेपित आदेश अपास्त। (पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.—2014 Cr.L J 2748—Relied; 1989 PLJR 153—Not a Good Law.

अधिवक्तागण.—M/s Anil Kumar Sinha, D.K. Chakraverty, Ramesh Kumar, For the Petitioner; Mr. Rajiv Ranjan Mishra, For the State.

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का अवलंब लेते हुए याची ने प्रत्यर्थी सं॰ 4, उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम द्वारा पारित दिनांक 20.4.2015 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है, जिसके द्वारा झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 (इसमें इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 12 (1) सहपठित धारा 12 (2) के अधीन एक वर्ष के लिए याची को निरुद्ध करने का निर्देश दिया गया है और आगे प्रत्यर्थी सं॰ 3 उप-सचिव, गृह विभाग, झारखंड सरकार, राँची द्वारा पारित दिनांक 30.4.2015 के पश्चातवर्ती आदेश के अभिखंडन के लिए भी प्रार्थना किया है जिसके द्वारा याची के विरुद्ध पारित दिनांक 20.4.2015 का निरोध आदेश अनुमोदित किया गया है।

2. इस रिट आवेदन में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक के न्याय निर्णयन के लिए आवश्यक प्रासंगिक तथ्य ये हैं कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने यह प्रकट करते हुए कि इस याची के विरुद्ध अनेक मामले लंबित हैं और प्रत्येक आशंका है कि जब कभी भी उसे कारा अभिरक्षा से निर्मुक्त किया जाएगा, संबंधित जिला में विधि-व्यवस्था की समस्या होगी और वस्तुत: वह पूर्वी सिंहभूम विशेषत: जमशेदपुर में आतंक है, इस अधिनियम के अधीन दिनांक 20.4.2015 को एक वर्ष का निवारक निरोध आदेश (परिशिष्ट 1) जारी किया।

3. याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा ने गंभीर रूप से प्रतिवाद किया कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा जारी उक्त आदेश अधिनियम की धारा 12 (2) के परन्तुक में दी गयी आज्ञा के विपरीत होने के नाते अवैध है और विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है। प्रत्यर्थी प्राधिकारियों की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14 एवं 21 का उल्लंघनकारी भी है। यह निवेदन भी किया गया था कि उक्त अधिनियम की धारा 12 (2) में अंतर्विष्ट प्रावधान की दृष्टि में, याची को एक बार में तीन माह से अधिक के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता है और 12 माह की अवधि के लिए याची को निरुद्ध करने का आदेश विहित तरीके एवं सुनिश्चित विधि का स्पष्ट उल्लंघन है।

अपने प्रतिवाद के समर्थन में विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **चेरुकुरी मनि बनाम मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य, 2014 Cr. L.J. 2748,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और **डब्ल्यू॰ पी॰ (दांडिक) (एच॰ बी॰) सं॰ 460 वर्ष 2010 (माशूक मनीष उर्फ मोनू बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य)** में पारित इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के दिनांक 31.1.2011 के अप्रकाशित निर्णय और डब्ल्यू॰ पी॰ (दांडिक) सं॰ 33 वर्ष 2015 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.7.2015 के निर्णय पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि यद्यपि **चेरुकुमनी मामले (ऊपर)** में आदेश आंध्र प्रदेश अवैध शराब व्यापारी, डकैतों, औषधि अपराधियों, गुंडाओं, अनैतिक व्यापार अपराधियों एवं भूमि हड़पने वालों की खतरनाक गतिविधि निवारण अधिनियम, 1986 (इसमें इसके बाद 'ए॰ पी॰ अधिनियम, 1986 के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 3 (2) के अधीन पारित किया गया था, किंतु उक्त प्रावधान झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 (2) के प्रावधानों के बिल्कुल समरुप हैं। उस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के पति जिसका आपराधिक पूर्ववृत्त था और जिसे ए॰ पी॰ अधिनियम, 1986 की धारा 3 (2) के अधीन 12 माह के लिए निरुद्ध करने का निर्देश दिया गया था, के मामले पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि सीधे-सीधे 12 माह की महत्तम अवधि के लिए निरोध का निदेश देने वाला आक्षेपित सरकारी आदेश विधि में संपोषित नहीं किया जा सकता है और आगे अभिनिर्धारित किया कि तीन माह की निरोध की आरंभिक अवधि का निर्बंधन और कुछ नहीं बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 4 (a) में अंतर्विष्ट आज्ञा का क्रियान्वयन है। यह निवेदन भी किया गया था कि यद्यपि वर्तमान याची के आपराधिक पूर्ववृत्त की लंबी सूची है किंतु लगभग प्रत्येक मामले में याची को दोषमुक्त किया गया है अथवा जमानत पर निर्मुक्त किया गया है और कि याची की निर्मुक्ति का अंतिम आदेश दिनांक

20.4.2015 को अपराह्न 1.30 बजे धारीडीह कारा, जमशेदपुर पहुँचा जिसके बाद दिनांक 21.4.2015 को पूर्वाह्न लगभग 3 बजे प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा पारित निरोध आदेश प्रत्यर्थी सं॰ 6 कारा अधीक्षक को सौंपा गया था और उसे कारा अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया था, जो पूर्णत: अवैध एवं उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी विधि एवं आज्ञाओं के विपरीत है। अत:, याची तुरन्त निर्मुक्त किए जाने योग्य है।

4. विद्वान जी॰ पी॰ II श्री राजीव रंजन मिश्रा ने न्यायालय को अधिनियम की धारा 12 में अंतर्विष्ट प्रावधान से अवगत कराते हुए गंभीर रूप से प्रतिवाद किया है कि राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की प्रत्येक शक्ति है और अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्यर्थी सं॰ 4 जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्त शक्ति का अवलंब लिया जा सकता है क्योंकि उपधाराओं (1) एवं (2) की भाषा का अगर संयुक्त रूप से पठन किया जाता है, यह स्पष्ट कहती है कि यह राज्य सरकार द्वारा जिला दंडाधिकारी को शक्ति का प्रत्यायोजन है जिसका प्रयोग जिला दंडाधिकारी भी कर सकता है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में विद्वान जी॰ पी॰ II ने **ज्वालाकांत मिश्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,** 1989 PLJR 153, मामले पर विश्वास किया और न्यायालय से उक्त निर्णय के पैराग्राफों 12 एवं 13 को निर्दिष्ट करने की प्रार्थना किया। यह निवेदन भी किया गया था कि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा पारित निरोध आदेश बाद में सलाहकार कमिटी द्वारा और राज्य सरकार द्वारा भी अनुमोदित किया गया था।

5. अधिवक्ताओं के निवेदनों की दृष्टि में, एकमात्र प्रश्न जो इस न्यायालय के विचारार्थ आया है यह है कि ''क्या प्रत्यर्थी सं॰ 4 अथवा राज्य सरकार को अधिनियम के प्रावधानों के अधीन 12 माह की अवधि के लिए एक साथ किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने के लिए निरोध आदेश पारित करने की शक्ति है।'' माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर और **चेरुकुरी मनि मामले (ऊपर)** में ए॰ पी॰ अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अधीन समरुप प्रावधान पर विचार करते हुए उक्त निर्णय के पैराग्राफों 14 से 16 तक में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"14. Åij fufn"V fd, x, rjhd l le;≤ ij fujkèk dk vkn'k ikfjr dju dh vko';drk dk Lo;a viuk egRo gA ;g Lej.k j[kuk gkxk fd rhu ekg d fujkèk dh vkjfHkd vofèk dk fucèku vkj dN ugh cfYd Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 22 d [kM (4) (a) e vrfo"V vkKk dk fØ;kUo;u gA bldk iBu fuEufyf[kr gS&*
>
> *"[k.M 4 : fuokjd fujkèk dk micUèk dju okyh dkb fofèk fdlh 0;fDr dk rhu ekl l vfèkd vofèk d fy, rc rd fu#) fd;k tkuk çkfèkÑr ugh djxh tc rd fd&*
>
> *(a) , l 0;fDr;k l] tk mPp U;k;ky; d U;k;kèkh'k g] ;k U;k;kèkh'k jg g ;k U;k;kèkh'k fu;Dr gku d fy, vfgr g] feydj cu lykgdkj ckM u rhu ekl dh mDr vofèk dh lekfIr l igy ;g çfronu ugh fn;k g fd ml dh jk; e , l fujkèk d fy, i;kIr dkj.k gS*
>
> *ijUr bl mi[k.M dh dkb ckr fdlh 0;fDr dk ml vfèkdre vofèk l vfèkd vofèk d fy, fu#) fd;k tkuk çkfèkÑr ugh djxh tk [k.M (7) d mi[k.M (b) d vèkhu l ln }kjk cukb xb fofèk }kjk fofgr dh xb g(;k*
>
> *(b) , l 0;fDr dk [k.M (7) d mi[k.M (a) vkj mi[k.M (b) d vèkhu l ln }kjk cukb xb fofèk d micUèkk d vulkj fu#) ugh fd;k tkrk gA***
>
> *15. tc fofèk çfØ;k fo'k"k dk vulj.k djd fo'k"k rjhd l dkb pht fd;k tkuk fofgr djrh g] fofgr çfØ;k l foifFkr g, fcuk fofèk d çkoèkkuk dk*

vulj.k djd mlh rjhd l bl djuk gkxkA tc vfèkfu;e dh èkkjk 3 d çkoèkku Li"Vr% çkfèkdkfj;k dk ,d le; ij doy rhu ekg l vufèkd rd dh vofèk d fy, fujkèk vkn'k ikfjr dju dk vkKk nrh g] oreku ekey e yxkrkj ckjg ekg dh vofèk d fy, vihykFkh d ifr dk fu#) dju dk fun'k nu okyk oreku ekey e ljdkj dk vkn'k fofgr rjhd dk Li"V mYy?ku g vkj fofèk d çkoèkku d foijhr gA ljdkj lrd foèkk;h vk'k; fd fujkèk d foLrkj dk vkn'k Hkh fdlh ,d le; ij rhu ekg l vfèkd dk ugh gkxk] dk vun[kk djd ,d gh ckj e ckjg ekg dh egÙke vofèk rd fujkèk dh vofèk c<ku dk fun'k ugh n ldrh gA fujkèk dk vkn'k ikfjr djr g, vFkok le;≤ ij fujkèk vofèk c<kr g, j[kkfdr fl)krk dk vun[kk ugh fd;k tkuk pkfg,A

*16. lkekU;r%] dkb 0;fDr ftl vfèkfu;e d çkoèkkuk d vèkhu fu#) fd;k x;k g] fopkj.k dk lkeuk fd, fcuk fu#) g tk nlj 'kCnk e mldh Lor=rk de dju vkj flfoy vfèkdkjk l budkj dju d rY; gA ,l ekeyk e] D;k ,l 0;fDr dk fujrj fujkèk vko';d g ;k ugh] dk le;≤ ij fuèkkfjr ,o iufoykfdr fd;k tkuk gA bu dkjdk dk fopkj e yr g, foèkkueMy u fofufn"Vr% 0;fDr d fujkèk dk iufoykdu dju d fy, ^^lykgdkj cksM** dk edfuTe çkoèkkfur fd;k gA lefpr iufoykdu d fcuk yxkrkj ckjg ekg dh vofèk d fy, fujkèk vkn'k ikfjr fd;k tkuk cnh d vfèkdkjk d çfr vijkèkd gA vr% ,d ckjxh ckjg ekg dh egÙke vofèk d fy, fujkèk dk fun'k nu okyk vk{kfir ljdkjh vkn'k fofèk e likf"kr ugh fd;k tk ldrk gA**

6. विधि व्यवस्था, सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए प्रत्येक राज्य ने अपना–अपना अपराध नियंत्रण अधिनियम अधिनियमित किया है किंतु भारत के संविधान के अधीन प्रत्याभूत व्यक्ति के अधिकारों को दृष्टि में रखते हुए इसकी चारदीवारी के अंतर्गत प्रावधान अधिनियमित करने की बाध्यता राज्य पर है। राज्य अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए **ज्वालाकांत मिश्रा (ऊपर)** मामले में, माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 12 (2) का परन्तुक अधिनियम की धारा 12 (2) में अंतर्विष्ट मुख्य प्रावधान पर अध्यारोपण है जो अधिकथित करती है कि राज्य सरकार जिला दंडाधिकारी को धारा 12 (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है और जब जिला दंडाधिकारी इस प्रकार प्राधिकृत किया गया है, उसे अधिनियम की धारा 12 (2) के निबंधनानुसार निरोध आदेश पारित करने की अधिकारिता भी होनी चाहिए थी। उक्त मामले में लिए गए दृष्टिकोण को **चेरुकुरी मनि (ऊपर)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी आज्ञा की दृष्टि में अच्छी विधि नहीं कहा जा सकता है।

7. चेरुकुरी मनि (ऊपर) मामले में विनिश्चित निर्णयाधार की दृष्टि में, प्रत्यर्थी सं॰ 4 जिला दंडाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा पहली बार में एक वर्ष की अवधि के लिए याची के निरोध का निर्देश देने वाला दिनांक 20.4.2015 का आदेश सांविधिक प्रावधान के विपरीत होने के नाते संपोषित नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, इसे अभिखंडित किया जाता है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी सं॰ 3 द्वारा पारित दिनांक 30.4.2015 का पश्चात्वर्ती आदेश भी अभिखंडित किया जाता है।

8. रिट याचिका (दांडिक) एतद्द्वारा अनुज्ञात की जाती है।

9. याची जो कारा अभिरक्षा में है को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn ,o çeFk iVuk;d] U;k;efrx.k

भोंदा हंसदा

cuke

झारखंड राज्य

Cr. (Jail) Appeal (D.B.) No. 1265 of 2004. Decided on 2nd September, 2015.

सत्र मामला सं॰ 145 वर्ष 2002 (टी॰ आर॰ सं॰ 1884 वर्ष 2002) में सत्र न्यायाधीश, दुमका (एस॰ पी॰) द्वारा पारित दिनांक 24.11.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 25.11.2003 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—हत्या–आजीवन कारावास–एकमात्र चाक्षुक गवाह द्वारा अभियोजन मामला परिसाक्ष्यित किया गया है–झगड़ा तब हुआ जब अपीलार्थी को घर के बाहर धान ले जाने से रोका गया था और तब उस क्रम में अपीलार्थी ने मृतक की मृत्यु में परिणत होती उपहति कारित करते हुए प्रहार किया था–यह पूर्व चिंतन का मामला नहीं है–न्यायालय ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया–अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग II के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया और दंडादेश पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक घटाया गया। (पैरा 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Rajiv Anand, For the Appellant; Mr. Awanish Shankar, For the State.

न्यायालय द्वारा.–अपीलार्थी को अपने पिता मिस्तर हंसदा की हत्या करने के अभियोग पर विचारण किया गया था। न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी पाने पर दिनांक 24.11.2003 के अपने निर्णय के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए उसे दोषसिद्ध किया और उसको दिनांक 25.11.2003 के अपने आदेश के तहत आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

2. आरंभ में फर्दबयान में दिया गया अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 12.4.2002 को जब सूचक अ॰ सा॰ 6 पंसुरी हेम्ब्रम अपराह्न 3-4 बजे अपने पति मिस्तर हंसदा (मृतक) के साथ अपने घर पर थी, सूचक का सौतेला पुत्र अपीलार्थी आया और झोला में धान रखने के बाद इसे ले जाने लगा। सूचक अ॰ सा॰ 6 पंसुरी हेम्ब्रम और उसके पति (मृतक) दोनों द्वारा अपीलार्थी को धान ले जाने से रोका गया था। यह अपीलार्थी एवं मृतक के बीच झगड़ा की ओर ले गया जिसके दौरान अपीलार्थी ने अपने पिता को जमीन पर गिरा दिया और तब उसको लात मारा। जब सूचक ने अपने पति को बचाने का प्रयास किया, अपीलार्थी द्वारा उस पर भी प्रहार किया गया था। इस पर, अपीलार्थी घर से चला गया और उसका पिता मिस्तर हंसदा जमीन पर पड़ा रहा। रात में सूचक ने अपने संबंधियों को सूचित किया, परन्तु उस दिन मिस्तर हंसदा को अस्पताल नहीं ले जाया जा सका था। अगले दिन लगभग 12 बजे उसके पेट में भयंकर दर्द था और तब मृतक ने खून की उलटी की और उसकी मृत्यु हो गयी।

3. अगले दिन अर्थात् दिनांक 13.4.2002 को अमरनाथ सूरिन, शिकारी पारा पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी घटना स्थल पर आया और अपराह्न लगभग 6 बजे सूचक अ॰ सा॰ 6 पंसुरी हंसदा का फर्दबयान (प्रदर्श 4) दर्ज किया।

4. उक्त फर्दबयान के आधार पर औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 5) लिखी गयी थी। उक्त अमरनाथ सूरिन ने स्वयं अन्वेषण किया और मृत शरीर का मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 6)

तैयार किया। तत्पश्चात, शव परीक्षण के लिए मृत शरीर भेजा गया था जिसे डॉ॰ देवाशीष रक्षित अ॰ सा॰ 8 द्वारा किया गया था जिन्होंने मृत शरीर का शव परीक्षण करने पर निम्नलिखित उपहति पाया:–

(i) nk, dkguh ij 1/2" x 1/2" dk [kjkpA

(ii) ck, dkguh ij 1/2" x 1/2" dk [kjkpA

(iii) Nkrh d nk, Hkkx ij 2" x 1/2" vkdkj dk rhu [kjkpA

(iv) Nkrh d ck, Hkkx ij 2" x 1/2" vkdkj dk rhu [kjkpA

(v) nk, VEçkeMh cyj {k= ij 1/2" x 1/4" x vfLFk rd xgjk fonh.k t[eA

foPNnu dju ij ml {k= dh gMMh dk ÝDpj te [ku d lkFk ik;k x;k FkkA vkx foPNnu dju ij Øfu;y dfoVh [ku l Hkjh ik;h x;h FkhA cu ,o efLr"d n0; fonh.k FkkA

(vi) iV ij 1"x1/2" dk [kjkpA

foPNnu dju ij ifjVkuhy dfoVh [ku l Hkjh ik;h x;h Fkh] iV QVk ik;k x;k Fkk vkj NkVh vkr dh lrg ij gekVkek ektn ik;k x;k FkkA

डॉक्टर ने इस मत के साथ कि मृत्यु कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित उपहति सं॰ (v) एवं (vi) द्वारा कारित की गयी थी, शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 3) जारी किया।

साथ ही, आई॰ ओ॰ ने डॉ॰ ओम प्रकाश अ॰ सा॰ 7 द्वारा सूचक पंसुरी हेम्ब्रम का परीक्षण करवाया जिन्होंने उसका परीक्षण करने पर निम्नलिखित उपहति पाया:–

(i) eLrd ij 2½" yck x nk, ijkbVy {k= ij 1/2" dk fonh.k t[eA

(ii) nk;h dykb d tkM ij ltuA

(iii) nk;h ckg ij 3" x 1/2" x Ropk rd xgjk [kjkpA

डॉक्टर ने उपहति की प्रकृति के संबंध में कोई मत दिए बिना उपहति रिपोर्ट (प्रदर्श 2) जारी किया। किंतु, एक्सरे रिपोर्ट की प्राप्ति पर उन्होंने पुनः उपहति रिपोर्ट (प्रदर्श 2/1) इस मत के साथ जारी किया कि समस्त उपहतियाँ सामान्य प्रकृति की थीं।

5. इस बीच, आई॰ ओ॰ ने गवाहों का बयान दर्ज किया। अन्वेषण पूरा करने पर, जब अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जहाँ अपीलार्थी का विचारण किया गया था जिसके दौरान अभियोजन ने कुल 9 गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से, अ॰ सा॰ 1 शिवधर हंसदा, अ॰ सा॰ 2 बाले हंसदा, अ॰ सा॰ 3 नुनुकु लाल मरांडी, अ॰ सा॰ 4 चूरका हंसदा एवं अ॰ सा॰ 5 जर्मन सोरेन ने अभिसाक्ष्य दिया था कि उन्हें सूचक अ॰ सा॰ 6 पंसुरी हंसदा से और मृतक से भी सूचना मिली कि मृतक, अपीलार्थी एवं सूचक के बीच झगड़ा के दौरान अपीलार्थी ने अपने पिता पर प्रहार किया था जिसके परिणामस्वरुप अगले दिन उसकी मृत्यु हो गयी। अ॰ सा॰ 6 सूचक पंसुरी हेम्ब्रम ने परिसाक्ष्य दिया कि घटना की तिथि पर जब अपीलार्थी घर से

धान ले जा रहा था जिस कारण अपीलार्थी एवं मृतक के बीच झगड़ा हुआ था जिसके दौरान अपीलार्थी ने अपने पिता को जमीन पर गिरा दिया और तब उसकी छाती पर बैठा और उस पर प्रहार किया। अगले दिन मृतक की मृत्यु हो गयी।

6. अभियोजन मामला बंद करने पर, जब अपीलार्थी के विरुद्ध सामने आने वाली अपराध में फँसानेवाली सामग्री दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन रखी गयी थी, अपीलार्थी ने इनकार किया। इस पर, विचारण न्यायालय ने अन्य गवाहों से और चिकित्सीय साक्ष्य से भी संपुष्टि पाने वाले अ॰ सा॰ 6 पंसुरी हेम्ब्रम के परिसाक्ष्य पर अपना अंतर्निहित विश्वास स्थापित करने के बाद अपीलार्थी को दोषी पाया और तद्नुसार दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अधीन है।

7. अपीलार्थी के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त श्री राजीव आनन्द निवेदन करते हैं कि अ॰ सा॰ 6 पंसुरी हेम्ब्रम और अन्य गवाहों के परिसाक्ष्य को सत्य स्वीकार करने पर भी आपराधिक मानव वध का मामला नहीं बनता है बल्कि मामला धारा 300 के अपवादों में से एक के माप दंड के अंतर्गत आता है और तद्द्वारा, विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया और तद्द्वारा दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य है।

8. इसके विरुद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश शंकर निवेदन करते हैं कि अभियोजन यह स्थापित करने में सक्षम रहा है कि अपीलार्थी ने ही उपहति कारित करते हुए अपने पिता पर प्रहार किया जिसे मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त पाया गया था और तद्द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता नहीं किया, अत: इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि अभियोजन का मामला, जैसा अपीलार्थी की सौतेली माता एकमात्र चाक्षुक गवाह सूचक अ॰ सा॰ 6 पंसुरी हेम्ब्रम द्वारा परिसाक्ष्य दिया गया है, यह है कि जब अपीलार्थी घर के बाहर धान ले जा रहा था, सूचक ने उसे ऐसा करने से रोका था जिसके परिणामस्वरुप अपीलार्थी एवं मृतक के बीच झगड़ा हुआ जिसके दौरान अपीलार्थी ने अपने पिता को जमीन पर गिरा कर उस पर प्रहार किया था और उपहति कारित किया था जिसका परिणाम उसी दिन नहीं जब मृतक पर प्रहार किया गया था बल्कि अगले दिन उसकी मृत्यु में हुआ। अन्य समस्त गवाहों अ॰ सा॰ 1, 2, 3, 4 एवं 5 जिन्होंने सूचक से अथवा मृतक से भी जानकारी पाया ने परिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने उन्हें बताया था कि झगड़े के दौरान अपीलार्थी ने अपने पिता पर प्रहार किया था और उसकी मृत्यु में परिणत होने वाली उपहति कारित किया था। इन परिस्थितियों के अधीन, मामला धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> ***^viokn 4.***—*vkijkfèkd ekuo oèk gR;k ugh g ;fn ekuo oèk vpkud >xMk tfur vko'k dh rhork e gb vpkud yMkb e iofpUru fcuk vkj vijkèkh }kjk vufpr ykHk mBk, fcuk ;k Øjrki.k ;k vlkekU; jhfr l dk; fd, fcuk fd;k x;k gkA*

तथ्य जो स्पष्टत: सामने आए हैं उपदर्शित करते हैं कि यह पूर्व चिंतन का मामला नहीं है क्योंकि हमने पहले ही गौर किया है कि झगड़ा तब हुआ जब अपीलार्थी को घर के बाहर धान ले जाने से रोका गया था और उस क्रम में अपीलार्थी ने मृतक की मृत्यु में परिणत होने वाली उपहति कारित करते हुए प्रहार किया था।

इन परिस्थितियों के अधीन, न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में गलती करता प्रतीत होता है। उस स्थिति में, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के बजाए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग II) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और तद्द्वारा अपीलार्थी जो विगत 13 वर्ष से अभिरक्षा में है को पहले ही भुगत ली गयी अवधि का दंडादेश दिया जाता है। परिणामस्वरुप, अपीलार्थी को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

10. तद्नुसार, दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश में उपांतरण के साथ यह अपील अंशतः अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

डॉ॰ रंजीत कुमार उर्फ रंजीत कुमार एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 953 of 2014 with I.A. Nos. 4031, 4949, 995 and 5224 of 2015. Decided on 15th September, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 342, 352, 504/34—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989—धारा 3 (1) (x)—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—जाति नाम से गाली–संज्ञान–परिवाद याचिका केवल पक्षों के बीच अभिधृति विवाद के कारण दाखिल की गयी है–विवाद जो सिविल प्रकृति का है के कारण दांडिक मामले का रंग देने के लिए परिवादी को उसकी जाति नाम से गाली देने एवं अपमानित करने का अभिकथन किया गया है–परिवादी का अनुतोष सिविल न्यायालय में निहित है–पुलिस द्वारा अभिकथन का अन्वेषण किया गया है और याचीगण के पक्ष में फाइनल फॉर्म दाखिल किया गया है–दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की गयी। (पैराएँ 7 से 9)

अधिवक्तागण.–M/s Indrajit Sinha, For the Petitioners; M/s Shree Prakash Jha, For the State; M/s Mukesh Kumar, For the Opp. Party No.2.

आदेश

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याचीगण ने सी॰ पी॰ केस सं॰ 1119 वर्ष 2012 में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 22.2.2013 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है, जिसके द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया था और जाँच एवं विचारण के लिए परिवाद मामला अंतरित किया गया था। अंतर्वर्ती आवेदन सं॰ 5224 वर्ष 2015 के रूप में, याचीगण ने उक्त सी॰ पी॰ केस सं॰ 1119 वर्ष 2012 में श्री अर्जुन साव, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 3.10.2013 के आदेश को अभिलेख पर लाया है और चुनौती दिया है जिसके द्वारा परिवाद याचिका में किए गए अभिकथनों, सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर परिवादी के बयान और जाँच के चरण पर परीक्षण किए गए तीन गवाहों के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 342, 352, 504 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध याचीगण के विरुद्ध पाया गया है–

3. इस मामले के तथ्य संक्षिप्त हैं। स्वीकृत रूप से, याचीगण परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के किराएदार हैं जिसने पहले यह दावा करते हुए कि वह सिटी सेन्टर, बोकारो अवस्थित भूखंड सं॰ GA-28 की स्वामिनी है जिस पर दुकाने थीं जिनको अभियुक्तों ने किराया पर लिया था, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 342, 323, 504/34 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अधीन अपराध के लिए पहले याचीगण के विरुद्ध पुलिस मामला एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ सेक्टर IV पी॰ एस॰ केस सं॰ 31 वर्ष 2012 दाखिल किया था। अपने पति की मृत्यु के बाद परिवादी दुकानों का किराया संग्रहित करती थी। यह अभिकथित किया गया है कि किराया का भुगतान नहीं किया जा रहा था और जब परिवादी अपनी पुत्री के साथ अभियुक्तों से किराया मांगने गयी, उन्होंने उनके साथ उनके जाति नाम से दुर्व्यवहार किया और उनको अपमानित किया। अभियुक्तों द्वारा परिवादी को धमकी दिए जाने का अभिकथन भी है। यह भी अभिकथित किया गया है कि कुछ याचियों के साथ करार का अवसान पहले ही हो गया था, किंतु अभी भी वे दुकानों पर जबरन काबिज हैं। इन अभिकथनों के साथ प्राथमिकी दर्ज किया गया था, जिसमें अन्वेषण के बाद, पुलिस ने यह कथन करते हुए फाइनल फॉर्म दाखिल किया कि पक्षों के बीच सिविल विवाद था, जिस पर वर्तमान विरोध-सह-परिवाद याचिका सी॰ पी॰ सं॰ 1119 वर्ष 2012 परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा पुलिस द्वारा याचीगण के पक्ष में फाइनल फॉर्म दाखिल किए जाने के विरुद्ध दाखिल किया गया था।

4. याचियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पक्षों के बीच मकान मालकिन किराएदार संबंध होने के चलते अभिधृति विवाद के कारण याचियों को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। याचियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि परिवादी एवं उसकी पुत्री को उनके जाति नाम से गाली देने का अभिकथन भी सार्वजनिक रूप से नहीं हुआ था, जैसा अभिकथित किया गया है कि उक्त घटना याची सं॰ 1 के चैम्बर में हुई थी। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह शुद्धतः पक्षों के बीच सिविल विवाद का मामला है, किंतु याचीगण को दुकान खाली करने के लिए मजबूर करने के लिए इसे दांडिक मामले का रंग दिया गया है। यह निवेदन किया गया है कि पुलिस द्वारा मामले का पूरा अन्वेषण किया गया था, जिस पर पुलिस ने यह कथन करते हुए कि पक्षों के बीच केवल सिविल विवाद था, याचीगण के पक्ष में फाइनल फॉर्म दाखिल किया। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह याचीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध पाने तथा संज्ञान लेने वाले आदेश सहित याचीगण के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए सुयोग्य मामला है।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता और परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि याचीगण के विरुद्ध अभिकथनों के आधार पर उनके विरुद्ध अपराध स्पष्टतः बनता है। यह निवेदन भी किया गया है कि परिवादी ने सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर दर्ज अपने बयान में मामले का समर्थन किया था और जाँच के चरण पर तीन गवाहों का परीक्षण भी किया गया था, जिसके आधार पर याचीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध पाया गया है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों में कोई अवैधता नहीं है और इस चरण पर याचीगण के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

6. सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर दर्ज परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 का बयान अभिलेख पर उपलब्ध है, जिसमें उसने कथन किया है कि जब वह अभियुक्तों से किराया संग्रहित करने के लिए गयी थी, उन्होंने

उसे और उसकी पुत्री को याची सं॰ 1 डॉ॰ रंजीत कुमार के चैम्बर में परिरुद्ध कर दिया था, जहाँ उसे और उसकी पुत्री को उनके जाति नाम से गाली दिया गया था और अपमानित किया गया था। इस प्रकार सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर परिवादी के बयान से, यह प्रकट है कि घटना याचियों में से एक के चैम्बर में हुई थी और ऐसी दशा में, सार्वजनिक रूप से अपराध किया गया नहीं कहा जा सकता है। सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर दर्ज परिवादी के बयान से यह भी प्रकट है कि किसी भी अभियुक्तगण के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं है, बल्कि समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध केवल सामान्य अभिकथन है।

7. मामले के उस दृष्टिकोण में, मेरा सुविचारित मत है कि परिवाद याचिका केवल मकानमालकिन एवं किराएदार होने के नाते पक्षों के बीच अभिधृति विवाद के कारण दाखिल की गयी है। उसकी जाति नाम से परिवादी को गाली देने एवं अपमानित करने का अभिकथन केवल उक्त विवाद जो शुद्धतः सिविल प्रकृति का है के कारण दांडिक मामला का रंग देने के लिए किया गया है और परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 का अनुतोष सिविल अधिकारिता के सक्षम न्यायालय के पास जाने में है। अन्यथा भी, पुलिस द्वारा अभिकथन का अन्वेषण किया गया है और स्वीकृत रूप से याचीगण के पक्ष में फाइनल फॉर्म दाखिल किया गया है।

8. इस मामले के तथ्यों में, मेरा सुविचारित दृष्टिकोण है कि यह न्याय के हित में और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए याचीगण के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने के लिए सुयोग्य मामला है।

9. पूर्वोल्लिखित चर्चाओं की दृष्टि में, परिवाद मामला सं॰ 1119 वर्ष 2012 में याचीगण के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही सहित विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 22.2.2013 के आक्षेपित आदेश तथा श्री अर्जुन साव, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बोकारो द्वारा याचीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 342, 352, 504/34 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए उक्त सी॰ पी॰ केस सं॰ 1119 वर्ष 2012 में पारित दिनांक 3.10.2013 का आदेश भी एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

10. तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है। परिणामस्वरुप, इस मामले में दाखिल चारों अंतर्वर्ती आवेदन भी निपटाए जाते हैं।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

सुरेश राम एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 948 of 2014. Decided on 31st Auguat, 2015.

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000—धाराएँ 72, 73 एवं 75—आरक्षण–व्यक्ति जो मूल बिहार राज्य में सेवारत थे और धारा 72 के निबंधनानुसार किए गए कार्य के फलस्वरुप आवंटित किए गए थे, सेवा शर्त के संरक्षण का उपभोग करते हैं जो नियत तिथि पर प्रवर्तित था और इसे केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाए उनके अलाभ के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता

था–एस॰ सी॰ कोटि से आने वाले प्राइवेट प्रत्यर्थियों जैसे कार्मिक/कर्मचारी उत्तरवर्ती झारखंड राज्य को आवंटित किए गए हैं, यद्यपि वे उत्तरवर्ती बिहार राज्य के निवासी हो सकते हैं–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 8 से 12)

अधिवक्तागण.–M/s V.K. Tiwary, For the Petitioner; Mr. Kr. Rahul Kamlesh, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. याचीगण जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता हैं। वे कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग एवं राजभाषा विभाग के दिनांक 14.8.2008 के पत्र सं॰ 4772 में अंतर्विष्ट निर्णय से व्यथित हैं जिसके अधीन विभिन्न पदों के लिए राज्य की सेवाओं/कैडरों के प्रति आरक्षण के संबंध में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है वे कर्मचारी भी जिन्होंने मूल राज्य से कैडरों में अपने आवंटन के अनुसरण में झारखंड राज्य में पद ग्रहण किया है, उत्तरवर्ती झारखंड राज्य में भी आरक्षण का लाभ लेंगे यद्यपि वे उत्तरवर्ती बिहार राज्य से आते हैं।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि जाति अथवा जनजाति की घोषणा जैसा भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेदों 341 एवं 342 के अधीन किया गया है राज्य के उस क्षेत्र पर लागू होता है जिसके लिए ऐसी घोषणा की जाती है। अत:, उन्हें जो मूल बिहार राज्य में अनुसूचित जाति कोटि से आते हैं और जो उत्तरवर्ती बिहार राज्य के अधीन आने वाले क्षेत्रों के निवासी हैं, राज्य के विभाजन के अनुसरण में उत्तरवर्ती झारखंड राज्य को उनके आवंटन पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए था। अत:, याचीगण ने दिनांक 14.8.2008 के पूर्वोक्त पत्र और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्राइवेट प्रत्यर्थियों को उनको अनुसूचित कोटि का मानते हुए प्रदान किए गए प्रोन्नति का भी विरोध किया है। याचीगण ने **कविता कुमारी कांधव एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** तथा सदृश मामलों में इस न्यायालय की विद्वान खंड न्यायपीठ का दिनांक 1.5.2006 के निर्णय परिशिष्ट–1 पर विश्वास किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने **नंद कुमार राम एवं एक अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 6485 वर्ष 2007,** दिनांक 27.5.2009 का इस न्यायालय की विद्वान एकल पीठ के निर्णय, परिशिष्ट–7 पर भी विश्वास किया है।

4. प्रत्यर्थियों ने प्रति शपथ पत्र दाखिल करके याचियों के दावा का प्रतिवाद किया है। उनका प्रतिवाद यह है कि याचीगण द्वारा किया गया अभिवचन विधित: संपोषणीय नहीं है।

5. परस्पर विरोधी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार करते हुए, परिशिष्ट–1 पर मौजूद निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह मूल बिहार राज्य के विभाजन के बाद उत्तरवर्ती झारखंड राज्य में नयी नियुक्ति से संबंधित है जहाँ उम्मीदवार मूल बिहार राज्य में आरक्षित कोटि उम्मीदवार के रूप में अपने दर्जा के दावा पर आरक्षण का लाभ इप्सित कर रहे थे। वर्तमान याचियों अथवा प्राइवेट प्रत्यर्थियों का मामला नयी नियुक्ति का नहीं है, बल्कि मूल बिहार राज्य के ऐतिहासिक विभाजन के कारण उत्तरवर्ती झारखंड राज्य को सेवारत कर्मचारियों के आवंटन का है। निर्णय परिशिष्ट 7 विधि की कोई प्रतिपादना अधिकथित नहीं करता है क्योंकि यह केवल आरक्षण के संबंध में ठोस नीतिगत निर्णय पर आने के लिए प्रत्यर्थियों को दिया गया निर्देश था।

6. याचियों का प्रतिवाद स्पष्टतः झूठा प्रतीत होता है जब इसे विधिक प्रतिपादना एवं बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों को कसौटी पर परखा जाता है। अधिनियम वर्ष 2000 की धारा 2 (f) विधि परिभाषित करती है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

*"2. **ifjHkk"kk-**&bl vfèkfu;e e] tc rd lnHk vU;Fkk vko';d ugh cukrk g]*

*(f) ^^fofèk** fo|eku fcgkj jkT; d lh.k vFkok fdlh Hkkx e fu;r fnu d rjUr igy fofèk dk cy j[ku oky vfèkfu;eu] vè;kn'k] fofu;eu] vkn'k] mifofèk] fu;e] ;ktuk] vfèklpuk vFkok vU; vfHkdj.k lfEefyr djrh gA**

7. इसके अतिरिक्त, भाग VIII के अधीन अधिनियम की धारा 73 निम्नलिखित प्रावधान करती है:

*"73. **lokvk l lcfèkr vU; ikoèkku-**&(1) èkkjk 72 dh dkb Hkh ckr l?k ;k fdlh jkT; d dk;dykik d lcèk e lokjr O;fDr;k dh lok 'kÙkk d fuèkkj.k d lcèk e Hkkjr d lfoèkku d Hkkx XIV d vè;k; ,d ikoèkkuk d ioru dk fu;r fnu dk ;k bld ckn iHkkfor dju okyh ugh le>h tk;xh%*

ijUr ;g fd èkkjk 72 d vèkhu fcgkj jkT; ;k >kj[kM jkT; dk vkofVr le> tkuoky fdlh O;fDr d ekey e fu;r fnu d Bhd igy ykx lok 'kÙk mldk vykHk djr g, dUn ljdkj d iukueknu d fcuk ifjofrr ugh dh tk;xhA

(2) fdlh O;fDr }kjk fu;r fnu d igy nh x;h lHkh lok;]&

(a) vxj og èkkjk 72 d vèkhu fdlh jkT; dk vkofVr le>k x;k g] ml jkT; d dk;dyki d lcèk e nh x;h le>h tk;xhA

(b) vxj og >kj[kM d i'kklu d lcèk e l?k dk vkofVr le>k x;k g] lok 'kÙkk dk fofu;fer dju oky fu;ek d i;ktu l l?k d dk;dyki d lcèk e nh x;h le>h tk;xhA

*(3) èkkjk 72 d ikoèkku vf[ky Hkkjrh; lok d lnL;k d lcèk e ykx ugh gkxkA**

8. व्यक्ति जो मूल बिहार राज्य में सेवारत थे और अधिनियम वर्ष 2000 की धारा 72 के निबंधनानुसार किए गए कवायद के फलस्वरुप आवंटित किए गए, सेवा शर्तों के संरक्षण का उपभोग करते हैं जो नियत तिथि पर प्रवर्तित थी और केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाए उनके अलाभ के प्रति परिवर्तित नहीं किया जा सकता था।

9. प्राइवेट प्रत्यर्थियों को अनुसूचित जाति के व्यक्ति के रूप में आरक्षण का लाभ प्रदान करके मूल बिहार राज्य में नियुक्त किया गया था। मूल बिहार राज्य में सेवारत कार्मिकों का आवंटन बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 75 के निबंधनानुसार उक्त प्रयोजन के लिए गठित सलाहकार कमिटी की अनुशंसा के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा विहित पद्धति द्वारा अधिनियम की धारा 72 के प्रावधानों के अधीन किया गया है। कर्मचारियों की ऐसी विशाल संख्या के पुनर्आवंटन के कवायद ने उन कोटियों को विचार में लिया जिनसे ऐसे कार्मिक आते हैं जैसे अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

अथवा कोई अन्य आरक्षित कोटि। यह कोटिकरण पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के भाग VIII के प्रावधान द्वारा प्रभावित समस्त व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष एवं साम्यापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए और अधिनियम वर्ष 2000 की धारा 75 खंड (b) के निबंधनानुसार भी आशयित था। विभिन्न कोटियों अर्थात् सामान्य, एस॰ सी॰, एस॰ टी॰, आदि से आने वाले व्यक्तियों को उस अनुपात जिसमें उत्तरवर्ती राज्यों को आवंटन किया जाना था के मुताबिक आवंटित किया गया था। एस॰ सी॰ कोटि से आने वाले प्राइवेट प्रत्यर्थियों जैसे कार्मिकों/कर्मचारियों को उत्तरवर्ती झारखंड राज्य आवंटित किया गया है, यद्यपि वे उत्तरवर्ती बिहार राज्य के निवासी हो सकते हैं। यदि याचीगण का प्रतिवाद स्वीकार किया जाता है, तब वह न केवल अधिनियम वर्ष 2000 विनिर्दिष्ट: भाग VIII के अधीन मूल राज्य के विभाजन पर पुनर्गठन के कवायह के संपूर्ण उद्देश्य के विरुद्ध होगा बल्कि ऐसे व्यक्तियों की सेवा शर्तों के अलाभ में भी परिणत होगा, जिसे पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 के प्रावधान की दृष्टि में नहीं किया जा सकता है।

10. ऐसी परिस्थितियों में, दिनांक 14.8.2008 के आक्षेपित पत्र में पूर्वोक्त शर्तों को चुनौती देने के लिए याचियों की ओर से आग्रहित आधार झूठा है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

11. झारखंड राज्य के सृजन के बाद की गयी नयी नियुक्ति के मामले में विभिन्न विचार उद्भूत होते हैं। अत:, यहाँ ऊपर किया गया संप्रेक्षण किसी भी रूप में झारखंड राज्य के सृजन के बाद की गयी नियुक्ति के ऐसे कवायद पर टिप्पणी नहीं माना जाएगा।

12. किंतु, यहाँ ऊपर चर्चा किए गए वर्तमान मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार, रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

सुरेश शर्मा एवं अन्य

cuke

मो॰ बशीरुद्दीन

Second Appeal No. 91 of 2014. Decided on 11th September, 2015.

अभिधृति–बेदखली–किराया का भुगतान करने में जानबूझकर व्यतिक्रम किए जाने का प्रश्न शुद्धत: तथ्य का प्रश्न है जिसे द्वितीय अपील में ग्रहण नहीं किया जा सकता था–न्यायालय विधि का सारवान प्रश्न विरचित करने का इच्छुक नहीं है कि क्या किराया परिसर बी॰ बी॰ सी॰ अधिनियम की धारा 2 (b) की परिभाषा के अंतर्गत आता है या नहीं–अपील खारिज।

(पैराएँ 8 एवं 9)

निर्णयज विधि.–1993 (1) PLJR 524; 1993 (2) PLJR 77—Distinguished.

अधिवक्तागण.–M/s Amar Kumar Sinha, Sandeep Verma, For the Appellants; M/s Ayush Aditya, Shashank Shekhar, For the Respondent.

आदेश

प्रतिवादी अपीलार्थियों ने अधिधान अपील सं॰ 61 वर्ष 2012 के संबंध में विद्वान जिला न्यायाधीश-VII, धनबाद द्वारा दिनांक 3.5.2014 को पारित एवं हस्ताक्षरित डिक्री एवं दिनांक 21 अप्रिल, 2014 के निर्णय के विरुद्ध वर्तमान अपील दाखिल किया है जिसके द्वारा अवर अपीलीय न्यायालय ने अभिधान (बेदखली) वाद सं॰ 31 वर्ष 2006 में सिविल न्यायाधीश-I जूनियर डिविजन, धनबाद द्वारा पारित एवं हस्ताक्षरित दिनांक 22.6.2012 की डिक्री एवं दिनांक 6.6.2012 के निर्णय को अभिपुष्ट किया है।

2. संक्षेप में वादी का मामला यह है कि वाद पत्र की अनुसूची A में वर्णित वाद परिसर मिठू रोड, पी॰ एस॰ बरकत्ता मोड़ नगर एवं जिला धनबाद अवस्थित नगरपालिका धृति सं॰ 109 नया (पुराना 130) वार्ड सं॰ 15 (नया 17) का भाग होने के नाते लगभग 700 वर्गफीट क्षेत्रवाला ईंट की दीवारों एवं टिन की छत से बना बड़ा शेड है जिसे मासिक किराया पर प्रतिवादी को दिया गया था। वाद दाखिल किए जाने के समय पर, इंगलिश कैलेन्डर के अनुसार प्रत्येक उत्तरवर्ती माह के प्रथम सप्ताह में भुगतेय विद्युत प्रभारों के अतिरिक्त वाद परिसर का किराया 500/- प्रतिमाह था। अभिधृति मूलत: स्वर्गीय राम अवतार शर्मा को दी गयी थी और उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों (प्रतिवादीगण) ने उक्त अभिधृति को विरासत में पाया और अभिधारी के रूप में वाद परिसर का अधिभोग कर रहे हैं। वे 500/- रुपया प्रतिमाह की दर से मासिक किराया का भुगतान कर रहे है जिसका भुगतान जून, 2002 तक किया गया था किंतु तत्पश्चात दो माह से अधिक के लिए दिनांक 8 जुलाई, 2002 से किराया का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया गया था। वादीगण ने किराया के भुगतान में जानबूझकर व्यतिक्रम और व्यक्गित आवश्यकता के आधार पर भी वाद लाया है क्योंकि उसका पुत्र मो॰ शमीम बेरोजगार है और उसको वादी की सहायता से कपड़े का व्यवसाय शुरू करने के लिए वाद परिसर की आवश्यकता है। आगे यह अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादियों ने वाद परिसर को नुकसान पहुँचाया है और परिसर रिक्त करने के बजाए झूठा दावा किया है, अत: वादी द्वारा वाद लाया गया था।

3. प्रतिवादियों का मामला संक्षेप में यह है कि वाद संपत्ति भवन नहीं है जैसा बिहार मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1982 (संक्षेप में इसमें इसके बाद 'बी॰ बी॰ सी॰ अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) में परिभाषित किया गया है बल्कि यह परती भूमि थी जिसे (प्रतिवादियों के पिता) राम अवतार शर्मा को 18/- रुपया मासिक किराया पर दिया गया था। राम अवतार शर्मा की मृत्यु के बाद, प्रतिवादियों ने अभिधृति विरासत में पाया और किराया का भुगतान करना जारी रखा। वस्तुत:, स्वर्गीय राम अवतार शर्मा द्वारा स्वयं अपने धन से शेड का निर्माण किया गया था, अत: वादी उक्त शेड का स्वामी नहीं है। प्रतिवादियों ने अपने पिता द्वारा छोड़ी गयी संपत्ति विरासत में पाया है। इससे इनकार किया गया है कि प्रतिवादीगण अथवा उनके पिता इंग्लिश कैलेन्डर के अनुसार उत्तरवर्ती माह के प्रथम सप्ताह में भुगतेय 500/- रुपया प्रतिमाह के मासिक किराए पर वादी के अधीन वाद परिसर के अभिधारी थे। यह विनिर्दिष्टत: प्रकथन किया गया है कि प्रतिवादीगण नियमित रूप से प्रश्नगत परती भूमि के लिए किराया प्रेषित कर रहे हैं और जून, 2002 तक इसका भुगतान किया गया था। उन्हें अनुपलब्धता के आधार पर इस आश्वासन के साथ मुद्रित किराया रसीद नहीं दिया गया है कि इन्हें उपलब्ध होने पर उनको दिया जाएगा। यह कहना गलत है कि प्रतिवादीगण जुलाई, 2002 से एवं इसके आगे वादी को सहमत किराया का भुगतान नहीं किया है और उन्होंने बार-बार अनुरोध एवं मांग किए जाने के बावजूद किसी किराया का भुगतान नहीं किया है। यह प्रतिवाद किया गया है कि प्रतिवादीगण किराया का भुगतान करने में व्यतिक्रमी नहीं हैं। अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए वादी को अब वाद परिसर की आवश्यकता है।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किया:–

I. D;k okn ik"k.kh; g\

II. D;k oknh d ikl dkb oèk okn grd g\

III. D;k çfroknhx.k okn èkfr d lcèk e oknh d vèkhu ekfld vfHkèkkjh g\

IV. D;k fdjk;k tlk oknh }kjk nkok fd;k x;k g] lgh g\

v. D;k fdjk;k ifjlj çfrokfn;k d vfèkHkkx e uxjikfydk èkfr l0 109 dk Hkkx g

vi. D;k çfroknhx.k lger fdjk;k d Hkxrku d ekeyk e 0;frØeh g vkj bl n'kk e cn[ky fd, tku d nk;h g

vii. D;k oknh dk lnHkkoi.k vko';drk d fy, 0;olk; dju d fy, oknh d i= d mi;kx d fy, fdjk;k vulph A ifjlj dh vko';drk g

viii. D;k çfrokfn;k u viu nk"ki.k mi;kx ,o mi{kk d dkj.k fdjk;k ifjlj dk udlku igpk;k g

ix. D;k oknh cn[kyh fMØh dk gdnkj g tlk nkok fd;k x;k g

x. oknh fofèk ,o lkE;k d vèkhu fdl vurk"k vFkok vurk"kk dk gdnkj g

xi. D;k okn ch0 ch0 (,y0 vkj0 ,UM b0) lh0 vfèkfu;e] 1982, lifÙk vrj.k vfèkfu;e ,o lfonk vfèkfu;e d çkoèkku d ifrdy g

और वाद को प्रतिवाद किए जाने पर व्यय के बिना विनिश्चित किया और प्रतिवादियों को निर्णय की तिथि से तीन माह के भीतर वाद पत्र की अनुसूची A में वर्णित किराया परिसर का रिक्त कब्जा सौंपने का निर्देश दिया।

5. प्रतिवादी अपीलार्थियों ने विद्वान जिला न्यायाधीश, धनबाद के समक्ष अभिधान अपील सं॰ 61 वर्ष 2012 दाखिल किया। उस अभिधान अपील सं॰ 61 वर्ष 2012 को विद्वान जिला न्यायाधीश VII, धनबाद द्वारा दिनांक 21 अप्रिल, 2014 के निर्णय के तहत खारिज कर दिया गया। अत:, प्रतिवादियों ने यह अपील किया है।

6. अपीलार्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने मुख्यत: यह प्रश्न उठाया है कि वाद परिसर, जैसा वाद पत्र में वर्णित किया गया है, प्रतिवादियों के पिता को किराया पर नहीं दिया गया था बल्कि यह राम अवतार शर्मा को वर्ष 1959 में 18/- रुपया मासिक किराया पर दी गयी परती भूमि थी। राम अवतार ने स्वयं अपने व्यय पर शेड का निर्माण किया था। प्रतिवादीगण जो स्वर्गीय राम अवतार शर्मा के पुत्र हैं ने अभिधृति और अपने पिता द्वारा छोड़ी गयी संपत्ति विरासत में पाया है। वस्तुत:, वादी उक्त शेड का स्वामी नहीं है जिसे वाद पत्र में किराया परिसर के रूप में वर्णित किया गया है बल्कि परती भूमि किराया पर दी गयी थी। अत:, यह बी॰ बी॰ सी॰ अधिनियम की धारा 2 (b) में दी गयी परिभाषा के अनुसार भवन नहीं है। अवर न्यायालयों ने बी॰ बी॰ सी॰ अधिनियम के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधान का अवलंब लेकर गलत रूप से वाद विनिश्चित किया है। उन्होंने 1993 (1) PLJR 524 **(मेसर्स अशोक चित्र प्रा॰ लि॰ बनाम बिहार राज्य),** और 1993 (2) PLJR 77 **(अनंत प्रसाद साह बनाम देवेन्द्र नाथ गुप्ता)** में प्रदत्त निर्णयों पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि इस अपील के न्यायोचित निर्णय के लिए इस बिंदु पर विधि का सारवान प्रश्न विरचित करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने प्रतिवाद के समर्थन में प्रदर्शों D, D/1 से D/58 एवं मनी आर्डर कूपनों को निर्दिष्ट किया है कि भूमि के लिए और न कि किसी भवन अथवा शेड के लिए किराया का भुगतान किया गया था।

7. वादी प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है और दोनों अवर न्यायालयों द्वारा विवाद्यक अच्छी तरह से विनिश्चित किया गया है। विरचित किए गए विवाद्यकों पर समवर्ती निष्कर्ष हैं और वाद प्रत्यर्थियों के पक्ष में विनिश्चित किया गया है। उन्होंने 2000 (2) PLJR 869 **(बिनय कुमार माहेश्वरी बनाम फनींद्र प्रसाद मिश्रा)** और 2007 (3) PLJR 582 **(हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि॰ बनाम राजेश्वर प्रसाद)** में प्रकाशित निर्णयों पर विश्वास किया है। उन्होंने आगे **(2014)2 SCC (Civ) 370 (जोगेन्द्र राम बनाम फुल्लन मियाँ)** एवं **(2005)2 SCC 500 (गोविन्द राजू बनाम मरिअम्मन)** में

प्रकशित निर्णयों पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि तथ्यों पर जिन पर दोनों न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष दिया है, तीसरा विचारण नहीं होना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने प्रदर्श A को निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है कि यह प्रतिवादियों-अपीलार्थियों का स्वीकृत दस्तावेज है जिसमें उन्होंने पैरा 3 पर स्वयं स्वीकार किया है कि किराया परिसर शेड है और उन्होंने आवश्यक मरम्मत के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया है।

8. मैंने आक्षेपित निर्णयों एवं अवर न्यायालय अभिलेख का परिशीलन किया है। किराया का भुगतान करने में जानबूझकर व्यतिक्रम करने का प्रश्न शुद्धत: तथ्य का प्रश्न है जिस पर इस द्वितीय अपील में विचार नहीं किया जा सकता था। जहाँ तक प्रतिवादियों-अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तावित विधि के सारवान प्रश्न का संबंध है, उन्हें भी विरचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। निर्णयों जिन पर अपीलार्थियों ने विश्वास किया है, के तथ्य भिन्न हैं। **मेसर्स अशोक चित्र प्रा॰ लि॰ मामले (ऊपर)** में भूमि व्यवसाय चलाने के लिए अथवा कोई उद्योग सृजित करने के प्रयोजन से पट्टा पर दी गयी थी और सहमत निबंधन एवं शर्तें थी कि पट्टा के विनिश्चयकरण पर पट्टाधारी समस्त संरचनाओं को हटाएगा। एक स्वीकरण था कि रिक्त भूमि किराया पर दी गयी थी। **मेसर्स अशोक चित्र प्रा॰ लि॰ (ऊपर)** मामले में सामने आने वाले तथ्यों के समरुप तथ्य **आनन्द प्रसाद साह (ऊपर)** के निर्णय में सामने आ रहे हैं। वर्तमान मामले में, वादियों ने विनिर्दिष्ट मामला बनाया है कि वादपत्र की अनुसूची में वर्णित शेड किराया पर दिया गया था। उक्त के अतिरिक्त, प्रदर्श A जो प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा दिया गया उत्तर है, उनका स्वीकरण उपदर्शित करता है कि किराया परिसर शेड था और शेड की मरम्मत के लिए उन्होंने अनुमति इप्सित किया। प्रदर्श A स्वयं प्रतिवादियों द्वारा लाया गया दस्तावेज है।

9. मामले के पूर्वोक्त पहलूओं पर विचार करते हुए, मैं विधि का सारवान प्रश्न विरचित करने का इच्छुक नहीं हूँ कि:-

*^^D;k fdjk;k ifjlj ch0 ch0 lh0 vfèkfu;e dh èkkjk 2 (b) dh ifjHkk"kk d vrxr vkrk g ;k ugh**

तद्नुसार, मैं इस अपील में गुणागुण नहीं पाता हूँ और इसे स्वयं ग्रहण के चरण पर खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; ,p lh feJk] U;k;efr

दिनेश्वर झा एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No. 1497 of 2006. Decided on 4th September, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 498A एवं 323—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 177, 178 एवं 482—क्रूरता एवं उपहति–परिवाद याचिका में ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि घटना का कोई भाग बोकारो में हुआ था–प्रहार के समस्त अभिकथन बिहार राज्य में दरभंगा जिले में हुए थे–यह अवर न्यायालय में याचीगण के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए सुयोग्य मामला है क्योंकि परिवाद मामला ग्रहण करने के लिए अधिकारिता की पूरी कमी है–दांडिक कार्यवाही अभिखंडित। (पैराएँ 8, 11, 12 एवं 13)

निर्णयज विधि.–(2011) 11 SCC 301—Distinguished.

अधिवक्तागण.–Ms. Pooja Kumari, For the Petitioners; A.P.P., For the State; Mr. A.K. Kashyap, For the Opp. Party No.2.

आदेश

याचियों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अधिवक्ता एवं परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याचियों ने सी॰ पी॰ केस सं॰ 279 वर्ष 2006 में विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 12.9.2006 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है, जिसके द्वारा याचियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498A एवं 323 के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध पाया गया है। याचियों ने उक्त परिवाद मामले में उनके विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए भी प्रार्थना किया है।

3. इस मामले के तथ्य संक्षिप्त हैं। परिवाद मामला परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बोकारो के न्यायालय में यह कथन करते हुए दाखिल किया गया था कि वह सह-अभियुक्त शंकर झा की विधित: ब्याहता पत्नी है। याचीगण परिवादी के ससुराल वाले हैं। परिवाद याचिका में, यह कथन किया गया है कि सह-अभियुक्त और परिवादी के बीच दिनांक 21.6.1995 को विवाह हुआ था और तत्पश्चात, उसे बिहार राज्य के दरभंगा में अपने दांपत्य गृह ले जाया गया था। परिवाद याचिका में, दहेज मांग के लिए प्रहारों सहित परिवादी को क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन करने के लिए पति सहित अभियुक्तों के विरुद्ध अभिकथन हैं और परिवाद याचिका में अन्य अभिकथन भी हैं। परिवाद याचिका के अनुसार, क्रूरता, प्रताड़ना तथा प्रहार के सभी प्रकट कृत्य दरभंगा जिला में उसके वैवाहिक गृह में हुए थे। परिवाद याचिका में, अभिकथित किया गया है कि जब वह गर्भवती थी, उसके पेट पर प्रहार किया गया था, जिसके बाद वह बोकारो वापस आयी और दिनांक 19.8.1996 को मुर्दा शिशु को जन्म दिया। किंतु, वह पुन: दरभंगा में अपने दांपत्य गृह आयी जहाँ उसे उसी दुर्भाग्य के अध्यधीन किया गया था। परिवाद याचिका में अभिकथित किया गया है कि क्रूरता एवं यातना के कारण, वह बोकारो में अपने माएके वापस गयी और तत्पश्चात, दिनांक 1.6.2006 को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बोकारो के न्यायालय में परिवाद मामला दाखिल किया गया था जिसे परिवाद मामला सं॰ 279 वर्ष 2006 के रूप में दर्ज किया गया था।

4. सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर परिवादी का बयान दर्ज किया गया था और जाँच के चरण पर तीन गवाहों का परीक्षण भी किया गया था। परिवाद याचिका में किए गए अभिकथनों एवं परिवादी तथा जाँच के चरण पर परीक्षण किए गए गवाहों के बयानों के आधार पर अवर न्यायालय ने याचीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323 एवं 498A के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध पाया है और उनके विरुद्ध समन जारी करने का निर्देश दिया है।

5. याचियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि संपूर्ण परिवाद याचिका के परिशीलन पर, यह प्रकट है कि घटना का कोई भाग बोकारो में नहीं हुआ था, बल्कि परिवादी को क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन किए जाने के समस्त अभिकथन बिहार राज्य में दरभंगा से संबंधित हैं। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि बोकारो के न्यायालय को परिवाद मामला ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है और तद्नुसार, याचियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश भी पूर्णत: अवैध है और विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

6. राज्य के विद्वान अधिवक्ता एवं परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है। परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर दर्ज अपने बयान में परिवादी ने न्यायालय के प्रश्न का उत्तर दिया था कि बोकारो में भी उसके पति ने गाली दिया था और दहेज मांगा था। यह निवेदन भी किया गया है कि अन्य जाँच गवाहों ने भी इस तथ्य का समर्थन किया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि परिवाद याचिका में अभिकथन किया गया है कि परिवादी ने बोकारो में मुर्दा शिशु को जन्म दिया था जो उसके दांपत्य गृह में उस पर किए गए प्रहार के कारण था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वाद हेतुक का भाग बोकारो में हुआ है और तद्नुसार, अवर न्यायालय ने सही प्रकार से इन याचियों के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया है और आक्षेपित आदेश में दुर्बलता नहीं है।

7. अपने प्रतिवाद के समर्थन में, याचियों के विद्वान अधिवक्ता ने सु**नीता कुमारी कश्यप बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य, (2011)11 SCC 301,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है। उस मामले में पीड़िता का दांपत्य गृह राँची में था, जबकि उसका मायका बिहार राज्य में गया में था और राँची में उसको क्रूरता एवं यातना के अध्यधीन करने का अभिकथन ससुरालवालों के विरुद्ध था और वाद हेतुक का भाग गया में भी हुआ था। पीड़िता ने गया के न्यायालय में परिवाद मामला दाखिल किया था, जिसे अभियुक्तों द्वारा पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया था, जिसने पाया कि अधिकारिता की कमी के कारण गया में कार्यवाही पोषणीय नहीं थी और दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की गयी थी। तत्पश्चात, परिवादी भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास गयी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि चूँकि घटना का एक भाग गया में भी हुआ था, अत: गया के न्यायालय को परिवाद ग्रहण करने की अधिकारिता थी। इस निर्णय पर विश्वास करते हुए, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि बोकारो के न्यायालय को परिवाद मामला ग्रहण करने की अधिकारिता है और तद्नुसार, आक्षेपित आदेश में अथवा बोकारो के न्यायालय में याचियों के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही जारी रखने में अवैधता नहीं है।

8. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख का परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि परिवाद याचिका में ऐसा कोई प्रकथन नहीं है कि घटना का कोई भाग बोकारो में हुआ था। प्रहारों, आदि के समस्त अभिकथन, जैसा परिवाद याचिका में अभिकथित किया गया है, बिहार राज्य में दरभंगा में हुए थे। यद्यपि यह अभिकथित किया गया है कि समय के एक बिंदु पर परिवादी अपने माएके वापस आयी थी, जहाँ उसने दिनांक 19.8.1996 को मुर्दा शिशु को जन्म दिया था, किंतु परिवाद लगभग 10 वर्ष के अंतराल के बाद वर्ष 2006 में दाखिल किया गया है और अभिकथित घटना के बारे में समुचित समय पर परिवाद नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, उस अभिकथित घटना के लिए भी उस पर स्वयं दरभंगा में अभिकथित रूप से प्रहार किया गया था। यद्यपि न्यायालय के प्रश्न का उत्तर देते हुए परिवादी ने कथन किया है कि उसे उसके पति द्वारा बोकारो में भी गाली दी गयी थी, जहाँ दहेज मांग भी की गयी थी और जाँच गवाहों ने इसका समर्थन किया है, किंतु यह केवल परिवादी एवं जाँच गवाहों द्वारा सुधार मात्र है। संपूर्ण परिवाद याचिका में ऐसा प्रकथन नहीं है और परिवाद में किए गए अभिकथनों के अनुसार घटना का कोई भाग बोकारो में नहीं हुआ था।

9. परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए **सुनीता कुमारी कश्यप (ऊपर)** के मामले में परिवाद मामले में किए गए प्रकथनों का विवरण पैरा 9 में दिया गया है। उक्त मामले में परिवादी ने विनिर्दिष्टत: प्राख्यान किया था कि उसके पूरे गहने एवं वस्तुओं को रखने के बाद दिनांक 24.12.2006 को उसका पति उसे गया लाया और यह चेतावनी देते हुए कि मांग पूरी होने तक उसको गया में रहना होगा और यदि वह उन मांगों को पूरा किए बिना वापस जाने का प्रयास करती है, उसकी हत्या कर दी जाएगी। इस प्रकार, उस मामले के तथ्य स्पष्टत: दर्शाते हैं कि गंभीर परिणामों की धमकी के साथ गया में उसके पति द्वारा दहेज मांग के विनिर्दिष्ट अभिकथन हैं। उस पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"18. ....jkph e ifr ,o mld lcfèk;k d gkFkk n0;ogkj ,o Øjrk d ckj e vihykFkh iRuh }kjk fofufn"V çk[;ku dh nf"V e vkj bl rF; dh mudh dkjokb d dkj.k ml* ***ngt ekx ijk ugh dju ij xHkhj ifj.kkek fd èkedh d lkFk mld ifr }kjk mld ek,d x;k y tk;k x;k Fkk]*** *ge vfHkfuèkkfjr djr g fd lfgrk dh èkkjkvk 178 ,o 179 dh nf"V e bl ekey e vijkèk ,d l vfèkd LFkkuh; {k=k e fd;k x;k pky vijkèk Fkk vkj x;k d ,d LFkkuh; {k= gku d ukr x;k d fo}ku nMkfèkdkjh dk mle lfLFkr nkfMd ekey ij dk;okgh dju dh vfèkdkfjrk gA*** *(tkj fn;k x;k)*

10. यह निर्णय स्पष्टत: दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में लिया था कि दहेज मांग पूरी नहीं करने पर गंभीर परिणामों की धमकी के साथ उसे उसके पति द्वारा उसके माएके गया ले जाया गया था और मामले के उस दृष्टिकोण में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपराध गया में भी चालू था और गया के न्यायालय को परिवाद ग्रहण करने की क्षेत्रीय अधिकारिता थी।

11. वर्तमान मामले में, संपूर्ण परिवाद याचिका में ऐसा कोई प्रकथन नहीं है कि वाद हेतुक का कोई भाग गया में हुआ था, और इस दशा में परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किया गया निर्णय इस मामले के तथ्यों पर बिल्कुल प्रयोज्य नहीं है। मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में, इस मामले के तथ्यों में, बोकारो के न्यायालय को परिवाद ग्रहण करने की क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है और अवर न्यायालय को इस तथ्य को विचार में लेना चाहिए था कि परिवादी द्वारा न्यायालय के प्रश्न को दिया गया उत्तर केवल परिवादी द्वारा परिवाद मामले में किया गया सुधार था जिसे केवल अवर न्यायालय में क्षेत्रीय अधिकारिता सृजित करने के लिए किया गया था।

12. इस दशा में, यह अवर न्यायालय में याचियों के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए सुयोग्य मामला है क्योंकि परिवाद मामला ग्रहण करने के लिए अधिकारिता की पूर्ण कमी है।

13. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, सी॰ पी॰ केस सं॰ 279 वर्ष 2006 में विद्वान सब–डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 12.9.2006 के आक्षेपित आदेश सहित उक्त मामले में याचियों के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद् द्वारा अभिखंडित की जाती है।

14. परिवादी को सक्षम अधिकारिता के न्यायालय में अपना वाद हेतुक लाने की स्वतंत्रता दी जाती है और वह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए अवर न्यायालय से अपनी परिवाद याचिका वापस भी ले सकती है।

15. तद्नुसार, उक्त निर्देशों के साथ यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है। अवर न्यायालय अभिलेख तुरन्त वापस भेजे जाएँ।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

राजीव कुमार नायक

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 530 of 2005. Decided on 3rd September, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 498A—दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961—धाराएँ 3/4—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 177, 178 एवं 482—क्रूरता–संज्ञान–समस्थित सह-अभियुक्तों द्वारा दाखिल दांडिक विविध याचिका पहले ही संबंधित न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के आधार पर अभिखंडित कर दी गयी है–याची के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही अभिखंडित। (पैराएँ 4 से 7)

निर्णयज विधि.–(2004) 8 SCC 100—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Birendra Kumar, Vishwanath Roy, For the Appellants; Mr. Mukesh Kumar, For the State.

आदेश

इस दांडिक विविध याचिका में चुनौती सी॰ पी॰ केस सं॰ 341 वर्ष 2002 में विद्वान एस॰ डी॰ जे॰ एम॰, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 19.2.2003 के आदेश को दी गयी है जिसके द्वारा अवर न्यायालय ने याची एवं दो अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498A एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3/4 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया है।

2. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दो अन्य अभियुक्तों अर्थात् याची के पिता राधे रमण नायक एवं याची के भाई धुमकेतु नायक ने संज्ञान लेने वाले उक्त आदेश के विरुद्ध और दांडिक विविध याचिका सं॰ 398 वर्ष 2004 में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए भी इस न्यायालय के पास आए थे और इस न्यायालय की एक अन्य न्यायपीठ द्वारा पारित दिनांक 4.7.2007 के आदेश के तहत उक्त याचिका अनुज्ञात की गयी थी और उस मामले के याची के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक अभियोजन/कार्यवाही अभिखंडित किया गया था और मामला अनुज्ञात किया गया था।

3. यह निवेदन भी किया गया था कि दांडिक विविध याचिका के लंबित रहने के दौरान याचियों में से एक वर्तमान याची के पिता राधे रमण नायक की मृत्यु हो गयी थी।

4. विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि संपूर्ण कार्यवाही इस तथ्य के कारण अभिखंडित की गयी थी कि अवर न्यायालय को मामले पर विचार करने की अधिकारिता नहीं थी क्योंकि घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी और न कि बोकारो की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत और वा**ई॰ अब्राहम अजिथ एवं अन्य बनाम पुलिस इंस्पेक्टर, चेन्नई एवं एक अन्य, (2004)8 SCC 100,** मामले पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि उस मामले में भी दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 177 एवं 178 के अधीन प्रावधानों पर विचार करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:-

*^^lh0** e nMkfèkdkjh d le{k yfcr nkfMd dk;okgh ij fopkj dju dh vfèkdkfjrk ugh Fkh D;kfd ?kVuk ^,u0* e gb FkhA**

5. यह निवेदन भी किया गया था कि वर्तमान मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय द्वारा पूर्णत: आच्छादित है।

6. राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्षत: निवेदन किया कि संबंधित न्यायालय की अधिकारिता के प्रश्न पर विचार करते हुए इसी आधार पर सह अभियुक्तों के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही एवं संज्ञान लेने वाला आदेश पहले ही अभिखंडित कर दिया गया है, अत: यह मामला भी उसी परिणाम का दायी है।

7. अधिवक्ताओं के निवेदनों एवं इस तथ्य पर विचार करते हुए कि समस्थित सह-अभियुक्तों द्वारा दाखिल दांडिक विविध याचिका सं॰ 398 वर्ष 2004 पहले ही अभिखंडित कर दिया गया है, तद्नुसार, वर्तमान दांडिक विविध याचिका अनुज्ञात की जाती है। इस याची के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एवं पश्चातवर्ती संज्ञान लेने वाला आदेश भी एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

---

ekuuh; vferkHk dekj xIrk] U;k;efr

हेमलता देवी एवं अन्य

cuke

रामौतार साव एवं अन्य

A.F.O.D. No. 154 of 2012. Decided on 27th August, 2015.

बँटवारा वाद सं॰ 54 वर्ष 2001 में विद्वान XI उप न्यायाधीश, राँची द्वारा पारित दिनांक 25.7.2012 के निर्णय एवं दिनांक 7.8.2012 की डिक्री के विरुद्ध।

संपत्ति विधि–बँटवारा–अभिधान की एकता एवं कब्जा–प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण ऐसा कोई बचाव नहीं ले सकते थे जो उनके हित पूर्वाधिकारी द्वारा लिए गए बचाव का विरोधाभासी था–प्रतिवादीगण-अपीलार्थीगण ने व्यक्तियों अथवा खरीदारों जिनको भूमि का कुछ अंश वादी प्रत्यर्थी द्वारा बेचा गया था के विक्रय विलेख अथवा दस्तावेज को अभिलेख पर नहीं लाया है–प्रतिवादीगण यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि वाद संपत्ति उनकी अनन्य संपत्ति थी–वादी ने स्थापित किया है कि वाद भूमि पर अभिधान की एकता एवं कब्जा था–आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री अभिपुष्ट। (पैराएँ 11, 21, 22, 23 एवं 25)

निर्णयज विधि.–AIR 1986 SC 1952; AIR 2001 SC 1117; (1987) 2 SCC 555; (1995) 5 SCC 431—Relied; AIR 1992 Delhi 162; (2010) 2 SCC 432; AIR 1929 Madras 451; 1996 BBCJ 45 SC; (2011)4 SCC 240; (2007) 5 SCC 730—Distinguished.

अधिवक्तागण.–Mr. Satyanarayan Prasad, For the Appellants; Mr. Rahul Kumar Gupta, For the Respondents.

अमिताभ के॰ गुप्ता, न्यायमूर्ति.–वर्तमान अपील बँटवारा वाद सं॰ 54/2001 में विद्वान उपन्यायाधीश-XI राँची द्वारा पारित दिनांक 25.7.2012 के निर्णय एवं दिनांक 7.8.2012 के डिक्री के विरुद्ध निर्देशित है।

2. पूर्वोक्त वाद बँटवारा के लिए डिक्री प्रदान करने के लिए और वाद भूमि अर्थात् ग्राम नामकुम,

जिला राँची अवस्थित क्रमशः खाता सं॰ 66 एवं 67 से संबंधित भूखंडों में 1/4 हिस्सा काटकर निकालने के लिए वादी राम अवतार साव द्वारा दाखिल किया गया था।

वादी का मामला यह है कि वाद भूमि पुनरीक्षण सर्वे में छेदी राम के पुत्रों जगेश्वर राम एवं गणेश राम के नाम में दर्ज की गयी थी। कि जगेश्वर राम की मृत्यु अपने पीछे अपने एकमात्र पुत्र आनन्द साव मूल प्रतिवादी सं॰ 1 (अब मृतक) को छोड़ते हुए हो गयी और गणेश राम की मृत्यु अपने दो पुत्रों राम अवतार साव (वादी) एवं लखन साव (प्रतिवादी सं॰ 2) को छोड़कर हो गयी। कि अभिलिखित अभिधारियों की मृत्यु के बाद वादी एवं प्रतिवादी वाद संपत्ति पर काबिज हुए। वादी का आगे मामला यह है कि उसने अनेक अवसरों पर वाद संपत्ति के बँटवारा का अनुरोध किया था किंतु प्रतिवादियों ने कोई ध्यान नहीं दिया था जिसके बाद संयुक्तता में महसूस की गयी असुविधा के कारण वादी ने वाद संपत्ति के बँटवारा के लिए वाद दाखिल किया जैसा वाद पत्र की अनुसूची A में वर्णित किया गया है।

3. मूल प्रतिवादी सं॰ 1 आनन्द साव (अब मृतक) ने अपने लिखित कथन में कथन किया कि प्रश्नगत संपत्ति पैतृक संपत्ति थी जिसे प्रतिवादी के पिता जगेश्वर साव की निधि में से खरीदा गया था। यह कथन किया गया है कि दिनांक 5.5.1991 को आपसी बँटवारा हुआ था और वादी ने वाद के संस्थापन के पहले प्रतिवादी सं॰ 2 के साथ दुरभिसंधि में वाद संपत्ति का एक भाग बेच दिया था। उसने पैरा 13 में स्वीकार किया कि वाद संपत्ति संयुक्त है और सहदायिक है। कि चूँकि वादी ने भूमि का कुछ अंश बेचा है, अतः इसे समायोजित किया जा सकता है। कि शेष संपत्ति का आधा हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं॰ 2 के बीच बाँटा जाना चाहिए और आधा हिस्सा उसको आवंटित किया जाना चाहिए।

4. कि वाद के लंबित रहने के दौरान मूल प्रतिवादी सं॰ 1 आनन्द साव की मृत्यु हो गयी और उसके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को दिनांक 17.2.2004 के आदेश द्वारा प्रतिवादी सं॰ 1/A से 1/G के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था।

प्रतिस्थापित प्रतिवादी अर्थात् प्रतिवादी सं॰ 1 (अब मृतक) के विधिक प्रतिनिधि ने वादी के दावा का प्रतिवाद करते हुए यह कथन करते हुए लिखित कथन दाखिल किया कि वादी और प्रतिवादी सं॰ 2 अथवा उनके हितपूर्वाधिकारी का वाद संपत्ति में अधिकार, अभिधान एवं हित नहीं है जो प्रतिस्थापित प्रतिवादियों 1/A से 1/G की अनन्य संपत्ति है जो उक्त संपत्ति के संपूर्ण स्वामी हैं। कि वाद संपत्ति अधिकार अभिलेख भू कर सर्वे में सुखोरी कान्हू के समस्त पुत्रों गुरु दयाल कान्हू, बहिरा कान्हू एवं रामनाथ कान्हू के नाम में थी। कि गुरुदयाल एवं बहिरा की मृत्यु पुनरीक्षण सर्वे अभिलेख तैयार किए जाने के काफी पहले निःसंतान रहते हुए हो गयी और उनका हित उनके भाई रामनाथ कान्हू पर न्यागत हुआ जिसकी मृत्यु भी पुनरीक्षण सर्वे के पहले हो गयी। कि राम नाथ कान्हू के बाद उसकी विधवा मोस्मात सुकरो जीवित थी जिसने एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी के रूप में वाद संपत्ति विरासत में पाया और उसकी मृत्यु के बाद, उसकी एकमात्र पुत्री नागमणि वाद संपत्ति की एकमात्र स्वामिनी बन गयी। जगेश्वर साव अर्थात् मूल प्रतिवादी सं॰ 1 का पिता नागमणि का पति था। यह अभिकथित किया गया है कि जगेश्वर साव के भाई गणेश साव ने जगेश्वर साव की मृत्यु के बाद नागमणि की निरक्षरता का अनुचित लाभ लिया और कपटपूर्वक आर॰ एस॰ खतियान में अपना नाम और अपने मृत भाई जगेश्वर साव का नाम प्रविष्ट करवाया और वाद संपत्ति हड़पने के अपने बुरे इरादे में सफल हुआ और भूमि विभिन्न खरीदारों को बेचा जिन्हें वर्तमान वाद का पक्ष नहीं बनाया गया है। इस प्रकार, प्रतिस्थापित प्रतिवादियों ने अभिवचन किया है कि वाद संपत्ति मूल प्रतिवादी सं॰ 1 की अनन्य संपत्ति थी। किंतु, प्रतिस्थापित प्रतिवादियों ने स्वीकार किया है

कि वादी द्वारा वाद संपत्ति का एक अंश बेचा गया था। यह प्रार्थना की गयी है कि वाद खारिज किया जाए क्योंकि वादी एवं प्रतिवादी सं॰ 2 का वाद संपत्ति में अधिकार, अभिधान एवं हित नहीं है।

5. प्रतिवादी सं॰ 2 ने कोई लिखित कथन दाखिल नहीं किया था, परिणामस्वरुप, दिनांक 20.7.2004 के आदेश द्वारा उसे लिखित कथन दाखिल करने से वर्जित कर दिया गया था।

6. विचारण न्यायालय ने अभिवचनों के आधार पर सात विवाद्यक विरचित किया और तात्विक साक्ष्य एवं अभिवचनों पर विचार करने के बाद और मूल प्रतिवादी सं॰ 1 के लिखित कथन जिसने वाद संपत्ति की संयुक्तता स्वीकार किया है, पर विश्वास करते हुए और वर्ष 1925 के विक्रय विलेख (प्रदर्श 2) की प्रमाणित प्रति पर विचार करने पर अभिनिर्धारित किया कि पक्षों का अभिधान की एकता एवं कब्जा था और परिवार की प्रत्येक शाखा का समान हिस्सा था और तद्नुसार वादी के पक्ष में विवाद्यक सं॰ 1 विनिश्चित किया। शेष छह विवाद्यक भी प्रतिवाद कर रहे प्रतिवादियों के विरुद्ध विनिश्चित किए गए थे जिसके बाद यह अभिनिर्धारित करते हुए कि वादी वाद संपत्ति में 1/4 हिस्सा का हकदार था, आर्रभिक डिक्री पारित की गयी थी और अंतिम डिक्री तैयार करने का आदेश दिया गया था।

7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर, प्रतिवादियों/अपीलार्थियों अर्थात् मूल प्रतिवादी सं॰ 1 के विधिक उत्तराधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने निर्णय की वैधता एवं शुद्धता को आक्षेपित करते हुए वर्तमान अपील दाखिल किया है।

8. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्य नारायण प्रसाद ने अन्य बातों के साथ निम्नलिखित आधारों पर आक्षेपित निर्णय का विरोध किया है:

प्रथमत: कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के अभिवचनों/लिखित कथन पर विचार नहीं किया है और प्रतिवादियों/अपीलार्थियों के पिता मूल प्रतिवादी सं॰ 1 द्वारा दाखिल लिखित कथन पर विश्वास करके विधि में घोर गलती किया है। कि विद्वान विचारण न्यायालय इस तथ्य का अधिमूल्यन करने में विफल रहा कि प्रतिस्थापित प्रतिवादियों/अपीलार्थियों का लिखित कथन सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 8 नियम 9 के अधीन और न कि सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 22 नियम 4 (2) के अधीन दाखिल किया गया था और इसने प्रतिस्थापित प्रतिवादियों के लिखित कथन को अनदेखा करके विधि में घोर गलती किया है। यह प्रचारित किया गया है कि चूँकि प्रतिस्थापित प्रतिवादियों द्वारा दाखिल लिखित कथन के प्रति वादी/प्रत्यर्थी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी थी, अत: यह समझा जाता है कि अतिरिक्त लिखित कथन स्वीकार किया गया था और अतिरिक्त लिखित कथन के निबंधनानुसार प्रतिस्थापित प्रतिवादियों द्वारा वादी के गवाहों का प्रति परीक्षण किया गया था। कि प्रतिस्थापित प्रतिवादियों ने अतिरिक्त लिखित कथन के निबंधनानुसार साक्ष्य दिया और वादी/प्रत्यर्थी तथा प्रतिवादी सं॰ 2/प्रत्यर्थी द्वारा गवाहों का प्रति परीक्षण किया गया था। यह प्रतिवाद किया गया है कि दी गयी परिस्थितियों में यह अंतर्निहित है कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलार्थी को अपने निजी हैसियत में अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 8 नियम 9 के अधीन प्रदान किया था।

तर्क सिद्ध करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित प्रकाशित निर्णयों पर विश्वास किया है:–

(i) ***AIR 1929 Madras 451;***

(ii) ***2010 (2) SCC 432*** *(i j[k 2, 8, 9, 10, 11, 25, 33);*

(iii) ***AIR 1992 Delhi 162*** *(i j[k 10)*

(iv) ***2008 (1) Civil L.J. 525*** *(MP) (i j[k 4, 9, 11)*

द्वितीयत:, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि विचारण न्यायालय ने जगेश्वर साव एवं गणेश साव के पक्ष में मोस्मात सुकरु द्वारा तात्पर्यित रूप से निष्पादित विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2 पर विश्वास करके विधि में गलती किया है। कि प्रमाणित प्रति द्वितीयक साक्ष्य है और विधि के अनुरुप इसे सिद्ध किए बिना साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता था क्योंकि वादी/प्रत्यर्थी दिनांक 19.1.1925 के मूल विक्रय विलेख के अस्तित्व अथवा अता-पता को संतोषजनक रूप से स्पष्ट करने में सक्षम नहीं हुआ है। यह तर्क किया गया है कि किसी समुचित स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में, विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति साक्ष्य में अग्राह्य है और सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 13 नियम 3 के अधीन अस्वीकार किए जाने का दायी था।

अपने तर्क को पुखता करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर विश्वास किया:–

*1. **2011 (4) SCC 240** (i jk 12)(*

*2. **2007 (5) SCC 730** (i jk 6, 7, 8, 9)*

3. 2000 (3) PLJR 149 (SC) (i jk 2, 3)

*4. **AIR 1968 Calcutta 532** (i jk 11)*

*5. **AIR 1994 SC 591** (i jk 2).*

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि प्रदर्श चिन्हित किया जाना मात्र इसके प्रमाण को अभियुक्त नहीं करता है और प्रकाशित निर्णयों को निर्दिष्ट किया है:–

1. 2013 (3) JLJR 470 (SC)

*2. **1972 (4) SCC 562***

*3. **AIR 1989 Patna 66***

*4. **1993 Orissa 103.***

यह प्रतिवाद किया गया है कि वादी/प्रत्यर्थी का तर्क कि अपीलार्थी/प्रतिवादी सं॰ 1/A से 1/G और उनके हित पूर्वाधिकारी को तीन वर्षों की सांविधिक अवधि के भीतर प्रदर्श 2 के रद्दकरण के लिए विधि का सहारा लेना चाहिए था, ग्रहण नहीं किया जा सकता है क्योंकि वादी को अपने अभिवचनों पर अपना मामला सिद्ध करना है और वह प्रतिवादी के मामले की कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में उसने प्रकाशित निर्णयों पर विश्वास किया है:–

*1. **2014 SCCR 91;***

*2. **AIR 1957 Patna 64***

3. 2013 (3) PLJR 922.

अंत में, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने जोर दिया है कि वादियों ने अभिवचन नहीं किया था कि किस प्रकार जगेश्वर साव एवं गणेश साव ने वाद संपत्ति अर्जित किया था। इस प्रकार, वाद संपत्ति की खरीदगी के संबंध में किसी साक्ष्य की अनुपस्थिति में, न्यायालय को विक्रय विलेख (प्रदर्श 2) के प्रति कोई साक्ष्यिक मूल्य संबद्ध नहीं करना चाहिए था। यह आग्रह किया गया है कि अभिवचन एवं प्रमाण के बीच अंतर है और न्यायालय अभिवचनों के परे नहीं जा सकता है और विचारण न्यायालय ने विधि के इस सुनिश्चित सिद्धांत का अधिमूल्यन नहीं करके विधि में गलती किया है। अपने प्रतिवाद को पुख्ता बनाने के लिए विद्वान अधिवक्ता ने प्रकाशित निर्णयों पर विश्वास किया है:–

*1. **2011 (8) SCC 613***

2. 2013 (1) PLJR 48 (SC)

3. 2013 (3) PLJR 922

4. ***AIR 1975 Patna 168***

5. ***AIR 1974 Patna 254*** *(i j[8)*

यह तर्क भी किया गया है कि प्रतिवादी सं॰ 2/प्रत्यर्थी सं॰ 2 का अपना लिखित कथन दाखिल करने से वर्जित कर दिया गया था और न ही उसने वादी के मामले का समर्थन करने के लिए गवाह के रूप में स्वयं का परीक्षण किया, अत: न्यायालय को वादी एवं प्रतिवादी सं॰ 2 के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना चाहिए था। अपना तर्क सिद्ध करने के लिए उन्होंने **मोस्मात जुरमती बेवा बनाम अनवर रसूल, AIR 1973 Gauhati 90** और **बीबी अनवरुनिसा बनाम दौलत राय एवं महेश राय,** 1994 (1) PLJR 103 में प्रकाशित निर्णयों को निर्दिष्ट किया है।

यह तर्क किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं॰ 2 यह स्थापित करने में सक्षम नहीं हुए हैं कि यह संयुक्त संपत्ति थी और अभिधान की एकता थी और इस प्रकार निर्णय एवं डिक्री विधि में अथवा तथ्यों पर संपोषणीय नहीं होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है।

9. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल गुप्ता ने निवेदन किया है कि हिंदू परिवार में संयुक्तता की उपधारणा होती है और अधिकार अभिलेख पुनरीक्षण सर्वे में की गयी प्रविष्टि अंतिम है और निश्चयात्मक है जिसे अपीलार्थी अथवा उनके हित पूर्वाधिकारी द्वारा चुनौती कभी नहीं दी गयी थी। यह प्रतिवाद किया गया है कि प्रतिस्थापित अपीलार्थियों/प्रतिवादियों 1/A से 1/G के पिता अर्थात् मूल प्रतिवादी आनन्द साव ने संयुक्तता का दर्जा और बँटवारा का अधिकार स्वीकार किया था और इस तथ्य को भी स्वीकार किया था कि वादी एवं प्रतिवादी सं॰ 2 वाद संपत्ति के 1/2 हिस्सा के हकदार थे और हिस्सा का आधा मूल प्रतिवादी सं॰ 1 के पक्ष में प्रभाजित किया जाना चाहिए। कि प्रतिस्थापित प्रतिवादियों/अपीलार्थियों ने अपने लिखित कथन में भी वादी द्वारा कुछ भूमि बेचा जाना स्वीकार किया है और इस तरह संयुक्तता स्वीकार किया है। यह निवेदन किया गया है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.3.2004 के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित प्रतिवादियों को मृतक मूल प्रतिवादी सं॰ 1 द्वारा दाखिल लिखित कथन को अपनाने अथवा अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति दिया। कि उक्त आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 (2) के निबंधनानुसार पारित किया गया था। कि पूर्वोक्त प्रावधान के निबंधनानुसार प्रतिवादी/अपीलार्थीगण, जिन्हें विधिक प्रतिनिधियों के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था, केवल ऐसा अभिवचन कर सकते थे जिसे मूल प्रतिवादी द्वारा किया गया था अथवा किया जा सकता था और वे मूल प्रतिवादी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विरोधाभासी दृष्टिकोण नहीं ले सकते थे।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति सार्वजनिक दस्तावेज है और इसे दिनांक 7.8.2007 को दाखिल याचिका के आधार पर वादी द्वारा अभिलेख पर लाया गया है। कि पक्षों को सुनने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 1.8.2011 के आदेश के तहत इस निर्देश के साथ याचिका अनुज्ञात किया कि किसी औपचारिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी और 400/- रुपयों का व्यय अधिरोपित किया गया था जिसे दिनांक 10.8.2011 को वादी द्वारा जमा किया गया था और प्रमाणित प्रति साक्ष्य में लिया गया था और प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित किया गया था। कि प्रतिवादी ने यद्यपि आपत्ति किया था, किंतु 400/- रुपयों की राशि वापस ले लिया, इस प्रकार प्रतिस्थापित प्रतिवादियों ने विवक्षित रूप से प्रदर्श 2 के रूप में दस्तावेज इस प्रकार चिन्हित किए जाने के प्रति अपनी आपत्ति का त्यजन कर दिया था। विद्वान अधिवक्ता ने **आर॰ वी॰ ई॰ वेंकटचला गाउन्डर, (2003)SCC 752** में प्रकाशित निर्णय पर अपने तर्क के समर्थन में विश्वास किया।

यह निवेदन किया गया है कि विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति धारा 65 खंडों (e) एवं (f) के निबंधनानुसार द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है जो द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार किया जाना प्रावधानित करता

है जब मूल साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अर्थ के अंतर्गत सार्वजनिक दस्तावेज है और रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 57 खंड (1) एवं (5) के अधीन विषय वस्तु सिद्ध करने के लिए ग्राह्य है।

10. विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि वादी को केवल अधिसंभाव्यता की उच्च डिग्री स्थापित करना था कि उसके साथ अभिधान की एकता थी। यह इंगित किया गया है कि लिखित कथन के पैरा 10 में प्रतिवादियों ने कथन किया है कि ''नागमणि देवी के जीवन काल के दौरान उसके पति जगेश्वर साव की मृत्यु हो गयी और जगेश्वर साव के भाई गणेश साव ने नागमणि देवी की निरक्षरता का लाभ लिया और कपटपूर्वक वाद संपत्ति के संबंध में पुनरीक्षण सर्वे अधिकार अभिलेख अपने नाम में एवं अपने मृत भाई जगेश्वर साव के नाम में तैयार करवाया और बिहार राज्य के सिरिस्ता में नामों को प्रविष्ट करवाया और उस पर किराया का भुगतान किया और वाद संपत्ति हड़पने के अपने बुरे इरादे में सफल हुआ और विभिन्न खरीदारों को भूमि बेचा जिन्हें वर्तमान वाद में पक्ष नहीं बनाया गया है।

यह प्रतिवाद किया गया है कि चूँकि प्रतिस्थापित प्रतिवादियों ने नया बचाव किया है तद्नुसार प्रतिवादियों के दावा का विरोध करने के लिए दिनांक 19.1.1925 के विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति (प्रदर्श 2) को अभिलेख पर लाया गया था। यह प्रतिवाद किया गया है कि अधिकार अभिलेख (प्रदर्श 1) एवं विक्रय विलेख (प्रदर्श 2) और पक्षों के अभिवचन दर्शाते हैं कि जगेश्वर साव और गणेश साव संपत्ति पर संयुक्त रूप से काबिज थे और उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को वाद संपत्ति के ऊपर संयुक्त रूप से काबिज समझा जाएगा। प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने **आर॰ वी॰ ई॰ वेंकटचला गाउन्डर (ऊपर)** में प्रकाशित निर्णय पर विश्वास करते हुए निवेदन किया है कि वादियों ने भार जिसे उन पर डाला गया था का उन्मोचन किया है और अब अपीलार्थियों/प्रतिवादियों को तर्कपूर्ण साक्ष्य देकर वादी पर वापस भार डालने के लिए इसे असिद्ध करना है।

यह तर्क किया गया है कि वादी ने अपना मामला बनाने के लिए आदेश VI नियम II के निबंधनानुसार आवश्यक तथ्यों को वर्णित किया था। समय के उस बिंदु पर, वादी से बचाव के बारे में जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो प्रतिवादी अपने लिखित कथन में लेगा। सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वाद पत्र को लिखित कथन के संबंध में अथवा इसमें दिए गए बयान के उत्तर में संशोधित करने की आवश्यकता है। केवल उन मामलों में जहाँ लिखित कथन मुजरा का दावा अथवा प्रति दावा अंतर्विष्ट करता है, वादी को अपना लिखित कथन दाखिल करने की आवश्यकता है जब प्रतिवादी द्वारा अभिवचनित ऐसा मुजरा अथवा प्रतिदावा एक प्रति वाद के रूप में माना जाता है। यह निवेदन किया गया है कि वादी ने अभिवचन किया था कि वाद संपत्ति जगेश्वर साव एवं गणेश साव की रैयती भूमि थी जिसे मूल प्रतिवादी सं॰ 1 द्वारा स्वीकार किया गया था जिसने वादी द्वारा स्थापित बँटवारा का दावा भी स्वीकार किया था। किंतु, प्रतिस्थापित अपीलार्थी ने अपने अतिरिक्त लिखित कथन में पहली बार ऐसा दावा सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर कोई तर्कपूर्ण साक्ष्य लाए बिना एक पूर्णतः विरोधाभासी मामला स्थापित किया कि मोस्मात सुकरो संपूर्ण स्वामिनी थी और उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति उसकी पुत्री नागमणि देवी पर न्यागत हुई और मूल प्रतिवादी आनंद साव ने नागमनि देवी का पुत्र होने के नाते संपूर्ण संपत्ति विरासत में पाया और प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण वाद संपत्ति के संपूर्ण स्वामी है।

उक्त आधारों पर, वादी/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आक्षेपित आदेश एवं निर्णय में दुर्बलता अथवा अवैधता नहीं है। यह आग्रह किया गया है कि अपील गुणागुण रहित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

11. विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य पर काफी जोर दिया है कि प्रतिस्थापित प्रतिवादियों/अपीलार्थियों द्वारा दाखिल अतिरिक्त लिखित कथन पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था बल्कि विद्वान

विचारण न्यायालय ने मूल प्रतिवादी सं॰ 1 के लिखित कथन पर विश्वास करके विधि में गलती किया। इस संदर्भ में, अवर न्यायालय अभिलेख से यह प्रकट होता है कि दिनांक 17.3.2004 के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित प्रतिवादियों को अपने पिता अर्थात् मृतक प्रतिवादी सं॰ 1 द्वारा दाखिल लिखित कथन को अपनाने अथवा अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति दी गयी थी। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 22 नियम 4 (2) नियम 4 (2) के निबंधनानुसार पारित किया गया था जिसका पठन निम्नलिखित है:–

*"(2) bl çdkj i{kdkj cuk;k x;k dkbZ Hkh 0;fDr tk er çfroknh d fofèkd çfrufèk gku d ukr viuh gfl;r d fy, lefpr çfrj{kk dj ldxkA***

प्रावधान के सादे पठन से, यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि जब एक बार मृतक मूल प्रतिवादी के ऐसे प्रतिस्थापित विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाया जाता है, वे केवल ऐसा अभिवचन अथवा बचाव कर सकते थे जो मृतक के विधिक प्रतिनिधियों के रूप में उनके चरित्र के अनुकूल था, दूसरे शब्दों में, प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण ऐसा कोई बचाव नहीं कर सकते थे जो उनके हित पूर्वाधिकारी द्वारा किए गए बचाव का विरोधाभासी था अथवा विरोध में था। इस संबंध में, **बालकिशन बनाम ओम प्रकाश, AIR 1986 SC 1952** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश 22 के नियम 4 का उपनियम (2) मृतक प्रतिवादी/प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को उन समस्त अभिवचनों जो मृतक प्रतिवादी ने किया था अथवा कर सकता था, सिवाए उनके जो मृतक के प्रति निजी थे, को करते हुए आपत्ति का बयान अथवा अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने के लिए प्राधिकृत करता है। पूर्वोक्त मामले में, प्रतिवादी स्वीकृत रूप से अभिधारी था और इसलिए विधिक प्रतिनिधिगण बचाव नहीं कर सकते थे कि वे अतिचारी के रूप में संपत्ति पर काबिज थे। **विद्यावती बनाम मन मोहन, (1995)5 SCC 431,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त दृष्टिकोण लिया गया है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए **(2008)1 Civil LJ 525 (M.P.)** में प्रकाशित निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों के प्रति प्रयोज्य नहीं है, क्योंकि उक्त निर्णय में, पृथक लिखित कथन दाखिल करने की प्रतिस्थापित विधिक उत्तराधिकारियों/विधिक प्रतिनिधियों की प्रार्थना विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दी गयी थी और उच्च न्यायालय ने उक्त अस्वीकरण आदेश अपास्त कर दिया। यह प्रकट है कि निर्णय अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क को समृद्ध नहीं करता है। इसी प्रकार से, **सावेद सिराजुल हसन बनाम सैयद कुर्तजा अली खान बहादुर, AIR 1992 Delhi 162,** में प्रकाशित मामले में निर्णय भी वर्तमान मामले के तथ्यों के प्रति प्रयोज्य नहीं है। उक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आदेश 8 नियम 9 की उस मामले में प्रयोज्यता नहीं है जहाँ मृतक प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों ने न्यायालय की अनुमति के बिना आदेश 22 नियम 4 (2) के अधीन लिखित कथन दाखिल किया है। **अब्दुल रज्जाक बनाम मंगेश राजाराम वागते, (2010)2 SCC 432,** मामले में निर्णय में अंतर्ग्रस्त प्रश्न सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 6 नियम 16 के प्रावधानों पर विचार किए बिना भारत के संविधान के अनुच्छेदों 226 एवं 227 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करने में उच्च न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में था। उक्त मामले में यह पाया गया था **कि अपीलार्थियों अर्थात् प्रतिवादी के प्रतिस्थापित विधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया गया अभिवचन प्रतिवादी अब्दुल रज्जाक के मूल लिखित** अभिकथन में अंतर्विष्ट प्रकथनों के साथ असंगत नहीं था। यह पर्याप्त रूप

से स्पष्ट है कि अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूर्वोक्त निर्णय पर स्थापित विश्वास अपीलार्थी के प्रतिवाद का समर्थन नहीं करता है बल्कि यह सुनिश्चित सिद्धांत दोहराता और अभिपुष्ट करता है कि प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण ऐसा अभिवचन अथवा बचाव नहीं कर सकते हैं जो मूल प्रतिवादी द्वारा लिए गए बचाव का विरोधाभासी है।

वर्तमान मामले में यह विवादित नहीं है कि पुनरीक्षण सर्वे अधिकार अभिलेख अपीलार्थियों के दादा के नाम में था और उन्होंने अपने पिता का हित विरासत में पाया, तद्द्वारा, जिसका अर्थ है कि उन्होंने अपने पिता से अपना हित एवं अधिकार पाया है और उनका कोई स्वतंत्र अधिकार अर्थात् अपने मृतक पिता आनन्द साव, मूल प्रतिवादी सं॰ 1 से स्वतंत्र अधिकार नहीं है। ऐसी तथ्यपरक स्थिति में अपीलार्थी अर्थात् आनंद साव के हित पूर्वाधिकारी के अभिवचन के विपरीत अभिवचन को सही प्रकार से विचारण न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है और अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किया गया निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों के प्रति प्रयोज्य नहीं है।

12. मोहम्मद बनाम कुन्ही कुट्टी अली, AIR 1929 Madras 451, मामले में जिस पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने इस तर्क के समर्थन में विश्वास किया गया है कि अभिव्यक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं है और ऐसी अनुमति न्यायालय की कार्यवाहियों से निष्कर्षित की जा सकती है। इसे अपने प्रतिवाद के समर्थन में उद्धृत किया गया है कि लिखित कथन आदेश 8 नियम 9 के अधीन और न कि आदेश 22 नियम 4 (2) के अधीन दाखिल किया गया था। उक्त निर्णय के तथ्यों का परिशीलन दर्शाता है कि विद्वान अधिवक्ता ने तथ्यों को कुपरिकल्पित किया है और उस निर्णय पर विश्वास करके स्वयं को अपनिदेशित किया क्योंकि तथ्य वर्तमान मामले पर प्रयोज्य नहीं हैं।

13. चूँकि विद्वान अधिवक्ता ने आदेश 8 नियम 9 के प्रावधानों पर काफी जोर दिया है और प्रतिवाद किया कि विधिक प्रतिनिधियों को अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति दी गयी थी, अतः, उनको कोई भी दृष्टिकोण अपनाने का अधिकार था। इस संदर्भ में, आदेश 8 नियम 9 के प्रावधानों को निर्दिष्ट करना प्रासंगिक होगा जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"**i'pkrorh vfHkopu-**&çfroknh d fyf[kr dFku d i'pkr dkb Hkh vfHkopu tk etjk d ;k çfrnko d fo#) çfrj{kk l fHkUu gk] U;k;ky; dh btktr l gh vkj ,l fucU/ekuk ij tk U;k;ky; Bhd le>] mifLFkr fd;k tk,xk] vU;Fkk ugh] fdUr U;k;ky; i{kdkjk e fdlh l Hkh fyf[kr dFku ;k vfrfjDr fyf[kr dFku fdlh Hkh le; vif{kr dj ldxk vkj mlsl mifLFkr dju d fy, dkb le; tk rhl fnu l vf/kd u gk] fu;r dj ldxkA**"*

कोरे पठन से यह प्रकट है कि प्रावधान अनुध्यात करता है कि प्रतिवादी को लिखित कथन दाखिल करने का अधिकार नहीं है बल्कि प्रावधान का उपयोग उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए किया गया है जिसके द्वारा कतिपय तथ्यों के पश्चातवर्ती विकास को अभिवचनों में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। किंतु, पूर्वोक्त परिस्थितियों के सिवाए, किसी पक्ष को न्यायालय की अनुमति और ऐसे निबंधनों पर जैसा न्यायालय 30 दिनों से अनधिक का समय नियत करके समुचित समझता है, के सिवाए लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मैं प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क से सहमत हूँ कि यह मानते हुए कि प्रतिस्थापित विधिक प्रतिनिधियों को आदेश 8 नियम 9 के निबंधनानुसार अतिरिक्त कथन दाखिल करने की अनुमति दी गयी थी, तब प्रश्न उद्भूत होगा कि क्या कोई व्यक्ति, जिसे अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति दी गयी है, उस व्यक्ति द्वारा दिए गए दृष्टिकोण अथवा बचाव का विरोधाभासी

दृष्टिकोण ले सकता है जिससे वह अपना अधिकार, अभिधान एवं हित पाने का दावा करता है। अतिरिक्त लिखित कथन का विवक्षित रूप से अर्थ है ऐसा बयान जो लिखित कथन के अतिरिक्त है जिसे पहले दाखिल किया गया है और विरोधाभासी लिखित बयान के रूप में अर्थ लगाने के लिए इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस प्रकार, मूल प्रतिवादी जिसने पहले ही दृष्टिकोण विशेष लिया है, तब न तो उसे और न ही उन व्यक्तियों जो उसके स्थान पर आए हैं अथवा उसके अधीन दावा कर रहे हैं को अपने अभिवचनों को संशोधित करने की अनुमति दी जा सकती है ताकि विपरीत अभिवचन करके लिखित कथन में किए गए निवेदनों से इनकार किया जा सके और तद्द्वारा मामले की प्रकृति ही बदल दी जाए क्योंकि वह किसी चीज को अप्रत्यक्ष रूप से करने की अनुमति देने के तुल्य होगा जिसको प्रत्यक्ष रूप से करना अननुज्ञेय था।

14. इस तर्क के प्रत्युत्तर में कि अवर न्यायालय ने अतिरिक्त लिखित कथन पर विचार नहीं किया था, यह गौर किया गया है कि प्रतिस्थापित प्रतिवादियों/अपीलार्थियों ने इस तथ्य को विवादित नहीं किया है कि उनके पिता अर्थात् आनन्द साव, मूल प्रतिवादी (अब मृतक) ने यह स्वीकार करते हुए कि वादी एवं प्रतिवादी सं॰ 2 दोनों वाद संपत्ति में 1/4 हिस्सा के हकदार थे, लिखित कथन दाखिल किया था। प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कोई तात्विक साक्ष्य अथवा तर्कपूर्ण कारण लाने में सक्षम नहीं हुए हैं कि किन परिस्थितियों के अधीन उनके पिता ने ऐसा स्वीकरण किया था। यह भी गौर किया गया है कि प्रतिस्थापित प्रतिवादी/अपीलार्थियों ने अपने लिखित कथन में स्वीकार किया है कि वादियों ने विभिन्न व्यक्तियों को भूमि बेचा है। यह प्रकथन वस्तुतः मूल प्रतिवादी द्वारा किए गए स्वीकरण का समर्थन करता है कि संपत्ति में पक्षों की संयुक्तता थी।

सामने आने वाले तथ्यों, अभिवचनों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं की दृष्टि में, विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद कि अतिरिक्त लिखित कथन आदेश 8 नियम 9 के अधीन दाखिल किया गया था, बिल्कुल कुस्थापित है और तद्नुसार इसका उत्तर दिया गया है।

15. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बार-बार बोला एवं जोर दिया गया अन्य विवाद्यक मोस्मात सुकरो द्वारा तात्पर्यित रूप से जगेश्वर साव एवं गणेश साव के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख (प्रदर्श 2) की प्रमाणित प्रति से संबंधित है। यह तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का मूल्यांकन किए बिना कि इस प्रमाण कि मूल प्रति खो गया है की अनुपस्थिति में ऐसा द्वितीयक साक्ष्य साक्ष्य में अग्राह्य है, विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति स्वीकार करके विधि में घोर गलती किया है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रश्न के विनिश्चयकरण की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, यह गौर करना उपर्युक्त है जैसा विचारण न्यायालय के अभिलेखों से स्पष्ट है कि दिनांक 7.8.2007 को वादी ने पूर्वोक्त विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति को साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए याचिका दाखिल किया था। पक्षों को सुनने के बाद, विचारण न्यायालय ने दिनांक 1.8.2011 के आदेश के तहत याचिका इस निर्देश के साथ अनुज्ञात किया कि दस्तावेज की ग्राह्यता के लिए औपचारिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी और वादी पर 400/- रुपयों का व्यय अधिरोपित किया। दिनांक 10.8.2011 को, वादी ने 400/- रुपयों का व्यय जमा किया और दिनांक 18.8.2011 को प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित की गयी थी। उसी तिथि को, प्रतिवादी ने वादी द्वारा जमा किए गए व्यय 400/- रुपयों को वापस निकालने के लिए याचिका दाखिल किया। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी की आपत्ति केवल उस सीमा तक थी कि क्या प्रमाणित प्रति प्रत्यक्षतः साक्ष्य में ली जा सकती थी अथवा औपचारिक प्रमाण की आवश्यकता थी जिस पर विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि औपचारिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। विचारण न्यायालय के दिनांक 1.8.2011 के इस आदेश को प्रतिस्थापित प्रतिवादियों द्वारा चुनौती कभी नहीं दी गयी थी। इसके विपरीत, उन्होंने वादी द्वारा जमा किया गया 400/- रुपयों का व्यय निकाल लिया।

आदेश को चुनौती नहीं देने और जमा व्यय को निकालने का प्रतिवादियों का आचरण इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि प्रतिवादियों/अपीलार्थियों ने साक्ष्य में प्रदर्श 2 लेने के प्रति आपत्ति का त्यजन कर दिया।

प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट **आर॰ वी॰ ई॰ वेंकटचला गाउन्डर (ऊपर)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित और संप्रेक्षित किया है कि द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता के प्रति आपत्ति केवल उस समय की जा सकती है जब इसे साक्ष्य में दिया जा रहा है और विस्तार देते हुए संप्रेक्षित किया है कि आपत्ति के दो प्रकार हैं, प्रथमत:, जब सिद्ध किए जाने के लिए इप्सित दस्तावेज स्वयं में ग्राह्य है और द्वितीयत: जब आपत्ति ग्राह्यता के विरुद्ध निर्देशित नहीं है बल्कि अनियमितता अथवा अपर्याप्तता के आधार पर उसके प्रमाण के ढंग के विरुद्ध निर्देशित है। प्रथम मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दस्तावेज को प्रदर्श के रूप में चिन्हित किए जाने के बाद भी अपील अथवा पुनरीक्षण में भी आपत्ति की जा सकती है। किंतु, द्वितीय मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चूँकि यह दस्तावेज के प्रमाण के ढंग के विरुद्ध निर्देशित है, ऐसी आपत्ति की जानी होगी जब साक्ष्य ग्रहण किया जा रहा है, किंतु दस्तावेज ग्रहण किए जाने और प्रदर्श के रूप में चिन्हित किए जाने के बाद नहीं। यह गौर किया गया है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी/अपीलार्थी की आपत्ति प्रमाण के ढंग के विरुद्ध निर्देशित थी। जोरदार रूप से यह तर्क किया गया है कि मूल को मंगाए बिना उक्त दस्तावेज साक्ष्य में लिया गया था। विचारण न्यायालय के आदेश को चुनौती देना प्रतिवादियों का कर्त्तव्य था जिसके द्वारा इसने किसी औपचारिक प्रमाण के बिना साक्ष्य के रूप में दस्तावेज ग्रहण करने का निर्देश दिया जिसे करने में वे विफल रहे। इसके विपरीत, उन्होंने वादियों द्वारा जमा किए गए व्यय निकाल लिया, तद्द्वारा आपत्ति का त्यजन किया।

साक्ष्य के रूप में प्रमाणित प्रति की ग्राह्यता के बिंदु पर बेहतर अधिमूल्यन के लिए रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 57, खंड 5 के प्रावधान को निर्दिष्ट करना उपयुक्त है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"5. bl èkkjk d vèkhu nh x;h lHkh çfr;k jftLVhdj.k inkfèkdkjh }kjk gLrk{kfjr vkj lhy dh tk;xh vkj ey nLrkotk dh vUroLrvk dk fl) dju d ç;ktu d fy, xká gkxhA***

रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 52 रजिस्टरिंग अधिकारी के कर्तव्यों का विवरण देती है और धारा 52 का खंड (1) का उपखंड (c) दस्तावेज, जिसे ग्रहण के लिए दर्ज किया गया था, को समुचित पुस्तक अथवा रजिस्टर में नकल करवाना रजिस्टरिंग अधिकारी के लिए बाध्यकारी बनाता है। रजिस्टरिंग अधिकारी लोक प्राधिकारी है और रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रहण किए गए दस्तावेज की प्रति को उसके लिए रखे गए पुस्तक में प्रविष्ट करवाने का कृत्य अपने आधिकारिक/लोक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कृत्य से संबंधित है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 एवं उसमें अंतर्विष्ट खंडों के परिशीलन पर यह स्पष्ट है कि सात भिन्न परिस्थितियों एवं शर्तों को वर्णित किया गया है जिसके द्वारा आवश्यक शर्तों एवं आकस्मिकता की परिपूर्णता पर दस्तावेजों का द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है। यह प्रावधानित करता है कि उपखंड (a) से (g) तक प्रत्येक द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार करने के लिए आकस्मिकता, पृथक आवश्यकता और शर्त अनुबंधित करता है। इस प्रकार, एक उपखंड में अनुध्यात अथवा विहित शर्तें अन्य उपखंड के प्रति प्रयोज्य नहीं हो सकती है। अत: यदि दस्तावेज अथवा मामला धारा 65 (a) के अंतर्गत आता है, तब

पक्ष को उसमें विहित शर्तों को संतुष्ट एवं पूरा करना होगा उसे धारा 65 (b) अथवा (c) अथवा अन्य उपखंडों के अधीन अनुबंधित आवश्यकता परिपूर्ण करके ऐसे द्वितीयक साक्ष्य को साक्ष्य में लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। धारा 65 (e) विहित करती है कि जब मूल प्रति धारा 74 के अर्थ के अंतर्गत लोक दस्तावेज है, दस्तावेज की प्रमाणित प्रति को ग्रहण किया जा सकता है किंतु अन्य प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। प्रावधान की व्याख्या यह है कि जब एक बार यह सिद्ध किया जाता है कि मूल दस्तावेज धारा 74 के अर्थ के अंतर्गत लोक दस्तावेज है, तब पक्ष को केवल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 में लोक दस्तावेज परिभाषित किया गया है। जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *^^èkkjk 74.* ***ykd nLrkot-*** *&fuEufyf[kr nLrkot ykd nLrkot g&*
>
> *(1) o nLrkot tk&*
>
> *(i) çHkÙkk lEiUu çkfèkdkjh d]*
>
> *(ii) 'kkldh; fudk;k vkj vfèkdkj.kk d] rFkk*
>
> *(iii) Hkkjr d fdlh Hkkx d ;k dkeuoYFk d] ;k fdlh fon'k d foèkk;h] U;kf;d rFkk dk;ikyd ykd vkfQlj.k d] dk;k d :i e ;k dk;k d vfHky[k d :i e gA*
>
> *(2) fdlh jkT; e j[k x, çkboV nLrkotk d ykd vfHky[kA**

धारा 74 (2) लोक अभिलेख पर विचार करती है जिन्हें किसी राज्य में प्राईवेट दस्तावेजों में रखा गया है।

जैसा ऊपर चर्चा की गयी है, धारा 57 के अधीन रजिस्टरिंग अधिकारी को दस्तावेजों की प्रति रखने की आवश्यकता है। अभिलेख प्राईवेट दस्तावेजों के अभिलेख के रूप में रखा जाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 लोक अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर और प्रमाण पत्र के साथ अपनी अभिरक्षा में रखे गए लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति जारी किया जाना प्रावधानित करती है। धारा 77 प्रमाणित प्रति की प्रस्तुति द्वारा दस्तावेजों का प्रमाण प्रावधानित करती है और धारा 79 प्रमाणित प्रति की वास्तविकता के संबंध में उपधारणा विहित करती है।

मैं प्रत्यर्थी वादी के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद से सहमत हूँ कि भले ही तर्क के लाभ के लिए यह माना जाता है कि विक्रय विलेख धारा 74 (2) के निबंधनानुसार लोक दस्तावेज नहीं है, तब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 (f) प्रयोज्य होगी जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *^^èkkjk 65 (f) tcfd ey ,lk nLrkot g ftldh çekf.kr çfr dk lk{; e fn;k tkuk bl vfèkfu;e }kjk ;k Hkkjr e çoÙk fdlh vU; fofèk }kjk vuKkr gA**

साक्ष्य अधिनियम एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम के प्रावधानों के चर्चा एवं विश्लेषण तथा रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 57 और साक्ष्य अधिनियम की धाराओं 65 (f), 74 एवं 77 के संयुक्त पठन से यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि रजिस्टरिंग प्राधिकारी द्वारा रखे गए पुस्तक में प्राईवेट दस्तावेज अर्थात् विक्रय विलेख की प्रविष्टि लोक दस्तावेज के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है और दस्तावेज की प्रमाणित प्रति साक्ष्य में ग्राह्य है।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **(2004)8 SCC 270** में प्रकाशित निर्णय में **(2001)1 SCC 53**0 में प्रकाशित निर्णय के दृष्टिकोण को अभिपुष्ट करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि दस्तावेज, जिसकी प्रमाणित प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है और जिस पर विश्वास किया जा सकता है, की विषय वस्तु की वास्तविकता की उपधारणा की जाती है तथा इसपर भरोसा किया जा सकता है यदि इसकी उपधारणा

खंडित नहीं की जाती है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इसके द्वितीयक साक्ष्य होने की सीमितता के अध्यधीन रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति ग्राह्य साक्ष्य है।

17. वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, यह विवादित नहीं है कि विक्रय विलेख (प्रदर्श 2) वर्ष 1925 का है जिसे सिद्ध किया जाना इप्सित किया गया था। यह दस्तावेज दोनों पक्षों से संबंधित है और 80-90 वर्ष पुराना दस्तावेज होने के नाते मूल दस्तावेज की अभिरक्षा की अनुपस्थिति मानी एवं समझी जा सकती है। यह सुनिश्चित है कि सिविल मामलों में साक्ष्य की प्रबलता होती है। स्वीकृत रूप से दस्तावेज वाद संपत्ति से संबंधित है और यदि प्रतिवादी/अपीलार्थी दस्तावेज को चुनौती देना चाहते थे, प्रतिवादी/अपीलार्थी को यह सिद्ध करने के लिए कि विलेख के निष्पादक ने इसे निष्पादित नहीं किया था, मूल प्रति मंगाकर इसको खंडित करना आवश्यक था किंतु प्रतिवादी/अपीलार्थी ने ऐसा नहीं किया है। दोहराने की कीमत पर, जैसी चर्चा पूर्वोक्त पैराग्राफों में की गयी है, यह गौर किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था कि साक्ष्य ग्रहण करते हुए वादी/प्रत्यर्थी द्वारा 400/- रुपयों के व्यय के भुगतान पर प्रमाणित प्रति के संबंध में औपचारिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। उक्त आदेश को चुनौती कभी नहीं दी गयी थी। इसके विपरीत, प्रतिवादी/अपीलार्थी ने 400/- रुपयों का भुगतान स्वीकार किया। दूसरे शब्दों में प्रतिवादी/अपीलार्थी को प्रमाणित प्रति को प्रदर्श 2 के रूप में साक्ष्य में लिए जाने पर आपत्ति नहीं थी।

18. प्रतिवादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किया गया **BBCJ 1996 SC 45** में प्रकाशित निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों से सुभिन्न किए जाने योग्य है। उक्त निर्णय में, घोषणा इप्सित की गयी थी कि वर्ष 1950 का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख कूटरचित, शून्य एवं अप्रभावी था जो मामला वर्तमान प्रतिवादी/अपीलार्थी का नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **(2011)4 SCC 240** में प्रकाशित निर्णय पर भी विश्वास किया है। उक्त मामले में, अंतर्ग्रस्त तथ्य मुख्तारनामा की छाया प्रतिलिपि की ग्राह्यता पर था। प्रत्यर्थी ने मुख्तारनामा धारक की शक्ति द्वारा वाद संपत्ति का अन्य संक्रामण प्राधिकृत करने वाले मुख्तारनामा के निष्पादन से इनकार किया था। **(2007)5 SCC 730** में प्रकाशित निर्णय में तथ्य द्वितीयक साक्ष्य के विस्तार एवं उद्देश्य के संदर्भ में थे जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि द्वितीयक साक्ष्य ग्रहण करने के पहले धारा 65 के खंड (a), (g) में अधिकथित शर्तों को परिपूर्ण करना होगा। उक्त मामले में, धारा 65 (a) के अधीन द्वितीयक साक्ष्य ग्रहण किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि खंड (b) से खंड (g) कुछ अन्य आकस्मिकताओं को विनिर्दिष्ट करता है जिनमें किसी दस्तावेज से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। इस प्रकार, पूर्वोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित निर्णयाधार अपीलार्थी की सहायता नहीं करता है बल्कि यह वादी/प्रत्यर्थी के प्रतिवाद का समर्थन करता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 (e) एवं (f) के अधीन प्रमाणित प्रति ग्राह्य है। **AIR 1994 SC 591** में प्रकाशित निर्णय में मामला दस्तावेजों की छाया प्रतिलिपि के संबंध में था जिसमें अभिकथन यह था कि मूल दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ किया गया था और छाया प्रतिलिपियाँ नकली थीं। विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किया गया उक्त निर्णय किसी प्रयोजन के बिना दाखिल किया गया है और विवरणों में जाना समय व्यर्थ करना होगा, क्योंकि वर्तमान मामले में प्रतिवादी/अपीलार्थी का मामला यह नहीं है।

19. प्रतिवादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि केवल भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 51A विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति का ग्रहण विहित करती है और किसी अन्य अधिनियम में विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति की ग्राह्यता के लिए प्रावधान नहीं है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में उन्होंने **AIR 2004 SC 4836** में प्रकाशित निर्णय पर विश्वास किया है।

विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद कुस्थापित और अपनिदेशित है कि विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति केवल भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 51A के अधीन ग्राह्य है। पूर्वोक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर चर्चा एवं विचार विमर्श किया है कि भूमि अर्जन अधिनियम में धारा 51A के अंत:स्थापन की आवश्यकता क्यों उद्भूत हुई जिसके द्वारा विक्रय संव्यवहार की प्रमाणित प्रति दस्तावेजों के विषय वस्तुओं को सिद्ध करने के लिए विक्रेता अथवा क्रेता का परीक्षण करने की आवश्यकता के बिना साक्ष्य में ग्राह्य बनाया गया था।

उक्त निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 20 में अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 51A के अंत:स्थापन के पहले भी साक्ष्य अधिनियम एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम के प्रावधानों ने साक्ष्य में प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की अनुमति दिया था और सर्वोच्च न्यायालय ने **भूमि अर्जन अधिकारी एवं मंडल राजस्व अधिकारी बनाम वी॰ नरसैय्याह, AIR 2001 SC 1117,** मामले में प्रदत्त निर्णय को मान्य ठहराया जिसमें न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धाराओं 64 एवं 65 (f) सहपठित रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 57 (5) पर विश्वास किया और अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति की प्रस्तुति भूमि अर्जन अधिनियम में धारा 51A के अंत:स्थापन के पहले भी विधि में अनुज्ञेय थी। उक्त निर्णय वस्तुत: प्रतिवादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क को नकारता है। यह इस विधिक अवस्था को सुदृढ़ करता है कि विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति साक्ष्य में ग्राह्य है।

20. ऊपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति (प्रदर्श 2) सही प्रकार से प्रतिवादियों द्वारा किसी खंडन की अनुपस्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा ग्रहण की गयी है और विधि के प्रावधानों के अनुरुप है, तद्नुसार इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

21. प्रतिवादी/अपीलार्थी के इस प्रतिवाद पर विवाद नहीं है कि वादी को स्वयं अपने आधार पर खड़ा होना और गिरना होगा और यह प्रतिवादियों की कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है। यह सुनिश्चित है कि दांडिक मामले के असमान सिविल मामले में वादी से युक्तियुक्त संदेह के परे अपना अभिधान सिद्ध करने की उम्मीद नहीं की जाती है बल्कि उसे अपने पास अभिधान की उपलब्धता का आश्वासन देते हुए अधिसंभाव्यता की उच्च डिग्री को स्थापित करना होगा। यदि वह अभिधान स्थापित करने में सफल होता है, यह प्रतिवादी पर भार डालने के लिए पर्याप्त होगा। यदि प्रतिवादी भार डालने में सफल नहीं होता है, वादी के प्रमाण का भार सुरक्षित रूप से उन्मोचित किया गया समझा जा सकता है। सुनिश्चित सिद्धांत का यह आधार **(2003)8 SCC 752** में प्रकाशित निर्णय के पैरा 30 में मान्य ठहराया गया है। उक्त निर्णय में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान को निर्दिष्ट करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि किसी तथ्य को ''सिद्ध किया गया'' कहा जाता है, जब अपने समक्ष प्रस्तुत मामले पर विचार करते हुए न्यायालय इसके अस्तित्व में विश्वास करता है अथवा इसका अस्तित्व इतना अधिसंभाव्य मानता है कि विवेकशील व्यक्ति को मामला विशेष की परिस्थितियों के अधीन इस धारणा पर कृत्य करना चाहिए कि यह विद्यमान है।

सुनिश्चित सिद्धांतों पर विश्वास करते हुए यह देखा जाना है कि क्या वर्तमान मामले में वादी यह सिद्ध करते हुए कि उसके साथ अभिधान की एकता थी या नहीं, अधिसंभाव्यता की ऐसी डिग्री स्थापित करने में सक्षम हुआ है। स्वीकृत रूप से, वादी एवं प्रतिवादीगण उत्तराधिकार के मामले में हिंदू विधि द्वारा शासित होते हैं। वादी का प्रतिवाद यह है कि खाता सं॰ 66, 67 जगेश्वर साव एवं गणेश साव के नाम में दर्ज की गयी थी और ऐसा बयान सिद्ध करने के लिए दिनांक 19.1.1925 के विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति साक्ष्य में प्रस्तुत की गयी है जैसी चर्चा पूर्वोक्त पैराग्राफों में की गयी है। उक्त विक्रय विलेख

को प्रतिस्थापित प्रतिवादियों/अपीलार्थियों द्वारा चुनौती कभी नहीं दी गयी है और वस्तुत: प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण वादीगण द्वारा बँटवारा के दावा के विरुद्ध इस बचाव के साथ आए कि प्रश्नगत संपत्ति उनके हित पूर्वाधिकारी अर्थात् जगेश्वर साव की अनन्य संपत्ति थी। प्रतिवादी/अपीलार्थी का मामला यह है कि जगेश्वर साव के भाई गणेश साव ने कपटपूर्वक अधिकार अभिलेख में अपना नाम प्रविष्ट करवाया था। चूँकि अपीलार्थियों/प्रतिवादियों ने ऐसा अभिसाक्ष्य किया है, इसे सिद्ध करने का भार उनपर है।

इस संदर्भ में वादी/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद स्वीकार किया जाता है कि यदि यह प्रतिवादी/अपीलार्थी का अभिवचन था, तब विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 31 के अनुसार कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध लिखित लिखत शून्य अथवा शून्यकरणीय है और जिसे युक्तियुक्त आशंका है कि लिखत गंभीर उपहति कारित कर सकता है, ऐसे लिखत को शून्य अथवा शून्यकरणीय घोषित करने के लिए वाद कर सकता है और न्यायालय अपने स्वविवेक में, यदि यह इसे शून्य अथवा शून्यकरणीय निर्णीत करता है, इसके रद्दकरण का आदेश देगा और रजिस्टर्ड लिखतों के मामलों में न्यायालय को डिक्री की प्रति उस अधिकारी को भेजने की आवश्यकता है जिसके कार्यालय में लिखत इस प्रकार दर्ज किया गया था, और पुस्तक में लिखत की प्रति रखने वाला अधिकारी ऐसा रद्दकरण का नोट पृष्ठांकित करेगा। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 के निबंधनानुसार ऐसे लिखत को चुनौती देने के लिए विहित परिसीमा उक्त लिखत को चुनौती देने वाले व्यक्ति की जानकारी की तिथि से तीन वर्ष है।

वर्तमान मामले में, स्वीकृत रूप से, प्रतिवादी/अपीलार्थी अथवा उनके पूर्ववर्ती ने वर्ष 1925 के विक्रय विलेख की जानकारी होने के बावजूद उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को चुनौती कभी नहीं दिया है। इस अभिकथन कि संपत्ति कपटपूर्वक अधिकार अभिलेख में प्रविष्ट की गयी थी, को सिद्ध करने के लिए अपीलार्थियों द्वारा अभिलेख पर साक्ष्य नहीं लाया गया है। पुनरीक्षण सर्वे के दौरान भी, वर्ष 1930-32 में, जगेश्वर साव एवं गणेश साव के नाम आर॰ एस॰ अधिकार अभिलेख में दर्ज किए गए थे, जो अपीलार्थियों की जानकारी में था जो उनके लिखित कथन के पैराग्राफ 10 से स्पष्ट होगा जिसमें उन्होंने अभिकथित किया है कि ''उक्त नागमनि देवी के जीवनकाल के दौरान उसके पति जगेश्वर साव की मृत्यु हो गयी। जगेश्वर साव के भाई गणेश साव ने उक्त नागमनि देवी की निरक्षरता का लाभ लिया और कपटपूर्वक अपने नाम में एवं अपने भाई जगेश्वर साव के नाम में वाद संपत्ति के संबंध में पुनरीक्षण सर्वे अधिकार अभिलेख तैयार करवाया और बिहार राज्य के सिरिस्ता में नामों को प्रविष्ट करवाया और उसके लगान का भुगतान किया और वाद संपत्ति हड़पने के अपने बुरे इरादे में सफल हुआ और विभिन्न खरीदारों को भूमि बेचा जिन्हें वर्तमान वाद में पक्ष नहीं बनाया गया है।'' अपीलार्थियों का ऐसा बयान विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य एवं विचारण के दौरान अपीलार्थियों द्वारा अभिलेख पर खंडन में लाए गए किसी साक्ष्य की अनुपस्थिति में संयुक्तता की उपधारणा की ओर ले जाएगा।

यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि अधिकार अभिलेख छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम की धाराओं 83 एवं 84 के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुसरण करके तैयार किया जाता है। उपधारणा प्रविष्टि की शुद्धता की है जब तक इसे साक्ष्य द्वारा गलत सिद्ध नहीं किया जाता है। सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 87 के अधीन किसी गलत दर्ज किए जाने से व्यथित व्यक्ति में इसे चुनौती देने का अधिकार निहित किया गया है और यह विवादित नहीं है कि न तो अपीलार्थियों ने और न ही उनके पूर्वाधिकारियों ने ऐसी प्रविष्टि को चुनौती दिया है। प्रतिस्थापित अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने मूल प्रतिवादी सं॰ 1 अर्थात्

अपने मृतक पिता आनन्द साव के अभिवचन से इनकार नहीं किया है, जिसने संयुक्तता स्वीकार किया है। इसके अलावा अपीलार्थियों ने विवक्षित रूप से स्वीकार किया कि संपत्ति का कुछ अंश वादी/प्रत्यर्थी द्वारा विभिन्न खरीदारों को बेचा गया था।

इस प्रकार, साक्ष्य की बहुलता इस निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि जगेश्वर साव एवं गणेश साव वाद संपत्ति पर संयुक्त रूप से काबिज थे और उनकी मृत्यु के बाद, उनके उत्तराधिकारियों को वाद संपत्ति पर संयुक्त रूप से काबिज समझा जाएगा। यह प्रकट है कि वादी ने अपना भार उन्मोचित किया है और तर्क कि वादी ने प्रतिवादियों के मामले की कमजोरी का लाभ लिया है, गलत है। अपीलार्थियों द्वारा विश्वास किए गए निर्णयों को निर्दिष्ट करना समय की बर्बादी होगी क्योंकि उक्त निर्णयों के परिशीलन पर यह प्रकट है कि पूर्वोक्त निर्णयों के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों के प्रति प्रयोज्य नहीं हैं।

22. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद कि अ० सा० 5 ने अपने प्रति परीक्षण के पैरा 23 में कथन किया है कि पुनरीक्षण सर्वे का अधिकार अभिलेख तैयार करने के पहले जगेश्वर साव की मृत्यु हो गयी और यह अपीलार्थी के अभिवचन को विश्वसनीयता प्रदान करता है कि गणेश साव ने जगेश्वर साव की विधवा नागमनि देवी की निरक्षरता का लाभ लिया और कपटपूर्वक वर्ष 1932-34 में अपने मृतक भाई जगेश्वर साव का नाम अधिकार अभिलेख पुनरीक्षण सर्वे में प्रविष्ट करवाया, कुस्थापित है क्योंकि जैसी चर्चा ऊपर की गयी है अपीलार्थियों ने इस अभिवचन को सिद्ध करने के लिए कोई तर्कपूर्ण साक्ष्य नहीं लाया है। इसे एक अन्य कोण से भी देखा जा सकता है कि यदि गणेश साव का असद्भावपूर्ण आशय होता, वह आसानी से अधिकार अभिलेख से जगेश्वर साव का नाम विलोपित करवा सकता था। वस्तुतः, प्रदर्श D अर्थात् खाता सं० 66 के पुनरीक्षण सर्वे खतियान की प्रमाणित प्रति, जिसे अपीलार्थी द्वारा अभिलेख पर लाया गया है, दर्शाता है कि उक्त वाद संपत्ति जगेश्वर साव एवं गणेश साव के संयुक्त नाम में थी और अपीलार्थियों द्वारा उक्त दस्तावेज पर विश्वास किया गया है। प्रदर्श A खाता सं० 14 के भूकर सर्वे का मूल खतियान है और अ० सा० 1 राजू साव, प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं० 1/B ने अपने साक्ष्य के पैरा 23 में अभिसाक्ष्य दिया है कि खाता सं० 66 एवं 67 की वाद भूमि खाता सं० 13 के भूकर सर्वे में से काढ़कर निकाली गयी है। प्रदर्श B दिनांक 19.10.1922 का है और वाद संपत्ति की देखभाल एवं प्रबंधन के लिए अपने दामाद जगेश्वर साव के पक्ष में मोस्मात सुकरा द्वारा निष्पादित करपरदरजीनामा है और यह वर्ष 1925 में निष्पादित विक्रय विलेख को खंडित नहीं करेगा। अपीलार्थियों ने विक्रय विलेख को चुनौती नहीं दिया है, जिसे मोस्मात सुकरो द्वारा निष्पादित किया गया था जिसके द्वारा उसने खाता सं० 13 की भूमि जगेश्वर साव एवं गणेश साव को बेचा था। विचारण न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर चर्चा किया है और सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया है कि मौखिक साक्ष्य की कोई मात्रा अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजी साक्ष्य पर भारी नहीं पड़ सकती है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय का निष्कर्ष कि वाद भूमि पर पक्षों के अभिधान की एकता एवं कब्जा है अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के अनुकूल है और इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

23. विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी किया है कि वादी अपने अभिसाक्ष्य में भूमि की चौहद्दी के बारे में कथन करने में सक्षम नहीं हुआ है और यह दर्शाता है कि वादी उक्त भूमि पर काबिज नहीं था। विद्वान अधिवक्ता का ऐसा तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह विधि का सुनिश्चित सिद्धांत है कि एक सह अंशधारी का कब्जा विधि में समस्त सहअंशधारियों अथवा सह–उत्तराधिकारियों के कब्जा के रूप में माना जाता है जबतक सह–उत्तराधिकारी अन्य सह–अंशधारियों की जानकारी में अनन्य कब्जा एवं उपभोग के

साथ विरोधी अभिधान के खुले प्राख्यान का साक्ष्य नहीं लाते हैं। विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए निर्णय मददगार नहीं हैं। अपने लिखित कथन में प्रतिवादी का बयान कि वादी/प्रत्यर्थी ने कुछ भूमि अन्य खरीदारों को बेचा है। संयुक्त कब्जा के तथ्य को विश्वसनीय बनाता है। प्रतिवादी/अपीलार्थीगण ने अभिलेख पर व्यक्तियों अथवा खरीदारों जिनको वादी/प्रत्यर्थी द्वारा वाद भूमि का कुछ अंश बेचा गया था के किसी विक्रय विलेख अथवा दस्तावेज को नहीं लाया है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क संपोषणीय नहीं है।

24. अंत में, अपीलार्थियों द्वारा यह तर्क किया गया है कि वादी ने अभिवचन नहीं किया है कि किस प्रकार जगेश्वर साव एवं गणेश साव ने वाद संपत्ति खरीदा था, इस प्रकार, विक्रय विलेख के संबंध में साक्ष्य ग्राह्य नहीं था और विचारण न्यायालय ने उक्त साक्ष्य ग्रहण करके विधि में गलती किया है। विद्वान अधिवक्ता के ऐसे तर्क का उत्तर पहले ही पूर्वोक्त पैराग्राफों में दिया जा चुका है। दोहराने के कीमत पर, यह पुनः इंगित किया जाना है कि वादी के अभिवचन किया था कि वाद संपत्ति जगेश्वर साव एवं गणेश साव की रैयती संपत्ति थी। मूल प्रतिवादी सं॰ 1 आनन्द साव ने अपने लिखित कथन में वादी की संपत्ति में बँटवारा एवं सहदायिकी का दावा स्वीकार किया। प्रतिस्थापित प्रतिवादियों ने पहली बार अपने अतिरिक्त लिखित बयान में विरोधाभासी दृष्टिकोण लिया है कि मोस्मात सुकरो संपूर्ण स्वामिनी थी आपैर उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति उसकी एकमात्र पुत्री नागमनि देवी पर न्यागत हुई जिसका विवाह जगेश्वर साव के साथ हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद, उसके एक मात्र पुत्र आनन्द साव ने अपनी माता की संपूर्ण संपत्ति विरासत में पाया। आनन्द साव की मृत्यु पर, प्रतिस्थापित प्रतिवादियों ने स्वयं का वाद संपत्ति का संपूर्ण स्वामी होने का दावा किया। यह कहना अनावश्यक है कि प्रतिस्थापित प्रतिवादियों को ऐसा विरोधाभासी दृष्टिकोण लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने पिता अर्थात् आनन्द साव के माध्यम से अपने अधिकार, अभिधान एवं हित का दावा किया जिसने ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया था।

जैसी चर्चा और प्रतिवाद किया गया है, केवल प्रतिवादी के ऐसे विरोधाभासी बयान का विरोध करने के लिए वादी ने अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयान का खंडन करने एवं विरोध करने के लिए अभिलेख पर विक्रय विलेख लाया था जिसके लिए कोई अभिवचन आवश्यक नहीं था क्योंकि पक्षगण एक-दूसरे के मामले से सुअवगत थे।

राम सरुप गुप्ता बनाम बिशुन नारायण इंटर कॉलेज, (1987)2 SCC 555, में पैरा 6 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:-

> *^^------tc dHkh Hkh vfHkopu dh deh d ckj e ç'u fd;k tkrk g] tkp T;knk vfHkopuk d :ik d ckj e ugh gkuk pkfg,(bld ctk; U;k;ky; dk irk yxkuk gkxk fd D;k i{kx.k lkj e ekeyk ,o fook|d ftu ij o fopkj.k d fy, x,] tkur FkA tc ,d ckj ;g ik;k tkrk g fd vfHkopuk e deh d ckotn i{kx.k ekeyk tkur Fk vkj o mu fook|dk ij lk{; ndj fopkj.k d fy, vxlj g,] ml fLFkfr e fdlh i{k dk vihy e vfHkopu dh vuifLFkfr dk ç'u mBku dh NV ugh gkxhA Hkxorh çlkn cuke pneky e bl U;k;ky; dh loèkkfud U;k;ihB u bl ç'u ij fopkj djr g, lçf{kr fd;k%&*
>
> *^^;fn dkb vfHkopu fofufn"Vr% ugh fd;k x;k g vkj fQj Hkh ;g foo{kk }kjk fook|d }kjk vkPNkfnr g vkj i{kx.k tkur Fk fd mDr vfHkopu fopkj.k e vrxLr Fkk] rc ;g rF; ek= fd vfHkopuk e vfHk0;Dr :i l vfHkopu ugh fd;k x;k Fkk] fdlh i{k dk bl ij fo'okl dju l vko';dr% xj gdnkj ugh cuk,xk ;fn bl lrk"k tud :i l lk{; }kjk fl) fd;k x;k gA fu%lng lkekU; fu;e ;g g fd vurk"k i{kk }kjk fd, x, vfHkopuk ij vkèkkfjr fd;k tkuk*

*pkfg,A fdr tgk okn d nkuk i{kk u vfHkèkku l lcfèkr lkjoku ekeyk dk fook|d e] ;|fi vçR;{krr% ;k vLi"V :i l Hkh] Nvk tkrk g vkj mud ckj e lk{; fn;k x;k g] rc ;g rd fd vfHkopuk e vfHk0;Dr :i l ekeyk fo'k"k ugh fy;k x;k Fkk] 'k) r% vkipkfjd ,o rduhdh gkxk vkj çR;d ekey e lQy ugh gk ldrk gA ,lh vkifUk ij fopkj dju e U;k;ky; dk ftl ij fopkj djuk g og ;g fd D;k i{kx.k tkur Fk fd ç'uxr ekeyk fopkj.k e vrxLr Fkk vkj D;k mUgku bld ckj e lk{; fn;k Fkk\ ;|fi ;g çrhr gkrk g fd i{kx.k ugh tkur Fk fd fopkj.k e ekeyk fook|d e vkj mue l ,d d ikl bl lcèk e lk{; nu dk volj ugh Fkk] og fu%lng fHkUu ekeyk gkxkA ,d i{k dk ekey ij fo'okl dju dh vuefr nuk ftld lcèk e nlj i{k u lk{; ugh fn;k Fkk vkj mld ikl lk{; nu dk volj Hkh ugh Fkk] iokxg d fopkjk dk ij%LFkkfir djxk vkj ,d i{k d lkFk U;k; djr g, ,d nlj i{k d lkFk U;k;ky; vU;k; ugh dj ldrk gA***

25. अत:, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आलोक में यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि वाद संपत्ति उनकी अनन्य संपत्ति थी। दूसरी ओर, अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य वादी का मामला स्थापित करता है कि वाद भूमि पर अभिधान की एकता एवं कब्जा था। ऊपर की गयी चर्चा एवं न्यायिक उद्घोषणाओं की दृष्टि में, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में अवैधता, दुर्बलता नहीं है और इसे तद्नुसार अभिपुष्ट एवं डिक्री किया जाता है।

26. परिणामस्वरुप, अपील एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

मैनक रॉय एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Revision No. 99 of 2015. Decided on 11th September, 2015.

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005—धाराएँ 12 एवं 18—घरेलू हिंसा–परिवाद मामला–संरक्षण अधिकारी की घरेलू घटना रिपोर्ट को विचार में लेने पर जोर धारा 12 के अधीन जाँच के आरंभ के चरण पर लागू नहीं होगा–परिवाद याचिका दाखिल किए जाने के बाद अवर न्यायालय ने याचियों को जाँच में भाग लेने के लिए नोटिस जारी किया–धारा 18 के अधीन कोई आदेश केवल अपने साक्ष्य को अभिलेख पर लाने के लिए दोनों पक्षों को अवसर प्रदान करने के बाद पारित किया जा सकता है–आक्षेपित आदेश अभिपुष्ट किया गया। (पैराएँ 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.–2011 (1) East Cr. C. (Jhr) 22—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s M.K Laik, Nishit Kumar Sahani, For the Petitioners; Mr. Amaresh Kumar, For the State; M/s Kr. Sourav Chatterjee, Rupesh Singh, Amrendra Pradhan, For the O.P. No. 2.

आदेश

इस पुनरीक्षण आवेदन में चुनौती दांडिक अपील सं॰ 134 वर्ष 2014 में अपर सत्र न्यायाधीश VI, फास्ट ट्रैक कोर्ट, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 20.12.2014 के आदेश को है जिसके द्वारा एवं जिसके

अधीन घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम, 2005 (संक्षेप में 'डी॰ वी॰ अधिनियम, 2005') की धारा 12 के अधीन वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा दाखिल परिवाद मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए सी॰ पी॰ केस सं॰ 1059 वर्ष 2011 में सब डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद का दिनांक 3.9.2014 का आदेश अभिपुष्ट किया गया है।

2. इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या डी॰ वी॰ अधिनियम की धारा 12 के अधीन जाँच आरंभ करने के पहले संरक्षण अधिकारी की घरेलू घटना रिपोर्ट की गैर प्रस्तुती एवं गैर विचार संपूर्ण कार्यवाही दूषित कर देता है?

3. उक्त विवाद्यक के समुचित न्याय निर्णयन के लिए आवश्यक मामले के प्रासंगिक तथ्य संक्षेप में ये हैं कि परिवादी सुप्रिया रॉय द्वारा वर्तमान याचीगण के विरुद्ध डी॰ वी॰ अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अधीन आवेदन इस अभिकथन पर दाखिल किया गया था कि उसका विवाह दिनांक 27.1.2008 को धनबाद में वर्तमान याची सं॰ 1 मैनक रॉय के साथ संपन्न किया गया था और विवाह की रात्रि में ही उसके सास-ससुर, देवर ने उसके एवं उसके माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार किया। उसकी विदाई के समय पर भी उनके द्वारा उसका अपमान किया गया था। यह भी अभिकथित किया गया है कि विदाई के बाद वह अपने दांपत्य गृह आयी किंतु विवाह के 5-6 दिन बाद उसे मारुति कार की मांग के लिए यातना दी गयी थी और उस पर प्रहार भी किया गया था जिसमें उसे उपहतियाँ आयी थी और किसी प्रकार वह वहाँ से बच निकली और अपने माएके में शरण लिया। जिसके बाद वर्तमान याचीगण के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A सहपठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन मामला दाखिल किया गया था और बाद में परिवादी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (इसमें इसके बाद 'संहिता' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 125 के अधीन भरण-पोषण के प्रदान के लिए याचिका भी दाखिल किया गया था। परिवादी ने अपने परिवाद याचिका में निवास अधिकार एवं धनीय अनुतोष सहित अनेक अनुतोषों का दावा किया।

4. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि नोटिस तथा तामीला के बाद याचीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए दो आधारों पर परिवाद मामला खारिज करने की प्रार्थना के साथ आवेदन दाखिल किया: (i) धनबाद के न्यायालय को अभिकथित परिवाद ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है क्योंकि 'घरेलू हिंसा' आसनसोल में की गयी थी और न कि धनबाद न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत; और (ii) कार्यवाही अथवा जाँच आरंभ करने के पहले आसनसोल जहाँ अभिकथित घरेलू हिंसा की गयी थी के संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट पर डी॰ वी॰ अधिनियम, 2005 की धारा 12 के परन्तुक के निबंधनानुसार विचार किया जाना आज्ञापक था किंतु चूँकि इसका अनुसरण नहीं किया गया है, कार्यवाही जारी रखना विधि में दोषपूर्ण है और परिवाद याचिका पोषणीय नहीं है। अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि संरक्षण अधिकारी, धनबाद से, किंतु संरक्षण अधिकारी, आसनसोल से नहीं, न्यायालय द्वारा रिपोर्ट मंगाया गया था। अवर न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद परिवाद मामले की गैर-पोषणीयता पर याचीगण की आपत्ति को अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, याचीगण ने सत्र न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल किया। दिनांक 20 दिसंबर, 2014 के आक्षेपित आदेश द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, धनबाद ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट की मांग करने वाली धारा 12 के परन्तुक में दी गयी आज्ञा अंतिम आदेशों से संबंधित है और न कि उक्त अधिनियम के अधीन जाँच/कार्यवाही के आरंभ के चरण पर। अत:, यह पुनरीक्षण दाखिल किया गया है।

5. विद्वान वरीय अधिवक्ता डॉ॰ एम॰ के॰ लायक ने सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी (संक्षेप में 'एस॰ डी॰ जे॰ एम॰') के आक्षेपित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय के आदेश का अनुचित एवं विधि में दोषपूर्ण के रूप में विरोध करते हुए गंभीरतापूर्वक प्रतिवाद किया कि एस॰ डी॰ जे॰ एम॰ के न्यायालय,

धनबाद ने धारा 12 के परन्तुक में अनुध्यात आज्ञा का अनुसरण किए बिना डी॰ वी॰ अधिनियम के अधीन कार्यवाही आरंभ किया और जाँच का सामना करने के लिए याचीगण को समन जारी किया। विद्वान वरीय अधिवक्ता के अनुसार संरक्षण अधिकारी से घरेलू घटना रिपोर्ट को विचार में लिए बिना परिवाद याचिका में किए गए अभिकथन पर विश्वास करते हुए संज्ञान लेने वाला आदेश विधि में संपोषणीय नहीं है। यह निवेदन भी किया गया था कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 परिवादी ने पहले ही भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन भी पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद के कारण मामला दाखिल किया है और संहिता की धारा 125 के अधीन भरण–पोषण का दावा करते हुए भी याचिका दाखिल किया है। इस दशा में, ऐसी परिस्थिति में, याचीगण के विरुद्ध कार्यवाही जारी रखना विधि में दोषपूर्ण है।

6. उक्त निवेदनों का खंडन करते हुए विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चटर्जी एवं राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि एस॰ डी॰ जे॰ एम॰, धनबाद के समक्ष परिवाद की खारिजी एवं गैर पोषणीयता के लिए आवेदन समय पूर्व था और धारा 12 के परन्तुक के अधीन दी गयी आज्ञा अधिनियम की धारा 18 के अधीन पारित अंतिम आदेश से संबंधित है और डी॰ वी॰ अधिनियम में अनुध्यात कार्यवाही अथवा जाँच आरंभ करने के लिए रिपोर्ट आवश्यक नहीं था।

7. मेरे विद्वान अधिवक्ताओं के परस्पर विरोधी प्रतिवादों पर विचार करने के पहले इस मामले में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक के समुचित न्यायनिर्णय के लिए डी॰ वी॰ अधिनियम की धारा 12 को निर्दिष्ट करना आवश्यक है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

"12. **eftLVV dk vkonu-**&(1) dkb 0;fFkr 0;fDr ;k lj{k.k vfèkdkjh ;k 0;fFkr dh vkj l dkb vU; 0;fDr] bl vfèkfu;e d vèkhu ,d ;k vfèkd vurk"k çkIr dju d fy, eftLVV dk vkonu çLrr dj ldxk %

ijUr eftLVV] ,l vkonu ij dkb vkn'k ikfjr dju l igy] lj{k.k vfèkdkjh ;k lok çnkrk l mld }kjk çkIr] fdlh ?kjy fglk dh fjikV ij fopkj djxkA

(2) mièkkjk (1) d vèkhu bfIlr fdlh vurk"k e og vurk"k Hkh lfEefyr gk ldxk ftld fy, fdlh çR;Fkh }kjk dh xb ?kjy fglk d dk;k }kjk dkfjr dh xb {kfr ;k d fy, çfrdj ;k udlku d fy, okn lfLFkr dju d ,l 0;fDr d vfèkdkj ij çfrdy çHkko Mky fcuk] fdlh çfrdj ;k udlku d lnk; d fy, dkb vkn'k tkjh fd;k tkrk g(

ijUr tgk fdlh U;k;ky; }kjk] çfrdj ;k udlkuh d :i e fdlh jde d fy,] 0;fFkr 0;fDr d i{k e dkb fMØh ikfjr dh xb g ;fn bl vfèkfu;e d vèkhu] eftLVV }kjk fd, x, fdlh vkn'k d vulj.k e dkb jde lnÙk dh xb g ;k lnÙk; g rk ,lh fMØh d vèkhu lnÙk; jde d fo#) etjk gkxh vkj flfoy çfØ;k lfgrk] 1908 (1908 dk 5) e ;k rRle; çoÙk fdlh vU; fofèk e fdlh ckr d gkr g, Hkh] og fMØh] bl çdkj etjk fd, tku d i'pkr vfr'k"k jde d fy,] ;fn dkb gk] fu"ikfnr dh tk,xhA

(3) mièkkjk (1) d vèkhu çR;d vkonu] ,l ç:i e vkj ,lh fof'kf"V;k tk fofgr dh tk, ;k ;FkklEHko mld fudVre :i e vUrfo"V gkxkA

(4) eftLVV] luokb dh igyh rkjh[k fu;r djxk tk U;k;ky; }kjk vkonu dh çkfIr dh rkjh[k l lkekU;r% rhu fnu l vfèkd ugh gkxhA

*(5) eftLVV mièkkjk (1) d vèkhu fn, x, çR;d vkonu dk] çFke luokb dh rkjh[k ls lkB fnu dh vofèk d Hkhrj fuiVkjk dju dk ç;kl djxkA***

8. पूर्वोक्त प्रावधान के कोरे परिशीलन से, यह प्रतीत होगा कि परिवाद याचिका पर कोई आदेश पारित करने के पहले दंडाधिकारी संरक्षण अधिकारी से अपने द्वारा प्राप्त की गयी घरेलू घटना रिपोर्ट को विचार में लेगा। प्रकटत:, उक्त धारा 12 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (1) का परन्तुक अनुध्यात करता है कि जाँच आरंभ करने के पहले अथवा अभियुक्तों को समन जारी करने के पहले संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट आवश्यक है। शब्द ''ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने के पहले'' अंतिम आदेशों से संबंधित हैं जिन्हें दंडाधिकारी अधिनियम की धारा 18 के अधीन पारित कर सकता है।

9. धारा 12 की उपधारा (1) के परन्तुक में प्रयुक्त शब्द 'कोई आदेश' के संबंध में विधान मंडल का आशय उक्त अधिनियम की धारा 18 से स्पष्ट होगा और उसका अधिमूल्यन करने के लिए धारा 18 निर्दिष्ट करना आवश्यक है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

18. eftLVV] 0;fFkr 0;fDr vkj çR;Fkh dk luokb dk ,d volj fn, tku d i'pkr vkj mldk çFke n"V;k lekèkku gku ij fd ?kjy fglk gb g ;k gku okyh g] 0;fFkr 0;fDr d i{k e rFkk çR;Fkh dk fuEufyf[kr lçfrf"k) djr ,d lj{k.k vkn'k ikfjr dj ldxk&

(a) ?kjy fglk d fdlh dk; dk djuk(

(b) ?kjy fglk d dk;k d dkfjr dju e lgk;rk ;k n"çfjr djuk(

(c) 0;fFkr 0;fDr d fu;ktu d LFkku e ;k ;fn 0;fFkr 0;fDr ckyd g] rk mld fo|ky; e ;k fdlh vU; LFkku e tgk 0;fFkr ckj&ckj vkrk&tkrk g] ço'k djuk(

(d) 0;fFkr 0;fDr ls lEid dju d ç;Ru djuk] pkg og fdlh :i e gk] bld vUrxr o;fDrd] ekf[kd ;k fyf[kr byDVkfud ;k njHkk"kh; lEid Hkh g(

(e) fdUgh vkfLr;k dk vU; lØe.k djuk] mu cd ykdjk ;k cd [kkrk dk çpkyu djuk ftudk nkuk i{kk }kjk ç;kx ;k èkkj.k ;k mi;kx] 0;fFkr 0;fDr vkj çR;Fkh }kjk l;Drr% ;k çR;Fkh }kjk vdy fd;k tk jgk g] ftld vUrxr mldk L=hèku ;k vU; dkb lEifÙk Hkh g] tk eftLVV dh btktr d fcuk ;k rk i{kdkjk }kjk l;Dr% ;k mud }kjk iFkdr% èkkfjr dh gb g(

(f) vkfJrk] vU; ukrnkjk ;k fdlh ,l 0;fDr dk tk 0;fFkr 0;fDr dk ?kjy fglk d fo#) lgk;rk nrk g] d lkFk fglk dkfjr djuk]

(g) ,lk dkb vU; dk; tk lj{k.k vkn'k e fofufn"V fd;k x;k gA

10. इस प्रकार, यह प्रतीत होगा कि केवल अधिनियम की धारा 18 के अधीन दंडाधिकारी को व्यथित व्यक्ति तथा प्रत्यर्थी को समुचित अवसर देने के बाद प्रार्थना किए गए अनुतोष अथवा अनुतोषों को प्रदान करने वाला आदेश पारित करने की शक्ति है। अत: धारा 12 की उप धारा (1) के परन्तुक में प्रयुक्त शब्द 'आदेश' अधिनियम की धारा 18 के अधीन पारित अंतिम आदेश से संबंधित है और न कि जाँच आरंभ करने के लिए अथवा दूसरे पक्ष जिसके विरुद्ध घरेलू हिंसा का अभिकथन है के विरुद्ध नोटिस जारी करने के किसी आदेश से। **राकेश सचदेव एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य, (2011)1 East Cr. C. (Jhr.)** में समरुप विवाद्यक उठाया गया था और न्यायालय ने निवेदनों पर विचार

करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि संरक्षण अधिकारी का घरेलू घटना रिपोर्ट विचार में लिए जाने पर जोर अधिनियम की धारा 12 के अधीन जाँच के आरंभ के चरण पर लागू नहीं होगा। प्रकटतः, वर्तमान मामले में परिवाद याचिका दाखिल करने के बाद अवर न्यायालय ने वर्तमान याचीगण को जाँच में भाग लेने के लिए नोटिस जारी किया था। धारा 18 के अधीन कोई आदेश केवल दोनों पक्षों को अभिलेख पर अपना मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लाने का अवसर देने के बाद पारित किया जा सकता है। इस मामले में अंतर्ग्रस्त उक्त विवाद्यक के अतिरिक्त याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा किसी अन्य बिंदु पर तर्क नहीं किया गया था।

11. उक्त चर्चा के आलोक में, मैं आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई तर्कसंगत आधार नहीं पाता हूँ। तद्नुसार यह पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

बिजय कुमार जैन

cuke

श्रीमती द्रौपदी देवी सिंघानिया

W.P.(C) No. 1373 of 2014. Decided on 23rd September, 2015.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 6 नियम 17—वाद पत्र का संशोधन–बेदखली वाद–किराया के भुगतान में व्यतिक्रम के आधार पर प्रतिवादी की बेदखली इप्सित करने वाला बेदखली वाद में वादी को भिन्न वाद हेतुक पर वाद संपत्ति का वर्णन परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है–संशोधन ने पूरी तरह वाद की प्रकृति एवं चरित्र परिवर्तित कर दिया–आक्षेपित आदेश अपास्त। (पैरा 8)

निर्णयज विधि.–(2006) 4 SCC 385; (2008) 8 SCC 717—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Das, For the Petitioner; Mr. J.K. Pasari, For the Respondent.

आदेश

अभिधान (बेदखली) वाद सं॰ 2 वर्ष 2011 में दिनांक 6.2.2014 के आदेश जिसके द्वारा वादपत्र में संशोधन के लिए आवेदन अनुज्ञात किया गया है, से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. याची अभिधान (बेदखली) वाद सं॰ 2 वर्ष 2011 में प्रतिवादी है। वाद लगभग 22 डिसमिल मापवाले भूखंड सं॰ 467, खाता सं॰ 4 में गठित वाद अनुसूची संपत्ति से प्रतिवादी की बेदखली के लिए दाखिल किया गया था। वादी ने प्राख्यान किया कि वह 22 डिसमिल भूमि की संपूर्ण स्वामी है जिसपर प्रतिवादी ने दो बड़े कमरों, छह स्टॉफ क्वार्टरों और एक कुआँ के साथ एक बड़ा शेड निर्मित किया और इसे मासिक किराया पर प्रतिवादी को दिया गया था। पक्षों के बीच अनुज्ञप्ति करार भी निष्पादित किया गया था। वाद किराया के भुगतान में व्यतिक्रम के आधार पर और किराया के बकाया की डिक्री के लिए दाखिल किया गया था। प्रतिवादी ने मकानमालिक-किराएदार संबंध से इनकार करते हुए लिखित कथन दाखिल किया। प्रतिवादी ने अभिवचन किया कि वाद परिसर विक्रय करार के फलस्वरुप उसके कब्जा में आया जिसके लिए उसने 7,20,000/- रुपयों की प्रतिफल राशि का भुगतान किया था। लंबित वाद में, सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VI नियम 17 के अधीन दिनांक 1.3.2012 को आवेदन दाखिल किया गया था जिसे दिनांक 6.2.2014 के आक्षेपित आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया है। व्यथित होकर, याची इस न्यायालय के पास आया है।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ दास निवेदन करते हैं कि दिनांक 1.3.2012 के संशोधन आवेदन के माध्यम से वादी ने वाद संपत्ति की अनुसूची परिवर्तित करना इप्सित किया जिसकी अनुमति प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन दाखिल किए जाने के बाद नहीं दी जा सकती है। वाद अनुसूची परिसर से प्रतिवादी की बेदखली के लिए संस्थित किया गया था जो केवल 22 डिसमिल भूमि से गठित था जबकि दिनांक 1.3.2012 के संशोधन आवेदन के माध्यम से वादी ने वाद अनुसची संपत्ति का क्षेत्र 91 डिसमिल तक बढ़ा दिया था। यह प्रतिवाद किया गया है कि वाद पत्र में संशोधन का प्रभाव यह है कि स्वयं वाद की प्रकृति एवं चरित्र परिवर्तित हो गया है।

5. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री जे॰ के॰ पासरी निवेदन करते हैं कि वादी का विनिर्दिष्ट दृष्टिकोण है कि आरंभ में अनुसूची–ए॰ में गठित वाद अनुसूची संपत्ति प्रतिवादी को अनुज्ञप्ति आधार पर दी गयी थी। बाद में, प्रतिवादी किराया का भुगतान करने में विफल रहा और तद्नुसार, दिनांक 24.1.2011 को कानूनी नोटिस जारी किया गया था। प्रतिवादी ने दिनांक 24.1.2011 के कानूनी नोटिस का उत्तर दिया किंतु, वह यह प्रकट करने में विफल रहा कि वह 91 डिसमिल भूमि पर काबिज है। दिनांक 7.4.2011 को प्राथमिकी भी दर्ज की गयी थी किंतु, पहली बार प्रतिवादी ने लिखित कथन में अभिवचन किया कि वाद भूमि 90 डिसमिल भूमि से अधिक से गठित है। यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा किया गया अभिवचन कि वह 144 मासिक किस्तों में 12 वर्ष की अवधि से अधिक तक 7,20,000/- रुपयों की प्रतिफल राशि का भुगतान करके विक्रय करार के फलस्वरुप वाद अनुसूची संपत्ति पर काबिज हुआ था, स्पष्ट तौर पर झूठा है क्योंकि प्रतिवादी द्वारा विक्रय करार की तिथि प्रकट नहीं की गयी है। **उषा देवी बनाम रिजवान अहमद एवं अन्य, (2008)8 SCC 717,** में दिए गए निर्णय पर विश्वास करते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि संशोधन द्वारा वाद अनुसूची के वर्णन में परिवर्तन की अनुमति भी दी जा सकती है। **राजेश कुमार अगरवाल एवं अन्य बनाम के॰ के॰ मोदी एवं अन्य, (2006)4 SCC 385,** में निर्णय को प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करने के लिए निर्दिष्ट करते है कि विवादित वास्तविक प्रश्न को विनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है और उसके लिए समस्त आवश्यक संशोधनों को अनुज्ञात किया जाना होगा।

6. मैंने पक्षों के अधिवक्ता के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

7. यह विवादित नहीं है कि वादी ने पी॰ एस॰ गोविन्दपुर, धनबाद के अंतर्गत मौजा कंगालू मौजा सं॰ 128 अवस्थित खाता सं॰ 4 के अंतर्गत भूखंड सं॰ 467 में 22 डिसमिल से गठित मापवाली भूमि का संपूर्ण स्वामिनी होने का दावा किया। वाद अनुसूची संपत्ति वाद पत्र की अनुसूची–ए॰ में वर्णित की गयी है। वाद किराया के भुगतान में व्यतिक्रम के आधार पर संस्थित किया गया था। वादी ने अनुसूची–ए॰ संपत्ति से प्रतिवादी की बेदखली करके खास कब्जा की वापसी के लिए डिक्री और वाद पत्र की अनुसूची–सी॰ में वर्णित अनुज्ञप्ति फीस के बकाया 55,000/- रुपयों की डिक्री इप्सित किया। प्रतिवादी ने वाद अनुसूची संपत्ति के वर्णन को विवादित किया और अभिवचन किया कि वह विक्रय करार के फलस्वरुप वाद भूमि पर काबिज हुआ जिसके लिए उसने 7,20,000/- रुपयों का भुगतान किया था। अनुज्ञप्ति करार, कानूनी नोटिस एवं कानूनी नोटिस का उत्तर अभिलेख पर लाया गया है। प्रतिवादी ने मकानमालिक–किराएदार संबंध से इनकार किया। इस प्रकार, अभिलेख पर लायी गयी अनुसूची ए॰ संपत्ति से प्रतिवादी की बेदखली के लिए वाद संस्थित किया गया था। दिनांक 1.3.2012 के संशोधन आवेदन में वादी ने प्रकथन किया कि लिखित कथन दाखिल किए जाने के बाद पहली बार उसे जानकारी हुई कि प्रतिवादी ने वादी द्वारा वर्ष

1970 में खड़ा किए गए बाड़ को हटाकर संपूर्ण 91 डिसमिल भूमि को अवैध रूप से हड़प लिया था। वादी द्वारा आगे यह प्रकथन किया गया है कि लिखित कथन दाखिल किए जाने के समय पर वह अपने पुत्र के साथ कर्नाटक में थी और वापस आने के बाद उसने तथ्यों को सत्यापित किया और तत्पश्चात, उसने निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित करने की अनुमति इप्सित करते हुए संशोधन आवेदन दाखिल किया:

(A) u;k ijk tkMu d fy,

12 (A) fd okn d lLFkkiu d ckn çfroknh u cj bjkn l oknh }kjk o"k 1970 e Hkfe d vU; v'k d lkFk bl iFkd dju d fy, yxk, x, NMk d lkFk ykg d rkj dh ckM dk ijh rjg gVk fn;k g vkj rn}kjk 69 fM lfey eki oky 'k"k Hkfe Hkh okn Hkfe e feyk nh x;h g tk vc okn Hkfe e dy 91 fM lfey vrxLr djrk gA

(B) i"B 6–vulph&,0 dk rhljh ifDr l vkx li.kr% foykfir djd fuEufyf[kr :i l l'kkfèkr fd;k tk,xk%

dy 91 fM lfey eki oky (22 fM lfey d LFkku ij) vkj Hk[kM l0 466, 467, 468, 469 ,o 470 [kkrk l0 4 d vrxr] dh pkgh fuEufyf[kr gkxh%&

mÙkj&ger vxjoky dk dky fMik(

nf{k.k&cuokjh yky vxjoky dh Hkfe(

io&ou Hkfe ,o lMd ,o Jh nèkkuh dh Hkfe(

if'pe&uhjt flg dh HkfeA

8. सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VI नियम 17 के अधीन आवेदन में प्रकथन किए गए तथ्यों से यह प्रकट है कि वादी ने अभिवचन किया है कि बेदखली वाद लंबित रहने के दौरान उसे अनुसूची-ए॰ संपत्ति से संबंधित भूमि के एक अन्य टुकड़े से अवैध रूप से बेदखल किया गया था और प्रतिवादी इस पर काबिज हुआ। दिनांक 1.3.2012 के आवेदन में वादी द्वारा प्राख्यान एक पृथक वाद हेतुक गठित करता है जिसके लिए वादी को अपने अवैध बेदखली के अभिकथन पर पृथक वाद दाखिल करने की आवश्यकता थी। किराया के भुगतान में व्यतिक्रम के आधार पर प्रतिवादी की बेदखली इप्सित करने वाले बेदखली वाद में वादी को भिन्न वाद हेतुक पर वाद संपत्ति का वर्णन परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। संशोधन ने वाद की प्रकृति एवं चरित्र पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है। **उषा देवी बनाम रिजवान अहमद एवं अन्य (ऊपर)** में प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन में विनिर्दिष्ट अभिवचन किया गया था कि भूमि के वर्णन में अंतर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह संप्रेक्षित करते हुए कि वाद संपत्ति के संबंध में रेंट नोट और वादपत्र में प्रकथन में अंतर था और प्रतिवादी ने स्वयं आपत्ति किया कि वादी ने संपत्ति का वर्णन सही नहीं किया है, जो वाद में विवाद का वास्तविक प्रश्न था। वर्तमान मामले में, विवाद केवल 22 डिसमिल भूमि के संबंध में है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि एक संपूर्णत: नए वाद हेतुक पर आधारित नए अभिवचन को संशोधन आवेदन के माध्यम से सम्मिलित किया जाना इप्सित किया गया है, सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VI नियम 17 के अधीन संशोधन आवेदन अनुज्ञात नहीं किया जा सकता था। दिनांक 6.2.2014 का आक्षेपित आदेश विधि की गंभीर गलती से पीड़ित है और तद्नुसार इसे अपास्त किया जाता है।

9. रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

पूरनमल अग्रवाल एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. Nos. 804 of 2012 with I.A. No. 4928 of 2015. Decided on 15th September, 2015.

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881—धाराएँ 138 एवं 141—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—चेक का अनादर–कंपनी द्वारा अपराध–परिवाद याचिका में आवश्यक प्रकथनों की अनुपस्थिति में, याचीगण केवल कंपनी का निदेशक होने के नाते धारा 138 के अधीन अपराध के लिए प्रतिनिधिक रूप से दायी नहीं बनाया जा सकता है–याचियों को मामले में अभियुक्तों के रूप में जोड़ा नहीं जा सकता था और न ही अवर न्यायालय को परिवाद याचिका में बयानों के आधार पर याचियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध निर्मित नहीं करना चाहिए था–याचियों के प्रति दांडिक कार्यवाही अभिखंडित। (पैराएँ 10 से 13)

निर्णयज विधि.–(2010) 3 SCC 330—Applied.

अधिवक्तागण.–M/s Kaustav Panda, Nagmani Tiwari, Ranjan Kumar, For the Petitioners; M/s K.K. Singh, For the State; M/s Arun Kumar Pandey, For the O.P. No.2.

आदेश

एच॰ सी॰ मिश्रा, न्यायमूर्ति.–याचियों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याचियों ने सी॰/1 केस सं॰ 660 वर्ष 2011 में श्रीमती के॰ एम॰ प्रसाद, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 18.4.2011 के आदेश के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है जिसके द्वारा अवर न्यायालय ने याचियों के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम (इसमें इसके बाद ''अधिनियम'' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 138 के अधीन, प्रथम दृष्टया अपराध पाया है और उनके विरुद्ध समन जारी करने का निर्देश दिया है। याचियों ने उक्त परिवाद मामले में अपने विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए भी प्रार्थना किया है।

3. परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 ने विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर के न्यायालय में परिवाद मामला दाखिल किया, जिसमें यह कथन किया गया है कि परिवादी मेसर्स एस॰ पी॰ मिनरल्स का भागीदार है जो सरायकेला-खरसाँवा जिला में मेसर्स बिहार स्पंज आयरन लि॰, चांडिल को लौह अयस्क की आपूर्ति करता था। उक्त बिहार स्पंज आयरन लि॰ लौह अयस्क का स्पंज, फाइन्स एवं डस्ट बनाने के बाद जमशेदपुर में अपना कार्यालय रखने वाले मेसर्स सती आयरन एण्ड स्टील प्रा॰ लि॰, गम्हरिया को इसकी आपूर्ति करता था। परिवाद याचिका में यह अभिकथित किया गया है कि परिवादी के फर्म एवं मेसर्स सती आयरन एण्ड स्टील प्रा॰ लि॰ जमशेदपुर के बीच करार था जिसके अनुसार मेसर्स सती आयरन एण्ड स्टील प्रा॰ लि॰ अपने खरीदे गए स्पंज, आयरन फाइन्स एवं डस्ट, आदि का भुगतान प्रत्यक्षतः परिवादी के फर्म को करता था और पक्षों के बीच व्यवसाय सुगम रूप से चल रहा था। यह अभिकथित करते हुए कि अचानक वर्ष 2009 के अंतिम भाग से अभियुक्तों ने उनके द्वारा बिहार स्पंज आयरन लि॰, चांडिल को आपूर्ति किए गए लौह अयस्क के लिए परिवादी को भुगतान करना बंद कर दिया था। यह अभिकथित किया गया है कि अंततः अभियुक्तों ने 10,00,000/- रुपयों प्रत्येक का पश्चात दिनांकित नौ एकाउंट पेयी चेकों को जारी किया था किंतु अभियुक्तों द्वारा बारम्बार अनुरोध किए जाने के कारण उनके द्वारा किए

जाने वाले भुगतान के अभिवचन पर चेकों को बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस तथ्य की दृष्टि में कि अंतत: कोई भुगतान नहीं किया गया था, चेकों को बैंक में जमा किया गया था, किंतु उस समय तक तीन चेकों की अवधि का पहले ही अवसान हो चुका था। सभी नौ चेकों को वापस लौटा दिया गया था, जिसमें से तीन चेकों का समय के अवसान के कारण अनादर किया गया था और शेष छह चेकों का व्यवस्था के परे जाने वाले के रूप में अनादर किया गया था, और परिवादी को बैंक द्वारा इसके बारे में दिनांक 1.2.2011 को सूचित किया गया था। तत्पश्चात, छह चेकों जिन्हें देय अवधि के भीतर बैंक में प्रस्तुत किया गया था में से 60,00,000/- रुपयों के भुगतान के लिए दिनांक 9.2.2011 को अभियुक्तों को कानूनी नोटिस दिया गया था किंतु जब भुगतान नहीं किया गया था, दिनांक 3.3.2011 को परिवाद मामला दाखिल किया गया था।

4. परिवाद याचिका में मेसर्स सती आयरन एण्ड स्टील प्रा॰ लि॰, जमशेदपुर को अभियुक्त सं॰ 1 बनाया गया है और यह कथन करते हुए कि याचीगण उक्त कंपनी के निदेशक हैं और वे अपने प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन उक्त कंपनी चला रहे हैं और कंपनी के दैनिक क्रिया-कलाप के लिए प्रत्यक्षत: जिम्मेदार हैं, याचियों को भी अभियुक्तों के रूप में जोड़ा गया है। इन अभिकथनों के साथ परिवाद दाखिल किया गया था जिसे सी॰/1 केस सं॰ 660 वर्ष 2011 के रूप में दर्ज किया गया था।

5. परिवादी का बयान सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर दर्ज किया गया था और परिवाद याचिका में अभिकथनों तथा सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर परिवादी के बयान के आधार पर और शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल दस्तावेजों के आधार पर अवर न्यायालय ने दिनांक 18.4.2011 के आक्षेपित आदेश द्वारा समस्त याचियों के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध पाया है जो इस मामले में चुनौती के अधीन है।

6. यह कथन किया जा सकता है कि दिनांक 15.5.2012 के आदेश द्वारा परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को नोटिस जारी किया गया था और अवर न्यायालय में आगे कार्यवाही स्थगित की गयी थी। परिवादी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुआ और स्थगन आदेश रिक्त करवाने के लिए अंतर्वर्ती आवेदन आई॰ ए॰ सं॰ 4928 वर्ष 2015 भी दाखिल किया है।

7. याचियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचियों को इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है और परिवाद याचिका स्वयं दर्शाएगी कि याचियों का परिवादी के फर्म के साथ कोई प्रत्यक्ष ब्यौहार नहीं था बल्कि याचीगण मेसर्स बिहार स्पंज आयरन लि॰, चांडिल से स्पंज आयरन, लौह अयस्क के फाइन्स एवं डस्ट की आपूर्ति पा रहे थे। यह निवेदन भी किया गया था कि केवल यह कथन करके कि याचीगण कंपनी के दैनिक क्रियाकलाप के जिम्मेदार हैं, याचियों को कंपनी का निदेशक होने के नाते अभियुक्त बनाया गया है, किंतु, कहीं पर भी यह अभिकथित नहीं किया गया है कि याचियों में से किसी के द्वारा प्रश्नगत चेकों को जारी किया गया था। याचियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अनेक निर्णय हैं और अब यह विधि का सुनिश्चित सिद्धांत है कि मात्र इस अभिकथन पर कि कोई व्यक्ति कंपनी का निदेशक है और कंपनी के दैनिक क्रियाकलाप का प्रभारी है अथवा कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार है, उसे परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 के अधीन प्रतिनिधिक रूप से दायी नहीं बनाया जा सकता है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि॰ बनाम हरमीत सिंह पेंटल एवं एक अन्य, (2010)3 SCC 330** में प्रकाशित निर्णय सहित सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों पर विश्वास किया है। इस निर्णय पर विश्वास करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचीगण को मात्र कंपनी का निदेशक होने के नाते अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए प्रतिनिधिक रूप से दायी नहीं बनाया जा सकता है, भले ही याचियों के विरुद्ध

परिवाद याचिका में किए गए संपूर्ण अभिकथनों को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध पाने वाला आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में से पोषित नहीं किया जा सकता।

8. राज्य के विद्वान अधिवक्ता एवं परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन करते हुए प्रार्थना का विरोध किया है कि परिवाद याचिका में किए गए अभिकथनों की दृष्टि में कंपनी का निदेशक होने के नाते याचीगण के विरुद्ध प्रत्यक्षत: अपराध बनता है क्योंकि परिवाद याचिका में कथन किया है कि उक्त कंपनी इन याचीगण के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन चलायी जा रही है और वे कंपनी के दैनिक क्रियाकलाप के लिए जिम्मेदार हैं। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचीगण के विरुद्ध अभिकथनों की दृष्टि में इस चरण पर याचीगण के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

9. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि केवल यह कथन करके कि याचीगण अभियुक्त कंपनी के निदेशक हैं और वे अपने प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन कंपनी चला रहे हैं और वे उक्त कंपनी के दैनिक क्रियाकलाप के लिए भी प्रत्यक्षत: जिम्मेदार हैं, इन याचियों को मामले में अभियुक्त बनाया गया है। संपूर्ण परिवाद याचिका में यह कथन नहीं किया गया है कि प्रश्नगत चेकों में से किसी को इनमें से किसी याची द्वारा हस्ताक्षरित एवं जारी किया गया था। परिवाद याचिका के अनुसार, इन याचियों में से कोई भी प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक या निदेशक नहीं हैं जिन्होंने प्रश्नगत चेक जारी किया था। परिवाद याचिका से यह प्रकट है कि याचीगण को स्वयं कंपनी के साथ अभियुक्त बनाया गया है और तद्नुसार, याचीगण निदेशक होने के नाते भी अभिकथित रूप से अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए अधिनियम की धारा 141 के अधीन प्रतिनिधिक रूप से दायी हैं। यह प्रश्न कि क्या कंपनी के समस्त निदेशकों को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 के अधीन प्रतिनिधिक रूप से दायी बनाया जा सकता है, अब अनिर्णीत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रश्न पर बार-बार विचार किया गया है और **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि॰ (ऊपर)** मामले में, जिस पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विचार किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बिंदु पर अपने पूर्व निर्णयों को विचार में लिया है और निम्नलिखित विधि अधिकथित किया है:-

> *"13. èkkjk 141 çfrufèkd nkf;Ro lftr dju okyk nkfMd çkoèkku g ftldk lfuf'pr fofèk d erkfcd dBkjrkiod vFk yxkuk gkxkA vr%] ifjokn e fun'kd dh Hkfedk d ckj e dkb dFku fd, fcuk ljljh c;ku nuk i;kIr ugh g fd (vfHk;Dr d :i e vfHk;kftr) fun'kd diuh d 0;olk; d lpkyu d fy, diuh d çHkkj e g vkj diuh d fy, ftEenkj gA fdr ifjokn e ftØ gkuk pkfg, fd fdl çdkj ,o fdl rjhd l çR;Fkh l0 1 viu 0;olk; d lpkyu d fy, vfHk;Dr diuh d çHkkj e Fkk vFkok bld çfr ftEenkj FkkA ;g nkfMd lfofèk;k dh dBkj 0;k[;k d vudy g] fo'k"kr% tgk ,lh lfofèk çfrufèkd nkf;Ro lftr djrh gA*
>
> *14. fdlh diuh d vud fun'kd gk ldr g vkj ek= bl c;ku d vkèkkj ij fdlh vkj pht d fcuk fd o diuh d 0;olk; d lpkyu d çHkkj e g vkj bld fy, ftEenkj g] ifjokn e leLr fun'kdk vFkok fdlh ,d dk vfHk;Dr cukuk èkkjk 141 d vèkhu vko';drkvk dk i;kIr :i l ifji.k ugh djrk gA*

15. vud fu.k;k e bl U;k;ky; u vfHkfuèkkfjr fd;k g fd vfèkfu;e dh èkkjk 141 d vèkhu diuh }kjk fd, x, vijkèk d fy, fun'kdk dk nk;h cuku d fy, ;g n'kkr g, fd fdl çdkj ,o fdl rjhd l fun'kdx.k diuh d 0;olk; d lpkyu d fy, ftEenkj Fk] fun'kdk d fo#) fofufn"V çdFku gkuk gkxkA

xxx xxx xxx xxx

39. mDr ppk l fuEufyf[kr fl)kr lkeu vkr gh

(i) tlk fofèk d vèkhu vko';d g] ifjokn e fofufn"V idFku dju dk ikFkfed mÙkjnkf;Ro ifjoknh ij g rkfd vfHk;Dr dk çfrfufèkd :i l nk;h cuk;k tk ldA nkfMd nkf;Ro Mkyu d fy, ,lh dkbZ mièkkj.kk ugh g fd çR;d fun'kd l0;ogkj d ckj e tkurk gA

(ii) èkkjk 141 leLr fun'kdk dk vijkèk dk nk;h ugh cukrh gA nkfMd nkf;Ro doy mu ij Mkyk tk ldrk g tk vijkèk dh dkfjrk d le; ij diuh d 0;olk; d lpkyu d çHkkj e Fk vkj bld fy, ftEenkj FkA

(iii) diuh vfèkfu;e] 1956 d vèkhu jftLVM vFkok fuxfer diuh d fo#) nkfMd nkf;Ro doy rc fu"df"kr fd;k tk ldrk g ;fn vè;if{kr dFku fd;k tkrk g] ftudk çdFku ifjokn@;kfpdk e dju dh vi{kk dh tkrh g] ;kfpdk e ;g vrfo"V dju oky çdFkuk d lkFk fd vfHk;Drx.k diuh d 0;olk; d fy, ftEenkj Fk ,o bld çHkkj e Fk vkj viuh gfl;r l o vfHk;kftr fd, tku d nk;h g] rkfd mld vfHk;Drk dk diuh }kjk fd, x, vijkèk d fy, çfrfufèkd :i l nk;h cuk;k tk ldA

(iv) 0;fDr dh vkj l çfrfufèkd nkf;Ro dk vfHkopu djuk gkxk ,o bl fl) djuk gkxk vkj u fd fu"df"kr ek=A

(v) ;fn vfHk;Dr çcèk fun'kd vFkok l;Dr çcèk fun'kd g] ifjokn e fofufn"V çdFku dju dh vko';drk ugh g vkj mud gfl;r d QyLo#i o vfHk;kftr fd, tku d nk;h gA

(vi) ;fn vfHk;Dr diuh dk fun'kd vFkok vfèkdkjh g ftlu diuh dh vkj l pd gLrk{kfjr fd;k] rc Hkh ifjokn e fofufn"V çdFku djuk vko';d ugh gA

*(vii) nk;h cuk, tku d fy, bfllr 0;fDr dk çklfxd le; ij diuh d 0;olk; d lpkyu d fy, ftEenkj ,o bld çHkkj e gkuk pkfg,A bldk rF; d :i e çdFku djuk gkxk D;kfd ,l ekeyk e fun'kd dk le>k x;k nkf;Ro ugh gA***

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि से यह प्रकट है कि कंपनी के निदेशक को अपराध के लिए प्रतिनिधिक रूप से दायी बनाने के लिए, यदि वह कंपनी का प्रबंध निदेशक अथवा संयुक्त प्रबंध निदेशक नहीं है, निदेशक द्वारा निभायी गयी भूमिका के बारे में कुछ कहे बिना परिवाद में कोरा सरसरी बयान देना पर्याप्त नहीं है कि निदेशक कंपनी के व्यवसाय के संचालन के प्रभार में है और इसके प्रति जिम्मेदार है। स्वीकृत रूप से, वर्तमान मामले में याचीगण कंपनी के प्रबंध निदेशक अथवा संयुक्त प्रबंध निदेशक नहीं हैं। प्रश्नगत चेकों को जारी करने का याचीगण के विरुद्ध अभिकथन नहीं है। परिवाद

याचिका में केवल कोरा सरसरी कथन है कि कंपनी को याचीगण के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन चलाया जा रहा है और वे कंपनी के दैनिक क्रियाकलाप के लिए प्रत्यक्षत: जिम्मेदार हैं।

11. मामले के उस दृष्टिकोण में, मेरा सुविचारित मत है कि याचीगण का मामला **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि॰ (ऊपर)** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा पूर्णत: आच्छादित है और तद्नुसार, परिवाद याचिका में आवश्यक प्रकथनों की अनुपस्थिति में उन्हें केवल कंपनी का निदेशक होने के नाते अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए प्रतिनिधिक रूप से दायी नहीं बनाया जा सकता है। परिवाद याचिका में किए गए कथनों के आधार पर याचीगण को मामले में अभियुक्त के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता था और न ही अवर न्यायालय को याचीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध पाना चाहिए था। तद्नुसार, उक्त परिवाद मामले में याचीगण के प्रति दांडिक कार्यवाही और याचीगण के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए दिनांक 18.4.2011 का आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

12. पूर्वोक्त कारण से, उक्त परिवाद मामले में केवल याचीगण के प्रति संपूर्ण दांडिक कार्यवाही और सी॰/1 केस सं॰ 660 वर्ष 2011 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर श्रीमती के॰ एम॰ प्रसाद द्वारा पारित दिनांक 18.4.2011 का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा खंडित किया जाता है।

13. तद्नुसार यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है। परिणामस्वरुप, परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा दाखिल अंतर्वर्ती आवेदन भी निपटाया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

अनिल कुमार यादव उर्फ कल्लू यादव उर्फ अनिल कुमार एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

W.P. (Cr.) No. 303 of 2015. Decided on 2nd September, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धाराएँ 73 एवं 82—गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना एवं उद्घोषणा—वैधता—संबंधित न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञाओं का अनुसरण किए बिना, अन्वेषण अधिकारी के तलब पर याची के विरुद्ध गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किया और गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन रिपोर्ट के बिना अगली तिथि पर ही धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी किया—आक्षेपित आदेश अपास्त किए गए और अवर न्यायालय को विधि के अनुरुप अग्रसर होने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 6, 9, 10 एवं 11)

निर्णयज विधि.—2008 (1) JLJR 82 (SC); 2011 (4) JLJR 385 (SC)—Relied.

अधिवक्तागण.—M/s Rajesh Kumar, Satish Kumar Keshri, For the Petitioners; Mr. Ram Nivas Roy, For the State.

आदेश

याचीगण ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का अवलंब लेकर न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 20.5.2015 एवं दिनांक 18.6.2015 के आदेशों की वैधता को चुनौती दिया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भा॰ दं॰ सं॰ की

धाराओं 341/323/325/307/387/34 के अधीन संस्थित टाटीसिल्वे पी॰ एस॰ केस सं॰ 93 वर्ष 2014 से उद्भूत होने वाले जी॰ आर॰ केस सं॰ 6730 वर्ष 2014 के संबंध में क्रमशः दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धाराओं 73 एवं 82 के अधीन याचीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट एवं उद्घोषणा जारी किया है।

2. इस रिट आवेदन में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि सूचक की प्रेरणा पर पूर्वोक्त मामला इस अभिकथन के साथ संस्थित किया गया था कि दिनांक 4.12.2014 को अपराह्न लगभग 7 बजे याचीगण ने अन्य अभियुक्तों के साथ सूचक को मिलिट्री फॉर्म के निकट आरा गेट पर बीच रास्ते में पकड़ लिया और उसका मोटरसाइकिल रोक दिया और अवैध लाभ के लिए उसकी हत्या करने के आशय से हॉकी स्टिक, चेन, रॉड एवं बाँस की लाठी से सूचक पर प्रहार किया। सूचक को उपहतियाँ आयी और उसे राहगीरों द्वारा इलाज के लिए राज अस्पताल, राँची ले जाया गया था जहाँ डॉक्टर ने सूचक की बायीं बाँह का फ्रैक्चर पाया।

3. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 6.12.2014 को न्यायालय में प्राथमिकी प्रस्तुत की गयी थी और दिनांक 20.5.2015 को याचीगण एवं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए अन्वेषण अधिकारी ने प्रार्थना किया था और प्रार्थना अनुज्ञात की गयी थी और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और अगली तिथि दिनांक 18.6.2015 को ही अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन करते हुए कि अभियुक्तगण अपनी गिरफ्तारी से बच रहे हैं, संहिता की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने के लिए पुनः अधियाचना दिया और अवर न्यायालय द्वारा इसे जारी किया गया था।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ने गंभीरतापूर्वक प्रतिवाद किया कि अवर न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए बिना यंत्रवत तरीके से गिरफ्तारी वारंट जारी किया और संहिता की धारा 82 की आज्ञा का अनुसरण किए बिना उद्घोषणा जारी किया। यह निवेदन भी किया गया था कि इस रिट आवेदन के साथ संलग्न ऑर्डरशीटों के परिशीलन मात्र पर यह प्रतीत होगा कि अवर न्यायालय द्वारा पारित दो आदेश कारण रहित हैं और **रघुवंश दीवान चंद भासिन बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य,** (2011)4 JLJR 385 (SC) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी आज्ञा के आलोक में अभिखंडित किए जाने के दायी हैं।

5. पूर्वोक्त निवेदनों के विरुद्ध, राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि केवल अन्वेषण अधिकारी द्वारा तलबों को दाखिल किए जाने के बाद गिरफ्तारी वारंट एवं संहिता की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी की गयी थी। इस दशा में, आक्षेपित आदेश में अवैधता नहीं है।

6. दोनों अधिवक्ता को सुनने के बाद और मामले के अभिलेख तथा विशेषतः रिट आवेदन के साथ संलग्न ऑर्डरशीट की प्रमाणित प्रति के परिशीलन पर मैं पाता हूँ कि संबंधित न्यायालय ने अन्वेषण अधिकारी द्वारा दाखिल तलब पर दिनांक 20.5.2015 को याची के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा का अनुसरण किए बिना गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया और गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन रिपोर्ट के बिना अगली तिथि अर्थात् दिनांक 18.6.2015 को ही अन्वेषण अधिकारी द्वारा दाखिल तलब पर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए बिना संहिता की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी किया।

7. इंदर मोहन गोस्वामी एवं एक अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य एवं अन्य, 2008 (1) JLJR 82 (SC), मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी ही स्थिति पर विचार करते हुए पैराग्राफों 50 से 55 में निम्नलिखित संप्रेक्षित किया:–

"50. xjtekurh okjUVk dk tkjh fd;k tkuk futh Lor=rk e gLr{ki vrxLr djrk gA fxj¶rkjh ,o dkjkokl dk vFk g 0;fDr d lokfèkd cgeY; vfèkdkj dk opu fd;k tkukA vr%] U;k;ky;k dk xjtekurh fxj¶rkjh okjUV tkjh dju d igy vR;Ur lkoèkku gkuk gkxkA**

51. ftl çdkj Lor= 0;fDr d fy, cgeY; g] mlh çdkj fofèk 0;oLFkk cuk, j[ku e lekt dk fgr cgeY; gA lH; lekt dh mÙkjthfork d fy, nkuk vR;Ur egRoi.k gA dHkh&dHkkj turk ,o jkT; d 0;kid fgr e dfri; vofèk d fy, 0;fDr dh Lor=rk de djuk fcydy vfuok; cu tkrk g] doy rc xj&tekurh okjUV dk tkjh fd;k tkuk pkfg,A

xj&tekurh okjUV dc tkjh fd;k tkuk pkfg,A

52. 0;fDr dk U;k;ky; yku d fy, xj&tekurh okjUV tkjh fd;k tkuk pkfg, tc leu vFkok tekurh okjUV dk bfPNr ifj.kke nu dh lHkkouk ugh gA ;g rc gk ldrk g tc(

● ;g fo'okl djuk ;fDr;Dr g fd 0;fDr LoPNkiod U;k;ky; e mifLFkr ugh gkxk(vFkok

● ifyl çkfèkdkjh ml ij leu rkehy dju d fy, 0;fDr dk iku e v{ke g(vFkok

● ;g ekuk tkrk g fd 0;fDr fdlh dk gkfu igpk,xk ;fn ml rjUr vfHkj{kk e ugh fy;k tkrk gA

53. tgk rd lHko gk] ;fn U;k;ky; dk er g fd U;k;ky; e 0;fDr dk mifLFkr djoku e leu i;kIr gkxk] leu vFkok tekurh okjUV dk çkFkfedrk nh tkuh pkfg,A rF;k d lefpr loh{k.k vkj food d i.k bLreky d fcuk vR;Ur xHkhj ifj.kkek ,o çHkkok tk okjUV tkjh dju ij gkr g d dkj.k okjUV] tekurh vFkok xj&tekurh tkjh ugh fd;k tkuk pkfg,A U;k;ky; dk vR;Ur lkoèkkuhiod ijh{k.k djuk gkxk fd D;k nkfMd ifjokn vFkok çkFkfedh çPNUu gr d lkFk nkf[ky fd;k x;k g ;k ughA

54. ifjokn ekeyk e] igyh ckj] U;k;ky; dk ifjokn dh çfr d lkFk leu rkehy dju dk fun'k nuk pkfg,A ;fn vfHk;Dr leu l cprk çrhr gkrk g] U;k;ky; dk nljh ckj e tekurh okjUV tkjh djuk pkfg,A rhljh ckj e] tc U;k;ky; i.kr% lr"V g fd vfHk;Dr vk'k;iod U;k;ky; dh dk;okgh l cp jgk g] xj&tekurh okjUV tkjh dju dh çfØ;k dk lgkjk fy;k tkuk pkfg,A futh Lor=rk lokifj g] vr% ge U;k;ky;k dk igyh ,o nljh ckj e xj&tekurh okjUV tkjh dju l ijgt dju d fy, lrd djr gA

55. 'kfDr d Lofoodh gku d ukr vR;Ur lrdrk ,o lkoèkkuh d lkFk U;k;kfpr :i l bldk ç;kx djuk gkxkA U;k;ky; dk okjUV tkjh dju d igy futh Lor=rk ,o lekt d fgr dk lefpr :i l lrfyr djuk pkfg,A okjUV tkjh dju d fy, dkb dBkj Qkeyk ugh gk ldrk g fdr lkeU; fu;e d :i e tc rd vfHk;Dr dk t?kU; vijkèk dh dkfjrk d fy, vkjkfir ugh fd;k tkrk g vkj bldk Hk; g fd ml d lk{; d lkFk NMNkM dju vFkok bl fou"V dju dh lHkkouk g vFkok ml d fofèk dh çfØ;k l cp fudyu dh lHkkouk g] xj&tekurh okjUV tkjh dju l cpuk pkfg,A**

8. प्रर्वोक्त मामले में दिये गये मार्गदर्शकों के आलोक में, बेहतर मूल्यांकन के लिए, संहिता की धारा 73 का एक संदर्भ जो वारंट निर्गत किये जाने का वर्णन करता है, आवश्यक है, जो निम्नवत् पठित है:–

"èkkjk 73. okj.V fdlh Hkh 0;fDr dk fufn"V gk ldx-&(1) e[; U;kf;d eftLVV ;k çFke ox eftLVV fdlh fudy Hkkx fl) nk"k] mn?kkf"kr vijkèkh ;k fdlh ,l 0;fDr dh tk fdlh vtekurh; vijkèk d fy, vfHk;Dr g vkj fxj¶rkjh l cp jgk g] fxj¶rkjh dju d fy, okj.V viuh LFkkuh; vfèkdkfjrk d vUnj d fdlh Hkh 0;fDr dk fufn"V dj ldrk gA

(2) ,l 0;fDr okj.V dh çkfIr dk fyf[kr :i e vfHkLohdkj djxk vkj ;fn og 0;fDr] ft ldh fxj¶rkjh d fy, okj.V tkjh fd;k x;k g] mld Hkkj lkèku d vèkhu fdlh Hkfe ;k vU; lifUk e g ;k ço'k djrk g rk og ml okj.V dk fu"iknu djxkA

*(3) tc og 0;fDr] ft ld fo:) ,lk okj.V tkjh fd;k x;k g] fxj¶rkj dj fy;k tkrk g] rc og okj.V lfgr fudVre ifyl vfèkdkjh d goky dj fn;k tk,xk] tk ;fn èkkjk 71 d vèkhu çfrHkfr ugh yh xb g rk] ml ml ekey e vfèkdkfjrk j[ku oky eftLVV d le{k fHkktok,xkA***

9. उक्त धारा के कोरे परिशीलन से, यह प्रतीत होता है कि यह व्यक्तियों की तीन कोटियों अर्थात (i) फरार दोषसिद्ध, (ii) उद्घोषित अपराधी और (iii) व्यक्ति जो गैर जमानती अपराध का अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है पर गिरफ्तारी वारन्ट जारी करने के लिए दंडाधिकारी को कर्तव्य प्रदत्त करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रघुवंश दीवानचंद भसिन बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य (ऊपर)** के मामले में गैर-जमानती वारन्ट के निष्पादन के विवाद्यक पर पैराग्राफ 9 में विचार किया जिसका पठन निम्नलिखित है:–

*"9. bl ij 'kk;n gh tkj nu dh vko';drk g pfd xj tekurh okjUV dk fu"iknu 0;fDr dh Lor=rk de djuk vrxLr djrk g] fxj¶rkjh okjUV ;kf=d :i l tkjh ugh fd;k tk ldrk g] cfYd doy ;g lrf"V nt dju d ckn fd ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e] ;g vko';d cu x;k gA U;k;ky;k dk xj&tekurh okjUV tkjh dju dk fun'k nr g, vR;Ur lrd ,o lkoèkku jguk gkxk] ugh rk nk"ki.k fujkèk Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 21 e ifjdfYir loèkkfud vkKk l budkj d rY; gkxkA lkFk gh] bl budkj ugh fd;k tk ldrk g fd 0;fDr d dY;k.k ij lekt d dY;k.k vfHkHkkoh gkxkA vr%] fofèk 0;oLFkk cuk, j[ku d fy, vkj lekt e fØ;k'khy lketL; cuk, j[ku d fy, ,d vkj 0;fDr rFkk nljh vkj jkT; d vfèkdkj] Lor=rk ,o fo'k"kkfèkdkj d chp lryu LFkkfir djuk vko';d gA okLro e] ;g ,d tfVy dk; gA tl U;k;efr dkjnk tk dgr g] ^^,d vkj lkekftd vko';drk g fd vijkèk dk neu djuk gkxkA nljh vkj] lkekftd vko';drk g fd in d vgdkj }kjk fofèk dk mYy?ku ugh fd;k tk,xkA fdlh Hkh fodYi e [krjk gA** pkg tk Hkh gk] U;k;ky; tk ;g fofuf'pr dju d Lofood l ifji.k g fd D;k vfHk;Dr dh mifLFkfr tekurh vFkok xj&tekurh okjUV }kjk lfuf'pr dh tk ldrh g] dk ,d vkj fofèk çoru dh vko';drk vkj nljh vkj fofèk çoru ,tfl;k d gkFkk fujd'krk l ukxfjdk d lj{k.k d chp lryu LFkkfir djuk gA ekey dh luokb dh frfFk ij U;k;ky; e mifLFkr gku e mldh foQyrk ij vfHk;Dr d fo:) lefpr okjUV tkjh dju dh U;k;ky; dh vfèkdkfjrk ,o 'kfDr dk fookfnr ugh fd;k tk ldrk gA fQj Hkh] ,lh 'kfDr dk ç;kx vU; ckrk d lkFk vrxLr vijkèk dh çÑfr ,o xHkhjrk] vfHk;Dr d foxr vkpj.k] mldh vk; rFkk mld Qjkj gku dh lHkkouk dk è;ku e j[k U;k;kfpr :i l vkj u fd eueku :i l djuk gkxkA***

10. प्रकटत:, अवर न्यायालय ने उक्त दो निर्णयों में दी गयी आज्ञाओं पर विचार नहीं किया है और इनका अनुसरण नहीं किया है और अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए बिना गैर जमानती वारन्ट और संहिता की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने के संबंध में कोई कारण दर्शाए बिना अथवा कोई संतुष्टि दर्ज किए बिना यांत्रिक रूप से आदेश पारित किया। अत:, मैं यह अभिनिर्धारित करने के लिए विवश हूँ कि आक्षेपित आदेश द्वारा संहिता की धाराओं 73 एवं 82 के अधीन क्रमश: गैरजमानती वारन्ट एवं उद्घोषणा जारी करने वाले आदेश अपास्त किए जाने के दायी हैं।

11. परिणामस्वरुप, यह रिट याचिका (दांडिक) अनुज्ञात की जाती है। गैर जमानती वारंट जारी करनेवाला दिनांक 20.5.2015 का आदेश और दिनांक 18.6.2015 का आदेश जिसके द्वारा संहिता की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी की गयी थी, जिन्हें न्यायिक दंडाधिकारी, राँची के न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है। अवर न्यायालय को विधि के अनुरुप अग्रसर होने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

कृष्ण मुरारी सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No. 828 of 2012 with I.A. No. 1206 of 2014. Decided on 30th September, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 414/34—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957—धारा 21—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—अवैध खनन–संज्ञान–प्राथमिकी में याची के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन हैं–पुलिस मामले का संस्थापन एवं भा० दं० सं० के अधीन अपराध के लिए संज्ञान लिया जाना समुचित है–किंतु, एम० एम० डी० आर० अधिनियम की धारा 21 के अधीन पुलिस मामले का संस्थापन और अपराध को संज्ञान लेने वाला आदेश बिल्कुल अवैध है–आक्षेपित आदेश अंशत: अभिखंडित।

(पैराएँ 6 से 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Sidhartha Roy, For the Petitioner; A.P.P., For the State.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. यह आवेदन बालूमठ पी० एस० केस सं० 32 वर्ष 2012, जी० आर० सं० 187 वर्ष 2012 के तत्सम, की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एवं प्राथमिकी के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है, जिसे भारतीय दंड संहिता की धाराओं 414/34 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, (इसमें इसके बाद 'एम० एम० डी आर० अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 21 के अधीन अपराधों के लिए संस्थित किया गया था। आई० ए० सं० 1206 वर्ष 2014 के रूप में, याची ने उक्त मामले में पारित विद्वान सब-डिविजनल दंडाधिकारी, लातेहार के दिनांक 25.4.2013 के आदेश को भी चुनौती दिया है, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 414/34 एवं एम० एम० डी० आर० अधिनियम की धारा 21 के अधीन याची के विरुद्ध संज्ञान लिया गया था।

3. बालूमठ पी० एस० केस सं० 32 वर्ष 2012 में प्राथमिकी को अभिलेख पर लाया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा अवैध रूप से खनन किए गए क्वार्ट्ज एवं फेलस्फर पत्थरों को बरामद किया गया था और पुलिस को सूचित किया गय था कि अवैध रूप से खनन किए गए उन पत्थरों को

याची द्वारा भंडारित किया गया था। प्राथमिकी में कथन किया गया है कि याची के पास खनन प्रयोजन से पट्टा एवं अनुज्ञप्ति था, किंतु उन क्वार्ट्ज एवं फेलस्फार पत्थरों को पट्टा स्थान से नहीं निकाला गया था, बल्कि उन्हें अवैध रूप से किसी अन्य स्थान से निकाला गया था और याची द्वारा भंडारित किया गया था। इन अभिकथनों के साथ, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 414/34 एवं एम० एम० डी० आर० अधिनियम की धारा 21 के अधीन अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज किया गया था। यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण के बाद, पुलिस ने याची के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया और आरोप-पत्र तथा केस डायरी में उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर, अवर न्यायालय ने दिनांक 25.4.2013 के आक्षेपित आदेश द्वारा याची एवं अन्य सह-अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराधों का संज्ञान लिया।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उक्त बालूमठ पी० एस० केस सं० 32 वर्ष 2012 में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एवं संज्ञान लेने वाला आदेश बिल्कुल अवैध है, क्योंकि याची के पास खनन प्रयोजन से पट्टा एवं अनुज्ञप्ति था और तद्नुसार, याची के विरुद्ध कोई अपराध बनता हुआ नहीं कहा जा सकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि एम० एम० डी० आर० अधिनियम की धारा 21 के अधीन अपराध के लिए पुलिस मामले का संस्थापन एवं एम० एम० डी० आर० अधिनियम के अधीन उक्त अपराध का संज्ञान लेने वाला आदेश बिल्कुल अवैध है और एम० एम० डी० आर० अधिनियम की धारा 22 के प्रतिकूल है क्योंकि उक्त अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में किए गए परिवाद के सिवाए पूर्णत: वर्जित है। यह निवेदन किया गया है कि चूँकि वर्तमान मामला पुलिस मामले से संबंधित है, और न कि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिवाद से, उक्त बालूमठ पी० एस० केस सं० 32 वर्ष 2012 में याची के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एवं संज्ञान लेने वाला आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है और ये अभिखंडित किए जाने योग्य है।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है।

6. स्वयं प्राथमिकी के परिशीलन से, यह प्रकट है कि याची के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अभिकथन है कि यद्यपि याची के पास खनन के उद्देश्य से पट्टा एवं अनुज्ञप्ति था, किंतु खनन पट्टा धृत भूखंड पर नहीं किया गया था बल्कि, किसी अन्य स्थान से क्वार्ट्ज एवं फेलस्फर पत्थरों को अवैध रूप से खनित किया गया था और तद्नुसार, याची के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

7. मामले के उस दृष्टिकोण में, मैं याची के विरुद्ध पुलिस मामले के संस्थापन अथवा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा याची के विरुद्ध संज्ञान लिए जाने में कोई अवैधता नहीं पाता हूँ, जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धाराओं 414/34 के अधीन अपराध से संबंधित है। किंतु, मैं याची के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन में बल पाता हूँ कि एम० एम० डी० आर० अधिनियम की धारा 21 के अधीन पुलिस मामले का संस्थापन एवं अपराध का संज्ञान लेने वाला आदेश बिल्कुल अवैध है एवं विधि की दृष्टि में इसे संपोषित नहीं किया जा सकता है। एम० एम० डी० आर० अधिनियम की धारा 22 स्पष्टत: प्रावधानित करती है कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में किए गए परिवाद के सिवाए कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान नहीं लेगा। वर्तमान मामला पुलिस मामला के आधार पर संस्थित किया गया है और एम० एम० डी० आर० अधिनियम की धारा 22 की दृष्टि में, एम० एम० डी० आर० अधिनियम की धारा 21 के अधीन अपराध के लिए न तो पुलिस मामला संस्थित किया जा सकता था और न ही अवर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा सकता था।

8. मामले के उस दृष्टिकोण में, विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, लातेहार द्वारा पारित दिनांक 25.4.2013 का आक्षेपित आदेश, जहाँ तक यह एम० एम० डी० आर० अधिनियम की धारा 21 के अधीन अपराध का संज्ञान लेता है, विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है।

9. पूर्वोक्त कारणों से, बालूमठ पी॰ एस॰ केस सं॰ 32 वर्ष 2012 जी॰ आर॰ सं॰ 187 वर्ष 2012 के तत्सम, में पारित विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, लातेहार द्वारा पारित दिनांक 25.4.2013 का आक्षेपित आदेश, जहाँ तक यह एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम की धारा 21 के अधीन अपराध का संज्ञान लेता है, एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है। किंतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि संज्ञान लेने वाले उक्त आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया है जहाँ तक यह भारतीय दंड संहिता की धाराओं 414/ 34 के अधीन अपराध से संबंधित है।

10. तद्नुसार, यह दांडिक विविध याचिका अंशत: अनुज्ञात की जाती है। परिणामस्वरुप, पूर्वोक्त अंतर्वर्ती आवेदन भी अंशत: अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; ohjUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o ihñ ihñ HkVV] U;k;efr

मनोज कुमार झा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 2219 of 2013. Decided on 14th October, 2015.

(क) सेवा विधि–जिला न्यायाधीश की नियुक्ति–फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से स्थान बनाया जाएगा और यदि रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं, राज्य को रिक्तियों की अतिरिक्त संख्या सृजित करनी होगी जितनी आवश्यक है–असमान व्यवहार का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है यदि परिस्थिति के विभिन्न संवर्ग हैं और असमान के लिए अवसर की समानता का परिणाम असमानता बढ़ाना होगा। (पैराएँ 18 एवं 19)

(ख) भारत का संविधान–अनुच्छेद 226 एवं 227 सहपठित अनुच्छेद 142— अनुच्छेद 142 के अधीन पारित किसी आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए अनुच्छेदों 226 एवं 227 के अधीन रिट नहीं होगा। (पैरा 20)

निर्णयज विधि.–(2012) 6 SCC 502—Referred; (2002) 11 SCC 656; (2014) 2 SCC 687—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Ashish Verma, Sanjay Kumar Singh, For the Petitioner; M/s Binod Poddar, Ajit Kumar, For the Resp.-State; Mr. Rajesh Shankar, For the High Court.

वीरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–इस रिट याचिका में चुनौती दिनांक 5.3.2013 का आवेदन आमंत्रित करने वाली नोटिस को दी गयी है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 9 से 30 (इसमें इसके बाद प्राइवेट प्रत्यर्थीगण के रूप में निर्दिष्ट), जिन्हें पहले एफ॰ टी॰ सी॰ योजना के अधीन एफ॰ टी॰ सी॰ की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में न्यायालय से प्रत्यक्ष भरती के रूप में पहले नियुक्त किया गया था, से जिला न्यायाधीश के नियमित कैडर में उसकी नियुक्ति के लिए झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

2. मामले के बेहतर अधिमूल्यन के लिए मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि का उल्लेख आवश्यक है।

3. झारखंड राज्य के सृजन के बाद, दिनांक 10.5.2001 को झारखंड के राज्यपाल ने झारखंड उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा (भरती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 विरचित किया और उसके अनुसरण में दिनांक 23.5.2001 को झारखंड उच्च न्यायालय ने डी॰ जे॰ के पदों के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित किया। अन्य के साथ वर्तमान प्राइवेट प्रत्यर्थियों ने पद के लिए आवेदन दिया और लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के बाद पैनल तैयार किया गया था। तत्पश्चात, चयनित उम्मीदवारों में से 17 उम्मीदवारों को झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा के नियमित कैडर

में ए॰ डी॰ जे॰ के रूप में नियुक्त किया गया था और क्रमांक 18 से 42 के शेष उम्मीदवारों को प्राइवेट प्रत्यर्थीगण सहित एफ॰ टी॰ सी॰ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने तद्नुसार पद ग्रहण किया।

4. वर्ष 2009 में झारखण्ड राज्य के अधीनस्थ न्यायपालिका के कुछ सदस्यों ने इस न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 2872 वर्ष 2009 में प्राइवेट प्रत्यर्थियों की नियुक्ति को चुनौती दिया और दिनांक 7.3.2011 के आदेश द्वारा प्राइवेट प्रत्यर्थियों जिन्हें एफ॰ टी॰ सी॰ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था की नियुक्ति अवैध घोषित की गयी थी और तिथि जिस पर उनकी नियुक्ति की अवधि समाप्त हुई अर्थात् दिनांक 31.3.2011 के प्रभाव से अभिखंडित कर दी गयी थी।

5. तत्पश्चात्, प्राइवेट प्रत्यर्थियों ने एस॰ एल॰ पी॰ दाखिल करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल किया और इसे सिविल अपील सं॰ 6647-49 वर्ष 2012 में संपरिवर्तित किया गया था और **महेश चंद्र वर्मा बनाम झारखंड राज्य, (2012)11 SCC 656,** में दिनांक 19.9.2012 के निर्णय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत हुआ और **ब्रिज मोहन लाल-II बनाम भारत संघ, (2012)6 SCC 502** में अधिकथित तरीके से उसमें के याचीगण की नियुक्ति का निर्देश दिया।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में झारखंड उच्च न्यायालय ने दिनांक 5.3.2013 के आवेदन को आमंत्रित करने वाली नोटिस के रूप में प्राइवेट प्रत्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया। अत: वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

7. याची के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार, जिनकी सहायता श्री आशीष वर्मा, अधिवक्ता द्वारा की गयी है, ने पूर्वोक्त नोटिस का विरोध इस आधार पर किया है कि **बी॰ एम॰ लाल II (ऊपर)** में प्रावधानित नियमित कैडर में फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मानकों का अनुसरण पूर्वोक्त अधिसूचना जारी करते हुए नहीं किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि **बी॰ एम॰ लाल II (ऊपर)** और **महेश चंद्र वर्मा (ऊपर)** के मुताबिक उच्च न्यायालय को नियमावली, 2001 के प्रावधानों के निबंधनानुसार परीक्षा लेने की आवश्यकता थी और फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों को दिया गया एक मात्र लाभ यह है कि उन्हें उनकी विगत सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए वेटेज प्वायंट दिया जाएगा और उनके साथ बंद कमरे में प्रतिस्पर्धा नहीं की जा सकती है जिसके द्वारा याची को परीक्षा में भाग लेने से वंचित किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि बी॰ एम॰ लाल II मामले में अधिकथित प्रतिपादना गुजरात राज्य सहित पूरे भारत में प्रयोज्य है और फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों को खुली प्रतियोगिता एवं सम्यक अधिमान दिया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि लोक नियोजन में उच्च स्तरीय पारदर्शिता की आवश्यकता है ताकि लोगों का न्यायिक नियुक्ति के मामले में विश्वास हो सके।

8. अधिसूचना को चुनौती इस आधार पर भी दी गयी है कि अधिसूचना द्वारा वर्तमान प्रत्यर्थी की सेवा नियमित की गयी थी जो **बी॰ एम॰ लाल II** मामले के निर्णय में सही आशय नहीं था। आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदन आमंत्रित करने वाली आक्षेपित नोटिस न केवल भरती नियमावली, 2001 के नियम 9 के विपरीत है बल्कि लोक नियुक्ति के प्रति सुनिश्चित विधि एवं संविधान के अनुच्छेदों 14 एवं 16 के अनुपालन के उल्लंघन में भी है और कि फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों के लिए स्थान बनाने के लिए न्यायालय से प्रत्यक्ष भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों को वापस लिया जाना अनुच्छेदों 14 एवं 16 के उल्लंघन के तुल्य है। आगे यह निवेदन किया गया है कि **बी॰ एम॰ लाल II** के निर्देश के मुताबिक फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों के लिए स्थान बनाने के लिए सरकार से अतिरिक्त पदों की मांग करने की आवश्यकता थी।

9. अपने निवेदनों के समर्थन में, श्री अजय कुमार ने निम्नलिखित निर्णयों को उद्धृत किया है:–

i. eO çO jkT; cuke ekO bckfge] (2009)15 SCC 214, ftlesa ;g vfHkfuèkkZfjr fd;k x;k gS fd ykd fu;kstu dk çLrko nr g, vuPNsn 14 ,o 16 e vfèkdfFkr loèkkfud ;kstuk ,o çkIfxd fu;ek dk vuljk.k djuk vko';d gA

ii. j.k ,o vU; cuke ftyk ,o l= U;k;kèkh'k] rhl gtkjh ,o vU;] (2014)14 SCC 50, ftlesa ;g vfHkfuèkkZfjr fd;k x;k gS fd U;kf;d lLFkku e fu;fDr Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 14 lgifBr vuPNn 16 e çfr"Bkfir volj dh lekurk dh dlkVh ij djuh gkxhA

iii. fcgkj jkT; cuke miUn ukjk;.k flg ,o vU;] (2009)5 SCC 65, ftle ;g vfHkfuèkkZfjr fd;k x;k gS fd ik= mEehnokjk l vkonu vkef=r dju okyk foKkiu tkjh fd, fcuk vkj lefpr p;u tgk leLr ik= mEehnokj çfrLièkk dju dk mfpr volj ikr g fd, fcuk jkT; vFkok l?k d vèkhu in ij dh x;h dkb fu;fer fu;fDr lfoèkku d vuPNn 16 e çfr"Bkfir xkjVh dk mYy?ku djxhA

iv. fcgkj jkT; ,o ,d vU; cuke ckyedn lkg ,o vU;] (2000)4 SCC 640, ftle ;g vfHkfuèkkZfjr fd;k x;k gS fd tgk rd jkT; dh U;kf;d lokvk e Hkjrh dk lcèk g] bl fofufn"Vr% vuPNn 233 l 237 rd vè;k; VI e çkoèkkfur fd, tku d dkj.k lfoèkku d o çkoèkku lfoèkku d vuPNn 309 d vèkhu 'kfDr d ç;kx e lefpr foèkkueMy }kjk cuk;h x;h fdlh fofèk ij vè;kjkgh gkxA fu"lng jkT; foèkkueMy U;kf;d 'kk[kk l vku oky vfèkdkfj;k dh lok 'kr fu;fer dju d fy, fofèk cuk ldrk g fdr U;kf;d lokvk dh Hkjrh ij fopkj dju okyh fofèk ugh cuk ldrk g pfd U;kf;d lok dh Hkjrh dk {k= Lo; lfoèkku d vuPNnk 233 l 236 d vèkhu vè;k; VI e lfoèkku e dkVdj vyx fd;k x;k gA

v. 'kkldh; lekid cuke n;kuUn] (2008)10 SCC ftle ;g vfHkfuèkkZfjr fd;k x;k g fd tc dkb 0;fDr bl vucèku fd mUg lok e cu jgu vFkok fu;fer dMj e vkefyr fd, tku dk vfèkdkj ugh gkxk] l vH;kjkfir fu;r indky d lkFk diuh d LVkQ d :i e fu;kstu@dke ij yxk, tku d fy, vkonu nrk g vkj bl Lohdkj djrk g] çR;Fkh dk Hkkjr ljdkj }kjk etj ink d fo#) viu vkeyu d fy, fun'k bfllr dju l foofèkr fd;k tkrk g vkj mPp U;k;ky;k u mudh çkFkuk Lohdkj dju e xHkhj xyrh fd;kA

vi. Jh dekj u Hkh cbO ,eO yky ll d fu.k; ij Hkh fo'okl fd;k g ftl ;gk fufn"V dju dh vko';drk ugh g D;kfd bl igy gh fufn"V fd;k x;k gA

10. प्रत्यर्थी झारखंड उच्च न्यायालय के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश शंकर ने निवेदन किया है कि **महेश चंद्र वर्मा (ऊपर)** में पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश ने मामले को नियुक्ति कमिटी के पास भेजा जिसने प्राइवेट प्रत्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए 22 पदों का सृजन करने की अनुशंसा किया। तत्पश्चात, पदों के सृजन के लिए राज्य सरकार को अनुरोध भेजा गया था और पदों के सृजन के बाद नियुक्ति के ढंग पर विचार करने के लिए दिनांक 25.2.2013 को नियुक्ति कमिटी की बैठक की गयी थी और तत्पश्चात यह संकल्प लिया गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 49 की आज्ञा के आलोक में प्राइवेट प्रत्यर्थियों

को प्रत्यक्ष भरती के रूप में अर्थात् झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 2011 के नियम 4 (a) के मुताबिक नियमित कैडर में नियुक्त किया जाना है। नोटिस जारी करने एवं विहित फॉर्मेट में सिविल अपीलों के अपीलार्थियों से आवेदन आमंत्रित करके वेबसाइट में अपलोड करने की अनुशंसा भी आगे की गयी थी। माननीय पूर्ण न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त अनुशंसा अनुमोदित की गयी थी और अंततः दिनांक 5.3.2013 को न्यायालय की वेबसाइट में इसे अपलोड किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा जो कोई भी कार्रवाई की गयी है, यह **बी॰ एम॰ लाल II (ऊपर)** एवं **महेश कुमार वर्मा (ऊपर)** दोनों में पारित आदेशों के कठोर अनुपालन में है और इस दशा में याची द्वारा दाखिल रिट गुणागुण विहीन है और खारिज किए जाने का दायी है। आगे यह निवेदन किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन दिए गए निर्देश को उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेदों 226 एवं 227 के अधीन रिट में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

11. अपने प्रतिवाद के समर्थन में श्री राजेश शंकर ने **साहिद बलवा बनाम भारत संघ, (2014)2 SCC 687,** में पारित निर्णय के पैरा 23 पर विश्वास किया है जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

> *"23. Hkkjr d lfoèkku dk vuPNn 136 lgifBr vuPNn 142 bl U;k;ky; dk ,l vkn'kk dk ikfjr dju d fy, l{ke cukrk g tk bld le{k yfcr fdlh okn vFkok ekey e i.k U;k; dju d fy, vko';d g vkj bl çdkj ikfjr dkb vkn'k ij Hkkjr e çoruh; gkxk] ,l ekey e i{kx.k Hkkjr d lfoèkku d vuPNnk 226 vFkok 227 d vèkhu vFkok nM çfØ;k lfgrk dh èkkjk 482 d vèkhu vfèkdkfjrk dk voyc ugh y ldr g rkfd ;g Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 136 lgifBr vuPNn 146 d vèkhu çnÙk viuh loèkkfud 'kfDr;k d ç;kx e bl U;k;ky; }kjk ikfjr mu vkn'kk e gLr{ki dj ldA vU;Fkk] i{kx.k Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 226 vFkok vuPNn 227 d vèkhu bl U;k;ky; d fuEurj U;k;ky;k d ikl tk,x rkfd Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 136 lgifBr vuPNn 146 d vèkhu çnÙk viuh 'kfDr;k d ç;kx e bl U;k;ky; }kjk ikfjr vud vkn'kk d ç;ktu ,o mí'; dk foQy cuk;k tk ldA***

12. कुछ प्राइवेट प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज टंडन ने निवेदन किया कि प्राइवेट प्रत्यर्थियों को कठोरतापूर्वक **बी॰ एम॰ लाल II (ऊपर)** एवं **महेश चंद्र वर्मा (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नियुक्त किया गया था और इस दशा में यह रिट खारिज किए जाने योग्य है। आगे यह निवेदन किया गया है कि गुजरात राज्य में तथ्यपरक स्थिति भिन्न थी और वर्तमान मामले से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। आगे यह निवेदन किया गया है कि बी॰ एम॰ लाल II के पैरा 207.9 (e) में यह विनिर्दिष्टतः उल्लिखित किया गया था कि इन मामलों के विचित्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार माड्यूल विरचित किया जाना चाहिए, इस प्रकार यह अत्यन्त स्पष्ट है कि परीक्षा न्यायालय के समस्त पात्र सदस्यों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा नहीं थी, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थियों को सुभिन्न वर्ग के रूप में माना गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बी॰ एम॰ लाल II** ने विनिर्दिष्टतः अभिनिर्धारित किया था कि यदि किसी कारण से नियमित कैडर में रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं है, राज्य सरकार ऐसी अतिरिक्त रिक्तियों को सृजित करेगा और इस प्रकार वर्तमान मामले में सामान्य भरती प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी।

13. राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने भी निवेदन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 19.9.2012 के आदेश अनुपालन में झारखंड उच्च न्यायालय ने लिखित परीक्षा एवं

साक्षात्कार संचालित किया और उन्हें नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था और अंततः दिनांक 25.6.2013 के अधिसूचना सं॰ 5630 से 5651 के तहत राज्य सरकार द्वारा डी॰ जे॰ के रूप में नियुक्त किया गया था।

14. इस मामले में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक यह है कि क्या केवल फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों (वर्तमान प्राइवेट प्रत्यर्थियों) से आवेदन आमंत्रित करने वाला नोटिस **बृज मोहन लाल II (ऊपर)** एवं **महेश चंद्र वर्मा (ऊपर)** में पारित निर्देश के उल्लंघन में था?

15. इस मामले में उठाए गए विवाद्यकों पर आने के पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त दो निर्णयों में अधिकथित प्रतिपादनाओं पर विचार करना होगा।

ब्रिज मोहन लाल (ऊपर) के पैरा 207.9 का पठन निम्नलिखित है:–

"207.9 leLr 0;fDr] ftUg ,Q0 VhO lh0 ;ktuk d vèkhu ,Q0 VhO lh0 dh vè;{krk dju d fy, U;k;kèkh'k d :i e U;k;ky; l çR;{k Hkjrh d tfj, fu;Dr fd;k x;k g] doy fuEufyf[kr rjhd e ijLij jkT;k dh mPprj U;kf;d lokvk d fu;fer dMj e fu;Dr fd, tkus d gdnkj gkxh

(a) ,Q0 VhO lh0 d çR;{k :i l fu;Dr 0;fDr tk fu;ferhdj.k pur g vij fty U;k;kèkh'kk d fu;fer dMj e vkeyu d fy, mudh mi;Drrk fofuf'pr dju d fy, ijLij jkT;k d mPp U;k;ky;k }kjk lpkfyr dh tku okyh ijh{kk e Hkkx yxA

(b) rRi'pkr mUg e[; U;k;kèkh'k ,o ml U;k;ky; d pkj ojh;re U;k;kèkh'kk l xfBr p;u dfeVh }kjk lk{kkRdkj d vè;èkhu fd;k tk,xkA

(c) fyf[kr ijh{kk d fy, 150 vd rFkk lk{kkRdkj d fy, 100 vd gkxA vgd vd lkekU; mEehnokjk d fy, 40% dy vkj ,l0 lh0@,l0 VhO@vkO ch0 lh0 mEehnokjk d fy, 35% gkxkA ijh{kk ,o lk{kkRdkj mPprj U;kf;d lok e çR;{k fu;fDr d fy, jkT;k }kjk vfèkfu;fer çkIfxd fu;ekoyh d vu#i fd;k tk,xkA

(d) çR;d fu;Dr 0;fDr ,Q0 VhO lh0 e lok d ,d vd çfr o"k dk gdnkj gkxk tk lk{kkRdkj vdk dk Hkkx fufer djxkA

(e) ;g bfxr djuk vuko';d g fd ;g è;ku e j[kr g, fd bu leLr vkondk u ,Q0 VhO lh0 U;k;kèkh'k d :i e vud o"k rd lok fn;k g vkj fofèk d vu#i U;k; çnku djd n'k dh lok fd;k g] ijLij mPp U;k;ky;k }kjk ijh{kk ,o lk{kkRdkj lpkfyr fd;k tk,xkA bl çdkj] bu ekeyk d fofp= rF;k ,o ifjfLFkfr;k dk è;ku e j[kr g, fyf[kr ijh{kk ,o lk{kkRdkj ekM;y fojfpr fd;k tkuk pkfg,A

(f) ol mEehnokj tk fyf[kr ijh{kk e vfgr gkr g vkj Åij minf'kr lefdr çfr'kr çkIr djr g dk jkT; d fu;fer dMj e vij fty U;k;kèkh'k d in ij fu;Dr fd;k tk,xkA

(g) ;fn fdlh dkj.k l fu;fer dMj e fjfDr;k miyCèk ugh g] ge jkT; ljdkj dk ,rn }kjk p;fur mEehnokjk dh l[;k dk è;ku e j[kr g, ,lh vfrfjDr fjfDr;k t lk vko';d gk ldrk g dk lftr dju dk fun'k nr gA

(h) leLr ihBklhu vkj@vFkok Hkrio ,Q0 VhO lh0 U;k;kèkh'kk] ftUg U;k;ky; l çR;{kr fu;Dr fd;k x;k Fkk vkj tk fu;fer fu;fDr d fy, ijh{kk ,o lk{kkRdkj nu d bPNd g] dk vk; f'kfFkyhdj.k fn;k tk,xkA fdlh vkonu

dk fofgr vk; l vfèkd gku d ukr vkond dh vk; d vkèkkj ij vLohdkj ugh fd;k tk,xkA

महेश चंद्र वर्मा बनाम झारखंड राज्य, (2012)11 SCC 656, मामले का पैरा 64:—

*"64. ge çfrokn dj jg çfr;fFk;k dh f'kdk;r xg.k dju d fy, r;kj ugh g fd ;fn vihykfFk;k dk fu;fer dMj e vkefyr fd;k tkrk g] mudh çkUufr d jkLr çHkkfor gkx vFkok o èkuh; gkfu l ihfMr gkxA vihykfFk;k dh fu;fDr dk pukrh nu d mld vfèkdkj dk pukrh nh x;h gA fdr] Hky gh ;g ekuk tkrk g fd mUg fct ekgu yky II dh nf"V e vfèkdkj g] ,lh f'kdk;r xg.k ugh dh tk ldrh gA fct ekgu yky II e bl U;k;ky; }kjk fn, x, fun'k lfoèkku d vuPNn 142 d vèkhu gA i.k U;k; dju d fy, vkj fun'k tkjh djr g, Li"Vr% bl U;k;ky; u li.k fook|d ij bld lefpr ifjç{; e fopkj fd;k gA vr%] ge bl fuonu dk vLohdkj djr gA geu tk nf"Vdk.k fy;k g] mldh nf"V e ge ;g nt djr g, bu vihyk dk fuiVkr g fd ge mPp U;k;ky; }kjk fy, x, nf"Vdk.k l lger g vkj ble gLr{ki dju dk dkj.k ugh n[kr gA ge >kj[kM jkT; ,o >kj[kM mPp U;k;ky; dk viu }kjk bl vkn'k dh çkfIr dh frFk l Ng ekg dh vofèk d Hkhrj fct ekgu yky II e vfèkdfFkr rjhd l dBkjrkiod >kj[kM jkT; e mPprj U;kf;d lok e fu;fer dMj e vihykfFk;k dk fu;Dr dju d fun'k dk vuikyu dju dk fun'k nr gA***

इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों की पूर्व नियुक्ति को अस्थायी के रूप में नियमावली के अधीन नहीं माना किंतु मामले के अनेक पहलूओं को देखते हुए और न्याय प्रदान प्रणाली को सुधारने और वाद के साथ पूर्ण न्याय करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग किया और राज्य के उच्चतर न्यायिक सेवा के नियमित कैडर में फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित किया।

16. दिनांक 5.3.2013 की नोटिस को चुनौती देने का प्रथम आधार यह है कि **बी॰ एम॰ लाल II (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक उच्च न्यायालय को नियमावली, 2001 के प्रावधानों के निबंधनानुसार परीक्षा लेने की आवश्यकता थी और वर्तमान प्राइवेट प्रत्यर्थियों को दिया गया एकमात्र लाभ यह है कि उन्हें उनकी विगत सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए वेटेज प्वायंट दिया जाएगा और उनके साथ बंद कमरा प्रतियोगिता नहीं की जा सकती है जिसके द्वारा याची को परीक्षा में भाग लेने से वंचित किया गया था।

17. हमने पैरा 207 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश का परिशीलन किया है और पैरा 207 तथा इसके सब पैरा विशेषत: 207.9 के संयुक्त पठन से यह प्रकट होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए नियमित कैडर में फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों को वापस लेने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया अधिकथित किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त निर्णय में फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों को वापस लेने के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का अंक नियत किया है और स्पष्ट शब्दों में इंगित किया है कि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का मॉड्यूल वर्तमान मामले के विचित्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विरचित किया जाना चाहिए और इस दशा में यह कहना न्यायोचित नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को विशेष उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी। यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई आशय होता कि एफ॰ टी॰ सी॰ न्यायाधीशों को खुली रिक्तियों में अन्य के साथ प्रतिस्पर्धा करना होगा, यह स्वयं निर्णय में आया होता।

18. जहाँ तक याची के विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन का संबंध हैं कि **बी॰ एम॰ लाल II (ऊपर)** में निर्देशों के मुताबिक फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों के लिए स्थान न्यायालय से प्रत्यक्ष भरती के लिए उपलब्ध पदों में से नहीं बनाया जाएगा, हमारा दृष्टिकोण है कि पैरा 207.9 (g) स्पष्टत: आज्ञा देता है कि फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों के लिए स्थान उपलब्ध रिक्तियों से बनाया जाएगा और यदि रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं है, राज्य को रिक्तियों की अतिरिक्त संख्या जितना आवश्यक है सृजित करने का निर्देश दिया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया से यह प्रकट होता है कि उच्चतर न्यायिक सेवा के उपलब्ध पदों को देखते हुए 17 अतिरिक्त पद सृजित किए गए थे और तत्पश्चात 22 पदों की कुल संख्या के लिए रिक्ति विज्ञापित की गयी थी। इस प्रकार, हमारा दृष्टिकोण है कि उच्च न्यायालय ने **बी॰ एम॰ लाल II** मामले में दिए गए निर्देश का इसके सही परिप्रेक्ष्य में अनुपालन किया है और इस दशा में इसमें हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

19. दिनांक 5.3.2013 की नोटिस को चुनौती का दूसरा आधार कि नोटिस भरती नियमावली, 2001 के नियम 9 के विपरीत है और लोक नियुक्ति के प्रति सुनिश्चित विधि एवं संविधान के अनुच्छेदों 14 एवं 16 के अनुपालन के उल्लंघन में है, इस कारण से संपोषणीय नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों का मामला अन्य के मामले से असमान के रूप में माना और अनुच्छेद 142 के अधीन अधिकारिता का अवलंब लेते हुए उनकी नियुक्ति के लिए प्रक्रिया अधिकथित किया। यह विधि की सुनिश्चित प्रतिपादना है कि अनुच्छेदों 14 एवं 16 के अधीन असमान व्यवहार का प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता है यदि परिस्थितियों के विभिन्न संवर्ग हैं और असमान के लिए अवसर की समानता का अर्थ केवल असमानता गुरुत्तर करना हो सकता है।

20. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नियमित कैडर में एफ॰ टी॰ सी॰ न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में गुजरात राज्य द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया पर काफी जोर दिया गया है जिसमें खुली प्रतियोगिता संचालित की गयी थी और फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों को सम्यक अधिमान दिया गया था। हमारा सरोकार अन्य राज्यों द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के साथ नहीं है क्यों न तो वे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन हैं और न ही हम इसी प्रक्रिया द्वारा बाध्य हैं। हमारा सरोकार केवल इस प्रश्न के साथ है कि क्या इस उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक पक्ष में दिनांक 5.3.2013 का नोटिस जारी करते हुए **बी॰ एम॰ लाल II** में अधिकथित निर्देश की सच्ची व्याख्या की है। श्री कुमार द्वारा विश्वास किया गया निर्णय विधि के सामान्य सिद्धांत पर है और वर्तमान मामले के व्यक्तिगत तथ्यों के प्रति लागू नहीं होगा जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फास्ट ट्रैक न्यायाधीशों के मामलों के विचित्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनके प्रति प्रयोज्य विशेष प्रक्रिया अधिकथित किया था। किंतु, **साहिद बलवा बनाम भारत संघ (ऊपर)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेदों 226 एवं 227 के अधीन रिट नहीं होगा ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन पारित किसी आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।

21. यहाँ ऊपर उल्लिखित विस्तृत कारणों से, हमारा दृष्टिकोण है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने प्राइवेट प्रत्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने वाला नोटिस जारी करते हुए **बी॰ एम॰ लाल II** में अधिकथित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इसके सच्चे परिप्रेक्ष्य में अनुपालन किया है।

22. परिणामस्वरुप, वर्तमान रिट याचिका गुणागुण रहित होने के नाते खारिज किए जाने योग्य है किंतु व्यय के किसी आदेश के बिना। तद्‌नुसार आदेशित।